



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव
1947-2022

सामाजिक विज्ञान

पाठ्यपुस्तक

वेद-विभूषण - I वर्ष / उत्तरमध्यमा - I वर्ष / कक्षा 11वीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)

सुषुम्णः सूर्यरश्मिभ्यश्चन्द्रमागन्धर्वस्तारयनक्षत्राण्यण्णरसोभेकुरपोनाम ॥

अस्यैको रश्मिश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यम्-

आदित्यतोऽस्य दीप्तिर्भवति।

सैषा चतुर्मेहाद्रीषा नानाद्वीपसमाकुलम्।

पृथिवी कीर्तिता कृत्वा पद्माकारा मया हिजाः ॥

तदेषा सान्तरद्वीपा सशैलवनकानना।

पद्मेत्यभिहिता कृत्वा पृथिवी बहुविस्तरा ॥

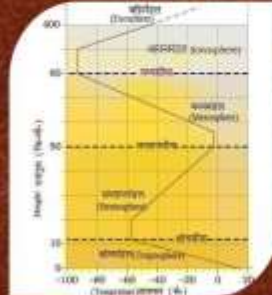
स ई वृषाजनयत तासु गर्भे स ई शिशुर्धयति तं रिहन्ति।

सो अपा नशदन्भिद्यतवर्णाऽन्यस्येवेह तन्वा विवेच ॥

जम्बूद्वीपाद्वयो द्वीपौ शाल्मलिश्चापरो महान्।

कुशाः क्रीडस्तथा शाकः पुष्करश्चेति सप्तमः ॥

उभौ समुद्रावा सेति यश्च पूर्व उतापरः।



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक

वेद-विभूषण - I वर्ष / उत्तरमध्यमा - I वर्ष / कक्षा 11वीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)
(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

लेखकगण :-	1. डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)
	2. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा श्री वीर हनुमान ऋषिकुल वेद विद्यालय, ग्रा. नांगल भरडा, चौमू, जयपुर (राजस्थान)
	3. श्री विजेन्द्र सिंह हाडा श्री कर्णेश्वर वेद विद्यालय, कनवास, कोटा (राजस्थान)
	4. श्री विक्रम कुमार बासनीवाल श्री मुनिकुल ब्रह्मचर्याश्रम वेद संस्थानम्, बरुन्दनी (राजस्थान)
आवरण एवं सज्जा :-	श्री शैलेन्द्र डोडिया
चित्राङ्कन :-	
तकनीकी सहयोग, टङ्कण	
एवं संशोधन :-	1. श्रीमती किरण परमार 2. श्री अनिल चौहान 3. श्री नरेन्द्र सोलंकी
अक्षरविन्यास :-	
पुस्तक परामर्श :-	
© महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, उज्जयिनी	
ISBN :-	
मूल्य :-	
संस्करण :-	
प्रकाशित प्रति :-	
पेपर उपयोगः :-	आर.सी.टी.बी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित
प्रकाशक :-	महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान (शिक्षामन्त्रालय भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था) वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.) email : msrvvpujn@gmail.com, Web : msrvvp.ac.in दूरभाषा (0734) 2502255, 2502254

प्रस्तावना

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में)

शिक्षा मन्त्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार ने माननीय शिक्षा मन्त्री जी (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मन्त्री) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना दिल्ली में 20 जनवरी, 1987 को सोसायटी पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की थी। भारत सरकार ने वेदों की श्रुति परम्परा का संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना का संकल्प संख्या 6-3/85-SKT-IV दिनांक 30-3-1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया था। वेदों के अध्ययन की श्रुति परम्परा (वेद संहिता, पद पाठ से घनपाठ तक, वेदाङ्ग, वेद भाष्य आदि), वेदों का पाठ संरक्षण, वैदिक स्वर तथा वैज्ञानिक आधार पर वेदों की व्याख्या का दायित्व वेद विद्या प्रतिष्ठान को दिया गया था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के कार्यालय को उज्जैन में स्थानान्तरित करने के पश्चात् संगठन का नाम महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया। वर्तमान में यह संगठन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि- परिसर, महाकाल नगरी, उज्जैन में स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के संशोधित नीति-1992 और कार्यप्रणाली (प्रोग्राम ऑफ एक्शन)-1992 में भी वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान को उत्तरदायित्व दिया गया था। भारत के प्राचीन ज्ञान कोष, मौखिक परम्परा और इस तरह की शिक्षा के लिए पारम्परिक गुरुओं को संयोजित करने के उद्देश्य को 1992 के कार्यप्रणाली (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) में उल्लेखित किया गया था।

राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वेद और संस्कृत शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना के पक्ष में राष्ट्रीय सहमति, जनादेश, नीति, विशिष्ट उद्देश्य और कार्यान्वयन रणनीतियों के अनुरूप, भारत सरकार के माननीय शिक्षा मन्त्रीजी की अध्यक्षता में महासभा और शासी परिषद के समावेश में “महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड” की स्थापना 2019 में हुई है। MSRVVP का वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी वैदिक शिक्षा का एक भाग है और MSRVVP के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है जैसा कि MoA और नियमों में संकल्पना की गई है। महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड को शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा वर्ष 2015 में श्री एन. गोपालस्वामी (पूर्व चुनाव आयुक्त) की अध्यक्षता में गठित समिति “संस्कृत के विकास के लिए विजन और रोडमैप - दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना” की रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर तक वेद संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम मानकीकरण, संबद्धता, परीक्षा मान्यता, प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रस्तर पर वेद संस्कृत परीक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। समिति की अनुशंसा थी कि प्राथमिक स्तर का वैदिक एवं संस्कृत अध्ययन अभिप्रेरक, सम्प्रेरक एवं आनन्ददायी होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के विषयों को वैदिक और संस्कृत पाठशालाओं में सन्तुलित रूप से सम्मिलित करना भी आवश्यक है। इन पाठशालाओं की पाठ्यक्रम सामग्री को समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप और प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हुए आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रारूपित किया जाना चाहिए।

वेद पाठशालाओं के सम्बन्ध में समिति ने यह संस्तुति की है कि संस्कृत और आधुनिक विषयों की श्रेणीबद्ध सामग्री के परिचय के साथ-साथ वेद पाठ कौशल संवर्धन और वेद उच्चारण में मानकीकरण की आवश्यकता है ताकि वेद छात्र अन्ततः वेद भाष्य के अध्ययन तक पहुँच सकें और छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यधारा में लाया जा सके। उचित स्तर पर वेदों के विकृति पाठ के अध्ययन पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समिति के सदस्यों ने यह भी चिन्ता व्यक्त की है कि वैदिक सस्वर पाठ पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला है, इसलिए वैदिक सस्वर पाठ की शैलियों और शिक्षण पद्धति की क्षेत्रीय विविधताओं में हस्तक्षेप किए बिना स्थिति में सुधार के लिए उचित कदम उठाया जाना है।

यह भी अनुभव किया गया कि वेद और संस्कृत अविभाज्य हैं और एक दूसरे के पूरक हैं और देश भर में सभी वेद पाठशालाओं और संस्कृत पाठशालाओं के लिए परीक्षा मान्यता और सम्बद्धता की समस्याएँ समान हैं, इसलिए दोनों के लिए एक साथ वेद संस्कृत हेतु एक बोर्ड का गठन किया जा सकता है। समिति ने यह पाया कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को कानूनी रूप से वैध मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो शिक्षा की आधुनिक बोर्ड प्रणाली के साथ समानता रखे। समिति ने पाया कि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन को “महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत विद्या परिषद्” के नाम से

परीक्षा बोर्ड का दर्जा दिया जाये, जिसका मुख्यालय उज्जैन में रहे। परीक्षा बोर्ड होने के अतिरिक्त अब तक जो सभी वेद कार्यक्रम और वेद पर गतिविधियाँ हैं, वे सभी प्रतिष्ठान में जारी रहेंगे।

वैदिक शिक्षा का प्रचार भारत की गौरवशाली ज्ञान परम्परा का एक व्यापक अध्ययन है और इसमें वैदिक अध्ययन (वेद संहिता, पद पाठ से घनपाठ तक, स्वर का सम्यक् प्रयोग ज्ञान आदि), सस्वर पाठ कौशल, मन्त्र उच्चारण और संस्कृत ज्ञान प्रणाली सामग्री की बहुस्तरीय श्रुति परम्परा सम्मिलित है। प्रतिष्ठान में NEP 2020 अनुरूप 3 + 4 (सात साल तक) के वेद अध्ययन की योजना में पारम्परिक छात्रों को मुख्य धारा में लाने की नीति के परिप्रेक्ष्य में अन्य विभिन्न आधुनिक विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि आदि पाठ्यक्रम के अनुसार तथा वैदिक शिक्षा पर केन्द्रित नीति निर्धारक निकायों में राष्ट्रीय सहमति, समय की उपलब्धता के आधार पर सभी अध्ययन संयोजित हैं। अध्ययन की यह योजना NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रम सामग्री में आधुनिक ज्ञान के साथ एवं भारतीय ग्रंथों से तैयार वैदिक ज्ञान के उपयुक्त सामग्री के साथ है।

प्रतिष्ठान बोर्ड की वेद पाठशालाओं, गुरु शिष्य ईकाइयों और गुरुकुलों में, पाठ्यक्रम मुख्य रूप से सम्पूर्ण सस्वर कण्ठस्थीकरण के साथ संपूर्ण वेद शाखा का अध्ययन होता है तथा संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि और SUPW जैसे अतिरिक्त सहायक विषयों के साथ वेद अध्ययन होता है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि वेदों की 1131 शाखाएँ सस्वर पाठ के साथ थे, अर्थात् 21 ऋग्वेद में, 101 यजुर्वेद में, 1000 सामवेद में और 9 अथर्ववेद में। समय के साथ इन शाखाओं की एक बड़ी संख्या विलुप्त हो गई और वर्तमान में केवल 10 शाखाएँ, अर्थात् ऋग्वेद में एक, यजुर्वेद में 4, सामवेद में 3 और अथर्ववेद में 2 सस्वर पाठ के रूप में विद्यमान हैं, जिन पर भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित है, इन 10 शाखाओं के संबंध में भी बहुत कम प्रतिनिधि वेदपाठी पंडित हैं जो श्रुति परम्परा/पाठ/वेद ज्ञान परम्परा को उसके प्राचीन और पूर्ण रूप में संरक्षित किये हुए हैं। जब तक श्रुति परम्परा के अनुसार वैदिक शिक्षा पर मूलरूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक यह व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पायेगी। वैदिक श्रुति परम्परा की श्रुति अध्ययनों के पहलुओं को सामान्य/अध्ययन में स्कूल में न तो पढ़ाया जाता है

और न ही किसी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, और न ही स्कूलों/बोर्डों के पास उन्हें आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने और सञ्चालित करने की विशेषज्ञता है।

वैदिक छात्र जो श्रुति परम्परा / वेद का पाठ सीखते हैं, वे दूर-दराज के गाँवों, सीमावर्ती गाँवों आदि में वेद गुरुकुलों में, वेद पाठशालाओं में, वैदिक आश्रमों में हैं, और वेद अध्ययन के लिए उनका समर्पण लगभग 1900 - 2100 घण्टे प्रतिवर्ष है। जो अन्य स्कूल बोर्ड की सीखने की प्रणाली के समय से दोगुना है और वैदिक छात्रों को “गुरु-मुख-उच्चारण अनुच्चारण” - वेद गुरु के सामने बैठकर शब्दशः उच्चारण सीखना होता है, संपूर्ण वेद, शब्दशः उच्चारण (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि) के साथ कण्ठस्थ करना होता है और स्मृति के बल पर बिना किसी पुस्तक/पोथी को देखे।

ज्ञात हो कि इस प्रकार के वैदिक अध्ययन, वेद मन्त्रपाठ की रीति, गुरु शिष्य की अखण्ड मौखिक परम्परा से प्रचलित क्रम के कारण वेदों के मौखिक प्रसारण को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रूप में यूनेस्को-विश्व मौखिक विरासत सूची में मान्यता प्राप्त हुई है। इसलिए, सदियों पुरानी वैदिक शिक्षा (श्रुति परम्परा/सस्वर पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) की प्राचीनता और सम्पूर्ण अखण्डता को बनाए रखने के लिए सुयोग्य कार्यनीति की आवश्यकता है। इसलिए, प्रतिष्ठान और इस बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा निर्धारित कौशल और व्यावसायिक विषयों के साथ-साथ आधुनिक विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि आदि के साथ विशिष्ट प्रकार के वेद पाठ्यक्रम को अपनाया है।

कोई भी व्यक्ति तब सुखी होकर जी सकता है जब वह परा-विद्या और अपरा-विद्या दोनों का अध्ययन करता है। वेदों में से भौतिक ज्ञान, उनकी सहायक शाखाएँ और भौतिक रुचि के विषय अपरा-विद्या कहलाते थे। सर्वोच्च वास्तविकता का ज्ञान, उपनिषदों की अंतिम खोज, परा-विद्या कहलाती है। वेद और उसके सहायक के रूप में अध्ययन किए जाने वाले विषयों की कुल संख्या 14 है। विद्या की 14 शाखाएँ ये हैं - चार वेद, छह वेदांग, मीमांसा (पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा), न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और अर्थशास्त्र सहित चौदह विद्याएं अठारह हो जाते हैं। सदियों से भारत उपमहाद्वीप में सभी शिक्षा संस्कृत भाषा में ही थी, क्योंकि इस उपमहाद्वीप में लम्बे समय तक संस्कृत बोली जाने वाली भाषा रही। इसलिए वेद भी सुलभता से समझे जाते थे।

तक्षशिला के विद्यालयों के सम्बन्ध में अठारह शिल्प-या औद्योगिक और तकनीकी कला और शिल्प का उल्लेख किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद् तथा नीति ग्रन्थों में भी इन का विवरण है। निम्नलिखित 18 कौशल/व्यावसायिक विषय अध्ययन के विषय बताए गए हैं- (1) गायन सङ्गीत (2) वाद्य सङ्गीत (3) नृत्य (4) चित्रकला (5) गणित (6) लेखाशास्त्र (7) इञ्जीनियरिङ्ग (8) मूर्तिकला (9) प्रजनन (10) वाणिज्य (11) चिकित्सा (12) कृषि (13) परिवहन और कानून (14) प्रशासनिक प्रशिक्षण (15) तीरंदाजी, किला निर्माण और सैन्य कला (16) नये वस्तु या उपज का निर्माण। उपर्युक्त कला और शिल्प में तकनीकी शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में एक प्रशिक्षु प्रणाली विकसित की गई थी। विद्या और अविद्या मनुष्य को इस प्रपञ्च में सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करने के लिए समर्थ और परलोक में मुक्ति योग्य सिद्ध करती है।

दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में सर्व प्रथम भारतीय सभ्यता में शास्त्रों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सीखने की एक विशाल एवं सुदृढ़ परम्परा रही है। भारत प्राचीन काल से ही ऋषियों, ज्ञानियों और संतों की भूमि के साथ-साथ विद्वानों और वैज्ञानिकों की भूमि भी रही है। शोध से पता चला है कि भारत सीखने सिखाने (विद्या-आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या-भौतिक ज्ञान) के क्षेत्र में विश्व गुरु तो था ही, सक्रिय रूप से भी सम्पूर्ण प्रपञ्च में योगदान दे रहा था और भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों जैसे सीखने के विशाल केन्द्र स्थापित किए गए थे, जहाँ हजारों शिक्षार्थी आते थे। प्राचीन ऋषियों द्वारा खोजी गई कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी, सीखने की पद्धतियाँ, सिद्धान्तों और तकनीकों ने कई पहलुओं पर हमारे विश्व के ज्ञान के मूल सिद्धान्तों को बनाया और प्रबल किया है, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, ध्वन्यात्मकता, व्याकरण आदि पर दुनिया में भारत का योगदान समझा जाता है। प्रत्येक भारतीय बालक, बालिका द्वारा इस महान् देश का गौरवान्वित नागरिक होने के कारण इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। भारत की संसद के प्रवेश द्वार पर उद्धृत “वसुधैव कुटुम्बकम्” जैसे भारत के विचार और विभिन्न अवसरों पर संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा उद्धृत कई वेद मंत्र के अर्थ वेदों के अध्ययन से ही ज्ञात होते हैं और उन पर मनन करके ही वास्तविक प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। वेदों और सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में “सत्, चित, आनन्द” के रूप में सभी प्राणियों की अन्तर्निहित समानता पर जोर दिया गया है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि वेद वैज्ञानिक ज्ञान के स्रोत हैं और हमें आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए वेदों और भारतीय शास्त्रों के स्रोतों की ओर पुनः निष्ठा से देखना होगा। जब तक छात्रों को वेदों का पाठ, शुद्ध वैदिक ज्ञान सामग्री और वैदिक दर्शन को आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, तब तक आधुनिक भारत की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वेदों के सन्देश का प्रसार पूर्ण रूप से सम्भव नहीं है।

वेद की शिक्षा (वैदिक मौखिक एवं श्रुति परंपरा/वेद पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है। यह कहना अनुचित होगा कि वेदों का अध्ययन केवल धार्मिक निर्देश है। वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं हैं और इनमें केवल धार्मिक सिद्धान्त ही नहीं हैं, बल्कि वेद शुद्ध ज्ञान के कोष हैं, मानव जीवन की कुञ्जी वेदों में है इसलिए, वेदों में निर्देश या शिक्षा को केवल "धार्मिक शिक्षा/धार्मिक निर्देश" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

2004 की सिविल अपील संख्या 6736 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (AIR 2013: 15 SCC 677); (निर्णय की दिनांक- 3 जुलाई 2013), जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट है कि वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं हैं। वेदों में गणित, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, रसायन विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, दर्शन, योग, शिक्षा, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान आदि के विषय सम्मिलित हैं, जिन्हें माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में प्रतिष्ठान एवं बोर्ड के माध्यम से वैदिक शिक्षा -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली 'संस्कृत ज्ञान प्रणाली' के रूप में भी जाना जाता है, उनके महत्त्व और पाठ्यक्रम में उनका समावेश और विविध विषयों के संयोजन में लचीले दृष्टिकोण को मजबूती से प्रदर्शित किया गया है। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे, प्रयास करना होगा कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों (सॉफ्ट स्किल्स) को प्राप्त करें। कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की गौरवशाली परम्परा इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी। भारत की समृद्ध, विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परम्पराओं को संयोजित करने और उससे प्रेरणा पाने हेतु यह नीति बनायी गयी है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्त्व, प्रासङ्गिकता और सुन्दरता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। संस्कृत,

संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्त्वपूर्ण आधुनिक भाषा है यदि सम्पूर्ण लैटिन और ग्रीक साहित्य को मिलाकर भी इसकी तुलना की जाए तो भी वह संस्कृत शास्त्रीय साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, सङ्गीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातुविज्ञान, नाटक, कविता, कहानी, और बहुत कुछ (जिन्हें “संस्कृत ज्ञान प्रणालियों” के रूप में जाना जाता है) के विशाल भण्डार हैं। विश्व विरासत के लिए इन समृद्ध संस्कृत ज्ञान प्रणाली विरासतों को न केवल पोषण और भविष्य के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शोध कराकर इन्हें बढ़ाते हुए नए उपयोगों में भी रखा जाना चाहिए। इन सबको हजारों वर्षों में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के एक विस्तृत जीवन्त दर्शन के साथ लिखा गया है। संस्कृत को रूचिकर और अनुभावात्मक होने के साथ-साथ समकालीन रूप से प्रासङ्गिक विधियों से पढ़ाया जाएगा। संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग विशेष रूप से ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से है। फाउंडेशन और माध्यमिक स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने (एस्.टी.एस्.) और इसके अध्ययन को आनन्ददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत (एस्.एस्.एस्.) में लिखा जाना है। ध्वन्यात्मकता और उच्चारण वेदों की मौखिक परम्परा पर लागू होता है। वैदिक शिक्षा ध्वन्यात्मकता और उच्चारण पर आधारित है।

कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट विभेद नहीं किया गया है। सभी ज्ञान की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए, एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक (Multi-Disciplinary) एवं समग्र शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतान्त्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिन्तन, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, बहुलतावाद, समानता और न्याय पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 4.23 में अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण के विषय में निर्देश है। विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलेंगे, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को

एक अच्छे, सफल, अनुभवी, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी आवश्यक है। वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मकता और नवीनता, सौंदर्यशास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद, स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक दक्षता, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्या को हल करने और तार्किक चिन्तन, व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल, डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल चिन्तन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिङ्ग संवेदनशीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता कौशल और मूल्य, भारत का ज्ञान, पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता, जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ-सफाई, समसामयिक घटना और स्थानीय समुदायों, राज्यों, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान, भाषाओं में प्रवीणता के अलावा, इन कौशलों में सम्मिलित है। बच्चों के भाषा कौशल संवर्धन के लिए और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक निधि के संरक्षण के लिए, सार्वजनिक या निजी सभी विद्यालयों में सभी छात्रों को भारत की एक शास्त्रीय भाषा और उससे सम्बन्धित साहित्य सीखने का कम से कम दो साल का विकल्प मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्र. 4.27 में “भारत का ज्ञान” के विषय में महत्वपूर्ण निर्देश है। “भारत का ज्ञान” में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान - भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ –साथ शासन, राजव्यवस्था, संरक्षण आदि जहाँ भी प्रासंगिक हो, विषयों में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें औषधीय प्रथाओं, वन प्रबन्धन, पारम्परिक (जैविक) फसल की खेती, प्राकृतिक खेती, स्वदेशी खेलों, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों पर ज्ञानदायी विषय हो सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्र. 11.1 में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर प्रवृत्त करने के निर्देश हैं। भारत में समग्र एवं बहु-विषयक विधि से सीखने की एक प्राचीन परम्परा पर बल दिया गया है, तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों के उल्लेख सहित 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में गायन और चित्रकला, वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियान्त्रिकी और साथ ही साथ

सम्प्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी सम्मिलित है। यह विचार है कि गणित, विज्ञान, व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट स्किल सहित रचनात्मक मानव प्रयास की सभी शाखाओं को 'कला' माना जाना चाहिए, जिसका मूल भारत है। 'कई कलाओं के ज्ञान' या जिसे आधुनिक समय में प्रायः 'उदार कला' कहा जाता है (अर्थात्, कलाओं की एक उदार धारणा) की इस धारणा को भारतीय शिक्षा में वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि यह ठीक उसी तरह की शिक्षा है जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 22.1 में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन हेतु निर्देश हैं। भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है – जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है, और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषायी अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव होना, भारत के आकर्षक हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण सङ्गीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इसका आनन्द उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं।

यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदा है भारत की इस सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि इस देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 22.2 में कलाओं के विषय में निर्देश हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन राष्ट्र एवं राष्ट्र के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना जरूरी है। बच्चों में अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परम्परा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एकता,

सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान निर्मित किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्त्वपूर्ण है।

प्रतिष्ठान की मुख्य वैदिक शिक्षा (वेदों की श्रुति या मौखिक परम्परा/वेद पाठ/वैदिक ज्ञान परम्परा) सहित अन्य आवश्यक आधुनिक विषय- संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि, भारतीय कला, SUPW आदि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों की नींव/ स्रोत भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS) विषयों की अनुप्रविष्टि (इनपुट) पर आधारित हैं। ये सभी निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के शैक्षिक चिन्तकों, प्राधिकरणों के परामर्श एवं नीति को ध्यान में रखते हुए प्रारूप पुस्तकें पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करायी गयी हैं। इन पुस्तकों को भविष्य में NCF के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा और अन्त में प्रिन्ट रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय के अध्यापक महानुभावों ने, वेद अध्यापन (वैदिक मौखिक एवं श्रुति परम्परा/वेद पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) में समर्पित आचार्यों ने, सम्बद्ध वेद पाठशालाओं के संस्कृत एवं आधुनिक विषयों के अध्यापकों ने, आधुनिक विषय पाठ्यपुस्तकों को इस रूप में प्रस्तुत करने में पिछले दो वर्षों में अथक परिश्रम किया है। उन सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद समर्पण करता हूँ। राष्ट्र स्तर के विविध विशेषज्ञों ने समय-समय पर पधार कर पाठ्यपुस्तकों में गुणवत्ता लाने में विशेष सहायता प्रदान की है। उन सभी विशेषज्ञों एवं विद्यालयों के अध्यापक महानुभावों को भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अक्षर योजना हेतु, चित्राङ्कन हेतु, पेज सेटिंग हेतु मेरे सहयोगी कर्मचारियों ने कार्य किया है, उन सभी को हृदय की गहराई से कृतज्ञता समर्पण करता हूँ।

पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रचनात्मक आलोचना सहित सभी सुझावों का स्वागत है।

आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्।

बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् १.०२)

(जब तक विद्वानों को पूर्ण सन्तुष्टि न हो जाए तब तक विशिष्ट प्रयोग को सब तरह से सफल नहीं मानता क्योंकि प्रयोग में विशेष योग्यता प्राप्त विद्वान भी पहले प्रयोग के सफलता में आश्वस्त नहीं रहता है।)

प्रो. विरूपाक्ष वि जड्डीपाल्

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड



पाठ्यपुस्तक के आलोक में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के आलोक में राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा संस्थापित महर्षि सान्दीपनि वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा देश भर में मान्यता प्राप्त वेद पाठशालाओं/गुरु शिष्य इकाइयों में अध्ययनरत वेद भूषण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम एवं वेद विभूषण प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्कूली शिक्षा में छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्याराहवीं एवं बाराहवीं कक्षा के छात्रों के लिए एन.सी.ई.आर.टी. एवं राज्य शिक्षा बोर्डों तथा भारतीय ज्ञान परम्परा विषयक विविध प्रकाशित स्रोतों के मानक अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित विषय यथा भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र आदि हमें, समाज को समझने में बहुविध सहायता प्रदान करते हैं। इसी समझ के आधार पर हम अपने भविष्य को व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से उत्कृष्टतम बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह सम्पूर्ण विश्व हजारों-लाखों वर्ष पूर्व से समयानुरूप विविध घटनाओं और परिवर्तनों का परिणाम है। इन घटनाओं परिवर्तनों और परिणामों को जानने व समझने में सामाजिक विज्ञान की यह पाठ्यपुस्तक निश्चित ही सहायक है।

सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अधिकांश विषयों को वैदिक वाङ्मय के सैद्धान्तिक स्वरूप और उपयोगिता को दृष्टि में रखकर जोड़ा गया है, जिससे अध्येताओं को भारतीयता और सांस्कृतिक गौरव का निश्चय ही अनुभव होगा। इस पुस्तक में विविध मानचित्रों, चित्रों एवं अद्यतन आँकड़ों को समाहित कर छात्रों के लिए अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। पाठ्यपुस्तक निर्माण कार्य में समय समय पर माननीय सचिव महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के विषय सङ्कलन, मन्त्र सङ्कलन, शब्द विन्यास, त्रुटि सुधार आदि की दृष्टि से राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के समस्त आचार्यों एवं अध्यापकों का योगदान रहा है, विशेषतया श्री आयुष शुक्ला एवं श्री अभिजीत सिंह राजपूत जी का साथ ही विविध विद्यालयों के सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों श्री विजेन्द्र सिंह हाड़ा, श्री विक्रम बासनीवाल, श्री अनिल शर्मा, श्री मुकेश कुशवाहा, श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह, श्रीमती अनुपमा त्रिवेदी, श्रीमती नेहा मैथिल जी का भी अभूतपूर्व सहयोग

प्राप्त हुआ है। इन सब के साथ टङ्कण कार्य में श्रीमती किरण परमार का कार्य अति सराहनीय रहा है। इस सहयोग के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं।

हमारा प्रयास सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक को वैदिक विद्यार्थियों के लिए सतत अधिकतम उपयोगी बनाने का रहा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक गतिशील विषय होने के कारण सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पाठ्य सामग्री के संशोधन एवं परिवर्धन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। इस सन्दर्भ में सम्मानित शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों तथा सामाजिक विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले विद्वानों के सुझावों का सदैव स्वागत है।

सादर धन्यवाद

दिनाङ्क-

डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी
रविन्द्र कुमार शर्मा



विषयानुक्रमणिका

क्रम संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	भूगोल	1
अध्याय - 1	पृथिवी की उत्पत्ति और विकास	2-9
अध्याय - 2	पृथिवी की संरचना	10-22
अध्याय - 3	वायुमण्डल	23-32
अध्याय - 4	जल और जलवायु	33-42
अध्याय - 5	पृथिवी पर जैवमण्डल	43-49
अध्याय - 6	प्राकृतिक संकट एवं आपदाएँ	50-58
	इतिहास	59
अध्याय- 7	प्रारम्भिक समाज (360 लाख- 1 ई. पू. वर्ष तक)	60-69
अध्याय - 8	विश्व के प्रमुख साम्राज्य (100 ई.-1300 ई.तक)	70-80
अध्याय - 9	विश्व का बदलता परिदृश्य (1300- 2000 ई. तक)	81-95
अध्याय - 10	भारत में मन्दिर स्थापत्य	96-108
अध्याय - 11	भारत की सांस्कृतिक विरासत	109-117
अध्याय - 12	भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल	118-131
	राजनीति विज्ञान	132
अध्याय - 13	संविधान	133- 145
अध्याय - 14	भारतीय शासन व्यवस्था के अंग	146-162
अध्याय - 15	स्थानीय शासन	163-167
अध्याय - 16	भारत व पड़ोसी देश	168-177
	अर्थशास्त्र	178
अध्याय - 17	भारतीय अर्थव्यवस्था	179-190
अध्याय - 18	निर्धनता व मानव पूंजी	191-199
अध्याय - 19	आधारिक संरचना	200-208
	समाजशास्त्र	209
अध्याय - 20	सामाजिक संरचना और परिवर्तन	210-215
अध्याय - 21	पर्यावरण और समाज	216-224
अध्याय - 22	प्रमुख समाजशास्त्री	225-234
अध्याय - 23	वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था	235-242
	परिशिष्ट	243-244
	आदर्श प्रश्न पत्र	245-253



अध्याय- 1

पृथिवी की उत्पत्ति और विकास

इस अध्याय में- भूगोल का अर्थ, क्षेत्र, भूगोल का सामाजिक विज्ञान से सम्बन्ध, भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से सम्बन्ध, भूगोल अध्ययन के उपागम, भौतिक भूगोल का महत्त्व, पृथिवी की उत्पत्ति के सिद्धान्त, पृथिवी का उद्भव और विकास, पृथिवी पर जीवन।

भूगोल का अर्थ- भूगोल शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों, भू+गोल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ 'गोल पृथिवी' है। भूगोल को अंग्रेजी भाषा में Geography कहते हैं। Geography शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्दों Geo (पृथिवी)+Graphs (वर्णन) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पृथिवी का वर्णन या अंकन करना है। प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान् 'इरेटोस्थेनीज' (276-194 ई. पूर्व) ने सर्वप्रथम Geographia (भूगोल) को एक विशिष्ट धरातलीय विज्ञान के रूप में मान्यता दी थी। अतः 'इरेटोस्थेनीज' को भूगोल का जनक कहा जाता है। वर्तमान समय में भूगोल का अर्थ 'पृथिवी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक (Spatial), सामयिक (Temporal) तथा विभिन्नताओं (Variations) का अध्ययन करने वाला विषय है'।

Geo शब्द संस्कृत भाषा के 'ज्या' से बना है। अमरकोष के द्वितीय काण्ड में उल्लिखित पृथिवी के 27 नामों में एक नाम 'ज्या' भी है, जो ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से पृथिवी का बोध कराता है। पृथिवी को महाभारत के शान्ति पर्व में पद्मरूप बताया गया है। यह एक स्थाई सत्य है, जो वैदिक मनीषियों को आरम्भ से ही ज्ञात था। वैदिक वाङ्मय के अनुसार राजा पृथु वेन ने ही उबड़-खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया था इसीलिये भूमि को पृथिवी भी कहा जाता है।

भूगोल की परिभाषा-

रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार- "भूगोल का उद्देश्य धरातल की क्षेत्रीय या प्रादेशिक भिन्नताओं का वर्णन और व्याख्या करना है"।

अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार- "भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से सम्बन्धित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है"।

भूगोल का क्षेत्र- भूगोल विषय के अन्तर्गत मानव और भौतिक वातावरण के बीच गतिशील अन्तः प्रक्रिया से पैदा होने वाले तथ्यों के मध्य अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भूगोल को एक परिपक्व विज्ञान भी कहा जाता है। एक विषय के रूप में भूगोल के अन्तर्गत पृथिवी के धरातल पर

पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्वरूपों की व्याख्या की जाती है। अतः स्थानिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों का समग्र और अन्तर्सम्बन्धित अध्ययन भूगोल विषय के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार भूगोल का अध्ययन क्षेत्र सैन्य सेवाओं, पर्यावरण और आपदा प्रबन्धन, के साथ-साथ विविध प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों तक विस्तृत है।

भूगोल का सामाजिक विज्ञान से सम्बन्ध- सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल विषय में प्राकृतिक एवं मानवीय या सांस्कृतिक तत्वों का समग्र और संगठित अध्ययन किया जाता है। आज उन्नत परिवहन साधनों, दृश्य-श्रव्य माध्यमों, सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास ने सम्पूर्ण विश्व को समीप लाने के साथ ही आँकड़ों को समृद्ध बनाया है। भूगोल ने प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक तथ्यों तथा मानकों के निरीक्षण और परीक्षण के बड़े अवसर प्रदान किये हैं। भूगोल की शाखाएँ जैसे- सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसङ्ख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि का सामाजिक विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएँ मिलती हैं।



चित्र 1.1- भूगोल तथा इसका अन्य विषयों से सम्बन्ध

भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से सम्बन्ध- भूगोल विषय का भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों जैसे- जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान आदि से भी सह-सम्बन्ध है। क्योंकि भूगोल अपनी सूचनाएँ इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करता है।

पृथिवी को जानने का प्रमुख उपकरण मानचित्र है। भू-आम को द्विआयामी रूप

देने का कार्य लेखाचित्रीय या गणितीय विधा से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा ही सम्भव है। अतः मानचित्रण के लिये भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला में निपुण होना आवश्यक है।

भूगोल अध्ययन के उपागम- भूगोल अध्ययन के उपागम के दो प्रमुख उपागम (विधियाँ) हैं-

अ. क्रमबद्ध उपागम

ब. प्रादेशिक उपागम

अ. क्रमबद्ध उपागम- भूपटल पर स्थित ऐसे विशिष्ट प्राकृतिक और मानवीय क्रिया-कलाप जो स्थानिक संरचना का निर्माण करते हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही 'क्रमबद्ध उपागम' कहलाता है। इस उपागम

के प्रवर्तक जर्मन भूगोलवेत्ता 'अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट' (1769-1859 ई.) हैं। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की चार शाखाएं हैं-

1. **भौतिक भूगोल-** इसके अन्तर्गत पृथिवी और उसके विविध भागों जैसे- स्थल, जल, वायु और जैवमण्डल का अध्ययन किया जाता है।
2. **जैव एवं पर्यावरण भूगोल-** इसके अन्तर्गत विविध प्रकार के वनों, वन्यजीवों, घासों और वनस्पतियों के वितरण, मानव-प्रकृति सम्बन्धों, जैविक पर्यावरण की गुणवत्ता और मानव कल्याण के निहितार्थों का अध्ययन किया जाता है।
3. **मानव भूगोल-** इसके अन्तर्गत धरातल के किसी भाग की संस्कृति और जनसङ्ख्या के साथ-साथ वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता का भी अध्ययन किया जाता है।
4. **भौगोलिक विधि और तकनीक-** इस शाखा के अन्तर्गत भूगोल अध्ययन की विधियों और तकनीकों जैसे- गुणात्मक, मात्रात्मक और मानचित्र कला का विश्लेषण के साथ-साथ भौगोलिक सूचना तन्त्र (G.I.S.), भूमण्डलीय सूचना तन्त्र (G.P.S.) और सुदूर संवेदन का अध्ययन किया जाता है।

ब. **प्रादेशिक उपागम-** विश्व को पदानुक्रमिक रूप में प्रदेशों या क्षेत्रों में विभाजित कर विविध प्रदेशों के भौगोलिक तथ्यों का समग्रता से अध्ययन करना 'प्रादेशिक उपागम' कहलाता है। इसके प्रवर्तक जर्मन भूगोलवेत्ता 'कार्ल रिटर' (1779-1859 ई.) हैं। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की चार शाखाएं हैं-

क. प्रादेशिक अध्ययन

ख. प्रादेशिक विश्लेषण

ग. प्रादेशिक विकास

घ. प्रादेशिक (क्षेत्रीय और सामुदायिक) नियोजन

भौतिक भूगोल का महत्त्व-

1. भूमण्डल, वायुमण्डल, जलमण्डल, जैवमण्डल, खाद्य श्रृंखला, मिट्टियाँ, मृदा पार्श्विका आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल के अन्तर्गत किया जाता है। ये सभी तत्व मानव के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
2. आज भौतिक भूगोल का विकास प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबन्धन से जुड़े विषय के रूप में हो रहा है।
3. भौतिक पर्यावरण, मानव को संसाधन प्रदान करता है तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करता है।
4. सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है जो भौतिक भूगोल के महत्त्व को दर्शाता है।

पृथिवी की उत्पत्ति के सिद्धान्त- पृथिवी की उत्पत्ति सम्बन्धी अनेक परिकल्पनाएँ विभिन्न विद्वानों द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाती रही हैं। इन सिद्धान्तों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है-

अ. आरम्भिक सिद्धान्त

ब. आधुनिक सिद्धान्त

आरम्भिक सिद्धान्त- पृथिवी की उत्पत्ति सम्बन्धी आरम्भिक सिद्धान्त के रूप में इमैनुवेल कान्ट द्वारा 1755 ई. में प्रतिपादित 'वायव्य राशि परिकल्पना' है। इस परिकल्पना में बताया गया है कि एक तप्त एवं गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिनके शीतलन से सौरमण्डल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, इन्हीं में से एक हमारी पृथिवी भी है। सन् 1796 ई. में लाप्लेस ने इस सिद्धान्त में संशोधन कर अपनी 'निहारिका परिकल्पना' प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना में कहा गया है कि, ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है। सन् 1900 ई. में चेम्बरलेन व मोल्टन ने अपने 'द्वैतारक सिद्धान्त' में बताया कि ब्रह्माण्ड में जब सूर्य के निकट से एक तारा गुजरा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का धरातल असंख्य खण्डों में विभाजित हो गया। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करने लगे और धीरे-धीरे इन्हीं के संघनित होने से पृथिवी एवं अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। सन् 1950 ई. में 'आटो शिमिड' और 'कार्ल वाइजास्कर' ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन कर बताया कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों से निर्मित एक सौर निहारिका से सूर्य घिरा हुआ था। इनमें स्थित कणों में घर्षण और टकराव के कारण डिस्क की आकृति के बादलों का निर्माण हुआ और विशिष्ट विस्तार प्रक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। आगे चलकर इसी सिद्धान्त के आधार पर ब्रह्माण्ड और पृथिवी की उत्पत्ति एवं संरचना आदि के व्याख्या का प्रयास किया गया।

आधुनिक सिद्धान्त- पृथिवी की उत्पत्ति एवं संरचना सम्बन्धी आधुनिक सिद्धान्त को 'विस्तारित ब्रह्माण्ड

इसे भी जानें-

- महाविस्फोट (बिग बैंग) की घटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी।
- महाविस्फोट के कारण तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ।

परिकल्पना' या 'बिग बैंग सिद्धान्त' कहा जाता है। 1920 ई. में एडविन हब्ल ने प्रमाणित किया था कि, ब्रह्माण्ड का विस्तार हो रहा है। प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री जार्ज लैमेत्रे ने सन् 1927 ई. में बिग बैंग सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। बिग बैंग सिद्धान्त के अनुसार जिन पदार्थों से ब्रह्माण्ड का निर्माण हुआ है, वे सभी एक छोटे

गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। इनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान एवं घनत्व अनन्त था। वैज्ञानिकों के अनुसार, लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक अति छोटे गोलक में महाविस्फोट होने के कारण ब्रह्माण्ड का विस्तार प्रारम्भ हुआ, जो आज भी जारी है। ब्रह्माण्ड के विस्तार का अर्थ है, आकाश गङ्गाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना।

तारों का निर्माण- आरम्भ में ब्रह्माण्ड में ऊर्जा और पदार्थ के घनत्व और वितरण में असमानता के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई। परिणामस्वरूप पदार्थों के एकत्रीकरण के कारण आकाशगङ्गाओं का निर्माण प्रारम्भ हुआ। इन आकाशगङ्गाओं में असंख्य तारा समूह होते हैं। आकाशगङ्गाओं का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों के रूप में होती है, जिसे निहारिका(Nebula) कहा जाता है। विस्तृत होती हुई निहारिका में अनेक गैसीय समूहों से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व अनेक तारों का निर्माण हुआ।

ग्रहों का निर्माण- निहारिका में तारे एक गैसों के गुँथे हुए समूह होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन गैसीय बादल समूहों में क्रोड का निर्माण हुआ। गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूलकणों से घूमती हुई तश्तरी का निर्माण हुआ। इसके पश्चात गैसीय बादलों का संघनन शुरू हुआ है और क्रोड को ढकने वाले पदार्थ छोटे गोलों में विकसित हुए। ये छोटे गोले संसजन प्रक्रिया से ग्रहाणुओं के रूप में विकसित हुए। अनेक छोटे ग्रहाणुओं से मिलकर ग्रहों का निर्माण हुआ।

इसे भी जानें-

- प्रकाश वर्ष दूरी की माप है। प्रकाश की गति तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेण्ड है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है।
- आकाशगङ्गाओं का विस्तार अत्यधिक होने के कारण उनकी दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है।

सौरमण्डल- सौरमण्डल का जनक निहारिका को माना जाता है। निहारिका के ध्वस्त होने और केन्द्र बनने की प्रक्रिया लगभग 5.6 अरब वर्ष पूर्व और पृथिवी समेत सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 से 4.56

इसे भी जानें-

- बुध, शुक्र, पृथिवी और मङ्गल ग्रहों की सतह चट्टानों और धातुओं से बनी होने के कारण इन्हें 'पार्थिव ग्रह' भी कहा जाता है।
- आर्यभट्ट ने चौथी शताब्दी में कहा था कि पृथिवी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अपनी गणना में पृथिवी का आवर्तकाल 23 घण्टा 56 मिनट 4.1 सेकेण्ड बताया था।

अरब वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। हमारे सौरमण्डल में सूर्य (तारा), 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों क्षुद्रग्रह (ग्रहों के टुकड़े), धूमकेतु व काफी मात्रा में धूलकण व गैस हैं। इनमें से बुध, शुक्र, पृथिवी और मङ्गल को 'आन्तरिक ग्रह' कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है।

चन्द्रमा- पृथिवी का एकमात्र उपग्रह चन्द्रमा है।

चन्द्रमा की उत्पत्ति पृथिवी पर एक बड़े टकराव (दि बिग स्लैट) से हुआ माना जाता है। एक शोध से पता चला है कि लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व धिया नामक एक आकाशीय पिण्ड पृथिवी से टकराया था। इस टकराव से पृथिवी का एक अंश टूटकर अन्तरिक्ष में पृथिवी की परिक्रमा करने लगा जो चन्द्रमा कहलाया। हमारे सौरमण्डल के सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस सत्य का उल्लेख वैदिक वाङ्मय के अनेक मन्त्रों में किया गया है। यजुर्वेद के एक मन्त्र कहा गया है- 'सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम॥' (18.40) अर्थात् परम आह्लादकारी और सूर्य की रश्मि के प्रकाश वाला चन्द्रमा ही गन्धर्व है। नक्षत्र (भेकुरी=प्रभा करने वाली) ही उसकी अप्सराएँ हैं। निरुक्त शास्त्र में भी कहा गया है कि 'अस्यैको रश्मिश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यम्- आदित्यतोऽस्य दीप्तिर्भवति।' (2.2) इस पद में भी कहा गया है कि चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है।

पृथिवी का उद्भव और विकास- हम जानते हैं कि पृथिवी की रचना अनेक ग्रहाणुओं के संघट्टन की प्रक्रिया से हुआ। प्रारम्भ में पृथिवी एक गर्म, वीरान व चट्टानी ग्रह थी। कुछ क्रियाओं व घटनाओं के

परिणामस्वरूप जीवन के अनुकूल सुन्दर ग्रह में परिवर्तित हुई। हमारी पृथिवी की संरचना कमल के पुष्प के समान परतदार है। विष्णु पुराण के अनुसार, सैषा चतुर्मुहाद्वीपा नानाद्वीपसमाकुला।

पृथिवी कीर्तिता कृत्स्ना पद्माकारा मया द्विजाः ॥ तदेषा सान्तरद्वीपा सशैलवनकानना।

पद्मेत्यभिहिता कृत्स्ना पृथिवी बहुविस्तरा ॥ (41.86, 87) अर्थात् पृथिवी चार महाद्वीप और अनेकों लघु द्वीपों से युक्त है। उसी प्रकार ये पृथिवी पर्वत, वनों और आरण्यों से व्याप्त है। कमलाकार होने के कारण पृथिवी को पद्मा कहा जाता है। वायुमण्डल के बाह्य भाग से पृथिवी के केन्द्र तक पदार्थों का वितरण समान नहीं है। वायुमण्डल के पदार्थों का घनत्व सर्वाधिक कम है। पृथिवी की सतह से आन्तरिक भाग तक अनेक मण्डल और उनमें पाये जाने वाले पदार्थों की भिन्न विशेषताएँ हैं।

स्थलमण्डल का विकास- पृथिवी की उत्पत्ति के समय गुरुत्वबल के कारण संघनित हो रहे पदार्थों को संगठित हो रहे पिण्डों ने प्रभावित किया। निरन्तर चल रही इस क्रिया से पैदा हो रही अपार ऊर्जा और ताप से पदार्थ पिघलने लगा। ताप की अधिकता के कारण भारी पदार्थ पृथिवी के केन्द्र में और हल्के पदार्थ सतह पर आये। धीरे-धीरे ठण्डे और ठोस होकर कणों के रूप में परिवर्तित होकर पर्पटी का विकास किया। दि बिग स्प्लैट के कारण पृथिवी के तापमान और ऊर्जा एक बार पुनः बढ़ी। विभेदन की प्रक्रिया द्वारा पृथिवी का पदार्थ अनेक परतों जैसे- पर्पटी (Crust), प्रवार (Mantle) और क्रोड (Core) में विभाजित हो गया।

वायुमण्डल का विकास- पृथिवी पर वायुमण्डल का विकास तीन चरणों में हुआ है। प्रथम चरण में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त वायुमण्डल सौर पवनों के कारण पृथिवी से दूर हो गया। दूसरे चरण में विभेदन के कारण पृथिवी से निकलने वाली भाप और जलवाष्प ने वायुमण्डल के विकास में सहयोग किया। तीसरे चरण में जैवमण्डल के प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) क्रिया ने वायुमण्डल का शोधन किया। तीसरे चरण के वायुमण्डल संरचना में नाइट्रोजन और आक्सीजन गैस का प्रमुख योगदान है।

जलमण्डल का विकास- तीसरे चरण के वायुमण्डल में आक्सीजन कम तथा जलवाष्प, नाइट्रोजन, मिथेन, अमोनिया और कार्बन डाई आक्साइड अधिक थी। उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पृथिवी के अन्दर की गैसों धरातल पर आने लगीं। पृथिवी पर निरन्तर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमण्डल में जलवाष्प और गैसों बढ़ने लगी। अब ठण्डी हो रही पृथिवी के साथ वायुमण्डल में जलवाष्प संघनित होने लगे थे। परिणामस्वरूप अतिवृष्टि के कारण वर्षाजल धरातल के गर्तों में जमा होने लगा, जिससे सागरों, महासागरों, झीलों आदि का निर्माण हुआ। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बढ़ रही आक्सीजन से पहले महासागर फिर हमारा वायुमण्डल भर गया।

पृथिवी पर जीवन- पृथिवी की उत्पत्ति के अन्तिम चरण को जीवन की उत्पत्ति व विकास से सम्बन्धित माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथिवी पर जीवन की उत्पत्ति एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। लगभग 3.80 करोड़ वर्ष पूर्व एक कोशीय जीवाणुओं से पृथिवी पर जीवन का आरम्भ माना जाता है। पृथिवी पर मानव का विकास लगभग 20 से 50 लाख वर्ष पूर्व से हुआ माना जाता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम.....ने किया था।
अ. गैलिलियो ब. अरस्तू स. इरेटॉस्थेनीज द. हेरोडोटस
2. अमरकोष में पृथिवी के.....नाम बताये गये हैं।
अ. 13 ब. 22 स. 27 द. 33
3. क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक..... हैं।
अ. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ब. कार्ल रिटर
स. मोल्टन द. चार्ल्स डार्विन
4. वायव्य राशि परिकल्पना के प्रतिपादक..... हैं।
अ. कार्ल लायल ब. कार्ल रिटर स. मोल्टन द. इमैनुवेल कान्ट
5. बिगबैङ्ग सिद्धान्त का प्रतिपादन..... किया था।
अ. जार्ज लैमेत्रे ब. कार्ल मार्क्स स. मोल्टन द. हेरोडोटस

सत्य/असत्य बताइए-

1. भूगोल के प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक 'कार्ल रिटर' हैं। (सत्य/असत्य)
2. 1796 ई. में लाप्लेस ने 'निहारिका परिकल्पना' दी थी। (सत्य/असत्य)
3. द्वैतारक सिद्धान्त चेम्बरलेन व मोल्टन ने दिया था। (सत्य/असत्य)
4. जार्ज लैमेत्रे ने बिगबैङ्ग सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। (सत्य/असत्य)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. 'वायव्य राशि परिकल्पना' का प्रतिपादन.....किया गया था। (1755 ई./1780 ई.)
2. निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन.....किया गया था। (1796 ई./1833 ई.)
3. द्वैतारक सिद्धान्त का प्रतिपादन.....किया गया था। (1900 ई./1914 ई.)
4. बिगबैङ्ग सिद्धान्त का प्रतिपादन..... किया गया था। (1927 ई./1945 ई.)

सही जोड़ी मिलान कीजिए-

1. ब्रह्माण्ड का विस्तार प्रारम्भ	क. लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व
2. अनेक तारों का निर्माण हुआ था	ख. लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व
3. ग्रहों का निर्माण हुआ था	ग. लगभग 4.44 अरब वर्ष
4. चन्द्रमा का उद्भव हुआ था	घ. लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भूगोल का जनक किसे कहा गया है ?
2. क्रमबद्ध उपागम किसे कहते हैं ?
3. प्रादेशिक उपागम किसे कहते हैं ?
4. पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं ?
5. पृथिवी पर मानव का विकास कब हुआ ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भौतिक भूगोल के महत्त्व का उल्लेख कीजिए।
2. पृथिवी की उत्पत्ति के आरम्भिक सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
3. हमारे सौरमण्डल निर्माण को समझाइए।
4. चन्द्रमा की उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. भूगोल का अर्थ और क्षेत्र को समझाइए ?
2. पृथिवी की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
3. पृथिवी के उद्भव और विकास को समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. 'जल का महत्त्व' विषय पर एक लेख लिखिये।

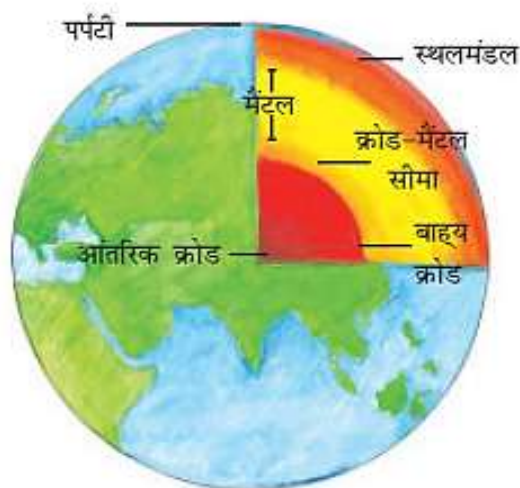
अध्याय-2

पृथिवी की संरचना

इस अध्याय में- पृथिवी की आन्तरिक संरचना, भूगर्भ ज्ञान के स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत- खनन और ज्वालामुखी, अप्रत्यक्ष स्रोत- भूकम्प, भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ, अन्तर्जनित प्रक्रियाएँ- पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, वहिर्जनित प्रक्रियाएँ- अपक्षय, वृहत् संचलन, भूस्खलन, अपरदन और निक्षेपण, मृदा निर्माण, खनिज, खनिजों के प्रकार, शैल, शैल के प्रकार, शैल चक्र, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त, सागरीय अधस्तल का विकास, प्लेटविवर्तनिक सिद्धान्त, भारतीय प्लेट का संचलन और वैदिक वाङ्मय में पृथिवी के विविध द्वीप और सागर।

पृथिवी अपनी उत्पत्ति के समय एक गर्म, निर्जन और चट्टानी ग्रह के रूप में थी। वायुमण्डल में हाईड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की अधिकता थी। धीरे-धीरे अन्तरिक्षीय घटनाक्रमों और रासायनिक क्रियाओं के पश्चात् पृथिवी पर जीवन के अनुकूल वातावरण की सृष्टि हुई। इसी क्रम में पृथिवी पर जल, वायु और स्थलमण्डल, प्राकृतिक वातावरण तथा जीवन के विकास के साथ ही अनेक प्रकार के खनिजों का निर्माण हुआ।

पृथिवी की आन्तरिक संरचना- पृथिवी के धरातल पर चट्टानों की मोटी परत है। पृथिवी का यह स्वरूप निरन्तर चलने वाली वाह्य एवं आन्तरिक भूगर्भीक प्रक्रियाओं का परिणाम है। इन प्रक्रियाओं का सम्बन्ध पृथिवी की आन्तरिक संरचना से है। पृथिवी की आन्तरिक संरचना कमल पुष्प के समान परतदार है, जिसे तीन भागों में बाँटा गया है-



चित्र 2.1- पृथिवी की आन्तरिक संरचना

1. **भूपर्पटी-** पृथिवी का सबसे उपरी और ठोस भाग भूपर्पटी कहलाता है। यह सिलिका (Silica) व एलुमिना (Alumina) से मिलकर बना है अतः इसे सिआल (Si-Al) भी कहते हैं।
2. **मैटल-** यह भू-पर्पटी के नीचे वाला भाग है। इसका निर्माण सिलिका (Si) व मैग्नेशियम (Mg) से मिल कर होने के कारण इसे सीमा (Si-Ma) कहते हैं। भू-पर्पटी व मैटल से मिलकर ही स्थलमण्डल का निर्माण होता है।
3. **क्रोड-** इसका निर्माण निकिल (Nickel) व लोहे (Ferrus) से मिलकर हुआ है। अतः इसे संक्षेप में निफे (Ni-Fe) भी कहा जाता है। इस क्रोड के भी दो भाग- वाह्य और आन्तरिक क्रोड हैं।

भूगर्भ ज्ञान के स्रोत- पृथिवी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर और आन्तरिक तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अतः इसके केन्द्र तक पहुँचकर आन्तरिक निरीक्षण करना कठिन है। परन्तु वैज्ञानिकों ने भूगर्भ की संरचना विषयक अनेक तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। भूगर्भ ज्ञान के दो प्रमुख स्रोत हैं- (क) प्रत्यक्ष स्रोत (ख) अप्रत्यक्ष स्रोत।

क. प्रत्यक्ष स्रोत- पृथिवी की आन्तरिक स्थिति के ज्ञान के प्रमुख प्रत्यक्ष स्रोतों में खनन और ज्वालामुखी उद्गार हैं।

खनन- पृथिवी के स्थल मण्डल में उपलब्ध ठोस पदार्थ और चट्टानें हैं, जिन्हें हम खनन द्वारा प्राप्त करते

इसे भी जाने-

- अभी तक सबसे गहरा प्रवेधन 12 किमी की गहराई तक आर्कटिक महासागर में कोला नामक स्थान पर किया गया है।
- दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें 3-4 किमी. तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जाना सम्भव नहीं है क्योंकि गहराई बढ़ने से तापमान अधिक हो जाता है।

हैं। इन पदार्थों और चट्टानों के प्रेक्षण और विश्लेषण द्वारा भूगर्भ की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों द्वारा गहरे समुद्र में प्रवेधन और समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस खुदाई में प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से पृथिवी की आन्तरिक संरचना विषयक अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए हैं।

ज्वालामुखी- ज्वालामुखी वे स्थल होते हैं जहाँ से

लावा के रूप में गैस, राख, चट्टानें आदि पदार्थ, पृथिवीके अन्दर से निकलकर धरातल पर आते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इनका विश्लेषण कर पृथिवी की आन्तरिक संरचना को जानने का प्रयास किया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी के मुख्य निम्न प्रकार हैं-

1. **शील्ड ज्वालामुखी-** शील्ड ज्वालामुखी विशाल और चपटे आकार गुम्बद या ढाल के समान होता है। इसका निर्माण तरल बेसाल्टिक लावा के जमाने के कारण होता है। इस ज्वालामुखी का ढलान अधिक नहीं होता है। जब शील्ड ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है तो उसके मुख पर एक शंकु बनता है, जिसे सिंडर या भस्म शंकु कहते हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं।
2. **मिश्रित ज्वालामुखी-** मिश्रित ज्वालामुखी भीषण विस्फोट वाले होते हैं। इनसे गाढ़ा लावा निकलने के साथ ही भारी मात्रा में ज्वलखण्डाश्मि पदार्थ व राख धरातल पर पहुँचती है। इनका जमाव परतों के रूप में निकास नली के आसपास हो जाता है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है।
3. **ज्वालामुखी कुण्ड-** ये सर्वाधिक तीव्र विस्फोट वाले ज्वालामुखी होते हैं। इसके उद्गार के समय तीव्र विस्फोट होने के कारण ये ज्वालामुखी स्वयं धँसकर कुण्ड का

इसे भी जाने-

- मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है।
- मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं।

निर्माण करते हैं, जिन्हें ज्वालामुखी कुण्ड कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कुण्ड (काल्देरा) जापान का 'आसो' है।

4. **बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र-** जब ज्वालामुखी से अत्यधिक मात्रा में तरल लावा निकलकर बड़े क्षेत्र पर फैलता है तो ऐसे क्षेत्र को बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। भारत के दक्षिण उद्भेदन (ट्रैप) क्षेत्र का निर्माण इसी प्रकार के ज्वालामुखी से हुआ है।
5. **कटक ज्वालामुखी-** कटक ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। लगभग 70000 किलोमीटर लम्बी मध्य महासागरीय क्षेत्रों में कटक एक शृंखला है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। यहाँ निरन्तर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है।

ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ- ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा धरातल पर पहुँच कर ठण्डा होता है तो ज्वालामुखी शैलों का निर्माण होता है। जब लावा धरातल के नीचे ठण्डा होकर जमता है तो बैलोथिक, लैकोथिक, डाइक जैसी अनेक प्रकार की अन्तर्वेधी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है।

ख. अप्रत्यक्ष स्रोत- इसमें पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण, उल्काओं का अध्ययन, गुरुत्वाकर्षण, चुम्बकीय क्षेत्र, भूकम्प सम्बन्धी क्रियाएँ आदि शामिल हैं। आइये भूकम्प के बारे में जानें।

भूकम्प- भूगर्भ के ज्ञान का प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत भूकम्पीय गतिविधियाँ हैं। इनके द्वारा हमें पृथिवी के विभिन्न परतों का सम्पूर्ण चित्र प्राप्त होता है। भूकम्प का अर्थ 'पृथिवी में कम्पन होना' है। पृथिवी के अंदर भूपर्पटी के शैलों में गहरी दरारें होती हैं। इन दरारों के कारण शैलखण्ड विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। इस कारण भूकम्प तरङ्गों के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा निकलने वाले स्थान को भूकम्प का 'उद्गमकेन्द्र' तथा इसके निकटतम बिन्दु को 'उपरिकेन्द्र' कहा जाता है। सभी भूकम्प, पृथिवी की सतह से 200 किमी की गहराई तक से उत्पन्न होते हैं।

भूकम्पीय तरङ्ग- सामान्यतः भूकम्पीय तरङ्ग दो प्रकार की होती हैं- 'भूगर्भीय तरङ्ग' और 'सतही

इसे भी जाने-

- विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकम्प का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोग्राफ नामक यन्त्र की सहायता से भूकम्प की तरङ्गों का अध्ययन किया जाता है।
- रिक्टर स्केल से भूकम्प की तरङ्गों की गति मापी जाती है। इसमें 0 से 9 तक मान होता है। जिस भूकम्प का मान 7 रिक्टर स्केल होता है, वह विनाशकारी भूकम्प माना जाता है।
- मरकेली स्केल से भी भूकम्प की तरङ्गों की गति मापी जाती है। मरकेली स्केल में 1 से 12 तक मान होता है।

तरङ्ग'। भूगर्भीय तरङ्ग पृथिवी के सभी भागों तथा सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। भूगर्भीय तरङ्ग दो प्रकार की- P तरङ्ग और S तरङ्ग होती हैं। P तरङ्ग पृथिवी की सतह पर पहले पहुँचती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गतिशील रहती हैं। S तरङ्ग पृथिवी की सतह पर कुछ समय के बाद के पहुँचती हैं। ये तरङ्ग केवल एक ठोस माध्यम में गतिशील रहती हैं। भूगर्भीय तरङ्ग जब धरातल की

चट्टान के संपर्क में आती हैं तो सतही तरङ्गें पैदा होती हैं। इन तरङ्गों का वेग, पदार्थों के घनत्व पर निर्भर होता है।

भूकम्प के प्रकार- मुख्यतः भूकम्प के पाँच प्रकार हैं-

1. **विवर्तनिक भूकम्प-** भ्रंशतल के किनारे शैलों के खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकम्प उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः विवर्तनिक भूकम्प ही आते हैं।
2. **ज्वालामुखी भूकम्प-** ज्वालामुखी क्षेत्रों में आने वाले विवर्तनिक भूकम्प को ही ज्वालामुखी भूकम्प कहते हैं।
3. **नियात भूकम्प-** खनन क्षेत्रों में अधिक खनन के कारण भूकम्प के हल्के झटकों को नियात भूकम्प कहते हैं।
4. **विस्फोट भूकम्प-** रासायनिक और परमाणु विस्फोट से धरातल पर होने वाले कम्पन को विस्फोट भूकम्प कहते हैं।
5. **बाँध जनित भूकम्प-** बड़े बाँध वाले क्षेत्रों में होने वाले भूकम्प को बाँध जनित भूकम्प कहते हैं।

भूकम्प के प्रभाव- भूकम्प एक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ आदि घटनाएं घटित होती हैं। जब सागरीय तल में भूकम्प केन्द्र होता है तो समुद्री तूफान आते हैं। भूकम्प से बाँधों एवं भवनों के ध्वस्त होने के कारण भारी जन-धन की हानि होती है। रिक्टर पैमाने पर 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकम्प अधिक विनाशकारी होते हैं।

इसे भी जाने-

- विश्व में सर्वाधिक भूकम्प प्रशान्त महासागर में आते हैं।
- विश्व में सर्वाधिक भूकम्पों वाला महाद्वीप एशिया और सबसे कम भूकम्पों वाला महाद्वीप आस्ट्रेलिया महाद्वीप है।
- सर्वाधिक भूकम्पों वाला देश जापान है।
- भारत में सर्वाधिक भूकम्प वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है।
- भूकम्प की दृष्टि से सबसे सुरक्षित क्षेत्र प्रायद्वीप भारत है।
- भूकम्प से सबसे ज्यादा विनाश होने की सम्भावना दिल्ली में बनी रहती है।

भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ- भूपर्पटी का निर्माण एक गतिशील प्रक्रिया है। यह क्षैतिज व उर्ध्वाधर दिशाओं में निरन्तर चलती रहती है। पृथिवी का धरातल पृथिवी के अन्दर उत्पन्न हुए 'अन्तर्जनित बलों' और सूर्य से प्राप्त उर्जा द्वारा प्रेरित 'बहिर्जनित बलों' से प्रभावित होता है। अन्तर्जनित बल भू-आकृति निर्माण करने वाले बल हैं। बहिर्जनित बल के कारण उभरी भू-आकृतियों का घर्षण और निम्न क्षेत्रों का भराव होता है। अपरदन के द्वारा धरातल पर उच्चावच के मध्य अन्तर के कम होने को 'तल सन्तुलन' कहते हैं। धरातलीय पदार्थों पर अन्तर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दाब तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भू-पटल के विन्यास में हुए परिवर्तनों को भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ कहा जाता है।

इनको दो भागों में बांटा गया है- क. अन्तर्जनित प्रक्रियाएँ

ख. बहिर्जनित प्रक्रियाएँ।

अन्तर्जनित प्रक्रियाएँ- ऐसी प्रक्रियाएँ जो पृथिवी की पर्पटी के भीतर, पृथिवी की आन्तरिक ऊर्जा से संचालित होती हैं, अन्तर्जनित प्रक्रियाएँ कहलाती हैं। पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता ऐसी ही प्रक्रियाएँ हैं।

पटल विरूपण- धरातल के निर्माण, सञ्चालन और उत्थापित करने वाली सभी प्रक्रियाएँ सम्मिलित रूप से पटल विरूपण कहलाती हैं। इसके कारण शैलों में कायान्तरण होता है।

ज्वालामुखीयता- पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर सञ्चलन व कई आन्तरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्थल रूपों का निर्माण ज्वालामुखीयता में शामिल हैं।

वहिर्जनित प्रक्रियाएँ- वे प्रक्रियाएँ जो धरातल पर सूर्य और वायुमण्डलीय ऊर्जा से संचालित तथा अन्तर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से सहायता प्राप्त करती हैं, वहिर्जनित प्रक्रियाएँ कहलाती हैं। अपक्षय, वृहत् सञ्चलन, भूस्वलन, अपरदन और निक्षेपण आदि ऐसी ही प्रक्रियाएँ हैं। सभी वहिर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को अनाच्छादन भी कहते हैं। धरातल पर वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण प्रमुख रूप से वर्षा एवं तापमान पर निर्भर करते हैं, जो वहिर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं।

अपक्षय- वहिर्जनित प्रक्रिया के रूप में अपक्षय भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रिया है। इसके कारण शैल या चट्टानें एक ही स्थान पर विखण्डित होती रहती हैं। अपक्षय की प्रक्रिया पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएँ गुरुत्वाकर्षण, विस्तारण आदि अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर होती हैं। रासायनिक प्रक्रियाएँ जैसे जलयोजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण आदि अपक्षय प्रक्रिया में गति लाते हैं। शैलों में रासायनिक प्रक्रिया के कारण नमक फैलता है। जैविक प्रक्रिया के रूप में अपक्षय के अन्तर्गत जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों एवं मानव को सम्मिलित किया जाता है।

अपक्षय का महत्त्व- अपक्षय के कारण चट्टानों के छोटे-छोटे टुकड़े मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। इससे लोहा, मैंगनीज, तांबा आदि धातुओं के संकेन्द्रण में सहायता मिलती है। अपक्षय से अन्य पदार्थ शोधित होकर खनिज के रूप में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया अपरदन, वृहत् क्षरण, उच्चावच के लघुकरण में भी सहायक होती है।

वृहत् सञ्चलन- वृहत् सञ्चलन की प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बड़ी मात्रा में मिट्टी, रेत व शैलों का ढाल के अनुरूप स्थानान्तरण होने लगता है। वृहत् सञ्चलन दो प्रकार के होते हैं- मन्द एवं तीव्र सञ्चलन। मन्द सञ्चलन में पदार्थों का सञ्चलन इतना मन्द होता है कि इसका आभास हमें दीर्घकालिक

पर्यवेक्षण से ही हो पाता है। तीव्र सञ्चलन की घटनाएँ जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होती हैं। मृदा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह व मलवा अवधाव तीव्र सञ्चलन ही हैं।



चित्र 2.2- भूस्खलन

भूस्खलन- धरातलीय हलचलों के कारण मिट्टी या शैलों का खिसकना ही भूस्खलन है। इस प्रक्रिया में मिट्टी, चट्टानें, मलबा आदि पदार्थ ढाल की ओर खिसककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित हो जाते हैं। भूकम्प, बाढ़, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण, मानव हस्तक्षेप आदि के कारण भूस्खलन की घटनाएँ होती हैं।

अपरदन और निक्षेपण- अपरदन की प्रक्रिया में प्रवाही जलधाराओं, हिमनद, भूमिगत जल, वायु

द्वारा शैलों, मृदा आदि को अपरदित होकर विघटित मलबे ढाल की ओर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते हैं। जहाँ ढाल में कमी आ जाती है, तो अपरदित पदार्थ का निक्षेपण अर्थात् जमाव शुरू हो जाता है। अतः अपरदन का परिणाम निक्षेपण है।

मृदा निर्माण- हमारे धरातल पर मृदा, प्राकृतिक तत्त्वों का ऐसा समुच्चय है जिसमें जीवों के पोषण की क्षमता होती है। मृदा निर्माण में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाएँ निरन्तर चलती रहती हैं। अतः मृदा को गतिशील माध्यम कहा जाता है। मृदा पर जलवायु दशाओं, भू-आकृतियों एवं वनस्पतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। मृदा के निर्माण के पाँच मुख्य कारक हैं-

1. **मूल पदार्थ (शैलें)-** मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक मूल पदार्थ या शैल हैं। मृदा के विविध प्रकार शैलों के अपक्षय पर निर्भर होते हैं।
2. **स्थलाकृति-** तीव्र ढाल या पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा की परत पतली और मैदानी भागों में मृदा की मोटी परत होती है।
3. **जलवायु-** मूल शैलों के अपक्षय को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक जलवायु है। अधिक वर्षा के कारण मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है परन्तु भारी वर्षा के कारण उपजाऊ मिट्टी की हानि होती है।
4. **जैविक क्रियाएँ-** भूमि पर आच्छादित वनस्पतियाँ और सूक्ष्म जीव मिलकर मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं।
5. **समय-** मृदा निर्माण में लगने वाला समय एक प्रमुख कारक है। लम्बी कालावधि में बनने वाली मृदा अधिक उपजाऊ होती है।

खनिज- पृथिवी की भूपर्पटी का लगभग 98% भाग ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम नामक आठ तत्वों से निर्मित है। शेष 2 प्रतिशत भाग टायटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थों से निर्मित है। पृथिवी पर पाये जाने वाले ये तत्व अन्य विभिन्न तत्वों के साथ मिलकर नये पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। सल्फर, ताँबा, चाँदी, सोना, ग्रेफाइट जैसे एकतत्वीय खनिज भी पाये जाते हैं। पृथिवी की बाहरी सतह पर खनिज ठोस अवस्था में तथा आन्तरिक परत में गर्म व पिघली अवस्था में पाये जाते हैं। आन्तरिक परत में दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। भूपर्पटी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचान कर उनका नामाङ्कित किया जा चुका है।

भू-पर्पटी में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज- खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं तथा इनका एक निश्चित रासायनिक संघटन होता है। ये ठोस, तरल व गैस तीनों अवस्थाओं में पाये जाते हैं। कुछ प्रमुख खनिजों की विशेषताएं निम्न हैं-

फेल्डस्पर- भूपर्पटी का आधार भाग इसी से निर्मित है और यह हल्के गुलाबी व हल्के सफेद रंग का होता है। काँच और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है।

क्वार्ट्ज- यह अक्षीय, रंगहीन, पारदर्शी व कठोर होता है। फेल्सपार के बाद भूपर्पटी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है।

माइका- भूपर्पटी में 4% इसका भाग होता है। इसमें पोटेशियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका आदि का मिश्रण होता है।

इनके अतिरिक्त शैलों में ऑलिवीन, पाइराक्सीन, क्लोराइट, कैल्साइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, बेराइट, मैग्नेटाइट आदि खनिज भी पाये जाते हैं।

खनिजों के प्रकार- खनिजों को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा गया है-

1. **धात्विक खनिज-** ऐसे खनिज जिनमें धातु तत्व होते हैं, जैसे- सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा, जस्ता, लोहा, जिंक, टिन, बॉक्साइट, कोबाल्ट, निकेल, प्लैटीनम आदि।

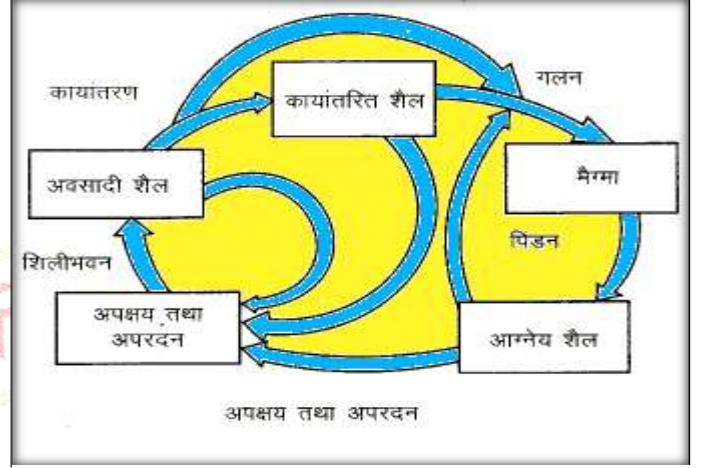
2. **अधात्विक खनिज-** ऐसे खनिज जिनमें धातु तत्व नहीं पाये जाते हैं, जैसे- संगमरमर, चूना पत्थर, अभ्रक, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, कोयला आदि।

शैल- पृथिवी की भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न शैलों हुआ है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। निर्माण पद्धति के आधार पर शैलों को तीन प्रकारों में बाँटा गया है-

1. आग्नेय शैल
2. अवसादी शैल
3. कायान्तरित शैल

1. **आग्नेय शैल-** पृथिवी के आन्तरिक भाग में ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा एवं मैग्मा जब ठण्डा और ठोस बन जाता है तो इसे आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैलों को प्राथमिक या मातृ शैल भी कहा जाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट आदि आग्नेय शैल ही हैं।

2. **अवसादी शैल-** पृथिवी की सतह के शैल अपक्षय क्रिया से दूर जाकर निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण की क्रिया से परत दर परत जमने के कारण बनने वाले शैलों को अवसादी या परतदार शैल कहा जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, कोयला, शेलखरी आदि अवसादी शैल ही हैं।



चित्र 2.3- शैल चक्र

3. **कायान्तरित शैल-** वे आग्नेय या अवसादी शैल जो ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, वे कायान्तरित या रूपान्तरित शैल कहलाते हैं। संगमरमर, नीस, सिस्ट, क्वार्ट्ज, साइनाइट, ग्रेनाइट, स्लेट आदि कायान्तरित शैल ही हैं।

शैल चक्र- शैल चक्र एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शैल चक्र की प्रक्रिया में पुरानी शैलें अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर नया रूप ले लेती हैं। आग्नेय शैलों के अनाच्छादन के कारण अवसादी शैलों तथा अधिक ताप और दाब के कारण कायान्तरित शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय और कायान्तरित शैलों से प्राप्त अंशों द्वारा अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलें उपखण्डों में परिवर्तित हो सकती हैं। ये उपखण्ड अवसादी शैलों के निर्माण के स्रोत भी हो सकते हैं। भूपृष्ठ पर निर्मित शैलें प्रत्यावर्तन के कारण पृथिवी के आन्तरिक भाग में जा सकती हैं, जहाँ ये तापमान बढ़ने के कारण मैग्मा में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं।

महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण- पृथिवी का 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। पृथिवी पर वर्तमान के महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि आज के सभी महाद्वीप



चित्र- 2.4 'पैजिया' और 'पैथालासा'

और महासागर निर्माण के आरम्भिक समय में एक ही थे। स्थल भाग को 'पैजिया' और उसके चारों ओर फैले विशाल जलराशि (महासागर) को 'पैथालासा' कहा गया है।

महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त- सन् 1912 ई. में अल्फ्रेड वेगनर ने अपने 'महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त' में यह माना कि आज के सभी महाद्वीप लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व एक ही भूखण्ड के भाग थे। वेगनर ने इसे 'पैजिया' नाम दिया है। लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पैजिया के कुछ भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे थे। पैजिया के विभाजन से दो बड़े महाद्वीपीय स्थल भाग अस्तित्व में आये- लारेशिया (उत्तरी भूखण्ड) और गोंडवाना लैंड (दक्षिणी भूखण्ड)। लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व लारेशिया और गोंडवाना लैंड अनेक खण्डों में विभाजित होकर वर्तमान महाद्वीपों का आकार धारण कर लिया था। भारत इसी गोंडवाना लैंड का भाग है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का पहला कारण 'ध्रुवीय फ्लाइंग बल' को बताया, जो पृथिवी के घूर्णन से सम्बन्धित है। दूसरा कारण 'ज्वारीय बल' को बताया, जो सूर्य व चन्द्रमा के आकर्षण से संबंधित है। आर्थर होम्स ने सन् 1928 ई. में अपने संवहन धारा सिद्धान्त बताया कि भूगर्भ में रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता के कारण मेंटल में पैदा होने वाली संवाहनीय धाराएँ एक तन्त्र के रूप में गतिशील हैं, जो प्लेटों को गति प्रदान करती हैं।

महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण-

1. महाद्वीपों की तट रेखाओं में साम्यता महाद्वीपीय विस्थापन की ओर संकेत करते है।
2. वर्तमान में महासागरों के इस पार और उस पार स्थित महाद्वीपों में स्थित चट्टानों की आयु में समानता से पता चलता है कि पूर्व में दोनों महाद्वीप एक ही थे।
3. हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्द्ध के छः विभिन्न स्थल भागों में मिलना, इनके प्राचीन काल में साथ होने का प्रमाण है।
4. कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाये जाते हैं।

सागरीय अधःस्तल का विकास- 1961 में हेनरी हेस ने सागरीय अधःस्तल के विकास का सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण महासागरीय पर्पटी में विभेदन हुआ। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा पर्पटी की दरारों में भरकर महासागरीय पर्पटी को दोनों ओर धकेल रहा है। यदि मध्य महासागरीय कटक में ज्वालामुखी उद्गार से नई पर्पटी का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर महासागरीय गर्तों में पर्पटी नष्ट भी होती हैं।

भूकम्प और ज्वालामुखी का वितरण- पृथिवी पर भूकम्प और ज्वालामुखी के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं- पहला क्षेत्र, अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के समान्तर आगे हिन्द महासागर तक जाने

वाली भूकम्प एवं ज्वालामुखी की एक शृंखला है। दूसरा क्षेत्र, अल्पाइन से हिमालय की श्रेणियों और प्रशान्त महासागरीय तटों के समरूप में स्थित है। तीसरा क्षेत्र, प्रशान्त महासागर के किनारे एक अग्नि वलय (Ring of Fire) के रूप में स्थित है।

प्लेट विवर्तनिक सिद्धान्त- सन् 1967 ई. में मैकेन्जी, पारकर और मोरगन ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थलखण्डों से मिलकर बना, ठोस व अनियमित आकार का विशाल भू-खण्ड प्लेट कहलाता है। ये प्लेटें दुर्बलता मण्डल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील हैं। किसी प्लेट को उसकी सम्बद्धता के आधार पर महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट कहा जा सकता है। इनकी मोटाई महासागरीय क्षेत्रों में 5-100 किमी. और महाद्वीपीय क्षेत्रों में 200 किमी. तक हो सकती है।

इसे भी जाने-

- स्थलमण्डल पर सात मुख्य प्लेटें- अण्टार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशान्त महासागरीय प्लेट, इण्डो-आस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट हैं।
- अन्य छोटी प्लेटें- कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट है।

प्लेट सीमा- निरन्तर गतिशील रहने वाली प्लेटों के सञ्चरण के कारण तीन प्रकार की प्लेट सीमाएँ बनती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग होती हैं और नई पर्पटी का निर्माण होता है तो इसे अपसारी सीमा कहते हैं, जैसे- मध्य अटलांटिक कटक। अभिसरण सीमा में दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं। एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट के नीचे की ओर दबने के कारण वहाँ की भूपर्पटी नष्ट होकर प्रविष्टन क्षेत्र का निर्माण करती है, इसे कहते हैं, जैसे- प्रशान्त महासागरीय एवं अमेरिकी प्लेट हैं। जब दो विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे के साथ-साथ क्षैतिज दिशा में खिसकने के पश्चात भी पर्पटी का न तो निर्माण और न ही विनाश होता है तो उन्हें **रूपान्तर सीमा** कहते हैं।

भारतीय प्लेट का सञ्चलन- प्रायद्वीपीय भारत और आस्ट्रेलिया महाद्वीप, भारतीय प्लेट में शामिल हैं। आस्ट्रेलियाई तट से दूर भारत एक विशाल द्वीप के रूप में महासागर में स्थित था। एशिया और भारत के मध्य टेथिस सागर था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैन्जिया के विभाजन के बाद भारत उत्तर की ओर खिसकते हुए 4-5 करोड़ वर्ष पूर्व एशिया महाद्वीप से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। इसी समय लावा प्रवाह के कारण दक्षिण ट्रेप का निर्माण हुआ। विशेष यह रहा कि तब भी भारत भूमध्य रेखा के निकट था।

वैदिक वाङ्मय में पृथिवी के विविध द्वीप और सागर- वैदिक वाङ्मय में पृथिवी के द्वीप और सागरों का उल्लेख है। अथर्ववेद एक मन्त्र में 'तिस्रः पृथिवीः' (19.27.3) कहा गया है। इस मन्त्र में गुणधर्म के

आधार पर पृथिवी के तीन खण्ड है। महर्षि पतञ्जलि योगसूत्र (भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्- 3.26) के व्यास भाष्य में 'सप्तद्वीपा वसुमती' कहा है। अग्नि पुराण में सात द्वीप बताये गये हैं- जम्बूद्वीप, शाल्मलि, कुशः, क्रौञ्च, शाकः, पुष्करश्चेति सप्तमः ॥ (108.1) जम्बू, लक्ष, शाल्मलि,



चित्र-2.5 जम्बूद्वीप

कुश, क्रौञ्च, शाक और पुष्कर ये पृथिवी के सात द्वीप हैं।

ऋग्वेद के एक मन्त्र में पृथिवी के पूर्व और पश्चिम में दो सागर बताये गये हैं, उभौ समुद्रावा क्षेति यश्च पूर्व उतापरः।

(10.136.5) इसी मण्डल के 47 वें सूक्त में चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम् (2) कहा गया है। इस ऋचा में इन्द्र को, चारों समुद्रों को जल से परिपूर्ण करने वाला बताया गया है। इससे पृथिवी पर चार समुद्र होने की पुष्टि होती है। अग्निपुराण के गणभेद नामक

अध्याय में सात सागरों के नाम इस प्रकार बताये गये हैं- लवणः क्षीरसंज्ञश्च घृतोदो

दधिसंज्ञकः। सुरोदक्षुरसोदो च स्वादूदः सप्तमो भवेत् ॥ चत्वारः सागराः ख्याताः पुष्करिण्यश्च ताः स्मृताः ॥ अर्थात्- लवण, क्षीर, घृत, दधि, सुरा, इक्षुरस और स्वादु सात सागर हैं। प्रसिद्ध चार विशाल सागरों को पुष्करिणी भी कहा जाता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. पृथिवी की त्रिज्या लगभग.....किलोमीटर है।
अ. 5380 ब. 6370 स. 7280 द. 4678
2. पृथिवी पर अभी तक सबसे गहरा महासागरीय प्रवेधन.....में किया गया है।
अ. आर्कटिक महासागर ब. प्रशान्त महासागर
स. हिन्द महासागर द. अरब सागर
3. विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कुण्ड (काल्डेरा) है।
अ. जापान का 'आसो' ब. इटली का विसुवियस
स. हवाई द्वीप का मोनोलोआ द. तंजानिया का किलमंजारो
4. अन्तर्जनित प्रक्रिया का उदाहरण.....है।
अ. ज्वालामुखीयता ब. अपरदन स. अपक्षय द. उपर्युक्त सभी

5. निम्न में से धात्विक खनिज.....है।

अ. संगमरमर ब. बॉक्साइट स. चूना पत्थर द. उपर्युक्त सभी

6. 'महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त' दिया है।

अ. अल्फ्रेड वेगनर ब. जे. एस. मील स. एडम स्मिथ द. मैकेन्जी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. पृथिवी का आन्तरिक तापमान..... डिग्री सेल्सियस है। (6000/8000)
2. भू-पर्पटी पर प्रकार के खानिजों की पहचान की जा चुकी है। (2000/4000)
3. अवसादी शैलों को शैले भी कहते हैं। (कायान्तरित/परतदार)
4. पटल विरूपण प्रक्रिया है। (अन्तर्जनित/बहिर्जनिक)

सत्य/असत्य बताइए-

1. अभ्रक धात्विक प्रकार का खनिज है। (सत्य/असत्य)
2. भू-पर्पटी एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। (सत्य/असत्य)
3. खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। (सत्य/असत्य)
4. अधात्विक खनिजों में धातु पाया जाता है। (सत्य/असत्य)

सही जोड़ी मिलान कीजिए-

1. ज्वालामुखीयता	क. महाद्वीप
2. अपक्षय	ख. महासागर
3. पैन्जिया	ग. बहिर्जनित प्रक्रिया
4. पैथालासा	घ. अन्तर्जनित प्रक्रिया

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. ज्वालामुखी किसे कहते हैं ?
2. भूकम्पीय तरङ्गें कितने प्रकार की होती हैं ?
3. 'सप्तद्वीपा वसुमती' किस ग्रन्थ में कहा गया है ?
4. शैल कितने प्रकार के होते हैं ?
5. खनिज किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पृथिवी की आन्तरिक संरचना को संक्षेप में समझाइए।
2. भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? इसके प्रमुख कारण बताइए।
3. भू-पर्पटी में पाये जाने वाले प्रमुख खनिजों के नाम और विशेषताएं बताइए।
4. शैल चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
5. सागरीय अधःस्तल का विकास सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. मृदा निर्माण और उसके निर्माण कारकों को विस्तार से समझाइए।
2. प्लेट विवर्तनिक सिद्धान्त का सोदाहरण उल्लेख कीजिए।
3. वैदिक वाङ्मय के अनुसार पृथिवी के विविध द्वीप और सागरों का उल्लेख कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. विभिन्न प्रकार की शैलों के नमूने एकत्र कर भौतिक आधार पर उनके गुण धर्मों का विवेचन कीजिए।



अध्याय-3

वायुमण्डल

इस अध्याय में- हम वायुमण्डल का संघटन, पृथिवी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता, वायुमण्डल का तापन एवं शीतलन, पृथिवी का ऊष्मा बजट, तापमान, वायुमण्डलीय परिसंचरण, समुद्रतल वायुदाब का विश्व वितरण, वायु का परिसंचरण, मौसमी पवनें, वायु राशियाँ, चक्रवात, वायुमण्डल में जल, वाष्पीकरण, संघनन और उर्ध्वपातन, बादल, वर्षण, संसार में वर्षा वितरण।

वायु को संसार में सभी जीवों के प्राणों का आधार माना है। यह जीवन शक्ति का प्रदाता है। अमरकोष में वायु के बीस नामों का उल्लेख है- श्वसनः स्पर्शनः वायुर्मातरिश्वा सदागतिः। पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाशुगा। समीरमारुतमरुजगत्प्राणसमीरणाः। नभस्वद्वातपवनपवमानप्रभञ्जनाः। (122-125) श्वसनः, स्पर्शनः, वायुः, मातरिश्वा, सदागतिः, पृषदश्वः, गन्धवाहः, अनिलः, आशुगः, समीरः, मारुतः, मरुत, जगत्प्राणः, समीरणः, नभस्वान, वातः, पवनः, पवमानः, प्रभञ्जनः। वायु को जल का बन्धु भी माना जाता है। क्योंकि यह जल से मिलकर पर्जन्य (बादल) का निर्माण करता है, जो वृष्टि का कारक है। वैदिक वाङ्मय में मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने वायु को अंतरिक्ष का देवता कहा है। 'सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्। अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः।' (ऋ.10.158.1) इस ऋचा में ऋषि प्रार्थना कर रहा हैं कि, स्वर्गीय उपद्रव से सूर्य, आकाश के उपद्रव से वायु और पृथिवी के उपद्रव से अग्नि हमारी रक्षा करें। 'चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत।' (ऋ.10.90.13) इस ऋचा में वायु की उत्पत्ति विराट पुरुष के प्राण से कही गई है। वायु के प्रवाह द्वारा ही हम वायु को अनुभूत कर सकते हैं।

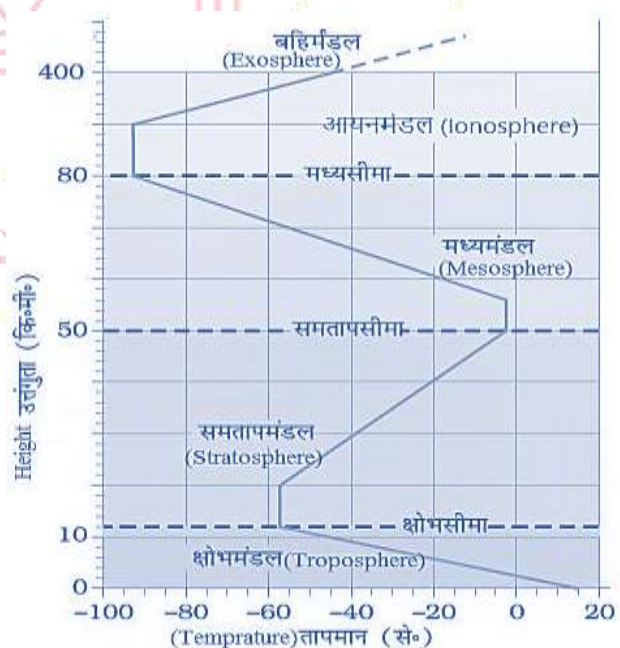
वायुमण्डल का संघटन- पृथिवी के ऊपर वायु के आवरण को वायुमण्डल कहते हैं। इसका निर्माण विभिन्न गैसों के अतिरिक्त जल वाष्प व धूलकणों से मिलकर हुआ है। वायुमण्डल में सभी जीवों एवं वनस्पतियों के जीवन के लिये आवश्यक गैसों- नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइ ऑक्साइड, निऑन आदि पायी जाती हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है कि, नियुत्वान् वायवा गह्वयं शुक्रो अयामि ते। (2.41.2) अर्थात्- वायु, नियुत् गण से युक्त होकर आओ। यहाँ नियुत् शब्द का अर्थ जो निश्चित रूप से वायु के साथ रहता हो, है। हमारे चारों ओर फैली वायु में विविध प्रकार की गैसों विद्यमान हैं, अतः नियुत् गण से हम जीवन के लिये आवश्यक विविध गैसों से युक्त वायु को समझ सकते हैं। पृथिवी के कुल द्रव्यमान के प्रमुख घटक के रूप में 99% वायु, पृथिवी की सतह से 32 कि.मी. की ऊँचाई तक स्थित है। सारिणी में वायुमण्डल के निचले भाग में पाई जाने वाली गैसों का विवरण दिया गया है। वायुमण्डल में ऊपर की

ओर इन गैसों का अनुपात परिवर्तित होता रहता है। पृथिवी की सतह से 120 कि.मी. की ऊँचाई पर ऑक्सीजन अतिन्यून हो जाती है। 90 कि.मी की ऊँचाई तक ही कार्बन डाई ऑक्साइड और जलवाष्प पाये जाते हैं। हमारे वायुमण्डल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक ओजोन है, जो पृथिवी की सतह से 10-50 कि.मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है। यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथिवी पर आने से रोकती है। वायुमण्डल में जलवाष्प ऐसी परिवर्तनीय गैस है, जो ऊँचाई के साथ घटती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर इस की मात्रा कम हो जाती है। जल वाष्प सूर्य से निकलने वाले ताप का आंशिक अवशोषण तथा पृथिवी के ताप का संग्रहण करता है। इसके कारण पृथिवी का तापमान सामान्य बना रहता है। वायुमण्डल के निचले भाग में छोटे-छोटे धूलकण होते हैं, जो समुद्री नमक, बारीक मिट्टी, पराग, धूल व उल्काओं के टूटने से बनते हैं। इन नमक और धूलकणों के चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं।

वायुमण्डल की संरचना- वायुमण्डल, भिन्न-भिन्न घनत्व और तापमान वाली परतों से निर्मित है। इनके पाँच स्तर- क्षोभ मण्डल, समताप मण्डल, मध्य मण्डल, आयन मण्डल व बहिर्मण्डल हैं। हमारे वायुमण्डल में ध्रुवों पर औसतन धरती की सतह से 8 कि.मी. की ऊँचाई पर तथा विषुवत वृत्त पर 18 कि.मी. की ऊँचाई तक क्षोभ मण्डल का विस्तार है। इस परत में धूलकण व जलवाष्प की अधिकता है। मौसम सम्बन्धी घटनाएँ क्षोभ मण्डल में होती हैं। इस स्तर में प्रति 165 मीटर की ऊँचाई पर 1° से. तापमान घट जाता है। समताप मण्डल का विस्तार क्षोभ मण्डल के ऊपर 50 किमी. तक है। क्षोभ मण्डल व समताप

सारिणी- 3.1
वायुमण्डल की स्थाई गैसें

घटक	सूत्र	द्रव्यमान %
नाइट्रोजन	N ₂	78.8
ऑक्सीजन	O ₂	20.95
आर्गन	Ar	0.93
कार्बन डाई ऑक्साइड	CO ₂	0.036
नीऑन	Ne	0.002
हिलीयम	He	0.0005
क्रेप्टो	Kr	0.001
जेनन	Xe	0.00009
हाईड्रोजन	H ₂	0.00005



चित्र-3.1 वायुमण्डल की संरचना

मण्डल को अलग करने वाले भाग को **क्षोभ सीमा** कहते हैं। समताप मण्डल में ताप समान रहता है। वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। ओजोन परत समताप मण्डल का ही भाग है। ऋग्वेद में ओजोन परत को महत् उल्ब कहा गया है, जो स्थविर और मोटी परत है। **महत् तदुल्बं स्थविरं तदासीत्। येनाविष्टितः प्रविवेशिथापः॥** (10.51.1) अथर्ववेद में इसका रंग सुनहरा बताया गया है। यह पृथिवी के सभी जीवों की रक्षा, गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा झिल्ली के समान करता है- **तस्योत जायमानस्य-उल्ब आसीद् हिरण्ययः।** (4.2.8) **मध्य मण्डल** का विस्तार 50 से 80 किमी. तक है। 80 किमी. की ऊँचाई पर तापमान-100° से. हो जाता है। मध्य मण्डल ऊपरी परत को मध्य सीमा कहा जाता है। **आयन मण्डल** का विस्तार 80 से 400 किमी. की ऊँचाई तक है। इस मण्डल में विद्युत आवेशित कण पाये जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। पृथिवी से भेजी गई रेडियो तरङ्ग इसी स्तर से वापस लौटती हैं। यहाँ ऊँचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ने लगता है। वायुमण्डल की सबसे ऊपरी परत **बहिर्मण्डल** है। इस मण्डल में सभी घटक विरल अवस्था में पाये जाते हैं। **बहिर्मण्डल** के विषय में कम ही जानकारी प्राप्त होती है।

पृथिवी पर प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्राप्ति का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को

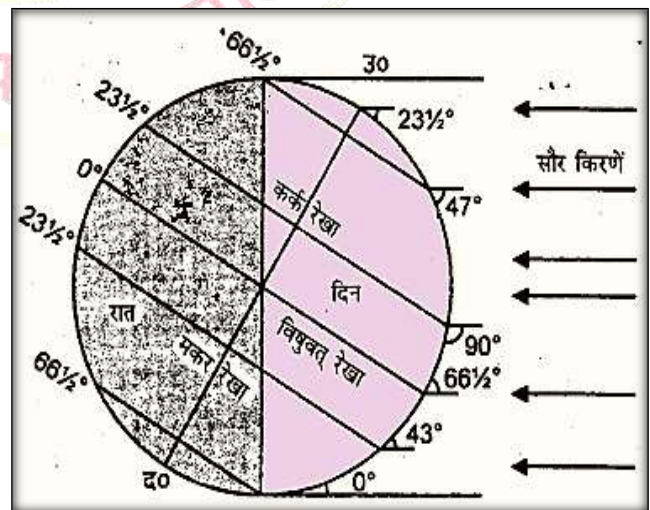
इसे भी जाने-

- सूर्य के पृष्ठ का तापमान 6000° सेल्सियस है।

पृथिवी वापस अन्तरिक्ष में फैला देती है। इसीलिए पृथिवी की सतह न तो अधिक समय के लिये अधिक गर्म और न ही ठण्डी हो पाती है। पृथिवी

के सभी भागों में ताप भिन्न-भिन्न होने के कारण वायुमण्डलीय दाब भी भिन्न होता है। इसी कारण पवनों द्वारा ताप स्थान्तरित होता रहता है। तल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है।

सौर विकिरण- सूर्य, अन्तरिक्ष में चारों ओर उष्मा का विकिरण करता है, जो सौर विकिरण कहलाता है। सौर विकिरण पृथिवी पर विद्युत और चुम्बकीय होता है जो प्रकाश या उष्मा के रूप में हमें प्राप्त होता है। पृथिवी की 'भू-आभा' आकृति के कारण पृथिवी के वायुमण्डल पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस कारण सौर ऊर्जा का बहुत कम भाग पृथिवी प्राप्त कर पाती है। सूर्य से पृथिवी को प्राप्त होने वाली इस लघु ऊर्जा को **सूर्यातप** कहते हैं। पृथिवी से सूर्य 4 जुलाई को सर्वाधिक (15 करोड़ 20 लाख किमी.) दूरी पर होता है, इस स्थिति को **अपसौर** (Aphelion) कहा जाता है। पृथिवी से सूर्य 3 जनवरी को सबसे नजदीक (14 करोड़ 70 लाख किमी.) होते हैं, इस स्थिति को **उपसौर** (Perihelion) कहा जाता है।



चित्र- 3.2 अयनान्त

पृथिवी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता- सूर्यातप में दैनिक, मासिक एवं वार्षिक परिवर्तन होता रहता है। इसका कारण पृथिवी का परिभ्रमण, सूर्य की किरणों का पृथिवी पर तिरछा पड़ना, दिन की अवधि, वायुमण्डल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास आदि हैं।

वायुमण्डल का तापन एवं शीतलन- वायुमण्डल कई प्रकार से गर्म और ठण्डा होता है। वायुमण्डल के तापन और शीतलन की मुख्य तीन प्रक्रिया है- सौर विकिरण से पृथिवी गर्म हो जाती है। पृथिवी अपने सतह के निकट के वायुमण्डल में तरङ्गों द्वारा ताप का सञ्चार करती है। इसी कारण पृथिवी के सम्पर्क में आने वाली वायु भी धीरे-धीरे गर्म हो जाती है। निचली गर्म परतों के सम्पर्क में आने पर ऊपरी परतों का गर्म होना **चालन** कहलाता है। वायुमण्डल के लम्बवत् तापन की प्रक्रिया **संवहन** तथा वायु के क्षैतिज सञ्चलन से होने वाला ताप का स्थानान्तरण **अभिवहन** कहलाता है। पृथिवी द्वारा सूर्य से प्राप्त ताप को दीर्घ तरङ्गों के रूप में परावर्तित करने की प्रक्रिया **पार्थिव विकिरण** के रूप में जानी जाती है।

पृथिवी का ऊष्मा बजट- पृथिवी द्वारा सूर्य से ताप ग्रहण कर स्थलीय विकिरण के माध्यम से ऊष्मा को

इसे भी जाने -

- वायुमण्डल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
- धरातल पर सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्ण कटिबन्धीय मरुस्थलों में प्राप्त होता है।

अन्तरिक्ष में छोड़ कर अपने तापमान का सन्तुलन करना पृथिवी का ऊष्मा बजट कहलाता है। सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथिवी का एल्बिडो कहते हैं।

तापमान- तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठण्डा होने का डिग्री में माप है। तापमान के

वितरण को नियन्त्रित करने वाले कारक अक्षांश रेखा, समुद्री तल से उस स्थान की उत्तुङ्गता, समुद्र से दूरी, वायु संहति का परिसञ्चरण, ठण्डी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति आदि हैं।

तापमान का वितरण- सामान्यतः मानचित्रों पर धरातल के तापमान वितरण को दर्शाने के लिए समताप

रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। समताप रेखाएँ, समान ताप वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं, जो प्रायः अक्षांशों के समानान्तर होती हैं। जनवरी में समताप रेखाएँ महासागरों के उत्तर एवं महाद्वीपों पर दक्षिण की तरफ विचलित हो जाती हैं। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर

इसे भी जाने -

- जनवरी एवं जुलाई महीने विपरीत जलवायु दशाओं को व्यक्त करते हैं। इनके तापमान के वितरण के अध्ययन द्वारा सम्पूर्ण वर्ष के तापमान की औसत दशाओं का अनुमान लगाया जा सकता है।

पर देखा जा सकता है। जुलाई माह में ये रेखाएँ प्रायः अक्षांशों के समानान्तर चलती हैं। ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान के बढ़ने की प्रक्रिया **तापीय व्युत्क्रमण** कहलाती है। पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। व्युत्क्रमण के लिये सर्दी, मेघ हीनता, लंबी रातें, शान्त वायु आदर्श दशाएँ हैं। वायुमण्डल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देने वाला कारक भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण है।

वायुमण्डलीय परिसञ्चरण- वायुमण्डल में स्थित वायु के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार **वायुमण्डलीय दाब** कहलाता है। वायुमण्डलीय दाब में भिन्नता का कारण वायु का गर्म होने पर प्रसार तथा ठण्डी होने पर सिकुड़ना है। वायु अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। वायुमण्डलीय दाब ही यह तय करता है कि वायु कब ऊपर उठेगी और कब नीचे बैठेगी। तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण का कार्य वायु करती है, जिससे पृथिवी का तापमान स्थिर बना रहता है। वायुदाब और तापमान में विपरीत सम्बन्ध होता है। वायुमण्डलीय दाब को मापने की इकाई **मिलीबार** तथा इसके मापक यन्त्र को **बैरोमीटर** कहते हैं। वायुमण्डल के निचले भाग में

सारिणी 3.2		
स्तर	वायुदाब (मिलीबार)	तापमान (से.मी.)
समुद्रतल	1,013.25	15.2
1 कि.मी.	898.76	8.7
5 कि.मी.	540.48	-17.3
10 कि.मी.	265.00	-49.7

वायुदाब ऊँचाई के साथ तीव्रता से घटता है। प्रत्येक 10 मीटर की ऊँचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब कम होता है, किन्तु वायुदाब के घटने की दर समान नहीं होती है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अन्तराल पर खींची गयी समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। ये रेखाएँ समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। पृथिवी की घूर्णन गति तथा तापमान का धरातल पर वायुदाब के वितरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है।

समुद्रतल वायुदाब का विश्व वितरण- 30° उत्तरी व 30° दक्षिणी अक्षांशों वाले क्षेत्रों को उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। ध्रुवों की ओर 60° उत्तरी व 60° दक्षिणी अक्षांशों पर पाई जाने वाली निम्न दाब पेटियाँ को अधोध्रुवीय निम्नदाब पेटियाँ कहा जाता हैं। ध्रुवों के नजदीक अधिक वायुदाब होता है, जिसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। ये वायुदाब पेटियाँ अस्थायी होने के कारण सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के साथ-साथ उत्तर व दक्षिण की ओर खिसकती रहती हैं। चार प्रमुख वायुदाब पेटियों में, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटियाँ तथा ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियाँ तापजन्य होती हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियाँ तथा उपोष्ण क्षेत्रीय उच्च वायुदाब पेटियाँ गतिजन्य होती हैं।

पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल- वायुमण्डलीय दाब में भिन्नता के कारण क्षैतिज रूप से गतिशील वायु, **पवन** कहलाती है। सामान्यतः इन पवनों का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। दाब प्रवणता, घर्षण और कोरियालिस बल के संयुक्त प्रभावों का परिणाम धरातलीय क्षैतिज पवनें हैं। वायुदाब में अन्तर के कारण उत्पन्न बल को **वायुदाब प्रवणता बल** कहते हैं। समदाब रेखाओं पर यह बल अधिक तथा इनसे दूर होने पर कम होता है। **घर्षण बल** का प्रभाव धरातल पर 1 से 3 कि.मी. की ऊँचाई तक अधिक होता है। यह भी पवनों की गति को प्रभावित करता है। पृथिवी के घूर्णन द्वारा लगने वाला बल **कोरियालिस बल** कहलाता है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा से दायीं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाँई ओर विक्षेपित हो जाती है। निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का सञ्चरण **चक्रवाती परिसञ्चरण** तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र में **प्रतिचक्रवाती सञ्चरण** कहा जाता है।

वायु का परिसंचरण- पृथिवी की सतह से ऊपर की ओर होने वाली क्रिया परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाली क्रिया को कोष्ठ (Cell) कहते हैं। कोष्ठ की तीन श्रेणियाँ- उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में हैडले कोष्ठ, शीतोष्ण कटिबन्धों में फैरल कोष्ठ तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय कोष्ठ वायुमण्डल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। भूमण्डलीय पवनों का स्वरूप मुख्यतः वायुमण्डलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब पेटियों की उपस्थिति, वायुदाब पेटियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण और पृथिवी के घूर्णन पर निर्भर करता है। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानान्तरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। इसमें प्रशान्त महासागर का गर्म या ठण्डा होना अत्याधिक महत्वपूर्ण है।



चित्र 3. 3- वायुमण्डल का सरलतम परिसंचरण

मौसमी पवनें- मौसम के अनुसार अपनी दिशाओं में परिवर्तन कर देने वाली पवनों को जो मौसमी पवनें कहा जाता है। स्थान विशेष में चलने वाली पवनों को स्थानीय पवन कहते हैं। मानसूनी हवाएँ, स्थल, समुद्री, पर्वतीय तथा घाटी क्षेत्रों में बहने वाली स्थानीय पवनें भी मौसमी पवनें ही हैं। स्थल से जल की ओर रात्रि में चलने वाली पवन, **स्थलीय समीर** है। समुद्र से स्थल की ओर दोपहर में चलने वाली पवन, **समुद्री समीर** है। पर्वत चोटियों से रात्रि के समय घाटियों की ओर बहने वाली ठण्डी व भारी पवनों को **पर्वतीय पवनें** कहा जाता है। घाटियों से पर्वतों की ओर दिन में चलने वाली गर्म पवनों को **घाटी पवनें** कहा जाता है। ऊँचे बर्फीले व पठारी क्षेत्रों से चलने वाली ठण्डी वायु को **अवरोही पवनें** कहते हैं।

वायु राशियाँ- वायु, जिसमें तापमान तथा आर्द्रता सम्बन्धी विशिष्ट गुण हो, वायुराशि कहलाती है। उष्णकटिबन्धीय वायु राशियाँ गर्म व ध्रुवीय वायु राशियाँ ठण्डी होती हैं। प्रमुख वायु राशियाँ- उष्णकटिबन्धीय महासागरीय वायुराशि, उष्णकटिबन्धीय महाद्वीपीय वायुराशि, ध्रुवीय महासागरीय वायुराशि, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशि, महाद्वीपीय आर्कटिक वायुराशि हैं। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं, तो इनके मध्य सीमा क्षेत्र को **वाताग्र** कहा जाता है। इनके कारण अचानक तापमान परिवर्तित होने के कारण वायु ऊपर की ओर उठकर बादल का निर्माण कर वर्षा कराती है। वाताग्र चार प्रकार के- शीत, उष्ण, अचर और अधिविष्ट वाताग्र होते हैं।

चक्रवात- निम्न वायुमण्डलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाएं बाहर से अन्दर की ओर की चक्कर काटती हुई चलने वाली तेज हवाओं को **चक्रवात** कहते हैं। वायुमण्डल में स्थित उच्च दाब क्षेत्र से संबद्ध पवन

प्रवाह प्रणाली को प्रतिचक्रवात कहते हैं। इन गर्म हवाओं को दक्षिणी गोलार्द्ध में चक्रवात व उत्तरी गोलार्द्ध में हरिकेन और टाइफून कहा जाता है। हरीकेन, सामान्यतः 120 किमी. घंटा से अधिक औसत गति वाली पवन होती है। हिन्द महासागर में इन्हें चक्रवात तथा अटलान्टिक महासागर में हरिकेन कहते हैं। टाइफून, पश्चिमोत्तर प्रशान्त महासागर तथा चीन सागर में उत्पन्न होने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। टारनेडो, एक प्रकार की उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो छोटा किन्तु तीव्र और अति विनाशकारी होता है। आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न स्थानीय तूफान को तडित झंझा कहते हैं। इसमें बिजली चमकने और तेज हवाएँ चलती हैं।

वायुमण्डल में जल- वायुमण्डल में जल महत्वपूर्ण घटक है। वैदिक वाङ्मय में वायु मण्डल में जल की उपस्थिति बताई गई है- **उपांशुना सममृतत्वमानट्।** (ऋ.4.58.1) अर्थात् समुद्री जल वाष्प के रूप में सूर्य किरणों से मिलकर अमृत तुल्य हो जाता है। **उदीरयथा मरुतः समुद्रो यूयं वृष्टिं वर्षयथा पुरीषिणः।** (ऋ.5.55.5) इस मन्त्र में ऋषि प्रार्थना कर रहा है, हे मरुतो! तुम, अन्तरिक्ष से वृष्टि को प्रेरित करो। हे जल सम्पन्न! तुम लोग वर्षा करो। **प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युतः।** (ऋ.5.83.4) अर्थात् पर्जन्य द्वारा की जा रही समय तीव्र वायु चलती है और बिजली गिरती है।

वायुमण्डल में जल तीन रूपों ठोस, द्रव और गैस में विद्यमान रहता है। वायुमण्डल, महासागरों व महाद्वीपों के बीच जल का आदान-प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा द्वारा होता है। वायुमण्डल में वाष्प के रूप में स्थित जल को जलवाष्प तथा हवा में इसकी उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। वायुमण्डल में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता तथा वायुमण्डलीय आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। महासागरों के ऊपर आर्द्रता सर्वाधिक व महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित वायु को संतृप्त वायु और जिस ताप पर संतृप्तता आती है, ओसाङ्क कहलाता है।

वाष्पीकरण, संघनन और उर्ध्वपातन- ताप के कारण जल का द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। जिस तापमान पर जल का वाष्पन शुरू होता है, वह वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाती है। जलवाष्प का जल के रूप में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। संघनन का कारण तापमान में गिरावट है। जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे- कपूर और आयोडीन। जलवाष्प, वायुमण्डल में आर्द्रता और संघनन के पश्चात् ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल में से किसी एक रूप में परिवर्तित हो जाती है।

ओस और तुषार- जब वायु की आर्द्रता धरातल पर स्थित ठोस वस्तु; जैसे-पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तब इसे ओस कहा जाता है। जब संघनन तापमान के जमाव बिन्दु (0° से) से नीचे चला जाता है तब ओस ठण्डी जगहों पर छोटे-छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा हो जाता है, जिसे तुषार कहा जाता है।

कोहरा- कोहरा (Fog) पृथिवी के धरातल के समीप कम दृश्यता वाला जल और वाष्प युक्त बादल होते हैं। कोहरे व धुएँ के सम्मिलित रूप को **धूम्र कोहरा** कहते हैं। कुहासा भी एक प्रकार का अधिक दृश्यता वाला और अधिक नमी युक्त कुहारा होता है। इनमें जलवाष्प, जल, वायु के अलावा धूल, धुँआ व अन्य गैसों भी होती हैं।

बादल- वायुमण्डल में स्थित जल की बूँदों या बर्फ के कण स्मूहों को **बादल** कहते हैं। पृथिवी की सतह से पर्याप्त ऊँचाई पर स्वतन्त्र हवा में जलवाष्प के संघनन द्वारा बादलों का होता है।

बादल के प्रकार- ऊँचाई, घनत्व, विस्तार तथा पारदृश्यता के आधार पर मुख्यतः बादल के चार प्रकार के हैं- 1. पक्षाभ मेघ 2. कपासी मेघ 3. स्तरी मेघ 4. वर्षा मेघ। 8000 से 12000 मी. की ऊँचाई वाले पंख के समान दिखने वाले बादलों को **पक्षाभ मेघ** कहते हैं। 4000 से 7000 मी. की ऊँचाई पर बिखरे हुए रूई की भाँति दिखने वाले बादलों को **कपासी मेघ** कहते हैं। धरातल से कुछ ऊँचाई पर परतदार रूप में घने बादल **स्तरीय मेघ** कहलाते हैं। भूतल के निकट स्थित अपारदर्शी बादल समूह **वर्षा मेघ** कहलाते हैं।

वर्षण- वायुमण्डलीय जलवाष्प जब संघनित होकर ठोस या जल की बूँदों के रूप में धरती पर आता है, तो **वर्षण** कहलाता है। जलवाष्प जब जल की बूँदों के रूप में धरती पर आती हैं, तो **वर्षा** कहलाती हैं। हिमांक से नीचे तापमान के समय हिमकणों के रूप में होने वाली वृष्टि को **हिमपात** कहते हैं। वर्षा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है- 1. संवहनीय वर्षा 2. पर्वतीय वर्षा 3. चक्रवातीय वर्षा।

जब गर्म हवा ऊपर की ओर पर्याप्त ऊँचाई पर पहुँचकर ओसाङ्क तक ठण्डी होकर कपासी मेघों का निर्माण करती है। इन बादलों से होने वाली वर्षा **संवहनीय वर्षा** कहलाती है। आर्द्र हवाओं के मार्ग में किसी पर्वत की स्थिति के कारण हवाओं के ऊपर उठने तथा संघनन के कारण होने वाली वर्षा **पर्वतीय वर्षा** कहलाती है। प्रतिपवन भाग में स्थित वह पर्वतीय क्षेत्र जहाँ औसत से कम वर्षा कहोती है, **वृष्टि छाया क्षेत्र** कहलाता है। किसी चक्रवात या अवदाब के साथ होने वाली वर्षा **चक्रवातीय वर्षा** कहलाती है।

संसार में वर्षा वितरण- पृथिवी की सतह पर वर्ष भर में वर्षा की मात्रा में भिन्नाता के साथ अलग-अलग मौसम में वर्षा होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। तटीय भागों में वर्षा की अधिकता महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक होती है। विषुवतीय पट्टी, शीतोष्ण प्रदेशों, मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में 200 से.मी. से भी अधिक वर्षा होती है। महाद्वीपों के आन्तरिक भागों में 100 से 200 से.मी. महाद्वीपों के तटीय भागों में मध्यम जबकि उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों के केन्द्रीय तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी व आन्तरिक भागों में 50-100 से.मी. वार्षिक वर्षा होती है। इस प्रकार विश्व में आसमान वर्षा का वितरण देखा जाता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. पृथिवी में कुल द्रव्यमान का..... वायु है।
अ. 70%. ब. 99 % स. 98% द. 80%
2. पृथिवी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत..... है।
अ. सूर्य ब. तारे स. चन्द्रमा द. कोई नहीं
3. ओजोन परत पृथिवी की सतह से किमी. की ऊँचाई तक पाया जाता है।
अ. 18 कि.मी. ब. 30 कि.मी. स. 75 कि.मी. द. 80 कि.मी.
4. सूर्य के पृष्ठ का तापमान सेल्सियस है।
अ. 40000° ब. 20000° स. 6000° द. इनमें से कोई नहीं
5. वायुमण्डलीय दाब को मापने की इकाई है।
अ. डेसीमीटर ब. मीलीग्राम स. सेन्टीमीटर द. मीलीबार

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. वायु मण्डल की सबसे निचली परत.....हैं। (समताप मण्डल/क्षोभ मण्डल)
2. बहिर्मण्डल में सभी तत्व..... आवस्था में पाये जाते हैं। (सघन/ विरल)
3. पृथिवी के तापमान को..... सामान्य बनाये रखती है। (जलवाष्प/गैसों)
4. अपसौर..... को होता है। (3 जनवरी/4 जुलाई)

सत्य/असत्य बताइए-

1. समताप मण्डल का तापमान समान रहता है। (सत्य/असत्य)
2. मध्य मण्डल का विस्तार 50 किमी. तक होता है। (सत्य/असत्य)
3. चक्रवात को उत्तरी गोलार्द्ध में टाइफून कहा जाता है। (सत्य/असत्य)
4. हरीकेन ,120 किमी. प्रति घण्टा की गति से चलने वाली पवन होती है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. स्थानीय समीर	क. स्थल से जल की ओर चलने वाली पवनें
2. स्थलीय समीर	ख. घाटियों से पर्वतों की ओर दिन में चलने वाली गर्म पवनें
3. समुद्री समीर	ग. स्थानीय दशाओं से उत्पन्न पवनें
4. घाटी पवनें	घ. समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. जलवाष्प से क्या आशय है?
2. पवन किसे कहते हैं?
3. वाताग्र से क्या आशय है?

4. चक्रवात किसे कहते हैं?
5. वायुदाब से क्या अभिप्राय है?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

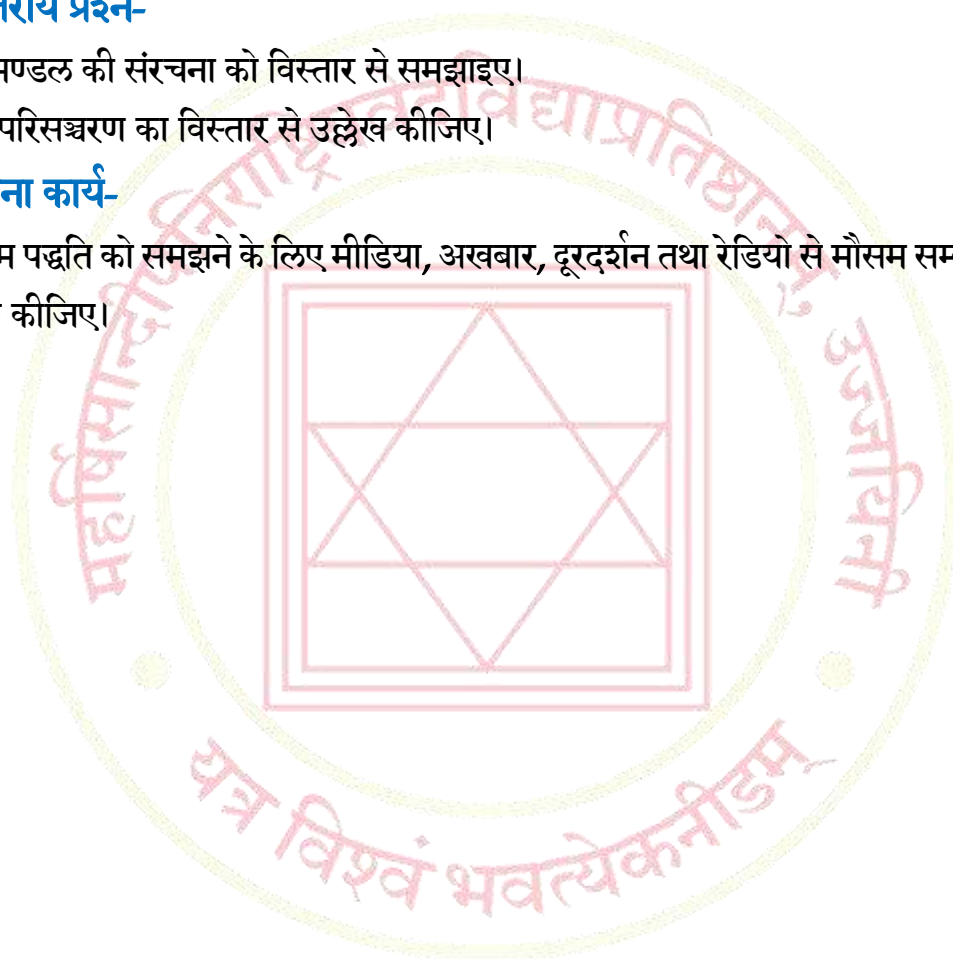
1. पर्वतीय व घाटी समीर में अन्तर बताइए ?
2. पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल कौन-कौनसे हैं?
3. सौर विकिरण से क्या तात्पर्य है?
4. वायुमण्डल के गर्म होने की प्रक्रिया को समझाइए?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. वायुमण्डल की संरचना को विस्तार से समझाइए।
2. वायु परिसंचरण का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. मौसम पद्धति को समझने के लिए मीडिया, अखबार, दूरदर्शन तथा रेडियो से मौसम सम्बन्धी सूचना एकत्र कीजिए।



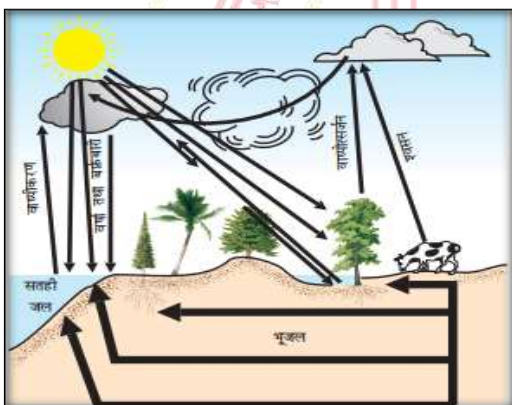
अध्याय- 4

जल और जलवायु

इस अध्याय में- जल, महासागर, महासागरीय अधःस्तल का उच्चावच, महासागरीय जल का तापमान, तापमान का ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वितरण, महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय जल संचलन, तरङ्गें, ज्वार-भाटा, महासागरीय धाराएँ, जलवायु, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों।

जल- पृथिवी के धरातल पर जल की प्रचुर मात्रा है। इसी कारण पृथिवी को 'नीला ग्रह' भी कहा जाता है। पृथिवी का लगभग तीन-चौथाई भाग जल से घिरा है। पृथिवी पर स्थित सम्पूर्ण जल का लगभग 97.25% भाग महासागरों व समुद्रों में अवस्थित है।

जलीय चक्र- जलीय चक्र का अर्थ एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में जल का निरन्तर सागरों, महासागरों, वायुमण्डल और धरातल तक पहुँचना है। जलीय चक्र पृथिवी के जलमण्डल में विभिन्न रूपों- गैस, तरल और ठोस अवस्था में जल का परिसंचरण है। जल के प्रमुख घटक- सागरीय और महासागरीय जल, वायुमण्डलीय जल, हिम के रूप में जमा जल, धरातलीय जल, और भूमिगत जल हैं।



चित्र- 4.1 जलीय चक्र

महासागर- पृथिवी पर विस्तृत जलराशि के समूह को महासागर कहा जाता है। पृथिवी के कुल क्षेत्रफल के लगभग

दो-तिहाई भाग पर महासागर हैं। पृथिवी पर कुल पाँच महासागर हैं- प्रशान्त महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। महासागरों की अपेक्षा छोटी जलराशि को सागर कहते हैं। ये महासागरों से जुड़े हुए और कम गहरे होते हैं। लाल सागर, दक्षिण चीन सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर आदि प्रमुख सागर हैं।

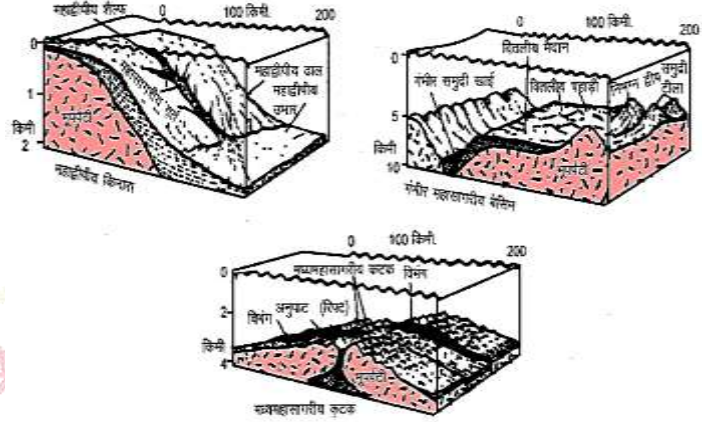
महासागरीय अधःस्तल का उच्चावच- सागर और महासागर पृथिवी की बाहरी परत में विशाल गर्तों में

सारणी 4.1

पृथ्वी पर जल का वितरण

जलाशय	प्रतिशत में
महासागरीय जल	97.25
हिमानियाँ एवं हिमटोपी	2.05
भूमिगत जल	0.68
झीलें	0.01
मृदा में नमी	0.005
वायुमण्डल	0.001
नदी-नाले	0.0017
जैवमण्डल	0.0006

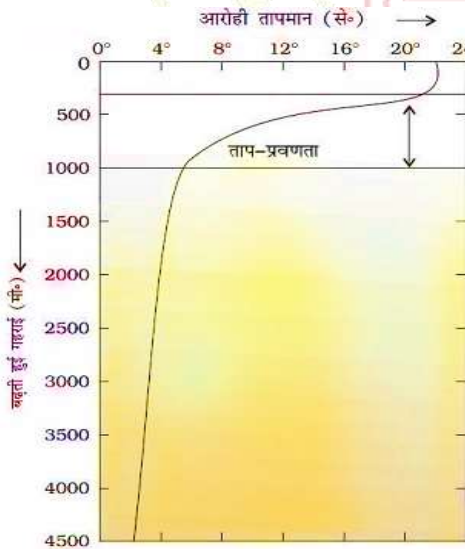
स्थित है। महासागरीय अधःस्तल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किमी. के मध्य मिलता है। महासागरों के सतह पर विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ, गहरे गर्त, बड़े मैदान हैं। इनका निर्माण भी विवर्तन, ज्वालामुखी और निक्षेपण क्रिया से होता है। महासागरीय अधःस्तल के मुख्य चार भाग हैं- 1. महाद्वीप का विस्तृत सीमान्त जो उथले सागरों तथा खाडियों से घिरा होता है, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। 2. महासागरीय बेसिनों तथा शेल्फ को जोड़ने वाले महासागरीय अधस्तल को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। 3. 3000 से 6000 मीटर के मध्य गहराई वाले महासागरीय बेसिन को गहरे सागरीय मैदान कहते हैं। 4.



चित्र-4.2 महासागरीय अधस्तल के उच्चावच

महासागरों के सबसे गहरे और खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन को महासागरीय गर्त कहते हैं। इन प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त महासागरों में और भी अनेक लघु आकृतियाँ पायी जाती हैं। इनमें प्रमुख लघु आकृतियाँ हैं- मध्य महासागरीय कटक, जो पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है। समुद्री टीला, जो ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, जो गहरी घाटियाँ होती हैं। निमग्न द्वीप, चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं तथा प्रवाल द्वीप जो प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं।

महासागरीय जल का तापमान- महासागरीय जल के गर्म होने का कारण सौर ऊर्जा है। स्थलीय भाग की अपेक्षा जलीय भाग का तापन व शीतलन प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने



चित्र- 4.3 ताप प्रवणता

वाले प्रमुख कारक- अक्षांश, सनातन पवनें, महासागरीय पवनें, स्थल और जल का असमान वितरण है।

तापमान का ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वितरण- महासागरों में सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27° से. होता है। गहराई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है। लगभग 200 मी. की गहराई तक तापमान तीव्र गति से घटता है, उसके बाद तापमान घटने की दर में कमी आ जाती है। उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्द्ध के महासागरों से अधिक होता है। उत्तरी गोलार्द्ध में औसत तापमान 19° से. तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में 16° से. रहता है।

महासागरीय जल की लवणता- समुद्री जल का महत्त्वपूर्ण गुण लवणता है। लवणता का मापन 1000 ग्राम (1kg) जल में घुले हुए नमक की मात्रा से किया जाता है। लवणता का प्रयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक वाष्पीकरण, वर्षण, वायु, महासागरीय धाराएँ आदि हैं।

लवणता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण- महासागरों में औसत लवणता 33%. से 37%. के मध्य होती है। लाल सागर में 41%., अटलांटिक महासागर में 36%. लवणता पायी जाती है। गर्म व शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण की दर उच्च होती है वहाँ की लवणता 70%. तक भी हो जाती है। सतह की

इसे भी जाने-

- सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र- टर्की की वॉन झील (330%.), मृत सागर (238%.) और ग्रेट साल्ट झील (220%) है।

लवणता में वृद्धि व हास चलती रहती है किन्तु गहराई में लवणता लगभग निश्चित होती है। गहराई में लवणता में वृद्धि होती है। गहराई में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ लवणता तीव्रता से बढ़ती है, वह क्षेत्र हेलोक्लाइन कहलाता है।

महासागरीय जल सञ्चलन- महासागरीय जल निरन्तर गतिमान होता है। इस गतिशीलता का कारण महासागरों की भौतिक विशेषताएँ (तापमान, लवणता, घनत्व) तथा बाह्य बल (वायु, सूर्य, चन्द्रमा) हैं। इसमें क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। महासागरीय जल की धाराएँ और तरंगें क्षैतिज गति तथा ज्वार-भाटा ऊर्ध्वाधर गति से सम्बन्धित हैं। महासागरीय जल धाराएँ एक निश्चित दिशा में बड़ी मात्रा में जल का अनवरत बहाव हैं। है। महासागरीय जल एक दिन में दो बार सूर्य व चन्द्रमा के आकर्षण के कारण ऊपर उठता व नीचे गिरता है।

तरङ्गें- तरङ्गें एक प्रकार से ऊर्जा है, जिनमें जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु द्वारा महासागरीय जल को प्रदत्त ऊर्जा के कारण उनमें तरङ्गें पैदा होती हैं। जैसे-जैसे तरङ्गें आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती है। तरङ्गों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। तरंग के उच्चतम बिन्दु का ज्ञान हमें वायु की तीव्रता से होता है। एक तरङ्ग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। विशाल तरङ्गें महासागरों में पायी जाती हैं।

इसे भी जाने-

- विश्व का सबसे ऊँचा ज्वार-भाटा (15-16 मीटर की ऊँचाई वाला) कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है।

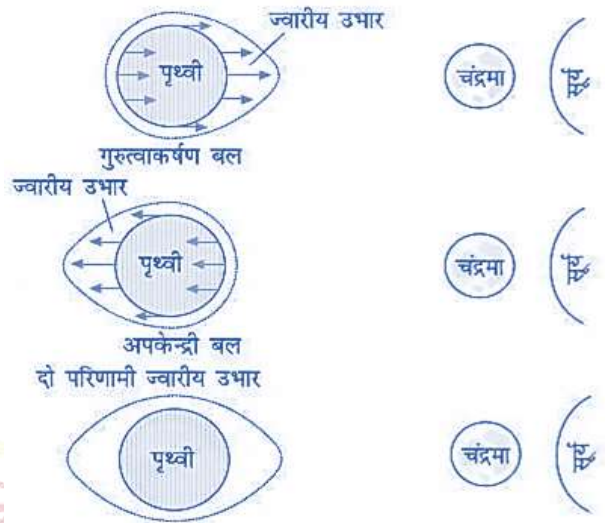
ज्वार-भाटा- सूर्य और चन्द्रमा के आकर्षण के कारण महासागरों के जल स्तर का ऊपर उठना तथा गिरना ज्वार-भाटा कहलाता है। जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। अपकेन्द्रीय बल ज्वार भाटे की उत्पत्ति में सहायक होता है।

ज्वार-भाटा के प्रकार- ज्वार-भाटा के वर्गीकरण के दो आधार हैं- (अ.) सूर्य, चन्द्रमा एवं पृथिवी की कोणीय स्थिति के आधार पर (ब.) आवृत्ति के आधार पर।

(अ.) सूर्य, चन्द्रमा एवं पृथिवी की कोणीय स्थिति के आधार पर ज्वार-भाटा दो प्रकार का होता है-

1. दीर्घ या उच्च ज्वार- जब सूर्य व चन्द्रमा के सरल रेखा में आने से उनके संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथिवी पर स्थित महासागरीय जल का ऊँचाई तक उठना दीर्घ या उच्च ज्वार कहलाता है। ऐसा ज्वार-भाटा पूर्णिमा व अमावस्या को आता है।

1. लघु या निम्न ज्वार- पृथिवी, सूर्य व चन्द्रमा के समकोणीय स्थित में आने पर महासागरीय जल उच्च ज्वार की अपेक्षा कम ऊँचाई तक उठता है, इसे लघु या निम्न ज्वार कहते हैं।



चित्र-4.4 गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार भाटा के मध्य

(ब.) आवृत्ति के आधार पर ज्वार-भाटा तीन प्रकार का होता है-

1. दैनिक ज्वार- ये दिन में दो बार आते हैं (एक उच्च व एक निम्न ज्वार)।
2. अर्ध दैनिक ज्वार- ये दिन में चार बार आते हैं (दो उच्च व दो निम्न ज्वार)।
3. मिश्रित ज्वार- ऐसे ज्वार-भाटा जिनकी ऊँचाई में भिन्नता हो।

ज्वार-भाटा का महत्त्व- ज्वार-भाटा के कारण समुद्र की लवणता बनी रहती है। समुद्र का मुहाना इसके द्वारा साफ हो जाता है। ज्वार-भाटा के कारण समुद्र में मछलियों की मात्रा में वृद्धि होती है। ज्वार-भाटा के कारण महासागरों का तापमान सन्तुलित रहता है। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है।

महासागरीय धाराएँ- महासागरों में निश्चित मार्ग व दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जल के नियमित प्रवाह को महासागरीय धाराएँ कहा जाता है। यह जल के प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। महासागरों के सतह की धाराएँ तीव्र और गहराई में मन्द होती हैं। महासागरीय धाराएँ प्राथमिक बल तथा द्वितीयक बलों के द्वारा नियन्त्रित होती हैं। महासागरीय धाराओं को दो प्रकार के बल प्रभावित करते हैं। प्राथमिक बल जैसे- वायु, सूर्य द्वारा जल का गर्म होना, गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियालिस बल आदि जल को गति प्रदान करते हैं। द्वितीयक बल, जल धाराओं को नियन्त्रित करने वाले होते हैं। कोरिऑलिस बल के कारण निम्न अक्षांशों में प्रवाहित गर्म जलधाराएँ उत्तरी गोलार्द्ध में अपनी बायीं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में अपनी दायीं ओर मुड़ जाती हैं।

महासागरीय धाराओं के प्रकार-

इसे भी जाने-

- महासागरीय धाराओं के प्रवाह को नॉट में मापा जाता है।

जलवायु- पृथिवी पर जीवन के उपयुक्त वातावरण के निर्माण के लिये वायु और जल महत्वपूर्ण घटक हैं। वायु और जल मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। जलवायु को अंग्रेजी में Climate कहते हैं। Climat शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के Klima (क्लाइमा) से हुई है जिसका अर्थ 'झुकाव' (inclination) होता है। वास्तव में पृथिवी के किसी वृहत् प्रदेश के वायुमण्डल के लम्बे समय की सामान्य स्थिति को **जलवायु**

इसे भी जाने-

- पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न अपकेन्द्रीय बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इसके कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। परिणामतः उत्तरी गोलार्द्ध में पवन दायीं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बायीं ओर मुड़ जाती हैं। इस परिवर्तनकारी बल की खोज कॉरिऑलिस नामक विद्वान ने की थी।

कहते हैं। पृथिवी के अलग-अलग अक्षांशों पर ताप की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। इसी भिन्नता के आधार पृथिवी का जलवायुयिक विभाजन किया जाता है। किसी विशेष स्थान पर विशेष समय में वायुमण्डल की विशिष्ट स्थिति को **मौसम** (Weather) कहते हैं। ताप, दाब, वायु, आर्द्रता, बादल और वर्षा आदि मौसम और जलवायु के महत्वपूर्ण तत्त्व हैं, जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। सम्पूर्ण विश्व की जलवायु को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है- हैजननिक, आनुभविक

और अनुप्रयुक्त।



चित्र- 4.6 कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति

कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति- जलवायु के वर्गीकरण में वी. कोपेन की आनुभविक पद्धति (1918 ई.) का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। बाद में इसमें संशोधन किए जाते रहे। जलवायु वर्गीकरण के लिए कोपेन ने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से सम्बन्ध स्थापित किया। कोपेन द्वारा पाँच जलवायु समूह तैयार किए गए जिनमें से चार

तापमान व एक वर्षण पर आधारित है। इन पाँच समूहों में से समूह A, C, D व E आर्द्र जलवायु को तथा समूह B शुष्क जलवायु को बताता है।

समूह-A में कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य पायी जाने वाली उष्ण प्रदेशीय जलवायु है। यहाँ वर्षा अधिक तथा वार्षिक तापान्तर कम होता है। उष्ण प्रदेशीय जलवायु को तीन भागों में विभाजित किया गया है- उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु (AT), उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु (Am), उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु (Aw)।

समूह B में विषुवत् वृत्त से 15° से 60° उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत अति न्यून वर्षा वाली शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है- अर्द्ध शुष्क जलवायु (BS) तथा मरुस्थल जलवायु (BW)।

सारणी 4.2

समूह	प्रकार	कूट अक्षर	लक्षण
A उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु	उष्णकटिबंधीय आर्द्र	Af	कोई शुष्क ऋतु नहीं।
	उष्णकटिबंधीय मानसून	Am	मानसून, लघु शुष्क ऋतु
	उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क	Aw	जाड़े की शुष्क ऋतु
B शुष्क जलवायु	उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी	BSh	निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क
	उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल	BWh	निम्न अक्षांशीय शुष्क
	मध्य अक्षांशीय स्टेपी	BSK	मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क
	मध्य अक्षांशीय मरुस्थल	BWk	मध्य अक्षांशीय शुष्क
C कोष्ण शीतोष्ण (मध्य अक्षांशीय जलवायु)	आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय	Cfa	मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क
	भूमध्य सागरीय	Csa	शुष्क गर्म ग्रीष्म
	समुद्री पश्चिम तटीय	Cfb	कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म
D शीतल	आर्द्र महाद्वीपीय	Df	कोई शुष्क ऋतु नहीं भीषण जाड़ा .
	उपउत्तर ध्रुवीय-	Dw	जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण
E शीत जलवायु	टुंड्रा	ET	सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं
	ध्रुवीय हिमटोपी	EF	सदैव हिमाच्छादित हिम
F उच्च भूमि	उच्च भूमि	H	हिमाच्छादित उच्च भूमियाँ

समूह C में 30° से 50° अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी सीमान्तों पर पायी जाने वाली शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु है। इसे चार भागों में विभाजित किया गया है- आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु (Cwa), भूमध्य सागरीय जलवायु (Cs), आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु (Cfa), समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु (Cfb)।

समूह D में उत्तरी गोलार्द्ध में 40° से 70° अक्षांशों के मध्य यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्र में पायी जाने वाली शीत हिम वन जलवायु है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है- आर्द्र जाड़ों से युक्त ठण्डी जलवायु (D), शुष्क जाड़ों से युक्त ठण्डी जलवायु (Dw)।

समूह E में 70° अक्षांश उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की ओर पायी जाने वाली ध्रुवीय जलवायु है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है- टुण्ड्रा जलवायु (ET) और हिमटोप जलवायु (EF)।

समूह F में पर्वतीय प्रदेशों में उच्चभूमि जलवायु पाई जाती है, जो भौम्याकृति द्वारा नियन्त्रित होती है। इन जलवायु प्रदेशों में स्तरित ऊर्ध्वाधर प्रदेश पाये जाते हैं।

जलवायु परिवर्तन- जलवायु परिवर्तन से आशय, औसत मौसमी दशाओं के अनुक्रम में ऐतिहासिक बदलाव आना है। ये बदलाव प्राकृतिक व मानवीय दोनों कारणों से आते हैं। जलवायु परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो पृथिवी के प्रादुर्भाव से ही चलती आ रही है। माना जाता है कि 8000 वर्ष ई.पूर्व भारत में राजस्थान के थार की जलवायु आर्द्र व शीतल थी। 2000 से 1700 वर्ष ई. पूर्व यह हड़प्पा संस्कृति का केन्द्र था। किन्तु समय के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण अब यहाँ शुष्क जलवायु की प्रधानता है।

अभिनव पूर्व काल में जलवायु- यूरोप कई बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। यूरोप ने सन् 1550-1850 की अवधि में लघु हिमयुग का अनुभव किया। सन् 1885 से 1940 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि देखी गई। सन् 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत् मैदान के दक्षिण-पश्चिमी भाग (धूल का कटोरा) में भयंकर सूखा पड़ा। सन् 1940 के बाद तापमान में कमी आई। सन् 1990 का दशक सदी का सबसे गर्म दशक रहा तथा विश्व भयंकर बाढ़ों से त्रस्त रहा। सन् 1998 बीसवीं शताब्दी/सहस्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था।

जलवायु परिवर्तन के कारण- जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं जैसे-

प्राकृतिक कारण- 1. ज्वालामुखी विस्फोट 2. समुद्री तूफान 3. बाढ़ 4. भूस्खलन 5. महाद्वीपीय संवहन आदि।

मानवीय कारण- 1. औद्योगिकरण 2. वनों की कटाई 3. खनन 4. शहरीकरण 5. जनसङ्ख्या वृद्धि 6. परिवहन के साधन आदि।

ग्रीन हाउस गैसों- प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों कार्बन-डाइ-ऑक्साइड, क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड व ओजोन हैं। ये गैसों वायुमण्डल की ऊपरी परत में फैल जाती हैं, इस कारण सूर्य की किरणों जो पृथिवी से परावर्तित होती हैं, वातावरण से बाहर नहीं जा पाती व पुनः पृथिवी पर लौट आती हैं, जिससे पृथिवी की सतह का तापमान बढ़ जाता है, इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। इन गैसों के कारण पृथिवी का तापमान निरन्तर बढ़ रहा है। इन गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकाल को स्वीकार किया गया। वर्ष 2005 में प्रभावी हुई क्योटो उद्घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया है। क्योटो प्रोटोकाल के अन्तर्गत सुनिश्चित किया गया कि 35 औद्योगिक राष्ट्र वर्ष 1990 के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन स्तर में 2012 तक 5 प्रतिशत की कमी लाएँगे।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. पृथिवी के सम्पूर्ण जल का..... भाग महासागरों और समुद्रों में स्थित है।
अ. 90.25% ब. 72% स. 77.25% द. 97.25%
2. महासागरों में सतह के जल का औसत तापमान.....सेल्सियस होता है।
अ. 27° ब. 42° स. 36° द. 47°
3. निम्न में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र.....है।
अ. टर्की की बॉन झील ब. मृत सागर
स. ग्रेट साल्ट झील द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. निम्न में वी-कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति..... है।
अ. आनुभविक ब. जननिक स. अनुप्रयुक्त द. उपर्युक्त सभी
5. निम्न में जलवायु परिवर्तन का मानवीय कारण..... है।
अ. भूस्खलन ब. महाद्वीपीय संवहन
स. खनन द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
6. क्योटो प्रोटोकाल की उद्घोषणा वर्ष.....में हुई थी।
अ. 2005 ई. ब. 1997 ई.
स. 1996 ई. द. 2012 ई.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. पृथिवी को ग्रह भी कहा जाता है। (पीला/नीला)
2. पृथिवी पर भूमिगत जल की मात्रा है। (0.68%/0.01%)
3. गहरी जलधाराएँ कुल जल का हैं। (80% /90%)
4. गर्म जल धाराएँ महाद्वीपों के.....तट पर प्रवाहित होती हैं। (पूर्वी/पश्चिमी)

सत्य/असत्य बताइए -

1. जल के तीन रूप है। सत्य/असत्य
2. लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। सत्य/असत्य
3. दैनिक ज्वार 48 घण्टे में एक बार आता है। सत्य/असत्य
4. वर्ष 1998 बीसवीं शताब्दी/सहस्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. उत्तरी गोलार्द्ध में औसत तापमान . क. निम्न द्वीप

2. दक्षिणी गोलार्द्ध में औसत तापमान
3. पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है,
4. चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं,

- ख. मध्य महासागरीय कटक
- ग. 16° सेल्सियस
- घ. 19° सेल्सियस

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. जलीय चक्र किसे कहते हैं ?
2. महाद्वीपीय शेल्फ किसे कहते हैं ?
3. महासागरीय धाराएँ किसे कहते हैं?
4. जलवायु किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न –

1. महासागरीय अधःस्तल का उच्चावच पर टिप्पणी लिखिये।
2. ज्वार-भाटा किसे कहते हैं ? उसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
3. कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति को समझाइए।
4. ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न –

1. महासागरीय धाराएँ किसे कहते हैं ? उसके प्रकार और प्रभाव बताइए।
2. जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? इसके प्राकृतिक व मानवीय कारण बताइए।

परियोजना कार्य-

1. किसी झील या तालाब के पास जाकर तरंगों का अवलोकन कर, अपने अनुभव लिखिये।

अध्याय-5

पृथिवी पर जैवमण्डल

इस अध्याय में- पारिस्थितिकी, पारितन्त्र, बायोम, जैव भू-रासायनिक चक्र, जैव विविधता, जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका, जैव-विविधता का हास, जैव-विविधता का संरक्षण, वैदिक वाङ्मय में जैव विविधता संरक्षण।

पृथिवी की उत्पत्ति का अन्तिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से सम्बन्धित माना जाता है। जीवन का विकास स्थल, जल एवं वायु मण्डलों में हुआ है। इन सभी भागों में जीवों के निवास स्थलों को मिलाकर जैवमण्डल कहते हैं। समस्त जीवधारी मिलकर पृथिवी पर जैवमण्डल (Biosphere) का निर्माण करते हैं। इसमें जीवित घटक शामिल हैं जो अन्य प्राकृतिक कारकों- भूमि, जल, मिट्टी, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश के साथ पारस्परिक क्रिया कर जीवों के जीवित रहने, वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं।

पारिस्थितिकी (Ecology)- पारिस्थितिकी को अंग्रेजी भाषा में Ecology कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक ई. हैकिल ने किया। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस (Oikos) और लॉजी (Logos) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ घर का अध्ययन है। पारिस्थितिकी के अन्तर्गत पृथिवी का अध्ययन मनुष्यों, पौधों, जन्तुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में किया जाता है। यह जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने से सम्बन्धित हैं। पर्यावरण में जीवों, पौधों, प्राणियों (मानव जाति) व अन्य प्राणियों के मध्य सम्बन्ध को पारिस्थितिक सन्तुलन कहा जाता है। भिन्न-भिन्न पौधे व जीव-जंतु का विकासक्रम द्वारा किसी पर्यावरण का अभ्यस्त हो जाना पारिस्थितिक अनुकूलन कहलाता है।

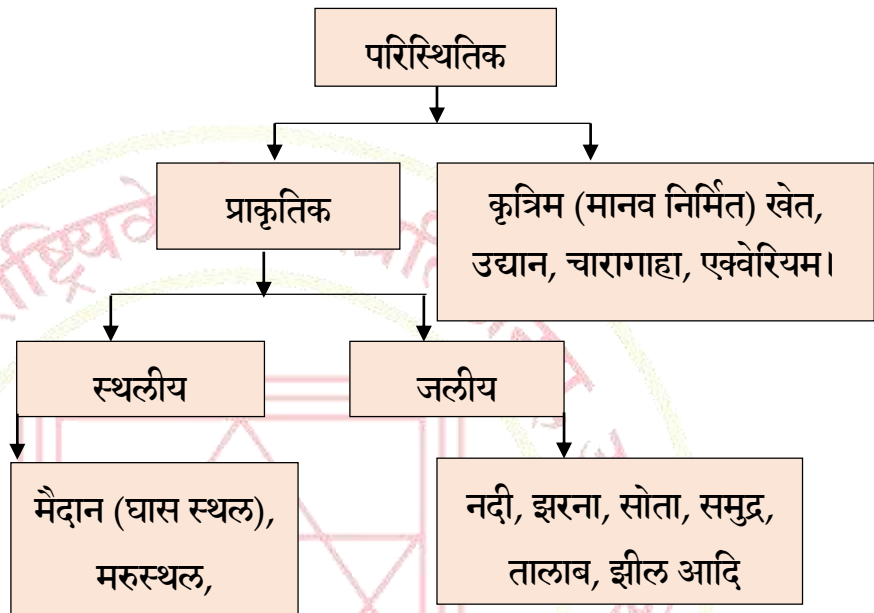
पारितन्त्र- किसी विशेष भाग में विशेष समूह के जीवों का अजैविक तत्वों से अन्तर्क्रिया होती है जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएँ स्पष्ट रूप से समायोजित हों, पारितन्त्र कहलाता है। इसमें सभी जीवधारी शामिल होते हैं, जो अजैव पर्यावरण (जल, वायु, मृदा) से अन्तःक्रिया करके सम्पूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। पारितन्त्र दो प्रकार का होता है - स्थलीय और जलीय पारितन्त्र। वन, घास, मरुस्थल और टुन्ड्रा विश्व के प्रमुख स्थलीय पारितन्त्र हैं। जलीय पारितन्त्र में महासागर, सागर, ज्वारनदमुख, प्रवाल भित्ति, झीलें, नदियाँ, कच्छ और दलदल शामिल हैं।

पारितन्त्र की कार्यप्रणाली व संरचना- संरचना की दृष्टि से पारितन्त्र में मुख्य रूप से दो घटक- जैविक और अजैविक हैं। जैविक घटकों में उत्पादक (पौधे, शैवाल, घास आदि), उपभोक्ता (प्राथमिक, द्वितीयक

व तृतीयक) तथा अपघटक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी व इनका निस्तारण करने वाले अपघटक होते हैं। अजैविक घटकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति, अकार्बनिक तत्वों आदि शामिल हैं।

बायोम- पृथिवी पर पाए जाने वाले समस्त जीव-जन्तुओं व पेड़-पौधों को संयुक्त रूप से बायोम कहा जाता है। पारितन्त्र में

वनस्पतियों और जीवों के अन्तर्सम्बन्धित समूह जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाये जाते हैं, बायोम कहलाते हैं। बायोम को 5 भागों में बांटा गया है -



1. **वन बायोम-** वन बायोम के तीन भाग हैं-उष्ण प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश

और बोरियल। उष्ण प्रदेशों (विषुवत रेखा पर 10^0 से 25^0 उत्तर और दक्षिण अक्षांश) में अत्यधिक वाष्पीकरण तथा वर्षा होती है। उष्ण प्रदेशों के प्रदेशों में पाये सदाबहार वन जाते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में मध्यम घने और कम चौड़े पत्ते वाले वृक्षों से युक्त वन पाये जाते हैं। बोरियल में यूरोशिया, साइबेरिया का कुछ भाग, कनाडा जैसे प्रदेश शामिल हैं। यहाँ सदाबहार कोणधारी वनों में पाइन, फर, स्प्रूस जैसे वृक्ष पाये जाते हैं।

2. **घास भूमि बायोम-** उष्ण प्रदेश, पृथिवी पर $23\frac{1}{2}^0$ उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश और शीतोष्ण प्रदेश, 45^0 से 66^0 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश पर फैले वनों को घास भूमि बायोम कहा जाता है। सबाना, प्रेयरी, वेल्ड, पम्पास, लानोस आदि प्रमुख घास भूमि बायोम हैं।

3. **मरुस्थलीय बायोम-** पृथिवी के लगभग 14% भाग पर इसका विस्तार है। इसका विस्तार महाद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम में है। इसमें वनस्पतियों की प्रायः कमी होती है। यह बायोम शीत, तटीय, अर्धशुष्क और गर्म मरुस्थल के रूप में पृथिवी पर फैला है।

4. **जलीय बायोम-** पृथिवी के जलीय भाग में पाए जाने वाले पेड़-पौधे व जीव-जन्तुओं को समग्र रूप से जलीय बायोम कहते हैं। इस बायोम की दो श्रेणियाँ- ताजा जल और समुद्री जल हैं। इनका क्षेत्र झीलें, नदियाँ, आर्द्र भूमि, महासागर, लैगून, ज्वारनद मुख और प्रवालभित्ति हैं।
5. **उच्च प्रदेशीय बायोम-** ये ऊँची पर्वतीय श्रेणियों के ढाल होते हैं जैसे - हिमालय, एण्डीज व रॉकी पर्वत क्षेत्र आदि।

जैव भू-रासायनिक चक्र- जैवमण्डल में जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य साधन है। पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश-संश्लेषण द्वारा अपना भोजन व ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीवमण्डल में प्राणियों व वातावरण के बीच रासायनिक पदार्थों के आदान-प्रदान की चक्रीय गति को जैव भू-रासायनिक चक्र कहा जाता है। यह चक्र दो प्रकार का होता है-

1. **गैसीय चक्र,** इसका पदार्थ का प्रमुख स्रोत वायुमण्डल और महासागर है।
2. **तलछटी चक्र,** इसका प्रमुख स्रोत मिट्टी, तलछट और चट्टानें हैं।

जलचक्र- जलचक्र से आशय, जल का निरन्तर समुद्र, वायुमण्डल व भूमि के मध्य निरन्तर चक्रित होते रहना है। इसके प्रमुख घटक भाप, स्वेद, संघनन, अवक्षेपण, जल प्रवाह, रिसाव हैं। जल ठोस, गैस व द्रव तीनों रूपों में पाया जाता है।

ऑक्सीजन चक्र- वायुमण्डल में लगभग 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का चक्रण एक जटिल प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सहायक परिणाम ऑक्सीजन है। जल अणुओं के विघटन से भी ऑक्सीजन पैदा होती है। पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा यह वायुमण्डल में पहुँचती है। इसका उपयोग जीवों (मनुष्य एवं जानवरों) के जीवन का आधार है।

नाइट्रोजन चक्र- नाइट्रोजन (79%) हमारे वायुमण्डल का प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन जैविक स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी में पहुँचता है। मिट्टी से पौधों फिर जंतुओं में और अंत में पौधों तथा जंतुओं के मृत्यु के पश्चात वायुमण्डल में मुक्त हो जाता है। यह सम्पूर्ण क्रिया **नाइट्रोजन चक्र** कहलाता है।

कार्बन चक्र- कार्बनिक यौगिक का मूल तत्त्व कार्बन सभी जीवधारियों में पाया जाता है। कार्बन का जैव-भूरासायनिक चक्र द्वारा जीवमण्डल, मृदामण्डल, भूमण्डल, जलमण्डल और पृथिवी के वायुमण्डल के साथ विनिमय होता है। यह पृथिवी पर जीवमण्डल तथा उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीनीकरण और पुनः उपयोग की अनुमति करता है।

जैव-विविधता -किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की सङ्ख्या और उनकी विविधता को जैव-विविधता कहते हैं। जैव-विविधता पृथिवी पर सजीव सम्पदा है। ऐसे क्षेत्र जहाँ जल व उर्जा के

पर्याप्त भण्डार हैं, वहाँ जैव-विविधता भी व्यापक है। मानव की उत्पत्ति से पूर्व भी धरती पर जैव-विविधता थी। जैव-विविधता ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैव-विविधता को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है-

1. **आनुवांशिक जैव-विविधता-** विभिन्न प्रजातियों में पायी जाने वाली आनुवांशिक विभिन्नता।
2. **प्रजातीय जैव-विविधता-** दो प्रजातियों के मध्य की विविधता।
3. **पारितन्त्रीय जैव विविधता-** किसी पारिस्थितिक तन्त्र में प्रजातियों की विविधता को पारितन्त्रीय जैव-विविधता कहा जाता है।

सांस्कृतिक विकास में जैव विविधता का अहम् योगदान रहा है। मानव समूहों ने भी जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिका महत्वपूर्ण है।

जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका- जैव-विविधता की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रत्येक जीव का पारिस्थितिकी के सन्तुलन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण पृथिवी पर रहने वाला हर प्राणी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। इसके द्वारा हमारे भोजन, कपड़ा, औषधियाँ, ईंधन आदि की

इसे भी जाने-

- महा विविधता केन्द्र में सम्मिलित 12 देश- मैक्सिको, कोलम्बिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, कांगो, मेदागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इण्डोनेशिया और आस्ट्रेलिया हैं।

आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। जैव-विविधता पारिस्थितिकी उत्पादकता को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए यदि पृथिवी से सांप नष्ट हो जाये, तो चूहों की भरमार हो जायेगी और चूहे फसलों को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार जीव पारिस्थितिक सन्तुलन को कायम रखते हैं।

आर्थिक भूमिका- विभिन्न फसलें, वन संसाधन, पशु, मत्स्य व दवा संसाधन ऐसे आर्थिक महत्त्व के उत्पाद हैं, जो जैव-विविधता के फलस्वरूप ही हमें उपलब्ध होते हैं।

वैज्ञानिक भूमिका- यह हमें जीवन का आरम्भ, सञ्चालन, पारितन्त्र को बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की भूमिका आदि के विषय में बताता है। इनके अतिरिक्त जैव-विविधता, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण में सहायक है। इसमें वन कार्बन डाइ-ऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। जैव-विविधता पोषक-चक्र को गतिमान रखने तथा मृदा निर्माण के साथ-साथ उसके संरक्षण में भी सहायक है।

जैव-विविधता का ह्रास- जैव विविधता में ह्रास के अनेक कारण हैं, जैसे- वन्य जीवों का शिकार, वनोन्मूलन, अति-चराई, जीवों के आवासों का विनाश, पर्यावरण प्रदूषण, आवास विखण्डन, विदेशी मूल की वनस्पतियाँ, बीमारियाँ, चिड़ियाघर व शोध हेतु जीवों का उपयोग, भूकम्प, अकाल, ज्वालामुखी,

बाढ़ आदि। जैव-विविधता के हास के परिणामस्वरूप जीव-जन्तुओं को तीन श्रेणियों संकटापन्न प्रजातियाँ, सुभेद्य प्रजातियाँ तथा दुर्लभ प्रजातियाँ में विभाजित किया गया है। इनका विस्तृत अध्ययन हम पूर्व कक्षा में कर चुके हैं।



मानचित्र-5.1 कुछ पारिस्थितिक हॉट-स्पॉट का मानचित्र

जैव-विविधता का संरक्षण- रियो-डी-जेनेरियो (ब्राजील) में 1992 में आयोजित भारत समेत 155 देशों के सम्मेलन में जैव-विविधता के संरक्षण के लिये एक संकल्प पत्र पारित किया गया था। इसमें बताये गये उपाय हैं- 1. संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण 2. विलुप्ति प्रजातियों पर रोक के लिए उचित योजना व प्रबन्धन 3. वन्य प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए 4. संरक्षण में सहायक पारम्परिक ज्ञान तथा कौशल को प्रोत्साहन 5. जंगली पौधों व जन्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियन्त्रण 6. प्रजातियों का पुनरुत्थान। भारत सरकार द्वारा भी प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने व उनका विस्तार करने के उद्देश्य से 'वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम', 1972 पारित किया गया। 22 मई को प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस मनाया जाता है।

इसे भी जाने-

- इण्टरनेशनल यूनियन फॉर द कन्जर्वेशन एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज (IUCN) संकटग्रस्त प्रजातियों रेड सूची प्रकाशित करती है।

वैदिक वाङ्मय में जैव विविधता संरक्षण- हमारे प्राचीन वाङ्मय में जैव संरक्षण पर अत्यधिक बल दिया गया है। वनस्पतियों एवं जीवों का संरक्षण हो इसलिए इन्हें धर्म से जोड़कर इनकी महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। मनुस्मृति में जैव संरक्षण

का उल्लेख हुआ है- योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। स जीवनञ्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते॥ अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। संस्कर्ता चोपहर्ता च खादवश्चेति घातकाः॥ (मनुस्मृति 5/45,51) अर्थात् जो व्यक्ति अपने सुख के लिए जीवों की हत्या करता है, वह कभी सुखी नहीं रहता है तथा वे व्यक्ति जो पशुओं को मारते हैं, उनके मांस का भक्षण करते हैं और मारने के लिए विपणन करते हैं। वे हत्यारे और पापी हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. पारिस्थितिकी के लिए Ecology शब्द का प्रयोग.....किया था।
अ. ई. हैकिल ब. थॉमस जोसेफ स. रिचर्ड बर्नाड द. इनमें से कोई नहीं
2. पृथिवी के.....भाग पर मरुस्थलीय बायोम का विस्तार है।
अ. 45% ब. 14% स. 25% द. 22%
3. जैवमण्डल में.....ऊर्जा का प्रमुख साधन है।
अ. सूर्य ब. चन्द्रमा स. मंगल द. बृहस्पति
4. हमारे वायुमण्डल.....नाइट्रोजन गैस है।
अ. 21% ब. 79% स. 24% द. 51%
5. जैवविविधता की दृष्टि से महाविविधता केन्द्र की सूची में.....देश सम्मिलित हैं।
अ. 21 ब. 31 स. 12 द. 51

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. जल अणुओं के विघटन से..... पैदा होती है। (ऑक्सीजन/नाइट्रोजन)
2. सभी जीवधारियों में..... पाया जाता है। (कार्बन/ओजोन)
3. रियो-डी-जेनेरियो सम्मेलन.....में आयोजित किया गया था। (1992 ई./2005 ई.)
4. प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस..... को मनाया जाता है। (22 मई/4 जुलाई)

सत्य/असत्य बताइए-

1. समस्त जीवधारी मिलकर पृथिवी पर जैवमण्डल का निर्माण करते हैं। (सत्य/असत्य)
2. वन, घास, मरुस्थल और टुन्ड्रा विश्व के प्रमुख स्थलीय पारितन्त्र हैं। (सत्य/असत्य)
3. दो प्रजातियों के मध्य की विविधता को प्रजातीय जैवविविधता कहते हैं। (सत्य/असत्य)
4. जैव-विविधता ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा उष्ण प्रदेशों में अधिक होती है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. वन, घास, मरुस्थल और टुन्ड्रा प्रदेश	क. उच्च प्रदेशीय बायोम
2. महासागर, झीलें, नदियाँ, कच्छ, दलदल आदि	ख. स्थलीय पारितन्त्र
3. ऊँची पर्वतीय श्रेणियों के ढाल	ग. ऑक्सीजन
4. प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सहायक परिणाम	घ. जलीय पारितन्त्र

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. पारिस्थितिक सन्तुलन किसे कहते हैं ?
2. पारितन्त्र किसे कहते हैं ?
3. बायोम किसे कहते हैं ?
4. जैव विविधता किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं ?
2. पारितन्त्र की कार्यप्रणाली व संरचना को स्पष्ट कीजिए।
3. जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण बताइए।
4. जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका को समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. बायोम और उसके प्रकार का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
2. जैव विविधता के ह्रास के कारणों के साथ उसके संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालिए।

परियोजना कार्य-

1. अपने राज्य के राष्ट्रीय पार्कों, पशु विहारों की सूची बनाइए।

अध्याय-6

प्राकृतिक संकट और आपदाएँ

इस अध्याय में- प्राकृतिक संकट, आपदा, मानव जनित आपदायें, प्राकृतिक आपदाएँ, भारत में प्राकृतिक आपदाएँ, भूकम्प, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, भारत में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय, सूखा, सूखा रोकने के उपाय, भूस्वलन और भू-स्वलन रोकने के उपाय।

प्राकृतिक संकट- प्राकृतिक संकट से आशय प्राकृतिक पर्यावरण में अचानक होने वाले उन तीव्र परिवर्तनों से है, जिनका जीवन तथा मानवीय क्रिया-कलापों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी उद्गार, भूकम्प, बाढ़, हिमपात, ओलावृष्टि, चक्रवात, विभिन्न महामारियाँ आदि प्राकृतिक संकट के अन्तर्गत आती हैं। इनके कारण बड़ी मात्रा में जन-धन की हानि होती है।

आपदा- आपदा से आशय अनपेक्षित और अप्रत्याशित प्रकोपों से हैं। आपदा, प्राकृतिक या मानव जनित होती है। इनके कारण सभी जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों की अपार क्षति होती है। इन आपदाओं से होने वाली क्षति की भरपाई कई वर्षों तक नहीं हो पाती है। आपदा को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- 1. मानव जनित आपदा 2. प्राकृतिक आपदा।

1. **मानव जनित आपदायें-** मानव जनित आपदाओं का सम्बन्ध मानवीय क्रियाकलापों से होता है, जैसे-

आग लगना, विविध प्रकार की दुर्घटनाएँ, आतंकी गतिविधियाँ, युद्ध, ओजोन परत क्षरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि) आदि। भारत में औद्योगिक आपदा के रूप में भोपाल गैस त्रासदी (सन् 1984) ऐसी ही मानव जनित आपदा का उदाहरण है।

2. **प्राकृतिक आपदाएँ-** पर्यावरणीय असन्तुलन और पृथिवी की

सारणी 6.1

आपदा	वर्ष	प्रभावित देश
1. भूकम्प	1948	सोवियत संघ (1,10,000)
2. बाढ़	1949	चीन (57,000)
3. भूकम्प	1976	चीन (7,00,000)
4. सुनामी	2004	इण्डोनेशिया, भारत, श्रीलंका (3,00,000)
5. सुनामी	2011	जापान (15,842)

आन्तरिक हलचल का अचानक भयानक रूप ले लेना प्राकृतिक आपदा कहलाता है। प्राकृतिक आपदाएँ बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि तथा सामाजिक तन्त्र एवं जीवन को छिन्न-भिन्न कर देती हैं। इन पर किसी का नियन्त्रण नहीं होता है। सुनामी, बाढ़, भूकम्प, ज्वालामुखी, चक्रवात,

हिमस्खलन, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाएँ हैं। पूर्व में घटित कुछ आपदायें जिन्होंने सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। सारणी में 1948 ई. से 2011 तक विविध आपदाओं से प्रभावित देशों को दर्शाया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण- प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम माना जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को मुख्यतः चार वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

सारणी 6.2			
वायुमण्डलीय	भौतिक	जलीय	जैविक
बर्फानी तूफान, तडित झंझावत, टॉरनेडो, उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात, सूखा, पाला, लू, शीत लहर आदि।	भूकम्प, ज्वालामुखी, भू- स्खलन, हिमघाव, अवतलन, मृदा अपरदन।	बाढ़, ज्वार- भाटा, महासागरीय धाराएँ, तूफान, सुनामी आदि।	पौधे व जानवर उपनिवेश के रूप में (टिड्डियाँ इत्यादि), कीट ग्रसन-फफून्ड, बैक्टीरिया और वायरल, संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू आदि।

भारत में प्राकृतिक आपदाएँ- भारत बृहद आकार वाला प्राकृतिक पर्यावरणीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। लम्बे काल तक उपनिवेशन तथा अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ का विशाल भू-भाग प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से सुभेद्य है। यहाँ आने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ भूकम्प, सुनामी, बाढ़, सूखा और भूस्खलन है।

भूकम्प- पृथिवी की सतह में कम्पन को भूकम्प कहते हैं। वैदिक वाङ्मय में पृथिवी पर भूकम्प के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है कि- **येषामज्मेषु पृथिवी जुजुवाँ इव विश्पतिः। भिया यामेषु रेजते (1.37.8)** अर्थात् मरुतों की गति से सारे पदार्थ फेंके जाने लगे। पृथिवी भी बूढ़े और जीर्ण राजा की भाँति कम्पित हो जाती है। एक मन्त्र में कहा गया है कि **अच्युता चिद वो अजन्मा नानदति पर्वतासो वन्स्पतिः। भूमिर्यामेषु रेजते (8.20.5)** अर्थात् हे मरुतों! तुम्हारे संग्राम जाते समय न गिरने वाले मेघ और वनस्पतियाँ बार-बार शब्द करते हैं, पृथिवी काँपती है। इन ऋचाओं से स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियों को पृथिवी के कम्पन (भूकम्प) तथा उससे होने वाली हानि का ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने कम्प रहित पृथिवी की कामना अनेक मन्त्रों में की है। भूकम्प पृथिवी के स्थलमण्डल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली तरङ्गों के कारण आता है। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि कुछ ही क्षणों में पूरे नगर को ध्वस्त कर सकते हैं।

भूकम्प के कारण भूकम्प के मूल्य कारण निम्नलिखित हैं-

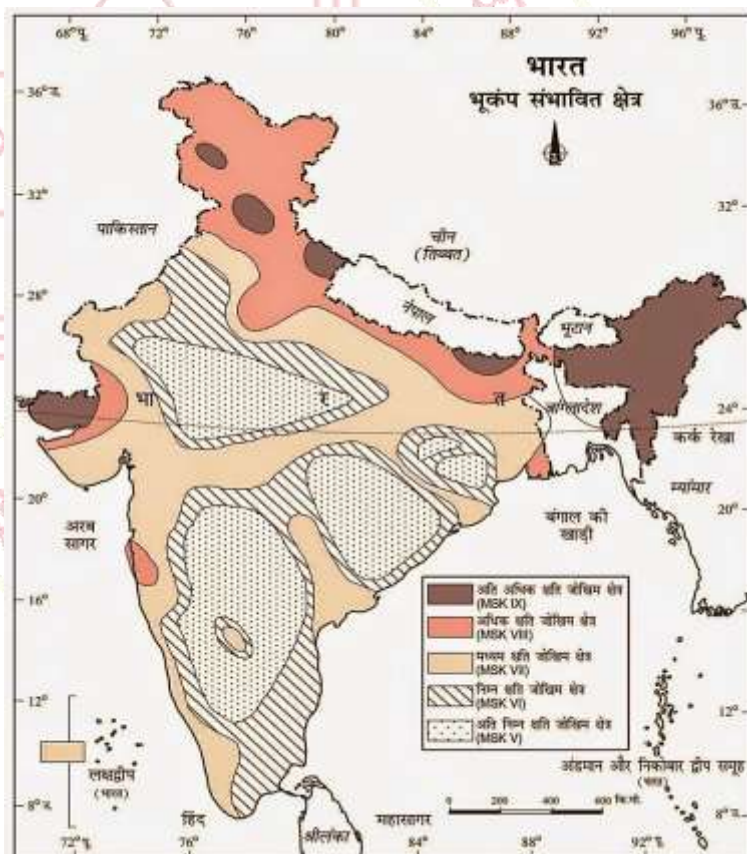
1. ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथिवी में होने वाले कम्पन कारण भूकम्प आता है।
2. पृथिवी के भीतर स्थित चट्टानें ताप और दाब के अधिकता के कारण वलित होते हुए अन्ततः टूट जाती है। यह भी भूकम्प का कारण है।
3. पृथिवी के प्लेटों के टकराने से भूकम्प आता है।
4. हिम खण्डों, शिलाओं के खिसकने तथा गुफाओं या खानों की छतों के गिरने से भी भूकम्प आता है।
5. सागरों एवं महासागरों के असन्तुलित दबाव के कारण भूकम्प आते हैं।

इनके अतिरिक्त खनन क्रिया, अति भू-जल दोहन, बाँधों का निर्माण, परमाणु विस्फोट एवं भूमिगत परमाणु परीक्षण आदि भी भूकम्प के प्रमुख कारण हैं।

भारत के भूकम्प प्रभावित राज्य- भारत में विश्लेषण के आधार पर पाँच भूकम्पिय क्षेत्रों- अत्यधिक क्षति

और जोखिम वाले क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम वाले क्षेत्र में विभाजित किया गया है।

भूकम्प भारत के लगभग सभी राज्यों में आते हैं परन्तु कुछ राज्य भूकम्प से विशेष रूप से प्रभावित हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल का दार्जिलिंग उपमण्डल तथा उत्तर-पूर्व के सात राज्य (असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा) भूकम्प से सर्वाधिक प्रभावित रहते हैं।



मानचित्र- 6.1 भारत में भूकम्प प्रभावित क्षेत्र

भूकम्प के विनाशकारी प्रभाव प्राणी जगत पर पड़ता है। इसके द्वारा हमें पृथिवी की आन्तरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। भूकम्प के कारण ही अनेक प्रकार के द्वीपों एवं महाद्वीपों का निर्माण होता है। भूकम्प के कारण अनेक मानवीय एवं प्रकृतिक अवसंरचनाओं का विनाश होता है। अन्य आपदाओं जैसे- बाढ़, ज्वालामुखी, भू-स्खलन आदि के आने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। भूकम्प के कारण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हानि होती है।

भूकम्प से बचाव के उपाय- देश में भूकम्प संभावित क्षेत्रों की सुभेद्यता का मानचित्र तैयार कर संभावित

सारणी 6.3		
भूकम्प के प्रभाव		
भूतल पर	मानवकृत ढाँचों पर	जल पर
दरारें, बस्तियाँ, भूस्खलन, द्रवीकरण, भू-दबाव, सम्भावित शृंखला प्रतिक्रिया	दरारें पड़ना, खिसकना, उलटना, आकुंचन, निपात, सम्भावित शृंखला प्रतिक्रिया	लहरें, जल-गतिशीलता, दबाव, सुनामी, सम्भावित शृंखला प्रतिक्रिया

जोखिम की सूचना लोगों तक पहुँचना तथा लोगों को इसके हानिकारक प्रभाव को कम करने के बारे में प्रशिक्षित करना। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भूकम्प रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। भूकम्प सम्भावित क्षेत्रों में विशाल

भवन, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भूकम्प सुभेद्य क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।

सुनामी- जापानी भाषा में तीव्र गति से चलने वाले समुद्री तूफान को सुनामी कहते हैं। ये बहुत लम्बी और सैकड़ों कि.मी. चौड़ी लहरें होती हैं। भूकम्प और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल होने के कारण महासागरीय जल में अचानक विस्थापन होता है। परिणामस्वरूप सागरों एवं महासागरों में ऊर्ध्वाधर तरङ्गें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें सुनामी या भूकम्पीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः सुनामी प्रशान्त महासागरीय तटों, अलास्का, जापान, फिलिपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप और मलेशिया में तथा हिन्द महासागर में म्याम्मार, श्रीलंका और भारत के तटीय क्षेत्रों में आती हैं। इससे इन महासागरों के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से जन-धन की हानि होती है।

सुनामी के कारण- महासागरीय भूकम्प, भूमि के धंसने, ज्वालामुखी विस्फोट और कभी-कभी उत्कापात आदि के कारण सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। 26 दिसम्बर, 2004 को इण्डोनेशिया में 8.9 तीव्रता वाला भूकम्प आया जिसके बाद समुद्र के भीतर उठी सुनामी ने भारत समेत अनेक देशों में भारी

तबाही हुई। इसके कारण लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई और भारी आर्थिक क्षति विश्व के अनेक देशों को उठाना पड़ा। यह एक अन्तार्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा है।

सुनामी से बचाव के उपाय-

1. भूकम्प व ज्वालामुखी आने के पश्चात् सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि इनके तुरन्त बाद तटीय क्षेत्रों में सुनामी की सम्भावना काफी अधिक होती है।
2. तटीय क्षेत्र के लोगों को ऊँचाई वाले स्थानों पर चले जाना चाहिए।
3. पशु-पक्षियों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं के आने के पूर्व ही हमें संकेत देते हैं।

चक्रवात- कम वायुमण्डलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। इनका क्षेत्र 30^0 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है। चक्रवात का मुख्य कारण निरन्तर पर्याप्त मात्रा उष्ण और आर्द्र वायु, तीव्र कोरियालिस बल, क्षोभ मण्डल में अस्थिरता, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति है। उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है।

समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की नमी से संतृप्त होकर संघनन से बादलों का निर्माण करती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती है। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर, घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ-साथ मूसलाधार बारिश करती हैं।

चक्रवात के परिणाम- प्रायद्वीपीय भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पैदा होते हैं। उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त उष्मा हैं। भारत में चक्रवात जैसे-जैसे बङ्गाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमजोर हो जाता है। प्रायः तटीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात 180 कि.मी. प्रति घण्टा की गति से टकराते हैं। चक्रवात के तूफानी क्षेत्र में समुद्रतल के असाधारण उभार को तूफान महोर्मि के नाम से जाना जाता है। इनसे तटीय क्षेत्रों की बस्तियों और खेतों के पानी में डूब जाने के कारण फसलों और अनेक प्रकार के मानव निर्मित ढाँचों का विनाश होता है।

चक्रवात से बचाव के उपाय- लोगों को चक्रवात से सम्बन्धित सूचनाएं टेलीविजन, रेडियों, इन्टरनेट, सोशल मीडिया आदि पर दी जानी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँच सकें। चक्रवात में हवा की गति 200 से 300 कि.मी. प्रति घण्टा होती है इसलिए घरों के खिड़की-दरवाजे इस समय बन्द

रखने चाहिए। चक्रवात के समय यात्रा करने से बचें। अधिक चक्रवात वाले क्षेत्रों के निवासियों को घर के नीचे बेसमेंट बनाना चाहिए।

बाढ़- नदियों या जलाशयों में अस्थायी अति जल प्रवाह होने के कारण आस-पास के भू-क्षेत्रों का अस्थायी रूप से जलमग्न होना बाढ़ कहलाता है। विश्व के विस्तृत भूभाग में बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं एवं भारी जनहानि होती है। परन्तु एशिया महाद्वीप के पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी देशों, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश हैं।

बाढ़ के कारण- तटीय क्षेत्रों में तूफान महोर्मि, लम्बे समय तक तेज बारिश, हिम का पिघलना, भूमि की अन्तःस्पन्दन दर में कमी आना, अधिक मृदा अपरदन, नदी के जल में जलोढ़ मृदा की मात्रा में वृद्धि होना आदि बाढ़ के प्रमुख कारण हैं। इनके अतिरिक्त बाढ़ के अन्य कारणों में वन और वनस्पतियों का तेजी से कटाई, जलवायु परिवर्तन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, निरन्तर बढ़ती जनसंख्या है।

भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य- असम, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश (मैदानी क्षेत्र), तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि हैं। बाढ़ से कृषि भूमि, मानव बस्तियों के डूबने और आधारभूत ढाँचों के नष्ट होने से देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ जैसे- हैजा, हेपेटाइटिस आदि जल जनित बीमारियाँ फैलती हैं।

भारत में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय- भारत में बाढ़ नियन्त्रण के लिये सन् 1954 ई. में राष्ट्रीय बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम (NFCP) प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबन्ध बनाना। नदियों के जलमार्गों को बेहतर बनाना। आस-पास के मानव बस्तियों के संरक्षण कार्यों बढ़ाते हुए बाढ़ को नियन्त्रित करना। वनीकरण व बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या पर नियन्त्रण लगाना रहा है। इस कार्यक्रम की आंशिक सफलता के बाद भारत में बाढ़ नियन्त्रण के उपायों का अध्ययन करने के लिये भारत सरकार ने सन् 1976 ई. में कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की थी। अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं जैसे- दामोदर घाटी, कोसी, भाखड़ा नांगल, हीराकुण्ड, नागार्जुन सागर, रिहंद परियोजना आदि ने बाढ़ नियन्त्रण में अहम भूमिका निभाई है।

सूखा- लम्बे समय तक अवर्षण, जल का अत्यधिक वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, और जलाशयों तथा भूमिगत जल की कमी होना सूखा कहलाता है। यह महिनो तक या वर्षों तक रह सकता है। निरन्तर सूखा पड़ने के कारण मृदा में नमी हो जाती है। वर्षा का अभाव, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, वर्षा जल का संग्रहण न करना, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियाँ आदि सूखा के प्रमुख कारण हैं।

भारत में सूखा ग्रस्त क्षेत्र- भारत कृषि का आधार मानसूनी वर्षा है। बाढ़ और सूखा हमारे जलवायु तन्त्र का प्रमुख तत्व है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग प्रतिवर्ष सूखे से प्रभावित रहता है। इसमें पश्चिमी राजस्थान, मध्यप्रदेश के ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आन्ध्रप्रदेश के अन्दरूनी भाग, कर्नाटक का पठार आदि अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में आते हैं।

सूखे के परिणाम- सूखे के कारण मरुस्थल का प्रसार होता है। जल के अभाव में जैव विविधता अन्य



मानचित्र-6.2 सूखा प्रवण क्षेत्र मानचित्र

स्थानों को पलायन कर जाती है तथा पारितन्त्र में खाद्य के लिए भारी प्रतिद्वन्द्विता होती है। सूखे की स्थिति में कृषि उत्पादन घट जाता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोग पलायन करने लगते हैं। मरुस्थल तथा अर्द्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्कता के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। स्वच्छ पेयजल के अभाव में अनेक रोग होते हैं।

सूखा रोकने के उपाय- सिंचाई को सूखा रोकने के सबसे प्रभावी तन्त्र

और कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने के बड़े उपाय के रूप में जाना जाता है। जल भण्डारण के लिये बाँधों का निर्माण करने से सिंचाई करने की सुविधा मिलती है। सूखे की समस्या से निपटने और नदियों को सदानीरा बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा 2019 ई. में जल शक्ति मन्त्रालय का गठन किया गया। इस मन्त्रालय पर अन्तरराष्ट्रीय और अन्तरराज्यीय जल विवाद, नमामि गंगे परियोजना, गङ्गा और अन्य नदियों को साफ करने और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है।

भूस्खलन- मिट्टी, चट्टानों और वनस्पतियों का समूह ढाल प्रवणता या पृथिवी की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पर नीचे की ओर खिसकना, भू-स्खलन कहलाता है। भू-स्खलन की घटनाएँ प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं।

भूस्खलन के कारण- तीव्र पर्वतीय तथा समुद्र तटीय ढाल, वर्षा जल, अपक्षय, अपरदन, भूकम्प, ज्वालामुखी, मानव क्रियाकलापों जैसे सड़क और बांध निर्माण आदि भू-स्खलन के प्रमुख कारण हैं।

भारत में भूस्खलन वाले क्षेत्र- भूविज्ञान, भूआकृतियाँ, ढाल, उपयोगी भूमि, वनस्पति आवरण और

इसे भी जाने-

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में आपदा को प्राकृतिक या मानवकृत महाविपत्ति, संकट अथवा गम्भीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भारत में आपदा प्रबन्धन का शीर्ष निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) है।

मानवीय क्रिया-कलाप के आधार पर भारत में भूस्खलन वाले क्षेत्रों को पाँच भागों में विभाजित किया गया है- अति सुभेद्यता क्षेत्र, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, मध्यम सुभेद्यता क्षेत्र, कम सुभेद्यता क्षेत्र और अन्य सुभेद्यता क्षेत्र। हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाओं, अण्डमान

और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, भूकम्प प्रभावी क्षेत्रों में अधिक भू-स्खलन होता है।

भू-स्खलन के परिणाम- भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है। इसके कारण सड़क मार्ग में अवरोध, रेलपटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रूकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भू-स्खलन की वजह से नदी के रास्तों में बदलाव से बाढ़ आ सकती है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

भू-स्खलन रोकने के उपाय- भू-स्खलन वाले क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने तथा निर्माण कार्य व विकास कार्यों पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। बृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानान्तरित कृषि वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. भारत में सुनामी.....में आयी थी।
अ. 2004 ई. ब. 2011 ई. स. 1948 ई. द. 1988 ई.
2. निम्न में वायुमण्डलीय आपदा.....है।
अ. सूखा पड़ना ब. बाढ़ स. भूकम्प द. ये सभी
3. भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई है-
अ. 1981 में ब. 1982 में स. 1983 में द. 1984 में
4. भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना.....में की गई थी।
अ. 1971 ई. ब. 1976 ई. स. 1977 ई. द. 1978 ई.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. सुनामी आपदा है। (मानवजनित/प्राकृतिक)

2. जल की से मरुस्थल का प्रसार होता है। (कमी/अधिकता)
3. भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम.....में प्रारम्भ किया गया। (1954 ई./1974 ई.)
4. भारत में जल शक्ति मन्त्रालय का गठन.....में किया गया। (2014 ई./2019 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. राजस्थान देश में सूखा प्रभावित राज्यों में शामिल नहीं है। (सत्य/असत्य)
2. पृथिवी की सतह में कम्पन को भूकम्प कहते हैं। (सत्य/असत्य)
3. वर्ष 2004 में इण्डोशिया में भयंकर सुनामी आई। (सत्य/असत्य)
4. भारत में आपदा प्रबन्धन का शीर्ष निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. वायुमण्डलीय आपदा	क. ज्वार भाटा
2. भौतिक आपदा	ख. डेंगू बर्ड फ्लू
3. जलीय आपदा	ग. भूस्खलन
4. जैविक आपदा	घ. तड़ित झन्झा

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. आपदा किसे कहते हैं ?
2. भारत में भूकम्प प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए।
3. सुनामी किसे कहते हैं ?
4. भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. भूकम्प के कारण और उससे बचाव के उपाय बताइए।
2. बाढ़ के कारणों का उल्लेख कीजिए।
3. सूखा नियन्त्रण के उपाय बताइए।
4. भूस्खलन और उसके कारण बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. बाढ़ किसे कहते हैं? भारत में बाढ़ नियन्त्रण के उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
2. भूस्खलन के कारण, परिणाम और उपायों का उल्लेख कीजिए।

परियोजना-

1. भारत के मानचित्र में भूकम्प, बाढ़, सूखा और सुनामी के प्रभाव वाले क्षेत्रों को दर्शाइए।



अध्याय - 7

प्रारम्भिक समाज

(360 लाख वर्ष से प्रथम ई. पू. वर्ष तक)

इस अध्याय में- प्रारम्भिक समाज, जीवाश्म, मानव के क्रमिक विकास की कहानी, प्रारम्भिक मानव का जीवन, आवास, औजार, सञ्चार के माध्यम, मेसोपोटामिया का भूगोल, नगरीकरण, व्यापार, लेखन कला का विकास, दक्षिणी मेसोपोटामिया का नगरीकरण, मन्दिर और राज।

प्रारम्भिक समाज- आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक गुफाओं, जंगलों अथवा कामचलाऊ घरों-आसनों तथा शिलाश्रयों में रहने वाला मानव ने आगे चलकर, गाँवों और नगरों में कैसे रहना शुरू किया था? लगभग दस हजार वर्ष पूर्व मानव ने धीरे-धीरे खानाबदोश जीवन को त्यागकर, खेती करने के लिए एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया था। मानव विज्ञानियों का मानना है कि आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पृथिवी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ था, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं लेकिन कालान्तर में ये लुप्त हो गए थे। आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हुई थी। आधुनिक मानव के उत्पत्ति काल से लेकर लगभग 8000 ई.पू. तक मानव विकास का इतिहास अनेक उतार-चढ़ावों से भरा रहा है। उस समय मानव अपनी उदर पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करके, पेड़-पौधों से कन्दमूल, फल और बीज आदि पर निर्भर था। सभ्यता के विकास क्रम में मानव ने धीरे-धीरे आपस में बातचीत करना और पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी विभिन्न खोजों से प्राप्त जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों आदि से मिलती है।

जीवाश्म- मानव का क्रमिक विकास हुआ है, जिसके साक्ष्य हमें मानव प्रजातियों के प्राप्त जीवाश्मों से मिलता है। किसी भी विलुप्त जन्तु या पौधे के किसी समय जीवित होने का प्रमाण जीवाश्म है। एक ही समूह के नर और मादा के प्रजनन से प्राप्त सन्तति 'प्रजाति' कहलाती है। प्रजाति की मुख्य विशेषता यह है कि किसी एक प्रजाति के सदस्य भिन्न प्रजाति में संभोग नहीं करते हैं।

इसे भी जाने-

- लाखों-करोड़ों वर्षों पूर्व जो जीव-जन्तु एवं पेड़-पौधे भूमि में दब गए, उनके अवशेष या चिन्ह जो खुदाई के दौरान पाये जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहा जाता है।

मानव के क्रमिक विकास की कहानी-

1. आधुनिक मानव के पूर्वज- मानव विकास की कहानी बहुत लम्बी है। मानव की उत्पत्ति के सन्दर्भ में यदि बात की जाए तो पता चलता है कि एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव सर्वप्रथम हुआ। लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट श्रेणी में एक उप-समूह उत्पन्न हुआ, जिसे होमिनाइड कहा गया था। इस उप-समूह में 'वानर' यानि 'एप' शामिल थे और लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व हमें प्राणियों के अस्तित्व के प्रमाण मिले थे। होमिनिड वर्ग, होमिनाइड



चित्र- 7.1- क्षेत्रीय निरन्तरता
व प्रतिस्थापन मॉडल

उपसमूह से ही विकसित हुए। होमिनिड व होमिनाइडों में समानताओं के साथ-साथ अन्तर भी थे, जैसे- होमिनिडों का मस्तिष्क होमिनाइडों से बड़ा होता था। होमिनिड दोनों पैरों से सीधे होकर चलते थे, उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे, जबकि होमिनाइडों चारों हाथ-पैरों से चलते थे लेकिन उनका अगला हिस्सा लचकदार होता था। होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। ये **होमिनिडे** नामक परिवार के सदस्य होते थे। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को 'जीनस' कहते हैं। इन शाखाओं में **आस्ट्रेलोपिथिकस** और **होमो** अधिक महत्वपूर्ण हैं। आस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कई अन्तर थे, जैसे- दोनों के मस्तिष्क, जबड़े और दाँतों में अन्तर। आस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा अधिक बड़ा होता था। इनके जबड़े तथा दाँत भी अधिक बड़े

होते हैं। यद्यपि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बाँटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग-अलग नाम दिए हैं, जैसे - होमो हैबिलिस (औजार बनाने वाले), होमो एरेक्टस (सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले) और होमो सैपियंस (प्राज्ञ या चिन्तनशील मानव)।

2. **आधुनिक मानव-** आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? इस विषय पर दो मत सर्वाधिक प्रचलित हैं और ये दोनों मत एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पहला मत क्षेत्रीय निरन्तरता मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। इस मत के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे-धीरे हुआ था। दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कही भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया था।

इसे भी जाने-

- होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से मिले हैं। होमो एरेक्टस के जीवाश्म एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों से प्राप्त हुए हैं। होमो सैपियंस के जीवाश्म यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुए हैं।
- स्तनधारी प्राणियों के विशाल समूह का एक उपसमूह प्राइमेट कहलाता है। इस समूह के सदस्यों के शरीर में बाल होते हैं, जैसे- मानव, वानर आदि।
- बन्दरों से विशाल शरीर वाले और भिन्नता रखने वाले जीवों को होमोनॉइड कहा जाता था। इस प्रकार के जीवों के पूँछ नहीं होती है।
- हिन्दी भाषा में जीनस को वंश कहते हैं

मानव की उत्पत्ति-

प्राइमेट श्रेणी

होमिनिड

आस्ट्रेलोपिथिकस (लुप्त)

होमो हैबिलिस

होमो

होमो एरेक्टस

होमो सैपियंस

वैदिक संस्कृति के अनुसार मानव का निर्माण ईश्वर द्वारा विचार पूर्वक योजनाबद्ध रीति से किया गया है, जो ईश्वर निर्मित होने के कारण सुर (देवता) कहलाये। वे मानव सुन्दर, सुदृढ, सर्वगुण सम्पन्न, बुद्धिमान और कार्य कुशल थे। धीरे-धीरे कलह और मतभेद बढ़ने के कारण मानव में दैवीय गुणों का लोप हुआ, जिसके कारण मूल अभिव्यक्त दैवीय गुणों वाले मानव कुटुम्बों में विभक्त समूह यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि कहलाए थे। दूसरा समूह जो क्रूर अत्याचारी, क्रोधी और दुष्ट प्रकृति के थे, वे असुर, राक्षस, दानव, दैत्य समूह आदि कहलाए थे।

प्रारम्भिक मानव का जीवन- आदिमानव समूह बनाकर, जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना यही उसकी जीवनचर्या थी। इस समय मानव ने पत्थरों से आग जलाना सीख लिया था। वह जंगली जानवरों के भय से गुफाओं के बाहर आग



जलाकर अपनी रक्षा करता था। मानव इस काल में पत्थरों से औजार और बर्तन बनाता था, इसलिए

इसे भी जाने-

- **संग्रहण-** संग्रहण का सामान्य अर्थ होता है, इकट्ठा करना। आदिमानव विभिन्न स्रोतों, जैसे- फल, बीज, गुठलियां, कंदमूल आदि को अपने भोजन हेतु इकट्ठा करता था।
- **शिकार-** आदिमानव शिकार द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त करता था। इसके हमें कई प्रमाण मिले हैं। वह जानवरों को मारकर या किसी कारणवश मरे जानवरों के मांस को खुरचकर खाने लगा था। मछली पकड़ना भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। अनेक पुरास्थलों से मछलियों की हड्डियां व उनसे सम्बन्धित चीजे प्राप्त हुई हैं।
- **अपमार्जन-** अपमार्जन से आशय है त्यागी हुई या छोड़ी गई वस्तुओं की सफाई करना है।

आदिमानव काल को पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहते हैं। आदिमानव भोजन प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न विधियों का प्रयोग करता था, जिनमें मुख्य विधियाँ संग्रहण, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना आदि हैं। आदिमानव के लिए जानवर चलते – फिरते खाद्य भण्डार हुआ करते थे।

पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास- आदिमानव का जीवन प्रायः एक जंगली प्राणी की तरह था। वह अपने तन को सर्दी, गर्मी या वर्षा से बचाने के लिए ताड़ के पत्तों या जानवरों की खाल से ढँकते थे। प्रारम्भिक मानव के विकास के प्रथम काल को पाषाणकाल कहा जाता है, इस

काल में मानव अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को पत्थर से बनाता था। आदिमानव ने पत्थरों को आपस में टकराकर आग जलाना सीखा था। आग की खोज से मानव जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए थे। पत्थर के बाद उसने ताँबे के औजारों का निर्माण किया। संभवतः आदिमानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु ताँबा ही था।

अपने पेट पालन व जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु आदिमानव समूह में रहने लगे। मानव का यही सामूहिक सुरक्षा का स्वभाव परिवार तथा समाज के रूप में देखने को मिला। अब मानव ने पत्थरों को काटकर गुफाओं में रहना शुरू किया। कालान्तर में वह विभिन्न प्रकार के आवासों के निर्माण में दक्ष हुआ। इन्हें 'पाषाण आश्रय' या 'शैलाश्रय' कहा जा सकता है। गुफाओं के अतिरिक्त मानव अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों पर भी अपने आवास बनाकर रहता था।

इसे भी जाने-

- मध्यप्रदेश में भीमबेटका नामक जगह पर गुफाओं की खोज 1977 ई. में पहली बार की गई थी। यहाँ सात पहाड़ियों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जहाँ लगभग 500 गुफाएँ या शैल आश्रय हैं, जिनमें कभी लोग रहते थे।

प्रारम्भिक मानव के औजार- प्रारम्भिक मानव पत्थरों, लकड़ी, जानवरों की हड्डियों व सींगों से अपने औजारों का निर्माण करता था। पत्थरों के औजार अधिकतर चकमक पत्थरों से बनाये जाते थे। इन

औजारों में हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, हशियाँ, भाला वसूले आदि प्रमुख थे। अपनी प्रारम्भिक अवस्था में मानव बिना हथ्थे के औजार प्रयोग में लेता था। तत्पश्चात वह लकड़ी के हथ्थे लगाकर इनका प्रयोग किया जाने लगा था। आगे चलकर जब मानव ने धातु की खोज कर ली, तो उसने धातु के औजार बनाना भी सीख लिया था। वह इन औजारों का प्रयोग शिकार करने व जानवरों से अपनी रक्षा के अतिरिक्त माँस काटने, लकड़ी काटने, कन्दमूल खोदने आदि में करता था। मानव में

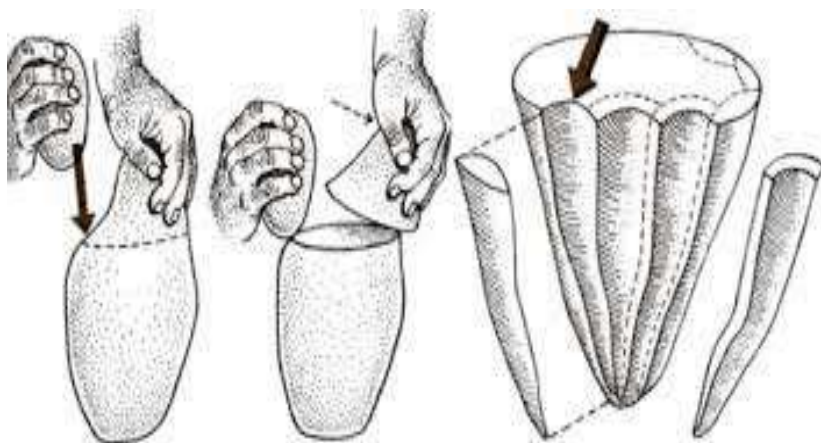


चित्र- 7.2 प्रारम्भिक मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले औजार

औजार बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त विशेषताएँ होती हैं, जो अन्य प्राणियों में नहीं पायी जाती थीं। कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और सम्भवतः स्नायुतन्त्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ था। लगभग 35000 वर्ष पूर्व वन्य जीवों के शिकार की विधियों में परिवर्तन होने लगा था। अब फेंक कर चलाने वाले भालों और तीर कमान जैसे नए प्रकार के औजार बनाए जाने लगे थे। इसके बाद प्रारम्भिक मानव के जीवन में और परिवर्तन हुए थे, जैसे- समूरवाले जानवरों को पकड़कर, उनकी समूरवाली खाल को कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना आदि थे। छैनी या रूखानी जैसे छोटे-छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल होने लगा था। इन सुक्ष्म औजारों से हड्डी, हाथी दाँत या लकड़ी पर नक्काशी व कुरेदना अधिक आसान हो गया था।

प्रारम्भिक मानव के सम्प्रेषण एवं सञ्चार के माध्यम-भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखता है। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा विकास के यहाँ कई मत हैं जैसे – होमिनिड भाषा में अङ्ग विक्षेप अर्थात् हाव-भाव या हाथों का सञ्चालन शामिल था तो, उच्चरित भाषा से पूर्व गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक सञ्चार का प्रयोग होता था, तीसरे मत के अनुसार मनुष्य की वाणी का प्रारम्भ सम्भवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था जैसा कि मानव व अन्य जीवों में देखा जाता है। भाषा व कला के विकास के कारण अब मानव बस्तियों में रहने लगा था। इसके पश्चात धीरे- धीरे बस्तियाँ नगरों में परिवर्तित होने लगी थीं। जिसका अध्ययन एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के अन्तर्गत करेंगे।

मेसोपोटामिया का भूगोल- मेसोपोटामिया अपनी सम्पन्नता, विशाल और समृद्ध साहित्य, शहरी जीवन,



चित्र- 7.3 पंच ब्लेड तकनीक

खगोल विद्या आदि के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान इराक गणराज्य का यह भाग दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित होने के कारण बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। मेसोपोटामिया में 7000 से 6000 ई.पू. के मध्य कृषि कार्य प्रारम्भ हो चुका था।

पशुपालन से यहाँ के निवासी

दूध, ऊन व मांस की प्राप्ति करते थे। नगरीय जीवन का प्रारम्भ मेसोपोटामिया से माना जाता है। यहाँ पुरातत्वीय खोजों का प्रारम्भ 1840 ई. के दशक में हुआ था।

नगरीकरण का महत्त्व- नगर व्यापार, उत्पादन और कई प्रकार की सेवाओं के महत्त्वपूर्ण केन्द्र होते हैं, किन्तु नगर के लोग कई प्रकार की सेवाओं के लिए गाँवों पर आश्रित रहते थे। नगर आर्थिक गतिविधियों के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। गाँवों व कस्बों से आने वाले जरूरतमन्द लोगों को यहाँ आसानी से रोजगार मिल जाता था।

नगरीय व्यापार- मेसोपोटामिया में आवश्यकता के लिए ताँबा, चाँदी, सोना, राँगा, सीपी व विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ईरान, भारत आदि देशों से मंगवाया जाता था। इसके बदले कपड़ा और अन्य कृषि-जन्य उत्पाद यहाँ से निर्यात किये जाते थे। नगरों के विकास में कुशल परिवहन व्यवस्था भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेसोपोटामिया व उसके आस-पास

इसे भी जाने-

- सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है।
- मानव विज्ञान- इसे अंग्रेजी में एन्थ्रोपोलॉजी कहा जाता है। यह ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकास का अध्ययन किया जाता है।

के क्षेत्रों में माल परिवहन का सबसे उत्तम साधन नहरें व प्राकृतिक जलधाराएँ थी।

लेखन कला का विकास- मेसोपोटामिया से जो प्रारम्भिक पट्टिकाएँ प्राप्त हुई हैं, उनका समय लगभग 3200 ई.पू. का है। यहाँ के निवासी लेखन के लिए मिट्टी से निर्मित पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 500 सूचियाँ मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। यहाँ की सबसे

पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी, जिसका स्थान 2400 ई. पू. के पश्चात अकदी भाषा ने ले लिया था।

इसे भी जाने-

- कीलाकार लिपि में चिकनी मिट्टी की गीली पट्टीका पर दोनों ओर कीलनुमा सरकंडों आदि से लेखन कार्य किया जाता था। कीलाक्षर लिपि को 1850 ई. में पढ़ा गया था।

लेखन कार्य का प्रारम्भ समाज के लोगों के स्थायी हिसाब-किताब रखने से हुआ था।

लेखन प्रणाली- मेसोपोटामिया के लिपिक को लेखन कार्य के लिए सैकड़ों चिह्नों को सीखना पड़ता था और उसे गीली पट्टी पर इसके सूखने से पूर्व ही लिखना होता था। लेखन कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। मेसोपोटामिया

की अधिकांश आबादी साक्षर नहीं थी।

लेखन का विकास- मेसोपोटामिया में एक सुन्दर नगर

‘उरुक’ था। वहाँ के प्रसिद्ध शासक एनमर्कर का वर्णन एक सुमेरियन महाकाव्य में मिलता है। कहा जाता है कि एनमर्कर ने अपने दूत को अरट्टा के शासक के यहाँ लाजवर्द व अन्य बहुमूल्य रत्न व धातुएँ लाने के लिए भेजा। परन्तु दूत द्वारा अपनी बात वहाँ के शासक के समक्ष अच्छे से नहीं रख पाने के कारण वह खाली हाथ वापस लौट आया था। तब एनमर्कर ने अपने हाथ से



चित्र- 7.4 कीलाकार लिपि

चिकनी मिट्टी की पट्टीका बनाई और उस पर अपनी बात लिखी थी। मेसोपोटामिया में यहीं से लेखन कला का आरम्भ कीलाकार लिपि के रूप में माना जाता है।

दक्षिणी मेसोपोटामिया का नगरीकरण, मन्दिर और राज- दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास

इसे भी जाने-

- वर्तमान में वर्ष का 12 माह में, महिना का चार हफ्तों में, एक दिन का 24 घण्टे में तथा एक घण्टे का 60 मिनट में विभाजन आदि हमें मेसोपोटामियाँ से प्राप्त हुआ है।
- समय का यह विभाजन सिकन्दर के उत्तराधिकारियों से रोम तथा इस्लामिक देशों से होता हुआ यूरोप पहुँचा।

लगभग 5000 ई पू. से होने लगा था। धीरे-धीरे इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन नगरों का रूप ले लिया था। नगर के कई प्रकार होते थे, जैसे- मन्दिरों के चारों ओर विकसित हुए नगर और व्यापार के केन्द्रों के रूप में विकसित नगर। राजकीय नगरों को शाही नगर कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता की खुदाई में एक देवालय मिला है, जो कच्ची ईंटों से

बना था। उस समय मन्दिरों में विभिन्न प्रकार के देवी-देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ के निवासी देवी-देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली आदि लाते थे। इन उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि मैसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन



चित्र- 7.5 मैसोपोटामिया में उत्खनन से प्राप्त 3000 ई. प. का एक मन्दिर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का अङ्ग थी। पुरातात्विक स्रोतों से पता चला है कि मैसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रान्त वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। मैसोपोटामिया का एक प्रसिद्ध नगर 'कर' भी था, जहाँ सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हुआ। परन्तु यह मोहनजोदड़ो के समान व्यवस्थित (नगर-योजना) नहीं था। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में अत्यधिक विकसित हुआ। यहाँ किसान व पशुचारक दोनों तरह के लोग रहते थे। इस प्रदेश के अधिकांश भाग का उपयोग चारागाह के रूप में होता था। मैसोपोटामिया के निवासी नगरीय जीवन को अधिक महत्त्व देते थे। 'गिल्गेमिश' महाकाव्य में बताया गया है कि यहाँ के निवासियों को अपने नगरों पर अत्यधिक गर्व था।

सारणी 7.1

काल-रेखा-1 प्रारम्भिक मानव के विकास से मैसोपोटामिया की सभ्यता तक

360-240 लाख वर्ष पूर्व	प्राइमेट युग
240 लाख वर्ष पूर्व	होमोनाइड युग
26-25 लाख वर्ष पूर्व	पत्थर के औजारों का आविष्कार
3 लाख वर्ष पूर्व	शव दफनाने का प्रथम साक्ष्य
1.9-1.6 लाख वर्ष पूर्व	होमो सैपियन्स
2-1.3 लाख वर्ष पूर्व	नर्मदा घाटी में आद्य होमो सैपियन्स की खोपड़ी
5000 ई.पू.	मैसोपोटामिया में मन्दिर निर्माण
1000 ई. पू.	लोहे का प्रयोग
326 ई. पू.	सिकन्दर की मृत्यु
100 ई. पू.	यूनानी साम्राज्य का विभाजन



प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. प्राइमेट उप समूह में शामिल है।
अ. मानव ब. वानर स. लंगूर द. उपर्युक्त सभी
2. होमो सैपियंस..... से आशय है।
अ. औजार बनाने वाले ब. खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले
स. बड़े सिर वाले स. प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य
3. भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं भारत के राज्य में स्थित हैं।
अ. गुजरात ब. छत्तीसगढ़ स. मध्यप्रदेश द. राजस्थान
4. मेसोपोटामिया वर्तमान में गणराज्य का हिस्सा है।
अ. ईरान ब. इराक स. सउदी अरब द. भारत
5. मेसोपोटामिया में परिवार प्रणाली प्रचलित थी।
अ. एकल परिवार ब. संयुक्त परिवार
स. उपर्युक्त दोनों द. कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति करो-

1. मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा थी। (सुमेरियन/अकदी)
2. होमिनिडो का उद्भव.....में हुआ था। (अफ्रीका/ अमेरीका)
3. मानव का प्रादुर्भाव वर्ष पूर्व हुआ। (56 लाख/60 लाख)
4. मेसोपोटामिया की पुरातत्वीय खोजों का प्रारम्भ.....के दशक में हुआ था। (1840 ई./1931 ई.)

सत्य/असत्य लिखिए-

1. मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों के मध्य स्थित है। सत्य/असत्य
2. प्राणियों की प्राइमेट श्रेणी का उद्भव उत्तरी अमेरिका में हुआ। सत्य/असत्य
3. होमिनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ। सत्य/असत्य
4. पुरातात्विक स्थल भीमबेटका मध्यप्रदेश राज्य में है। सत्य/असत्य

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. होमोनिड का उद्भव कब हुआ था ?
2. पाषाणकाल की परिभाषा लिखिए।

3. मेसोपोटामिया में कृषि का प्रारम्भ कब हुआ था?
4. मेसोपोटामिया में किन-किन धातुओं का आयात होता था?
5. कौन सा प्रसिद्ध नगर शाही राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

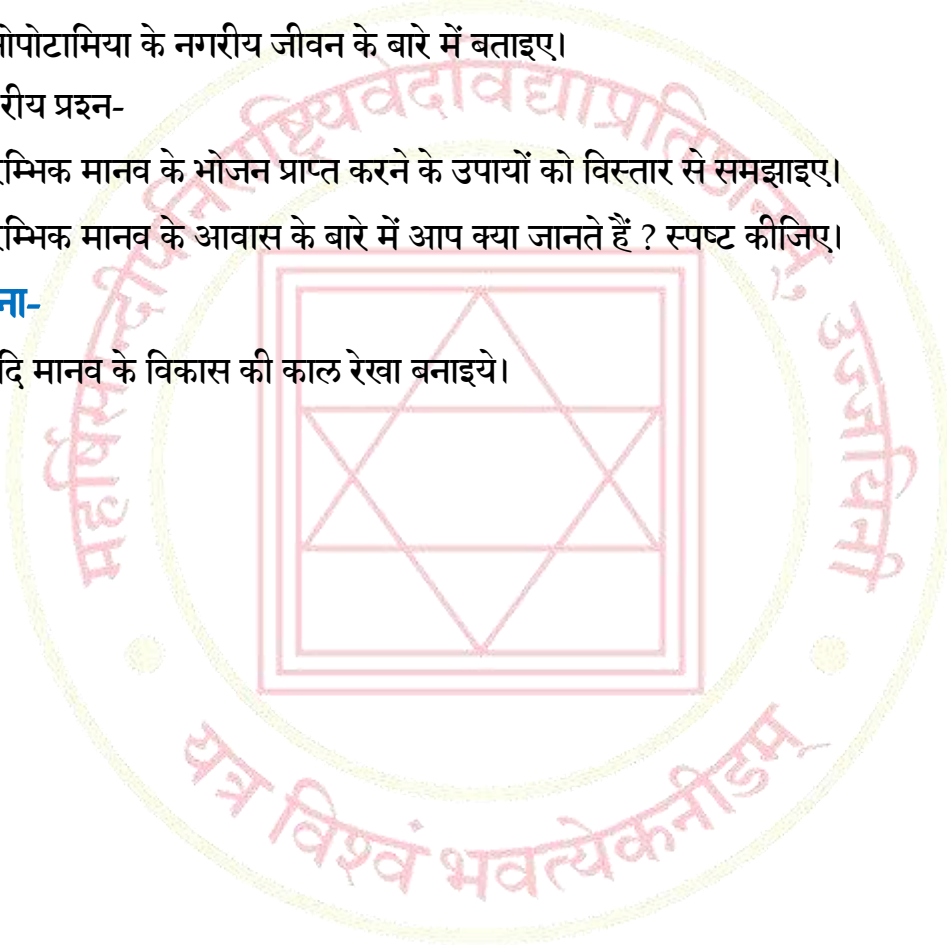
1. जीवाश्म किसे कहते हैं ?
2. आग ने किस प्रकार मानव को प्रभावित किया ?
3. आदिमानव औजारों का प्रयोग किन कार्यों के लिए करता था ?
4. मेसोपोटामिया के नगरीय जीवन के बारे में बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. प्रारम्भिक मानव के भोजन प्राप्त करने के उपायों को विस्तार से समझाइए।
2. प्रारम्भिक मानव के आवास के बारे में आप क्या जानते हैं ? स्पष्ट कीजिए।

परियोजना-

1. आदि मानव के विकास की काल रेखा बनाइये।



अध्याय- 8

विश्व के प्रमुख साम्राज्य (100 ई.-1300 ई.तक)

इस अध्याय में- रोम साम्राज्य, आरम्भिक काल, रोमन समाज, आर्थिक विस्तार, परवर्तीकाल, अरब में इस्लाम का उदय, खलीफाओं का शासन-विस्तार, गृहयुद्ध और सम्प्रदाय निर्माण, अब्बासी क्रान्ति, खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय, धर्मयुद्ध, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और संस्कृति, विश्व के सभी धार्मिक सम्प्रदायों का आधार 'सनातन धर्म', यायावर साम्राज्य, मंगोलों की सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि, चंगेजखान के बाद मंगोल।

मेसोपोटामिया की सभ्यता के पतन के पश्चात यूनानी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध यूनानी सम्राट सिकन्दर की मृत्यु(326 ई.पू.) के बाद विशाल यूनानी साम्राज्य का विभाजन होने के कारण यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशिया में कई साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। इन साम्राज्यों में रोम और इस्लामिक साम्राज्य प्रमुख थे।

रोम साम्राज्य- विशाल रोम (रोमन) साम्राज्य का विस्तार तीन महाद्वीपों में था। रोम साम्राज्य के अन्तर्गत वर्तमान यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बड़ा भाग सम्मिलित था। इस साम्राज्य के अन्तर्गत अनेक धार्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ से जुड़ी संस्थाओं का उदय हुआ था, जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिवर्तनों का कारण बनी थी। रोम साम्राज्य में अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग दास-श्रम के बल पर चलता था। इस साम्राज्य की जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त स्त्रोतों, पाठ्य-सामग्री, प्रलेख, भौतिक अवशेष आदि से मिलती है। रोम साम्राज्य को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा गया है-आरम्भिक व परवर्ती रोम साम्राज्य।

आरम्भिक काल- रोम साम्राज्य के आरम्भ में शासन की गणतन्त्र व्यवस्था प्रचलित थी। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ई. पू. में गणतन्त्र शासन व्यवस्था को समाप्त कर, राजतन्त्र की स्थापना की थी। रोमन साम्राज्य की पहली और दूसरी शताब्दियाँ शान्ति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। परन्तु तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य का विखण्डन प्रारम्भ हो गया था। ईरान के ससानी वंश और जर्मन मूल की जनजातियों ने इस पर अनेक बार आक्रमण कर, रोमन साम्राज्य के कई प्रांतों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था।

रोमन समाज- रोमन समाज में एकल परिवार प्रणाली का बोलबाला था। समाज में पुरुष वर्ग की प्रधानता

इसे भी जाने-

- रोमन साम्राज्य में तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कन्टेनरों के माध्यम से की जाती थी उनको 'एम्फोरा' कहा जाता था।

होने के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति अच्छी और उनको पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त था। विवाह के बाद भी पति-पत्नी दोनों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी। रोमन समाज में सांस्कृतिक एवं सामाजिक

विविधता बहुतायत से थी। इस साम्राज्य के आरम्भिक काल में समाज के प्रमुख तीन वर्ग सम्राट,

सारणी 8.1	
रोम साम्राज्य की प्रमुख घटनाएँ	
ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट ऑगस्टस बना और गणतन्त्र की समाप्ति	27 ई. पू.
यहूदी विद्रोह, रोमन सेनाओं का जेरूसलम पर अधिकार	66-77 ई.
ईरान में सासानी वंश की स्थापना	224 ई.
कॉन्स्टैन्टाइन रोम साम्राज्य का एकमात्र शासक, कुंस्तुनतुनिया नगर की स्थापना	324 ई.
अरबों की सीरिया, फिलिस्तीन, मिश्र, इराक, ईरान आदि पर महत्वपूर्ण विजय	633-42 ई.
स्पेन पर अरबों का आक्रमण	711 ई.

अभिजात वर्ग व सेना थे। कालान्तर में समाज कई सामाजिक श्रेणियों में विभाजित हो गया था- प्रथम



मानचित्र- 8.1 रोम साम्राज्य



वर्ग सैनेटर व अश्वारोही था जो जनता का सम्मानित वर्ग था। इनका सम्बन्ध महान घरानों से होता था। द्वितीय वर्ग फूहड व निम्नस्तर वर्ग अर्थात् कमीनकारु था, जो सर्कस, थियेटर, और तमाशे देखने का आदी था। तृतीय वर्ग दास वर्ग था। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का बोलबाला था। दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। दासों को पूँजी निवेश का माध्यम माना जाता था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख से अधिक दास थे। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा लातिनी थी। फिर भी इसके पूर्व के क्षेत्रों में अरामाईक, उत्तर पश्चिम में कैल्टिक, मिश्र में काप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक भाषा का प्रचलन था।

आर्थिक विस्तार- रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से अत्यधिक सुदृढ़ था। यहाँ का अधिकांश भाग कृषि के लिए उपयुक्त था। इसके अतिरिक्त यहाँ ईंट भट्टे, जैतून के तेल के कारखाने, बन्दरगाह आदि थे। जिनका यहाँ की आर्थिक समृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान था। व्यापार व बैंकिंग व्यवस्था यहाँ उत्तम व श्रेष्ठ थी।

परवर्ती पुराकाल- परवर्ती काल, रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अन्तिम कहानी का वर्णन करता है, जो मुख्य रूप से चौथी से सातवीं शताब्दी तक पल्लवित हुई थी। उस समय

सारणी 8.2	
अरब साम्राज्य की प्रमुख घटनाएँ	
पैगम्बर मुहम्मद का जन्म	570 ई.
पैगम्बर मुहम्मद का प्रथम धर्म उपदेश	610-12 ई.
मक्का से मदीना यात्रा (हिजरत)	622 ई.
उमय्यद शासन	661- 750 ई.
अब्बासी शासन	750-945 ई.
धर्मयुद्ध	1095- 1291 ई.
मंगोलों का बगदाद पर अधिकार	1258 ई.

यहाँ के निवासी बहुदेववादी थे। उनके प्रमुख देवी-देवताओं में जूनों, जूपिटर, मिनर्वा, मॉर्स आदि थे। रोम साम्राज्य के इस काल में सांस्कृतिक स्तर पर लोगों में धार्मिक परिवर्तन हुए थे, जिनमें सम्राट कॉन्स्टैन्टाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज धर्म बनाना और सातवीं सदी में अरब में इस्लाम का उदय था, जो बाद में रोम साम्राज्य का पतन का कारण बना था।

अरब में इस्लाम का उदय- 600 ई. से 1200 ई. के मध्य तक मिश्र से अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इस्लाम के उदय से पूर्व अरेबियन समाज कई कबीलों में बँटे हुए थे। इन कबीलों में बहुदेववाद और मूर्तिपूजा का प्रचलन था इसलिए इस काल में यहाँ के कबीलों में आपस में झगड़े होने के कारण अशान्ति हो गई थी। पैगम्बर मुहम्मद ने समाज में एकता स्थापित करने के लिए, एक ईश्वर, अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया था। यही इस्लाम का मूल था। मुहम्मद साहब को विश्व इतिहास के महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। 612 ई. में पैगम्बर मुहम्मद ने अपने आप को खुदा (ईश्वर) का संदेशवाहक घोषित किया था। 622 ई. में समृद्ध लोगों के विरोध के कारण इनको अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था। मुहम्मद साहब के धर्म- सिद्धान्त को स्वीकार करने वाले अनुयायियों को मुसलमान (मुस्लिम) कहा जाता था।

खलीफाओं का शासन-विस्तार, गृहयुद्ध और सम्प्रदाय निर्माण- 632 ईस्वी में पैगम्बर मुहम्मद के निधन

इसे भी जाने-

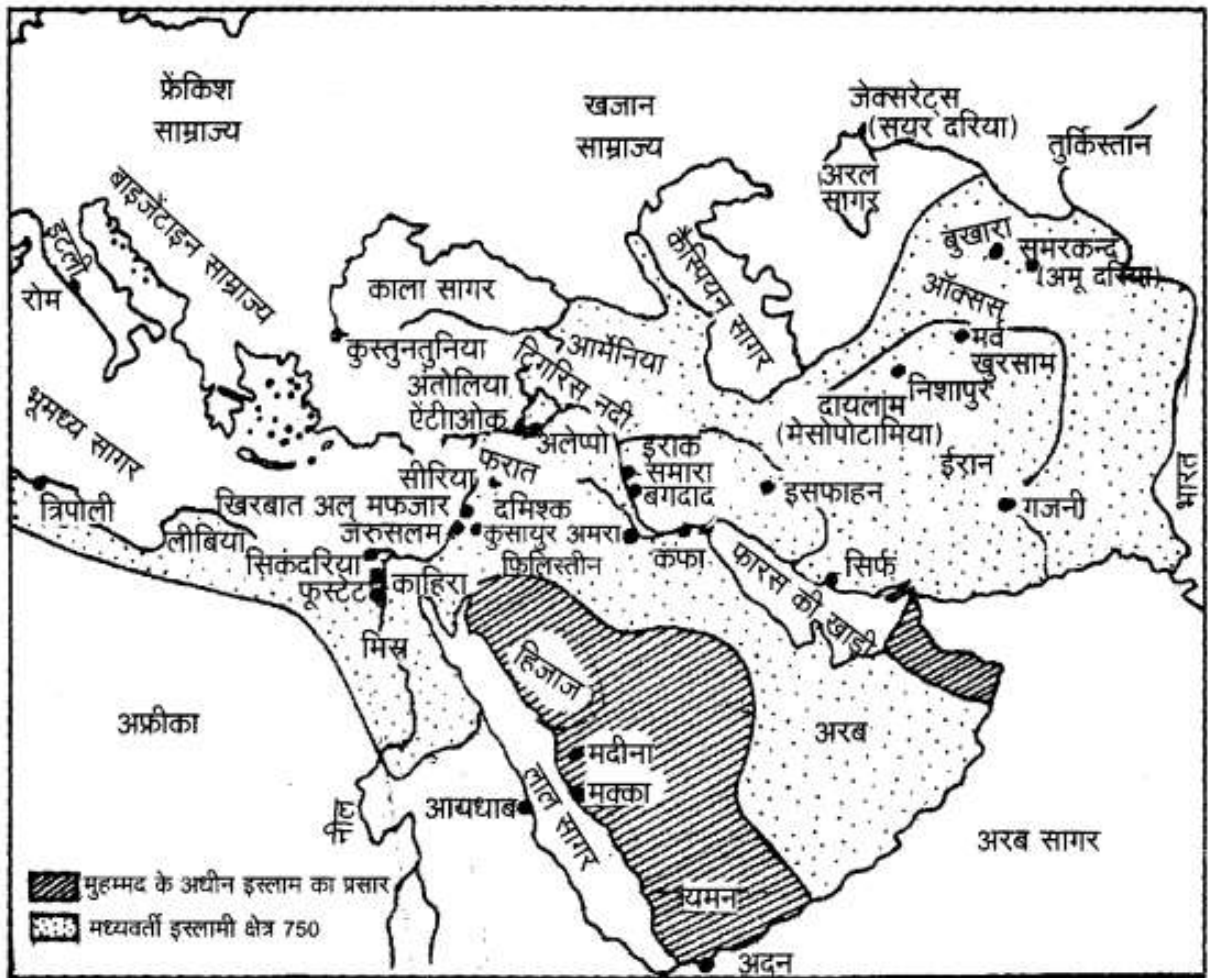
- अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया क्षेत्र के निवासीयों को अरेबियन कहा जाता है। मुहम्मद साहब का जन्म 570 ई. में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। इनके कबीले का मक्का के मुख्य धर्मस्थल काबा (घनाकार ढाँचा) पर अधिकार था। जिस वर्ष (622 ई. में) पैगम्बर मोहम्मद का मदीना में आगमन हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेण्डर यानी हिजरी सन् की शुरुआत हुई।

के पश्चात् वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगम्बर कोई नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप मुसलमानों में गहरे मतभेद पैदा हो गए थे। इन मतभेदों को दूर करने के लिए खिलाफत नामक संस्था का निर्माण हुआ जिसके नेता को पैगम्बर का प्रतिनिधि (खलीफा) कहा जाता था। खिलाफत के दो

मुख्य उद्देश्य थे- पहला कबीलों पर नियन्त्रण स्थापित करना व दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना। राजनैतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए थे। इनमें आपसी मतभेद के कारण विभाजन प्रारम्भ हो गया था। धीरे-धीरे इस विभाजन ने गृहयुद्ध का रूप धारण कर लिया था। इस गृह युद्ध के पश्चात् कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उमय्यद के अन्तर्गत इस्लाम के सुदृढीकरण का दूसरा दौर प्रारम्भ हुआ था।

उमय्यद और राजतन्त्र का केन्द्रीकरण- उमय्यद वंश के प्रथम खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और वंशानुगत उत्तराधिकार की परम्परा प्रारम्भ की थी। इस वंश ने 90 वर्ष तक शासन अपने हाथों में केन्द्रित रखा था।

अब्बासी क्रान्ति- 750 ई. द्वा नामक आन्दोलन के कारण उमय्यद वंश का स्थान पर मक्का निवासी अब्बासियों ने सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। अब्बासी, पैगम्बर के चाचा अब्बास के वंशज थे। अब्बासी शासन के अन्तर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई जबकि ईरानी संस्कृति का महत्त्व बढ़ गया। बगदाद को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था।



मानचित्र- 8.2 अरब साम्राज्य

खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय- अब्बासी साम्राज्य नौवीं सदी तक आते-आते कमजोर हो गया था। इसका सबसे बड़ा कारण दूरस्थ प्रान्तों पर बगदाद का नियन्त्रण कम होना था। इसके पतन का दूसरा बड़ा कारण नौकरशाही में अरब समर्थक व ईरान समर्थक गुटों में आपसी झगडा था। आगे चलकर 10वीं-11वीं सदी में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया था। तुर्क लोग, तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों के खानाबदोश कबायली लोग थे, जिन्होंने धीरे-धीरे इस्लाम धर्म को अपना लिया था।

धर्मयुद्ध- ईसाइयों को मध्यकाल के इस्लामी समाजों में पुस्तक वाले लोग कहा जाता था। क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्मग्रन्थ 'न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील' था। 11वीं सदी में मुस्लिम व ईसाइयों में शत्रुता गहरी हो गई क्योंकि नार्मनो, हंगरीवासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया। था अब केवल मुसलमान ही उनके मुख्य शत्रु रह गए थे। 1095 ई. से 1291 ई. के मध्य यूरोपीय ईसाइयों ने मुस्लिम नगरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और इन युद्धों को धर्मयुद्ध नाम दिया गया था। इस काल में तीन धर्मयुद्ध हुए थे

पहला धर्मयुद्ध (1098 ई.-1099 ई.)- इस धर्मयुद्ध में फ्रान्स और इटली की सेना ने मुसलमानों व यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएँ की और जेरुसलम पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था।

दूसरा धर्मयुद्ध(1145ई.-1149 ई.)- इस धर्मयुद्ध में जर्मन और फ्रान्सिसी सेना ने दमिश्क पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया था। इसी युद्ध के दौरान जेरुसलम पर पुनः मुस्लिमों ने अधिकार कर लिया था।

तीसरा धर्मयुद्ध(1189 ई.-1291 ई.)- तृतीय धर्मयुद्ध में मिस्र के मामुलक शासकों ने सभी ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर खदेड़ दिया था।

अर्थव्यवस्था- अरबवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान होते थे। कृषि भूमि का सर्वोपरी नियन्त्रण राज्य के हाथों में था।

राज्य की अधिकांश आय का स्रोत भू- राजस्व था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि, जिस पर उनका अधिकार होता था, उसे खराज कहा जाता था। कपास, संतरा, केला, तरबूज,

बैंगन आदि का निर्यात यूरोप में किया जाता था। जैसे-जैसे नगरों की संख्या में वृद्धि हुई वैसे ही इस्लामी सभ्यता का विकास होता गया। अनेक नये नगरों की स्थापना की गई, जिनमें अरबी सैनिकों (प्रशासन की रीढ़) को बसाया गया था।

इसे भी जाने-

- बयाजिद बिस्तामी (ईरानी सूफी) पहला सूफी था जिसने अपने आपको खुदा में लीन करने का उपदेश दिया था।

पाँच शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के मध्य के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार था। इसके लिए दो मुख्य रास्ते लाल सागर और फारस की खाड़ी थे। मसालों, कपडों, चीनी मिट्टी की वस्तुओं, बारूद आदि (भारत व चीन से) को अदन व एधाब (लाल सागर के पत्तन) तथा सिराफ व बसरा (फारस की खाड़ी के पत्तन) नामक पत्तनों तक जहाजों से लाया जाता था।

यहाँ से ऊँटों के समूहों द्वारा यह माल बगदाद, दमिश्क और एलेप्पो के भण्डारगृहों तक स्थानीय खपत के लिए पहुँचाया जाता था।

शिक्षा और संस्कृति- वे धार्मिक विद्वान, जो कुरान पर टीका लिखने व मुहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध करने का कार्य करते थे, उन्हें 'उलेमा' कहा जाता था। आठवीं-नौवीं सदी आते-आते इस्लामिक कानून की चार शाखाएँ बन गई थी- मलिकी, हनफी, शफिई और हनबली। इनमें हनबली अत्यधिक रूढ़िवादी थी। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों के समूह को 'सूफी' कहा जाता था। ये लोग केवल खुदा पर ही विश्वास करते थे और संसार के त्याग पर बल देते थे। सूफी सर्वेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। सूफीवाद ने रूढ़िवादी इस्लाम को कड़ी टक्कर दी। सिकन्दरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया (पूर्व में सिकन्दर का साम्राज्य) के स्कूलों में अरबी विषयों के साथ-साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उमय्यद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियाक भाषा की पुस्तकों का अनुवाद कराया था। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के विषय में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इसी समय अरबी भाषा में किया गया था। जब ये पुस्तकें यूरोप पहुँची तो इन्होंने वहाँ के लोगों में दर्शन-शास्त्र व विज्ञान में रुचि पैदा की थी।

विश्व के सभी धर्मों का मूल वेद है- सामान्यतः ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार धर्म का आधार है। तात्पर्य स्रष्टा (ईश्वर) और सृष्टि के मिलन के निमित्त किया जाने प्रत्येक कर्म, धर्म स्वरूप है। यह अवधारणा सृष्टि की उत्पत्ति, विकास और विस्तार से जुड़ी हुई है। आज विश्व में अनेक प्रचलित धर्म और उनसे सम्बन्धित ग्रन्थ हैं, तथापि उन सब में सनातन धर्म, विश्व का प्राचीनतम धर्म है। सनातन धर्म काल से परे हैं। सनातन धर्म का आधार वेद हैं। वेदों में निहित अवधारणा श्रेष्ठ मानव जीवन शैली एवं श्रेष्ठ समाज का निर्माण करती है।

अपौरुषेय वाङ्मय, वेदों में स्रष्टा और सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन किया है। इस दृष्टि से ऋग्वेद के नासदीय सूक्त (10.129) को वैज्ञानिकों ने भी महत्त्वपूर्ण माना है, जिसमें ब्रह्माण्ड निर्माण, सृष्टि के विस्तार और विकास की चर्चा की गई है। सृष्टि के पूर्व स्थिति के सन्दर्भ में कहा गया है कि- "न मृत्युरासीद् मृतं न तर्हि न रात्र्या अह्ना आसीत् प्रकेतः। आनीदवात् स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यत्र परः किं चनास ॥2॥ अर्थात्- उस समय न मृत्यु और न अमरता थी। रात और दिन का भेद भी नहीं था, वायु-शून्य और आत्मावलम्बन से श्वास-प्रश्वास युक्त मात्र ब्रह्म था। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था।

"कामसतदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं पदासीत्। सतोबन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥ अर्थात् परमात्मा के मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम बीज (उत्पत्तिकारण) निकला, बुद्धिमानों ने बुद्धि के द्वारा अपने अन्तःकरण में विचार करके अविद्यमान वस्तु से विद्यमान वस्तु का उत्पत्ति स्थान निरूपित किया।

"तिरश्चीनो विततो राश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्। रेतोधा आसन् महिमान आसन् त्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात् ॥५॥ अर्थात् बीज को धारण करने वाला जीव (भोक्ता) और महिमाएँ (भोग्य) उत्पन्न हुई। भोक्ताओं का कार्यकलाप दोनों पश्वों (नीचे और ऊपर) तक विस्तृत हुआ। ऊपर प्रयति (भोक्ता) और नीचे स्वधा (अन्न) अवस्थित हुआ।

इस रूप में वेदों में निहित सृष्टि रचना विषयक तथा अन्य ज्ञान विज्ञान परक तथ्य शाश्वत हैं, जिससे सनातन धर्म की प्रचीनता की पुष्टि होती है। सृष्टि का निर्माण हुआ जो आज पश्चिम के वैज्ञानिकों द्वारा जानने का विषय है उसका निदर्शन वैदिक वाङ्मय में वर्णित है। वर्तमान के प्रचलित धर्मों का तथा उनसे सम्बन्धित अनेक प्रवर्तकों का कालखण्ड विशेष में उदय हुआ है, जबकी सनातन वैदिक धर्म काल से परे हैं और धर्म प्रवर्तकों के लिए उपदेश स्रोत है। मानव सभ्यता के इतिहास में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं-सरस्वती-सिन्धु सभ्यता एवं मोसोपोटामिया सभ्यता आदि से प्राप्त साक्ष्यों से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं आज भी प्रचलित मान्य परम्पराओं में समानता, सनातन धर्म की प्राचीनता और वैश्विक विस्तार की ओर संकेत करती है।

यायावर साम्राज्य- यायावर लोग मूलरूप से घुमक्कड़/खानाबदोश होते थे। इस साम्राज्य की स्थापना मध्य एशिया के मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में 13वीं-14वीं सदी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य के रूप में की थी। इनका साम्राज्य यूरोप व एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। चंगेज खान ने मंगोल समाज की पारम्परिक-सामाजिक और राजनीतिक रीति- रिवाजों को रूपान्तरित कर एक भयानक सैनिक-तन्त्र और शासन सञ्चालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया था। वह कहा करता था कि उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त है। उसका सम्पूर्ण जीवन चीन, तुरान (ट्रांस ऑक्सियाना) अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व व प्रत्यक्ष सञ्चालन में व्यतीत हुआ था। चंगेज खान के पोते मोन्के ने फ्रान्स के शासक लुई नौवे को चेतावनी देते हुए कहा था कि 'पृथिवी का केवल एक ही अधिपति है और वो है चंगेज खान'। उसके दूसरे पोते बाटू ने अपने

अभियानों में मास्को, पौलेण्ड, हंगरी, वियना पर विजय प्राप्त की थी। मंगोलों ने अपने विजय अभियानों से व साम्राज्य निर्माण से विश्व-विजेता सिकन्दर की उपलब्धियों को भी बौना साबित कर दिया था। मंगोलों की सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि- मंगोल समाज में कई सामाजिक समूह थे, जिनमें



मानचित्र- 8.3 मंगोल साम्राज्य

पशुपालक व शिकारी संग्राहक मुख्य थे। पशुपालक ऊँट, घोड़े, भेड़ आदि पालते थे। पशुपालक मध्य एशिया के घास के मैदानों में और शिकारी संग्राहक साइबेरियाई वनों में रहते थे। मंगोल जनजातीय समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में बाँटा गया था। एक इकाई में लगभग 10,000 सैनिक होते थे। धनी परिवार बड़े होते थे व उनके पास अधिक पशु व चारण भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे व उनका स्थानीय राजनीति में दबदबा था। पशुधन प्राप्त करने के लिए लोग लूटपाट और आपसी संघर्ष करते थे। चंगेज खान द्वारा मंगोल व तुर्की कबीलों को मिलाकर एक विशाल परिसंघ बनाया गया था। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों के कारण मंगोलों व मध्य-एशिया के यायावरों को व्यापार व वस्तु-विनिमय के लिए अपने पड़ोसी चीनी निवासियों के पास जाना होता था। इससे दोनों

पक्षों को लाभ होता था। यायावर लोग घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार को चीन भेजा करते थे तथा वहाँ से कृषि उत्पाद व लोहे के उपकरण प्राप्त करते थे।

चंगेज खान के उपरांत मंगोल- चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य को छिन्न-भिन्न हो गया।

उसके वंशजों व उत्तराधिकारियों ने आगे भी साम्राज्य विस्तार को जारी रखा। 13वीं सदी में चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के लोग मंगोलों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी शक्तिशाली शासक के रूप में चंगेज खान ने मंगोलों को एकता के सूत्र में पिरोया और एक समृद्ध पारमहाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। मंगोल शासकों ने सभी जाति व धर्मों के लोगों को प्रशासकों व सैन्य दल के रूप में अपने प्रशासन में स्थान दिया था।

इसे भी जाने-

- चंगेज खान का जन्म आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट 1162 ई. में हुआ। इसके बचपन का नाम तेमुजिन था। इसके पिता येसुजेई, जो कियात कबीले के मुखिया थे।
- आजीवन युद्धों में व्यस्त रहने वाले चंगेज खान की मृत्यु 1227 ई. में हुई थी।

सारणी 8.3

यायावर साम्राज्य की प्रमुख घटनाएँ

तेमुजिन का जन्म	1197 ई.
तेमुजिन ने चंगेज खान की उपाधि धारण कर, सार्वभौम शासक घोषित	1206 ई.
चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष, स्वतन्त्र राज्य- तोलुयिद(युआन वंश और इलखानी राज्य) की स्थापना व अन्त	1260 ई.- 1368 ई.
तैमूर का शासन, भारत पर आक्रमण	1370 ई.-1405 ई.
मंगोलिया गणराज्य की स्थापना	1921 ई.

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. रोम साम्राज्य में राजतन्त्र की स्थापना.....में हुई थी।
अ. 27 ई.पू. ब. 100 ई.पू. स. 27 ई. द. 50 ई.
2. अब्बासियों ने.....को अपनी राजधानी बनाया था।
अ. जेरुसलम ब. दमिश्क स. बगदाद द. फिलिस्तीन
3. चंगेज खान का जन्म सन् में हुआ था।
अ. 1062 ई. ब. 1162 ई. स. 1150 ई. द. 1170 ई.
4. यायावर का अर्थ.....है।

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. रोम साम्राज्य के प्रारम्भ में शासन व्यवस्था प्रचलित थी। (गणतन्त्रीय/राजतन्त्रीय)
2. रोम में तेल कन्टेनरों को कहा जाता था। (टेम्पेरा/एम्फोरा)
3. मुहम्मद साहब का जन्म..... हुआ था। (570 ई./ 580 ई.)
4. चंगेज खान के पिता का नाम था। (येसुजेई/तातार)

सत्य/असत्य बताइए-

1. रोम साम्राज्य में महिलाओं की कानूनी स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ थी। सत्य/असत्य
2. रोम साम्राज्य में दास प्रथा का बोलबाला था। सत्य/असत्य
3. हिजरी सन् का प्रारम्भ 622 ई. में हुआ था। सत्य/असत्य
4. चंगेज खान का जन्म तंजानिया में हुआ था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. प्रथम धर्मयुद्ध	क. 1189 - 1291 ई.
2. द्वितीय धर्मयुद्ध	ख. 1098 - 1999 ई.
3. तृतीय धर्मयुद्ध	ग. 1145 - 1149 ई.
4. युआन वंश	घ. 1260 ई.- 1368 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों को कौनसे 3 भागों में बांटा गया है?
2. रोमन साम्राज्य का विस्तार कौन-कौनसे महाद्वीपों में था?
3. सूफी किन्हें कहा जाता था?
4. धर्मयुद्ध की परिभाषा दीजिए।
5. मंगोल कौन थे?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. रोम साम्राज्य में समाज कितने भागों में विभाजित था?
2. अब्बासी क्रान्ति से क्या तात्पर्य है?
3. अरबी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का उल्लेख कीजिए?
4. चंगेज खान के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. इसाई एवं इस्लाम के मध्य हुए धर्मयुद्धों का उल्लेख कीजिए
2. विश्व के सभी धार्मिक सम्प्रदायों का आधार 'सनातन धर्म' है। स्पष्ट कीजिए।

परियोजना-

1. विश्व मानचित्र में प्राचीन रेशम मार्ग को दर्शाइए।

अध्याय- 9

विश्व का बदलता परिदृश्य (1300- 2000 ई. तक)

इस अध्याय में- फ्रांसीसी व इंग्लैंड में सांस्कृतिक परिवर्तन, 11 वीं से 14वीं शताब्दी तक विभिन्न परिवर्तन, बदलता सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य, यूरोपीय पुनर्जागरण, संस्कृतियों का संघर्ष, बदलता आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य, आस्ट्रेलिया, जापान और चीन।

रोमन, इस्लामिक और यायावर साम्राज्य की स्थापनाओं और उनके आपसी संघर्षों से कालान्तर में विश्वव्यापी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। इन परिवर्तनों में का अध्ययन हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत करेंगे।

फ्रान्सिसी व इंग्लैंड में सांस्कृतिक परिवर्तन- फ्रान्सिसी व इंग्लैंड का समाज उस समय मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित हो गया था- पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग व कृषक वर्ग।

1. **पादरी वर्ग** - पादरी वर्ग का समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये लोग आजीवन अविवाहित रहते थे। पादरियों (पोप) के पास राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी, जिनसे ये लोग कर प्राप्त कर सकते थे। पादरी लोग टाईथ नामक धार्मिक कर वसूलते थे। इसके अतिरिक्त ईसाई समाज एक वर्ग और था, जो चर्च के बाहर एकान्त में मोनैस्ट्री या ऐबी (मठ) में रहता था। पुरुष और महिलाओं क्रमशः मोंक और नन कहा जाता था।
2. **अभिजात वर्ग**- समाज के जमींदार, सामंत व धनिक व्यापारियों को अभिजात वर्ग कहा जाता था।

इस वर्ग की सामाजिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी। बड़े भू-स्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे तथा किसान भू-स्वामियों के अधीन होते थे। सेन्योर/लार्ड दासों की रक्षा करते थे। अभिजात वर्ग का समाज में सम्मान था।

इस वर्ग को अपनी सैन्य क्षमता



चित्र- 9.1 पन्द्रहवीं शताब्दी में वेनिस में डोगे का महल

बढ़ाने और मुद्रा चलाने का अधिकार प्राप्त था। नौवीं सदी में यूरोप में प्रायः स्थानीय युद्ध होने के कारण अश्व सेना में वृद्धि करने के लिए नाइट नामक नए वर्ग का उदय हुआ था।

इसे भी जाने-

- रोटी देने वाले वर्ग को सेन्योर/लार्ड कहते थे। इनके घर को मेनर कहते थे। लार्ड द्वारा नाइट को भूमि का एक भाग दिया गया, उसे फ्रीफ कहा जाता था।

3. **कृषक वर्ग-** समाज के कृषक वर्ग में किसान व मजदूर सम्मिलित थे। कृषक वर्ग समाज में भरण-पोषण का कार्य करता था। कृषकों के दो वर्ग स्वतन्त्र किसान व सर्फ (कृषि दास) थे। स्वतन्त्र किसानों को प्रथम वर्ग के लोगों की भूमि पर सप्ताह में तीन या उससे अधिक दिन काम करना होता था। इस वर्ग का सैन्य सेवा में भी योगदान देना होता था। कृषि दासों पर लार्ड का एकाधिकार होता था।

सामन्तवाद- ग्यारहवीं सदी में इंग्लैंड में सामन्तवाद का उदय हुआ था। इस व्यवस्था में राज्य की भूमि को बड़े-बड़े जमींदारों में विभाजित कर दिया जाता था।

11 वीं से 14वीं शताब्दी तक विभिन्न परिवर्तन- 11वीं सदी में यूरोप में वायु व जल शक्ति के उपयोग से

इसे भी जाने-

- सामन्तवाद शब्द फ्यूड(जर्मन भाषा का शब्द) से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक सामन्तवाद पर कार्य करने वाले प्रथम विद्वान थे।

कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए थे जैसे- भूमि जोतने की प्रणाली में परिवर्तन और तीन खेतों वाली फसल व्यवस्था का प्रारम्भ आदि थे। 14वीं सदी के आरम्भ में जनसंख्या वृद्धि, भूमि की उर्वरता में कमी, महामारियों का प्रकोप, चाँदी की

खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी गिरावट के कारण यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा हो गया था। यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा होने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में नए राज्यों का उदय, संगठित स्थायी सेना और नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी।

बदलता सांस्कृतिक परिदृश्य- यूरोप महाद्वीप में 14वीं से 17वीं सदी तक नगरीय संस्कृति का अधिक विस्तार होने के कारण रोम, वेनिस, फ्लोरेंस आदि का उदय कला और विद्या के नए केन्द्रों के रूप में हुआ था।

इस काल में मुद्रण के आविष्कार के कारण लोगों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध होने लगी थी। यूरोपीय लोग

इसे भी जाने-

- मानवतावाद वह विचारधारा है, जिसमें मानव जीवन की सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता है।

अपनी तुलना प्राचीन यूनानी व रोमन साम्राज्य से करने लगे थे। 19वीं सदी के इतिहासकारों ने रेनेसां (पुनर्जागरण) शब्द का भी प्रयोग किया है, जो उस समय के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बतलाता है।

1. **इटली के नगरों का पुनरुत्थान-** रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिमी यूरोप सामन्ती सम्बन्धों और पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन राज्य के कारण नई शासन व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रहे थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के मध्य व्यापार से इटली के बन्द पड़े तटवर्ती बंदरगाह पुनः प्रारम्भ हो गए थे। इन परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता की थी। इन परिवर्तनों का सर्वाधिक प्रभाव वेनिस और जिनेवा नगरों में हुआ था।



मानचित्र 9.1- इटली राज्य

2. **विश्वविद्यालय और मानवतावाद-** यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना इटली में हुई थी। इन विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों, जैसे- इतिहास, नीति दर्शन, अलंकार शास्त्र, कविता और व्याकरण का अध्ययन आरम्भ हुआ था। मानवतावादियों का मानना था कि कई शताब्दियों के अंधकार के युग के पश्चात वे सभ्यता के वास्तविक रूप की पुनः स्थापित कर रहे हैं।
3. **अरेबियन विज्ञान और दर्शन-** अरेबियन विद्वानों ने भूतकाल की पाण्डुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया था। अरबी भाषा के अधिकांश ग्रन्थ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से सम्बन्धित थे। मानवतावादी विषय अब इटली के अतिरिक्त अन्य देशों के विद्यालयों में पढ़ाये जाने लगे थे। स्पेन निवासी अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के मध्य बढ़ रहे तनाव को सुलझाने का प्रयास किया था। इस काल में टॉलमी ने 'अलमजेस्ट' नाम से प्रसिद्ध खगोल शास्त्र की पुस्तक लिखी थी।
4. **कला और मुद्रण-** उस समय चित्रकला, वास्तुकला और मुद्रण के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए थे।

इसे भी जाने-

- माइकल एंजेलो ने सेंट पीटर गिरजे के गुम्बद को डिजाइन किया था। जोहानेस गुटेनबर्ग द्वारा 1455 ई. में प्रथम छापेखाने की शुरुआत की गई थी।

जिसकी जानकारी हमें प्राचीन रोम व उसके उजाड़ नगरों के खण्डहरों से प्राप्त कलात्मक वस्तुओं से हुई है। लेप चित्र (painting) की तकनीक के विकास से

चित्रों को अधिक रंगीन, चटख, आकर्षक और यथार्थ बना दिया था। शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौन्दर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया था, जिसे कालान्तर में यथार्थवाद कहा गया था। प्राचीन रोम साम्राज्य की वास्तुकला के पुनरुद्धार के कारण वास्तुकला की शास्त्रीय शैली विकास हुआ था। शास्त्रीय शैली का प्रयोग पोप, धनी व्यापारी व अभिजात वर्ग के लोग अपने भवनों के निर्माण के लिए करने लगे थे। यूरोपीय व्यापारी और राजनयिक सर्वप्रथम मंगोल शासकों के राज-दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस मुद्रण तकनीकी से परिचित हुए थे। मुद्रण के विकास से धीरे-धीरे पाठ्य सामग्री लोगों तक पहुँचने लगी थी।

5. सामाजिक परिवर्तन- इस काल में धर्म के कमजोर होने से लोगों का भौतिकवाद की तरफ अधिक झुकाव हुआ था। भौतिकवादी दृष्टिकोण में लोग विनम्रता से बोलना, अच्छे कपड़े पहनना, सभ्य दिखना आदि को महत्त्व देते थे। सार्वजनिक जीवन में सम्पन्न परिवार व अभिजात वर्ग के पुरुषों का प्रभुत्व था। दहेज प्रथा के कारण अनेक महिलाओं को चर्चों में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर थी। व्यापारी वर्ग में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी।

इसे भी जाने-

- अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोरिल को अरस्तू नाम से जाना जाता था।

बदलता धार्मिक परिदृश्य- 15वीं-16वीं सदी में यूरोप के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए थे। मानवतावादी विचारों की जागृति और चर्च के अधिक करों के कारण लोगों चर्च का विरोध किया था। उन करों में एक पाप- स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था। उस समय लोगों का मानना था कि पाप-स्वीकारोक्ति का अर्थ पादरीयों द्वारा लोगों से धन ऐंठना था। 1517 ई. में एक युवा भिक्षु मार्टिन लूथर (जर्मनी) ने कैथलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया और लोगों से कहा कि- 'मनुष्य को ईश्वर से सम्पर्क साधने के लिए पादरी की जरूरत नहीं है।' इस अभियान को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया था। अब लोगों ने चर्च व पादरियों की नीतियों का खुलकर विरोध किया था। अन्ततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों में कैथलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को उपासना की अनुमति दे दी थी। इंग्लैण्ड के शासकों ने पोप से अपने सम्बन्ध तोड़ लिए व इंग्लैण्ड के राजा/रानी चर्च के प्रमुख बन गए थे।

यूरोपीय पुनर्जागरण- 14वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण के फलस्वरूप अनेक नए सिद्धान्तों की स्थापना हुई थी। कोपरनिकस (1473 - 1543 ई.) ने ईसाईयों के सिद्धान्त 'पृथिवी पापों से भरी है, इस कारण यह स्थिर है', का खण्डन कर लोगों को बताया कि 'पृथिवी सहित सारे ग्रह, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं'। गैलिलीयो ने अपने ग्रन्थ 'दि मोशन' में गतिशील विश्व के सिद्धान्तों की पुष्टि की थी। इस क्रान्ति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊँचाई

को छू लिया था। यदि उस समय पाश्चात्य विचारकों ने हमारे वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किया होता तो वे इस सिद्धान्त का प्रतिपादित करने का श्रेय नहीं लेते। वैदिक ऋषियों ने अपने चिन्तन में स्पष्ट किया है कि पृथिवी सूर्य के चारों ओर गमन करती है- **मत्वं बिभ्रती गुरुभृद् भद्रपापस्य निधनं तितिक्षुः। वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते मृगाय॥** (अथर्ववेद 12/48) अर्थात् गुरुत्वाकर्षण शक्ति को धारण



चित्र 9.2- कोपरनिकस

करने की क्षमता से युक्त, पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों प्रकार के मनुष्यों को सहन करती हुई पृथिवी उत्तम जल देने के साथ मेघों से युक्त सूर्य की किरणों से अपनी मलीनता का निवारण करके सूर्य के चारों ओर विशेष रूप से गमन करती है।

पुनर्जागरण के कारण यूरोप में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवर्तन हुए थे, जिससे विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़ गया था। इस आपसी जुड़ाव और विकास के कारण अब संस्कृतियों में प्रतिस्पर्धा होना प्रारम्भ हो गया था।

संस्कृतियों का संघर्ष- 15वीं से 17वीं सदी के मध्य यूरोपियन

संस्कृति का कैरेबियन द्वीपों, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में विस्तार के कारण, उसका वहाँ की मूल संस्कृतियों के साथ संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष का अध्ययन हम निम्न प्रकार करेंगे।

1. **कैरेबियन द्वीप समूह-** 1380 ई. में दिशा सूचक यन्त्र (कुतबनुमा, चीन में) का आविष्कार हो चुका

था। इस यन्त्र के आविष्कार, जहाजरानी उद्योग के विकास एवं टॉलमी के विभिन्न क्षेत्रों की अक्षांश और देशान्तर रेखाओं की स्थिति के ज्ञान के कारण यूरोप के नाविकों के लिए समुद्री मार्गों की खोज

इसे भी जाने-

- लियानार्दो द विंची एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसकी मोनालिसा और द ब्रम्हाण्ड लास्ट सपर पेंटिंग्स अत्यधिक चर्चित रही।
- पुनर्जागरण का प्रारम्भ सर्वप्रथम इटली में हुआ।

करना आसान हुई थी। इन खोजों का दूसरा कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था में 14-15वीं सदी के मध्य प्लेग व युद्धों के कारण आई मन्दी और कुंस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार था। कुंस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार के कारण यूरोप से इंडीज (पूर्वी देशों) जाने वाला स्थल मार्ग बन्द हो गया था। अब यूरोपवासियों के लिए पूर्वी देशों से मसालों, कपड़ों के व्यापार के लिए समुद्री मार्गों की खोज करना आवश्यक हो गया था। इन समुद्री मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के लोग सबसे आगे

रहे थे। स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलम्बस (1451 ई.-1506 ई.) ने इस साहसिक कार्य प्रारम्भ 3 अगस्त 1492 ई.को किया था। लम्बी समुद्री यात्रा के बाद 12 अक्टूबर 1492 ई. को कोलम्बस बहामा द्वीप समूह के गुआनाहनि द्वीप पर पहुँचा था। यहाँ अरावाक समुदाय के लोगों ने उसका व उसके साथियों का स्वागत किया था। कैरेबियन सागर में स्थित द्वीपसमूहों (बहामा) और एंटीलीज में अरावाकी लुकायो एवं कैरिब समुदाय के लोग रहते थे। अरावाक समुदाय के लोग संगठित होकर रहते थे। उनमें बहु-विवाह प्रथा प्रचलित थी। वे सोने के गहने पहनते थे व अत्यधिक उदार प्रकृति के होते थे। स्पेनिश लोगों के सम्पर्क में आने के बाद अरावाको और उनकी जीवन-शैली का विनाश हो गया था।



मानचित्र- 9.2 दक्षिणी अमेरिका

2. दक्षिण अमेरिका- दक्षिण अमेरिका की स्थानीय संस्कृतियों में पेरू की केचुआ या इंका संस्कृति थी। यहाँ की प्रशासनिक भाषा केचुआ थी। इंका राज्य में सोने-चाँदी प्रचुर मात्रा में मिलता था। स्पेन ने दक्षिण अमेरिका में अपनी सैन्य-शक्ति के बल पर साम्राज्य स्थापित किया था। यूरोपियन लोगों का दक्षिण अमेरिका में बस जाना वहाँ के निवासियों के लिए घातक सिद्ध हुआ था। यूरोपवासी अफ्रीका से गुलामों को पकड़कर व खरीदकर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका की खानों व बागानों में बेचने लगे थे, जिससे वहाँ दासप्रथा का प्रचलन हुआ था। इसके अतिरिक्त यूरोपवासियों ने दक्षिण अमेरिका की पाण्डुलिपियों व स्मारकों को नष्ट कर दिया था।

पुर्तगाल निवासी पेड्रो अल्वारिस कैब्राल 1500 ई. में जहाज से भारत के लिए रवाना हुआ था परन्तु तूफानी समुद्रों से बचने के लिए, उसने पश्चिमी अफ्रीका का चक्कर लगाया और वह ब्राजील (दक्षिण अमेरिका) पहुँच गया था। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में तुपिनांबा समुदाय के लोग निवास करते थे। ब्राजील में टिबर (इमारती लकड़ी) प्रचुर मात्रा में थी, जिसका पुर्तगालियों ने भरपूर फायदा उठाया था। ब्राजील पर पुर्तगाल का अधिकार एक संयोग था।

3. **उत्तरी अमेरिका-** उत्तरी अमेरिका की खोज (1492 ई.) के कई दीर्घकालीन परिणाम निकले थे, जिनमें 1519 ई. में स्पेनवासी कोर्टेस ने क्यूबा के पश्चात मैक्सिको पर अधिकार कर लिया था। वहाँ उसने टॉटानैक समुदाय से मित्रता कर ली, जो एजटेकों के शासन से अलग होना चाहते थे। स्पेनी सैनिकों के आक्रमण को देखकर एजटेक शासक मोटेंजुमा घबरा गया और उसने कोर्टेस के आगे आत्म-समर्पण कर दिया था। एजटेक लोग मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में आकर बसे थे। ये अभिजात वर्ग में शामिल थे। सरकार, सेना व पौरोहित्य कर्म में ये लोग शामिल थे। माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एजटेकों की अपेक्षा कम थी। मक्के की खेती माया और एजटेक समुदाय का मुख्य जीवनाधार था।

कैरेबियन, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की खोजों के अनेक मिश्रित परिणाम निकले थे, जैसे – लगातार युद्धों कारण यहाँ के मूल निवासियों की जनसंख्या में कमी, स्थानीय जीवन-शैली नष्ट होना, दासप्रथा में वृद्धि, यूरोपवासी का आलू, लाल मिर्च आदि से परिचय और सोने-चाँदी की अधिकता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण विस्तार आदि थे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के कारण औद्योगिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

सारणी 9.1 यूरोपवासियों द्वारा समुद्री यात्राएँ	
वर्ष	समुद्री मार्ग की खोज
1492	कोलम्बस बहामा द्वीप समूह पहुँचा
1494	अनखोजी दुनिया का पुर्तगाल और स्पेन के मध्य विभाजन
1497	जान कैबोट ने उत्तरी अमेरिका के समुद्री तट की खोज
1498	वास्कोडिगामा कालीकट (भारत) पहुँचा
1499	अमेरिगो वेस्पुसी ने दक्षिण अमेरिका के समुद्र तट की खोज
1522	स्पेनिश मैगलेन जहाज से पृथिवी का चक्कर लगाया।

बदलता आर्थिक परिदृश्य- 1300 ई. के बाद विश्व में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए थे। इन आर्थिक परिवर्तनों के मूल में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति (1780 ई. के दशक से 1850 ई. के दशक तक) थी। जिसका विस्तृत अध्ययन हम पूर्व कक्षा में कर चुके हैं।

बदलता राजनीतिक परिदृश्य- 17वीं सदी के पश्चात् फ्रान्स, इंग्लैण्ड, हॉलैण्ड जैसे देशों ने अपनी

इसे भी जाने-

- औद्योगिक क्रान्ति शब्द का सबसे पूर्व प्रयोग अरनोल्ड टायनबी ने 1884 ई. में अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन दि इण्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैण्ड में किया था।
- 1788 ई. से 1796 ई. की समयावधि को नहरोन्माद के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में 46 नयी नहर परियोजनाओं की नींव रखी गई थी।
- भाप से चलने वाला पहला रेल इंजन 1814 ई. में स्टीफेंसन द्वारा बनाया गया था।

व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार कर, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए थे। प्रभुत्वशाली राष्ट्र अपने आर्थिक लाभ के लिए छोटे देशों को उपनिवेश बनाकर उनके संसाधनों का दोहन करते थे। 18वीं से 20वीं सदी के मध्य दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड के भागों में

यूरोप और एशियाई अप्रवासी बसने लगे थे। वर्तमान में इन देशों में एशियाई व यूरोपीय लोगों की जनसंख्या वहाँ के मूल निवासियों से अधिक है।

उत्तरी अमेरिका- यह महाद्वीप, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक प्रशान्त महासागर से अटलांटिक महासागर तक विस्तृत

है। इसके पश्चिम में एरिजोना और नेवाडा मरुस्थल है, पूर्व में विस्तृत मैदान व दक्षिण में मेक्सिको स्थित है। यहाँ तेल, गैस व खनिज संसाधनों की बहुलता है। कृषि की दृष्टि से यहाँ गेहूँ, मक्का व फलों का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। अमेरिका के मूलवासी नदी घाटी के आस-पास बने गाँवों में रहते थे। इन

इसे भी जाने-

- फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने अमेरिका के मूल निवासियों के विषय में कहा कि ये लोग सभ्यताओं की विकृतियों से अछूत होने के कारण प्रशंसनीय थे। 4 जुलाई 1776 ई. को अमेरिका ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो गया और विश्व इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका नामक नए गणराज्य का अभ्युदय हुआ था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 1840 ई. सोना मिलने के संकेत मिले तो सोना प्राप्त करने के लिए हजारों यूरोपियन लोग अमेरिका पहुँचे थे। यह घटना विश्व इतिहास में गोल्ड रश के नाम से जानी जाती है।

मूलवासियों का मुख्य आहार मांस-मछली, मक्का, सब्जियाँ आदि था। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएँ बोली जाती थीं परन्तु वे लिखी नहीं जाती थी। यूरोपियन लोग अमेरिका के मूल निवासियों को असभ्य मानते थे। धीरे-धीरे यूरोपियन लोगों ने अमेरिका में अपने क्षेत्रों का विस्तार किया तो मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए विवश होना पड़ा था। अमेरिकन मूलवासियों की भूमि को धोखे और बहुत कम पैसे देकर अधिग्रहण किया गया था। मूल निवासियों की यह कहकर आलोचना की जाती थी कि उनमें आलस्य होने के कारण शिल्प-कौशल की कमी है। पूर्व में मूल निवासियों का पश्चिम की ओर

विस्थापन किया गया था परन्तु जब उनकी भूमि में से तेल, सोना, सीसा जैसे खनिज निकलने लगे तो उन्हें पुनः विस्थापित किया गया था।

ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के पश्चात उत्तरी अमेरिका में रेल्वे लाइनों का निर्माण, उद्योगों,



चित्र- 9.3 गोल्ड रश के दौरान कैलीफोर्निया जाते लोग

कृषि का विकास हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विस्तार हुआ था। 1890 ई. में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। यूरोपीय व्यापारी, जब उत्तरी अमेरिका पहुँचे तो उनको वहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवहार अत्यधिक अच्छा लगा था। यूरोपीय व्यापारी, उन्हें स्थानीय वस्तुओं के बदले, कम्बल, लोहा, बर्तन, बन्दूकें, शराब आदि देते थे। स्थानीय अमेरिकन लोग तम्बाकू का सेवन करते थे इसलिए यूरोपीय व्यापारी भी तम्बाकू पीने लगे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक अधिकारों की यदि बात की जाए तो लोकतान्त्रिक अधिकार (राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार) और सम्पत्ति, दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए ही थे।

ऑस्ट्रेलिया- आदिमानव (ऐबॉरिजिनीज) का ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व न्यू गिनी से आए थे। 18वीं सदी के अन्तिम कालखण्ड में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 समुदाय थे। ब्रिटिश लोग 1770 ई. में पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुँचे थे। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश नगर समुद्रतट के आस-पास बसे हैं। भेड़ों के विशाल फार्म, खानें, मदिरा हेतु अंगूर के बाग, गेहूँ की कृषि आदि ने ऑस्ट्रेलिया की सम्पन्नता का आधार तैयार किया था। 1901 ई. में 6 राज्यों को मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ, जिसकी राजधानी 1911 ई. में कैनबरा को बनाया गया था। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया में यूरोप और एशिया के आप्रवासियों की जनसंख्या अधिक है इसलिए 1974 ई. से यहाँ की राजकीय नीति बहुसंस्कृतिवाद को प्रधानता दी गई है।

जापान- जापान एक द्वीपीय शृंखला वाला देश है, जो चार बड़े द्वीपों होंशू, क्यूशू, शिकोकू, होकाइदो से मिलकर बना है। विश्व में, जापान अत्यधिक भूकम्प प्रभावित वाला राष्ट्र है तथा चावल यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल है।

राजनीतिक व्यवस्था- 12वीं सदी से पूर्व जापान पर क्योटो के रहने वाले सम्राट का शासन था। 12वीं सदी में शोगुनो ने राजा के नाम पर जापान शासन किया था। जापान में तोकुगावा परिवार ने 1603 ई.- 1867 ई. तक शोगुन पद पर पदस्थ थे। इस काल में जापान 250 भागों में विभाजित था। शोगुनों का शासन दैम्यो चलाते थे। शोगुन, दैम्यो को राजधानी एदो में रहने का आदेश कर, उन पर नियन्त्रण करते थे। सामुराई (योद्धा वर्ग) शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा दैम्यो की सेवा करते थे।

इसे भी जाने-

- एदो को वर्तमान में टोक्यो कहा जाता है।



मानचित्र- 9.3 आस्ट्रेलिया

16वीं सदी के अन्त में जापान में राजस्व में स्थायी वृद्धि के उद्देश्य से तीन परिवर्तन हुए थे। प्रथम अब केवल समुराई ही तलवार (हथियार) रख सकते थे। द्वितीय, दैम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए थे। तीसरा, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जापान अमीर देश बन गया था। अब वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा आयात कर, उनका भुगतान चाँदी और सोने के रूप में करता था।



मेंजी पुनर्स्थापना- जापान में तोकुगावा वंश के विरुद्ध उपजे असन्तोष के कारण 1867-68 ई. में मेंजी वंश की पुनर्स्थापना हुई थी। अमेरिका ने चीनी बाजार में प्रवेश करने के लिए जापान के राजनयिक और व्यापारिक सम्बन्ध बनाए थे। अमेरिकी मदद से मेंजी सरकार की शासन में पकड़ मजबूत हो गई थी। अब मेंजी शासन ने जापान का राष्ट्रीय एकीकरण के लिए नया प्रशासनिक ढाँचा और आधुनिक सैन्य बल तैयार कर, सेना और नौकरशाही को सीधे सम्राट के नियन्त्रण में ले लिया था। इन सुधारों के फलस्वरूप जापान प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ और आगे चलकर उसे चीन और रूस के साथ हुए युद्धों में विजय प्राप्त हुई थी। आर्थिक प्रगति के कारण जापान अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने लगा था।

जापान का आधुनिकीकरण- जापान में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे का विस्तार, बैंकिंग सेवाओं का प्रारम्भ, वस्त्र उद्योग का विकास, कृषि पर कर लगाया गया था। जापान में औद्योगिक के कारण कारखानों और मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई थी। जापान में 1909 ई. में कारखानों की संख्या 1,000 थी, जो 1940 ई. में 5,50,000 हो गई।

जापान में राष्ट्रवाद के विकास के कारण सीमित मताधिकार वाला संविधान, डायट (जापानी संसद) और राजनीतिक पार्टियों की स्थापना हुई थी। जापान में 1918 ई. से 1931 ई. के मध्य जनमत से प्रधानमन्त्रियों का चुनाव हुआ था। जापान के लोग पश्चिमीकरण से अत्यधिक प्रभावित हुए थे इसलिए लोगों में इसके बारे में अलग-अलग मत थे। कुछ जापानी बुद्धिजीवियों के अनुसार अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊँचाइयों पर थे, जहाँ जापान को भी पहुँचाना चाहिए। कुछ का मानना था कि जापान को अपने एशियाई लक्षणों को छोड़ देना चाहिए और पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा बन जाना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवी कहते थे कि जापान अपना आधार सेना की अपेक्षा लोकतन्त्र को बनाए। पश्चिमीकरण के कारण जापान के निवासियों के दैनिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए थे।

इसे भी जाने-

- कॉमाडोर मैथ्यू पेरी (1794-1858 ई.) ने जापान अमेरिकी सम्बन्धों की वृद्धि में योगदान दिया था।
- जापान में पहली रेल लाइन (1870-72 ई.) टोक्यो और योकोहामा बन्दरगाहों के मध्य बिछाई गई। जापान में 1872 ई. में बैंकिंग संस्थाओं की प्रारम्भ हुआ था।

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ में जापान को चीन और पश्चिम एशिया में विजय प्राप्त होने लगी थी, जिससे जापान में सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला था। इस दौरान 1943 ई. आधुनिकता पर विजय नाम से एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। इसमें जापानी दुविधा 'आधुनिक रहते पश्चिम पर कैसे विजय प्राप्त की जाए' पर चर्चा हुई थी।

वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में पुनः वापसी- अमेरिका ने 1945 ई. में हिरोशिमा (6 अगस्त) व नागासाकी (9 अगस्त) पर नाभिकीय बम गिराकर, जापान का विनाश कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई भारी पराजय के उपरान्त जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से पुनर्निर्माण किया था, जिसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। 1964 ई. में टोक्यो में ओलंपिक खेल और 1964 ई. में ही बुलेट ट्रेन का सञ्चालन जापान की जीवंतता को दर्शाता है।

चीन- चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से एक विशाल पहाड़ी देश है। यहाँ के मुख्य क्षेत्र में तीन प्रमुख नदियाँ (पीली नदी, यांग्त्सी नदी व पर्ल नदी) बहती हैं। चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान का मुख्य व्यंजन डिम सम है। चीन में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं तथा यहाँ की मुख्य भाषा चीनी है। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं-17वीं सदी में खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों के वहाँ पहुँचने से मानी जाती है। ब्रिटेन व

इसे भी जाने-

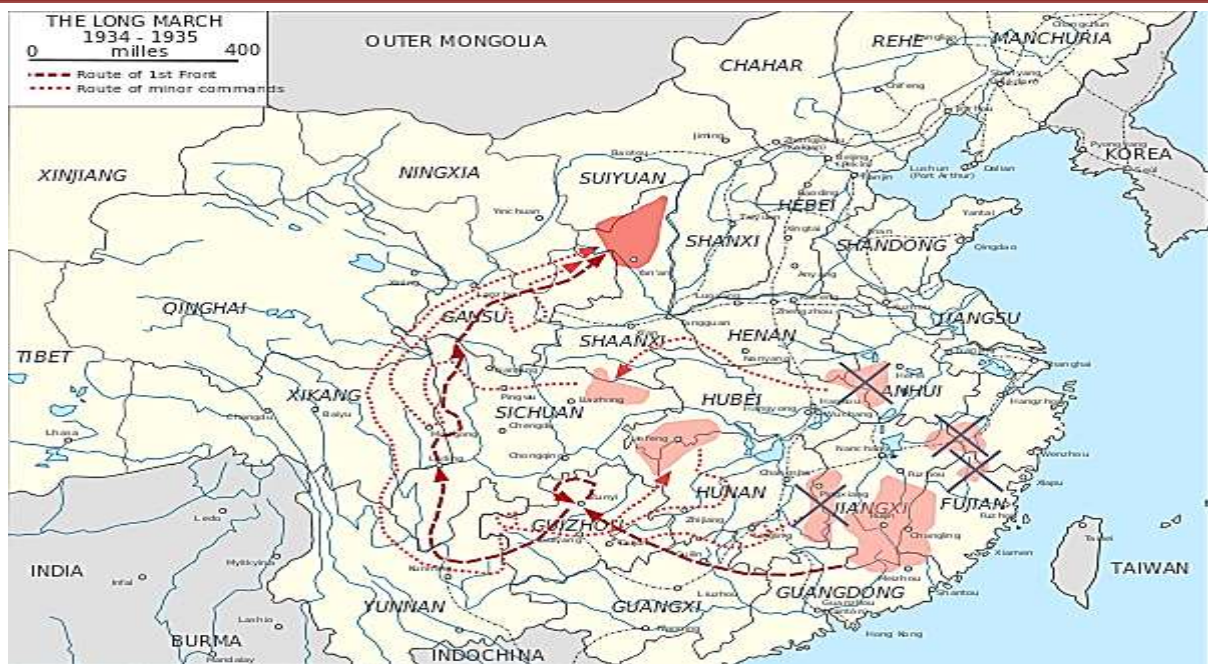
- सन यात-सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है।

चीन के मध्य 1839-42 ई. के मध्य प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। परिणामस्वरूप चीन में सुधार तथा परिवर्तन की मांग उठने लगी थी। इन सुधार और परिवर्तनों के अन्तर्गत आधुनिक प्रशासकीय, सैन्य, शिक्षा व्यवस्था निर्माण के लिए नीतियाँ बनाई गई थीं। चीन में पहले छिंग राज वंश की सत्ता थी परन्तु कुछ दशकों पश्चात् छिंग राजवंश के हाथों से सत्ता निकल गई और देश में गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गए थे। अन्ततः इन गृहयुद्धों में चीनी साम्यवादी पार्टी ने 1949 ई. में जीत प्राप्त कर ली थी। संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी अधिकार के अपमान का अन्त और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर चीन का आधुनिक इतिहास दिखाई देता है।

गणतन्त्र की स्थापना- सन यात-सेन (1866-1925 ई.) के नेतृत्व में 1911 ई. में चीन में गणतन्त्र की स्थापना हुई थी। उनका कार्यक्रम तीन सिद्धान्त- राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र, सामाजिक प्रगति के नाम से प्रसिद्ध था। इनकी मृत्यु के पश्चात् चियांग काईशेक ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया था।

चीन में साम्यवादी दल की स्थापना रूसी क्रान्ति के बाद 1921 ई. में हुई थी। माओ त्सेतुंग (1893-1976 ई.) के समय चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने कुओमीनतांग पर विजय प्राप्त की थी।

नए जनवाद की स्थापना (सन् 1949-65 ई.)- 1949 ई. में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी की सरकार बनी, जो नए लोकतन्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित थी। नए जनवाद के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था को सरकार के नियन्त्रण में लाया गया, भूस्वामित्व को समाप्त किया, समाजवादी कार्यक्रमों का प्रारम्भ, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा छात्रों, किसानों, महिलाओं आदि के लिए जन संस्थाएँ बनाई गई थीं।



मानचित्र 9.4 लॉंग मार्च

1965-78 ई. के दौरान माओवादियों और उनके विचारों की आलोचना करने वालों के मध्य संघर्ष हुआ था। पुरानी संस्कृति, विचारों, रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान में रेड गार्ड्स (छात्र व सेना) को शामिल किया गया। इस सांस्कृतिक क्रान्ति से चीन में उथल-पुथल का दौर प्रारम्भ हो गया था तथा माओ (पार्टी) कमजोर हो गई थी। सांस्कृतिक क्रान्ति के पश्चात् राजनीतिक दाँव-पेंचों की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब साम्यवादी दल का नेतृत्व तंग शीयाओफींग के पास था, जिसने सन् 1978 ई. में आधुनिकीकरण के चार सूत्री लक्ष्य- विज्ञान, कृषि, उद्योग और रक्षा के विकास की घोषणा की थी। चीन के साम्यवादी दल और उसके समर्थकों ने परंपराओं को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया था। उन्हें लगता था कि पुरानी परम्पराओं के कारण लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। बाजार सम्बन्धी सुधारों से चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती इसी पार्टी ने दिलाई थी।

सारणी 9.1

ग्यारहवीं से चौदहवीं सदी की प्रमुख घटनाएँ

वर्ष	घटनाक्रम
1066	नारमन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैण्ड पर विजय
1100	फ्रान्स में कथीड्रलों का निर्माण
13-15-1317	यूरोप में महान अकाल
1347-50	ब्यूबोनिक प्लेग
1338-1461	इंग्लैण्ड और फ्रान्स के मध्य सौ वर्षीय युद्ध
1381	कृषकों का विद्रोह

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. फ्रान्सिसी समाज का दूसरा वर्ग.....था।
अ. पादरी वर्ग ब. कृषक वर्ग
स. अभिजात वर्ग द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
2. प्रथम छापेखाने का आविष्कार द्वारा हुआ।
अ. 1455 में मार्टिन लूथर द्वारा ब. 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा
स. 1555 में गैलिलीयो द्वारा द. 1556 में न्यूटन द्वारा
4. मार्टिन लूथर ने आन्दोलन चलाया था।
अ. प्रति सुधार आन्दोलन ब. प्रोटेस्टेंट सुधार
स. कैथोलिक सुधार द. समाज सुधार आन्दोलन
5. टॉलमी की रचना का नाम.....था।
अ. हिस्ट्री ब. दास कैपिटल
स. ज्योग्राफी द. अलमजेस्ट
6. रेड गार्ड्स में शामिल थे।
अ. सामंत ब. किसान और मजदूर
स. छात्र और सेना द. गाँवों के लोग

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक थी। (इण्डिका/अलमजेस्ट)
2. प्रोटेस्टेंट सुधारवाद अभियान का जनक था। (मार्टिन लूथर/टॉमस मोर)
3. एजटेक लोग में शामिल थे। (अभिजात वर्ग/पादरी वर्ग)
4. 1788 ई. से 1796 ई. की समयावधि को नहरोन्माद के नाम से जाना जाता है।
(नहरोन्माद/धार्मिक उन्माद)
5. में 6 राज्यों को मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ था (1901 ई./1905 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून के नाम से जाना जाता था। सत्य/असत्य
2. नहरों और रेलवे के विकास के कारण तीव्र आर्थिक विकास हुआ था। सत्य/असत्य
3. पाप-स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज लोगों से धन ऐंठने का उपाय था। सत्य/असत्य
4. गोल्ड रश की अवधारणा का सम्बन्ध अमेरिका से था। सत्य/असत्य
5. जापान में 1872 ई. में बैंकिंग संस्थाओं की प्रारम्भ हुआ था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. पादरी वर्ग	क. जापान
2. सन-यात-सेन	ख. फ्रान्सिसी समाज का प्रथम वर्ग
3. अर्नोल्ड टायनबी	ग. बहामा द्वीप समूह
4. मैजी शासक	घ. चीन में गणतन्त्र का संस्थापक
5. कोलम्बस	ड. औद्योगिक क्रान्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सर्वप्रथम पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई?
2. मोनालिसा किसकी कृति है?
3. गैलीलियो ने कौन सा ग्रन्थ लिखा?
4. अमेरिका का नाम किस भूगोलवेत्ता के नाम पर रखा गया था?
5. चीन में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी की सरकार कब बनी थी?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. फ्रांसीसी समाज के तीनों वर्गों का वर्णन कीजिए
2. प्रमुख मानवातावादी विषयों के नाम बताइए?
3. मूल निवासियों की क्या कहकर आलोचना की जाती थी?
4. अरेबियन विज्ञान और दर्शन को समझाइए।
5. चीन में गणतन्त्र की स्थापना कैसे हुई थी?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. विश्व में संस्कृतियों के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए।
2. 'मैजी शासन ने जापान का औद्योगिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था'। समझाइए।

परियोजना-

1. उन कारणों का पता लगाइए जिसके कारण यूरोपवासियों को नये समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी थी।
2. भारत और जापान के सांस्कृतिक सम्बन्धों की विवेचना करो

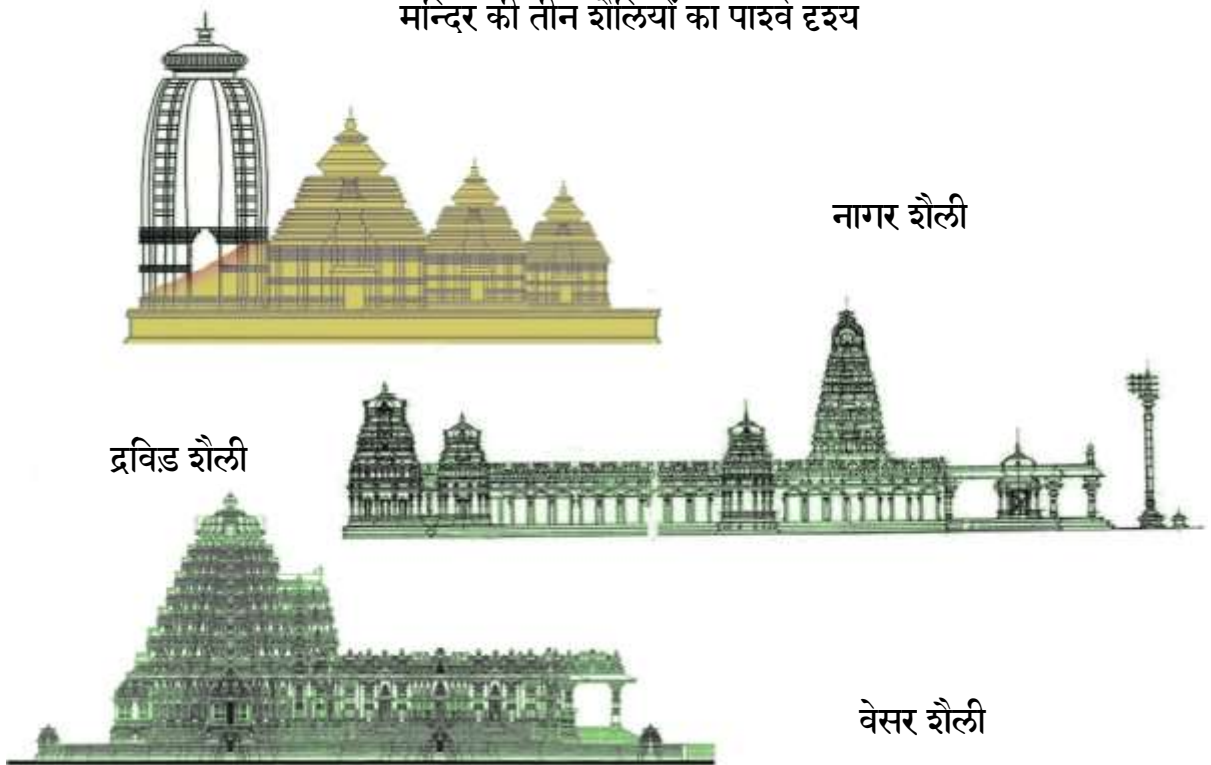
अध्याय-10

भारत में मन्दिर स्थापत्य

इस अध्याय में- प्राचीन मन्दिर, मन्दिर निर्माण की शैलियाँ, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली।

आपने अपने गाँव, कस्बे या नगर में अनेक प्राचीन मन्दिरों व देवालयों को देखा होगा। ये मन्दिर कितने प्राचीन, विशाल और भव्य होते हैं? इनके निर्माण में कितना समय लगा होगा? इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया होगा? आदि प्रश्न आप के मन में आना स्वाभाविक है। इन मन्दिरों के बारे में जानकारी के महत्त्वपूर्ण स्रोत शिलालेख हैं, जो इन मन्दिरों में लगे होते हैं। संस्कृत वाङ्मय में मन्दिरों के लिए देवालय, देवायतन, देवकुल, आदि शब्द प्रयुक्त किये गए हैं। मन्दिरों का सर्वप्रथम उल्लेख 'शतपथ ब्राह्मण' में मिलता है। भारत में मन्दिर स्थापत्य कला का विकास गुप्तकाल में हुआ था। सामान्यतः प्रत्येक मन्दिर में दो तरह की कक्षीय संरचना होती है- गर्भगृह और मण्डप। गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। मन्दिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए स्थान होता

मन्दिर की तीन शैलियों का पार्श्व दृश्य



चित्र- 10.1 मन्दिर की तीन शैलियों का पार्श्व दृश्य

हैं। मण्डप को मन्दिर का प्रवेश कक्ष कहा जाता है जो अत्यधिक विशाल होता है। इसके अतिरिक्त लघु व अर्द्ध मण्डप भी होते हैं, जो दर्शन के अतिरिक्त कीर्तन, नर्तन आदि के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। गर्भगृह के ऊपर छतरीनुमा रचना होती है, जिसे शिखर या विमान कहते हैं। मन्दिरों के कई भाग होते हैं, जो मिलकर उसे एक समन्वित रूप प्रदान करते हैं। उस समय नदी, तालाब, कुण्ड, बावड़ी आदि का किसी पवित्र स्थल के समीप होना अच्छा माना जाता था।

प्राचीन मन्दिर- 10वीं सदी तक आते-आते भू-प्रशासन में मन्दिर की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। एक ओर स्तूपों का निर्माण जारी था वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म में सम्बन्धित देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ भी बनने लगी थी। प्रत्येक मन्दिर या देवालय में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की मूर्ति होती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि मन्दिरों के पूजा गृह तीन प्रकार के होते हैं -

1. संघर - जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है।
2. निरंघर - जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है।
3. सर्वतोभद्र - जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है।

उस समय कुछ साधारण श्रेणी के मन्दिर होते थे, जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष/मण्डप और पीछे पूजा गृह हैं, जैसे- उत्तरप्रदेश में देवगढ़, मध्यप्रदेश में एरण और विदिशा के पास उदयगिरि के मन्दिर। **मन्दिर निर्माण की शैलियाँ-** गुप्तकालीन मन्दिरों को मुख्यतः पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है- संधारा, निरंधारा, सर्वतोभद्रा, आयताकार मन्दिर व खोखली बेलनाकार ईंट का ढाँचायुक्त मन्दिर। गुप्तकाल के पश्चात मन्दिर निर्माण की तीन शैलियाँ विकसित हुईं। नागर, द्रविड़ व बेसर शैली।

1. **नागर शैली-** नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर विन्ध्य प्रदेश के भू-भाग तक विस्तृत थी। मूलतः यह उत्तर भारतीय शैली है, इसे 'आर्य शैली' भी कहा जाता है। गर्भगृह पर ऊँचे शिखर इस शैली की मुख्य विशेषता है। इन शिखरों की आकृति ऊपर की ओर क्रमशः कम होती जाती है। शिखर के ऊपर 'आमलक' नामक बड़ा चक्र होता है, जिस पर स्थापित कलश का ऊपरी भाग नुकीला होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मन्दिर निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्तों और नियमों का उल्लेख है। नागर शैली की अनेक उपशैलियाँ भी विकसित हुई थीं, जैसे - पाल, ओडिशा, खजुराहो, सोलंकी उपशैली आदि। नागर शैली को 8वीं से 13वीं सदी के मध्य उत्तर भारत में शासकों ने पर्याप्त संरक्षण दिया था। इस शैली में बने मन्दिरों को ओडिशा में कलिंग गुजरात में

इसे भी जाने-

- मन्दिर के शिखर को उत्तर भारत में शिखर व दक्षिण भारत में विमान कहा जाता है।
- मन्दिर के उत्तरी भारत में देवालयों का निर्माण सर्वप्रथम नगरों में होने के कारण इसे नागर शैली कहा गया था।

लाट और हिमालयी क्षेत्र में 'पर्वतीय' कहा जाता है। कुछ नागर मन्दिरों का निर्माण पञ्चायतन शैली में भी किया गया था।

पञ्चायतन शैली- इस शैली में निर्मित मन्दिरों में एक मुख्य मन्दिर बीच में होता है तथा उसके चारों कोनों पर चार सहायक मन्दिर होते हैं। लक्ष्मण मन्दिर (खजुराहो), कन्दरिया महादेव मन्दिर (खजुराहो), श्रीदेव व्यमेश्वर मन्दिर (रत्नगिरी, महाराष्ट्र) आदि इसी शैली में निर्मित मन्दिर हैं।

शिल्पशास्त्रों के अनुसार नागर शैली के मन्दिरों के आठ प्रमुख अङ्ग हैं -

- अधिष्ठान - मूल आधार जिस पर मन्दिर बनाया जाता है।
- शिखर - मन्दिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भ-गृह का ऊपरी भाग।
- कलश - शिखर का शीर्ष भाग, जो कलश ही या कलश के समान होता है।
- आमलक - शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का वर्तुलाकार भाग।
- ग्रीवा - शिखर का ऊपरी ढलवाँ भाग।
- कपोत - किसी द्वार, खिड़की, दीवार या स्तम्भ का ऊपरी छत से जुड़ा भाग।
- मसूरक - नींव और दीवारों के बीच का भाग।
- जंघा - दीवारें (विशेषकर गर्भगृह की)।

नागर शैली में निर्मित प्रमुख मन्दिर-

1. **सूर्य मन्दिर, मोढेरा (गुजरात)-** इस मन्दिर का निर्माण भीमदेव प्रथम ने गुजरात के मेहसाना जिले में 1026 ई में नागर शैली में करवाया था। मन्दिर परिसर में एक जलकुण्ड है, जो सूर्य कुण्ड के नाम से जाना जाता है। चूंकि मन्दिर पूर्वाभिमुख है, इस कारण हर वर्ष विषुव के समय (21 मार्च और 23 सितम्बर) जब दिन-रात बराबर होते हैं, सूर्य की किरणें मुख्य मन्दिर पर पड़ती हैं।
2. **खजुराहो मन्दिर समूह (मध्यप्रदेश)-** इसका निर्माण चन्देल शासक धंगदेव द्वारा 954 ई में किया गया था। यह मन्दिर समूह खजुराहो (मध्यप्रदेश) में स्थित हैं। ये मन्दिर समूह देवगढ़ के दशावतार मन्दिर से लगभग 400 वर्ष बाद निर्मित हुये। यहाँ स्थित विभिन्न मन्दिरों का निर्माण चन्देल शासकों द्वारा किया गया। यहाँ स्थित लक्ष्मण मन्दिर विष्णु को समर्पित है। खजुराहो के मन्दिर समूहों में एक और प्रसिद्ध मन्दिर 'कंदरिया महादेव मन्दिर' है। यह मन्दिर भारतीय मन्दिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। इसका निर्माण भी चंदेल राजा धंगदेव द्वारा 999 ई. में करवाया गया था। यह खजुराहों के मन्दिरों में सबसे अधिक विकसित (सप्तरथ शैली) मन्दिर है। भगवान शिव का यह मन्दिर 117 फुट ऊँचा व 117 फुट लम्बा एवं 66 फुट चौड़ा है। खजुराहों के मन्दिर अपनी कामोद्दीप एवं शृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं।



चित्र- 10.2 खुजराहो के मन्दिर

3. सूर्य मन्दिर, कोणार्क (ओडिशा)- नागर शैली में निर्मित यह विश्व प्रसिद्ध मन्दिर गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका शिखर पीढ़ा देउल श्रेणी का है। सम्पूर्ण मन्दिर को बारह जोड़ी चक्रों वाले, सात घोड़ों से खींचे जाते सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। ओडिशा जिन तीन मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध है वे हैं- कोणार्क का सूर्य मन्दिर, पुरी का जगन्नाथ मन्दिर व भुवनेश्वर का लिंगराज मन्दिर। इन मन्दिरों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है।



चित्र- 10.3 कोणार्क का सूर्य मन्दिर ओडिसा

4. **जगन्नाथ मन्दिर, पुरी (ओडिशा)**- यह पुरी में स्थित प्रसिद्ध नागर शैली में निर्मित मन्दिर है। इसकी चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार बनाये गये हैं। इसके गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ उनकी बहन सुभद्रा तथा भाई बलभद्र के काष्ठ के विग्रह बने हैं। इन विग्रहों को 8, 11 या 19 वर्ष पश्चात् धार्मिक उत्सव 'नवकलेवर' द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नवकलेवर नीम के ऐसे वृक्ष की लकड़ी से होता है जिसमें शंख, चक्र, गदा एवं पद्म चिह्न प्राकृतिक रूप से बने हों। पुरी के जगन्नाथ मन्दिर की ख्याति प्रतिवर्ष निकलने वाली रथयात्रा से भी है।



चित्र- 10.4 जगन्नाथ मन्दिर, पुरी (ओडिशा)

5. **लिंगराज मन्दिर, भुवनेश्वर (ओडिशा)**- यह प्रसिद्ध मन्दिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं-11वीं सदी में किया गया था। यह मन्दिर भगवान शिव के एक रूप हरिहर को समर्पित है। यह उत्तर भारत के मन्दिरों में रचना-सौन्दर्य, शोभा और अलंकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें 4 विशाल कक्ष हैं - देउल, जगमोहन, नरमण्डप तथा भोप मण्डप। मन्दिर का शिखर 160 मी. ऊँचा है। यह मन्दिर 520 फुट × 465 फुट के विशाल आयताकार प्रांगण में स्थित है। प्रांगण के मध्य में अनेक लघु मन्दिरों का समूह है जिसे बौद्ध स्तूपों के चतुर्दिक निर्मित बौद्ध चैत्यग्रहों का अनुकरण कहा है।
6. **दशावतार मन्दिर, ललितपुर (उत्तरप्रदेश)**- दशावतार मन्दिर गुप्तकालीन कला का अनुपम उदाहरण है। यह मन्दिर उत्तरप्रदेश प्रान्त के ललितपुर जिले में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह लगभग छठी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में बनाया गया था। यह साँची और उदयगिरी (म.प्र)



चित्र- 10.5 दशावतार मन्दिर, ललितपुर (उत्तरप्रदेश)

के छोटे मन्दिरों के लगभग 100 वर्षों बाद बना था। यह मन्दिर भी वास्तुकला की पञ्चायतन शैली में निर्मित है। इसके गर्भगृह तक पहुँचने के लिए चारों ओर सात सीढ़ियों से युक्त चार सोपान निर्मित हैं। इस मन्दिर में भगवान विष्णु के दश अवतारों की कथा नक्काशी के रूप में प्रदर्शित की गई है इसलिए इसे दशावतार मन्दिर कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस मन्दिर की एक अन्य विशेषता यह है कि यह मन्दिर पश्चिमाभिमुख है जबकि अधिकांश मन्दिर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होते हैं।

7. देलवाड़ा के जैन मन्दिर, सिरोही (राजस्थान)- राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित देलवाड़ा के जैन मन्दिर नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यहाँ पाँच मन्दिरों का एक समूह है जिनमें दो मन्दिर लूण वसही व विमल वसही अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ स्थित जैन मन्दिर, जैन तीर्थकरों को समर्पित



चित्र- 10.6- देलवाड़ा के जैन मन्दिर, सिरोही (राजस्थान)

है। इनका निर्माण 11वीं से 13वीं सदी के मध्य हुआ था। ये मन्दिर संगमरमर से निर्मित हैं। मन्दिरों के लगभग 48 स्तंभों पर नृत्यांगनाओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं।

8. **कामाख्या मन्दिर, गुवाहाटी (असम)**- असम में बारहवीं से चौदहवीं शताब्दी की कालावधि में एक क्षेत्रीय शैली के विकास के प्रमाण मिलते हैं। यह शैली अपर वर्मा से प्रभावित ताई शैली एवं पूर्व प्रचलित पाल शैली के मिश्रण से अस्तित्व में आई एवं अहोम शैली के नाम से जानी जाती है। गुवाहाटी के निकट नीलाँचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मन्दिर (शक्तिपीठ) इस शैली का उल्लेखनीय उदाहरण है। इस शैली की विशेषता बहुभुजी गुम्बदाकार शिखर है। इस मन्दिर में प्रतिवर्ष अम्बुवाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देशभर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं।

9. **सोमनाथ मन्दिर, द्वारका (गुजरात)**- सोमनाथ मन्दिर काठियावाड़ क्षेत्र (गुजरात) में समुद्र किनारे स्थित है। यह मन्दिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। धर्मग्रन्थों में इसे प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। महाभारत, श्रीमद्भागवत, स्कन्द पुराण आदि में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से उल्लेख है। एक कथा के अनुसार चन्द्रमा (सोम) ने भगवान शिव को ही अपना नाथ (स्वामी) मानकर यहाँ तपस्या की थी इसलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है।

इसे भी जाने-

- सोमनाथ मन्दिर का शिखर 150 फुट ओर ध्वजा 27 फुट ऊँचा है।

सर्वप्रथम यहाँ एक मन्दिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था। दूसरी बार मन्दिर का पुनर्निर्माण 7वीं

इसे भी जाने-

- **विमलवसही मन्दिर**- यह मन्दिर 1031 ई. में गुजरात के शासक भीम के मन्त्री विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। यह मन्दिर प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ की आंखें असली हीरे से बनी हुई हैं।
- **लूण वसही मन्दिर**- यह मन्दिर 1231 ई. में गुजरात के दो भाइयों वास्तुपाल और तेजपाल (वाहेला शासक) द्वारा बनवाया गया था। यह मन्दिर 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है।

सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने तथा तीसरी बार गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 815 ई. में पुनर्निर्माण करवाया था। अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा-वृत्तांत में इस मन्दिर की महिमा का उल्लेख किया था, जिससे प्रभावित होकर 1024 ई. में महमूद

गजनवी ने अपने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मन्दिर पर आक्रमण कर यहाँ से अथाह धन-सम्पत्ति लूटकर अपने साथ ले गया था। तदुपरान्त गुजरात के शासक भीम और मालवा के शासक भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। सोमनाथ मन्दिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण लौह पुरुष सरदार

वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। 1 दिसम्बर, 1955 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था।

द्रविड शैली- द्रविड शैली का विकास एवं विस्तार दक्षिण भारत में हुआ है। इस शैली के मन्दिरों की बनावट की विशेषता वर्गाकार गर्भगृह पर पिरामिडनुमा ऊपर की ओर आकार में छोटी होती हुई मंजिलों का बना शिखर, जिसका शीर्ष छाया आठ कोणों के गुम्बद के आकार का होता है। द्रविड शैली के मन्दिर नागर शैली के विपरीत एक चारदीवारी से घिरे होते हैं। इस चारदीवारी के मध्य में प्रवेश द्वार होते हैं, जिन्हें गोपुरम् कहते हैं। इस शैली में विशाल मन्दिरों के ऊपर रथ और विमान बने होते हैं। द्रविड शैली के मन्दिरों का निर्माण चोल, पांड्यों, पल्लवों और विजयनगर साम्राज्य के शासकों के शासन काल में हुआ था। इस शैली के अधिकांश मन्दिर तंजौर, मदुरै, काञ्ची, हम्पी, विजयनगर आदि स्थानों पर हैं। इसकी उपशैलियों को पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर व नायक उपशैली के रूप में जाना जाता है। द्रविड शैली का जन्म या उद्भव पल्लव काल से माना जाता है।

द्रविड शैली में निर्मित प्रमुख मन्दिर-

1. **मदुरै का मीनाक्षी मन्दिर (तमिलनाडु)-** मीनाक्षी मन्दिर तमिलनाडु प्रान्त के प्रसिद्ध नगर मदुरै में स्थित है। इस मन्दिर का मुख्य गर्भगृह 3500 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। मीनाक्षी मन्दिर में भव्य 12 गोपुरम् हैं, जिन पर महीन चित्रकारी की गई है। इस विशाल भव्य मन्दिर का स्थापत्य एवं वास्तु भी अत्यधिक रोचक है। इस मन्दिर से



चित्र- 10.7 मदुरै मीनाक्षी मन्दिर

जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है 'मीनाक्षी तिरूकल्याणम्' जिसका आयोजन चैत्र मास (अप्रैल के मध्य) में होता है। यह मन्दिर भारत के सबसे अमीर मन्दिरों में सम्मिलित है। पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पाण्ड्य राजा मलयध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरै नगर आए थे। यह मन्दिर मीनाक्षी या मछली के आकार की आँख वाली देवी को समर्पित है। मछली पाण्ड्य राजाओं का राजचिन्ह थी।

2. **महाबलीपुरम् का तटीय मन्दिर (तमिलनाडु)-** महाबलीपुरम् का तटीय मन्दिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय (700-728 ई.) द्वारा बनवाया गया। यह मन्दिर बङ्गाल की खाड़ी के तट पर स्थित है

इसलिए इसे तट मन्दिर कहा जाता है। यह मन्दिर दक्षिण भारत के प्राचीन मन्दिरों में गिना जाता



चित्र- 10.8 महाबलीपुरम् का तटीय मन्दिर (तमिलनाडु)

है, जिसका सम्बन्ध 8वीं सदी से है। यहाँ तीन मन्दिर हैं- मध्य में भगवान विष्णु का मन्दिर है, और उसके दोनों ओर शिव मन्दिर हैं। विष्णु मन्दिर में विष्णु की मूर्ति अनन्तशयनम् रूप में स्थित है। यहाँ स्थित तीनों मन्दिरों में सबसे बृहद् भगवान शिव का पूर्वमुखी सिद्धेश्वर मन्दिर है।

पश्चिममुखी मन्दिर अपेक्षाकृत छोटा है, जिसे राजसिंहेश्वर मन्दिर भी कहा जाता है। यहाँ 16 मुखी विशालकाय शिवलिंग है। सम्पूर्ण मन्दिर पाँच मंजिला है।

3. तंजावुर का राजराजेश्वर मन्दिर (तमिलनाडु)- यह मन्दिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसके गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग है। 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना होने के बाद भी आज यह उत्कृष्ट अवस्था में है। चोल शासक

इसे भी जाने-

- राजराजेश्वर मन्दिर में विशाल शिवलिंग के कारण इसे बृहदेश्वर नाम दिया गया है।

राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण 1003 -1010 ई. के मध्य करवाया गया। इस कारण इसे राजराजेश्वर मन्दिर नाम दिया गया था। 13 तल वाले इस मन्दिर की ऊँचाई लगभग 66 मीटर है। इसके निर्माण में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग हुआ था। इसके आस-पास

इसे भी जाने-

- राजराज चोल प्रथम द्वारा इस मन्दिर का नाम काछिपेटू पेरिया थिरूकात्राली (कांची पेटू का पत्थर मन्दिर) रखा था, जो कांचीपुरम का मूल नाम है। काञ्ची का कैलाशनाथ मन्दिर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से संरक्षित स्मारकों की सूची में है।

लगभग 60 किमी. तक न तो कोई पहाड़ है और न ही कोई चट्टान। कहा जाता है कि 3 हजार हाथियों की मदद से इन पत्थरों को यहाँ लाया गया था। इन पत्थरों को जोड़ने में किसी प्रकार के मसाले

का उपयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को पजल तकनीक से आपस में जोड़ा गया है।

4. **काञ्ची का कैलाशनाथ मन्दिर (तमिलनाडु)**- इस शिव मन्दिर का निर्माण कार्य 658 ई में राजसिंह द्वारा आरम्भ कर, राजा महेन्द्र वर्मन द्वारा 705 ई में पूर्ण करवाया था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस मन्दिर में मूल आराध्य शिव के चारों ओर सिंहवाहिनी देवी दुर्गा, विष्णु समेत कुल 58 देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर के पीछे की दीवार में सोमस्कंद (केन्द्र में पुत्र मुरुगा के साथ भगवान शिव और उमा) की मूर्ति है। इस मन्दिर में एक बड़ा सोलह भुजाओं वाला शिवलिंग है, जो लगभग 8 फीट ऊँचा है।

5. **पट्टदकल का विरूपाक्ष मन्दिर (कर्नाटक)**- यह मन्दिर चालुक्य कालीन मन्दिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी ने विक्रमादित्य के कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। यह मन्दिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर हेमकूट पहाड़ी की तलहटी में स्थित नौ स्तरों और 50 मीटर ऊँचे गोपुरम वाला



चित्र- 10.9 पट्टदकल का विरूपाक्ष मन्दिर (कर्नाटक)

मन्दिर है। इस विशाल मन्दिर के अन्दर अनेक छोटे-छोटे मन्दिर हैं, जो विरूपाक्ष मन्दिर से भी प्राचीन हैं। इस मन्दिर को 'पंपापटी मन्दिर' भी कहा जाता है। यहाँ स्थित एक अन्य महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मन्दिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है।

6. **पद्मनाभ स्वामी मन्दिर (केरल)**- यह मन्दिर भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनन्तपुरम् में स्थित भगवान विष्णु का विश्व प्रसिद्ध मन्दिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव

इसे भी जाने-

- श्री पद्मनाभ स्वामी मन्दिर में मुख्य प्रतिमा की लम्बाई अठारह फीट है। इस मन्दिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है।

मन्दिरों में सम्मिलित यह ऐतिहासिक मन्दिर तिरुवनन्तपुरम् के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मन्दिर विष्णु भक्तों की महत्त्वपूर्ण आराधना स्थली है। इस मन्दिर का निर्माण लगभग 10वीं सदी में हुआ था तथा इसका पुनर्निर्माण 1750 ई. में त्रावणकोर के शासक मार्तण्ड वर्मा ने करवाया था।

7. **कैलाश मन्दिर एलोरा महाराष्ट्र-** कैलाश मन्दिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह मन्दिर पूरा मन्दिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस मन्दिर के निर्माण में लगभग 7000 मजदूरों ने कार्य किया था। यह मन्दिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। इस मन्दिर में कैलाश पर्वत की अनुकृति निर्मित की गई है। यह मन्दिर एक पहाड़ को शीर्ष से नीचे तक काटकर बनाया गया है।

इसे भी जाने-

- कैलाश मन्दिर एलोरा को द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है।

बेसर शैली- यह शैली नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। इस शैली के मन्दिर विंध्याचल पर्वत से

इसे भी जाने-

- बेसर शैली को चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल वंशों के काल में संरक्षण प्राप्त हुआ था।

लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। यह शैली 7वीं सदी के उत्तरार्द्ध में लोकप्रिय हुई और जिसका उल्लेख ग्रन्थों में बेसर के नाम से किया गया है। दक्कन के दक्षिणी भाग अर्थात् कर्नाटक में बेसर वास्तुकला की शैलियों के सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। इस शैली के मन्दिरों की विशेषता बहुभुजी अथवा तारों की आकृति की आधार योजना है। एहोल (कर्नाटक) को मन्दिरों का नगर कहा जाता है। वर्तमान में भी यहाँ 70 मन्दिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण चालुक्य शासनकाल में 450-600 ई. के मध्य हुआ था। इस समय उत्तर में गुप्तों द्वारा मन्दिरों का निर्माण करवाया जा रहा था, जिस कारण आर्य शिखर शैली के लक्षण दक्षिण में भी पहुँचे थे। अतः एहोल के मन्दिरों में नागर एवं द्रविड़ शैलियों का मिश्रण मिलता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध मन्दिर.....है।
 अ. सोमनाथ मन्दिर, द्वारिका ब. जगन्नाथ मन्दिर, पुरी
 स. देलवाड़ा जैन मन्दिर, सिरौही द. सूर्य मन्दिर, कोणार्क
2. खजुराहो के मन्दिरों से प्रमुख विशेषता..... है।
 अ. वल्लव शैली ब. चौल शैली
 स. चालुक्य शैली द. कामोद्वीप एवं शृंगार प्रधान प्रतिमाएँ

3. निम्न में से गुप्तकाल के दशावतार मन्दिर के सम्बन्ध में असत्य कथन हैं -

- अ. मन्दिरों की दीवारों पर विष्णु के दशावतार उत्कीर्णित हैं।
- ब. मन्दिर आरम्भिक नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है।
- स. यह पञ्चायतन शैली में निर्मित मन्दिर है।
- द. यह मन्दिर पश्चिममुखी है।

4. कंदरिया महादेव मन्दिर नगर में स्थित है।

- अ. उज्जैन
- ब. खजुराहो
- स. मैहर
- द. देवास

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. मन्दिरों के विषय में जानकारी वहाँ स्थित द्वारा प्राप्त होती है। (शिलालेखों/सिक्कों)
2. मन्दिरों का नगर को कहा जाता है। (मैसूर/एहोल)
3. बेसर शैली को भी कहा जाता है। (चालुक्य शैली/राजपूत शैली)
4. पट्टदकल का विरूपाक्ष मन्दिर.....राज्य में है। (कर्नाटक/ केरल)

सत्य/असत्य बताइए -

1. द्रविड शैली का उद्भव पल्लव काल से माना जाता है। सत्य/असत्य
2. मन्दिर निर्माण की नागर शैली का सम्बन्ध दक्षिण भारत से है। सत्य/असत्य
3. नागर व द्रविड शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहते हैं। सत्य/असत्य
4. एहोल (कर्नाटक) को मन्दिरों का नगर कहा जाता है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. मोढेरा का सूर्य मन्दिर	क. राजस्थान
2. देलवाडा के जैन मन्दिर	ख. तमिलनाडु
3. राजराजेश्वर मन्दिर	ग. केरल
4. पद्मनाभ स्वामी मन्दिर	घ. गुजरात

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. बेसर शैली का अन्य नाम क्या है?
2. विमान से क्या आशय है?
3. प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मन्दिर कहाँ स्थित है व इसका निर्माता कौन था ?

4. जगन्नाथ मन्दिर के गर्भगृह में किन-किन के काष्ठ विग्रह बने हुये हैं ?
5. मीनाक्षी मन्दिर में कितने गोपुरम् हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. नागर शैली पर टिप्पणी लिखिए।
2. विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मन्दिर के बारे में आप क्या जानते हैं?
3. पञ्चायतन शैली से आप क्या समझते हैं ? लिखिए।
4. काञ्ची के कैलाशनाथ मन्दिर के बारे में बताइए।
5. दशावतार मन्दिर के विषय में आप क्या जानते हैं। लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. मन्दिर निर्माण की नागर शैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, इस शैली में बने सोमनाथ मन्दिर का वर्णन कीजिए।
2. मन्दिर निर्माण की द्रविड शैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, इस शैली में बने मीनाक्षी मन्दिर के बारे में आप क्या जानते हैं?

परियोजना-

1. आपके क्षेत्र या राज्य में स्थित प्रसिद्ध मन्दिरों की स्थान सहित सूची बनाइये।

अध्याय- 11

भारत की सांस्कृतिक विरासत

इस अध्याय में- सांस्कृतिक विरासत, यज्ञ, षोडश संस्कार, श्रुति-स्मृति, संस्कृत भाषा, पुराण, महाकाव्य, दर्शन ग्रन्थ, वर्ण और आश्रम व्यवस्था, पर्व और त्यौहार, तीर्थ परम्परा और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता में त्यौहार/पर्व एवं तीर्थयात्रा की भूमिका।

मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही भारतीय संस्कृति का मूल आधार सर्व कल्याण रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद् में इस कथन की पुष्टि होती है- सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत्। (1.4.14) अर्थात् सभी जन सुखी हों, सभी जन रोग मुक्त रहें, सभी मङ्गलकारी घटनाओं के साक्षी बनें और संसार के किसी भी प्राणी को दुःख का भागी न बनना पड़े। इसलिए भारतीय संस्कृति संसार की सर्वश्रेष्ठ एवं महान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के वैश्विक स्वरूप के दर्शन हमें संसार के अनेक देशों में उपलब्ध भवनों, मन्दिरों, स्तूपों, अभिलेखों एवं ग्रन्थों में होते हैं। भारत में धर्म, भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन, यज्ञ आदि उन्नत अवस्था में थे। भारतीय ऋषियों, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों तथा राजाओं ने भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान दिया है। इसीलिए राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में 'दी फण्डामेंटल यूनिटी आफ इंडिया' में इसी सांस्कृतिक विस्तार को देखते हुए वृहत्तर भारत शब्द का प्रयोग किया है। इसका आशय है कि उस समय जावा, मलाया, सुमात्रा, बर्मा, लंका, बोर्नियो, कम्बोडिया, चंपा, बाली, आदि भारतीय उपनिवेश थे। आज भी इन देशों में भारतीय संस्कृति के चिन्ह स्पष्ट देखने को मिलते हैं। तत्कालीन समय में ये देश विकसित नहीं थे परन्तु प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध थे। इसीलिए भारतीय व्यापारी, राजाओं, धर्म प्रचारकों ने व्यापार एवं धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए इन देशों को अपना उपनिवेश बनाकर बौद्धिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया था।

सांस्कृतिक विरासत- संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरण की प्रक्रिया सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। कला, संगीत, वाङ्मय, वास्तुविज्ञान, शिल्पकला, धर्म, दर्शन, यज्ञ, विज्ञान, रीति-रिवाज, परम्पराएँ, पर्व और त्यौहार, जीने के तरीके सभी हमारी सांस्कृतिक विरासत के अङ्ग हैं। जिनका विस्तृत अध्ययन हम निम्नानुसार करेंगे-

यज्ञ- यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति की मूल्यवान विरासत है। मंत्रोच्चार के साथ किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाने वाला हवन, यज्ञ कहलाता है। यज्ञ के द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों व मूल्यवान सुगंधित

पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से संसार के कल्याण के लिए देवताओं को अर्पित किया जाता



चित्र- 11.1 यज्ञ

है। हमारे ग्रन्थों में यज्ञों के समान धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्त्व किसी भी वस्तु को नहीं दिया गया है। वैदिक वाङ्मय में कुछ मिनट के यज्ञों से लेकर कई वर्षों तक चलने वाले यज्ञों के प्रमाण मिले हैं। रामायण में कई जगह भगवान श्रीराम को यज्ञ करने वाला कहा गया है और महाभारत में बताया गया है कि श्रीकृष्ण सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर हवन नहीं छोड़ सकते हैं। सनातन धर्म में

बालक का जन्म होने पर, मुण्डन,

नामकरण, जन्मदिवस, व्यवसाय शुरू करने पर, शादी आदि कई अवसरों पर यज्ञ या हवन का आयोजन अवश्य होता है। यज्ञ से निकलने वाले धुँएँ से घर और वातावरण में फैले कीटाणुओं व रोगाणुओं का नाश होता है। इससे वातावरण व घर में शुद्धता आती है तथा बीमारियाँ दूर होती हैं। यह पवित्र धुँआँ आँख, नाक, फेफड़ों को भी शुद्ध करता है।

षोडश संस्कार- सनातनीय संस्कृति का आधार संस्कार हैं। संस्कार मनुष्य को सभ्य बनाते हैं, बिना संस्कार के मनुष्य को पशुतुल्य माना गया है। संस्कार मनुष्य के जन्म लेने से पूर्व आरम्भ होते हैं जो उसकी मृत्यु पर्यन्त तक चलते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से सोलह संस्कारों की व्याख्या की गई है जो इस प्रकार हैं- गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म(मुण्डन), विद्यारंभ, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशान्त, समावर्तन, विवाह, अन्त्येष्टि संस्कार।

श्रुति-स्मृति- श्रुति और स्मृति सनातन धर्म के पवित्र ग्रन्थ हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि वेदों को सर्वप्रथम परमात्मा ने ऋषियों को सुनाया था। वेदों को श्रवण परम्परा के अनुसार गुरु द्वारा शिष्यों को दिया जाता रहा है। वेद के चार भाग हैं- संहिता-मन्त्र भाग, ब्राह्मण ग्रन्थ-गद्य भाग (कर्मकाण्ड की विवेचना), आरण्यक (गूढ़ तत्त्वों की विवेचना) तथा उपनिषद् (ब्रह्म और आत्मा के सम्बन्धों की विवेचना)। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद श्रुति वाङ्मय हैं, जो अपरिवर्तनीय, शाश्वत व सैद्धान्तिक ज्ञानकोष हैं। स्मृति ग्रन्थों में मानव के आचार व व्यवहार सम्बन्धी नियमों की व्याख्या की

गई है। धर्मशास्त्र व धर्मसूत्र, आगम शास्त्र, मनुस्मृति आदि हैं। इनके अतिरिक्त पुराण, श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण, महाभारत, दर्शन आदि सम्मिलित हैं।

संस्कृत भाषा- सांस्कृतिक दृष्टि से संस्कृत वाङ्मय को विश्व में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह भारत की ही नहीं अपितु विश्व की प्राचीनतम और श्रेष्ठतम भाषा है।

संस्कृत भाषा देववाणी कहलाती है। संस्कृत भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक और व्याकरण सम्मत है। यह विश्व की अन्य

इसे भी जाने-

- संस्कृत भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन भारत में गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को संस्कृत भाषा के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन करवाते थे। आज इसमें निहित वैज्ञानिकता के कारण ही वैज्ञानिकों ने इसे कम्प्यूटर के लिए भी उपयुक्त तथा श्रेष्ठ भाषा माना है। हमारे प्राचीन वाङ्मय की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। संस्कृत का वाङ्मय इतना विशाल है कि सम्पूर्ण लैटिन एवं ग्रीक वाङ्मय मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। संस्कृत वाङ्मय में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी आदि के विशाल भण्डार हैं।

पुराण- पुराणों को भारतीय संस्कृति का प्राण कहा गया है। भारतीय जीवन को जीवन-रस, जीवन शैली, जीवन-व्यवहार, लोक-व्यवहार और लोक-जीवन का व्यवस्थित स्वरूप पुराणों ने दिया है। पुराणों में प्राचीन समय के इतिहास के साथ-साथ धर्म, नीति, तीर्थ, वंश, सृष्टि प्रलय आदि का भी वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण-ग्रन्थों में प्रणयन या उनके प्रणेताओं के सम्बन्ध में विष्णुपुराण में एक रोचक कथा वर्णित है, जिसके अनुसार वेदव्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि आदि के साथ-साथ पुराण-संहिता की भी रचना की थी। पुराणों का अध्यापन अपने सुयोग्य सूतजातीय लोमहर्षण नामक शिष्य को

सारणी 10.1

पञ्च महाकाव्यों की सूची

रघुवंशम्	कालिदास
कुमारसम्भवम्	कालिदास
किरातार्जुनीयम्	भारवि
शिशुपालवधम्	माघ
नैषधचरितम्	श्री हर्ष

कराया था। लोमहर्षण ने अपने कश्यपवंशीय तीन सुपात्र शिष्यों-अकृतव्रण, सावर्णि एवं शांशपायन को पुराणों का महान ज्ञान दिया और इन तीनों ने मूल संहिता के आधार पर तीन पुराण-संहिताएं और तैयार की। आगे चलकर इन्हीं की शिष्य-परम्परा ने अष्टादश महापुराणों की तथा अनेक उपपुराणों की रचना की थी। ब्रह्मपुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड पुराण व ब्रह्माण्ड पुराण अठारह पुराण हैं।

महाकाव्य- आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसमें सर्गों का निबन्धन होता है, वह महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा इतिहासाश्रित होना चाहिए। इसका नायक देवता या क्षत्रिय सदृश होता है, जिसका चरित्र धीरोदात्त गुणों से समन्वित होता है। महाकाव्य में शृंगार, वीर, शान्त एवं करुण रस में से कोई एक प्रधान रस होता है। प्राचीन

इसे भी जाने-

- हिन्दी भाषा का प्रथम महाकाव्य में चन्द्रवरदाई रचित पृथिवीराज रासो है।
- पद्मावत- मलिक मुहम्मद जायसी, रामचरित मानस- तुलसीदास, रामचन्द्रिका-आचार्य केशवदास, साकेत- मैथिलीशरण गुप्त, कामायनी-जयशंकर प्रसाद, उर्वशी- रामधारी सिंह दिनकर आदि प्रमुख महाकाव्य हैं।

महाकाव्यों में रामायण और महाभारत मुख्य हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में पञ्च महाकाव्य- रामायण (वाल्मीकि), महाभारत (वेद व्यास), बुद्धचरित (अश्वघोष), कुमारसम्भवम् (कालिदास), रघुवंश

सारणी 10.2	
षड्दर्शन प्रणेताओं की सूची	
दर्शन	प्रणेता
सांख्य	महर्षि कपिल
योग	महर्षि पतञ्जलि
न्याय	अक्षपाद गौतम
वैशेषिक	उलूक कणाद
पूर्व मीमांसा	महर्षि जैमिनि
उत्तर मीमांसा(वेदांत)	महर्षि बादरायण

(कालिदास), किरातार्जुनीयम् (भारवि), शिशुपाल वध (माघ), नैषधीय चरितम् (श्रीहर्ष) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके अतिरिक्त बुद्धचरित (अश्वघोष), भट्टिकाव्य (भट्टि) भी महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं।

दर्शन ग्रन्थ- वैदिक दार्शनिक अवधारणाओं में षट् दर्शन के सम्प्रदायों का उद्भव हुआ। ये दर्शन वेदों की प्रमाणिकता स्वीकार करते हैं, इसलिए ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। सांख्य, योग, न्याय,

वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत और आस्तिक दर्शन हैं। इनके अतिरिक्त चार्वाक, जैन, बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन हैं।

वर्ण व्यवस्था- भारतीय सांस्कृतिक विरासत में वर्ण व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में समज के चारों वर्णों को विराट पुरुष के चार अङ्ग बतलाया है। इन चारों अंगों के कार्यों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का सृजन हुआ था, जो कालान्तर में जन्म आधारित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत समाज को चार वर्णों में वर्गीकृत किया गया है।

ब्राह्मण- ब्राह्मण वेदों का अध्ययन-अध्यापन, धार्मिक, अनुष्ठानिक आदि प्रकार के कार्य सम्पन्न करवाते थे। इस वर्ण में ब्राह्मण पुरोहित, राजपुरोहित, मन्त्री, शिक्षक, उपदेशक, आचार्य आदि आते थे।

क्षत्रिय- क्षत्रिय प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का दूसरा वर्ण था। यह वर्ण समस्त शासन व्यवस्था की धुरी था। प्रजा के जन-धन की रक्षा करना इस वर्ण का प्रमुख दायित्व होता था।

वैश्य- सामाजिक व्यवस्था में तीसरा वर्ण वैश्य था। इनका प्रमुख कार्य व्यापार, कृषि व पशुपालन था। धनिक वैश्यों को श्रेष्ठी व गृहपति कहा जाता था।

शूद्र- इस वर्ण का प्रमुख कार्य सेवा करना था। शूद्र वर्ण का सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। इस वर्ण की महत्ता इस बात से प्रतिपादित होती है कि आज भी यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, रथ निर्माण, मन्दिर निर्माण आदि माङ्गलिक कार्य इनकी उपस्थिति के बिना सम्पन्न नहीं होते हैं। महाभारत में उल्लेखित युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शूद्रों को भी आमन्त्रित किया गया था। यथा- आमन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान् भूमिपानथ। विशश्च मान्यान् शूद्रांश्च सर्वानानयतेति च॥ (सभापर्व 33.41) इस श्लोक में युधिष्ठिर की आज्ञा से सहदेव, दूतों से कहता है कि तुम लोग सभी राज्यों में जाकर वहाँ के राजाओं ब्राह्मणों, वैश्यों और सभी शूद्रों को निमन्त्रित कर बुला ले आओ।

आश्रम व्यवस्था- वैदिक वाङ्मय में श्रेष्ठ विधानों से युक्त आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था को संसार की सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति माना जाता है। इस पद्धति में सभी मनुष्यों की सांसारिक व पारलौकिक उन्नति होती है। प्राचीन मनीषियों ने सम्पूर्ण मानव जीवन काल को 100 वर्ष का मानकर बराबर चार भागों में विभाजित किया था, इस विभाजन को ही आश्रम व्यवस्था कहा जाता है।

ब्रह्मचर्य आश्रम- जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक समय ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। इस आश्रम में बालक गुरुकुल या आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी के रूप में निःशुल्क समस्त प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करता था। शिक्षा पूर्ण होने पर बालक, गुरु को गुरु-दक्षिणा देकर अपने घर लौटता था।



चित्र 11.2- प्राचीन गुरुकुल

गृहस्थ आश्रम- गृहस्थ आश्रम का समय 26 से 50 वर्ष की आयु तक होता था। सांसारिक व पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करना, सामर्थ्य अनुसार परोपकार करना और नियत काल में विधि के अनुसार ईश्वर उपासना व गृह के समस्त कर्तव्यों का पालन करना इस आश्रम के प्रमुख कार्य थे।

वानप्रस्थ आश्रम- वानप्रस्थ आश्रम का समय 51 से 75 वर्ष की आयु होता था। गृहस्थाश्रम के पश्चात् यह आश्रम सन्यास आश्रम में जाने की तैयारी का काम करता था। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इस आश्रम में प्रवेश व निवास के लिए स्वगृह व परिवार से दूर वन में जाना है।

सन्यास आश्रम- सन्यास आश्रम, मानव जीवन का अन्तिम आश्रम होता था। इसकी समय सीमा 76 से 100 वर्ष तक निर्धारित थी। इस समयावधि में मनुष्य समस्त सांसारिक मोह-माया को त्यागकर तथा अपने घर-परिवार को छोड़कर किसी शान्त वातावरण वाले स्थान पर जाकर ईश्वर का ध्यान करता था।

पर्व व त्यौहार- हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में पर्व, उत्सवों व त्यौहारों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

त्यौहार हमें हमारे परिवार, समाज को एक साथ मिलाने व साथ रहने के अवसर प्रदान करते हैं। पर्व व त्यौहारों से आपसी मेल-जोल व पारस्परिक भाई-चारा भी बढ़ता है। हमारे समाज में इतने त्यौहार, उत्सव और पर्व हैं कि प्रायः कोई न कोई पर्व या



चित्र 11.3- श्रावणी उपाकर्म

उत्सव हम मनाते रहते हैं। स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, गाँधी जयन्ती आदि हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं।

सारणी 11.3	
भारत के प्रमुख त्यौहार/ उत्सव	
त्यौहार/ उत्सव	मनाए जाने की तिथि/ दिनांक
बासन्तीय नवरात्र	चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि पर्यन्त
रामनवमी	चैत्र शुक्ल नवमी
हनुमान जन्मोत्सव	चैत्र पुर्णिमा/ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी
जगन्नाथ रथयात्रा	आषाढ शुक्ल द्वितीया
श्रावणी/ रक्षाबन्धन	श्रवण पुर्णिमा
श्रीकृष्णजन्माष्टमी	भाद्रपद कृष्ण अष्टमी
गणेश चतुर्थी	भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी
तेजादशमी	भाद्रपद शुक्ल दशमी
शारदीय नवरात्र	आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक

दशहरा	आश्विन शुक्ल दशमी
दीपावली	कार्तिक अमावस्या
गोवर्धन पूजा/ गुडीपडवा	कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा
मकरसंक्रान्ति/पोंगल/लोहड़ी/बिहू	14/15 जनवरी
ओणम	मलयालम कैलण्डर के चिंगम माह में
बसन्त पञ्चमी	माघ शुक्ल पञ्चमी
होली	फाल्गुन पूर्णिमा
गुरुनानक जयन्ती/प्रकाश पर्व	कार्तिक पूर्णिमा
ईद	रमजान माह की अन्तिम तिथि
क्रिसमस	25 दिसम्बर
पारसी नवरोज	पारसी नववर्ष के प्रारम्भ में

तीर्थ परम्परा- धार्मिक व आध्यात्मिक महत्त्व वाले स्थानों को तीर्थ कहा जाता है। मानव जीवन का

इसे भी जाने-

- चार पुरुषार्थ- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं।

प्रधान लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना है। इन पुरुषार्थ चतुष्टय में से अन्तिम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनीषियों के विभिन्न मत हैं। जिनमें एक मत तीर्थ परम्परा या तीर्थ यात्रा करना है। धार्मिक व

आध्यात्मिक महत्त्व वाले स्थानों को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थयात्रा करने से व्यक्ति को आत्मसन्तुष्टि प्राप्त होने के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों की विविध भाषा, बोली, खानपान, पहनावा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, जलवायु, श्रेष्ठ पुरुषों-संतों का सत्संग आदि से का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में असंख्य पवित्र, रमणीय व ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।

राष्ट्रीय एकता और अखण्डता में त्यौहार/पर्व एवं तीर्थयात्रा की भूमिका- भारतीय सभ्यता और संस्कृति में त्यौहार, व्रत, उत्सव, तीर्थ क्षेत्रों, तीर्थयात्राओं का महत्त्व प्राचीन काल से ही रहा है। भारत में प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई त्यौहार, पर्व आदि मनाए जाते हैं। इन उत्सव, पर्व और त्यौहारों के मनाने से नई ऊर्जा का सञ्चार होता है, त्यौहारों और पर्वों को मनाने से ही हमें एक मंच पर आने का अवसर मिलता है, जिससे राष्ट्रीय सद्भाव तथा बन्धुत्व को बल मिलता है। प्रत्येक त्यौहार का सम्बन्ध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी होता है। ये सभी त्यौहार, व्रत और उत्सव किसी न किसी रूप में प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध होते हैं। भारत में अधिकतर पर्व और त्यौहार ऐसे हैं, जिन्हें सभी धर्मों, जातियों और सम्प्रदायों द्वारा मनाया जाता है। दीपावली, होली, मकर संक्रान्ति, सोमवती अमावस्या, आदि त्यौहार और पर्व

सम्पूर्ण भारत में मनाए जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और अखण्डता में त्यौहारों, पर्वों आदि का महत्वपूर्ण योगदान है।

भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में तीर्थ स्थलों एवं तीर्थयात्रा का महत्त्व सदैव रहा है। ये तीर्थ स्थल प्रायः भारत के समस्त भागों में स्थित हैं। जब भारत में परिवहन सुविधाएँ विकसित भी नहीं हुई थीं तब भी लोग पैदल चलकर सुदूर स्थानों की तीर्थ यात्रा करते थे, जो भारत की भौमिक एकता का परिचायक था। वर्तमान समय में अधिकांश लोग तीर्थयात्रा करना पसन्द करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से

इसे भी जाने-

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तीर्थ यात्राओं का 2.32 % योगदान है। भारत में मन्दिरों की अर्थव्यवस्था तीन लाख करोड़ रुपये है।

तीर्थयात्रा पर जाने वाले लोग जिस तीर्थ स्थल में एकत्र होते हैं, उस क्षेत्र में लघु भारत का दृश्य प्रकट होता है। उदाहरण के लिए कुम्भ मेले में ऐसे ही मनोहारी दृश्य देखने को मिलते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के निर्माण में सहायक हैं। ये तीर्थ स्थल प्राचीनकाल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में आर्थिक क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीनकाल में मन्दिर, तीर्थस्थल अकाल, महामारी आदि के समय जनता की मदद के केन्द्र रहे हैं। वर्तमान समय में भी प्राकृतिक आपदा के समय विभिन्न मन्दिर और तीर्थ स्थल अनेक जनकल्याण के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कोरोना काल में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शिरडी साई बाबा मंदिर ने 51 करोड़ रुपये, महावीर हनुमान मंदिर, पटना ने 1 करोड़ रुपये, स्वामीनारायण मंदिर समूह ने 1.88 करोड़ रुपये का दान अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया था। ऐसे ही अनेक उदाहरण भारत के प्रत्येक राज्य में भरे पड़े हैं।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न-

- सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः श्लोक ग्रन्थ से लिया है।
अ. बृहदारण्यक ब. मनुस्मृति स. रामायण द. महाभारत
- निम्न में से पुराणों की संख्या है।
अ. 21 ब. 19 स. 4 द. 18
- निम्न में से आस्तिक दर्शन है।
अ. सांख्य ब. योग स. न्याय द. उपर्युक्त सभी
- सबसे प्राचीन महाकाव्य है।
अ. महाभारत ब. रामायण स. पञ्चतन्त्र द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. श्रुति, यज्ञ, संस्कार..... में शामिल हैं। प्राकृतिक विरासत/ सांस्कृतिक विरासत)
2. पुराणों को के प्राण कहा गया है। (भारतीय संस्कृति/ पाश्चात्य संस्कृति)
3. दीपावली कार्तिक मास की मनाई जाती है। (अमावस्या/पूर्णमा)

सत्य/असत्य बताईए-

1. पुराणों को भारतीय संस्कृति के प्राण कहा जाता है। सत्य/असत्य
2. भारत चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। सत्य/असत्य
3. आश्रम व्यवस्था में जीवन काल का विभाजन है। सत्य/असत्य
4. 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष गाँधी जयन्ती मनाई जाती है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान-

1. ब्रह्मचर्य आश्रम क. 26 से 50 वर्ष
2. गृहस्थ आश्रम ख. 76 से 100 वर्ष
3. वानप्रस्थ आश्रम ग. जन्म से 25 वर्ष
4. संन्यास आश्रम घ. 51 से 75 वर्ष

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. देववाणी किसे कहा गया है ?
2. शिशुपालवध महाकाव्य किसके द्वारा रचित है ?
3. श्रुति से क्या आशय है ?
4. आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य की परिभाषा लिखिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सोलह संस्कारों का उल्लेख कीजिए।
2. भारतीय परम्परा की 'आश्रम व्यवस्था' का उल्लेख कीजिए।
3. षड्दर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं?
4. वर्ण व्यवस्था पर टिपणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. सांस्कृतिक विरासत के विषय में विस्तार से समझाइए।
2. राष्ट्रीय एकता और अखण्डता में त्यौहारों एवं तीर्थ परम्पराओं का योगदान स्पष्ट कीजिए।

परियोजना-

1. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाये जाने वाले पर्व, त्यौहारों की सूची बनाइये और इनमें से किसी दो का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।

अध्याय -12

भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल

इस अध्याय में- चारधाम, द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग, शक्तिपीठ, सप्त मोक्षपुरी, कुम्भमेला, तीर्थ स्थलों का महत्त्व।

तीर्थ हमारी सनातन परम्परा में विशेष महत्त्व रखते हैं। ये धार्मिक और आध्यात्मिक महत्त्व वाले विशिष्ट ऊर्जा के केन्द्र होते हैं, इसलिए इन्हें पवित्र स्थल कहा जाता है। इन स्थलों पर आने वाले यात्रियों में पवित्रता का सञ्चार होता है। कहा गया है- **तारयितुम समर्थः इति तीर्थः** अर्थात् संसार रूपी भवसागर से पार कराने में जो समर्थ हो, वही तीर्थ है। यहाँ पर विष्णु तत्त्व अर्थात् सत्त्वगुण के उत्सर्जक केन्द्र के रूप में चार धाम, शिवतत्त्व के उत्सर्जक केन्द्र के रूप में द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग एवं शक्ति तत्त्व के उत्सर्जक रूप में 52 शक्तिपीठों के साथ सप्त मोक्षपुरियों का उल्लेख है।

चारधाम- आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में चार पवित्र तीर्थ स्थलों की स्थापना की थी, जिन्हें चार धाम के नाम से जाना जाता है। ये चार धाम हैं- उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथ पुरी व दक्षिण में रामेश्वरम हैं। चारधाम यात्रा को हिन्दू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे यात्रा नहीं अपितु जीवन दर्शन कहना अधिक तर्कसंगत होगा।



चित्र 12.1- बद्रीनाथ धाम

1. **बद्रीनाथ-** यह पावन धाम अलकनंदा नदी के किनारे 3133 मी. की ऊँचाई पर नर व नारायण पर्वत की गोद में 'बद्रीवन' में उत्तराखण्ड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की काले पत्थर की ध्यानस्थ पद्मासन अवस्था में विग्रह है। यहाँ के पुजारी दक्षिण भारत के नंबूरीपाद ब्राह्मण होते हैं। यह पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ से 245 कि. मी. की दूरी पर केदारनाथ स्थित है। वर्तमान में सरकार ने इन दोनों तीर्थ स्थलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं।

इसे भी जाने-

- बद्रीनाथ को बैकुण्ठ धाम कहा गया है।



चित्र- 12.2 द्वारका धाम

2. **द्वारका-** भारत की पश्चिम दिशा में गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर द्वारका धाम स्थित है। इसे मोक्ष के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा से आने के बाद अपनी कर्मस्थली के रूप में द्वारका नगरी को बसाया था। द्वारका को तीन भागों में विभाजित किया गया है- मूल द्वारका, गोमती द्वारका व बेट द्वारका। जिस स्थान पर भगवान श्रीकृष्ण का निजी महल वहीं पर आज द्वारकाधीश मन्दिर स्थित है। मन्दिर का निर्माण भगवान श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्रभानु द्वारा किया गया था। मन्दिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में प्राप्त हुआ था। मन्दिर में भगवान श्रीकृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा है, जिसे यहाँ 'रणछोड़जी' कहा जाता है। द्वारका से 34

कि.मी. की दूरी पर भेट द्वारका स्थित है। इस स्थान पर श्रीकृष्ण की अपने परम मित्र सुदामा से भेट हुई थी। इस कारण इस स्थान का नाम 'भेट द्वारका' पड़ा।



चित्र-12.3 जगन्नाथ धाम

3. **जगन्नाथपुरी-** ओडिशा राज्य के तटवर्ती नगर पुरी में भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। यह मन्दिर भी श्रीकृष्ण भगवान को समर्पित है। इस मन्दिर का निर्माण कलिंग शासक अनन्तवर्मन चोडगंग देव ने 12वीं सदी में आरम्भ किया और वर्तमान स्वरूप राजा भीमदेव द्वारा दिया गया था। मन्दिर की ऊँचाई

214 फुट है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा इस मन्दिर के मुख्य देवता हैं। की सबसे प्रसिद्ध परम्परा रथ यात्रा है, जो आषाढ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आयोजित होती है। इस

इसे भी जाने-

- जगन्नाथ मन्दिर में काष्ठ निर्मित विग्रह हैं।
- जगन्नाथ मन्दिर के शिखर पर लगा ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है।
- इस मन्दिर के ऊपर से कभी किसी पक्षी या विमान को उड़ते हुए नहीं देखा गया। शिखर की छाया कभी भी भूमि पर दिखाई नहीं देती है।

उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित कर यात्रा पर निकालते हैं, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। जगन्नाथ मन्दिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। यहाँ रसोई घर में महाप्रसाद बनाने के

लिए 500 रसोइए व 300 सहायक सहयोगी एक साथ काम करते हैं। सारा खाना मिट्टी के पात्रों में ही पकाया जाता है।

4. **रामेश्वरम्-** रामेश्वरम् धाम भारत के दक्षिण में तमिलनाडु प्रान्त के रामनाथपुरम् जिले में स्थित है। रामेश्वरम् को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम् में ज्योतिर्लिङ्ग की स्थापना की थी। रामेश्वरम् मन्दिर का गलियारा विश्व का सबसे विशाल गलियारा माना जाता है। मन्दिर में 24 कुएँ हैं, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। यह मन्दिर 1000 फुट लम्बा, 650 फुट चौड़ा व 150 फुट ऊंचा है। इस मन्दिर को रामनाथ स्वामी मन्दिर के नाम से भी जाना जाता है। चित्र- श्री रामेश्वरम् धाम

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग- पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ-जहाँ ज्योति स्वरूप में स्वयं प्रकट हुए, उन स्थानों को ज्योतिर्लिङ्गों के रूप में जाना जाता है। ज्योतिर्लिङ्गों की स्थापना सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए ऊर्जा स्थलों के रूप में की गई है। इन ज्योतिर्लिङ्गों के दर्शन पूजन व आराधना से भक्तों के जन्म-जन्मान्तर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष में बारह ज्योतिर्लिङ्ग हैं, जिनका आध्यात्मिक व पौराणिक महत्त्व है। इन ज्योतिर्लिङ्गों के नाम स्मरण मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है- सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् । उज्जयिन्यां महाकालमोंकार ममलेश्वरम्॥ परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् । सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने । वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे । हिमालये तु केदारं घृष्णेशं च शिवालये । एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि साँयं प्रातः पठेन्नरः । सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेणन विनश्यति ॥

1. **सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्ग-** यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्ग गुजरात प्रान्त में स्थित है। इस ज्योतिर्लिङ्ग का विस्तृत अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं।
2. **मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्ग-** मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्ग आन्ध्रप्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस कारण इसे श्रीशैल मल्लिकार्जुन भी कहा जाता है। श्रीशैल को दक्षिण का कैलाश भी कहा गया है। अनेक शास्त्रों में इसके धार्मिक व पौराणिक महत्त्व को बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जिस पर्वत पर यह ज्योतिर्लिङ्ग है वहाँ शिव की पूजा से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है।
3. **श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग-** महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग, मध्यप्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाभारत, शिवपुराण, स्कन्द पुराण में इस ज्योतिर्लिङ्ग का वर्णन है। उज्जैन को प्राचीन काल में उज्जयिनी व अवन्तिकापुरी भी कहा गया है। परम्परानुसार भगवान महाकाल

की श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को सवारी निकलती है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थित श्री नागचन्द्रेश्वर मन्दिर के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन होते हैं।



चित्र 12.4- श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग, उज्जैन, मध्य प्रदेश

4. **श्री ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग-** ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मन्धाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। नर्मदा नदी, इस द्वीप के चारों ओर इस प्रकार से बहती है कि इसकी आकृति ॐ के समान बनती है। इसीलिए इस ज्योतिर्लिङ्ग को ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग कहा जाता है। ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग के दो स्वरूप हैं- ओङ्कारेश्वर तथा ममलेश्वर। ममलेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग नर्मदा के दक्षिणी तट पर ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है परन्तु दोनों ज्योतिर्लिङ्गों की गणना एक में ही होती है।

इसे भी जाने-

- काल गणना से परे होने की पुनरुक्ति के कारण शिव को महाकाल कहा जाता है।
- भारतीय कालगणना में उज्जैन को पृथिवी का केन्द्र माना जाता है।
- नागचन्द्रेश्वर के दर्शन करने से किसी भी प्रकार का काल सर्पदोष समाप्त हो जाता है।
- महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण 11 अक्टूबर, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था।

5. **श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग-** नर और नारायण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिङ्ग के रूप में वास करना स्वीकार किया था। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग जिले में पर्वतों के राजा हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखण्ड के दो प्रधान तीर्थ हैं। जून, 2013 ई. में आई भयानक बाढ़ व भू-स्वलन के



कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। मन्दिर के आस-पास का इलाका बादल फटने से तबाह हो गया परन्तु मन्दिर का मुख्य हिस्सा व प्राचीन शिखर बिल्कुल सुरक्षित रहे थे।



चित्र-12.5 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग

6. **श्री भीमाशङ्कर ज्योतिर्लिंग-** भीमाशङ्कर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। शिवपुराण के अनुसार प्राचीनकाल में भीम नाम का एक राक्षस जो रावण के भाई कुम्भकर्ण का पुत्र था। उसने ब्रह्माजी की तपस्या से लोक विजयी होने का वरदान प्राप्त कर पूरे देवलोक पर अधिकार कर, शिव भक्त राजा सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया था। सुदक्षिण ने भी शिवजी से भीम के संहार के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने उस भीम राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया था। ऋषि-मुनियों व देवगणों की प्रार्थना पर शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए यहीं निवास करने लगे।
7. **श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग-** श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को 'श्रीकाशी विश्वनाथ' के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरप्रदेश के काशी (वाराणसी) नगर में स्थित है। काशी सभी धर्मों स्थलों में सर्वाधिक महत्त्व रखती है। भगवान विष्णु ने सृष्टि-कामना से यही पर शिवजी की तपस्या की थी। मन्दिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 ई. में रानी अहिल्या बाई होल्कर द्वारा करवाया गया था। 1853 ई. में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो ग्राम सोने से मन्दिर के शिखरों को स्वर्ण मण्डित करवाया था। काशी भगवान शिव की राजधानी मानी जाती है, इसलिए भी अत्यंत महिमामयी है। इसे आनन्दवन, आनन्द कानन, अविमुक्त क्षेत्र आदि नामों से भी सम्बोधित किया

जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इस मन्दिर का सौन्दर्यकरण कर काशी-विश्वनाथ कॉरीडोर का निर्माण किया गया है।

8. **श्री त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग-** श्री त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट स्थित है। इस ज्योतिर्लिङ्ग के निकट से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गौतम ऋषि व गोदावरी नदी के आग्रह पर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिङ्ग के रूप में यहाँ रहना स्वीकार किया था। गोदावरी नदी को दक्षिण की गङ्गा और गौतमी गङ्गा के नाम से जाना जाता है। त्र्यम्बकेश्वर

इसे भी जाने-

- काशी-विश्वनाथ कॉरीडोर का लोकार्पण 13 दिसम्बर, 2021 को प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था।

मन्दिर ब्रह्मगिरी, नीलगिरी व कालगिरी नामक तीन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मन्दिर की विशेषता यह है कि इसमें तीन जल स्रोत बिल्थी तीर्थ, विश्वनाथ तीर्थ व मुकुन्द तीर्थ हैं।

9. **श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग-** श्री वैद्यनाथ धाम झारखण्ड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। देवघर से आशय है 'देवताओं का घर'। यहाँ आने वाले लोगों की मनोकामनाएँ पूर्ण होने के कारण इस शिवलिंग को 'कामना लिङ्ग' भी कहते हैं। सावन माह में शिव भक्त बिहार के सुल्तानगंज से गङ्गाजल



चित्र-12.6 श्री वैद्यनाथ धाम

लेकर, 105 किमी. पैदल चलकर भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। इन पैदल गङ्गाजल लाने वाले शिवभक्तों को 'कांवडिया' कहा जाता है। यहाँ डाक कावड यात्रा बहुत प्रसिद्ध है।

10. **श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग-** श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग गुजरात राज्य में द्वारका से 20 कि.मी. की दूरी पर दारुक नामक स्थान पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिङ्ग की पूजा नागों के ईश्वर रूप में की जाती है। एक

कथानुसार, भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय (वैश्य) ने शिव के आदेशानुसार उनके द्वारा दिए गए, अस्त्र से ही दारूक नामक राक्षस का वध किया था।

11. श्री रामेश्वरम् ज्योतिर्लिङ्ग - श्री रामेश्वरम् ज्योतिर्लिङ्ग ज्योतिर्लिङ्ग की गणना चार धामों में भी की



चित्र- 12.7 नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग

जाती है। इस ज्योतिर्लिङ्ग का अध्ययन हम इस अध्याय के चार धाम शीर्षक के अन्तर्गत कर चुके हैं। चित्र- रामेश्वरम् ज्योतिर्लिङ्ग

12. श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग- श्री घृष्णेश्वर

ज्योतिर्लिङ्ग महाराष्ट्र प्रान्त के औरंगाबाद जिले में है। इस मन्दिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होल्कर ने करवाया था। शिव पुराण के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर, अपनी अनन्य भक्त घुश्मा के मृत पुत्र को

पुनः जीवित किया था। अतः घुश्मा के नाम पर

इस मन्दिर का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ा है। घृष्णेश्वर में, एकनाथ जी के गुरु श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। इस मन्दिर के निकट प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएँ हैं।



मानचित्र- 12.1 भारत के ज्योतिर्लिङ्ग

शक्तिपीठ- हिन्दू मान्यता के अनुसार जहाँ देवी सती के शरीर के अङ्ग या आभूषण गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। सर्वाधिक शक्तिपीठ पश्चिम बङ्गाल में है।

शक्तिपीठों की संख्या विभिन्न ग्रन्थों में अलग-अलग बतलाई गई है— देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिवचरित्र में 51 व तन्त्र चूडामणि में 52। वर्तमान में

इसे भी जाने-

- सती, राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शंकर की पत्नी थी।

52 शक्तिपीठ अधिक प्रसिद्ध हैं, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों के साथ-साथ, पाकिस्तान, बाँग्लादेश, नेपाल और तिब्बत में स्थित हैं। लङ्कायां शाङ्करीदेवी कामाक्षी काश्चिकापुरे। प्रद्युम्ने शृङ्खलादेवी चामुण्डी क्रौञ्चपट्टणे ॥1॥ अलम्पुरे जोगुलाम्बा श्रीशैले भ्रमराम्बिका। कोल्हापुरे महालक्ष्मी मुहुर्ये एकवीरा॥2॥ उज्जयिन्यां महाकाली पीठिकायां पुरुहूतिका। ओढ्यायां गिरिजादेवी माणिक्या दक्षवाटिके॥3॥ हरिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी। ज्वालायां वैष्णवीदेवी गया माङ्गल्यगौरिका॥4॥ वारणास्यां विशालाक्षी काश्मीरेतु सरस्वती। अष्टादश सुपीठानि योगिनामपि दुर्लभम् ॥5॥ सायङ्काले पठेन्नित्यं सर्वशत्रुविनाशनम्। सर्वरोगहरं दिव्यं सर्वसम्पत्करं शुभम्॥6॥

सारणी 12.1

प्रमुख बावन शक्तिपीठ

क्र.	शक्ति	स्थान	अङ्ग या आभूषण जो गिरा
1	हिङ्गलाज	करांची (पाकिस्तान) से 125 कि.मी. दूर।	ब्रह्मरंध (सिर)
2	शर्करा	करांची (पाकिस्तान)	आँख
3	सुनंदा	शिकारपुर (बाँग्लादेश)	नासिका
4	महामाया	पहलगांव (कश्मीर)	कंठ
5	ज्वालाजी	कांगडा (हिमाचल प्रदेश)	जीभ
6	त्रिपुरमालिनी	जालंधर (पंजाब)	बायाँ वक्ष (स्तन)
7	जयदुर्गा	देवघर (झारखण्ड)	हृदय
8	महामाया	गुजरेश्वरी मंदिर (नेपाल)	दोनों घुटने (जानु)
9	दाक्षायणी	कैलाश मानसरोवर (तिब्बत)	दायाँ हाथ
10	विमला	विराज (ओडिशा)	नाभि
11	गण्डकी	मुक्ति नाथ मंदिर (नेपाल)	मस्तक या गंडस्थल
12	बहुला	बाहुल (प. बङ्गाल)	बायाँ हाथ
13	मङ्गलचंद्रिका	उज्जयिनी (मध्यप्रदेश)	दाई कलाई

14	त्रिपुर सुंदरी	राधाकिशोरपुरगाँव (त्रिपुरा)	दायाँ पैर
15	भवानी	चन्द्रनाथ पर्वत (बांग्लादेश)	दाईं भुजा
16	भ्रामरी	जलपाइगुडी (प. बङ्गाल)	बायाँ पैर
17	कामाख्या	गुवाहाटी (असम)	योनि
18	ललिता	प्रयाग (उत्तरप्रदेश)	अंगुली
19	जयंती	खासी पर्वत (बांग्लादेश)	बाईं जँघा
20	भूतधात्री	युगाद्या (प. बङ्गाल)	दाएँ पैर का अंगूठा
21	कालिका	कालीघाट (कोलकाता)	बाएँ पैर का अंगूठा
22	विमला	मुर्शीदाबाद (प. बङ्गाल)	मुकुट
23	विशालाक्षी	वाराणसी (उत्तरप्रदेश)	मणिजड़ित कुण्डल
24	भद्रकाली	कन्याश्रम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	पृष्ठ भाग
25	सावित्री	कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	एडी (गुल्फ)
26	गायत्री	पुष्कर, अजमेर (राजस्थान)	मणिवन्ध
27	महालक्ष्मी	श्रीशैल (बांग्लादेश)	गला (ग्रीवा)
28	देवगर्भा	कांची (प. बङ्गाल)	अस्थि
29	हरसिद्धि	उज्जैन (मध्यप्रदेश)	कोहनी
30	उमा	वृंदावन (उत्तर प्रदेश)	गुच्छ और चूड़ामणि
31	शिवानी	चित्रकूट (उत्तर प्रदेश)	दायाँ वक्ष
32	नारायणी	शुचितीर्थम शिवमंदिर (तमिलनाडु)	दन्त (ऊर्ध्वदन्त)
33	वराही	पंचसागर (अज्ञात स्थान)	निचले दन्त
34	अपर्णा	भवानीपुरगाँव (बांग्लादेश)	पायल
35	श्रीसुंदरी	लद्दाख	दाएँ पैर की पायल
36	कपालिनी	पूर्वी मेदिनीपुर (पश्चिम बङ्गाल)	बायीं एडी
37	चन्द्रभागा	जूनागढ़ (गुजरात)	उदर
38	अवंती	उज्जैन (मध्यप्रदेश)	ओष्ठ
39	भ्रामरी	नासिक (महाराष्ट्र)	ठोड़ी
40	विश्वेश्वरी	राजमहेन्द्री (आंध्रप्रदेश)	गाल
41	कुमारी	हुगली (बङ्गाल)	दायाँ कंधा
42	उमा महादेवी	मिथिला (नेपाल)	बायाँ कंधा
43	कालिका	वीरभूम, (प. बङ्गाल)	पैर की हड्डी
44	जयदुर्गा	कर्नाट (अज्ञात स्थान)	दोनों कान
45	महिषमर्दिनी	वीरभूम, (प. बङ्गाल)	श्रुमध्य (मन)

46	यशोresh्वरी	खुलना (बांग्लादेश)	हाथ और पैर
47	फुल्लरा	अट्टहास (पश्चिम बङ्गाल)	ओष्ठ
48	नन्दनी	वीरभूम (पश्चिम बङ्गाल)	गले का हार
49	इन्द्राक्षी	त्रिंकोमाली (श्रीलंका)	पायल
50	अम्बिका	विराट (अज्ञात स्थान)	पैर की अँगुली
51	मंगलागौरी	गया (बिहार)	स्तन का टुकड़ा
52	अम्बाजी	गुजरात	हृदय

सप्त मोक्षपुरी- अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवंतिका। पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। अर्थात् अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काँचीपुरम्, अवंतिका (उज्जैन), द्वारिकापुरी ये सातों मोक्षदायिनी पवित्र नगरियाँ हैं। इनके अतिरिक्त प्राचीन धर्म ग्रन्थों में अनेक प्राचीन तीर्थ नगरों का उल्लेख है।

कुम्भ मेला- विश्व प्रसिद्ध कुम्भ मेले सनातन धर्म की आस्था के मुख्य केन्द्र ही नहीं हैं अपितु विश्व के अधिकांश देशों के वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और अनुसंधान के केन्द्र भी हैं। कुम्भ मेलों के आयोजन के बारे में हमारे ग्रन्थों में उल्लेख है कि- देवानां द्वादशा होभोर्मर्त्यैर् द्वादशवत्सरैः। जायन्ते कुम्भपर्वाणि तथा द्वादश संख्ययाः॥ जब सूर्य, चन्द्र और गुरू का संयोग किसी विशिष्ट राशि पर होता है तो कुम्भ मेला का आयोजन होता है। भारत में चार कुम्भ मेला स्थान का संकेत इस श्लोक में मिलता है- गङ्गाद्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे। कलसाख्योहि योगोहयं प्रोच्यते शङ्करादिभिः॥ हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जयिनी नासिक में प्रति तीन वर्ष बाद अर्थात्

12 वर्ष में प्रत्येक स्थान पर कुम्भ महामेला का आयोजन होता है।

कुम्भ मेलों के आयोजन के सम्बन्ध में एक आख्यान है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को लेकर, जब देवताओं व असुरों में विवाद हो रहा था। तब अमृत की कुछ बून्दें चार स्थानों- प्रयागराज (उत्तरप्रदेश), हरिद्वार(उत्तराखण्ड), उज्जैन (मध्यप्रदेश) और नासिक (महाराष्ट्र) नामक चार स्थानों पर गिरी थीं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति चार वर्ष में एक बार कुम्भ मेले का आयोजन होता है अर्थात् एक स्थान पर इसकी पुनरावृत्ति बारह वर्ष में होती है। कुम्भ मेले का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्त्व

इसे भी जाने-

- जब गुरु, कुम्भ राशि में और सूर्य, मेष राशि में संक्रमण करते हैं, तब हरिद्वार में कुम्भ मेला आयोजित होता है।
- जब गुरू, मेष राशि में और सूर्य और चन्द्र, मकर राशि में संक्रमण करते हैं तब प्रयागराज में कुम्भ मेला आयोजित होता है।
- जब गुरु और सूर्य, कुम्भ राशि में संक्रमण करते हैं तब गोदावरी (नासिक) में कुम्भ मेला आयोजित होता है।
- जब सूर्य, मेष राशि में और गुरु, सिंह राशि में संक्रमण करते हैं तब क्षिप्रा तट (उज्जयिनी) में सिंहस्थ कुम्भ मेला आयोजित होता है।

बताया गया है। इन कुम्भ मेलों में देश- देशान्तर से लोग सम्मिलित होने आते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है, जैसे- माँ भारती की सभी सन्ततियाँ एक स्थान पर एकत्रित हो गई हैं। इस प्रकार कुम्भ मेलों में भारत की एकता और अखण्डता के दर्शन होते हैं।

तीर्थ स्थलों का महत्त्व-

1. **सकारात्मक ऊर्जा व स्वास्थ्य लाभ-** प्राचीन मान्यताओं के अनुसार तीर्थों और धार्मिक स्थलों पर सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इन स्थानों की यात्रा करने वाला व्यक्ति हमेशा ऊर्जा और सकारात्मक सोच से भरा रहता है। धार्मिक स्थलों की यात्रा ना सिर्फ दान-पुण्य अपितु स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
2. **व्यक्ति के सकल ज्ञान में वृद्धि-** तीर्थ स्थलों का एक महत्त्व यह भी है कि इनकी यात्रा करने से हमारे भौगोलिक, आध्यात्मिक व ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि होती है। यात्रा के समय हमें कई स्थानों का भूगोल व इतिहास जानने का अवसर प्राप्त होता है, साथ ही वहाँ से जुड़ी कला, संस्कृति, परम्परा से भी हम साक्षात् होते हैं। तीर्थ यात्रा से व्यक्ति के सांस्कृतिक व सामाजिक ज्ञान में वृद्धि होती है।
3. **धार्मिक महत्त्व-** चारों धाम, सात पुरी, द्वादश ज्योतिर्लिंग तथा अनेक सरिता, सर, उपवन तीर्थों की श्रेणी में आते हैं। इनके दर्शन, निवास, स्नान, भजन, पूजन आदि करने से धर्म लाभ होने की हिन्दू धर्म में सुस्थिर मान्यता है। वेद व पुराणों में भी तीर्थ यात्रा का वर्णन है। हर हिन्दू के लिए तीर्थ करना पुण्य कर्म है। कालान्तर में यात्राओं के इसी महत्त्व को ध्यान में रखते हुए केरल में जन्मे अद्वैत मत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य ने चारधाम की यात्रा की परिकल्पना की थी। चारधाम की ये यात्राएँ जीवन में समरसता के साथ अपने राष्ट्र को जानने-पहचानने, उससे जुड़ने और प्रेम करने का भी अवसर प्रदान करती हैं।
4. **आर्थिक महत्त्व-** इन तीर्थ स्थलों का धार्मिक या आध्यात्मिक महत्त्व के साथ-साथ आर्थिक महत्त्व भी है। इन तीर्थयात्राओं के कारण ही आज पर्यटन एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गया है। तीर्थ-स्थलों पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, जिससे सम्बन्धित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलता है।
5. **ऐतिहासिक महत्त्व-** तीर्थ यात्रा के समय हमें कई ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थलों पर भ्रमण का अवसर प्राप्त होता है, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ये स्थान उन महापुरुषों के जीवन की स्मृति दिलाते हैं, जिनसे दर्शक को प्रेरणा, प्रोत्साहन, जीवन, बल, साहस तथा प्रकाश मिलता है। इतिहास स्वयं जीवन निर्माता है। अतीत काल के अनुभवों से भविष्य निर्माण का अत्यंत घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

6. **दार्शनिक महत्त्व-** तीर्थयात्रा का दार्शनिक महत्त्व यह है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का प्रत्येक ग्रह-नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक निर्मित किये गये हैं। ब्रह्म में ही सम्पूर्ण सृष्टि समाई है, उससे ही सब उत्पन्न हुए हैं, हम तीर्थस्थलों की परिक्रमा लगाकर यह मान सकते हैं कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है।

तीर्थयात्रा करने के लिए व्यक्ति अपने घर, परिवार, गाँव व नगर से बाहर निकलकर, देश, दुनिया की जलवायु, रहन-सहन, पहनावा, खानपान, रीति-रिवाज आदि को देखता और समझता है। तीर्थयात्राएँ, लोगों को एकता के सूत्र में बाँधकर, वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को चरितार्थ करती हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. बैकुण्ठ धाम की संज्ञा..... दी गई है।
अ. बद्रीनाथ धाम को
ब. जगन्नाथ पुरी धाम को
ब. द्वारका धाम को
द. रामेश्वरम धाम को
2. प्रसिद्ध ज्वाला जी शक्तिपीठ..... स्थित है।
अ. वीरभूम (प.बङ्गाल)
ब. पुष्कर (राजस्थान)
स. काँगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
द. कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
3. प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ में भंयकर बाढ़ व भू-स्वलन हुआ था -
अ. जून 2012 में
ब. जून 2013 में
स. जून 2014 में
द. जून 2015 में
4. श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग को किस उप नाम से जाना जाता है-
अ. बद्रीनाथ धाम
ब. श्रीकाशी विश्वनाथ
ब. भोलेनाथ
द. महाकाल

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. श्रीशैल ज्योतिर्लिङ्ग..... राज्य में स्थित है। (उत्तरप्रदेश/ आन्ध्रप्रदेश)
2. शक्ति पीठों की संख्या है। (52/53)
3. देवघर राज्य में स्थित है। (तमिलनाडु/ झारखण्ड)
4. सकल घरेलू उत्पाद में तीर्थयात्राओं का योगदान..... है। (2.32%/3.23 %)

सत्य/असत्य बताइए-

1. सात मोक्षदायिनी पुरियों में अवन्तिका नगरी सम्मिलित है। सत्य/असत्य

2. कुम्भ मेले का आयोजन नासिक में भी होता है। सत्य/असत्य
3. महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मन्दिर के शिखरों को स्वर्ण मण्डित करवाया था। सत्य/असत्य
4. तीर्थों और धार्मिक स्थलों पर सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए

1. बद्रीनाथ	क. दक्षिण
2. द्वारका	ख. पूर्व
3. जगन्नाथ पुरी	ग. पश्चिम
4. रामेश्वरम्	घ. उत्तर

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न-

1. 'तीर्थ' की परिभाषा लिखिए।
2. प्रमुख चारधाम कौन-कौन से हैं ?
3. भगवान शिव की राजधानी किसे कहा गया है ?
4. देवी भागवत पुराण में शक्तिपीठों की संख्या कितनी बताई गई है ?
5. द्वारका से भेट द्वारका की दूरी बताइए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सप्तपुरियों से आप क्या समझते हैं ?
2. महाकालेश्वर ज्योर्तिलिङ्ग के बारे में आप क्या जानते हैं?
3. रामेश्वरम् ज्योर्तिलिङ्ग पर टिप्पणी लिखिए।
4. दश शक्तिपीठों का नाम और स्थानों का उल्लेख कीजिए।
5. कुम्भ मेले के बारे में आप क्या जानते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत के चार धाम तीर्थ स्थलों का वर्णन कीजिए।
2. तीर्थयात्रा के महत्व को विस्तार से समझाइए।

परियोजना-

1. अपने आस-पास के तीर्थ स्थानों की सूची बनाकर किन्हीं दो तीर्थों का वर्णन कीजिए।



अध्याय-13

संविधान

इस अध्याय में- संविधान एवं इसके कार्य, संविधान को प्रचलन में लाने की प्रणाली, संविधान के मौलिक प्रावधान, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, भारतीय संविधान की रचना, भारतीय संविधान सभा की कार्यविधि, संस्थागत व्यवस्थाएँ, संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान एक जीवन्त प्रलेख, क्या संविधान परिवर्तनीय होते हैं?, संविधान संशोधन, संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास, भारतीय संविधान की आलोचना, वैदिक वाङ्मय का भारतीय संविधान पर प्रभाव।

संविधान- किसी देश या राज्य द्वारा शासन का सञ्चालन करने वाले नियमों व सिद्धान्तों के समूह को संविधान कहते हैं। संविधान के अभाव में राज्य में अराजकता व्याप्त होती है। अतः संविधान ऐसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त बुनियादी नियमों के समूह हैं, जिस पर उस देश के सभी नागरिकों का विश्वास होता है। संविधान में राज्य का स्वरूप, सरकार के चुनाव की प्रक्रिया, शक्तियों का वितरण, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, न्यायिक प्रक्रिया, नीति निर्माण आदि तत्त्वों का संकलन होता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है।

संविधान के कार्य-

1. **समन्वय और विश्वास की स्थापना-** संविधान का पहला और प्रमुख कार्य किसी भी देश में निवास करने वाले नागरिक समूहों में समन्वय, बन्धुत्व, लोकहित, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के विकास, आन्तरिक और बाह्य शान्ति स्थापना तथा प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करना है। हमारे देश में विविध धर्म, सम्प्रदाय, परम्परा तथा भाषा-भाषी लोग निवास करते हैं। इस विविधता को भारतीय एकता का कारक कहा जाता है। भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार, कर्तव्य, न्याय व्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया आदि भारतीय नागरिकों में संविधान और शासन के प्रति विश्वास और लोक समन्वय को सुदृढ़ करता है।
2. **निर्णय-निर्माण शक्ति की विशिष्टताएँ-** संविधान का दूसरा प्रमुख कार्य राज्य में निर्णय-निर्माण की शक्ति का वितरण है। संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था के ऐसे बुनियादी सिद्धान्तों का समूह

है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार और कानून का निर्माण कौन और कैसे करेगा। भारतीय संविधान में निर्णय-निर्माण की शक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता में निहित होती है।

3. **सरकार की शक्तियों पर सीमा का निर्धारण-** संविधान का तीसरा कार्य किसी सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिये कानून बनाने और लागू करने वाली शक्तियों की सीमा का निर्धारण करना है। संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन न तो सरकार और न ही जनता कर सकती है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई प्रकार से नियन्त्रित करता है। उदाहरण के लिए नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे आसान उपाय है। सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में ही सीमित किया जा सकता है।

4. **समाज की आकांक्षाएँ और लक्ष्य की प्राप्ति-** संविधान का चौथा कार्य, जनाकांक्षाओं व उनके लक्ष्य की प्राप्ति है। संविधान द्वारा सरकार को ऐसा सक्षम ढाँचा भी प्रदान किया जाता है कि सरकार, समाज की आकांक्षाओं व लक्ष्यों को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में समर्थ हो। भारतीय संविधान सरकार को वह शक्ति प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक, लोक कल्याणकारी कार्यों को कानून की सहायता से लागू कर सके।

5. **राष्ट्र की बुनियादी पहचान-** विश्व के किसी भी राष्ट्र के शासन व्यवस्था की पहचान, वहाँ के संविधान से होती है। विश्व के सभी संविधानों में अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम स्वीकार किये गये हैं। उदाहरण के लिये भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता, जबकी जर्मन संविधान में जर्मन नस्ल को अभिव्यक्त किया गया है। हमारे संविधान में

इसे भी जाने-

- दक्षिण अफ्रीकी संविधान ने वहाँ की सरकार को पर्यावरण संरक्षण, अन्यायपूर्ण भेदभाव से लोगों को बचाने और सभी के लिये आवास तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सौंपा है।
- इण्डोनेशियाई संविधान में सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कर उनका सञ्चालन तथा गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाओं को पूर्ण करने की अपेक्षा

करते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग संवैधानिक नियमों के अन्तर्गत करते हैं।

संविधान द्वारा किये जाने वाले इन कार्यों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि संविधान क्यों आवश्यक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य का गठन किस प्रकार होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। विश्व के अधिकांश देशों जैसे- भारत और अमेरिका आदि में संविधान एक लिखित प्रलेख है। इंग्लैण्ड के पास लिखित संविधान के स्थान पर प्रलेखों और निर्णयों की विस्तृत श्रृंखला को सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है।

संविधान को प्रचलन में लाने की प्रणाली- किसी संविधान की सफलता या असफलता उसके अस्तित्व में आने, निर्माताओं और उनकी शक्ति पर निर्भर करता है। सफल राष्ट्रीय आन्दोलनों के पश्चात भारत, दक्षिण अफ्रीका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण दिसम्बर 1946 ई. से नवम्बर 1949 ई. के मध्य संविधान सभा द्वारा किया गया। इसका प्रेरणा स्रोत विविध राष्ट्रीय आन्दोलन रहे। हमारे संविधान का अंतिम प्रारूप व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को दर्शाता है।

संविधान के मौलिक प्रावधान- किसी संविधान के प्रति वहाँ के नागरिकों का आदर भाव संविधान में निहित लोकहितकारी प्रावधानों के कारण होता है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। एक सफल संविधान अपने नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता की अधिकतम सुरक्षा करते हुए न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करता है।

1990 ई. में नेपाल में बहुदलीय लोकतन्त्र प्रारम्भ हुआ था, परन्तु अनेक शक्तियाँ वहाँ के राजा में निहित थीं। नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिये सशस्त्र राजनीतिक आन्दोलन चलाये गये। 2008 ई. में नेपाल लोकतान्त्रिक गणराज्य बना और 2015 ई. में नये संविधान को अपनाया।

इसे भी जाने-

- नेपाल को 1948 ई. से 1990 ई. तक नेपाल नरेश ने पाँच संविधान प्रदान किये थे।

संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा- संविधान की सन्तुलित रूपरेखा के लिए संवैधानिक संस्थाओं में शक्तियों का विभाजन किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर यदि कोई संस्था संविधान को नष्ट करना चाहेगी तो दूसरी संस्था उसे नियन्त्रित कर लेगी। यह अवरोध और सन्तुलन का नियम किसी भी राष्ट्र के संविधान

की सफलता सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं में विभाजित किया गया है।

भारतीय संविधान की रचना- भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर एक निर्वाचित

इसे भी जाने-

- ने कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेन्थिक लारेन्स और ए. बी. अलकजेण्डर थे। 24 जनवरी 1950 ई. को संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रारम्भ में हमारे संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 25 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं।

संविधान सभा द्वारा किया गया है।

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 ई. में 389 सदस्यों की उपस्थिति में डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा (अस्थायी अध्यक्ष) की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई थी।

11 दिसम्बर को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को

संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसम्बर को पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 14 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा सदस्यों की संख्या 299 रह गई। विचार-विमर्श के पश्चात् 26 नवम्बर, 1949 (मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी) को 284 सदस्यों की उपस्थिति में भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित कर लिया गया।

भारतीय संविधान सभा की कार्यविधि- भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा राष्ट्रहित को

सर्वोपरी मानकर किया गया। संविधान सभा के सदस्यों में विचारधारा परक विरोध होते हुए भी राष्ट्रहित में सभी ने संगठित होकर सहयोगपूर्ण और सावधानी पूर्वक संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण किया। भारतीय संविधान का मूल आधार लोक कल्याण, भेदभाव रहित समाज की स्थापना और

सारणी 13.1

भारतीय संविधान निर्माण की प्रमुख समितियाँ

क्र.	समितियाँ	अध्यक्ष
1.	संघ संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
2.	प्रान्तीय संविधान समिति	बल्लभ भाई पटेल
3.	संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
4.	परामर्श समिति	बल्लभ भाई पटेल
5.	प्रक्रिया नियमन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
6.	प्रारूप समिति	डॉ. भीमराव अम्बेडकर

सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा 22 समितियों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में दो वर्ष, ग्यारह माह और अठारह दिन का समय लगा था। इस अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली थीं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान

में भारत की आधारभूत परम्पराओं और राष्ट्रीय आन्दोलन से विरासत में प्राप्त सिद्धान्तों को मूर्त रूप प्रदान किया। भारतीय संविधान का दर्शन कही जाने वाली प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों, आकांक्षाओं व मूल्यों को संकलित किया गया है। प्रस्तावना के प्रमुख बिन्दु हैं- 1. भारत को सम्प्रभु, समाजवादी, पन्थनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने 2. उसके समस्त नागरिकों को न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतन्त्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना) प्राप्त कराने। 3. व्यक्ति की गरिमा 4. राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता।

संस्थागत व्यवस्थाएँ- संविधान सभा द्वारा देश के लिए संसदीय और संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। संविधान में शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति सन्तुलन स्थापित करने के साथ ही केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व की अन्य संवैधानिक परम्पराओं से सर्वोत्तम बातों को ग्रहण किया है। लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन करके भारतीय संविधान को तैयार किया गया। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में लगभग 200 प्रावधान 'भारत शासन अधिनियम 1935', संविधान की सर्वोच्चता व मौलिक अधिकार अमेरिका, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, नीति निर्देशक तत्त्व आयरलैण्ड, मौलिक कर्तव्य रूस और आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं।

संविधान का दर्शन- किसी भी संविधान का मूल आधार कानून के समक्ष समानता होता है। कानून धार्मिक अथवा भाषाई आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता है। कानून और नैतिक मूल्यों के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण संविधान के प्रति नैतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। किसी भी देश के संविधान में तीन बातें प्रमुख हैं, जो उस संविधान का दर्शन कहलाती हैं। 1. संविधान में प्रयुक्त अवधारणाओं जैसे- अधिकार, नागरिकता, लोकतन्त्र आदि की स्पष्टता होनी चाहिए। 2. संविधान के बुनियादी आदर्शों पर गहरी पकड़ तथा समाज और शासन व्यवस्था पूर्णतया पारदर्शी होनी चाहिए। 3. सैद्धान्तिक रूप से संविधान के आदर्श जनता के समक्ष पूर्णतया स्पष्ट, औचित्यपूर्ण तथा भविष्य के अनुरूप उनमें सुधार की सम्भावनाएँ प्रबल होनी चाहिए।

संविधान लोकतांत्रिक परिवर्तन का साधन- संविधान राज्य की निरंकुशता को अवरोधित कर लोकतांत्रिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कमजोर वर्गों को सत्ता में आने के अवसर तथा सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक आदि अधिकार प्रदान करता है।

संविधान सभा के पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों? हमारा संविधान हमारे वर्तमान का ही इतिहास है। संविधान निर्माण के समय की स्थितियों की तुलना में वर्तमान समय की स्थितियों में कोई क्रांतिकारी

परिवर्तन नहीं हुआ है। जब संवैधानिक व्यवहारों की उपेक्षा होने लगे और उन्हें चुनौतियाँ मिलने लगे तब हमें संविधान के मूल्यों को समझने के लिए संविधान सभा के वाद-विवाद को देख और पढ़कर, उनके विश्लेषण करना अधिक प्रासंगिक है।

भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन- भारतीय संविधान स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान इस बात पर बल देता है कि उसके दर्शन को शान्तिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक रूप से व्यवहार में लाया जाए।

नागरिक स्वतन्त्रता- भारतीय संविधान नागरिकों की स्वतन्त्रता के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान के अनुसार व्यक्ति को अपनी अभिरूचि, विचार, अभिव्यक्ति, वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, धर्म आदि क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता है। राजा राममोहन राय ने व्यक्ति के विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बल दिया था। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी यह बात निरन्तर उठती रही।

सामाजिक न्याय- शास्त्रीय उदारवाद, सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों में सदैव व्यक्ति को महत्व देता है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज समावेशी हो तथा संसाधनों का बंटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान- विभिन्न प्रकार की विविधताओं जैसे- भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय आदि से युक्त भारत में संविधान निर्माताओं के समक्ष भारतीय समाज में समानता की स्थापना करना एक कठिन चुनौती थी। समाज में समानता की स्थापना के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अल्पसंख्यकों को विभिन्न अधिकार देकर सशक्त करने का कार्य किया है।

पन्थ निरपेक्षता- पन्थ निरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। संविधान व सरकार धर्म के मामले में तटस्थ है। जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म के चयन का अधिकार है। संविधान व सरकार, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। ये न तो किसी धर्म का पक्ष लेते हैं और न ही विरोध करते हैं। पन्थ निरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य करती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। इसका लक्ष्य नैतिकता व मानव कल्याण है।

सार्वभौम वयस्क मताधिकार- सार्वभौम वयस्क मताधिकार के माध्यम से देश की जनता अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। भारतीय संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक (18 वर्ष आयु प्राप्त) को

बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्रदान करता है। स्वस्थ लोकतन्त्र के निर्माण में देश के नागरिकों की अहम भूमिका होती है। वे अपने मताधिकार से एक निष्पक्ष सरकार का चुनाव करते हैं। सार्वभौम मताधिकार राजनीति में समानता को बढ़ावा देता है।

संघवाद- संघवाद सरकार का ऐसा रूप है, जिसमें शक्तियों का विभाजन केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य

इसे भी जाने-

- भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का प्रथम प्रयास 1895 ई. में "कांस्टिट्यूश ऑफ इंडिया बिल" के नाम से हुआ।

होता है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, द्वैध शासन प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता आदि संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ हैं। भारतीय संविधान में संघवाद को लेकर

विरोधाभासी स्थिति प्रतीत होती है। संविधान में एक ओर तो सशक्त केन्द्र सरकार की अवधारणा है।

दूसरी ओर कुछ प्रान्तों को संविधान में विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया गया है।

प्रक्रियागत उपलब्धि- भारतीय संविधान की

उपरोक्त आधारभूत विशेषताओं के अतिरिक्त संविधान की कुछ प्रक्रियागत उपलब्धियाँ भी हैं। जैसे- भारतीय संविधान का आधार विश्वास और राजनीतिक विचार- विमर्श है। संविधान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। राष्ट्र की एकता और अखण्डता की दृष्टि से भारतीय संविधान में नागरिकों की राष्ट्रीय पहचान पर बल दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है

इसे भी जाने-

- विशेष श्रेणी के राज्यों के विकास के लिए धन केन्द्र सरकार द्वारा 90% अनुदान और 10% ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग-21 के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को 1969 ई. में विशेष राज्य की श्रेणी प्रदान की गई थी। इस विशेष श्रेणी को 5 अगस्त 2019 ई. समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 371A-J तक नागालैंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और उत्तराखण्ड को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया गया है।

कि "हमें यह भूलना होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज है। भारत में सिर्फ एक समुदाय है"।

संविधान एक जीवन्त प्रलेख- हमारे संविधान को जीवन्त प्रलेख की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि यह एक जीवन्त प्राणी की भाँति अनुभवगम्य एवं परिस्थिति के अनुरूप कार्य करता है। परिवर्तनशील समाज



में हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी परिवर्तनशीलता के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है।

क्या संविधान परिवर्तनीय होते हैं? विश्व के विभिन्न देशों ने सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपने-अपने संविधानों को पुनः निर्मित किया है, जैसे- सोवियत संघ ने 74 वर्षों में चार बार तथा फ्रान्स ने 1793 ई. से 1958 ई. के कालखण्ड में पाँच बार संविधान में परिवर्तन किया था। परन्तु भारतीय संविधान के सन्दर्भ में स्थिति विश्व के अन्य देशों के संविधानों से भिन्न है। इसका कारण भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलापन है। संविधान की मूल अवधारणा अपरिवर्तनीय है परन्तु परिस्थिति के अनुसार संशोधनीय है।

संविधान संशोधन- विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं में विशेष बहुमत का सिद्धान्त और जनसाधारण की सहभागिता का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका तथा रूस में विशेष बहुमत का सिद्धान्त है, जबकि स्विट्जरलैण्ड, रूस तथा इटली में जनसाधारण को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है।

भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया संसद से प्रारम्भ होती है। यह संशोधन तीन प्रकार से होता है- 1. साधारण बहुमत 2. विशेष बहुमत 3. विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। संसद के साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन, राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, केन्द्रशासित प्रदेशों

इसे भी जाने-

- संविधान के संशोधन की बहुमत की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में है।
- भारतीय संविधान में 2020 ई. तक 104 संशोधन हो चुके हैं।

के प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था आदि में संशोधन किया जाता है। संसद द्वारा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व आदि में विशेष बहुमत से संविधान संशोधन किया जाता है।

विशेष बहुमत से तात्पर्य संसद के सदन में दो तिहाई सदस्य संख्या से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी कार्यपद्धति, संघ

व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय व राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ व राज्यों में विधायी सम्बन्धी, महाभियोग आदि में संशोधन के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक है।

संविधान संशोधन विधेयक को, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं भेज सकता है।

संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास- संविधान की मूल संरचना से आशय है संविधान में निहित ऐसे प्रावधान जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते

है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधनों द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। मूल संरचना के सिद्धान्त को केशवानन्द भारती मामले से जोड़कर देखा जा सकता है। संसद द्वारा भी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका का योगदान- संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका ने मजबूत स्तम्भ की भूमिका निभाई है। नागरिक अधिकारों व स्वतन्त्रताओं की रक्षा का कार्य करने के कारण न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है। न्यायपालिका द्वारा संविधान की निष्पक्षता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए असंवैधानिक निर्णयों को नकार दिया जाता है।

राजनीतिज्ञों की परिपक्वता- सदैव से ही भारत में राजनीतिज्ञों का व्यक्ति की गरिमा, स्वतन्त्रता, समानता, जन कल्याण, राष्ट्रीय एकता आदि में अटूट विश्वास रहा है। संविधान का सम्यक दृष्टिकोण ही उसे जनता में लोकप्रिय बनाता है।

भारतीय संविधान की आलोचना- कई आलोचक भारतीय संविधान को अत्यधिक लचीला होने का कारण इसे दृढ़ प्रलेख के रूप में नहीं मानते हैं। यदि भारतीय संविधान को कठोरता प्रदान की जाती तो जनहित की कई संवैधानिक संस्थाओं जैसे- चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि के प्रावधान संविधान से छूट जाते इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान को लचीला बनाया है। संविधान के आलोचकों का मत है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार से नहीं हुआ था। इसलिए संविधान निर्माण में सार्वजनिक प्रतिनिधित्व का अभाव है। परन्तु संविधान सभा की चर्चा-परिचर्चाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत मामलों को प्राथमिकता नहीं देकर समाज और राष्ट्रहित के प्रकरणों को प्राथमिकता दी थी। भारतीय संविधान की यह कहकर भी आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान एक विदेशी प्रलेख और प्रतिलिपि है। वास्तव में ऐसा नहीं है भारतीय संविधान हमारे वैदिक वाङ्मय और भारतीय परम्पराओं की समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, बन्धुत्व, लोक कल्याण आदि की भावना से प्रभावित है।

वैदिक वाङ्मय का भारतीय संविधान पर प्रभाव- भारतीय संविधान की मौलिक अवधारणा- स्वतन्त्रता, न्याय, बन्धुत्व, जन कल्याण, समानता, वसुधैव कुटुम्बकम् आदि का आधारभूत विचार वैदिक वाङ्मय से प्रभावित है। समानता के सन्दर्भ में वेदों निर्देशित है कि- मित्रास्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि समीक्षामहे।। (यजुर्वेद 36.18) अर्थात् द्रोह करने वालों के प्रति द्रोह मत करो। हमें इस प्रकार सोचना चाहिए कि सभी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। मैं भी उन सभी को मित्र की दृष्टि से

देखूँ। हम परस्पर मित्रवत् आचरण करें। मा भ्राता भ्रातरं द्विषन् मा स्वसारमुत स्वसा। सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं भद्रया ॥ (अथर्ववेद 3.30.3) अर्थात् भाई-भाई से द्वेष न करें। बहन, बहन से द्वेष न करें। सभी एकमत होकर, मिलजुल कर अपने-अपने कर्म कर, उत्तम रीति से कल्याणकारी वाणी बोलते रहें। इन मन्त्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में निहित समानता की भावना वैदिक वाङ्मय में सृष्टि के प्रारम्भ से ही थी।

सारणी 13.2

भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	उल्लेखित मुख्य विषय
1	संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का प्रावधान
3	राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन और नये राज्यों का निर्माण का प्रावधान
12 से 35	नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान
14	समानता का अधिकार
17	अस्पृश्यता का उन्मूलन
21	प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता
32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार
40	ग्राम पञ्चायतों का संगठन
51	अन्तरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान
51 (क)	नागरिकों के मूल कर्तव्य
55	राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का प्रावधान
58	राष्ट्रपति की योग्यताएं का प्रावधान
61	राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान
72	राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ का प्रावधान
352	देश में आपतकाल की घोषणा का प्रावधान
356	राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रावधान
360	देश में वित्तीय आपतकाल की घोषणा का प्रावधान
75	प्रधानमंत्री का प्रावधान
74	केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् के गठन का प्रावधान
79	संसद का गठन का प्रावधान
95	लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ का प्रावधान

110	धन विधेयक की व्याख्या का प्रावधान
124	उच्चतम न्यायालय का स्थापना व गठन प्रावधान
125	न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का प्रावधान
143	राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय परामर्श शक्तियों का प्रावधान
153	राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान
155	राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान
163	राज्यमंत्री परिषद् का प्रावधान
168	विधानमण्डल के संगठन का प्रावधान
169	राज्यों को विधान परिषद् के निर्माण व विघटन के अधिकार का प्रावधान
170	राज्यों में विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान
171	विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान
180	विधान सभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियों का प्रावधान
214	राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान
221	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का प्रावधान
231	दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान
315	संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान
368	संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- भारतीय संविधान को.....अंगीकृत किया गया।
 अ. 26 नवम्बर, 1949 ब. 26 जनवरी, 1950
 स. 15 अगस्त, 1947 द. 30 जनवरी, 1948
- संविधान की शक्ति का स्रोत.....है।
 अ. स्थानीय सरकार ब. राज्य सरकार
 स. केन्द्र सरकार द. जनता
- संविधान में मौलिक अधिकार.....लिए गये हैं।
 अ. रूस से ब. कनाडा से स. अमेरिका से द. ब्रिटेन से



5. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारतीय संविधान की विशेषताएँ बताइए।
2. संविधान की कोई तीन आवश्यकताएँ बताइए।
3. अमेरिका व रूस से भारतीय संविधान में कौन-कौनसे प्रावधान लिए गए हैं?
4. वैदिक वाङ्मय का भारतीय संविधान पर प्रभाव को समझाइए?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. संविधान के महत्त्व की व्याख्या कीजिए।
2. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. संविधान सभा के सदस्य डॉ राजेन्द्र प्रसाद और डॉ बी. आर. अम्बेडकर के जीवनवृत्त की जानकारी संग्रहित कीजिए।

अध्याय-14

भारतीय शासन व्यवस्था के अङ्ग

इस अध्याय में- विधायिका, संसद के कार्य, लोकसभा, राज्यसभा, संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय समितियाँ, कार्यपालिका, कार्यपालिका के प्रकार, भारत में संसदीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, स्थायी कार्य पालिका, न्याय पालिका, न्याय पालिका के कार्य, न्याय पालिका की संरचना।

भारतीय शासन व्यवस्था के तीन अङ्ग- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। सरकार के ये तीनों अङ्ग मिलकर शासन तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने और लोक कल्याण में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस अध्याय में हम सरकार के तीनों प्रमुख अंगों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

विधायिका- विधायिका या व्यवस्थापिका सभी लोकतांत्रिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं का केन्द्र होती है। विधायिका का प्रमुख कार्य कानूनों और नीतियों का निर्माण करना है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। भारत में संघीय स्तर पर कानून निर्माण का कार्य संसद करती है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद एक विशिष्ट और केन्द्रीय स्थान रखती है क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होता है। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। एक सदन द्वारा लिए गये निर्णयों को दूसरे सदन में भी निर्णय के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार इन निर्णयों पर पुनर्विचार हो जाता है। संसद सदस्यों को सांसद (M.P.) कहा जाता है।

संसद के कार्य-

कार्यपालिका पर नियन्त्रण- संसद, कार्यपालिका को नियन्त्रित करने का कार्य करती है। मन्त्रिपरिषद् तभी तक कार्य कर सकती है, जब तक की उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है। जवाबदेह शासन सुनिश्चित करना संसद का प्रमुख कार्य है। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल को सत्ताधारी दल तथा इसका विरोध करने वाले सभी दलों को विपक्षीय दल कहते हैं। बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमन्त्री बनता है और राष्ट्रपति की सलाह पर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है।

कानून निर्माण करना- संसद का प्रमुख कार्य विविध कानूनों का निर्माण कर, उन्हें स्वीकृति देना होता है।

इसे भी जाने-

- राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् में मन्त्री बन सकते हैं।

वास्तव में कानून निर्माण का कार्य कार्यपालिका के किसी मन्त्रि के नियन्त्रण में नौकरशाही करती है। संसद में कानून के उद्देश्य का प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण का कार्य मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है।

वित्तीय नियन्त्रण- संसद वार्षिक बजट के माध्यम से सार्वजनिक निधि के आय और व्यय पर नियन्त्रण रखती है। सरकार को कोई नया कर लगाने से पूर्व संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। संसद के वित्तीय अधिकार सरकार को धन उपलब्ध करवाते हैं।

विचार-विमर्श करना- सम्पूर्ण देश को सार्वजनिक महत्व के विषयों के बारे में जानकारी संसद से प्राप्त होती है क्योंकि लोकहित के मुद्दों एवं सरकारी नीतियों पर चर्चा संसद के दोनों सदनों के पटल पर होती है। इस प्रकार सरकार को न केवल संसद का परामर्श प्राप्त होता है, बल्कि अपनी नीतियों की कमियों जानने में सहायता मिलती है।

संवैधानिक कार्य- संसद एकमात्र ऐसा संवैधानिक निकाय है, जहाँ संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ समान हैं।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्य- संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। यह विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्यों, पीठासीन एवं उपपीठासीन पदाधिकारियों के निर्वाचन का कार्य करती है।

न्यायिक कार्य- संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा पदमुक्त करने के प्रस्तावों पर विचार करना, संसद के न्यायिक कार्यों के अन्तर्गत आता है।

प्रतिनिधित्व- देश के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों के विचारों का प्रतिनिधित्व संसद करती है।

भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के दो सदन हैं- लोकसभा और राज्यसभा। लोगों के सदन को लोकसभा तथा राज्यों की परिषद् को राज्य सभा कहते हैं।

1. **लोक सभा-** यह संसद का अस्थायी तथा निम्न या प्रथम सदन है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोक सभा में

अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, परन्तु वर्तमान में हमारी संसद में 543 सदस्य हैं। लोकसभा

इसे भी जाने-

- व्यवस्थापिका को अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे- संसद (भारत), कांग्रेस (संयुक्त राज्य अमेरिका), ड्यूमा (रूस), पार्लियामेंट (ब्रिटेन) आदि।

सदस्य (530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केन्द्र शासित प्रदेशों से) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित होते हैं।

लोक सभा सदस्यों की योग्यताएँ –

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. पागल या दिवालीया न हो।
4. किसी लाभ के पद पर न हो।
5. वह किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक दण्डित नहीं किया गया हो।

इसे भी जाने-

- 2019 तक राष्ट्रपति लोक सभा में 2 सदस्य (एंग्लो इण्डियन) मनोनीत करता है था परन्तु 104 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार इनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया है।

इसे भी जाने-

- भारत में लोक सभा का पहली बार गठन 2 अप्रैल, 1952 ई. को हुआ था।
- लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 ई. को प्रारम्भ हुई थी।
- भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा व लक्षद्वीप सबसे छोटा लोक सभा क्षेत्र है।

जा सकता है। आपातकाल में लोक सभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोक सभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोक सभा की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य (55 सदस्य) आवश्यक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

राज्य सभा और लोकसभा के विशेषाधिकार- अधिकांशतः लोकसभा और राज्य सभा के कार्य व अधिकार समान ही हैं, जिनका अध्ययन हम संसद के कार्यों के अन्तर्गत कर चुके हैं। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली में राज्य सभा और लोकसभा के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जो निम्न हैं-

1. अनुच्छेद-312 के द्वारा राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार प्राप्त है।
2. राज्यसभा अनुच्छेद-249 के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।
3. संविधान द्वारा वित्त के सन्दर्भ में लोकसभा को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये गए हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। इस अवधि के पश्चात् धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है।

2. **राज्य सभा-** राज्य सभा संसद का उच्च सदन है, जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। रिक्त स्थानों पर उतने ही नये सदस्यों का निर्वाचन होता है। संसद में राज्यसभा संविधान के संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं- निर्वाचित और मनोनीत। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं परन्तु वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें 233 सदस्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुद्दुचेरी तथा जम्मू-कश्मीर) के विधानमण्डलों द्वारा निर्वाचित तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत सदस्य साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, कला, प्रशासन, संस्कृति या अपने क्षेत्र के विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विद्वान होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है, जो सभापति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।

इसे भी जाने--

- राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल, 1952 को हुआ था।
- राज्य सभा की प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को प्रारम्भ हुई थी।
- एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सूत्र- [कुल मतदान/ कुलविजयी उम्मीदवार+1] +1

राज्य सभा सदस्य की योग्यताएँ- राज्य सभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30

इसे भी जाने--

- राज्यसभा ने किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने वाली शक्ति का प्रयोग अब तक 1952 ई. और 1986 ई. में किया है।

वर्ष होनी चाहिए। जिस राज्य का वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उसका नाम उस राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य योग्यताएँ लोकसभा सदस्यों के समान हैं।

विधायिका कानून बनाने वाली संस्था के साथ ही लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केन्द्र होती है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे- सदन में चर्चा, बहिर्गमन, विरोध-प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि ये इसे अत्यन्त जीवन्त रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जो लोकतन्त्र का आधार हैं। भारत में मन्त्रिमण्डल नीति-निर्माण की पहल और

शासन का एजेंडा सुनिश्चित कर, उसे लागू करता है। यह वाद-विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है।

संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया- संसद में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व इस बात पर अत्यधिक चर्चा होती है कि उस विधेयक की क्या आवश्यकता है? कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से भी किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल



चित्र 14.1- लोकसभा में कार्यवाही

सकता है। अनेक हित समूह मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अतः कानून बनाना एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनैतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक, जिस मन्त्रालय से सम्बन्धित होता है, वहीं मन्त्रालय उसका प्रारूप बनाता है। संसद के किसी भी सदन में कोई भी सदस्य साधारण विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है, तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विधेयक को लागू होने के लिए उसे दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत प्राप्त होने के पश्चात उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर, वह विधेयक कानून बन जाता है।

भारतीय संसद में मुख्यतः एक वर्ष में तीन सत्र आयोजित होते हैं-

1. **बजट सत्र-** यह सत्र फरवरी से मई माह के मध्य आयोजित होता है।
2. **मानसून सत्र-** यह सत्र जुलाई से सितम्बर तक आयोजित किया जाता है।
3. **शीतकालीन सत्र-** यह सत्र नवम्बर से दिसम्बर के बीच आयोजित किया जाता है।

प्रश्नकाल- संसद के दोनों सदनों की बैठक में प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल का होता है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण प्रतिपूर्ति (फीडबैक) मिलता है। प्रश्नकाल में चार प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं-

1. **तारांकित प्रश्न-** ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य तुरन्त सदन में चाहता है। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है।
2. **अतारांकित प्रश्न-** ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है।

3. **अनुपूरक प्रश्न-** ऐसे प्रश्न जिनका सदन में उत्तर दिया जा चुका है, उनके स्पष्टीकरण हेतु पूछे गए प्रश्न।

4. **अल्पसूचना प्रश्न-** जो प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्त्व के हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जा सकता है।

शून्यकाल- प्रश्न काल के पश्चात 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस समय सांसद बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं।

संसदीय समितियाँ- संसद का अधिवेशन के समय ही कार्यशील होने के कारण विधायी और दैनिक कार्यों के लिए सीमित समय मिलता है। अतः संसद के दैनिक कार्यों के सुचारू सञ्चालन एवं संपादन के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें संसदीय समिति कहते हैं। इन समितियों के सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। विधेयकों की देखरेख, विभिन्न मन्त्रालयों की अनुदान माँगों का अध्ययन, विभागीय व्यय की जाँच, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जाँच कार्य संसदीय समितियाँ करती हैं। लोक लेखा समिति, वित्त समिति, प्राक्कलन समिति, नियम समिति, भाषाई समिति आदि प्रमुख संसदीय समितियाँ हैं। इनके अतिरिक्त संसद में संयुक्त समितियों का भी गठन किया जा सकता है, जो किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा और वित्तीय अनियमितताओं की जाँच कर सकती हैं।

इसे भी जाने--

- 1983 ई. में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी। वर्तमान में इन स्थायी समितियों की संख्या 20 है।



चित्र 14.2- भारतीय संसद भवन

एवं लागू कर, प्रशासन का कार्य करता है, कार्यपालिका कहलाता है। सरकार के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका तथा कार्यपालिका में कार्यरत प्रशासनिक समूह के लोगों को स्थायी कार्यपालिका (प्रशासनिक कार्यपालिका) कहा जाता है।

कार्यपालिका के प्रकार-

कार्यपालिका को मुख्यतः सामूहिक नेतृत्व के सिद्धान्त और एकल नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित प्रणाली के रूप में विभाजित किया गया है।

सारणी 14.1

कार्यपालिका के प्रकार		
सामुहिक नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित प्रणाली		एकल नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित प्रणाली
संसदीय व्यवस्था	अर्ध अध्यक्षतात्मक व्यवस्था	अध्यक्षात्मक व्यवस्था
सरकार का प्रमुख आमतौर पर प्रधानमन्त्री होता है।	राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है।	अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है।
वह विधायिका में बहुमतदल का नेता होता है।	प्रधानमन्त्री सरकार को प्रमुख होता है।	वही सरकार का प्रमुख होता है।
वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।	प्रधानमन्त्री और उसकी मन्त्रिपरिषद् विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।	राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है।
देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है।		वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता।
राजा —————→ राष्ट्रपति —————→	संवैधानिक राजतन्त्र संसदीय गणतन्त्र	औपचारिक शासन प्रमुख

भारत में संसदीय कार्यपालिका- भारतीय संविधान निर्माता पूर्व के अनुभवों के आधार पर भारत में ऐसी सरकार चाहते थे, जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका का था लेकिन अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पद पर बहुत बल देती है और सभी शक्तियों का स्रोत राष्ट्रपति को मानती है। संसद के बहुमत पर निर्भर कार्यपालिका को संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएँ हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका, विधायिका जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है और उससे नियंत्रित भी करती है। इसलिए भारतीय संविधान में केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर पर शासन की संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। केन्द्रीय कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद् से मिलकर होता है। इसका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है जबकि व्यवहारिक प्रधान प्रधानमन्त्री होता है। प्रान्तीय स्तर कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमन्त्री और मन्त्रिपरिषद् से मिलकर होता है।

राष्ट्रपति- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 72 में राष्ट्रपति पद, उसके अधिकार और कार्यों के बारे

इसे भी जाने--

- भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा कार्यकाल समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के अन्दर नये राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना अनिवार्य है।
- राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिखित में प्रेषित करता है।
- संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 5,00,000 और उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सभापति के रूप में 4,00,000 मासिक वेतन सहित अन्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

में उल्लेख है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति, राष्ट्र की एकता और अखण्डता का प्रतीक है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करता है।

निर्वाचन- राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में लोकसभा, राज्यसभा,

राज्यों की विधान सभाओं सहित केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली, पटुचेरी व जम्मू-कश्मीर विधान सभाओं के सदस्य सम्मिलित हैं।

योग्यताएँ-

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. लोक सभा सदस्य बनने की योग्यताएँ रखता हो।
4. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचन आवेदन फार्म पर कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायकों या सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार- भारत के राष्ट्रपति में सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति की सहायता करती है तथा उसे सलाह देती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, उसे सम्बोधित करता है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर उसकी सलाह पर मन्त्रि परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त वह सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों,

महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी, राज्यपालों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों, राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने के साथ ही मृत्यु दण्ड की सजा को क्षमा करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 व अनुच्छेद 360 में आपात कालीन प्रावधान दिये गए हैं जिन्हें राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ कहते हैं।

सारणी 14.2

अनुच्छेद 352	अनुच्छेद 356	अनुच्छेद 360
युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा	राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा	देश में वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा

विशेषाधिकार- राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार होता है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) पर स्वीकृति देने में देरी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

उपराष्ट्रपति- उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इसके लिए 35 वर्ष की आयु व राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्रता आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपना निर्वाचन आवेदन पत्र 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक तथा 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के समस्त कार्यों व दायित्वों का निर्वहन करता है।

महाभियोग- महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरीका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4 व 5) 217 और 218 में इसका प्रावधान है। जब उक्त पदाधिकारियों द्वारा संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो, तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 100 सांसदों तथा राज्य सभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। सदन के अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने के उपरान्त तीन सदस्यीय समिति बनाकर आरोपों की जाँच कर, उसकी आख्या सदन प्रस्तुत की जाती है। दोषी पाये जाने पर मतदान कराया जाता है। प्रस्ताव पारित होने के लिए दो तिहाई सांसदों का समर्थन मिलना आवश्यक है।

प्रधानमन्त्री- संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सामान्यतः लोकसभा में बहुमतदल के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। परन्तु यदि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से सबसे बड़े दल अथवा गठबन्धन के नेता को

इसे भी जाने--

- सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ सन् 1993 में पहली बार महाभियोग लगा था। दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण यह प्रस्ताव लोक सभा में पारित नहीं हुआ था।

प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। इस स्थिति में नियुक्त प्रधानमन्त्री को निश्चित समय में लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। प्रधानमन्त्री लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन

का सदस्य हो सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 ई. में दिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमन्त्री या मन्त्रि नियुक्त कर सकता है, जो किसी भी सदन का सदस्य न हो लेकिन ऐसे व्यक्ति को पद ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर संसद के किसी भी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) की सदस्यता

लेनी अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमन्त्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है परन्तु जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही वह अपने

इसे भी जाने--

- प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री 'नीति आयोग' का प्रमुख होता है।
- वर्तमान में भारत के प्रधानमन्त्री को 1,60,000 मासिक वेतन सहित अन्य भत्ते प्रदान मिलते हैं।
- वर्तमान में भारत के केन्द्रीय मन्त्रियों को 1,00,000 मासिक मूल वेतन सहित अन्य भत्ते मिलते हैं।

पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रधानमन्त्री सेतु का कार्य करता है। सांसदों को उनकी वरिष्ठता व राजनीतिक महत्त्व के अनुसार मन्त्रिमण्डल में कैबिनेट मन्त्री, राज्य मन्त्री या उप मन्त्री बनाया जाता है। प्रधानमन्त्री के त्याग पत्र देने की स्थिति में मन्त्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है।

मन्त्रिपरिषद- अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है, जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होता है। मन्त्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मन्त्रिपरिषद में कैबिनेट मन्त्री, राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) व उपमन्त्री तीन प्रकार के मन्त्री होते हैं। प्रधानमन्त्री और कैबिनेट

मन्त्री मिलकर मन्त्रिमण्डल कहलाता है। मन्त्रिपरिषद् के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

स्थायी कार्यपालिका- भारत में स्थायी कार्यपालिका के रूप में समस्त नौकरशाही को जाना जाता है।

इसे भी जाने--

- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003 ई.) के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या सदन (केन्द्र में लोकसभा एवं राज्यों में विधानसभा) की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

यह कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के नियन्त्रण में कार्य करती है। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाये गए कानूनों का क्रियान्वन एवं पालना का कार्य स्थायी कार्यपालिका करवाती है। स्थायी कार्यपालिका में

अखिल भारतीय सेवाएँ, प्रान्तीय सेवाएँ, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के समस्त अधिकारी सम्मिलित हैं। यह कार्यपालिका राजनीतिक रूप से तटस्थ होती है।

न्यायपालिका- न्यायपालिका भारतीय शासन व्यवस्था का तीसरा अङ्ग है। व्यक्तियों, व्यक्ति समूहों और सरकार के मध्य विवादों को स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से निराकरण करने तथा संविधान की रक्षा करने

के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

से आशय विधायिका और

कार्यपालिका, न्यायपालिका

के कार्यों में किसी भी प्रकार की

बाधा न पहुँचाएँ, ताकि वह

सुचारू रूप से निष्पक्ष रह कर

कार्यों का निष्पादन कर सके।



चित्र- 14.3 सर्वोच्च न्यायालय

इसके अतिरिक्त न्यायपालिका वित्तीय रूप से कार्यपालिका या विधायिका पर निर्भर नहीं होती है।

न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों के लिए विधायिका की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायाधीशों

के कार्यों व निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना

का दोषी पाया जाता है, तो न्यायपालिका को उसे दण्डित करने का अधिकार है। संसद न्यायाधीशों के

आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है, जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव (महाभियोग) पर विचार कर

रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से निर्णय करती है।

न्यायपालिका के कार्य- न्यायपालिका के कार्यों को मोटे तौर पर निम्न भागों में विभाजित किया गया है-

1. **विवादों का निराकरण-** न्यायपालिका द्वारा नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों तथा केन्द्र व राज्यों के बीच पैदा होने वाले विवादों का निराकरण किया जाता है।
2. **न्यायिक समीक्षा-** संविधान की व्याख्या का अधिकार केवल भारत की न्यायपालिका के पास ही है। यदि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जा सकता है, उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है।
3. **कानून की सुरक्षा व मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन-** संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा का कार्य भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह न्यायपालिका की शरण लेकर उनकी सुरक्षा की मांग कर सकता है।

न्यायपालिका की संरचना- भारतीय संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, इसके अधीन राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अधीन जिला स्तर पर जिला न्यायालय व इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय स्थापित हैं।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय- यह देश में न्यायिक क्षेत्र की सर्वोपरी संस्था है, जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके गठन से सम्बन्धित प्रावधान अनुच्छेद-124 में दिए गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी, 1950 को हमारे देश में संविधान लागू होने पर फेडरल कोर्ट के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया।

मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 (01 मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश) है। मुख्य न्यायाधीश का पद भारत में सर्वोच्च न्यायिक पद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को CJI (चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया) भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। इनके वेतन-भत्ते और न्यायालय के प्रशासनिक व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित किया जाता है।

न्यायाधीशों के लिए योग्यताएँ- वह भारत का नागरिक हो। किसी उच्च न्यायालय वह कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो अथवा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।

न्यायाधीशों को पद से हटाना- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है। न्यायाधीशों को केवल कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।

इसे भी जाने--

- कार्यकाल- न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं किन्तु इससे पूर्व भी वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार- भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के व्यापक क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है।

1. मौलिक या प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार- यह निम्न मामलों में प्राप्त है -

- i. भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में।
- ii. भारत संघ के दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों में।
- iii. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों के प्रश्न निहित हैं।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार- देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अन्तर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं- i. संवैधानिक मामले ii. दीवानी मामले iii. फौजदारी मामले।

3. परामर्शदायी क्षेत्राधिकार- राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्त्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है इसलिए इसे सर्वोच्च परामर्शदात्री संस्था कहा जाता है।

4. पुनर्विचार सम्बन्धी क्षेत्राधिकार- संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है।

5. मौलिक अधिकारों का रक्षक- सर्वोच्च न्यायालय जनता के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। संविधान का अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक

अधिकारों के हनन होने पर आवश्यक कार्यवाही करता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है।

सारणी 14.3

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी लेखों की सूची

लेख/आदेश	कार्य
बन्दी प्रत्यक्षीकरण	गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई के आदेश।
परमादेश	कर्तव्य पालन का आदेश।
प्रतिषेध	अधीनस्थ न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र न होने पर, सुनवाई नहीं करने का आदेश।
उत्प्रेषण	लंबित मुकदमों के निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश।
अधिकारपृच्छा	सैवधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्यों को करने पर, न्यायालय द्वारा जारी आदेश।

उच्च न्यायालय- राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है किन्तु संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय भी गठित कर सकती है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या किसी न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। यह भी अभिलेख न्यायालय होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है।

जिला न्यायालय- जिला स्तर पर न्याय सुलभ कराने हेतु जिला न्यायालय स्थापित किये गये हैं। इन न्यायालयों में जिला स्तर पर प्रस्तुत मुकदमों तथा निचली अदालतों के निर्णयों पर की गई अपील की सुनवाई की जाती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले की सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और न्यायिक अधिकारी होता है। इन्की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है।

अधीनस्थ न्यायालय- इस प्रकार के न्यायालय सबसे निचले स्तर पर होते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, इन्हें संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। इनका गठन राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया जाता है। विभिन्न राज्यों में इनके अलग-अलग नाम और श्रेणियाँ हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय के अन्य कार्य भी हैं जैसे- लोक अदालत, विधिक सहायता समिति, जनहित याचिका आदि। इनका अध्ययन हम पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं।

इसे भी जाने--

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय (उत्तर प्रदेश) देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है जहाँ कुल 160 न्यायाधीश कार्यरत हैं तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सबसे छोटा उच्च न्यायालय है जहाँ 13 न्यायाधीश कार्यरत हैं। देश का 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2019 को आंध्रप्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया।

सारणी 14.4

भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ	
पहली अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रदेशों की सूची
द्वितीय अनुसूची	राष्ट्रपति, राज्यपालों, राज्य सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची।
तीसरी अनुसूची	शपथ का प्रारूप।
चौथी अनुसूची	राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान।
पाँचवीं अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण का प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची	मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची।
नौवीं अनुसूची	कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान।
दसवीं अनुसूची	दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान।
ग्यारहवीं अनुसूची	पञ्चायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व।
बारहवीं अनुसूची	नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. संघीय कार्यपालिका का.....वास्तविक प्रमुख होता है।
अ. प्रधानमन्त्री ब. राष्ट्रपति
स. मन्त्रिपरिषद् द. सभी
2. निम्न में से वह संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है।
अ. जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना।
ब. संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका।
स. जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है।
द. ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो।
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए..... प्रस्ताव लाया जाता है।
अ. लोकसभा में ब. राज्य सभा में
स. संसद के किसी भी सदन में द. संसद के दोनों सदनों में एक साथ
4. राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन से सम्बन्धित अनुच्छेद..... है।
अ. अनुच्छेद 124 ब. अनुच्छेद 130
स. अनुच्छेद 214 द. अनुच्छेद 219
5. विधायिका को अन्य नाम..... से जाना जाता है।
अ. कार्यपालिका ब. न्यायपालिका
स. व्यवस्थापिका द. उपर्युक्त में से कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। (प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति)
2. लोकसभा की गणपूर्ति के लिए सदस्य आवश्यक हैं। ($\frac{1}{10}$ / $\frac{1}{3}$)
3. देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। (उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय)
4. भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या..... है। (25/30)

सत्य/असत्य बताइए -

1. भारत में संघीय व्यवस्था प्रचलित है।	सत्य/असत्य
2. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।	सत्य/असत्य
3. तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिये जाते हैं।	सत्य/असत्य
4. सर्वोच्च न्यायालय जनता के मौलिक अधिकारों का रक्षक है।	सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. बजट सत्र	क. नवम्बर से दिसम्बर के मध्य
2. मानसून सत्र	ख. फरवरी से मई के मध्य
3. शीतकालीन सत्र	ग. राष्ट्रपति
4. संयुक्त सत्र	घ. जुलाई से सितम्बर के मध्य

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. अतारांकित प्रश्न से क्या आशय है ?
2. राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है ?
3. सरकार के तीन मुख्य अङ्ग कौन-कौनसे हैं ?
4. भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. विधायिका किसे कहते हैं ?
2. विधेयक किसे कहते हैं? इसके प्रकार भी बताइए ?
3. राष्ट्रपति पद पर हेतु कौन-कौनसी योग्यताएँ आवश्यक हैं ?
4. अनुच्छेद 360 के बारे में बताइए।
5. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से क्या आशय है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. संसद के क्या-क्या कार्य हैं? उनका वर्णन कीजिए।
2. कार्यपालिका सरकार का महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं। कैसे ? समझाइए।
3. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियों के बारे में विस्तार से लिखिए।

परियोजना कार्य-

1. लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया की जानकारी संग्रहित कीजिए।



अध्याय - 15

स्थानीय शासन

इस अध्याय में- स्थानीय सरकार की आवश्यकता, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का विकास, 73वाँ संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, 74वाँ संविधान संशोधन, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन।

भारत में स्थानीय शासन की परम्परा प्राचीन समय से ही रही है। उस समय भी स्थानीय शासन को ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। शास्त्रों में ग्रामणी, ग्रामाधिपति, रेड्डी, पञ्चायतन आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ग्रामणी को राज्यकृत कहा गया है। वह ग्राम प्रमुख होने कारण राजा के निर्वाचन में भाग लेता था। यथा- ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च। (3.5.7) इसी प्रकार यजुर्वेद में ग्रामणी का सेनापति के रूप में उल्लेख है- सेनानी ग्रामण्यौ। (15.15.19) कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि में भी स्थानीय शासन के विषय में वर्णन मिलता है। स्थानीय शासन से आशय है शासन की समस्त बागडोर स्थानीय लोगों के पास होना अर्थात् स्थानीय जनता समस्त शासन का सञ्चालन करती है।

स्थानीय सरकार की आवश्यकता- स्थानीय सरकार में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। यह आम आदमी के सबसे नजदीक की शासन व्यवस्था है। स्थानीय शासन में मुखिया स्थानीय लोगों के बीच का ही कोई व्यक्ति होता है। वह लोगों के काम आसानी से व तुरंत प्रभाव से कर देता है क्योंकि उसका अपने लोगों से आत्मिक जुड़ाव होता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय शासन में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है। महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्वशासन से लोगों में नियोजन और संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन की भावना पैदा होती है, इसे स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है।

आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का विकास- 1882 ई. में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव लाया गया था इसीलिए लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में 'स्थानीय शासन का जनक' कहा जाता है। 'भारत शासन अधिनियम 1919' द्वारा स्थानीय शासन को प्रान्तीय सरकारों के क्षेत्र में दे दिया गया। संविधान की सातवीं अनुसूची में स्थानीय शासन

को राज्य सूची का विषय बनाया गया। महात्मा गाँधी ने 'ग्राम स्वराज्य' की कल्पना की थी। उनके अनुसार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ग्राम पञ्चायतों को मजबूत बनाना। स्थानीय लोगों की भागीदारी विकास के प्रत्येक क्षेत्र में होनी चाहिए। संविधान में स्थानीय शासन को पर्याप्त

सारणी 15.1	
समिति का नाम	गठन वर्ष
बलवंत राय मेहता समिति	1957 ई.
हरिशचन्द्र माथुर समिति	1963 ई.
अशोक मेहता समिति	1977 ई.
सिंघवी समिति	1987 ई.
पी. के. थुंगण समिति	1988 ई.

महत्त्व नहीं मिला था क्योंकि देश-विभाजन के कारण संविधान का झुकाव केन्द्र को मजबूत बनाने का रहा। देश में जब उथल-पुथल का दौर समाप्त हुआ व स्थिरता आई, उसके पश्चात संविधान में स्थानीय शासन को मजबूत व सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर कई अहम संशोधन हुए। स्थानीय शासन (पञ्चायती राज)

को स्थापित करने, सुदृढ़ करने व उसमें जन सहभागिता व अधिकार व शक्तियों के विभाजन आदि के लिए समय-समय पर कई समितियों का गठन किया गया है।

73वाँ संविधान संशोधन (1992 ई.)- स्थानीय ग्रामीण शासन को दृढ़ता देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संविधान में 73वाँ संशोधन किया। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 (ए) जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243(क) से 243(ण) तक पञ्चायतीराज का उल्लेख है। पञ्चायतीराज को इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 ई. को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। इस संशोधन के द्वारा पञ्चायती राज को त्रिस्तरीय

इसे भी जाने-

- बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर, 1959 ई. को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरीगाँव से हुई थी।

ढाँचा प्रदान किया गया, जिसके अनुसार सबसे नीचे ग्राम पञ्चायत, मध्य स्तर पर पञ्चायत समिति व उच्च स्तर पर जिला परिषद होती है। इनको अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था है। राज्य वित्त आयोग पञ्चायती राज संस्थाओं को संचित निधि से अनुदान की सिफारिश करता है।

ग्राम पञ्चायत- ग्राम पञ्चायत ग्रामीण स्थानीय शासन के त्रि-स्तरीय ढाँचे में अन्तिम स्थान पर होती है। ग्राम पञ्चायत समय-समय पर ग्राम सभा का आयोजन करती है, जिसमें पञ्चायत क्षेत्र के सभी निवासी भाग लेते हैं। ग्राम पञ्चायत का मुखिया सरपंच कहलाता है, जिसे ग्राम पञ्चायत के पंजीकृत मतदाता

चुनते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सरपंच पद हेतु उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

पञ्चायत समिति- यह ग्रामीण स्थानीय शासन का मध्यम स्तर होता है। इसका मुखिया प्रधान या क्षेत्र प्रमुख कहलाता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस पद हेतु उम्मीदवार का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

जिला परिषद- यह ग्रामीण स्थानीय शासन का सबसे उच्च स्तर होता है। इसका मुखिया जिला प्रमुख कहलाता है जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। जिला प्रमुख पद हेतु भी उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

विषयों का हस्तान्तरण- संविधान की 11वीं अनुसूची में पञ्चायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं किन्तु वास्तविक हस्तान्तरण राज्य सरकार की शक्ति है कि वह स्थानीय शासन को कितने विषय हस्तांतरित करती है। ये सारे विषय स्थानीय विकास व कल्याण की आवश्यकताओं से सम्बन्धित होते हैं।

राज्य चुनाव आयोग- स्थानीय शासन संस्थाओं में चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। राज चुनाव आयोग का मुखिया राज्य चुनाव आयुक्त होता है।

74वाँ संविधान संशोधन(1992 ई.)- 74वाँ संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू किया गया था। इसका सम्बन्ध नगरीय स्थानीय शासन से है। इस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें भी त्रिस्तरीय ढाँचा होता है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम होते हैं। नगरीय स्थानीय शासन में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को सीटों में आरक्षण की व्यवस्था है।

नगरपालिका- नगरपालिका का गठन 20 हजार से 1 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। इसका मुखिया अध्यक्ष या चेयरमैन कहलाता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस पद हेतु उम्मीदवार का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

नगर परिषद- नगर परिषद का गठन 1 लाख से 5 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। इसका मुखिया सभापति कहलाता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस पद हेतु उम्मीदवार का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

नगर निगम- नगर निगम का गठन 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। नगर निगम का मुखिया महापौर या मेयर कहलाता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस पद हेतु उम्मीदवार का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

उपर्युक्त संस्थाओं के गठन का आधार जनसंख्या होती है। शहरी निकायों में सभी प्रावधान जैसे चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त आदि सभी प्रावधान 73वें संशोधन के समान ही लागू हैं।

73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन- 73वें और 74वें संशोधन के प्रावधान सभी राज्यों में लागू हो चुके हैं। वर्तमान में ग्रामीण स्थानीय शासन में सम्पूर्ण भारत में 2,50,000 ग्राम पञ्चायतें, 6,000 पञ्चायत समितियाँ (नगर पञ्चायत) 780 जिला परिषदें हैं। वर्तमान में स्थानीय शासन में सम्पूर्ण भारत में 1400 नगर पालिकाएँ, 2,000 नगर परिषदें व लगभग 100 नगर निगम हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी व स्थानीय विकास के लिए इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रश्नावली

बहु विलम्बित प्रश्न-

- नगर निगम का कार्यकाल.....का होता है।
अ. 5 वर्ष ब. 9 वर्ष स. 6 वर्ष द. 7 वर्ष
- सन् में 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन लागू किया गया था।
अ. 1991 ब. 1992 स. 1993 द. 1994
- सन् बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया था।
अ. 1991 ब. 1992 स. 1957 द. 1994

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

- भारत में स्थानीय शासन का जनक को माना जाता है। (लॉर्ड रिपन/लॉर्ड डलहौजी)
- पञ्चायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश ने की।
(सिंघवी समिति/ बलवंतराय मेहता समिति)
- स्थानीय शासन के चुनाव द्वारा सम्पन्न होते हैं।
(केन्द्रीय निर्वाचन आयोग/राज्य चुनाव आयोग)
- संविधान के अनुच्छेद तक में पञ्चायतीराज का उल्लेख है।
(243 (क) से 243 (ण)/240 से 241)

सत्य/असत्य बताइए-

- ग्राम पञ्चायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। सत्य/असत्य
- 73 वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से सम्बन्धित है। सत्य/असत्य
- पञ्चायती राज संस्थाओं को 21 विषय हस्तान्तरित किये गये थे। सत्य/असत्य

4. वैदिक वाङ्मय में ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा गया है।

सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. ग्राम पञ्चायत	क. महापौर
2. पञ्चायत समिति	ख. सरपंच
3. जिला परिषद	ग. क्षेत्र प्रमुख
4. नगर निगम	घ. जिला प्रमुख

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. स्थानीय शासन से क्या आशय है?
2. ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन के 3 स्तर कौन-कौन से हैं?
3. भारत में आधुनिक स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है?
4. नगर निगम का मुखिया कौन होता है?
5. स्थानीय शासन के त्रि-स्तरीय ढाँचे का सुझाव किस समिति ने दिया था?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. नगरीय स्तर पर स्थानीय शासन के 3 स्तर कौन-कौन से हैं?
2. प्राचीन भारत में स्थानीय शासन को समझाइए।
3. जिला परिषद का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. संविधान के 73वें संशोधन को समझाइए।
2. आधुनिक भारत में स्थानीय शासन के विकास को समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. स्थानीय शासन को आरेख (डायग्राम) द्वारा समझाइए।



अध्याय-16

भारत के पड़ोसी देश

इस अध्याय में- भारत व पड़ोसी देश, भारत-चीन सम्बन्ध, भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध, भारत-नेपाल सम्बन्ध, भारत-भूटान सम्बन्ध, भारत-म्यांमार सम्बन्ध, भारत-श्रीलंका सम्बन्ध, भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध, भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक तथा विश्व की पाँचवी बड़ी अर्थव्यवस्था व्यवस्था वाला देश है। प्राचीन काल से ही भारत के व्यापारिक, सांस्कृतिक व धार्मिक सम्बन्ध सम्पूर्ण विश्व से रहे हैं। समय के साथ-साथ भारत का स्वरूप परिवर्तित होता रहा है परन्तु भारत के मैत्री सम्बन्ध विश्व के देशों से बने रहे हैं। इसका प्रमुख कारण भारत सामरिक दृष्टि से कभी आक्रामक नहीं रहा है। हमारे वैदिक वाङ्मय में विश्व शान्ति और कल्याण की भावना अनेक स्थानों पर दृष्टिगोचर हुई



मानचित्र 16.1 भारत के पड़ोसी देश

है। श्रीमद्भगवद् गीता में जीवों के प्रति उदात्त भावना इस प्रकार अभिव्यक्त हुई है- **समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ (13.27)** अर्थात् जो पुरुष नाशवान सम्पूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाशरहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। **अयं निजः परा वेति गणना लघु चेतसाम्। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ (महोपनिषद् 4.71)** अर्थात् यह मेरा है, वह पराया है। ऐसे विचार संकीर्ण मन वाले लोगों के होते हैं। उदार हृदय वाले लोग सम्पूर्ण विश्व को ही अपना कुटुम्ब मानते हैं। इस चिन्तन से स्पष्ट है कि भारतीय लोगों की संसार के लोगों के प्रति उदार, समानता, स्वतन्त्रता, मैत्री आदि का भाव प्रकट होता है, जो भारत की विदेश नीति का आधार है। महा वाक्य 'वसुधैव कुटुम्बकम्' हमारी संसद के प्रवेश द्वार संख्या-6 पर अंकित है। विश्व बन्धुत्व, अहिंसा और शान्ति की यह धारा समय-समय पर महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कबीर, नानकदेव, महात्मा गाँधी जैसे चिन्तकों के चिन्तन में प्रवाहित होती रही है। भारतीय

विदेश नीति में इन सिद्धान्तों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। जिनके आधार पर ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों एवं विश्व के अन्य देशों से सम्बन्ध स्थापित किए हैं।

भारत व पड़ोसी देश- भारत भौतिक दृष्टि से एक उपमहाद्वीप प्रदेश है। भारत के 17 राज्यों की सीमा 8 देशों से लगती है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, दक्षिण में श्रीलंका एवं पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार तथा पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान पड़ोसी देश हैं। निम्न सारणी द्वारा हम भारत के पड़ोसी देश, उनसे लगने वाली भारत की कुल सीमा व उनसे सीमा बनाने वाले राज्यों को समझेंगे-

सारणी 16.1

क्रं.	देश	कुल सीमा (भारत की)	सीमा बनाने वाले राज्य
1	चीन	3488 किमी.	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
2	नेपाल	1751 किमी.	बिहार, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम
3	भूटान	699 किमी.	असम, पश्चिम बङ्गाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम
4	बांग्लादेश	4096 किमी. (सर्वाधिक सीमा)	पश्चिम बङ्गाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
5	म्यांमार (वर्मा)	1643 किमी.	अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम
6	पाकिस्तान	3323 किमी.	जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब
7	अफगानिस्तान	106 किमी. (न्यूनतम सीमा)	जम्मू कश्मीर

कुछ देशों को छोड़कर (विशेषतः पाकिस्तान व चीन) भारत के अपने पड़ोसी देशों से सम्बन्ध अच्छे रहे हैं। आइये भारत के पड़ोसी देशों से सम्बन्धों को जानते हैं-

भारत-चीन सम्बन्ध- चीन, भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है। प्राचीनकाल से ही भारत और चीन के सम्बन्ध सांस्कृतिक और व्यापारिक रहे हैं। चीन के विदेशी आधिपत्य से मुक्त (1949 ई.) होने पर भारत ने ही सर्वप्रथम चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1954 ई. में दोनों देश के मध्य पंचशील समझौता हुआ और 1955 ई. में बाण्डुंग (इण्डोनेशिया) सम्मेलन में दोनों देशों ने एक-दूसरे का पूर्ण सहयोग करते हुये हिन्दी-चीनी, भाई-भाई का नारा दिया था।

भारत की विशाल जनसंख्या, शक्ति और प्राकृतिक संसाधनों की सम्पन्नता के कारण चीन प्रारम्भ से ही भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है। चीन की विस्तारवादी और एशिया पर एकाधिकार की नीति के कारण भारत और चीन सम्बन्धों में 1957 ई. से 1978 ई. का कालखण्ड टकराव और तनाव का रहा है। चीन अपरोक्ष रूप से भारत के साथ विद्वेषपूर्ण भाव रखता रहा है। जिसकी परिणति चीन-तिब्बत विवाद और भारत-चीन सीमा विवाद के रूप प्रकट हुई। चीन-तिब्बत विवाद के अन्तर्गत 1958 ई. में तिब्बत में हुए विद्रोह का नेतृत्व आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किया और चीन ने शीघ्र ही इस विद्रोह का दमन कर दिया। इस कारण 10 मार्च, 1959 ई. में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी।

1950-51 ई. के चीन ने अपने मानचित्र में भारत के एक बड़े भू-भाग को अपना अङ्ग बताया था। भारत सरकार के विरोध करने पर चीन ने इसे कोमिन्तांग सरकार का पुराना मानचित्र बताकर बात को टाल दिया था। पञ्चशील समझौते के पश्चात भारत ने चीन से अपने समस्त विवादों की इति मानली थी परन्तु चीन ने धीरे-धीरे भारतीय सीमा क्षेत्रों को अपना क्षेत्र मानते हुए अपनी सैन्य शक्ति स्थापित करने लगा था। जब भारत ने इसका विरोध किया तो चीन ने उल्टा भारत पर आरोप लगाते हुए 23 जनवरी, 1959 ई. को भारत को लिखे पत्र में कहा कि भारत और चीन के मध्य सीमाओं का निर्धारण कभी नहीं हुआ। यह चीन के विरुद्ध भारत के साम्राज्यवादी षड्यन्त्र का परिणाम है। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 1962 ई. चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारतीय सेनाओं ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए चीनी आक्रमण का जवाब दिया परन्तु सैन्य स्तर पर भारत की पराजय हुई। चीन ने इस युद्ध में भारत के बड़े भू-भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। इस युद्ध के उपरान्त भारत ने चीन से अपने सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद कर लिए। एक लम्बे गतिरोध के बाद 1978 ई. में चीन से भारत को यह कूटनीतिक संकेत प्राप्त होने लगे थे कि वह भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने का इच्छुक है। इस कड़ी में चीनी सरकार के बुलावे पर तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने चीन की यात्रा की परन्तु चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण किए जाने कारण यह यात्रा अधूरी रही। परन्तु इसके पश्चात दोनों देशों ने एक दूसरे की महत्ता को समझते हुए अपने सम्बन्धों को सामान्य करने एवं व्यापार को बढ़ा देने हेतु सार्थक प्रयास किए हैं। इस सन्दर्भ में चीन और भारत के बीच कई बार शान्ति वार्ताएँ और समझौते/सन्धियाँ हो चुके हैं। परन्तु विश्वासघाती चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और भी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के कुछ क्षेत्रों पर चीन अपना अधिकार जताता है। जिसका तत्कालिक उदाहरण चीन ने 15 जून, 2020 को भी गलवान

इसे भी जाने-

- 9 दिसम्बर, 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत- चीन सीमा के मध्य झड़प हुई, जिसमें चीनी सेना को अधिक नुकसान हुआ है।

घाटी (लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य स्थित क्षेत्र) में घुसपैठ की कोशिश की जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को छोड़कर, आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सम्बन्ध मजबूत हुए हैं। वर्तमान समय में विश्व मंच पर भारत की शक्ति और प्रगति को चीन भली-भाँति समझता है। इसलिए भारत से सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सितम्बर, 2014 ई. में भारत यात्रा की थी। इसके पश्चात भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी भी मई, 2015 ई. में चीन की यात्रा पर गए थे। यदि भारत और चीन का सीमा विवाद हल हो जाए तो वैश्विक राजनीति में दूरगामी परिणाम दृष्टिगोचर होंगे।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध- उत्तर-पश्चिम में भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान है। 1947 ई. से पूर्व पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था लेकिन दो राष्ट्र विचारधारा के कारण भारत को विभाजन स्वीकार करना पड़ा और पाकिस्तान नाम के नये राष्ट्र का उदय हुआ। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के पश्चात भारत-पाक विभाजन के कारण एक नये संघर्ष का युग का प्रारम्भ हुआ, जिससे इस क्षेत्र से शान्ति का ही लोप हो गया। इस संघर्ष को भारत-पाकिस्तान संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है।



चित्र 16.2- ताशकन्द समझौता

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के प्रमुख कारण विभाजन से उत्पन्न समस्याएँ, कश्मीर विवाद, पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति आदि रहे हैं। पाकिस्तान ने 1965 ई., 1971 ई. और 1999 ई. में भारत पर आक्रमण किए। पाकिस्तान के इन आक्रमणों का जवाब भारतीय सेना ने, उसे परास्त कर दिया है। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अनेक प्रकार की कूटनीतिक चालें, सीमा उल्लंघन और आतंकी कार्यवाही करवाता रहता है, जैसे- 13 दिसम्बर, 2001 ई. को भारतीय संसद भवन, 26 नवम्बर, 2008 ई. को मुम्बई के ताज होटल, 14 फरवरी, 2019 ई. को पुलवामा में आतंकवादी हमले इसी के उदाहरण हैं।

भारत प्रारम्भ से शान्तिपूर्ण तरीके से कश्मीर सहित सभी विवादों को हल करने के पक्ष में रहा है। इसी क्रम में अब तक दोनों देशों के मध्य सिन्धु जल समझौता (1960 ई.), 1966 ई. में ताशकन्द समझौता (लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान) व 1972 ई. में शिमला समझौता (इन्दिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो), 1999 ई. में लाहौर समझौता (अटल बिहारी वाजपेयी एवं नवाज शरीफ) हो

चुके हैं। शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 22 जुलाई, 1976 ई. को समझौता एक्सप्रेस के नाम से रेल सेवा आरम्भ की गई, जो वर्तमान में बन्द है। फरवरी, 1999 ई. में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा के माध्यम से मित्रता की पहल की लेकिन पाकिस्तान ने फिर से विश्वासघात करके मई, 1999 ई. में भारत के कारगिल पर आक्रमण कर दिया। भारत ने 'ऑपरेशन विजय' चलाकर पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त किया था।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भी दोनों देश एक-दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। पाकिस्तान को भारत का विश्वास प्राप्त करने के लिए अपने यहाँ से संचालित होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को तुरन्त रोककर, सैन्य खर्च को कम करना चाहिए। पाकिस्तान से किए गए हर मैत्री प्रस्ताव का हमें स्वागत करना चाहिए तथा दोनों देशों को मिलकर हर संभव विकास में मदद करनी चाहिए।

इसे भी जाने-

- कारगिल विजय की स्मृति में हम प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं।

भारत-नेपाल सम्बन्ध- नेपाल, भारत का पड़ोसी देश है। उत्तर में नेपाल की सीमा चीन से लगती है तथा अन्य सभी ओर से यह भारत से घिरा हुआ होने के कारण नेपाल का भारत के लिए सामरिक महत्व अधिक है। भारत-नेपाल के मध्य 1950 ई. में शान्ति और मैत्री सन्धि भी हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत दोनों देश सुरक्षा की दृष्टि से पारस्परिक सहयोग करेंगे और किसी भी भ्रामक स्थिति में परस्पर संवाद स्थापित करके मित्रता के सम्बन्ध का निर्वाह करेंगे। भारत ने ही नेपाल को संयुक्त राष्ट्र संघ की 1955 ई. में सदस्यता दिलवाई थी। कई बार भारत-नेपाल सम्बन्धों में मतभेद प्रकट होते हैं। इन मतभेदों का प्रमुख कारण पारगमन सन्धि की समाप्ति पर नेपाल में हुए भारत विरोधी प्रदर्शन, नेपाल का साम्यवादी चीन की ओर झुकाव, ल्हासा- काठमाण्डू सड़क मार्ग का निर्माण, संयुक्त राष्ट्र संघ में शान्ति क्षेत्र घोषित करने की माँग, नेपाल में संचालित होने वाली भारत विरोधी गतिविधियाँ आदि हैं।

प्राचीनकाल में नेपाल भारत का ही अङ्ग था, जिसकी पुष्टि आदि काव्य रामायण में उल्लेखित राजा

इसे भी जाने-

- उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 23 मार्च, 1989 ई. में पारगमन व द्विपक्षीय सन्धि की समाप्ति पर, नेपाल में हुए भारत विरोधी प्रदर्शन के कारण 728 कि.मी. लम्बी नेपाल-उत्तर प्रदेश सीमा पर नेपाल के 12 बाजारों के 5500 भारतीय दुकानदारों में से 4000 दुकानदार अपनी दुकान बन्द करके भारत आ गये थे।

जनक के राज्य जनकपुर से होती है, जो वर्तमान में नेपाल में है। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में मिलेंगे, जो नेपाल को भारत का ही एक क्षेत्र मानते हैं। प्राचीन काल से ही भारत और नेपाल में बहुत अधिक सांस्कृतिक समानताएँ रही हैं सम्भवतः इसी कारण दोनों के मध्य कभी



कोई विशेष विवाद नहीं रहा है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा-पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ-जा सकते हैं। उपरोक्त समानताओं के कारण ही आज नेपाल के बड़ी संख्या में छात्र और नागरिक भारत के विद्यालयों, वेद पाठशालाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन सहित अन्य कार्य कर रहे हैं।

अन्त में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि नेपाल, चीन को प्रसन्न रखने के लिए, भारत और चीन के साथ समदूरी सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्ध रखना चाहता है। भारत के लिए नेपाल का सामरिक और साँस्कृतिक महत्त्व अत्यधिक है इसलिए भारत नेपाल से विशिष्ट प्रकार के सम्बन्ध चाहता है। भारत ने सदैव ही नेपाल को एक छोटे भाई का स्थान देकर उसके विकास की परियोजनाओं में बढ़-चढ़ कर सहायता की है।

इसे भी जाने-

- नेपाल के सामरिक महत्त्व को भारतीय संसद में स्पष्ट करते हुए 17 मार्च, 1950 को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि नेपाल पर कोई भी सम्भावित आक्रमण निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।

भारत-भूटान सम्बन्ध- भूटान, भारत न केवल पड़ोसी और मित्र राष्ट्र है अपितु दोनों के मध्य इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक परम्पराओं की दृष्टि से भी सम्बन्ध है। अगस्त 1949 ई. में दोनों देशों के बीच एक मैत्री सन्धि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अन्तर्गत दोनों देश पारस्परिक रूप से शान्ति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के आन्तरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस सन्धि की धारा-2 के अनुसार भारत, भूटान के विदेशी मामलों में मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करेगा तथा भूटान को भारत की सलाह माननी होगी। भूटान की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी भारत की होगी। भारत ने भूटान की कृषि, सिंचाई, सड़क परियोजनाओं सहित उसके आर्थिक विकास में निरन्तर सहयोग किया है। भूटान की चुक्ख हाइड्रोपावर परियोजना, पेनडेना सीमेण्ट कारखाना, राजधानी विकास, पुराने मठ और मन्दिरों के जीर्णोद्धार आदि के कार्य भारत सरकार के सहयोग से हुए हैं, जिससे भूटानी अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिली है। आज भूटान द्वारा भारत को बिजली का निर्यात भी किया जा रहा है। भारत, भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है।

भारत-भूटान सम्बन्धों में 1949 ई. की मैत्री संधि की धारा-2 की व्याख्या को लेकर कभी-कभी

इसे भी जाने-

- जून 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना था।

मतभेद उभरते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार चीनी चरवाहे भी भूटान की सीमा में भेड़ चराने के बहाने भूटान की सीमाओं में अतिक्रमण करते हैं, जो भारत के लिए चिन्ता का विषय है। चीन, अमेरीका, रूस और अन्य यूरोपियन देश भूटान

की सामरिक अवस्थिति का लाभ उठाने के लिए लालायित रहे हैं इसलिए भूटान, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है।

भारत-म्यांमार सम्बन्ध- ऐतिहासिक, साँस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भारत और म्यांमार(बर्मा) के सम्बन्ध निकटता के हैं। भारत ने म्यांमार के साथ मजबूत और वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं। 2010 ई. में लोकतन्त्र की स्थापना के पश्चात भारत-म्यांमार सम्बन्ध

इसे भी जाने-

- म्यांमार की लोकतन्त्र समर्थक नेता व नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ने कहा था मैं खुद को आंशिक रूप से भारतीय मानती हूँ।

में खुशहाली का दौर शुरू हुआ है। दोनों देशों की सरकारें कृषि, सूचना व प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, स्टील, तेल, प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थ आदि मुद्दों पर एक-दूसरे का सहयोग कर रही हैं।

भारत-श्रीलंका सम्बन्ध- श्रीलंका हिन्द महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। पाक जलडमरूमध्य दोनों देशों के मध्य अन्ताराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है। प्राचीनकाल से ही श्रीलंका और भारत के मध्य धार्मिक, साँस्कृतिक, मैत्रीपूर्ण और आध्यात्मिक सम्बन्ध रहे हैं। आधुनिक राजनीति में श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान भारतीय हस्तक्षेप से दोनों देशों के सम्बन्ध प्रभावित हुए हैं। वहाँ के तमिल समुदाय ने भारत को संदेह की दृष्टि से देखा और इस कारण श्रीलंका में सक्रिय संगठन लिट्टे ने भारत को बहुत बड़ा आघात पहुँचाया था, जिससे दोनों के सम्बन्धों में रिक्तता आई थी। बीते कुछ दशकों में दोनों देशों के सम्बन्धों में परिवर्तन हुआ है। आज राजनीतिक सम्बन्धों के साथ-साथ व्यापार, निवेश, रक्षा आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबूत हुए हैं।

भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध- भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश पूर्व पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता

इसे भी जाने-

- जून 1999 ई. में भारत ने बांग्लादेश के लिए कोलकाता-ढाका बस सेवा प्रारम्भ की थी।
- मार्च 2021 ई. में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ और मतुआ समुदाय के प्रसिद्ध मन्दिर ओरकाण्डी मन्दिर में पूजा अर्चना की थी।

था। लेकिन पाकिस्तानी सरकार के तानाशाही रवैये के कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को दमन का शिकार होना पड़ा था। अत्यधिक संख्या में बांग्लादेशियों द्वारा भारत में शरण लेने के कारण भारत को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती

इन्दिरा गाँधी व अन्ताराष्ट्रीय हस्तक्षेप के पश्चात 6 दिसम्बर, 1971 ई. में बांग्लादेश को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य मैत्री सम्बन्ध तो है लेकिन कुछ

मुहों पर विवाद की स्थिति बनी हुई है, जैसे- गङ्गा व तीस्ता नदी जल विवाद, तीन बीघा गलियारा, न्यूमर द्वीप चकमा शरणार्थी समस्या, बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों द्वारा अवैध रूप से भारत आगमन आदि हैं।

उपरोक्त में से भारत-बांग्लादेश की कुछ समस्याओं जैसे- गङ्गा जल बँटवारा को लेकर फरक्का समझौता (1977 ई.) और गङ्गा जल सन्धि (1996 ई.), तीन बीघा गलियारा समझौता (2011 ई.) आदि हो चुके हैं। भारत ने सदैव ही अपने पड़ोसी देशों की हर सम्भव मदद की है, इसका एक उदाहरण है बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश की स्वतन्त्रता में भारत के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है परन्तु आज वे दूर के पड़ोसी लगते हैं।

भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध- प्राचीनकाल में अफगानिस्तान भारत का अङ्ग था। आज भारत के अफगानिस्तान से भी मिले-जुले सम्बन्ध हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादी सक्रिय है, जिससे भारत भी प्रभावित है। वर्तमान में भारत,

इसे भी जाने-

- सन् 2021 ई. में तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति असरफ गनी को अपदस्थ कर के अफगानिस्तान को अपने अधिकार में ले लिया है।

सारणी 16.2	
देश का नाम	सीमा रेखा का नाम
भारत-चीन	मैकमोहन, वास्तविक नियन्त्रण रेखा
भारत-पाकिस्तान	रेडक्लिफ, नियन्त्रण रेखा
अफगानिस्तान	डूरन्ड रेखा

अफगानिस्तान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय निवेशक है और उसके पुनर्निर्माण के लिए सबसे अधिक प्रतिबद्ध है। बहुत सारे भारतीय कामगार और भारतीय सेना का कुछ भाग अफगानिस्तान में

बड़े पैमाने पर सड़क मार्ग, रेलमार्ग, अस्पताल, स्कूल आदि के निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भारत के शान्ति प्रयासों की संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा भी सराहना की गई है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. अयं निजः परा वेति गणना लघु चेतसाम्। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

.....किस ग्रन्थ से लिया गया है-

अ. रामायण

ब. महाभारत

स. महोपनिषद्

द. हितोपदेश

2. भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है-
 अ. 8 ब. 10 स. 6 द. 15
3. पंचशील समझौता हुआ -
 अ. भारत-चीन के मध्य ब. भारत-बांग्लादेश के मध्य
 स. भारत-पाकिस्तान के मध्य द. पाकिस्तान-चीन के मध्य
4. भारत- पाकिस्तान के साथ सीमा विस्तार है-
 अ. 3214 किमी. ब. 2933 किमी.
 स. 3323 किमी. द. 2938 किमी.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत की सर्वाधिक सीमा..... लगती है। (बांग्लादेश/चीन)
2. भारत का प्राचीन नाम है। (आर्यावर्त/सप्त सैन्धव)
3. ताशकन्द समझौता के मध्य हुआ। (भारत-पाकिस्तान/भारत-श्रीलंका)
4. भारत ने बांग्लादेश के लिए.....बस सेवा प्रारम्भ की थी। (जून 1999 ई. / दिसम्बर 1999 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। सत्य/असत्य
2. म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। सत्य/असत्य
3. समझौता एक्सप्रेस भारत-पाकिस्तान के मध्य संचालित होती थी। सत्य/असत्य
4. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च 2021 ई. में बांग्लादेश की यात्रा की थी। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए -

1. उत्तर में	क. पाकिस्तान, अफगानिस्तान
2. दक्षिण में	ख. चीन, नेपाल, भूटान
3. पूर्व में	ग. बांग्लादेश, म्यांमार
4. पश्चिम में	घ. श्रीलंका

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारतीय विदेश नीति के आधार क्या हैं?
2. भारतीय उप महाद्वीप में कौन-कौन से देश शामिल हैं ?
3. भारत-पाकिस्तान का विभाजन किस सिद्धान्त के आधार पर हुआ था?
4. भारत के कौन-कौनसे राज्य चीन से सीमा बनाते हैं ?
5. भारत-भूटान के मध्य मैत्री सन्धि कब हुई थी?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं?

2. भारत-बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद के 3 कारण लिखिए।
3. भारत-नेपाल सम्बन्ध पर टिपणी लिखिये।
4. भारत श्रीलंका सम्बन्धों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को विस्तार से समझाइए।
2. भारत की भौगोलिक स्थिति व आकार के बारे में बताइए।
3. भारत-चीन सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए।

परियोजना कार्य-

1. हमारे पड़ोसी देशों की राजधानी और उनकी मुद्राओं के नाम की सूची बनाइए।





अध्याय- 17

भारतीय अर्थव्यवस्था

इस अध्याय में- प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990 ई.), उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण।

प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था- भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीन काल में बहुत सुदृढ़ थी। हमारे वेदों में आर्थिक चिंतन का आधार जिओ और जीने दो है। अर्थात् इस ब्रह्माण्ड में व्याप्त हर जीव को सामान अधिकार के सहारे जीने का पर्याप्त चिंतन हमारी संस्कृति में रहा है। यहाँ की अर्थ रचना एवं अर्थव्यवहार के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से विचार किया गया है। वैदिक वाङ्मय का अध्ययन नहीं करने वाले अनेक विचारक यह मानते हैं कि भारतीय चिंतन में अर्थ आधारित चिंतन परम्परा थी ही नहीं। भारतीय अर्थचिन्तन के सूत्रों का संकेत हमें वेदों में मिलता है। वैदिक वाङ्मय में सम्पन्नता, धन-धान्य का प्राचुर्य तथा विभिन्न प्रकार की सम्पदा की प्राप्ति एवं इसके उपयोग करने का उल्लेख है। ईशावास्योपनिषद् के प्रथम मन्त्र में उल्लेख है- ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥

इस मन्त्र के भावानुसार त्यागपूर्ण भोग करो, लालच मत करो, यह सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पदा तुम्हारी नहीं है, यह परब्रह्म का आवास है। अतः यह सम्पदा सबकी है। सभ्यता के उषाकाल में ही वैदिक चिंतन में धन के निर्बाध उपयोग एवं एकाधिकार को वर्जित कर दिया था। अब प्रश्न उठता है की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था और चिंतन के बाद भी आज के परिप्रेक्ष्य में हम इतने अर्थ दुर्बल क्यों हैं? लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुद्रा का सबसे पहला प्रयोग इसी भारतभूमि पर हुआ था, वेदों में हिरण्यपिंड का उल्लेख मिलता है। हिरण्य यानी सोना पिंड यानी मुद्रा, उस समय हमारे पूर्वज सोने को निश्चित वजन में बदल कर उससे लेनदेन भी करते थे। वेदों में हमें मौद्रिक विनिमय प्रणाली के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आगे चलकर पाणिनि और पतञ्जली के महाभाष्यों में स्वर्णमुद्राओं के नाम मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग और उसके लाभांश की अत्यन्त विकसित व्यवस्था रही है। लघु उद्योग उस काल की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ थे। समाज का हर वर्ग इस लघु उद्योग के माध्यम से निर्माण और वितरण में संलग्न था। हम अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों का पोषण करते थे, ना की दोहन। परन्तु

कालान्तर में विदेशी आक्रान्ताओं ने हमारे लघु उद्योगों को नष्ट कर, हमारी अर्थव्यवस्था को पतन की ओर अग्रसर कर दिया।

वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल में ब्रिटिश शासन रहा है। औपनिवेशिक भारत को इंग्लैण्ड एक कच्चा माल प्रदायक क्षेत्र और विकास की सीढ़ी समझता था। हम यहाँ स्वतन्त्रता के समय व उसके बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था तथा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आदि के विषय में अध्ययन करेंगे।

इसे भी जाने-

- इतिहासकार अंगस मैडीसन के अनुसार भारत विश्व का सबसे धनी देश था तथा 17वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था।

औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास- प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि रहा है। इसके अतिरिक्त सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग व धातु आधारित उद्योग भी अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में सहायक थे। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया था। अंग्रेजों ने कभी सत्यनिष्ठा से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन ही नहीं किया था। कुछ भारतीय अर्थशास्त्रियों ने अपने स्तर पर ही आकलन किए, जिनमें दादा भाई नौरोजी, डॉ. वी. के. आर. वी. राव, आर. सी. देसाई, फिडले सिराज आदि प्रमुख थे।

कृषि क्षेत्रक- औपनिवेशिक काल में भारत मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। उस समय भारत की 85% जनसंख्या कृषि क्षेत्रक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थी। इसके बाद भी कृषि उत्पादकता में उत्तरोत्तर कमी आती रही। इसके पीछे मुख्य कारण भू-व्यवस्था प्रणालियाँ थी। जमींदारी व्यवस्था (पूर्वी भारत/बङ्गाल प्रेसिडेंसी) के कारण समस्त लाभ जमींदार हडप लेते थे। निम्न प्रौद्योगिकी, सिंचाई सुविधाओं के अभाव, उर्वरकों के नगण्य प्रयोग से कृषि उत्पादकता में कमी हो गई थी। किसानों से खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों (कपास, रेशम, पटसन, नील, गन्ना आदि) का उत्पादन करवाया जाता था। कपास व नील कच्चे माल के रूप में इंग्लैण्ड के कारखानों में भेजा जाता था। ब्रिटिश सरकार कच्चे माल को कृषकों से बहुत ही कम दाम में खरीदती थी व तैयार माल को भारतीय बाजारों में ऊँचे दामों पर बेचती थी। यह भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय किसानों के शोषण का एक तरीका था।

औद्योगिक क्षेत्र- 19वीं सदी के अन्त में भारत में सूती वस्त्र व पटसन उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। पटसन उद्योग विदेशियों की देन थी। सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र व गुजरात तथा पटसन उद्योग बङ्गाल तक ही सीमित थे। 20वीं सदी में भारत में लौह-इस्पात उद्योग का विकास प्रारम्भ हुआ। 1907 ई. में जमशेद नौशरवान जी टाटा द्वारा जमशेदपुर (टाटा नगर) में टाटा आयरन स्टील कम्पनी (टिस्को) की

स्थापना की गई थी। इससे पूर्व की यदि बात की जाए तो पता चलता है कि औपनिवेशिक व्यवस्था में भारत के पास कोई सुदृढ़ औद्योगिक आधार नहीं था। प्रसिद्ध शिल्पकलाओं का पतन हो रहा था। अंग्रेज यहाँ उद्योगों की स्थापना इसलिए भी नहीं चाहते थे क्योंकि इससे वहाँ (इंग्लैण्ड) के उद्योग अपनी पहचान खो देते, उनका बाजार खत्म हो जाता, प्रतिस्पर्धा की होड़ लग जाती आदि।

विदेशी व्यापार- भारत के प्राचीन काल से ही विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं किंतु औपनिवेशिक

इसे भी जाने-

- स्वेज नहर का निर्माण फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने किया था। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है।

सरकार की गलत नीतियों के कारण भारत का विदेशी व्यापार अत्यधिक संकुचित हो गया था। यह व्यापार भारत-इंग्लैण्ड (50 %) तक ही सीमित हो गया था। स्वेज नहर (1859 -1869 ई.) के निर्माण से इंग्लैण्ड

ने भारत के व्यापार को बहुत अधिक नियंत्रण में कर लिया था। भारत का विदेशी व्यापार अब केवल इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति को पोषित कर रहा था।

जनांकिकीय परिस्थिति- भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ई. में तथा सर्वप्रथम सम्पूर्ण जनगणना

1881ई. में हुई थी। इसके पश्चात् प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। उस समय जनसंख्या अत्यधिक कम थी व वृद्धि दर भी इतनी नहीं थी। साक्षरता दर भी अत्यधिक न्यून थी। जन-स्वास्थ्य सेवाओं का नितांत अभाव था। जल व

इसे भी जाने-

- ब्रिटिश भारत में शिशु मृत्यु दर 218/ 1000 थी। वर्तमान में भारत में शिशु मृत्यु दर 30/1000 (2019 ई.) है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष है तथा विश्व रैंकिंग में भारत का 117वाँ स्थान है। जबकि ब्रिटिश भारत में जीवन प्रत्याशा 44 वर्ष थी।

वायु से फैलने वाले संक्रामक रोगों का प्रकोप था।

व्यावसायिक संरचना- ब्रिटिश भारत में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। देश की 70-75 % कृषि, 10% विनिर्माण क्षेत्र तथा 15-20% जनसंख्या सेवा क्षेत्र में संलग्न थी। इस काल में क्षेत्रीय असमानता अत्यधिक थी तथा सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होने लगी थी।

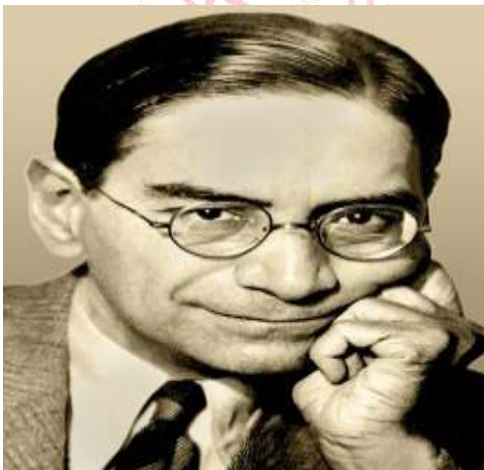
आधारिक संरचना- ब्रिटिश भारत में आधारिक संरचना के विकास का उद्देश्य भारतीय जनमानस को सुविधाएँ प्रदान करना नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति एवं अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रमुख क्षेत्रों रेल, सड़क, बन्दरगाह, बाँध, बिजली, स्कूल-कॉलेज, तेल व गैस पाइप लाइन, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य व्यवस्था, बैंक, बीमा, डाक-तार, मुद्रा प्रणाली आदि का विकास किया था।

भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990 ई.)- 200 वर्षों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के पश्चात 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत स्वतन्त्र हुआ था। स्वतन्त्र भारत में सरकार की आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सर्वजन कल्याण था। उस समय राष्ट्र के नव निर्माण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा था लेकिन लोकतन्त्र के प्रति वचनबद्ध भारत सोवियत समाजवादी विचार से पूर्ण सहमत नहीं थे। अतः भारत एक ऐसा समाजवादी देश होगा, जिसमें सशक्त सार्वजनिक क्षेत्र के साथ लोकतन्त्र और निजी सम्पत्ति का भी स्थान होगा। इस आर्थिक प्रणाली को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

इसे भी जाने-

- विश्व में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ प्रचलन में हैं- पूँजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था।

योजना आयोग- किसी देश के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या को योजना



चित्र-17.1 प्रशान्त चन्द्र महालनोबिस

कहा जाता है। किसी योजना के उद्देश्यों को निश्चित समयावधि में पूरा करना होता है। भारत में योजनाएँ 5 वर्ष की अवधि की होती थीं, जिन्हें पञ्चवर्षीय योजना कहते थे। भारत में 1950 ई. में योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। **पञ्चवर्षीय योजना के उद्देश्य-** पञ्चवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य प्रायः भिन्न-भिन्न होते हैं। सरकार को प्रत्येक योजना में उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। कुछ सर्वमान्य उद्देश्य निम्न हैं-

1.संवृद्धि- संवृद्धि का आशय देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना होता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से संवृद्धि का सूचक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में निरन्तर वृद्धि होना है।

2.आधुनिकीकरण- वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी होती है। कृषि व उद्योगों में नई तकनीकों व मशीनों द्वारा उत्पादन में वृद्धि भी इनका लक्ष्य होता है।

इसे भी जाने-

- 1 जनवरी, 2015 से योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर नीति आयोग कर दिया गया है। प्रशान्त चन्द्र महालनोबिस का पञ्चवर्षीय योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है।

3. **आत्मनिर्भरता-** आत्मनिर्भरता से आशय है स्वयं पर निर्भर रहना। प्रथम सात पञ्चवर्षीय योजनाओं में आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी व पूँजी पर निर्भरता को कम करना इसमें सम्मिलित था।

4. **समानता-** किसी देश के आर्थिक विकास के लिए संवृद्धि, आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भरता के साथ-साथ समानता भी आवश्यक होती है। समानता के सिद्धान्त के द्वारा ही आर्थिक संवृद्धि का लाभ देश के अन्तिम पायदान पर स्थित नागरिकों को मिलता है।

इसे भी जाने-

- सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक माप है।

कृषि- स्वतन्त्र भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए पञ्चवर्षीय योजनाओं के द्वारा किए गए प्रयास निम्न हैं-

1. **भू-सुधार-** स्वतन्त्रता के समय देश की अधिकांश भूमि जमींदारों व जागीरदारों के पास केंद्रित थी। स्वतन्त्रता के पश्चात जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन किए गए, कृषि में नई तकनीकों का विकास आदि भू-सुधार किए गए।
2. **हरित क्रान्ति-** कृषि में उच्च पैदावार के लिए हरित क्रान्ति की देश में शुरुआत की गई। हरित क्रान्ति

इसे भी जाने-

- भारत में हरित क्रान्ति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणित अधिशेष कहलाता है।

का प्रथम चरण 1965 से 1975 ई. तक तथा दूसरा चरण 1975 से 1985 तक था। इसके अन्तर्गत उन्नत किस्मों के बीजों और रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग बल दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप भारत खाद्यान्नों में

आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रान्ति से गेहूँ व चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई।

3. **कृषि अनुदान-** कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने किसानों को नई तकनीकी एवं उन्नत बीजों (HYV) के विकास एवं उनकी पहुँच को सुगम बनाने के लिए कृषि अनुदान की योजना प्रारम्भ की थी। परन्तु वर्तमान में नीति निर्धारकों का मानना है कि अधिकांश भारतीय किसान कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, इसलिए अब इस योजना के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है।

इसे भी जाने-

- बीजों को उच्च उत्पादकता किस्मों को (High Yielding Varieties- HYV) कहा जाता था।

उद्योग और व्यापार- पञ्चवर्षीय योजनाओं में उद्योगों के विस्तार पर अत्यधिक बल दिया गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे और उनमें भी अधिकांश सूती वस्त्र व पटसन उद्योग थे। तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार बड़े तथा भारी उद्योगों पर अपना पूरा नियन्त्रण रखेगी। निजी क्षेत्रक सार्वजनिक क्षेत्रक के अनुपूरक के रूप में कार्य करेंगे। सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए 1956 ई. में औद्योगिक नीति बनाई थी। इस नीति के अनुसार उद्योगों को

तीन वर्गों- सार्वजनिक स्वामित्व, निजी और सार्वजनिक स्वामित्व, निजी स्वामित्व वाले उद्योगों में

इसे भी जाने-

- 1950 ई. में पाँच लाख रू. तक का अधिकतम निवेश करने वाली इकाई को लघु उद्योग इकाई कहा जाता था। वर्तमान में इसकी सीमा एक करोड़ है।

वर्गीकृत किया था। निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियन्त्रण के लिए सरकार ने लाइसेंस प्रणाली विकसित की थी। सरकार ने ग्राम विकास में वृद्धि के लिए ग्राम व लघु उद्योग समिति (कर्व समिति) की स्थापना 1955 ई. में की थी। लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा

अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गई थीं।

व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन- भारतीय औद्योगिक नीति, व्यापार से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थी।

आरम्भिक सात पञ्चवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अन्तर्मुखी व्यापार की नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसका उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन का विकास, वस्तुओं की अधिकतम पूर्ति और विदेशी प्रतिस्पर्धा से भारतीय

इसे भी जाने-

- आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर प्रशुल्क कहलाता है। आयातित वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा को कोटा कहते हैं।

उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना था। उस समय आयात संरक्षण को प्रशुल्क और कोटा वर्ग में विभाजित किया गया था।

1950-51 ई. में औद्योगिक क्षेत्र की जीडीपी 13 % थी, जो 1990-91 में 24.6 % हो गई थी। 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु एलपीजी मॉडल (Liberalization, Privatization, Globalization) लाया गया था। इस मॉडल का उद्देश्य दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैण्ड) के समान भारतीय अर्थव्यवस्था को भी विकसित करना था। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक नीतियाँ लागू की। इसके तीन उपवर्ग उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण हैं।

उदारीकरण- उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र में लगे अनावश्यक प्रतिबंधों को सरकार द्वारा हटाना या उनमें शिथिलता लाना उदारीकरण कहलाता है। कोई भी अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से कभी भी पूर्णतया प्रतिबन्धों से मुक्त नहीं होती है। भारत में उदारीकरण की वास्तविक शुरुआत 24 जुलाई 1991 ई. में हुई थी। LPG मॉडल से अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया को उदारीकरण एवं निजीकरण के द्वारा सुगम बनाया जाता है। भारत में उदारीकरण की नीति के अनुसार धीरे-धीरे कोटा, लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। सरकार, उत्पादन के मार्ग में अवरोधों को पूरी ईमानदारी से समाप्त करने में सतत प्रयत्नरत है। 24 जुलाई 1991 को जारी नई आर्थिक नीति के चार प्रमुख अवयव हैं-

उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और बाजारीकरण। भारत में उदारीकरण के दो भाग थे- घरेलू और बाह्य उदारीकरण।

1. **घरेलू उदारीकरण-** घरेलू उदारीकरण के द्वारा बैंको को ब्याज दर निश्चित करने, और कम्पनियों को अपने शेयर बाजार में बेचने का अधिकार दिया गया। इन घरेलू सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
2. **बाह्य उदारीकरण-** बाह्य उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। इसके अन्तर्गत मुद्रा विनिमय दर को बाजार पर छोड़ दिया गया। बाह्य उदारीकरण के सार्थक प्रभाव के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, जैसे- पॉम ऑयल के आयात से सरसों एवं मूंगफली के दाम में गिरावट आयी और हमारे किसानों को नुकसान हुआ, कपड़े के खुले आयात से हथकरघा उद्योग प्रायः समाप्त होने लगा था।

उदारीकरण के उद्देश्य-

1. अर्थव्यवस्था में अविलम्ब स्थायित्व लाया जाए।
2. अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया को गतिशील करने हेतु, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना।
3. वित्तीय क्षेत्र की कार्यप्रणाली सुधारना व आधुनिकीकृत करना।
4. उद्योग व व्यापार को कठोर नियन्त्रण से मुक्त करना था।
5. देश के लोगों के जीवन को सुखमय बनाना था।

भारत में उदारीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक-

1. सरकार द्वारा एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन तथा औषधि- भेषज को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों से लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस कारण औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों का प्रवेश आसान हो गया।
2. पूर्व लाइसेंस में जिन वस्तुओं का उल्लेख होता था केवल उन्हीं का उत्पादन आवश्यक था। अब उत्पादकों को उत्पाद चयन में छूट मिल गई।
3. लघु उद्योगों की निवेश सीमा बढ़ा दी गई, जिससे वे उत्पादन तकनीक में आवश्यक सुधार लाकर आधुनिक रूप धारण कर सके।

उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव- उदारीकरण के सकारात्मक प्रभावों में वार्षिक वृद्धि दर और औद्योगिक उत्पादन में तीव्र विकास हुआ। विदेशी मुद्रा का अर्जन और निवेश में वृद्धि हुई। भारत के राजकोषीय घाटे में कमी और बाजार का विस्तार हुआ, जिससे ग्राहकों के पास विकल्प उपलब्ध हुए।

उदारीकरण के नकारात्मक प्रभाव- उदारीकरण के मूल सिद्धान्त के अनुसार उत्पादकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। भारी पूँजी वाली बहुराष्ट्रीय या देशी कम्पनियों के सामने कम पूँजी वाले उद्योग-संस्थान टिक नहीं पाए। कृषि हानि का व्यवसाय हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र के शिल्प उद्योग खत्म हो गए, भारत में गरीबी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में कायम है, रोजगार की स्थिति भयंकर गंभीर बनी हुई है।

निजीकरण- निजीकरण से अभिप्राय है सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व और नियन्त्रण को

इसे भी जाने-

- महारत्न- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) और स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (SAIL)
- नवरत्न- हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (HAL) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL)
- लघुरत्न- भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (BSNL) और एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (AAI)

निजी क्षेत्र में हस्तान्तरित कर देने से है। सार्वजनिक कम्पनियाँ दो प्रकार से निजी क्षेत्र में परिवर्तित हो सकती हैं- 1. किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व और प्रबंधन का परित्याग कर 2. सार्वजनिक उपक्रम को बेच कर। किसी सार्वजनिक

उपक्रम को इक्विटी के माध्यम से जन सामान्य को बेचना 'विनिवेश' कहलाता है।

सरकार ने सार्वजनिक संस्थानों में कुशलता, प्रबंधन, स्पर्धा क्षमता में वृद्धि के लिए इन संस्थानों का चयन महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न उपक्रमों में किया है। सरकार की यह योजना सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों से प्रेरित है।

निजीकरण के अन्तर्गत निम्न कदम उठाए जा सकते हैं।

1. निजी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाए, जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किये जाते थे।
2. ऐसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध एवं नियंत्रण जिनका सञ्चालन सरकारी विभागों के रूप में किया जा रहा था, निजी उद्यमियों को सौंप दिए जाएँ जैसे - रेलवे, डाक आदि।

निजीकरण के उद्देश्य-

1. अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना।
2. प्रबन्धकीय योग्यता और दक्षता प्रदान करना।
3. बाह्य ऋणों को घटाना।
4. उत्पादकता में वृद्धि करना तथा परिचालन क्षमता को बढ़ाना।
5. राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वित करना।

भारत में निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक-

1. नये आर्थिक सुधार कार्यक्रम।
2. भारतीय उद्योगों को प्रतियोगी बनाना।
3. उत्पादन बढ़ाने का विस्तृत आधार।

निजीकरण के सकारात्मक प्रभाव-

1. निजीकरण के परिणामस्वरूप निजी कम्पनियों के शेयरों में छोटे निवेशकों और कर्मचारियों की भागीदारी से उनकी शक्ति और प्रबन्धन को विकेंद्रित किया जा सकेगा।
2. दूरसंचार और पेट्रोलियम जैसे- अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त हो जाने से अधिक विकल्पों और सस्ते तथा बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं के चलते उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
3. निवेशकों को बाहर निकलने के सरल विकल्प मिलेंगे। मूल्यांकन और कीमत निर्धारण के लिए अधिक विशुद्ध नियम स्थापित करने में सहायता मिलेगी एवं निजी कम्पनियों को अपनी परियोजनाओं अथवा उनके विस्तार के लिए निधियाँ जुटाने में सहायता मिलेगी।

निजीकरण के नकारात्मक प्रभाव-

1. निजीकरण की प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यूनियनों के द्वारा श्रमिकों की ओर से होने वाला विरोध है। वे बड़े पैमाने पर प्रबन्धन और कार्य-संस्कृति में परिवर्तन से भयभीत होते हैं।
2. निजीकरण के पश्चात् कम्पनियों की विशुद्ध परिसम्पत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों और जनसामान्य के लिये नहीं किया जा सकेगा।
3. निजीकरण द्वारा बड़े उद्योगों को लाभ पहुँचाने के लिए निगमीकरण प्रोत्साहित हो सकता है, जिससे धन संकेन्द्रण की सम्भावना बढ़ जाएगी।

वैश्वीकरण- वैश्वीकरण एक ऐसी सतत-प्रक्रिया है जिससे सम्पूर्ण संसार के देश एक-दूसरे से आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से आपस में जुड़े रहते हैं, इसे भूमण्डलीकरण भी कहा जाता है। वैश्वीकरण नवीनतम सिद्धान्त नहीं है, सदियों से वैश्वीकरण की अवधारणा प्रचलित है। भारत में वैश्वीकरण की परम्परा सभ्यता काल से ही रही है। आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो (ऋ.1.89.1) अर्थात् हमारे लिए चारों ओर से कल्याणकारी विचार आएँ। इस मन्त्र से विश्व को सुसंस्कृत कराने का संकल्प स्पष्ट होता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा में भी वैश्विक कल्याण का भाव निहित है। आधुनिक भारत में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी विश्व मानव की बात कही है। वैदिक वाङ्मय में इसके विस्तृत अध्ययन हम पूर्व कक्षा में कर चुके हैं।

वैश्वीकरण की विशेषताएँ-

1. देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है अर्थात् आर्थिक क्रियाओं का राष्ट्रीय सीमाओं से आगे विस्तार किया जाता है।
2. वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी, तकनीकी तथा श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण हो जाता है अर्थात् इनके आवागमन पर सभी प्रकार के अवरोध समाप्त कर दिए जाते हैं।
3. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विस्तार होता है।

भारत में वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले घटक-

1. उदारवादी नीतियाँ
2. तकनीकी परिवर्तन
3. प्रतिस्पर्धा।

भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण- भारत में भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया धीरे-धीरे गति पकड़ रही है। भारत में इसकी शुरुआत 1991 ई. से हुई, जब नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में उदारीकरण किया गया-

1. नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योग व निवेश का वैश्वीकरण।
2. नई निवेश नीति के अन्तर्गत वित्त का वैश्वीकरण।

भारत में वैश्वीकरण कुछ प्रमुख संकेतक हैं-

1. बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बड़ी संख्या में भारत में स्थापित हो रही हैं।
2. अमेरिकी ऋण बाजार में भारतीय निगम सक्रिय हो रहे हैं।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तटीय करों में ही कमी के साथ विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए सरल कर दिया गया है।
4. लगभग 2000 भारतीय कम्पनियों को ISO : 9000 प्रमाण पत्र प्रदान किये गए हैं, जो कि उच्च गुणवत्ता की गारंटी है।
5. पिछले कुछ वर्षों में व्यापार और निर्यात गहनता में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव- वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव से उत्पादों की किस्में, प्रतिस्पर्धा

इसे भी जाने-

- विदेश से किसी सेवा को प्राप्त करना बाह्य प्रापण कहलाता है।

में वृद्धि, विदेशी मुद्रा तथा विदेशी समक्ष निवेश, आधारभूत ढाँचों में विकास, सेवा क्षेत्रक में वृद्धि आदि कार्य हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण आज भारतीय कम्पनियाँ विदेशों में कार्य

कर रही हैं, जैसे- तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) सोलह देशों में अपनी परियोजनाएँ संचालित कर रही है, टाटा स्टील अपने उत्पादों को पचास देशों में बेच रही है। इसके अतिरिक्त एच. सी. एल., डॉ. रेड्डीज लैब आदि हैं।

भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव- वैश्वीकरण के बढ़ने के कारण आज श्रमिकों का शोषण, कृषि की महत्ता में कमी, लघु उद्योगों के लिए समस्या, राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है।

इस अध्ययन से स्पष्ट है कि औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिदोहन किया था, जिससे भारत के उद्योग धन्धों की स्थिति दयनीय हो गई थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधारके लिए पञ्चवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए थे। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1991 ई. में नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर बल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर मिश्रित प्रभाव पड़ा।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1. सूती वस्त्र उद्योगों के प्रमुख केन्द्र.....थे।
 अ. बङ्गाल-बिहार
 ब. असम-मिजोरम
 स. राजस्थान- मध्यप्रदेश
 द. महाराष्ट्र-गुजरात
2. हरित क्रान्ति से सर्वाधिक उत्पादन फसलों का हुआ।
 अ. मक्का व बाजरा
 ब. उड़द व मूंग
 स. गेहूँ व चावल
 द. तिल व सोयाबीन
3. भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई।
 अ. 24 जून 1991
 ब. 24 जुलाई 1991
 स. 24 अगस्त 1991
 द. 24 सितम्बर 1991
4. 17वीं सदी तक भारत विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और धनी देश था। ने कहा है।
 अ. अङ्गस मैडिसन
 ब. लास्की
 स. काल मार्क्स
 द. इनमें से कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। (कृषि/पशुपालन)
2. आत्मनिर्भरता से आशय है.....पर निर्भर रहना। (स्वयं/दूसरों)
3. योजना आयोग को वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। (सेवा आयोग/नीति आयोग)
4. विदेश से किसी सेवा को प्राप्त करना.....कहलाता है। (बाह्य प्रापण/ आन्तरिक प्रापण)

सत्य/असत्य बताइए-

1. आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर प्रशुल्क कहलाता है। सत्य/असत्य
2. वैश्वीकरण को भूमण्डलीकरण भी कहा जाता है। सत्य/असत्य
3. सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक माप है। सत्य/असत्य
4. स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान-

1. पञ्चवर्षीय योजना	क. एम.एस.स्वामीनाथन
2. हरित क्रान्ति	ख. जमशेद जी टाटा
3. टिस्को	ग. 1980 ई.
4. एलपीजी मॉडल	घ. पी.सी.महालनोबिस

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में प्रथम लौह-इस्पात उद्योग की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी?
2. नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
3. हरित क्रान्ति से क्या आशय है?
4. नई आर्थिक नीति के चार प्रमुख अवयव कौन-कौन से हैं ?
5. भारत की दो नवरत्न कम्पनियों के नाम लिखिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. औपनिवेशिक भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के कारण बताइए।
2. प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए।
3. LPG मॉडल से आप क्या समझते हैं?
4. निजीकरण से आप क्या समझते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया।
2. भारत में उदारीकरण को विस्तार से समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. भारत की प्राचीन और आधुनिक अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

अध्याय- 18

निर्धनता व मानव पूँजी

इस अध्याय में- निर्धनता, मानव पूँजी, रोजगार, संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना भारतीय श्रमबल का अनौपचारिकरण, बेरोजगारी

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी अधिकांश आबादी कृषि पर आश्रित है। शिक्षित बेरोजगारों की देश में अधिकता है, जो रोजगार के लिए अत्यधिक संघर्ष करते हैं। किन्तु उन्हें पर्याप्त रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। देश में जनसंख्या का बड़ा वर्ग निर्धनता से संघर्षरत है। राज्य व केन्द्र सरकारें बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कई प्रकार के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम संचालित कर रही हैं किन्तु ये सभी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम हैं। हमारी सभी पञ्चवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य समाज के निर्धनतम व सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नयन (अन्त्योदय) करना रहा है। यहाँ हम निर्धनता, मानव पूँजी, रोजगार व अन्य मुद्दों के विषय में अध्ययन करेंगे।

निर्धनता- सामान्यतः निर्धन ऐसे लोग होते हैं, जिनके पास जीवन की मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। कचरा बीनने वाले, फेरीवाले, भिखारी, मोची आदि अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाले लोग निर्धन कहलाते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार निर्धनता की पहचान लोगों के व्यवसाय और संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर की जाती है। उनके अनुसार ग्रामीण निर्धन प्रायः भूमिहीन कृषि श्रमिक या मजदूर और छोटी जोतों वाले किसान होते हैं।

दादा भाई नौरोजी ने स्वतन्त्रता पूर्व सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था। आजादी के बाद भारत में निर्धनता के आंकलन के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे- किसी व्यक्ति की आय, राष्ट्रीय औसत आय की 60% से कम है, तो उसे गरीब माना

इसे भी जाने-

- दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता नापने के $\frac{3}{4}$ सूत्र की रचना की थी।

जाता है। सन् 1962, 1989, 2005 में विशेषज्ञ दलों का गठन इसके लिए कार्य किया गया। निर्धन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे-पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन, निर्धन। इसी प्रकार गैर निर्धन भी कई प्रकार के होते हैं- मध्यवर्ग, उच्च मध्यवर्ग, धनी, बहुत धनी और पूर्णतः धनी।

निर्धनता का वर्गीकरण- निर्धनता को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या को 2 भागों में बांटा जा सकता है- निर्धन व गैर निर्धन। निर्धनता रेखा इन दोनों वर्गों को अलग करती है।

1. सामान्य निर्धन- ऐसे लोग जिनके पास कभी-कभी कुछ धन आता है, जैसे- मजदूर।
2. यदा-कदा निर्धन- ऐसे लोग जो अधिकांश समय धनी रहते हैं, इन्हें अल्पकालीन निर्धन भी कहा जाता है।
3. गैर-निर्धन- वे लोग, जो कभी निर्धन नहीं होते।

निर्धनता रेखा- निर्धनता मापने की कई विधियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख विधि न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान का निर्धारण करने की है। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी तथा शहरी



चित्र- 18.1 निर्धन लोगों के आवास

व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। भारत में निर्धनता मापन के लिए BPL (Below Poverty Line) व APL (Above Poverty Line) श्रेणियाँ हैं।

भारत में निर्धनों की संख्या- भारत में इस प्रकार के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं।

निर्धनता के कारण- भारत में निर्धनता के मुख्य कारण औपनिवेशिक काल में बड़े स्तर पर वि-औद्योगिकीकरण था। अंग्रेजी शासन की नीतियों के कारण ग्रामीण व कृषि करों में वृद्धि हुई। यहाँ के खाद्यान्नों को भी विदेशों में निर्यात कर दिया जाता था। परिणामस्वरूप 1875 ई. से 1900 ई. की अवधि में अकालों से खाद्यान्नों के अभाव में 260 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। अंग्रेजी राज ने प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन कर, करोड़ों की संख्या में भारतीयों को गरीब बना दिया था। इसके अतिरिक्त

निम्न पूँजी निर्माण, आधारित संरचनाओं का अभाव, माँग का अभाव, जनसंख्या वृद्धि आदि निर्धनता के कारण हैं।

निर्धनता निवारण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम- निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा कई नीतियाँ~

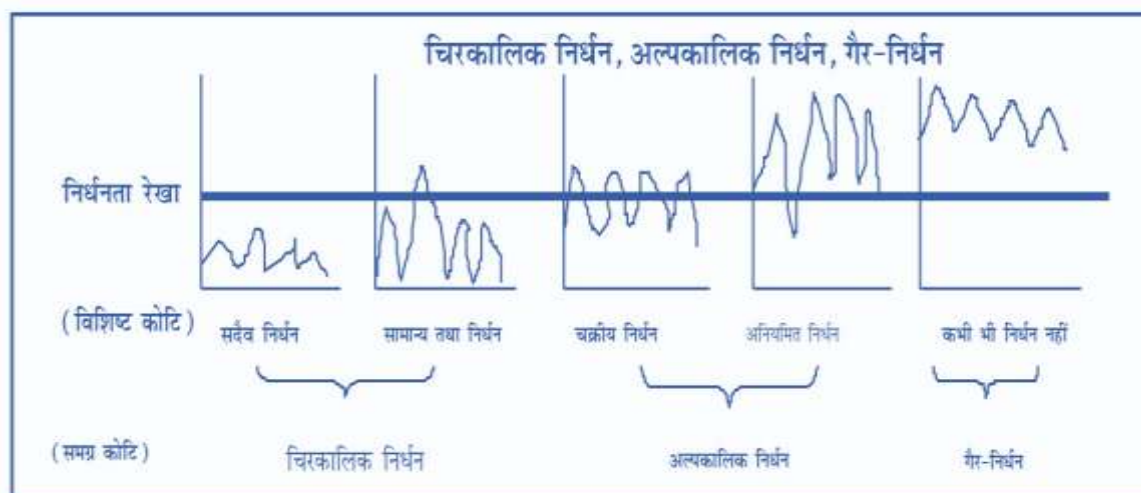
और कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें पञ्चवर्षीय योजनाएं प्रमुख थीं। इसके अतिरिक्त समय - समय पर कई अन्य योजनाएं व कार्यक्रम भी निर्धनता निवारण के लिए चलाए गए जिनमें प्रमुख हैं - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी योजना (MGNREGA), दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति योजना, भारत निर्माण योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम व शहरी स्वरोजगार योजना, उज्जवला योजना आदि।

इसे भी जाने-

- सन् 1973-74 में भारत में निर्धनों की संख्या 320 मिलियन (कुल जनसंख्या का 55%) से अधिक थी, जो सन् 2011-12 में घटकर 270 मिलियन (कुल जनसंख्या का 22%) रह गई थी।

निर्धनता चार्ट 18.1



निर्धनता निवारण कार्यक्रम की समीक्षा- सरकार द्वारा उपर्युक्त नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने के पश्चात भी निर्धनता की समस्या आज भी बनी हुई है। कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। निर्धन वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ जानकारी के अभाव में उन तक नहीं पहुँच पाता है। सरकार गरीबों के उत्थान के लिए करोड़ों-अरबों रूपयों की योजनाएं चलाती है लेकिन प्रभावी नियन्त्रण के अभाव में ये लाभदायी सिद्ध नहीं हो रही हैं। अतः सरकार व इन योजनाओं में लगे कार्मिकों और अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना होगा साथ ही निर्धन वर्ग को भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा।

मानव पूँजी- मानव पूँजी से आशय ऐसे योग्य व्यक्तियों से है, जो पूर्व स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हैं तथा छात्र रूपी मानव संसाधनों को अध्यापक, किसान, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर जैसी मानव पूँजी में परिवर्तित करते हैं।

मानव पूँजी के स्रोत- शिक्षा को मानव पूँजी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबन्धन तथा सूचना आदि भी पूँजी निर्माण के स्रोत हैं। शिक्षा मानव का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा से मनुष्य अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर, उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्राप्त कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति सामाजिक परिवर्तनों को समझकर, परिवर्तनों को बढ़ावा दे सकता है।

मानव पूँजी और मानव विकास- मानव पूँजी की अवधारणा में शिक्षा व स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम माना जाता है जबकि मानव विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य, मानव कल्याण के अभिन्न अङ्ग माने जाते हैं। मानव पूँजी की अवधारणा मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानती है।

भारत में मानव पूँजी निर्माण की स्थिति- इसके विषय में हम बात कर चुके हैं कि मानव पूँजी निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन तथा सूचना निवेश का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहा है। अतः ये लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर व्यय नहीं कर पाते हैं। जब इनको सरकार ने नागरिक अधिकार मान लिया है तो सरकार को इन सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना चाहिये। अब सरकार ऐसा कर भी रही है।

शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि- सरकारें शिक्षा में सुधार व गुणवत्ता के लिए खूब व्यय करती हैं।

इसे भी जाने-

- वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर 93,224 करोड़ खर्च करने का अनुमान था।

1952 ई. में कुल सरकारी व्यय का शिक्षा पर 7.92% था जो 2014 ई. में बढ़कर 15.7% हो गया था। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पादन में इसका प्रतिशत 0.64

(1952 ई.) से बढ़कर 4.13 (2014 ई.) हो गया था।

भविष्य की सम्भावनाएँ- समस्त सरकारी प्रयासों के बाद भी आज भी निरक्षरों की संख्या अत्यधिक है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन के कारण धीरे-धीरे पुरुष व महिला साक्षरता के बीच का अन्तर कम हो रहा है। उच्च शिक्षा के व्यय को वहन करने की क्षमता गरीब छात्रों के पास नहीं है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अत्यधिक है। वर्ष 2011-12 में स्नातक व उसके ऊपर अध्ययन किए हुये छात्रों में बेरोजगारी दर 19 % थी, जो अप्रैल 2021 में 7.9% रह गई है।

रोजगार- सामान्यतः रोजगार से आशय अपने परिवार के पालन-पोषण व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला अर्थोन्मुखी कार्य है। किसी भी व्यक्ति के पास रोजगार होना अत्यन्त आवश्यक है। कुछ लोग खेतों, बैंकों, कारखानों, कम्पनियों में काम करते हैं, तो कुछ घर पर ही कुटीर उद्योगों में काम करते हैं। श्रम की व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति का राष्ट्रीय आय में योगदान रहता है।

श्रमिक और रोजगार- देश के वे सभी लोग जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, श्रमिक कहलाते हैं। हमारे देश में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। यहाँ कुछ लोग वर्ष भर रोजगार से जुड़े रहते हैं अर्थात् उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो कुछ ऐसे भी हैं, जिनको वर्ष में कुछ ही महीने रोजगार मिल पाता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक तक नहीं मिलता है। वर्ष 2011-12 में भारत में श्रमिकों का आँकड़ा 473 मिलियन आँका गया था, जिनमें से तीन-चौथाई श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों के थे। देश में प्रत्येक 100 लोगों में से 35 श्रमिक है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 34 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 35 है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित हैं, इसी कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पुरुषों की भागीदारी श्रमशक्ति में अधिक है।

इसे भी जाने-

- वर्तमान भारत में ई-श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों की संख्या लगभग 19 करोड़ है।

भारत में श्रमिकों का स्वरूप- भारत में श्रमिकों के स्वरूप को समझने के लिए निर्माण उद्योग का एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें तीन प्रकार के कार्मिक होते हैं। एक सीमेंट की दुकान का मालिक या संचालक होता है, जिसे स्वनियोजित कहा जाता है। दूसरे निर्माण मजदूर होते हैं, जो अनियत मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। इनकी संख्या श्रमशक्ति में 35% है। तीसरा, निर्माण कम्पनी का अभियंता है, जिसे नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहा जाता है। नियमित वेतनभोगी श्रेणी में 23% पुरुष व 21% महिलाएँ हैं। भारत में लगभग 50 प्रतिशत महिला-पुरुष श्रमिक स्वरोजगारी वर्ग में आते हैं। अतः कहा जा सकता है कि देश में स्वरोजगार ही आजीविका का प्रमुख स्रोत है।

संस्थाओं, उद्योगों तथा कार्यालयों में रोजगार- श्रमशक्ति का कृषि व उससे सम्बन्धित क्रियाकलापों से उद्योगों और सेवाओं की ओर प्रवाह होता है। इसी कारण मजदूर नगरों की ओर पलायन करते हैं। सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं को आठ औद्योगिक वर्गों में विभाजित किया गया है- 1. कृषि 2. खनन और उत्खनन 3. विनिर्माण 4. विद्युत गैस एवं जलापूर्ति 5. निर्माण कार्य 6. वाणिज्य 7. परिवहन और भण्डारण 8. सेवाएँ।

इन औद्योगिक वर्गों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है-

1. प्राथमिक क्षेत्रक- कृषि तथा खनन व उत्खनन।
2. द्वितीयक क्षेत्रक- विनिर्माण, तथा निर्माण कार्य।
3. तृतीयक क्षेत्रक- वाणिज्य, परिवहन व भण्डारण तथा सेवाएँ।

संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना- भारत में पिछले 70 वर्षों से चल रहे योजनाबद्ध विकास कार्यों का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में वृद्धि द्वारा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है किन्तु रोजगार में वृद्धि दर मात्र 2 % रही है, जो चिंताजनक है। रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, 'रोजगारहीन संवृद्धि' कहलाता है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि श्रमबल अब कृषि कार्यों (प्राथमिक क्षेत्रक) से हटकर गैर कृषि कार्यों (द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रक) की ओर उन्मुख हो रहा है।

भारतीय श्रमबल का अनौपचारिकरण- श्रमबल में अनियत श्रमिकों का अनुपात बढ़ रहा है। श्रमिकों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। उनका शोषण उद्योगों में होता है। सरकारें श्रम कानूनों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं। श्रमबल को औपचारिक व अनौपचारिक या संगठित व असंगठित क्षेत्रक में विभाजित किया गया है।

1. औपचारिक या संगठित क्षेत्रक- सभी सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान, संगठित क्षेत्रक की श्रेणी में आते हैं। संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ प्राप्त होते हैं। देश में श्रमबल के मात्र 6 प्रतिशत लोग ही संगठित क्षेत्रक में कार्य कर रहे हैं।
2. अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्रक- इनके अतिरिक्त सभी उद्यम और उनमें काम कर रहे श्रमिक अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्रक की रचना करते हैं। इसमें किसान, कृषि श्रमिक, छोटे-मोटे काम धंधे वाले लोग शामिल हैं। देश में 94 % लोग असंगठित क्षेत्रक में कार्यरत हैं।

बेरोजगारी- बेरोजगारी वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बेरोजगार उसे कहा जाता है, जो आधे दिन की अवधि में एक घण्टे का रोजगार भी नहीं पा सकता है। बेरोजगारी के आँकड़े प्राप्त करने के भारत में तीन स्रोत हैं-

1. भारतीय जनगणना के आँकड़े।
2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आँकड़े।
3. रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय के पंजीकृत आँकड़े।

स्वतन्त्रता के बाद सरकारों ने निर्धनता निवारण को अपना प्राथमिक लक्ष्य मानकर, इसके उन्मूलन की दिशा में कार्य किया है। सरकार को इसमें सफलता भी प्राप्त हुई तथापि निर्धनता से मुक्ति नहीं मिली है। भारत में केन्द्र और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करती आ रही हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ई., आयुष्मान योजना 2018 ई. आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण भारतीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत की श्रमबल संरचना में परिवर्तन हुए हैं। अब सेवा क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है।

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- 197

3. मानव पूँजी में.....शामिल है।
 अ. शिक्षक
 ब. इंजीनियर
 स. डॉक्टर
 द. ये सभी
4. देश में कुल श्रमबल के कितने प्रतिशत लोग संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं-
 अ. 94%
 ब. 60%
 स. 06%
 द. 24%

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. शहरी व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। (1800 कैलोरी/2100 कैलोरी)
2. विनिर्माण क्षेत्र से सम्बन्धित है। (प्राथमिक/द्वितीयक)
3. शिक्षा को का सबसे बेहतर स्रोत माना जाता है। (मानव पूँजी/समाजवाद)
4. भारत में लगभग.....महिला-पुरुष श्रमिक स्वरोजगारी वर्ग में आते हैं (50%/ 60%)

सत्य/असत्य बताइए -

1. मानव पूँजी में किसान, अध्यापक, डॉक्टर शामिल है। सत्य/असत्य
2. निर्धनता का वर्गीकरण निर्धनता रेखा द्वारा होता है। सत्य/असत्य
3. जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ कपड़ा, रोटी, मकान हैं। सत्य/असत्य
4. भारत का 94% श्रम बल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. प्राथमिक क्षेत्र क. सेवाएँ
2. द्वितीयक क्षेत्र ख. कृषि
3. तृतीयक क्षेत्र ग. विनिर्माण

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. निर्धन किसे कहते हैं?
2. मानव पूँजी किसे कहते हैं?
3. रोजगार किसे कहते हैं?
4. स्वनियोजित रोजगार किसे कहते हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. शिक्षा मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी है?
2. मानव पूँजी के प्रमुख स्रोत बताइए।
3. संगठित व असंगठित क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं?
4. सरकार द्वारा रोजगार सृजन के कौन-कौनसे उपाय किए जा रहे हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. निर्धनता का वर्गीकरण करते हुए, निर्धनता निवारण के लिए सरकार की कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए।
2. बेरोजगारी से क्या आशय है, सरकार के रोजगार सृजन के प्रयासों को समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. अपने आस-पास होने वाले सरकारी कार्य जैसे- सड़क, बाँध, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय निर्माण, सफाई सम्बन्धी कार्य आदि की समालोचनात्मक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

अध्याय- 19

आधारिक संरचना

इस अध्याय में- आधारिक संरचना, आधारिक संरचना की स्थिति, ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत, स्वास्थ्य, पर्यावरण, धारणीय विकास, पर्यावरणीय पारम्परिक ज्ञान, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत, चीन और पाकिस्तान का तुलनात्मक अध्ययन।

भारत में विकास की दृष्टि से कुछ राज्यों में प्राथमिक क्षेत्रक का तथा कुछ राज्यों में द्वितीयक क्षेत्रक और कुछ में तृतीयक क्षेत्रक का अधिक विकास हुआ है। इस विकास की असमानता का प्रमुख कारण उन राज्यों की आधारिक संरचना है। वे समस्त संसाधन जो किसी देश के विकास को सम्भव बनाते हैं, उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करते हैं।

आधारिक संरचना- आधारिक संरचना, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रमुख क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, घरेलू व विदेशी व्यापार व वाणिज्य) को सहयोगी सेवाएँ प्रदान करती हैं। इन सेवाओं में रेल, सड़क, बन्दरगाह, बाँध, बिजलीघर, स्कूल-कॉलेज, तेल व गैस पाइप लाइन, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य व्यवस्था, बैंक, बीमा, मुद्रा प्रणाली आदि शामिल हैं। आधारिक संरचना को दो भागों सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना में बांटा गया है-

1. सामाजिक आधारिक संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास आदि हैं।
2. आर्थिक आधारिक संरचना में ऊर्जा, परिवहन और सञ्चार आदि हैं।

आधारिक संरचना की स्थिति- आधारिक संरचना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की

इसे भी जाने-

- बजट 2021-22 में आधारभूत संरचना क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत आने वाली 217 परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 7400 कर दी है। जिन पर 1.1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

प्रभावी प्रणाली है। यह औद्योगिकीकरण में सहायता करती है। इससे कृषि के उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। यह आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्त्वों की उत्पादकता में भी वृद्धि करती है, जिससे जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में आधारिक संरचना की स्थिति अत्यधिक कमजोर थी। किन्तु धीरे-धीरे वर्तमान में निजी क्षेत्रक ने सरकार के साथ मिलकर इसके विकास में अहम योगदान दिया है। उदाहरण के लिए

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 56% परिवारों के पास बिजली सुविधा थी। यहाँ लगभग 76% लोग पेयजल के लिए कुओं, तालाबों, झरनों, नदियों, नहरों जैसे खुले जल स्रोतों पर निर्भर थे। आधारिक संरचना के विकास के कारण 2020 ई. भारत आवासीय ऊर्जा सर्वे (IRES) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 97 % क्षेत्र विद्युतीकृत हो चुके हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के अनुसार पेयजल के लिए जल जीवन मिशन (2019 ई.) के अन्तर्गत 2 जनवरी, 2022 तक सरकार ने 5,51,93,885 घरों तक नल जल आपूर्ति प्रदान की है।

ऊर्जा- किसी भी राष्ट्र की प्रगति में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग कृषि, उद्योग, उपकरणों के निर्माण, परिवहन आदि में होता है।

ऊर्जा के स्रोत-

1. व्यावसायिक स्रोत- क्रय और विक्रय किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों को व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसके अन्तर्गत कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ व बिजली आदि आते हैं।

2. गैर-व्यावसायिक स्रोत- प्रकृति (जंगलों) से प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोतों को गैर-व्यावसायिक स्रोत कहा जाता है। इसके अन्तर्गत जलाऊ लकड़ी, कृषि से निकलने वाला कूड़ा-करकट, सूखा गोबर आदि आते हैं।

ऊर्जा के व्यावसायिक व गैर-व्यावसायिक स्रोतों को पारम्परिक स्रोत कहा जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा को ऊर्जा का गैर-पारम्परिक स्रोत माना जाता है।

विद्युत ऊर्जा- विद्युत ऊर्जा को आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक माना जाता है। भारत में विद्युत

इसे भी जाने-

- भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का 74% भाग व्यावसायिक ऊर्जा से प्राप्त होता है।

इसे भी जाने-

- वर्ष 2020-21 की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के आँकड़ों के आधार पर भारत में कुल बिजली उत्पादन का 78% तापीय स्रोतों, 9 % जल स्रोतों, 10% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा 3 % परमाणु स्रोतों से प्राप्त होता है।

का उत्पादन उपभोग की अपेक्षा कम है। इसके प्रमुख कारण विद्युत उत्पादन क्षमता में कमी के साथ विद्युत वितरण प्रणाली में अकार्यकुशलता, अनुचित कीमतें, कोयले की आपूर्ति में कमी, निरन्तर आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि हैं। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए तकनीकी विकास, अनुसंधान, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास और निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य- स्वास्थ्य से आशय केवल व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य से ही नहीं अपितु उसकी कार्य क्षमता और समृद्धि से भी होता है। किसी राष्ट्र की समग्र संवृद्धि और विकास स्वास्थ्य से जुड़ी एक प्रक्रिया है। नागरिकों के स्वस्थ जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, बेड, चिकित्सा के उपकरण आदि स्वास्थ्य आधारिक संरचना में सम्मिलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में सरकारी अस्पतालों व दवाखानों की संख्या 9,300 थी, जो 31 मार्च, 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1,55,404 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 24,918 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 5,183 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे थे। वहीं शहरी क्षेत्रों में 2,517 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 5,895 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 466 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थे। (स्रोत: ग्रामीण स्वास्थ्य स्टैटिस्टिक्स 2017-19 पीआरएस) इसके अतिरिक्त भारत में से चेचक, पोलियो, कुष्ठरोग आदि का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य की आधारिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश के 70% से अधिक अस्पतालों का सञ्चालन निजी क्षेत्र कर रहे हैं। भारत सरकार का वर्ष 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य पर कुल 86,201 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। इसके साथ ही कोविड महामारी से निपटने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया है।

सारणी 19.1	
सूची- वैक्सीनेशन अभियान के चरण (जनवरी, 2022)	
दिनांक	समूह
16 जनवरी, 2021	प्राथमिकता वाले समूह में हेल्थकेयर और फ्रन्टलाइन वर्कर्स
1 मार्च, 2021	60+ लोग व कोमार्बिडिटी वाले 45+ लोग
1 अप्रैल, 2021	45+ लोग
1 मई, 2021	18+ लोग
3 जनवरी, 2022	15-18 वर्ष के बीच के बच्चे
16 मार्च, 2022	12-14 वर्ष के बच्चे

चिकित्सा की भारतीय प्रणाली- चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में छः व्यवस्थाएँ हैं- आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा व होम्योपैथी। भारतीय चिकित्सा प्रणाली को 'आयुष' भी कहते हैं। भारत में 20% से भी कम जनसंख्या जन-स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करती है। अधिकांश स्थानों पर चिकित्सकों के पद रिक्त, स्वास्थ्य जांच के पर्याप्त केन्द्रों, मशीनों पलंगों आदि की कमी है। यदि महिला स्वास्थ्य की बात की जाए, तो इसमें भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में से 50% महिलाएँ रक्ताभाव व रक्तक्षीणता से ग्रसित हैं। बाल विवाह के कारण अधिकांश बालिकाएँ कम उम्र में ही माँ बन जाती हैं, जिससे वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमारियों से ग्रसित हो जाती

हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि व सुधार की आवश्यकता है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास बहुत कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु, महिला, शल्य आदि चिकित्सा सेवाओं की स्थिति नगण्य है। इसका प्रमुख कारण अधिकांश सरकारी और निजी अस्पतालों का निर्माण नगरीय क्षेत्रों में हुआ है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति में धनी और निर्धन वर्ग में अत्यधिक असमानता है। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होने कारण निर्धन व्यक्ति को महँगे निजी अस्पतालों उपचार करवाने के लिए जाना पड़ता है, जिससे वे ऋणग्रस्त होते हैं या मौत के मुँह में समा जाते हैं।

पर्यावरण- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास एवं आर्थिक संवृद्धि के लिए मैं हमने पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति पहुँचाई है। यदि हमने पर्यावरण को महत्त्व नहीं दिया, तो इसके परिणाम वीभत्स होंगे। इसलिए हमें मानव जाति को भविष्य के खतरों से बचाने के लिए, पर्यावरण के कार्यों, महत्त्व स्थिति और धारणीय विकास को प्राप्त करने के प्रयासों पर विचार करना चाहिए।

हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसमें सभी जैविक व अजैविक तत्त्व शामिल हैं, पर्यावरण कहलाता है। जैविक तत्त्वों में पशु-पक्षी, वन, मत्स्य आदि सभी जीवित तत्त्व आते हैं जबकि अजैविक तत्त्वों में हवा, पानी, मृदा आदि आते हैं।

पर्यावरण के कार्य- पर्यावरण मुख्य रूप से चार आवश्यक कार्य करता है-

1. पर्यावरण अवशेष को समाहित कर लेता है।
2. सौन्दर्य विषयक सेवाएँ प्रदान करता है।
3. नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति करता है।
4. यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है।

पर्यावरण उपरोक्त कार्यों को तब ही कर सकता है, जब ये उसकी धारण सीमा के अन्तर्गत आते हों। जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण आज प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषी क्षमता से बाहर है। परिणामस्वरूप जल संक्रामक रोग, ओजोन अपक्षय, वैश्विक ऊष्णता (GLOBAL WARMING) आदि में वृद्धि हुई है।

इसे भी जाने-

- पर्यावरण की अपक्षय सोखने की क्षमता को अवशोषी क्षमता कहते हैं।
- पृथिवी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक ऊष्णता कहते हैं।

भारत की पर्यावरणीय स्थिति- भारत के पास अथाह पर्यावरणीय या प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारे यहाँ हरे-भरे जंगल, सैकड़ों प्रकार के खनिज, हिन्द महासागर का विस्तृत क्षेत्रादि हैं। भारत में आर्थिक

विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी, लौह-अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, ताँबा, बॉक्साइट, हीरा, सोना, सीसा, मैंगनीज, यूरेनियम, जिंक आदि के पर्याप्त भण्डार हैं। भारत में गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा क्षरण, वन कटाव व वन्य-जीवन की विलुप्ति हैं। भारत के पास विश्व की कुल जनसंख्या का 17% और भौगोलिक क्षेत्र का 2.5% भाग है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा वायु प्रदूषण अधिक है। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से उत्सर्जित होने वाला धुआँ है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने 17 उद्योगों को अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के रूप में चिन्हित किया है।

धारणीय विकास- अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ हमें पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देने की

इसे भी जाने-

- भारत में सम्पूर्ण विश्व के 20 % लौह-अयस्क के भण्डार हैं।

आवश्यकता है, क्योंकि औद्योगिक विकास व हमारी जीवन शैली ने पर्यावरण के विनाश में वृद्धि की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (UNCED) ने धारणीय विकास की परिभाषा

इस प्रकार से की है- ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का समझौता किए बिना पूरा करे, धारणीय विकास कहलाता है।

धारणीय विकास की योजनाएँ –

1. **ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत-** भारत वर्तमान में विद्युत प्राप्ति के लिए तापीय (थर्मल) और जलीय (हाइड्रो) पावर संयन्त्रों पर अधिक निर्भर है। इन संयन्त्रों से निकलने वाली कार्बन-डाइ-ऑक्साइड गैस और राख से पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुँचाती है। इस पर्यावरणीय क्षति बचने के लिए हमें ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों, जैसे- सौर और पवन ऊर्जा की तकनीकी का विकास करना चाहिए।
2. **ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी., गोबर गैस -** ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व अधिक मात्रा में लकड़ी, कण्डे (उपले) व अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग ईंधन के रूप में होता था, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता था। अब सरकार द्वारा उज्जवला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में तरल पेट्रोलियम गैस (LPG- Liquefied Petroleum Gas) निः शुल्क दी जा रही है साथ ही गोबर गैस संयन्त्र स्थापित होने लगे हैं।
3. **शहरी क्षेत्रों में उच्चदाब प्राकृतिक गैस-** बड़े नगरों में अब उच्च दाब प्राकृतिक गैस (CNG- Compressed Natural Gas) का वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आई है।

4. **वायु-शक्ति-** तीव्र वायु प्रवाह वाले क्षेत्रों में पवन चक्कियाँ लगानी चाहिये, जिससे बिजली प्राप्त हो सके व प्रदूषण से बचा जा सके।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और पहाड़ी इलाकों में झरनों के माध्यम से बिजली प्राप्त की जा सकती है।

पर्यावरणीय पारम्परिक ज्ञान- सृष्टि के प्रारम्भ से ही भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं। हमारे ऋषि-मुनि वनों में रहकर ही पर्यावरण का पोषण करते थे। इसलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति में वृक्षों, जीवों आदि को महनीय स्थान प्रदान किया गया है। भारत में औषधीय गुणों से युक्त पौधों की 15,000 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 8000 जड़ी बूटियों का उपयोग उपचार में आज भी होता है। पश्चिम की एलोपैथी पद्धति ने हमारी इस विरासत को बहुत अधिक क्षति पहुँचाई है लेकिन आज धीरे-धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि भारत की प्राचीन जड़ी-बूटियों के द्वारा प्रभावशाली तरीके से विभिन्न रोगों का निदान किया जाता है। वर्तमान में सभी हर्बल सौन्दर्य उत्पाद प्रचलित हैं।

हमारा इतिहास पर्यावरण से मित्रवत् रहा है इसलिए हमें इसका संरक्षण करना होगा। कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक कीटनाशक तैयार किए जाने चाहिए। फसल-चक्र को अपनाना चाहिए।

आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत, चीन और पाकिस्तान का तुलनात्मक अध्ययन- भारत, पाकिस्तान व चीन तीनों एशिया महाद्वीप के अङ्ग हैं। भारत- पाकिस्तान 1947 ई. में स्वतन्त्र हुए और चीनी गणराज्य की स्थापना 1949 ई. में हुई थी। तीनों की विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। विकास पथ पर तीनों की शुरुआत एक साथ हुई थी। विकास की दिशा में भारत ने 1951 ई., पाकिस्तान ने 1956 ई. में तथा चीन ने 1953 ई. में अपनी प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ की थीं। 1980 के दशक तक तीनों देशों की वृद्धि दर व प्रतिव्यक्ति आय भी समान थी। पिछले अध्यायों में स्वतन्त्र भारत में विकास के लिए अपनाई गई नीतियों का अध्ययन किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमें चीन व पाकिस्तान की विकास नीतियों के विषय में अध्ययन करना होगा।

चीन- चीन में एक दलीय (कम्युनिष्ट पार्टी) शासन व्यवस्था के अन्तर्गत चीन गणराज्य की स्थापना हुई।

चीनी सरकार ने उद्यमों, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, भूमि आदि को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। वर्ष 1998 में सरकार ने ग्रेट लीप फॉर्वर्ड अभियान शुरू

इसे भी जाने-

- चीन में सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों को एस. ओ. ई. (सार्वजनिक क्षेत्रक) कहते हैं।

किया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना था। चीन में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कम्यूनों (लोगों का सामूहिक खेती करना) की संख्या में वृद्धि की गई। कम्यूनों में समस्त किसानों

को शामिल किया गया था। चीन में सुधारों की प्रारम्भ कई चरणों में हुआ। सर्वप्रथम कृषि, विदेशी व्यापार व निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। इसके पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुए। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित किये गए।

पाकिस्तान- पाकिस्तान भारत के समान मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व है। यहाँ हरित क्रान्ति के पश्चात् यन्त्रीकरण का प्रारम्भ हुआ था। आधारिक क्षेत्रों में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई। 1970 के दशक में यहाँ पूँजीगत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

जनांकिकीय संकेतक- चीन, भारत व पाकिस्तान की अपेक्षा जनसंख्या में बड़ा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व कम है। पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर इनमें सबसे अधिक है। 1970 के दशक में चीन में एक संतान नीति लागू की गई थी। इन तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। चीन को अपनी एक संतान वाली नीति में बदलाव करके दो संतान की अनुमति देनी पड़ी। चीन की अधिकांश आबादी नगरों में जबकि भारत की मात्र 33 % जनसंख्या नगरों में निवास करती है।

सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मामले में चीन दुनिया में दूसरा स्थान रखता है, जो 22.5 ट्रिलियन है। जबकि भारत व पाकिस्तान का क्रमशः 9.3 ट्रिलियन व 1.1 ट्रिलियन है। चीन में कुल भूमि का मात्र 10 % ही कृषि योग्य है जबकि 1980 के दशक तक यहाँ की 80 % जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर थी। किन्तु आज नगरीकरण ने कृषि क्षेत्र को कम कर दिया है। पाकिस्तान, चीन और भारत 1980 के दशक में सेवा क्षेत्र में श्रमशक्ति क्रमशः 27%, 12%, 17 % था, जो 2014 ई. में बढ़कर क्रमशः 34 %, 43 %, 29% हो गया था। चीन की आर्थिक संवृद्धि में विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों का योगदान है जबकि भारत की आर्थिक संवृद्धि में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। पाकिस्तान में इस अवधि (सन् 1980-2015) में तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई है। चीन, भारत व पाकिस्तान से प्रतिव्यक्ति आय, स्वच्छता, जीवन प्रत्याशा साक्षरता सभी क्षेत्रों में आगे है।

विकास नीतियाँ- एक मूल्यांकन- सभी देश अपनी विकास प्रक्रिया के लिए अलग-अलग तरीकों को अपनाते हैं। चीन में माओवादी शासन के दौरान आर्थिक संवृद्धि धीमी एवं आधुनिकीकरण का अभाव था। व्यापक भूमि सुधारों, सामुदायिकीकरण और ग्रेट लीफ फॉरवर्ड व अन्य सुधारों के बाद भी चीन के विकास की गति धीमी रही थी। सन् 1978 के पश्चात् चीन में ग्रामीण उद्योगों का विकास हुआ, प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हुई तथा आगे और सुधारों के लिए मजबूत आधार बनाया गया।

पाकिस्तान की यदि बात की जाए, तो विद्वानों के अनुसार यहाँ सुधारों के बावजूद सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई है। यद्यपि, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक वृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया है।

भारत ने अन्य विकासशील देशों की भाँति आर्थिक वृद्धि की है। चीन ने संरचनात्मक सुधारों का निर्णय स्वयं ने लिया था जबकि भारत व पाकिस्तान को ऐसे सुधारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बाध्य किया गया था। चीन ने परम्परागत विकास नीति को अपनाते हुए क्रमशः कृषि से विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रक की ओर अग्रसर हुआ, जबकि भारत और पाकिस्तान सीधे कृषि से सेवा क्षेत्रक की ओर अग्रसर हुए हैं। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। परिणामस्वरूप आज भारत विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थ व्यवस्था वाला राष्ट्र है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- पर्यावरण के जैविक घटकों में..... शामिल है।
अ. हवा ब. मत्स्य स. मृदा द. जल
- भारत में औषधीय गुणों से युक्त पौधों की..... प्रजातियाँ हैं।
अ. 15,000 ब. 17,000 स. 18,000 द. 10,000
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों के पास बिजली सुविधा है।
अ. 50% ब. 56% स. 62% द. 68%
- चिकित्सा की भारतीय प्रणाली को..... कहा जाता है।
अ. चिराग ब. उत्कर्ष स. आयुष द. वैभव

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

- भारत में विकास की असमानता का प्रमुख कारण राज्यों की..... है।
(आधारिक संरचना/प्राकृतिक संरचना)
- 1970 के दशक में में एक सन्तान नीति लागू की गई। (चीन/भारत)
- चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में व्यवस्थाएँ हैं। (6/8)
- भारत में सम्पूर्ण विश्व के लौह-अयस्क के भण्डार हैं। (22 %/20 %)

सत्य/असत्य बताइए-

- मछली पर्यावरण के जैविक घटकों में शामिल है। सत्य/असत्य

2. भारत ने सन् 1955 में पञ्चवर्षीय योजना की शुरुआत की।	सत्य/असत्य
3. भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17% निवास करता है।	सत्य/असत्य
4. वर्ष 1998 में सरकार ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया	

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

देश	पञ्चवर्षीय योजना की शुरुआत
1. भारत	क. सन् 1956
2. पाकिस्तान	ख. सन् 1951
3. चीन	ग. सन् 1953

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. स्वास्थ्य से क्या आशय है?
2. चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में कौन-कौनसी 6 व्यवस्थाएँ हैं?
3. पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों में अन्तर बताइए।
4. LPG एवं CNG का पूरा नाम बताइए।
5. वैश्विक ऊष्णता किसे कहते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए।
2. आधारिक संरचना के दो भागों से आप क्या समझते हैं?
3. भारत, पाकिस्तान व चीन की विकास नीतियों में क्या-क्या अन्तर थे?
4. पर्यावरण मुख्य रूप से कौन-कौन से कार्य करता है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. आधारिक संरचना से क्या आशय है? इसकी वर्तमान स्थिति व प्रासंगिकता बताइए।
2. पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण में प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. वर्तमान समय में भारतीय अर्थ व्यवस्था को लेकर कक्षा में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए।



अध्याय- 20

सामाजिक संरचना और परिवर्तन

इस अध्याय में- सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण, सहयोग तथा श्रम विभाजन, समाज में प्रतिस्पर्धा, समाज में संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक व्यवस्था।

सामाजिक संरचना- समाज की संरचना विशिष्ट रूप से क्रमवार व नियमित होती है। आधुनिक समय में सामाजिक संरचना शब्द का प्रथम प्रयोग हरबर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सन् 1885 में किया था। सामाजिक संरचना में सामाजिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान निहित होते हैं। शरीर की संरचना में जिस प्रकार हाथ, पैर, आंख, नाक, कान आदि का योगदान है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना में सामाजिक इकाईयों जैसे समूह, समितियाँ, संस्थाएँ, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि का योगदान होता है। इसके पूर्व सामाजिक संरचना की अवधारणा का विकास ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुष सूक्त में मिलता है- **ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी द्वाहु राजन्यः कृतः ऊरोः तदस्यः यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। (10.90.12)** अर्थात् समाजरूपी विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण, भुजाएँ क्षत्रिय, जँघाएँ वैश्य और पाद शूद्र बताये गये हैं, जो समाज के अङ्ग के रूप में अपने कर्म करते हुए सम्पूर्ण समाज को पोषित करते हैं। इन सभी के एक साथ रहने से जीवन के मूल उद्देश्य (मोक्ष) को प्राप्त करना सम्भव है। वेदों में सामाजिक असमानता और ऊँच-नीच का विरोध किया गया है। कुल, वंश और कार्य आदि के आधार पर कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है। अथर्ववेद में कहा गया है हम किसी को दास न बनाये न कोई हमें दास बनावे। सभी संगठन में साथ साथ रहें- **अश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीर्यध्वं प्र तरता सखायः। अत्रा जहीत ये असन्दुरेवा अन्मीवानुत्तरेमाभि वाजान्॥ (12.2.26)** अर्थात् इस दुर्गम संसार रूपी सागर में परस्पर साथ मिलकर प्रीतपूर्वक जीवन यापन करने में निश्चित ही सबका उत्थान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना कोई नई अवधारणा नहीं है। इसके अनेक उदाहरण हमें वैदिक वाङ्मय में मिलते हैं।

सामाजिक संरचना की विशेषताएँ- सामाजिक संरचना का निर्माण परिवार, संस्थाएँ, समितियाँ, समूह आदि अनेक प्रकार की उप-संरचनाओं से मिलकर होता है। जिस प्रकार से किसी भवन को जमीन, दिवारें, छत मिलकर एक स्वरूप प्रदान करती हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना की विशेषताएँ भी उसे स्वरूप प्रदान करती हैं। सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- यह स्थायी होती है।
- इसका स्वरूप अमूर्त होता है।
- इससे हमें समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है।
- सहयोग, आत्मीकरण, अनुकूलन, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक प्रक्रियाएँ सामाजिक संरचना के मजबूत पक्ष हैं।

सामाजिक स्तरीकरण- सामाजिक स्तरीकरण, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, सम्पत्ति व शक्ति की मात्रा के अनुसार विभिन्न वर्गों में उच्च से निम्न क्रम में वर्गीकृत किया जाता है।

सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ-

- यह सामाजिक सांस्कृतिक होता है।
- यह समाज का उच्चता एवं निम्नता में विभाजन है।
- यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
- इसमें स्थिति एवं पद का वितरण होता है।
- यह मानव निर्मित है।

सहयोग तथा श्रम विभाजन- समाज में रहने वाले लोग एक-दूसरे से आपसी सहयोग, प्रेम, सौहार्द, बन्धुत्व से परस्पर जुड़े रहते हैं। यदि समाज में इन गुणों का अभाव होगा तो मानव जाति का अस्तित्व संकटमय हो जाएगा। सहयोग की यह भावना केवल मनुष्य में ही नहीं अपितु पशु-पक्षियों और अन्य जीवों में भी पायी जाती है। प्रमुख समाजशास्त्री दुर्खाइम के अनुसार “एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और इस तरह समाज के प्रकार्यों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है”।

समाज में प्रतिस्पर्धा- समाज में सहयोग, प्रेम, सौहार्द के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा भी होती है। प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका उद्भव समाज में ही हुआ है। मनुष्य में प्रतिस्पर्धा बचपन से ही होती है, जैसे- विद्यालय में विभिन्न बालकों में पढ़ाई, खेल इत्यादि के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। समय के साथ-साथ इसमें परिवर्तन होता रहा है। समकालीन विश्व में प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख मानदण्ड तथा परिपाटी है। प्रतिस्पर्धा को पूँजीवाद की सशक्त विचारधारा माना जाता है, जिसके अनुसार बाजार इस प्रकार कार्य करता है कि अधिकतम कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके।

समाज में संघर्ष- संघर्ष का अर्थ व्यक्ति के हितों में टकराव होता है। समाज में संसाधनों की अल्पता के कारण उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा संघर्ष को जन्म देती है।

समाज में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भिन्न-भिन्न सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं लेकिन ये तीनों समाज में एक साथ रहती हैं। सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण की व्यवस्था में तीनों प्रक्रियाएँ भिन्न रूपों में स्थित होकर सामाजिक समूहों के लिए कार्य करती हैं।

सामाजिक परिवर्तन- समाज में सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों, रीति-रिवाजों व परम्पराओं, सामाजिक-सांस्कृतिक मापदण्डों आदि में हुए परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है।

इसे भी जाने-

- सामाजिक सम्बन्धों में आए परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे।
मैकाइवर व पेज

प्राचीनकाल में शिक्षा गुरुकुलों में सामान्यतः खुले आकाश में वृक्षों की छाया में, जंगलों में, नदियों के किनारे, ग्राम या नगर के बाहर प्रदान की जाती थी। उस समय शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी। लेकिन धीरे-धीरे समाज में परिवर्तन आया और वर्तमान में शिक्षा आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला भवनों में, नगरों एवं ग्रामों के मध्य मोटी फीस लेकर दी जाती है। वैश्विक महामारी कोराना के दौरान शिक्षा



चित्र- 20.1 आधुनिक गुरुकुल

केन्द्रों के बन्द होने के कारण, आज शिक्षा के नये माध्यम जैसे- ई-कक्षा, आनलाईन अध्ययन, स्मार्ट कक्षा, डिजीटल-शिक्षा आदि का विकास हुआ है। इसी प्रकार प्राचीन काल में जल सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध था। सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में आज जल एक उद्योग का रूप ले चुका है।

सामाजिक परिवर्तनों की विशेषताएँ-

- सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप होते हैं।
- सामाजिक परिवर्तन की गति असमान व सापेक्षिक होती है।
- इनकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
- सामुदायिक परिवर्तन ही वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन है।
- यह एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है।

सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्रोत/कारक-

1. पर्यावरणीय कारक- प्रकृति, पारिस्थितिकी, भौतिक पर्यावरण आदि।
2. तकनीकी कारक- अनुसंधान, आविष्कार, औद्योगीकरण, मशीनीकरण आदि।
3. राजनैतिक कारक- राजतन्त्र से लोकतन्त्र का आना, युद्ध व सन्धियाँ, चुनाव आदि।
4. आर्थिक कारक- रेल, व्यापार, कृषि, पशुपालन, उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा आदि।
5. साँस्कृतिक कारक- धर्म, परिवार, महिलाओं की स्थिति, खेलकूद आदि।

ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक व्यवस्था- किसी विशेष प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों, मूल्यों तथा परिमाणों को बनाए रखना सामाजिक व्यवस्था कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था अन्तःक्रियारत व्यक्तियों का समूह है। प्राचीन समय में सामाजिक व्यवस्था के अलग प्रतिमान थे। धीरे-धीरे समय के साथ इनमें परिवर्तन होते गए। वर्तमान में सामाजिक व्यवस्था पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है। ग्रामीण व नगरीय सामाजिक व्यवस्था में भी अत्यधिक भिन्नता है।

सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएँ- परस्पर सहयोग व सद्भाव, वृहद् संस्कृति (अनेक रीतियाँ, प्रथाएँ आदि), समूह व उप-समूह, सामूहिक एकता, श्रम विभाजन, क्षेत्रीयता, आत्म-निर्भरता आदि सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था- गाँव, परिवारों का वह समूह होता है, जो एक निश्चित क्षेत्र में बसा होता है तथा एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है। गाँव, नगरों की अपेक्षा छोटे होते हैं। यहाँ परम्परागत सामाजिक परम्पराएँ व प्रथाएँ चलती रहती हैं।

ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएँ- मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन, कम जनसंख्या व कम क्षेत्रफल, प्राथमिक समूहों को महत्त्व, जाति व्यवस्था की प्रधानता, संयुक्त परिवार प्रणाली, प्रकृति से निकटता, बाह्य आडम्बर व रुढ़िवादिता, समान संस्कृति, मानवीय मूल्य (प्रेम, सौहार्द, सहयोग, भाईचारा आदि) ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

कस्बों व नगरों में सामाजिक व्यवस्था- सामान्यतः कस्बों व नगरों दोनों में एक ही प्रकार की व्यवस्था है। दोनों में अन्तर आकार के आधार पर होता है। कस्बे, नगरों की अपेक्षा छोटे होते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े गाँवों की प्रवृत्तियाँ जब नगरीकृत हो जाती हैं, तो उन्हें कस्बा कहा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कस्बे में ग्रामीण व नगरीय दोनों विशेषताएँ समाहित होती हैं।

नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएँ- एकल परिवार प्रणाली, ऊर्जा-प्रबन्धन, व्यक्तिवादिता, सामाजिक गतिशीलता, व्यवसायों की बहुलता, अधिक जनसंख्या व अधिक क्षेत्रफल, मानवीय सम्बन्धों का टूटना, बढ़ता अपराधीकरण, बच्चों में बढ़ता एकाकीपन, सुनियोजित बस्तियाँ व कचरे का प्रबन्धन, समुचित जल-प्रबन्धन आदि नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- सामाजिक संरचना शब्द का प्रथम प्रयोग.....ने किया था।
 अ. हरबर्ट स्पेंसर
 ब. कॉम्ट
 स. दुर्खीम
 द. वेबर
- ग्रामीण समाज की विशेषताएँ नहीं है।
 अ. कृषि पर निर्भरता
 ब. प्रकृति से घनिष्ठ सम्बन्ध
 स. जनाधिक्य
 द. प्राथमिक सम्बन्धों की बहुलता
- 'प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी' नामक पुस्तक के रचयिता..... है।
 अ. एच. एम. जॉनसन
 ब. मैकाइवर व पेज
 स. कार्ल मार्क्स
 द. हरबर्ट स्पेंसर

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्रोत हैं। (कृषि व पशुपालन/उद्योग)
- प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी द्वारा लिखी गई। (दुर्खीम/स्पेंसर)
- सामाजिक परिवर्तन की गति व सापेक्षिक होती है। (समान/असमान)

सत्य/असत्य बताइए-

- संयुक्त परिवार प्रणाली नगरीय क्षेत्रों की विशेषता है। सत्य/असत्य
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की पर्याप्त उपलब्धता होती है। सत्य/असत्य
- सामाजिक संरचना शब्द का प्रथम प्रयोग कॉम्टे द्वारा किया गया। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. पर्यावरणीय कारक	क. कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि।
2. तकनीकी कारक	ख. प्रकृति, पारिस्थितिकी, भौतिक पर्यावरण आदि।
3. आर्थिक कारक	ग. आविष्कार, औद्योगिकरण, मशीनीकरण आदि।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सामाजिक संरचना से क्या आशय है?
2. सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं?
3. कस्बा किसे कहते हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ लिखिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएँ लिखिए।
3. कस्बा और नगर के अन्तर को समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. सामाजिक परिवर्तन और व्यवस्था से आप क्या समझते हैं।

परियोजना कार्य-

1. सामाजिक परिवर्तनों के अन्तर्गत प्राचीन व आधुनिक शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

अध्याय- 21

पर्यावरण और समाज

इस अध्याय में- वैदिक वाङ्मय में पर्यावरण की अवधारणा, संस्कृत व पौराणिक वाङ्मय में पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण के घटक, समाज व पर्यावरण का सम्बन्ध और प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, चिपको आन्दोलन, सी.एन.जी. अम्लीय वर्षा, ग्रीनहाउस प्रभाव।

पर्यावरण का सामान्य अर्थ हमारे चारों ओर का वातावरण है। विस्तृत अर्थ में भौतिक और जैविक परिवेश तथा उनके कारक, जिनका प्राणी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण कहलाता है। जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव-जन्तु, स्थलाकृति आदि सभी पर्यावरण के ही विभिन्न तत्त्व हैं। भारतीय संस्कृति एवं वाङ्मय में पर्यावरण को जैसा सम्मान जनक स्थान प्राप्त है, शायद ही दुनिया के किसी अन्य देश में प्राप्त हो।

वैदिक वाङ्मय में पर्यावरण की अवधारणा- वैदिक वाङ्मय में परितः आवरणं इति पर्यावरणं की धारणा को प्रतिपादित करते हुए पंच महाभूतों (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश), मनुष्य, प्राणियों, वनस्पतियों आदि के समग्र रूप को पर्यावरण के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। वैदिक वाङ्मय में ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुओं को निस्वार्थ भाव से आवश्यकतानुसार उपयोग की स्वीकृति दी है। पर्यावरण प्रदत्त सभी वस्तुओं को भारतीय संस्कृति में अतुलनीय माना गया है। गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के जलस्रोतों को वन्दनीय माना गया है। वेदों में प्रकृति को माता के रूप



चित्र- 21.1 वन में तपस्वी

में पूजा जाता है। भारत में अग्नि, जल, वायु, पृथिवी को अर्घ्य देने का प्रचलन है। हम नित्य सूर्य-चन्द्रमा को नमन करते हैं। तुलसी और पीपल (अश्वत्थ) के बारे में चिन्तन है कि ये दोनों वृक्ष प्रत्येक प्रहर प्राण वायु (ऑक्सीजन) निर्गत करते हैं। प्राचीन भारतीय वाङ्मय, धर्म, दर्शन व समाज में पर्यावरणीय चिन्तन का आरम्भ वैदिक व संस्कृत वाङ्मय से होता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति को वैदिक

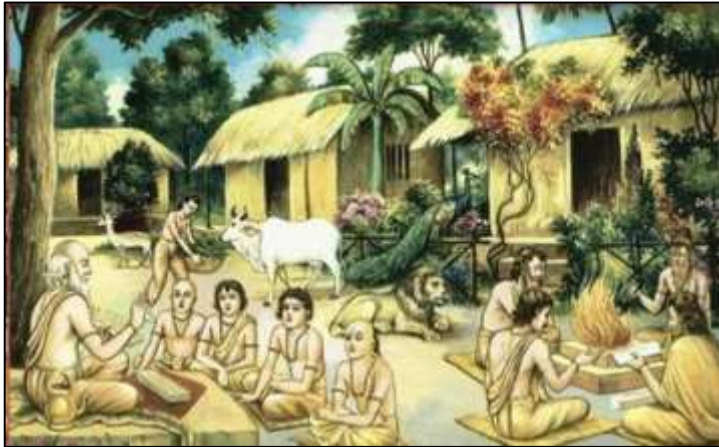
संस्कृति या तपोवनी संस्कृति की संज्ञा से अलंकृत किया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था के चार भागों में वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रवृत्त तपस्वी से वन पर ही आश्रित रहने की अपेक्षा की जाती थी। वन पर आश्रितता के कारण ही मानव व समाज को उनके संरक्षण और संवर्द्धन की अपरिहार्यता का समुचित भान हो सका। वैदिक वाङ्मय में इन विचारों की प्रामाणिकता भारतीय धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता के आचरण से स्वयं सिद्ध होती है। **ऊँ ईशावास्यामिदँ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्॥** (यजुर्वेद 40.1) अर्थात् इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है, वह सब ईश्वर द्वारा आवृत-आच्छादित है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गये का ही उपभोग करें। अधिक का लालच न करें, यह धन किसका है। अथर्व संहिता में जल की महत्ता को व्यक्त करते हुए लिखा है कि सूर्य की किरणें जल को समुद्र आदि से खींचती हैं। वह जल फिर बरसकर हमें अन्नादि पदार्थ एवं सुख प्रदान करता है। **अपो देवीरूप ह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः। सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः।** (1.4.3) अथर्ववेद में जल की शुद्धता एवं पवित्रता व गुणवत्ता को विस्तार से समझाया गया है। हमारी गायें जिस जल का सेवन करती हैं, उस जल का हम स्तुतिगान करते हैं। अन्तरिक्ष एवं भूमि पर प्रवाहमान उस जल के लिए हम हवि अर्पित करते हैं। **ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम्। अपो याचामि भेषजम्।** (1.5.4) सम्पूर्ण पृथिवी जल के लिए मूलतः वर्षा पर ही निर्भर है, इस कारण वैदिक वाङ्मय में मेघों के प्रति सम्मान का भाव स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। भूमि को माता के समान माना गया है, इसी भावना को स्वीकार करते हुए कहा गया है - **माता भूमिः पुत्रोऽहमं पृथिव्याः।** (12.1.12) अर्थात् यह धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। पृथिवी का संरक्षण और पोषण करना सामान्य कर्म नहीं है, जो व्यक्ति भूमि के सम्बन्ध में सभी परिस्थितियों से विज्ञ हो, तपोभाव पूर्ण हो, सत्यनिष्ठ हो, त्याग और बलिदान से युक्त एवं बलशाली हो वही मातृभूमि का पालन-पोषण तथा संरक्षण कर सकता है।

यजुर्वेद संहिता के रूद्राध्याय में वृक्ष के पालकों के लिए सम्मान एवं आदर भाव व्यक्त किया गया है- **नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः। वृक्षाणां पतये नमः। अरण्यानां पतये नमः॥** (16.17) अर्थात् हरे केशों (पत्तों) वाले वृक्षों और पशुओं (जीवों) के पालनकर्ता को नमस्कार करते हैं। वृक्षों के पालनकर्ता को नमस्कार करते हैं। वनों के पालनकर्ता को नमस्कार करते हैं। यजुर्वेद संहिता में ही समस्त वनस्पतियों से यह आह्वान किया गया है कि वे सदैव मनुष्य एवं समस्त प्राणियों के जीवन हेतु मधुरता प्रदायक हो। **मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु।** (13.29) पर्यावरण को अक्षुण्ण

बनाये रखने के लिए प्रकृति के लगभग सभी अवयवों में रक्त सम्बन्ध की स्थापना की गई है, पृथिवी को माता एवं आकाश को पिता के रूप में उद्घोषित करती अनेक ऋचाएं वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होती हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक वाङ्मय में प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों में देवत्व भावना की सृजना की गयी है तथा इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यज्ञीय संस्कृति का विकास किया गया है, जिससे पर्यावरणीय कारकों के साथ मानव के हृदय में मधुर सम्बन्धों की स्थापना होती है।

संस्कृत व पौराणिक वाङ्मय में पर्यावरण की अवधारणा- संस्कृत वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय के उस संस्कार



चित्र- 21.2 प्राचीन पाठशाला

को लेकर अग्रसर हुआ, जिससे प्रकृति को मनुष्य के धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक संस्कारों से सम्बद्ध किया गया है। प्रकृति के मूलभूत पंच महाभूतों को इस वाङ्मय में समुचित स्थान मिला है तथा इनके भली-भाँति संरक्षण एवं संवर्द्धन की परम्परा का निर्माण किया गया है। संस्कृत वाङ्मय की वैभवशाली

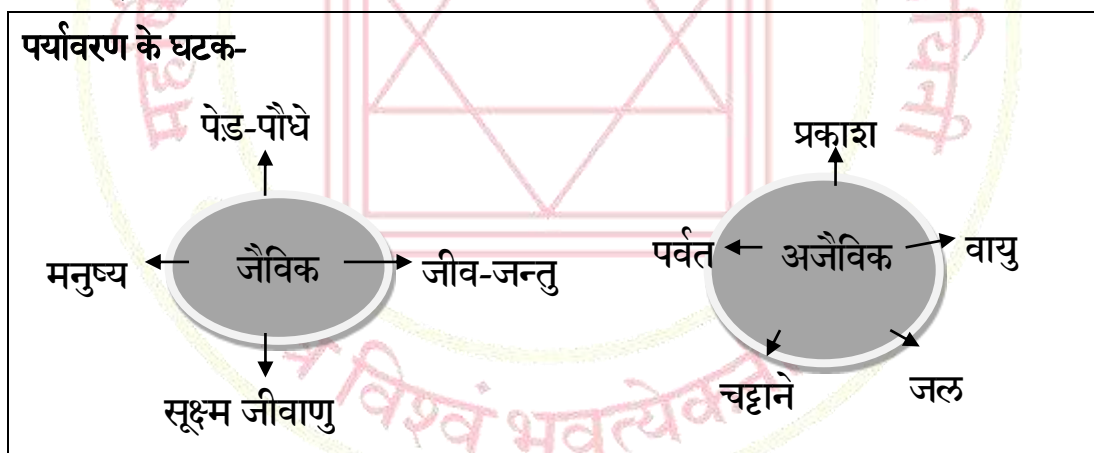
दीर्घ परम्परा में कवियों, आचार्यों तथा विचारकों की लम्बी श्रृंखला है, जिसमें वाल्मीकि, कालिदास, व्यास, मनु, भास, भारवि, दण्डी, भवभूति, बाणभट्ट आदि अनेक कवि हैं। इन कवियों ने अपने वाङ्मय में पर्यावरण प्रेम का जो निरूपण किया है, वैश्विक वाङ्मय में अद्वितीय है।

सूर्य, आकाश, पर्वत, पृथिवी, वायु तथा अन्तरिक्ष के साथ गङ्गा के जल की महत्ता विषयक संदर्भ के आलोक में महर्षि व्यास ने कहा है- यथा हीनं नमोऽर्केण भूः शैलेः खं च वायुना। तथा देशा दिशश्चैव गङ्गाहीना न संशयः ॥ अर्थात् जैसे सूर्य के बिना आकाश, पर्वत के बिना पृथिवी और वायु के बिना अन्तरिक्ष की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार जो देश और दिशाएँ गङ्गा जी से रहित हैं, उनकी भी शोभा नहीं होती है। भारतीय धर्म और दर्शन में श्रीमद् भगवद्गीता का स्थान बहुत पवित्र और आदर्श से युक्त है, गीता में श्रीकृष्ण स्वयं को गङ्गा नदी बताते हैं- स्रोतसामस्मि जाह्नवी (10.31) सम्पूर्ण संस्कृत और पौराणिक वाङ्मय में जल का विभिन्न रूपों में वर्णन है। ये सभी रूप जल के संरक्षण और संवर्द्धन के निमित्त हैं। मत्स्य पुराण में जल को साक्षात् तीर्थ रूप में आत्मसात करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, मनुष्य के लिए जल का उतना ही महत्त्व है जितना तीर्थ का। अनुद्धृतैरुद्धृतैर्वा जलैः स्नानं समाचरेत्।

तीर्थ प्रकल्पयेद् विद्वान् मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्॥ अर्थात् कुएँ एवं तालाब आदि के जल से स्नान करते हुए मन्त्रवेत्ता विद्वान् को मूलमन्त्र द्वारा उस जल में तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए।

संस्कृत वाङ्मय में वायु को ईश्वरीय अंश स्वीकार कर उसे मानवीय जीवनाधार माना है। पूज्यों की शृंखला में स्थित होने के कारण वायु सहज ही संरक्षणीय हो जाती है। जब गाँव में उत्पन्न वृक्ष फूलों और फलों से आच्छादित होता है और उस जाति का दूसरा वृक्ष गाँव में नहीं होता तब वही वृक्ष चैत्य वृक्ष के रूप में पूज्य एवं मान्य होता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है- दश कूप-समोवापी, दशवापी समोहदः। दश हृद-समः पुत्रो, दश पुत्रसमो द्रुम॥ अर्थात् दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब है, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र है और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्कृत-पौराणिक वाङ्मय में भी पर्यावरण व उसके घटकों को वन्दनीय स्थान दिया गया है।

पर्यावरण के घटक- पर्यावरण एक गतिशील संकल्पना है, जिसमें जैव और अजैव वस्तुओं के साथ किसी जीव के सम्बन्ध भी शामिल होते हैं। जैव पर्यावरण में भू-मण्डल के सभी पेड़-पौधे और जीव शामिल हैं। अजैव पर्यावरण में भूमि, जल, वायु अपने विविध भौतिक रूपों में शामिल हैं। ये सभी पर्यावरण के ही अभिन्न अङ्ग हैं।



पर्यावरण का वर्गीकरण- उत्पत्ति या विकास की प्रक्रिया के आधार पर पर्यावरण को दो भागों प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण में विभाजित गया है।

1. **प्राकृतिक पर्यावरण-** प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य उन सम्पूर्ण भौतिक शक्तियों, प्रक्रियाओं और तत्त्वों से है, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। इन शक्तियों के अन्तर्गत सूर्यताप, पृथिवी की दैनिक एवं वार्षिक परिभ्रमण की गतियाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ज्वालामुखी क्रियाएँ, भूपटल की गति तथा जीवन सम्बन्धी दृश्य सम्मिलित किए गए हैं। इसमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी प्राकृतिक तत्त्व, जैसे- भू-

रचना, चट्टानें, जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव-जन्तु, खनिज, जलाशय, महासागर आदि को सम्मिलित किया जाता है।

2. मानव निर्मित- मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण को मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। यह भौतिक पर्यावरण से भिन्न होता है। मानव निर्मित पर्यावरण के अन्तर्गत भवन, पार्क, गाँव, नगर, अस्पताल, सड़क, रेल, बाँध, रीति-रिवाज, खान-पान, त्यौहार आदि आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में मानव तकनीकी विकास की सहायता से मानव निर्मित पर्यावरण का निर्माण होता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता रहता है। उदाहरण के लिए वह घास के मैदानों में भूमि को जोतकर खेती व पशुपालन करता है। जंगलों को साफ कर, नई बस्तियाँ, सड़कें, नहरें, रेलमार्ग आदि का निर्माण करता है। पर्वतों को काटकर सुरंग आदि निकालता है। भू-गर्भ से खनिजों का खनन कर अनेक उपकरण अस्त्र-शस्त्र, यन्त्र आदि बनाता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक शक्तियों का विभिन्न प्रकार से दोहन कर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

समाज व पर्यावरण का सम्बन्ध और प्रभाव- समाज व पर्यावरण में सह-सम्बन्ध होने के कारण दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। पर्यावरण समाज को पोषित और प्रभावित होता है। मानव समाज के साथ-साथ अन्य जीव भी भोजन, जल, वायु व आवास हेतु पर्यावरण पर ही निर्भर हैं। समाज अपनी भौतिक, आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक उन्नति के लिए पर्यावरण के घटकों पर आश्रित है। मानव ने पर्यावरण के घटकों के उपयोग से ही खेत, कस्बे, नगर, सड़कें, रेलमार्ग, बाँध व नहरों का निर्माण किया है। कहीं पर्यावरण उसे प्रभावित करता है तो कहीं उसे उसके साथ अनुकूलन तथा परिवर्तन करना पड़ता है, इसे पर्यावरण समायोजन कहते हैं।



चित्र- 21.3 पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता- पर्यावरण संरक्षण से आशय है पर्यावरण की रक्षा या बचाव। वेदों में पर्यावरण शुद्धि हेतु अग्नि में गोघृत, गूगल, पिप्पली आदि औषधियों की आहुति के विषय में बताया गया है। सूर्य की किरणें इन आहुत औषधियों को वायु के साथ मिलकर और अधिक लोकोपयोगी बना देती हैं- तवायं भाग ऋत्विगः सरश्मिः सूर्ये सचा। (ऋ.1.135.3) हम कह सकते हैं कि हमें पर्यावरण व उसके घटकों का आधिकारिक संरक्षण करना चाहिए। जिससे हमारी भावी पीढ़ियाँ भी इससे लाभान्वित होकर,

प्रकृति की सुन्दरता का आनन्द ले सकें। हमें अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रकृति का अतिदोहन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए वरना इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में अत्यधिक घातक होंगे।

हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जिसमें अधिकाधिक लोगों को पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया जाता है। सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 9 सितम्बर, 1972 ई. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम 1980 ई. में लागू हुए थे, जिनमें कालान्तर में अनेक संशोधन किए गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण के उपाय-

1. हमें अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए व अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।
2. उद्योगों व कारखानों को आबादी व नदियों से दूर स्थापित करना चाहिए एवं इनसे निकलने वाले धुएँ को परिष्कृत करके छोड़ना चाहिए।
3. कूड़ा-कचरा व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में नहीं फेंकना चाहिए।
4. कृषि में विषैले कीटनाशकों व उर्वरकों के स्थान पर जैविक या देशी खाद को बढ़ावा देना चाहिए।
5. एयर कन्डिशनर(ए.सी.), जनरेटर, इन्वर्टर आदि से कार्बन डाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रति क्षण वायुमण्डल में घुलते रहते हैं अतः हमें इनका उपयोग या तो बिल्कुल नहीं या कम से कम करना होगा।
6. जल संरक्षण को महत्त्व देना चाहिए।
7. पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 3R (Recycle, Reduce and Reuse) की अवधारणा अपनानी होगी।
8. अपने जीवन के विशेष अवसरों (जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ आदि) पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।

चिपको आन्दोलन- चिपको आन्दोलन पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक आन्दोलन था, जो 1972 ई. में उत्तराखण्ड के टिहरी गढ़वाल व हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में प्रारम्भ हुआ था। इस आन्दोलन में लोगों ने पेड़ों को गले से लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन दरअसल प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना इसलिए इसे चिपको आन्दोलन की संज्ञा दी गई। टिहरी से यह आन्दोलन सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ था, जिसमें उन्होंने गाँव-गाँव जाकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए सन् 1981 ई. से 1983 ई. तक लगभग 5000 किमी. लम्बी ट्रांस हिमालय पदयात्रा की। इसके अतिरिक्त इस आन्दोलन में गौरा देवी, कामरेड गोविन्द सिंह रावत, चण्डी प्रसाद

इसे भी जाने-

- ब्रिटिश भारत में 1927 ई. में वन अधिनियम लागू हुआ था।
- चिपको आन्दोलन में गौरा देवी के साथ लगभग 27 महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी।
- चिपको आन्दोलन का घोष वाक्य- क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार।

भट्ट आदि के कार्य भी सराहनीय हैं। चिपको आन्दोलन को सफलता 1980 ई. में मिली, जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने हिमालयी वनों (उत्तराखण्ड का क्षेत्र) में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया था और केन्द्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक मुख्य मुद्दा बना दिया।

सी.एन.जी.- CNG को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas) कहा जाता है। इस गैस को वाहनों में उपयोग करने के लिए 200-250 कि.ग्रा. प्रति वर्ग सेमी तक दबाकर बनाया जाता है। सी.एन.जी.से वाहन चलाने पर पर्यावरण प्रदूषण तो कम होता ही है साथ ही यह सस्ती भी है।

अम्लीय वर्षा- विभिन्न उत्पादन क्रियाओं, उद्योगों, कारखानों, वाहनों एवं तेल शोधनशालाओं से निकली कार्बन डाई आक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड(SO₂), नाइट्रिक ऑक्साइड आदि गैसों वायु में घुल जाती हैं तथा वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये अम्ल, वर्षा जल के साथ पृथिवी पर गिरते हैं, तो इसे अम्लीय वर्षा (ACID RAIN) कहते हैं।

ग्रीन हाउस प्रभाव- ग्रीन हाउस (हरित गृह) प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, जो पृथ्वी के धरातल को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। इसी कारण पृथ्वी पर जीवन सम्भव है। ग्रीनहाउस प्रभाव में सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा, प्रकाश किरणों के रूप में एक सतह को पार करके ग्रीनहाउस तक आती है। इस ऊर्जा का कुछ भाग मिट्टी, पेड़ पौधों और ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषित ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा में परिवर्तित होकर पृथिवी के तापमान को निश्चित बनाए रखता है। जल वाष्प, कार्बन डाई ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रमुख ग्रीनहाउस प्रभाव की उपयोगी गैसों हैं। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन से पृथिवी के तापमान में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसके परिणामस्वरूप रेगिस्तान में बाढ़ का आना, अतिवर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की कमी होना, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जलस्तर का बढ़ना आदि मानव अस्तित्व के संभावित संकट के कारण हैं। अतः इस संकट से बचने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी कार्य करने होंगे।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. विश्व पर्यावरण दिवस.....को मनाया जाता है -
अ. 1 जून
ब. 5 जून
स. 10 जून
द. 15 जून
2. सुन्दर लाल बहुगुणा का सम्बन्ध.....है।
अ. चिपको आन्दोलन से
ब. किसान आन्दोलन से
स. जल आन्दोलन से
द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. प्राकृतिक पर्यावरण में.....सम्मिलित हैं।
अ. चट्टानें
ब. वनस्पति
स. वन्यजीव
द. उपर्युक्त सभी
4. भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम.....को लागू हुआ।
अ. 5 सितम्बर 1970
ब. 5 सितम्बर 1971
स. 9 सितम्बर 1972
द. 9 सितम्बर 1973

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. पौधे मानव को प्रदान करते हैं। (नाइट्रोजन/ऑक्सीजन)
2. वेदों में प्रकृति को के रूप में पूजा जाता है। (माता/देवी)
3. पृथिवी जल के लिए मुलतः पर ही निर्भर है। (वर्षा/बादल)
4. चिपको आन्दोलन में.....का योगदान सराहनीय है। (गौरादेवी/ मायादेवी)

सत्य/असत्य बताइए-

1. पर्यावरण में जैविक व अजैविक दोनों घटक शामिल हैं। सत्य/असत्य
2. विश्व पर्यावरण दिवस 1 जून को मनाया जाता है। सत्य/असत्य
3. भारत में पहली बार वन अधिनियम सन् 1927 में लागू हुआ। सत्य/असत्य
4. ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जीवन सम्भव है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान-

1. वन्य जीव अधिनियम क. सन् 1980
2. चिपको आन्दोलन ख. सन् 1972
3. वन (संरक्षण) अधिनियम ग. 5 जून
4. विश्व पर्यावरण दिवस घ. सन् 1972

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पर्यावरण से क्या तात्पर्य है?
2. चिपको आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
3. सी.एन.जी. का पूरा नाम लिखिए।
4. पर्यावरण के विभिन्न कारक/घटक कौन-कौन से हैं?
5. अम्लीय वर्षा से क्या आशय है?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पर्यावरण समायोजन से क्या तात्पर्य है?
2. पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के बारे में बताइए।
3. मानव निर्मित पर्यावरण से आप क्या समझते हैं?
4. समाज व पर्यावरण के सम्बन्ध पर टिप्पणी लिखिए।
5. 'चिपको आन्दोलन' पर टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. वैदिक और संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण की अवधारणा को समझाइए।
2. पर्यावरण संरक्षण से क्या आशय है? विभिन्न उपायों को बताइए।

परियोजना कार्य-

1. किन्ही पाँच वृक्षों के चित्र बनाइए।
2. अपनी पाठशाला में सभी छात्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 2-2 वृक्ष लगायें।

अध्याय – 22

प्रमुख समाजशास्त्री

इस अध्याय में- समाजवाद का परिचय, ज्ञानोदय, फ्रान्सिसी क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, प्रमुख पाश्चात्य समाजशास्त्री, भारत में समाजशास्त्र विषय का आरम्भ, प्रमुख प्राचीन भारतीय समाजशास्त्री, प्रमुख आधुनिक भारतीय समाजशास्त्री।

समाजशास्त्र का परिचय- समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति में ज्ञानोदय, वैज्ञानिक क्रान्ति, फ्रान्सिसी क्रान्ति व औद्योगिक क्रान्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः समाजशास्त्र को 'क्रान्ति के युग' की संतान भी कहा जाता है। आगस्ट कॉम्टे को 'समाजशास्त्र का पिता' माना जाता है। पश्चिम के समाजशास्त्रियों कार्ल मार्क्स, मैक्स वैबर व एमिल दुर्खीम को आधुनिक समाजशास्त्र की शास्त्रीय परम्परा का धारक कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्रीय दृष्टि और जन भावनाएँ सभ्यता काल से ही एक विराट और स्वस्थ परम्परा के रूप में देखी जा सकती हैं। वैदिक वाङ्मय में समाज के संगठित और लोक कल्याणकारी स्वरूप में समानता, स्वतन्त्रता व बन्धुत्व की भावना के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद आदि प्राचीन भारतीय सामाजिक चिन्तक थे। आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख भारतीय चिन्तक गोविन्द सदाशिव घुर्ये, धुर्जिट प्रसाद मुखर्जी, अक्षय रमनलाल देसाई, एम.एम.श्रीनिवास आदि हैं। आइये पूर्व और पश्चिम में परिवर्तनकारी उन बौद्धिक परिणामों की चर्चा करें जो समाजशास्त्र के उद्भव का कारण रहीं।

ज्ञानोदय- पश्चिमी यूरोप में 17वीं-18वीं सदी के मध्य संसार के विषय में सोचने-विचारने के नए व मौलिक दृष्टिकोणों का विकास हुआ, जिसे ज्ञानोदय का नाम दिया गया। ज्ञानोदय ऐसी विचारधारा है, जिसमें मनुष्य को सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के केन्द्र बिन्दु के रूप में स्थापित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशेषता माना है। ज्ञानोदय या प्रबोधन मात्र को एक सम्भावना से वास्तविक यथार्थ को बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का योगदान है, जिन्हें हम धर्म निरपेक्षता, वैज्ञानिक व मानवतावादी विचार कहते हैं।

फ्रान्सिसी क्रान्ति- फ्रान्सिसी क्रान्ति का समय 1789 ई. से 1799 ई. तक रहा है जो यूरोप के इतिहास में एक मील का पत्थर था। रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्यू का इस क्रान्ति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। फ्रान्सिसी क्रान्ति के समय फ्रान्स में लुई 16 वाँ का शासन था। क्रान्ति के फलस्वरूप फ्रान्स में अनेक

परिवर्तन हुए। लोगों को कानून व राजकीय संस्थाओं के समक्ष समानता, धार्मिक और सामाजिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त हुआ था। आधुनिक समाजशास्त्रियों द्वारा समानता, स्वतन्त्रता व बन्धुत्व की भावना को फ्रान्सिसी क्रान्ति की देन माना जाता है।

औद्योगिक क्रान्ति- औद्योगिक क्रान्ति की आरम्भ ब्रिटेन में 18 वीं-19 वीं सदी में वस्त्र उद्योग से हुई मानी जाती है। इसके दो प्रमुख कारण थे- पहला विज्ञान तथा तकनीकी के साथ उद्योगों का मशीनीकरण और ऊर्जा के नये साधनों का प्रयोग। दूसरा, श्रम तथा बाजार को नये रूप में बड़े पैमाने पर संगठित किया जाना। परिणामस्वरूप इंग्लैंड में नये औद्योगिक नगरों के विकास के साथ ही आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक सुदृढ़ हुई थी।

प्रमुख पाश्चात्य समाजशास्त्री-

अगस्त काम्टे (1798 ई.-1857 ई.)- इन्सिडोर अगस्त मेरिए फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे का जन्म 19 जनवरी, 1798 ई. में मौन्टपीलियर, फ्रान्स में हुआ था। अगस्त

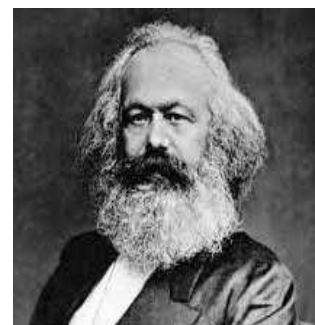
काम्टे एक महान सामाजिक विचारक और अनुभववादी चिंतक थे। वे वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण की क्रमवद्धता के साथ घटनाओं की व्याख्या ऐतिहासिक विधि द्वारा किया जाना आवश्यक है। कॉम्टे का 59 वर्ष की आयु में 1857 ई. को मृत्यु हो गई। कॉम्टे ने



चित्र- 22.1 अगस्त काम्टे

समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया हैं। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता हैं। काम्टे ने अनेक मौलिक ग्रन्थों की रचना की है- ए प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, दि कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, कैचिज्म पॉजिटिविज्म, आदि।

कार्ल मार्क्स (1818 ई.-1883 ई.)- कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई, 1818 ई. को राइनलैण्ड (जर्मनी) में हुआ था। हीगल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित कार्ल मार्क्स ने दर्शनशास्त्र एवं इतिहास का अध्ययन कर, बॉन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की थी। मार्क्स ने पूँजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था, इसलिए उन्हें किसानों, मजदूरों व पीड़ितों का मसीहा कहा जाता है। पूँजीवाद, वर्ग-संघर्ष, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन आदि इनके प्रमुख सिद्धान्त हैं। मार्क्स के अनुसार संसार में अशान्ति एवं असंतोष



चित्र- 22.2 कार्ल मार्क्स

का कारण गरीबों और अमीरों के बीच का संघर्ष है। इस संघर्ष को उन्होंने वर्ग-संघर्ष कहा है। होली फैमिली, दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉस्फी इनकी प्रमुख व प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। 1849 ई. में मार्क्स को अपने देश से बाहर निकाल दिया गया, तदुपरान्त वे आजीवन इंग्लैण्ड में ही रहे थे। 64 वर्ष की अवस्था में 14 मार्च, 1883 ई. को लन्दन में आपका निधन हो गया था।

एमिल दुर्खीम (1858 ई.-1917 ई.)- एमिल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल, 1858 ई. को एपीनल (लॉरेन, फ्रान्स) में हुआ था। एमिल दुर्खीम ने जर्मनी में अर्थशास्त्र, लोक-मनोविज्ञान व सांस्कृतिक मानवशास्त्र का अध्ययन किया था। 1913 ई. में समाजशास्त्र विषय को इन्होंने एक मान्यता प्राप्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ये एक महान शिक्षक व विचारक भी थे। दुर्खीम को आगस्ट कॉम्टे का अनुयायी व उत्तराधिकारी माना जाता है। दुर्खीम ने 'आत्महत्या का सिद्धान्त' में यह सिद्ध कर दिया था कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। 'डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी', द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, एजुकेशन एण्ड सोशियोलॉजी आदि दुर्खीम की प्रमुख रचनाएँ हैं।



चित्र- 22.3 एमिल दुर्खीम

मैक्स वैबर (1864 ई.-1920 ई.)- मैक्स वैबर का जन्म 21 अप्रैल, 1864 ई. को एरफर्ट (जर्मनी) के पर्शियन परिवार में हुआ था। वैबर अपने सात भाईयों में सबसे बड़े थे। वैबर की खेलने से अधिक पुस्तकों में रुचि थी। वैबर ने भाषा, इतिहास और साहित्य की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ सेना में नौकरी करने लगे थे। ये गोथे, स्पिनोजा व कांट के विचारों से ये अत्यधिक प्रभावित थे। वैबर ने 1894-96 ई. तक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर कार्य किया था परन्तु



चित्र- 22.4 मैक्स वैबर

अस्वस्थता के कारण यह नौकरी छोड़कर ये रोम चले गए थे। 1919 ई. में पुनः अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। दि रिलीजन ऑफ चाइना, दि रिलीजन ऑफ इण्डिया, जनरल इकॉनॉमिक हिस्ट्री आदि मैक्स वैबर प्रमुख रचनाएँ हैं।

प्राचीन भारत के पथ प्रदर्शक ऋषि एवं समाजशास्त्री- प्राचीन काल से ही भारत में सामाजिक चिन्तन की परम्परा में हमारे ऋषियों, मुनियों का स्थान अग्रणी रहा है। मानवीय समाज की आदर्शात्मक संकल्पना एवं समाज शास्त्रीय सिद्धान्तों की व्याख्या वैदिक वाङ्मय में अनेक स्थलों पर स्पष्ट हुई है। विश्व में कितनी ही संस्कृतियाँ अस्तित्व में रही हों परन्तु उनका श्रीगणेश वैदिक संस्कृति से ही सम्भव हुआ है। सामाजिक

विकास के मूल आधार- समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व की सम्पूर्ण अवधारणा का विधान ऋग्वेद के सामनस्य सूक्त (10.91) में हुआ है- समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ (10.91.4) अर्थात् सबका हृदय व मन समान हों और परस्पर मतभेद न हो।

एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर निर्मित बृहत् मानव समूह को समाज कहते हैं, जिसमें सभी लोग मिलकर मानवीय क्रिया-कलाप करते हैं। समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत सामाजिक क्रिया-कलापों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समाज को विनियमित करने वाले वेद विहित नियमों, विधियों एवं उपबन्धों को स्मृतियों में संहिताबद्ध किया गया है। अतः स्मृतियों को प्राचीनतम समाजशास्त्र की मानक रचना और स्मृतिकारों को निःसन्देह समाजशास्त्री कहा जा सकता है। स्मृतियों का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन को वेद विहित मार्ग का स्पष्टतः उपदेश कर मानव जीवन को सुचारु रूप से आनन्दपूर्वक, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए प्राप्तव्य के साथ व्यतीत करते हुए अमरत्व की ओर ले जाना है। स्मृतियों में लोगों और उनके समुदायों के दैनिक आचरण, शिष्टाचार और रीति रिवाजों को विनियमित करने-के लिए निश्चित नियमों और विधियों के साथ-साथ वर्णाश्रम के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। स्मृतियों में जन्म से मृत्यु तक विविध कार्यों का उपदेश करने के साथ ही कुछ कार्यों को प्रतिबन्धित भी किया गया है।

कालक्रम में सामाजिक परिवेश के अनुरूप स्मृतियों में विधि, निषेध, प्रतिषेध, स्तुत्य कर्तव्य, निन्दित कार्य निर्देशित हैं। आक्रान्ताओं और उनके सांस्कृतिक-प्रहार से रक्षा हेतु भारतीय समाज के परिवेश और आवश्यक नियम समय-समय पर परिवर्तित होते रहे हैं। स्मृतिकारों ने समय और परिस्थितियों के अनुसार सभी वर्गों के लोगों को अपने जीवन में कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों एवं प्राप्तव्य के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिए हैं। नई स्मृतियों को विभिन्न युगों और भारत के विविध प्रदेशों के ऋषियों द्वारा संकलित किया गया है।

स्मृतिग्रन्थों में वैदिक धर्म का अधिकार, विद्या का आरम्भ, ब्रह्मचारी के नियम, दन्तधावन तथा स्नान-विधि, सन्ध्या, प्राणायाम-जप, अध्ययन का समय, विश्राम का समय, गृहस्थ के कर्तव्य, संस्कारों के अनुष्ठान जैसे उपनयन, विवाह, पञ्चमहायज्ञ, लोक में देवी-देवता आराधना, आदि का विवरण, भोजन के नियम, पाप और प्रायश्चित्त, देवता-पितृतर्पण, श्राद्ध करने का अधिकारी, अशौचकाल, श्राद्ध, वानप्रस्थ और सन्यास के नियम आदि के साथ-साथ-प्रशासकों के कर्तव्य, आजीविका के साधन, व्यापार, सम्पत्ति का विभाजन, व्यवहार आदि सम्बन्धित नियमों का उल्लेख किया गया है।

प्रपञ्च में जीवन का आधार धर्म है। धर्म से व्यक्ति और समाज को सम्पूर्ण मानवता के साथ अनुशासन की शिक्षा भी प्राप्त होती है। वेदों में निर्देश है कि जगत का आधार धर्म है। यदि धर्म रूपी नींव हिलती है तो मानव जीवन और समाज की अधिरचना भी हिल जाएगी और सुख, शान्ति, समृद्धि समाप्त हो सकती है।

प्राचीन भारत के प्रतिष्ठित स्मृतिकार (समाजशास्त्री)- भारत में समय समय पर-विविध स्मृतिकार रहें हैं साथ ही उनकी स्मृतियों का नाम उन्हीं स्मृतिकारों (समाजशास्त्रियों) के नाम पर रखा गया है। स्मृतिकारों (समाजशास्त्रियों), विधि-निर्माताओं में मनु, नारद, याज्ञवल्क्य और पराशर सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा निर्मित सामाजिक विधि-विधान भारतीय समाज व्यवस्था की रीढ़ है। अतः मनुस्मृति (मानव धर्मशास्त्र), याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति प्रमुख स्मृतिग्रन्थ हैं। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति वर्तमान में सम्पूर्ण भारत में आधिकारिक कार्यों के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। याज्ञवल्क्य स्मृति को विशेषरूप से हिन्दू विधि के सभी मामलों में आधिकारिक कार्यों हेतु तथा न्यायनिर्णय में भी परामर्श में लिया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य पन्द्रह स्मृतिकार- विष्णु, दक्ष, संवर्त, व्यास, हारीत, शातातप, वसिष्ठ, यम, आपस्तम्ब, गौतम, देवल, शंख, उषना, अत्रि और शौनक हैं। इन स्मृतिकारों के स्मृतिग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ और मुद्रित पुस्तकें प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में भी स्मृतिमुक्ताकलाप, स्मृतिसन्दर्भ एवं निर्णयसिन्धु आदि धर्मशास्त्र निबन्धों में अनेक समाजशास्त्रीय विषय निबन्धित है। इनके अतिरिक्त, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर महाभारत के प्रसिद्ध चिन्तक तथा समाजशास्त्री रहें हैं। भीष्म पर्व में पितामह भीष्म का युधिष्ठिर को उपदेश, विदुर नीति, नारद स्मृति, के साथ-साथ बोधायन, आपस्तम्ब और कात्यायन ऋषियों द्वारा रचित धर्मसूत्रों, गृह्यसूत्रों, श्रौतसूत्रों में समाज शास्त्रीय विचार प्राप्त हैं।

मनु -विश्व के समाज शास्त्रियों में मनु का स्थान सर्वोच्च है। महान ज्ञानी बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न, मनु को विश्व का प्रथम सामाजिक नीति निर्माता माना जाता है। पी. काणे .वी. की प्रसिद्ध कृति 'धर्मशास्त्र का इतिहास' में मनु के विषय में कहा गया है कि मनु, मानव जाति के आदिपिता हैं। ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों की परम्परा में आते हैं। मनु से उत्पन्न होने वाली सन्ततियों को मानव कहा गया है, 'मानव्यो हि प्रजाः'। भारतवर्ष में सर्वप्रथम मनु ने ही यज्ञ परम्परा का विकास किया था। महाभारत के शान्ति पर्व में मनु को स्वायम्भुव मनु, प्राचेतस मनु आदि कहा गया है। नारद स्मृति के अनुसार मनु ने मानव धर्मसूत्र (मानव धर्मशास्त्र) की रचना की थी। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय तथा 2684 श्लोक हैं। लुई जैकोलिऑट (Louis Jacolliot) की पुस्तक The Bible in India- Hindoo Origin of Hebrew and Christian Revelation में उल्लेख है कि "मनुस्मृति ही वह आधारशिला है,

जिसके ऊपर मिस्र, पर्शियन, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ है। "वर्तमान में भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। मनुस्मृति की गणना विश्व के ऐसे ग्रन्थों में की जाती है, जिससे मानव ने वैयक्तिक आचरण और समाज निर्माण की प्रेरणा प्राप्त की है। मनुस्मृति भारतीय आचारसंहिता का विश्वकोश है-, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम, वर्ण, राजधर्म व प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख है। मनुस्मृति में व्यक्तिगत चित्तशुद्धि से लेकर सम्पूर्ण समाज व्यवस्था का वर्णन है, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। मनु ने समाज में स्त्रियों का उच्च स्थान, कभी शोक नहीं करने, सदैव प्रसन्न रखने और संपत्ति में विशेष अधिकार देने का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है- यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतां। यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥ न शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् । न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता। तानि कृत्याह्वतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनै। भूतिकामैर्नैर्नित्यं सत्कारेषून्सवेषु च॥ सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भत्रा भार्या तथैव च। यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ (3.56-60)। मनु ने राज्य के कुशल सञ्चालन के लिए सर्वप्रथम सप्तांग सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था- स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्तथा। सप्त प्रकृतयो ह्योताः सप्ताङ्गं राज्यं मुच्यते॥ (9.294) अर्थात् राजा, मन्त्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दण्ड और मित्र राज्य के सात अङ्ग हैं। ये सात अङ्ग, राज्यरूपी शरीर की सात प्रकृतियाँ हैं। इनके अभाव में राज्य सञ्चालन की कल्पना करना कठिन है।

याज्ञवल्क्य- याज्ञवल्क्य एक ऋषि और दार्शनिक के साथ- साथ एक समाजशास्त्री भी थे। याज्ञवल्क्य, आचार्य वैशम्पायन के शिष्य और राजा जनक के गुरु थे। शास्त्रों में इनको 'वाजसनेय' भी कहा गया है। याज्ञवल्क्य को 'नेति नेति' (यह नहीं, यह भी नहीं) के सिद्धान्त का प्रवर्तक भी माना जाता है। राहुल सांस्कृतायन ने अपनी पुस्तक "वोल्गा से गंगा" में उल्लेख किया है कि याज्ञवल्क्य और जैवलि ने उपनिषदों के विकास और समाज में उनको प्रतिष्ठित करने का कार्य किया था। याज्ञवल्क्य की प्रमुख कृति 'याज्ञवल्क्य स्मृति' और 'याज्ञवल्क्य शिक्षा' है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा टीका का प्रयोग भारतीय न्यायालयों में प्रमाण के रूप में किया जाता है।

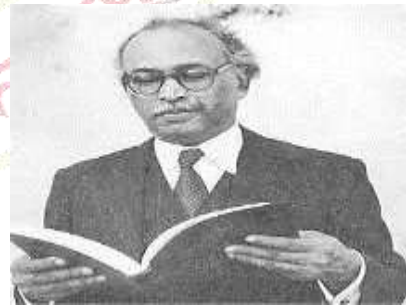
नारद- नारद, ब्रह्माजी के मानस पुत्र हैं। शास्त्रों में नारद को ईश्वर का मन कहा गया है। नारद का समाज के सभी वर्गों में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। समय-समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद की महत्ता को स्वीकार करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता कहा है- देवर्षीणाम् च नारदः।(10.16) देवर्षियों में मैं नारद हूँ। महाभारत के सभापर्व के पाँचवें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि देवर्षि नारद वेद, उपनिषदों, इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, पूर्व कल्पज्ञ,

न्याय एवं धर्म के तत्त्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान, संगीत-विशारद, महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता हैं। नारद की प्रमुख कृतियाँ नारद पञ्चरात्र और नारद स्मृति हैं। नारद स्मृति में सामाजिक कार्य प्रणाली, जैसे- न्याय, ऋणाधान, सहकारिता, दत्ताप्रदानिक (अनुबन्ध तोड़ना), उपनिधि (जमानत), अभ्युपेत्य-अशुश्रूषा (सेवा अनुबन्ध को तोड़ना), वेतनस्य अनपाकर्म (वेतन नहीं देना) आदि का उल्लेख है।

भारत में आधुनिक समाजशास्त्र विषय का विकास- आधुनिक भारत में समाजशास्त्र के विकास को तीन चरणों में बाँटा गया है- प्रथम चरण का समय 1769 ई.-1900 ई. तक माना जाता है। 1774 ई. में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बङ्गाल की स्थापना को भारत में समाजशास्त्र विषय का प्रारम्भिक रूप माना जाता है। द्वितीय चरण का समय 1901 ई.-1950 ई. तक माना जाता है। समाजशास्त्र विषय को विश्वविद्यालय में अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना मुम्बई विश्वविद्यालय में (1914 ई.) हुई। लखनऊ में राधाकमल मुखर्जी समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बने। इरावती कर्वे की अध्यक्षता में पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत हुई। 1969 ई. में 'इण्डियन काउन्सिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च' की स्थापना हुई। भारतीय विद्वानों का सम्पर्क विश्व के अन्य देशों के विद्वानों से हुआ, जिसके पश्चात प्रकाशन व शोध के क्षेत्र में वृद्धि हुई।

प्रमुख आधुनिक भारतीय समाजशास्त्रीय चिन्तक-

गोविन्द सदाशिव धुर्ये (1893 ई.-1983 ई.)- इनका जन्म 12 दिसंबर, 1893 ई. को मालवन (महाराष्ट्र) में हुआ था। धुर्ये ने मराठी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी एवं विदेश में अध्ययन के लिए भेजा गया था। धुर्ये की प्रमुख रचनाएँ-कास्ट एंड रेस इन इण्डिया, इण्डियन साधूज, 'सिटीज एण्ड सिविलाइजेशन, इण्डियन कॉस्ट्यूम' हैं।



चित्र- 22.5 गोविन्द सदाशिव धुर्ये

धुर्जिट प्रसाद मुखर्जी (1894 ई.-1961 ई.)- धुर्जिट प्रसाद मुखर्जी का जन्म 5 अक्टूबर, 1894 ई. को पश्चिम बङ्गाल में हुआ था। मुखर्जी एक प्रसिद्ध प्रोफेसर व समाजवादी विचारक थे। प्रोफेसर मुखर्जी ने भारत की सामाजिक व्यवस्था को ही उसका निर्णायक व विशिष्ट लक्षण माना है। इनके अनुसार भारत

में सामाजिकता का बाहुल्य है। वास्तव में सामाजिकता की अधिकता, भारत की विशेषता ही है। मुखर्जी ने सामाजिक परम्पराओं व परिवर्तनों को जानने पर विशेष बल दिया था। धुर्जिट प्रसाद मुखर्जी के अनुसार परम्पराओं का अर्थ समाज की प्रथाओं, रीति-रिवाजों, संस्कारों और विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित करना है। परम्पराएँ भारतीय समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु हैं। भारतीय परम्पराओं में परिवर्तन लाने वाले मुख्य सिद्धान्त- श्रुति, स्मृति एवं अनुभव हैं। मॉडर्न इण्डिया कल्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

अक्षय रमनलाल देसाई (1915 ई.-1994 ई.)- अक्षय रमनलाल देसाई का जन्म 26 अप्रैल 1915 ई. को नाडियाड (गुजरात) में हुआ था। 1951 ई. में इनकी नियुक्ति बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र



चित्र- 22.6 अक्षय रमनलाल

विभाग में हुई थी। अक्षय रमनलाल देसाई की प्रमुख रचना 'भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि' और 'भारत में ग्रामीण समाज शास्त्र' हैं। देसाई ने किसान आन्दोलन तथा ग्रामीण समाजशास्त्र, आधुनिकीकरण, नगरीय मुद्दे, राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य का स्वरूप और मानवाधिकार आदि विषयों पर अधिक कार्य किया था। देसाई ने लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है और इसकी

अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है।

एम.एन. श्रीनिवास (1916 ई.-1999 ई.)- मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास का जन्म 16 नवंबर, 1916 ई.

को मैसूर (कर्नाटक) में हुआ था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा मैसूर में होने के पश्चात स्नातकोत्तर की पढ़ाई हेतु मुंबई चले गए थे, जहाँ घुर्ये इनके गुरु थे। 1951 ई. में बड़ौदा में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। भारतीय गाँवों, दक्षिण भारत में जाति व जाति प्रथा, सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण जैसे विषयों पर लेखन कार्य किया था। इनकी प्रमुख रचनाएँ मैरिज एण्ड फैमिली इन मैसूर, विलेज कास्ट जेंडर एण्ड मेथड आदि प्रमुख हैं। बम्बई



चित्र- 22.7 एम.एन. श्रीनिवास

विश्वविद्यालय व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने दो बार डॉक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त की थी। भारतीय समाजशास्त्र में इन्होंने ग्रामीण अध्ययन को प्रभावशाली बनाया था। गाँवों पर इनके द्वारा लिखे गए लेख

दो प्रकार के हैं- पहला, गाँवों में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का नृजातीय व्यौरा व इन व्यौरों पर परिचर्चा तथा दूसरा, भारतीय गाँव सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में कैसे कार्य करते हैं।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1. 'कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक.....ने लिखी।
अ. डी. पी मुखर्जी ब. एम.एन. श्रीनिवास ब. जी. एस. घुर्ये द. एस. सी. दुबे
2. समाज शास्त्र के पिता..... को कहा जाता है।
अ. आगस्ट कॉम्टे ब. चार्ल्स कूले ब. मैक्स वैबर द. कार्ल मार्क्स
3. विश्व का प्रथम नीति निर्माता माना जाता है-
अ. नारद को ब. मनु को स. शुक्राचार्य को द. अग्नि
4. 'वर्ग-संघर्ष' का सिद्धान्त किसने दिया-
अ. मैक्स वैबर ब. एमिल दुर्खीम स. कार्ल मार्क्स द. स्पिनोजा

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. को क्रान्ति के युग की संतान कहा जाता है। (समाजशास्त्र/दर्शनशास्त्र)
2. एम.एन.श्रीनिवास का जन्म प्रान्त में हुआ। (कर्नाटक/केरल)
3. भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना में हुई।
(पुणे विश्वविद्यालय/मुम्बई विश्वविद्यालय)
1. नारद को ब्रह्माजी का.....पुत्र माना जाता है। (मानस/ औरस)

सत्य/असत्य बताइए-

1. फ्रान्सिसी क्रान्ति के समय लुई 16 वाँ फ्रान्स का शासक था। सत्य/असत्य
2. कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भारत में समाजशास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सत्य/असत्य
3. कार्ल मार्क्स को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। सत्य/असत्य
4. विश्व के समाज शास्त्रियों में मनु स्थान सर्वोच्च है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. दास कैपिटल	क. बैबर
2. एजुकेशन एण्ड सोशियोलॉजी	ख. कार्ल मार्क्स
3. रिलीजन ऑफ इण्डिया	ग. याज्ञवल्क्य
4. याज्ञवल्क्य शिक्षा	घ. दुर्खीम

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कौन-कौनसी हैं?
2. 'ज्ञानोदय' से क्या तात्पर्य है?

3. मैक्स वैबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
4. याज्ञवल्क्य किस राजा के समकालीन थे।
5. भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत सर्वप्रथम हुई?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

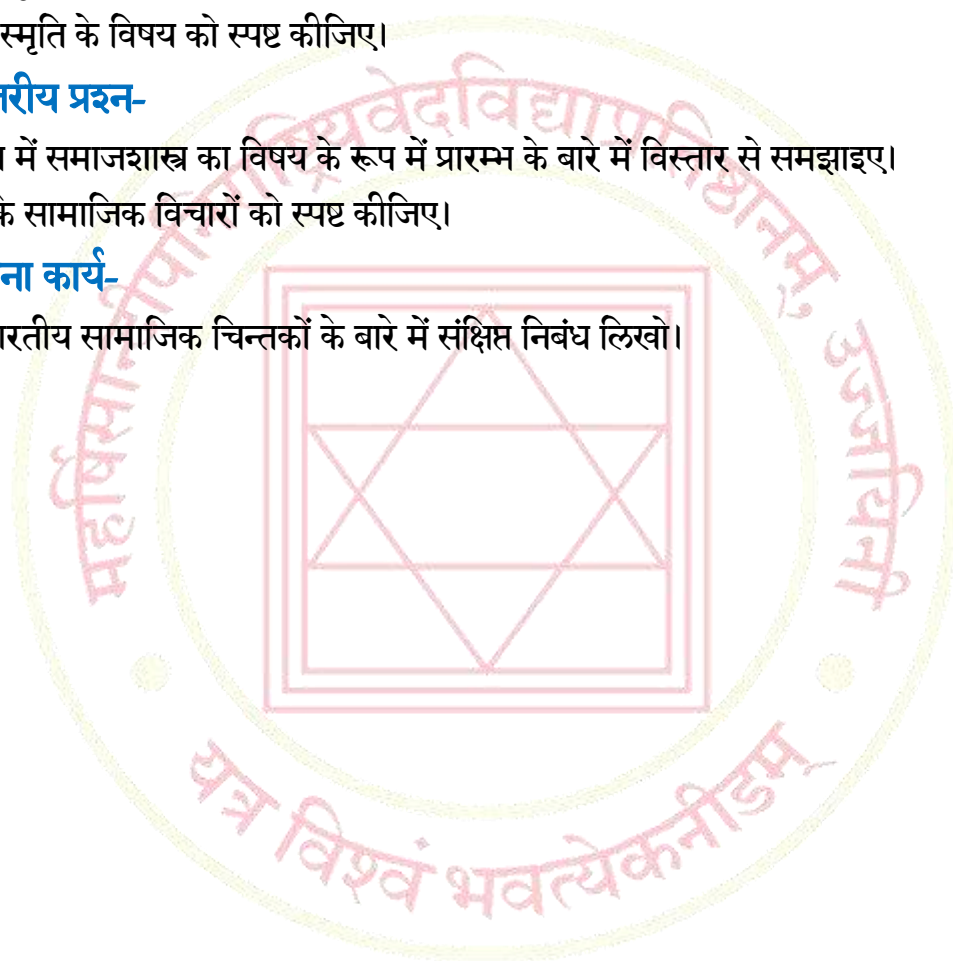
1. भारत में समाजशास्त्र के विकास को कौनसे ती चरणों में बाँटा गया है?
2. डी. पी. मुखर्जी के भारतीय परम्पराओं पर विचारों को लिखिए।
3. 'वर्ग - संघर्ष सिद्धान्त' के बारे में बताइए।
4. एमिल दुर्खीम का परिचय दीजिए।
5. नारद स्मृति के विषय को स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में समाजशास्त्र का विषय के रूप में प्रारम्भ के बारे में विस्तार से समझाइए।
2. मनु के सामाजिक विचारों को स्पष्ट कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. दो भारतीय सामाजिक चिन्तकों के बारे में संक्षिप्त निबंध लिखो।



अध्याय- 23

वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था

इस अध्याय में- शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण, भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख दोष, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ई.।

भारत प्राचीन समय से विश्व शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। हमारे यहाँ औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केन्द्र थे। औपचारिक शिक्षा के केन्द्रों में मठ, मन्दिर, आश्रम व गुरुकुल सम्मिलित थे। इनके अतिरिक्त परिवार, पुरोहित, पण्डित, सन्यासी और त्यौहार प्रसंग आदि के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक विकास क्रम के में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हुई। गुरुकुल प्रायः वनों, उपवनों, गाँवों व नगरों में होते थे। वाल्मीकि, सान्दीपनि, काण्व आदि ऋषियों के आश्रम वनों में स्थित थे। यहाँ वेदों के साथ-साथ दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास तथा समाज शास्त्र का भी अध्ययन-अध्यापन होता था। प्राचीनकाल में तक्षशिला, नालंदा, कान्यकुब्ज (कन्नौज), धारा, तंजौर, काशी, कर्नाटक, नासिक आदि शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र थे। वर्तमान शिक्षा कि यदि बात की जाये तो शिक्षा एक व्यवसाय बन चुकी है, भारत की पारम्परिक शिक्षा प्रणाली पर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली हावी हो गई है।

शिक्षा का वर्तमान स्वरूप- भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जिसे 1835

सारणी 23.1	
आयोग का नाम व अध्यक्ष	स्थापना वर्ष
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग- डॉ. राधाकृष्णन	1948 ई.
माध्यमिक शिक्षा आयोग- लक्ष्मण स्वामी मुदालियर	1952 ई.
माध्यमिक शिक्षा आयोग- दौलत सिंह कोठारी	1964 ई.
प्रथम संस्कृत शिक्षा आयोग- सुनीति कुमार चटर्जी	1956 ई.
द्वितीय संस्कृत शिक्षा आयोग- सत्यव्रत शास्त्री	2014 ई.

ई. में लॉर्ड मैकाले द्वारा लागू किया गया था। उस समय लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन के लिए बिचौलियों की भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के

लिए भारत में विशिष्ट वर्गों को तैयार करना है। 1968 ई. में देश में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इस शिक्षा नीति में शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर, उनको देश का आदर्श

नागरिक बनाना था। भारत में दूसरी शिक्षा नीति 1986 ई. में लागू की गई, जिसे 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। आज हम देखते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का डिजिटलीकरण हो गया है। डिजिटल शिक्षण में पीपीटी, वीडियो प्रस्तुतियाँ, ई-लर्निंग विधियों, अभ्यास सम्बन्धी डेमो, ऑनलाइन प्रशिक्षण और अन्य डिजिटल पद्धतियों या प्लेटफार्मों के उपयोग के साथ कक्षा में शिक्षण अत्यधिक संवादात्मक हो गया है।

भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण-

- 1 **मानसिक और बौद्धिक विकास-** शिक्षा व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति में नये-नये विचारों का सृजन होता है। शिक्षा व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास में सहायक है। शिक्षा से व्यक्ति में दया, प्रेम, करुणा, विश्वास व त्याग, राष्ट्रीयता, बन्धुत्व की भावनाएँ पैदा होती हैं। इसी के माध्यम से वह अपनी परम्परा, आदर्शों व जीवन मूल्यों से जुड़ता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में चिंतन, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक विधियों का विकास होता है।
- 2 **राजनीतिक व सामाजिक नियमों की समझ-** शिक्षा, व्यक्ति को सम्पूर्ण बनाती है, जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क में नये-नये विचारों का जन्म होता है और वह समाज व राष्ट्र के लिए योगदान देता है। जिस प्रकार नियम व कानूनों के अभाव में कोई राज्य व्यवस्थित नहीं चल सकता है, उसी प्रकार कोई भी समाज नियमों के बिना नहीं चल सकता है। नियम समाज की रीढ़ का कार्य करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा राजनीतिक व सामाजिक नियमों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- 3 **तार्किक शक्ति का विकास-** तार्किक शक्ति या तार्किक चिन्तन एक मानसिक प्रक्रिया है। शिक्षा ही वह माध्यम है, जो मानव में तार्किक शक्ति को उत्पन्न करती है। इससे मानव की मानसिक शक्ति को दृढ़ता प्राप्त होती है। व्यक्ति में किसी प्रश्न या समस्या पर तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास शिक्षा के द्वारा होता है।
- 4 **व्यक्तित्व विकास में सहायक-** शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का चारित्रिक व व्यक्तित्व विकास है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास का विकास होता है। उपनिषदों में बताया गया है कि बिना शिक्षा के मानव को पशु तुल्य माना गया है।
- 5 **सामाजिक समानता पर आधारित शिक्षा-** सामाजिक सद्भावना के विकास के लिए आधुनिक शिक्षा में यह व्यवस्था की गई है कि समाज का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रह जाए। आशय यह है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

- 6 **बहुमाध्यम वाली शिक्षा पद्धति-** आजकल मल्टीमीडिया (बहुमाध्यम) शिक्षा का प्रचलन है, जिसमें श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यह एक उचित कदम है, किन्तु इसके साथ-साथ विद्यार्थी वर्ग की रूचि की विविधता को ध्यान में रखना होगा।

आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोष- आज हम जो शिक्षा प्रणाली अपनाये हुए हैं उसका सम्बन्ध केवल किताबी ज्ञान से है। इस शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि छात्र का लक्ष्य केवल डिग्री प्राप्त करना है। आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं-

1. **व्यावसायीकरण-** वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया है। शिक्षा के आधुनिकीकरण से हमारे सनातनी संस्कार गायब से हो गए हैं। बालक के साथ-साथ उसके अभिभावक का भी प्रवेश के समय साक्षात्कार लिया जाता है। निजी क्षेत्र की संस्थाओं का एकमात्र लक्ष्य आर्थिक लाभ और ऊँची साख प्राप्त करना होता है। इसके लिए शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धक विविध प्रकार के विज्ञापन कर, अनेक प्रकार के भौतिक आकर्षण जैसे – स्वीमिंग, राइडिंग आदि सिखाने का लोभ देते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश स्कूलों में बाहरी दिखावा और भीतरी खोखलापन होता है।
2. **रचनात्मकता का अभाव-** वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक दोष यह भी है कि इसमें रचनात्मकता का अभाव है। बालकों को छोटी-छोटी कक्षाओं में विशाल पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है, जिससे उनको यह पढ़ाई नीरस लगने लगती है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में बालक का बचपन खो सा गया है। अभिभावकों की मानसिकता केवल यही है कि उनके बच्चे पढ़ – लिखकर डॉक्टर-इंजीनियर बनें, भले ही उनका बौद्धिक स्तर व रूचि उसमें न हो। हमें शिक्षा में नये-नये प्रयोग करके बालकों की रचनात्मकता और सृजनात्मकता की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है।
3. **अप्रायोगिक शिक्षा प्रणाली-** वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रायः सैद्धान्तिक ज्ञान की बहुलता और प्रायोगिक ज्ञान का अभाव है। बालकों को सैद्धान्तिक शिक्षा के साथ – साथ प्रायोगिक ज्ञान की महती आवश्यकता है। महात्मा गाँधी की बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण व बहुमूल्य है। कोई भी शिक्षा तभी प्रभावी बन सकती है, जब वह प्रायोगिक और बुनियादी हो। बालकों को विद्यालयों व ट्यूशन में इतना अधिक गृहकार्य दिया जाता है कि वे शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव करते हैं, जिसके कारण उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है।

4. **असमग्र शिक्षा-** असमग्र शिक्षा का आशय शिक्षा की अपूर्णता है। शिक्षार्थी के जीवन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा विविध विषयों की शिक्षा प्राप्ति में व्यतीत होने पर भी वह विषय-विशेष में पारंगत नहीं हो पाता है। अतः असमग्रता वर्तमान शिक्षा पद्धति का प्रमुख दोष है।
5. **शिक्षा का शहरीकरण-** आज शिक्षण-संस्थान एकांत स्थानों, वनों और प्राकृतिक स्थलों से दूर होते जा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों का केन्द्रीकरण बड़े नगरों में होने के कारण शिक्षा अत्यधिक महँगी हो गई है। छात्र इन नगरों में अध्ययन के पश्चात वहीं नौकरी प्राप्त कर, निवास करने लगते हैं। इस प्रकार लोग धीरे-धीरे ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं।
6. **परीक्षा प्रणाली-** वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परीक्षा-पद्धति भी पूर्णतया उपयुक्त नहीं हैं। वर्तमान परीक्षा-पद्धति व्यक्तित्व की समग्र जाँच करने में अक्षम है। छात्र गाइड, कुंजी, संभावित प्रश्नोत्तरी का प्रयोग कर परीक्षा में सफल हो जाता है, इससे उसके व्यक्तित्व का हास ही होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ई.- आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के दोषों में सुधार के लिए देश में अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020 ई. को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' लागू की गई है। यह 1986 ई. में जारी भारतीय शिक्षा नीति के बाद पहला परिवर्तन है। इसके लिए सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन (सन् 2017) में किया था। इस समिति द्वारा शिक्षा एक नया प्रारूप तैयार किया गया, जिसे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार के मन्त्रिण्डल (कैबिनेट) द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति में आँगनवाड़ी, स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई परिवर्तन किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधान-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाँचवी कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में बालकों को शिक्षा दी जाएगी। इसे बाद में कक्षा आठ तक भी बढ़ाया जा सकता है।
- स्कूल पाठ्यक्रम के पुराने ढांचे 10 + 2 + 3 के स्थान पर अब 5 + 3 + 3 + 4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 व 14-18 की आयु के बच्चों के लिए हैं। इसमें अब तक दूर रखे गए 3-6 वर्ष के बालकों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है।
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में प्री-स्कूलिंग(तीन साल की आँगनवाड़ी) के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। इसके तहत बालकों की शुरुआती स्टेज के लिए 3 साल की प्री-प्राइमरी और पहली तथा

दूसरी कक्षा को रखा गया है। अगली स्टेज में तीसरी, चौथी और पाँचवी कक्षा को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6-8 तथा अन्त में माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9-12 को रखा गया है।

- मानव संसाधन विकास मन्त्रालय का नाम शिक्षा मन्त्रालय किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अन्तर्गत लाया जाएगा।
- इस शिक्षा नीति में बच्चों में जीवन जीने के कौशल (life Skills) और जरूरी क्षमताओं को विकसित करने पर बल दिया गया है।
- वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जीईआर (Gross Enrolment Ratio) के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल (सबके लिए शिक्षा) का लक्ष्य रखा गया है।
- बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यन्त जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए एनईपी-2020 में विशेष जोर दिया गया है।
- NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए प्रारम्भिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा विकसित करेगा।
- स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येत्तर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच विशेष अन्तर नहीं किया जाएगा।
- सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य है, जो अभी 4.43 प्रतिशत है।
- कक्षा 6 से व्यावसायिक कोर्स शुरू किये जाएँगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को कक्षा 6 के बाद से ही इंटरनेशिप करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त संगीत, योग, शिल्प, खेल, सामुदायिक सेवा और कला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी।
- ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएँगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही हैं और एक राष्ट्रीय शिक्षा टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनाया जा रहा है।
- भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न केवल राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चों में अपनी पहचान एवं अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता एवं अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित किया जाएगा।

- भारत, संस्कृति का समृद्ध भण्डार है, जो हजारों वर्षों में विकसित हुई थी। भारत की इस सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार किया जाएगा।
- आदिवासी ज्ञान प्रयोग एवं सीखने के स्वदेशी और पारम्परिक तरीकों को शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा और भारतीय ज्ञान प्रणाली में उपलब्ध ज्ञान गणित, खगोल विज्ञान, योग, दर्शन, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, वाङ्मय, खेल के साथ-साथ शासन, राजव्यवस्था, संरक्षण आदि विषयों को भी शिक्षा में शामिल किया जाएगा।
- विद्यार्थियों को कम उम्र में सही को करने के महत्त्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढाँचा विकसित किया जाएगा।
- संस्कृत भाषा के वृहद् एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के वाङ्मय, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। सरल मानक संस्कृत में पाठ्यसामग्री भी बनाने पर जोर दिया जाएगा।
- संस्कृत को त्रि-भाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। इस शिक्षा नीति में हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का समायोजन कर, इसे भौतिकवादी के स्थान नैतिक बनाने के प्रयास किए गए हैं। यह शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के समग्र विकास पर केन्द्रित है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए गठित विभिन्न आयोग

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1. भारत में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' लागू.....का गई -

अ. 29 जून 2020	ब. 29 जुलाई 2020
स. 29 अगस्त 2020	द. 29 सितम्बर 2020
2. बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास..... होता है।

अ. खेलकूद से	ब. अच्छी आदतों से
स. शिक्षा से	द. उपर्युक्त सभी से

4. वर्तमान शिक्षा प्रणाली के 3 दोष कौन-कौन से हैं ?
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

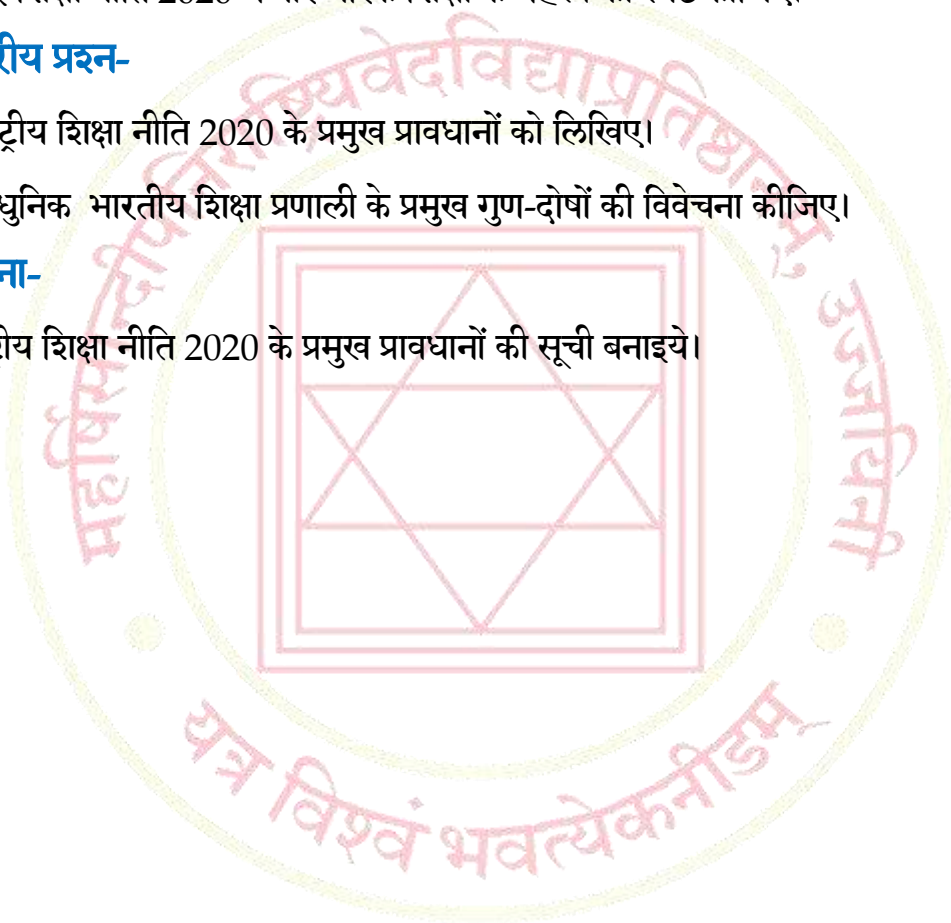
1. लॉर्ड मैकाले के अनुसार भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य था ?
2. औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं ?
3. शिक्षा के व्यावसायीकरण से आप क्या समझते हैं ?
4. नई शिक्षा नीति 2020 में पारम्परिक शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए।
2. आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।

परियोजना-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों की सूची बनाइये।

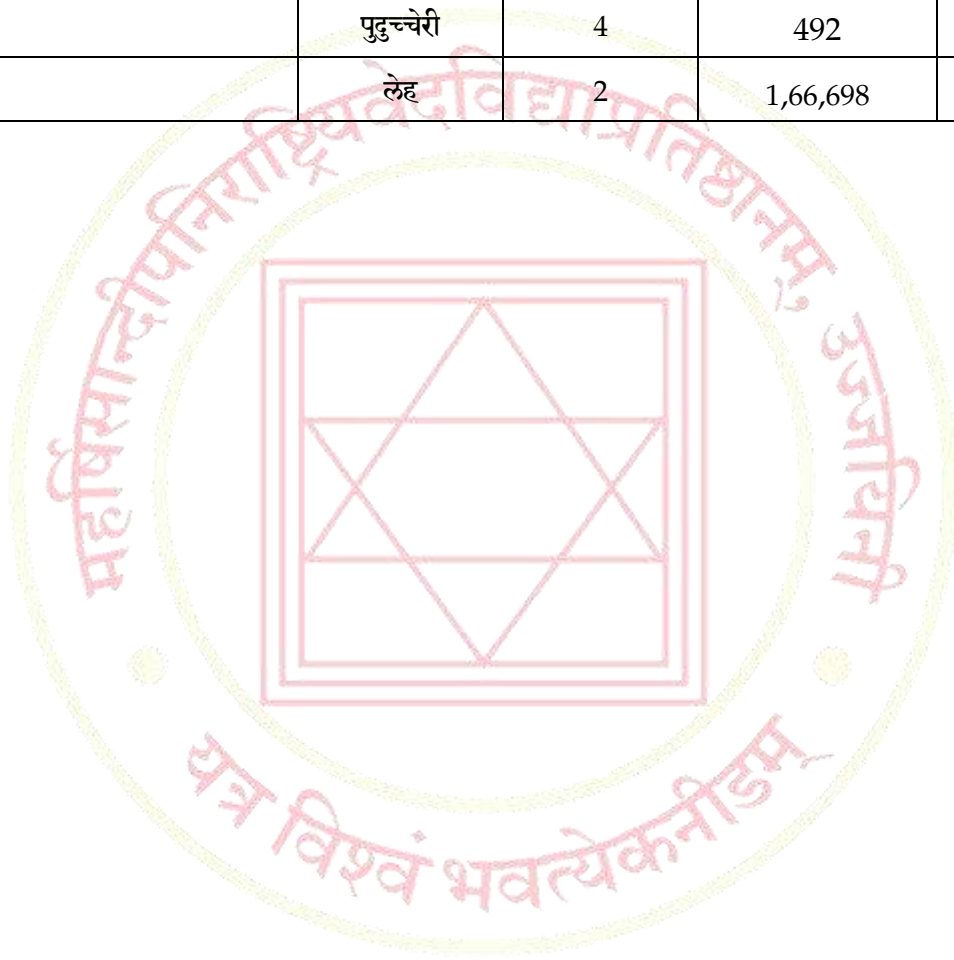


परिशिष्ट

राज्य, उनकी राजधानी, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

क्र.	राज्य	राजधानी	जिलों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	जनसंख्या
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	26	2,75,060	8,46,53,533
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	19	83,743	13,82,611
3.	असम	दिसपुर	35	78,438	3,11,69,272
4.	बिहार	पटना	38	94,163	10,38,04,637
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	32	1,36,034	2,55,40,196
6.	गोवा	पणजी	02	3,702	14,57,723
7.	गुजरात	गाँधी नगर	35	1,96,024	6,03,83,628
8.	हरियाणा	चंडीगढ़	22	44,212	2,53,53,081
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	12	55,673	68,56,509
10.	झारखण्ड	राँची	24	79,714	3,29,66,238
11.	कर्नाटक	बंगलोर	30	1,91,791	6,11,30,704
12.	केरल	तिरुवनन्थपुरम्	14	38,863	3,33,87,677
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल	50	3,08,000	7,25,97,565
14.	महाराष्ट्र	मुंबई	36	3,07,713	11,23,72,972
15.	मणिपुर	इम्फाल	09	22,327	27,21,756
16.	मेघालय	शिलांग	11	22,327	29,64,007
17.	मिजोरम	आइजौल	08	21,081	10,91,014
18.	नागालैंड	कोहिमा	12	16,579	19,80,602
19.	ओडिशा	भुवनेश्वर	30	1,55,707	4,19,47,358
20.	पंजाब	चंडीगढ़	23	50,362	2,77,04,236
21.	राजस्थान	जयपुर	33	3,42,239	6,86,21,012
22.	सिक्किम	गंगटोक	04	7,096	6,07,688
23.	तमिलनाडु	चेन्नई	38	1,30,058	7,21,38,958
24.	त्रिपुरा	अगरतला	08	10,49,169	36,71,032
25.	उत्तराखण्ड	देहरादून	13	53,484	1,01,16,752
26.	उत्तरप्रदेश	लखनऊ	75	2,38,566	19,95,81,477
27.	पश्चिम बङ्गाल	कोलकाता	23	88,752	9,13,47,736
28.	तेलंगाना	हैदराबाद	33	1,14,840	3,51,93,978

क्रं.	केन्द्र शासित राज्य	राजधानी	जिलों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	जनसंख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	3	8,249	3,79,944
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1	114	10,54,686
3.	दादर और नागर हवेली दमन और दीव	दमन	3	603	5,85,764
4.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	20	2,22,236	1,25,00,000
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	9	1,483	1,67,53,235
6.	लक्षद्वीप	कवरत्ती	1	32	64,429
7.	पुदुच्चेरी	पुदुच्चेरी	4	492	12,44,464
8.	लद्दाख	लेह	2	1,66,698	2,74,289



वेद विभूषण परीक्षा / Vedavibhushan Exam
वेद विभूषण प्रथम वर्ष / उत्तरमध्यमा- I / कक्षा ग्यारहवीं
आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper
विषय- सामाजिक विज्ञान
सेट -A

- सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
- सभी प्रश्न के उत्तर पेपर में यथास्थान पर ही लिखें।
- इस प्रश्न पत्र में कुल 42 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक दिये गये हैं।
- उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 40% अंक निर्धारित हैं।
- It is mandatory to attempt all questions compulsorily.
- Write down the answers at the appropriate places provided
- This question paper contains 42 questions Marks for each question is shown on the side.
- The minimum passing marks is 40 %.

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1×10=10

1. अमरकोष में पृथिवी के.....नाम बताये गये हैं।

अ. 13

ब. 22

स. 27

द. 33

2. निम्न में से जलवायु परिवर्तन का मानवीय कारण..... है।

अ. भूस्खलन

ब. महाद्वीपीय संवहन

स. वनों की कटाई

द. ज्वालामुखी

3. मेसोपोटामिया वर्तमान में.....देश में स्थित है।

अ. ईरान

ब. इराक

स. सउदी अरब

द. भारत

4. निम्न में से रथयात्रा के लिए.....प्रसिद्ध है।

अ. सोमनाथ मन्दिर

ब. जगन्नाथ मन्दिर

स. देलवाड़ा जैन मन्दिर

द. सूर्य मन्दिर

5. वास्कोडिगामा भारत के कालीकट तट पर.....में पहुँचा था।
 अ. 1492 ई. ब. 1498 ई. स. 1506 ई. द. 1527 ई.
6. भारत में.....संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है।
 अ. प्रधानमन्त्री ब. राष्ट्रपति स. मंत्रिपरिषद् द. उपराष्ट्रपति
7. संविधान के.....राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है।
 अ. अनुच्छेद 124 ब. अनुच्छेद 130
 स. अनुच्छेद 214 द. अनुच्छेद 219
8. भारत में नई आर्थिक नीति.....लागू की गई थी।
 अ. 1988 ई. ब. 1991 ई. स. 1992 ई. द. इनमें से कोई नहीं
9. निम्न में मानव पूँजी में.....शामिल है-
 अ. वन्य जीव ब. उद्योग स. डॉक्टर द. इनमें से कोई नहीं
10. समाजशास्त्र का जनक.....को कहा जाता है।
 अ. आगस्ट कॉम्टे ब. चार्ल्स कूले स. मैक्स वैबर द. कार्ल मार्क्स
- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-** $2 \times 5 = 10$
11. अवसादी शैलों को शैले भी कहते हैं। (कायान्तरित/परतदार)
12. टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक थी। (इण्डिका/अल्मागेस्ट)
13. भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता.....में हुआ था। (1954 ई./1964 ई.)
14. वर्तमान में योजना आयोग का नाम.....है। (नीति आयोग/सेवा आयोग)
15. स्वतन्त्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति..... लागू की गई थी। (1968 ई./1956 ई.)
- सत्य-बताइए असत्य/** $2 \times 5 = 10$
16. समताप मण्डल का तापमान समान रहता है। सत्य/असत्य
17. मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों के मध्य स्थित है। सत्य/असत्य
18. मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। सत्य/असत्य
19. भारत में सर्वप्रथम सम्पूर्ण जनगणना 1881 ई. में हुई थी। सत्य/असत्य
20. विश्व पर्यावरण दिवस 1 जून को मनाया जाता है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान -

$2 \times 5 = 10$

21. वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम	(क) 1999 ई.
22. जल शक्ति मन्त्रालय का गठन	(ख) 1946 ई.
23. अमेरिका की खोज	(ग) 1972 ई.
24. भारतीय संविधान सभा का गठन	(घ) 2019 ई.
25. भारत की लाहौर बस यात्रा	(ङ.) 1492 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

$2 \times 10 = 20$

26. वायुमण्डल में प्रमुख गैसों कौन-कौन सी हैं ?
27. चक्रवात किसे कहते हैं ?
28. किन्हीं तीन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के नाम लिखिये।
29. पाषाणकाल किसे कहते हैं।
30. औद्योगिक क्रांति का आरम्भ किस देश में हुआ था ?
31. यज्ञ किसे कहते हैं ?
32. नगर निगम का निर्वाचित मुखिया कौन होता है ?
33. स्वास्थ्य से क्या आशय है ?
34. पर्यावरण से क्या तात्पर्य है ?
35. कारगिल युद्ध कब हुआ था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

$4 \times 5 = 20$

36. भूस्खलन के प्रमुख कारण बताइये।
37. कोलम्बस की समुद्री यात्रा का उल्लेख कीजिए।
38. ओडिसा के जगन्नाथ मन्दिर की कोई चार विशेषताएँ बताइये।
39. राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए आवश्यक योग्यताएँ बताइए।
40. मानव पूंजी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

$10 \times 2 = 20$

41. वायुमण्डल की संरचना को विस्तार से समझाइये।
42. प्राकृतिक विरासत किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए।

वेद विभूषण परीक्षा / Vedavibhushan Exam
वेद विभूषण प्रथम वर्ष / उत्तरमध्यमा- I / कक्षा ग्यारहवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय- सामाजिक विज्ञान

सेट – B

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1×10 =10

1. पृथिवी की उत्पत्ति सम्बन्धी 'द्वैतारक सिद्धान्त' के प्रतिपादक..... है।

अ. शिमिड

ब. रसेल

स. लाह्लेस

द. एडविन हब्ल

2. महाविस्फोट (बिग बैंग) की घटना लगभग..... हुई थी।

अ. 13.7 अरब वर्ष पूर्व

ब. 4.56 अरब वर्ष पूर्व

स. 44 करोड़ वर्ष पूर्व

द. इनमें से कोई नहीं

3. भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं भारत के..... राज्य में स्थित हैं।

अ. गुजरात

ब. छत्तीसगढ़

स. मध्य प्रदेश

द. राजस्थान

4. इंग्लैंड और फ्रान्स के मध्य सौ वर्षीय युद्ध..... हुआ था।

अ. 1193 ई.-1293 ई.

ब. 1338 ई.-1461 ई.

स. 1492 ई.-1590 ई.

द. इनमें से कोई नहीं

5. गैलीलियो द्वारा रचित ग्रन्थ..... है।

अ. दि मोशन

ब. कास्मोग्राफिकल मिस्ट्री

स. यूटोपिया

द. नाइन्टी फाइव थिसिस

6. भारतीय संविधान को..... अंगीकृत किया गया था।

अ. 26 नवम्बर, 1949

ब. 26 जनवरी, 1950

स. 15 अगस्त, 1947

द. 30 जनवरी, 1948

7. लोकसभा की प्रथम बैठक..... को हुई थी।

अ. 2 अप्रैल 1952 ई.

ब. 5 जुलाई 1951 ई.

स. 13 मई 1952 ई.

द. 5 मार्च 1952 ई.

8. सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम.....किया था।

अ. हरबर्ट स्पेन्सर

ब. कॉम्टे

स. दुर्खीम

द. मैक्स वेबर

9. चिपको आन्दोलन.....प्रारम्भ हुआ था।

अ. 1970 ई.

ब. 1971 ई.

स. 1972 ई.

द. 1973 ई.

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020.....लागू की गई।

अ. 29 जून 2020

ब. 29 जुलाई 2020

स. 29 मार्च 2020

द. 29 मई 2020

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

2 × 5 = 10

11. सुनामी आपदा है।

(मानवजनित/प्राकृतिक)

12. शक्ति पीठों की संख्या है।

(52/53)

13. संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है।

(प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति)

14. भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।

(कृषि/पशुपालन)

15. पौधे मानव को प्रदान करते हैं।

(नाइट्रोजन/ऑक्सीजन)

सत्य-बताइए असत्य/

2 × 5 = 10

16. सौरमण्डल में वर्तमान में 9 ग्रह हैं।

सत्य/असत्य

17. पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकम्प कहते हैं।

सत्य/असत्य

18. नागर व द्रविड शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहते हैं।

सत्य/असत्य

19. ग्राम पञ्चायत का मुखिया प्रधान कहलाता है।

सत्य/असत्य

20. विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी।

सत्य/असत्य

सहीजोड़ी- मिलान-

2 × 5 = 10

21. बद्रीनाथ

(क) ओडिशा

22. द्वारका

(ख) तमिलनाडु

23. जगन्नाथपुरी

(ग) उत्तराखण्ड

24. त्र्यम्बकेश्वर

(घ) गुजरात

25. रामेश्वरम्

(ङ) महाराष्ट्र



अतिलघु उत्तरीय प्रश्न-

$2 \times 10 = 20$

26. अपरदन से क्या आशय है ?
27. महासागरीय धाराएँ किसे कहते हैं ?
28. मंगोल कौन थे ?
29. कोणार्क के सूर्य मन्दिर का निर्माण किसने करवाया था ?
30. सप्त मोक्षपुरियों का नामोल्लेख कीजिए।
31. संविधान की आत्मा किसे कहा गया है ?
32. भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखिये।
33. श्रमिक से क्या आशय है ?
34. सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं ?
35. कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

$4 \times 5 = 20$

36. जैव-विविधता के संरक्षण के उपाय बताइये।
37. ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं ?
38. नहरों और रेलवे के सापेक्षिक लाभों का वर्णन कीजिए।
39. स्वतन्त्र भारत में स्थानीय शासन के विकास का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
40. पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के बारे में बताइये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

$10 \times 2 = 20$

41. संसद के कार्यों का उल्लेख कीजिए।
42. भारत की स्थिति व आकार पर विस्तार से प्रकाश डालिये।



वेद विभूषण परीक्षा / Vedavibhushan Exam
वेद विभूषण प्रथम वर्ष / उत्तरमध्यमा- I / कक्षा ग्यारहवीं
आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper
विषय- सामाजिक विज्ञान
सेट – C

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1×10=10

1. ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम.....ने किया था।
अ. गैलिलियो
ब. अरस्तू
स. इरेटोस्थेनीज
द. हेरोडोटस
2. बिगबैङ्ग सिद्धान्त का प्रतिपादन..... किया था।
अ. जार्ज लैमेत्रे
ब. कार्ल मार्क्स
स. मोल्टन
द. हेरोडोटस
3. वायु मण्डल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग.....है।
अ. 21%
ब. 11
स. 78%
द. 29%
4. जलवायु वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति.....की देन है।
अ. व्लादमीर कोपेन
ब. निकोलस द्वितीय
स. वी. जॉनसन
द. कॉपरनिकस
5. जल नीति बनाने वाला पहला राज्य..... है।
अ. गोवा
ब. तमिलनाडु
स. मेघालय
द. पश्चिम बंगाल
6. केदारनाथ में भूयंकर बाढ़ व भू-स्खलन.....हुआ था।
अ. जून 2012 में
ब. जून 2013 में
स. जून 2014 में
द. जून 2015 में
7. प्रथम अफीम युद्ध (1839 ई.-1842 ई.).....के मध्य हुआ था।
अ. चीन-ब्रिटेन
ब. चीन-जापान

- स. भारत-पाकिस्तान द. जापान-रुस
8. कंदरिया महादेव मन्दिर.....में स्थित है।
 अ. उज्जैन ब. खजुराहो
 स. मैहर द. देवास
8. प्रसिद्ध संस्कृत काव्य नैषधचरितम्.....की रचना है।
 अ. कालिदास ब. श्री हर्ष
 स. माघ द. दण्डी
9. देश में कुल श्रमबल के.....लोग संगठित क्षेत्रक में कार्यरत हैं।
 अ. 94% ब. 60%
 स. 9.7% द. 24%
10. 'कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक के लेखक.....हैं।
 अ. डी. पी मुखर्जी ब. एम.एन. श्रीनिवास
 स. जी. एस. घुर्ये द. एस. सी. दुबे
- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-** 2 × 5 = 10
11. ज्योग्राफी का जनक.....को कहा जाता है। (इरेटॉस्थनीज/मेगस्थनीज)
 12. वायु मण्डल की सबसे निचली परत को.....मण्डल कहा जाता है। (समताप/क्षोभ)
 13. ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना.....में हुई। (भारत/इंग्लैण्ड)
 14. बेसर शैली को.....शैली भी कहा जाता है। (चालुक्य/नागर)
 15. संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद.....में है। (368/352)
- सत्य-बताइए असत्य/** 2 × 5 = 10
16. अभ्रक एक धात्विक खनिज है। सत्य/असत्य
 17. लवणता समुद्री जल का प्रमुख गुण है। सत्य/असत्य
 18. रोम साम्राज्य में दास प्रथा का बोलबाला था। सत्य/असत्य
 19. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सत्य/असत्य
 20. भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17% निवास करता है। सत्य/असत्य
- सहीजोड़ी- मिलान कीजिए -** 2 × 5 = 10
21. पञ्चायतीराज व्यवस्था का आरम्भ (क) 1968 ई.

22. पद्मनाभ स्वामी मन्दिर का जीर्णोद्धार (ख) 1972 ई.
 23. वन्य जीव सुरक्षा (संरक्षण) अधिनियम (ग) 2015 ई.
 24. नीति आयोग का गठन (घ) 1750 ई.
 25. प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई (ङ) 1959 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

2× 10 = 20

26. पारिस्थितिकी से क्या आशय है ?
 27. चक्रवात किसे कहते हैं ?
 28. आदिमानव औजारों के निर्माण में किसका प्रयोग करता था ?
 29. मोनालिसा किसकी कृति है ?
 30. श्रुति से क्या आशय है ?
 31. भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है ?
 32. स्थानीय शासन से क्या आशय है ?
 33. हरित क्रान्ति से क्या आशय है ?
 34. पर्यावरण में जैविक घटक किसे कहते हैं ?
 35. बांग्लादेश को स्वतन्त्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली थी ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

4 × 5 = 20

36. चन्द्रमा की उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
 37. अपक्षय के महत्व का उल्लेख कीजिए।
 38. भारत-नेपाल सम्बन्ध पर टिप्पणी लिखिए।
 39. उदारीकरण आप क्या समझते हैं ?
 40. निर्धन किसे कहते हैं ? सोदाहरण समझाइये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

10× 2 = 20

41. पृथिवी की उत्पत्ति सम्बन्धी महाविस्फोट सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए।
 42. वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को समझाइए।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

द्वारा सञ्चालित एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - ४५६००६ (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in



अध्याय- 1

पृथिवी की उत्पत्ति और विकास

इस अध्याय में- भूगोल का अर्थ, क्षेत्र, भूगोल का सामाजिक विज्ञान से सम्बन्ध, भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से सम्बन्ध, भूगोल अध्ययन के उपागम, भौतिक भूगोल का महत्त्व, पृथिवी की उत्पत्ति के सिद्धान्त, पृथिवी का उद्भव और विकास, पृथिवी पर जीवन।

भूगोल का अर्थ- भूगोल शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों, भू+गोल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ 'गोल पृथिवी' है। भूगोल को अंग्रेजी भाषा में Geography कहते हैं। Geography शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्दों Geo (पृथिवी)+Graphs (वर्णन) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पृथिवी का वर्णन या अंकन करना है। प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान् 'इरेटोस्थेनीज' (276-194 ई. पूर्व) ने सर्वप्रथम Geographia (भूगोल) को एक विशिष्ट धरातलीय विज्ञान के रूप में मान्यता दी थी। अतः 'इरेटोस्थेनीज' को भूगोल का जनक कहा जाता है। वर्तमान समय में भूगोल का अर्थ 'पृथिवी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक (Spatial), सामयिक (Temporal) तथा विभिन्नताओं (Variations) का अध्ययन करने वाला विषय है'।

Geo शब्द संस्कृत भाषा के 'ज्या' से बना है। अमरकोष के द्वितीय काण्ड में उल्लिखित पृथिवी के 27 नामों में एक नाम 'ज्या' भी है, जो ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से पृथिवी का बोध कराता है। पृथिवी को महाभारत के शान्ति पर्व में पद्मरूप बताया गया है। यह एक स्थाई सत्य है, जो वैदिक मनीषियों को आरम्भ से ही ज्ञात था। वैदिक वाङ्मय के अनुसार राजा पृथु वेन ने ही उबड़-खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया था इसीलिये भूमि को पृथिवी भी कहा जाता है।

भूगोल की परिभाषा-

रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार- "भूगोल का उद्देश्य धरातल की क्षेत्रीय या प्रादेशिक भिन्नताओं का वर्णन और व्याख्या करना है"।

अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार- "भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से सम्बन्धित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है"।

भूगोल का क्षेत्र- भूगोल विषय के अन्तर्गत मानव और भौतिक वातावरण के बीच गतिशील अन्तः प्रक्रिया से पैदा होने वाले तथ्यों के मध्य अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भूगोल को एक परिपक्व विज्ञान भी कहा जाता है। एक विषय के रूप में भूगोल के अन्तर्गत पृथिवी के धरातल पर

पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्वरूपों की व्याख्या की जाती है। अतः स्थानिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों का समग्र और अन्तर्सम्बन्धित अध्ययन भूगोल विषय के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार भूगोल का अध्ययन क्षेत्र सैन्य सेवाओं, पर्यावरण और आपदा प्रबन्धन, के साथ-साथ विविध प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों तक विस्तृत है।

भूगोल का सामाजिक विज्ञान से सम्बन्ध- सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल विषय में प्राकृतिक एवं मानवीय या सांस्कृतिक तत्वों का समग्र और संगठित अध्ययन किया जाता है। आज उन्नत परिवहन साधनों, दृश्य-श्रव्य माध्यमों, सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास ने सम्पूर्ण विश्व को समीप लाने के साथ ही आँकड़ों को समृद्ध बनाया है। भूगोल ने प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक तथ्यों तथा मानकों के निरीक्षण और परीक्षण के बड़े अवसर प्रदान किये हैं। भूगोल की शाखाएँ जैसे- सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसङ्ख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि का सामाजिक विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएँ मिलती हैं।



चित्र 1.1- भूगोल तथा इसका अन्य विषयों से सम्बन्ध

भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से सम्बन्ध- भूगोल विषय का भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों जैसे- जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान आदि से भी सह-सम्बन्ध है। क्योंकि भूगोल अपनी सूचनाएँ इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करता है।

पृथिवी को जानने का प्रमुख उपकरण मानचित्र है। भू-आम को द्विआयामी रूप

देने का कार्य लेखाचित्रीय या गणितीय विधा से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा ही सम्भव है। अतः मानचित्रण के लिये भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला में निपुण होना आवश्यक है।

भूगोल अध्ययन के उपागम- भूगोल अध्ययन के उपागम के दो प्रमुख उपागम (विधियाँ) हैं-

अ. क्रमबद्ध उपागम

ब. प्रादेशिक उपागम

अ. क्रमबद्ध उपागम- भूपटल पर स्थित ऐसे विशिष्ट प्राकृतिक और मानवीय क्रिया-कलाप जो स्थानिक संरचना का निर्माण करते हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही 'क्रमबद्ध उपागम' कहलाता है। इस उपागम

के प्रवर्तक जर्मन भूगोलवेत्ता 'अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट' (1769-1859 ई.) हैं। क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की चार शाखाएं हैं-

1. **भौतिक भूगोल-** इसके अन्तर्गत पृथिवी और उसके विविध भागों जैसे- स्थल, जल, वायु और जैवमण्डल का अध्ययन किया जाता है।
2. **जैव एवं पर्यावरण भूगोल-** इसके अन्तर्गत विविध प्रकार के वनों, वन्यजीवों, घासों और वनस्पतियों के वितरण, मानव-प्रकृति सम्बन्धों, जैविक पर्यावरण की गुणवत्ता और मानव कल्याण के निहितार्थों का अध्ययन किया जाता है।
3. **मानव भूगोल-** इसके अन्तर्गत धरातल के किसी भाग की संस्कृति और जनसङ्ख्या के साथ-साथ वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता का भी अध्ययन किया जाता है।
4. **भौगोलिक विधि और तकनीक-** इस शाखा के अन्तर्गत भूगोल अध्ययन की विधियों और तकनीकों जैसे- गुणात्मक, मात्रात्मक और मानचित्र कला का विश्लेषण के साथ-साथ भौगोलिक सूचना तन्त्र (G.I.S.), भूमण्डलीय सूचना तन्त्र (G.P.S.) और सुदूर संवेदन का अध्ययन किया जाता है।

ब. **प्रादेशिक उपागम-** विश्व को पदानुक्रमिक रूप में प्रदेशों या क्षेत्रों में विभाजित कर विविध प्रदेशों के भौगोलिक तथ्यों का समग्रता से अध्ययन करना 'प्रादेशिक उपागम' कहलाता है। इसके प्रवर्तक जर्मन भूगोलवेत्ता 'कार्ल रिटर' (1779-1859 ई.) हैं। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की चार शाखाएं हैं-

क. प्रादेशिक अध्ययन

ख. प्रादेशिक विश्लेषण

ग. प्रादेशिक विकास

घ. प्रादेशिक (क्षेत्रीय और सामुदायिक) नियोजन

भौतिक भूगोल का महत्त्व-

1. भूमण्डल, वायुमण्डल, जलमण्डल, जैवमण्डल, खाद्य श्रृंखला, मिट्टियाँ, मृदा पार्श्विका आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल के अन्तर्गत किया जाता है। ये सभी तत्व मानव के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
2. आज भौतिक भूगोल का विकास प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबन्धन से जुड़े विषय के रूप में हो रहा है।
3. भौतिक पर्यावरण, मानव को संसाधन प्रदान करता है तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करता है।
4. सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है जो भौतिक भूगोल के महत्त्व को दर्शाता है।

पृथिवी की उत्पत्ति के सिद्धान्त- पृथिवी की उत्पत्ति सम्बन्धी अनेक परिकल्पनाएँ विभिन्न विद्वानों द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाती रही हैं। इन सिद्धान्तों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है-

अ. आरम्भिक सिद्धान्त

ब. आधुनिक सिद्धान्त

आरम्भिक सिद्धान्त- पृथिवी की उत्पत्ति सम्बन्धी आरम्भिक सिद्धान्त के रूप में इमैनुवेल कान्ट द्वारा 1755 ई. में प्रतिपादित 'वायव्य राशि परिकल्पना' है। इस परिकल्पना में बताया गया है कि एक तप्त एवं गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिनके शीतलन से सौरमण्डल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, इन्हीं में से एक हमारी पृथिवी भी है। सन् 1796 ई. में लाप्लेस ने इस सिद्धान्त में संशोधन कर अपनी 'निहारिका परिकल्पना' प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना में कहा गया है कि, ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है। सन् 1900 ई. में चेम्बरलेन व मोल्टन ने अपने 'द्वैतारक सिद्धान्त' में बताया कि ब्रह्माण्ड में जब सूर्य के निकट से एक तारा गुजरा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का धरातल असंख्य खण्डों में विभाजित हो गया। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करने लगे और धीरे-धीरे इन्हीं के संघनित होने से पृथिवी एवं अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। सन् 1950 ई. में 'आटो शिमिड' और 'कार्ल वाइजास्कर' ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन कर बताया कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों से निर्मित एक सौर निहारिका से सूर्य घिरा हुआ था। इनमें स्थित कणों में घर्षण और टकराव के कारण डिस्क की आकृति के बादलों का निर्माण हुआ और विशिष्ट विस्तार प्रक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। आगे चलकर इसी सिद्धान्त के आधार पर ब्रह्माण्ड और पृथिवी की उत्पत्ति एवं संरचना आदि के व्याख्या का प्रयास किया गया।

आधुनिक सिद्धान्त- पृथिवी की उत्पत्ति एवं संरचना सम्बन्धी आधुनिक सिद्धान्त को 'विस्तारित ब्रह्माण्ड

इसे भी जानें-

- महाविस्फोट (बिग बैंग) की घटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी।
- महाविस्फोट के कारण तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ।

परिकल्पना' या 'बिग बैंग सिद्धान्त' कहा जाता है। 1920 ई. में एडविन हब्ल ने प्रमाणित किया था कि, ब्रह्माण्ड का विस्तार हो रहा है। प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री जार्ज लैमेत्रे ने सन् 1927 ई. में बिग बैंग सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। बिग बैंग सिद्धान्त के अनुसार जिन पदार्थों से ब्रह्माण्ड का निर्माण हुआ है, वे सभी एक छोटे

गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। इनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान एवं घनत्व अनन्त था। वैज्ञानिकों के अनुसार, लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक अति छोटे गोलक में महाविस्फोट होने के कारण ब्रह्माण्ड का विस्तार प्रारम्भ हुआ, जो आज भी जारी है। ब्रह्माण्ड के विस्तार का अर्थ है, आकाश गङ्गाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना।

तारों का निर्माण- आरम्भ में ब्रह्माण्ड में ऊर्जा और पदार्थ के घनत्व और वितरण में असमानता के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई। परिणामस्वरूप पदार्थों के एकत्रीकरण के कारण आकाशगङ्गाओं का निर्माण प्रारम्भ हुआ। इन आकाशगङ्गाओं में असंख्य तारा समूह होते हैं। आकाशगङ्गाओं का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों के रूप में होती है, जिसे निहारिका(Nebula) कहा जाता है। विस्तृत होती हुई निहारिका में अनेक गैसीय समूहों से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व अनेक तारों का निर्माण हुआ।

ग्रहों का निर्माण- निहारिका में तारे एक गैसों के गुँथे हुए समूह होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन गैसीय बादल समूहों में क्रोड का निर्माण हुआ। गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूलकणों से घूमती हुई तश्तरी का निर्माण हुआ। इसके पश्चात गैसीय बादलों का संघनन शुरू हुआ है और क्रोड को ढकने वाले पदार्थ छोटे गोलों में विकसित हुए। ये छोटे गोले संसजन प्रक्रिया से ग्रहाणुओं के रूप में विकसित हुए। अनेक छोटे ग्रहाणुओं से मिलकर ग्रहों का निर्माण हुआ।

इसे भी जानें-

- प्रकाश वर्ष दूरी की माप है। प्रकाश की गति तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेण्ड है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है।
- आकाशगङ्गाओं का विस्तार अत्यधिक होने के कारण उनकी दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है।

सौरमण्डल- सौरमण्डल का जनक निहारिका को माना जाता है। निहारिका के ध्वस्त होने और केन्द्र बनने की प्रक्रिया लगभग 5.6 अरब वर्ष पूर्व और पृथिवी समेत सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 से 4.56

इसे भी जानें-

- बुध, शुक्र, पृथिवी और मङ्गल ग्रहों की सतह चट्टानों और धातुओं से बनी होने के कारण इन्हें 'पार्थिव ग्रह' भी कहा जाता है।
- आर्यभट्ट ने चौथी शताब्दी में कहा था कि पृथिवी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अपनी गणना में पृथिवी का आवर्तकाल 23 घण्टा 56 मिनट 4.1 सेकेण्ड बताया था।

अरब वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। हमारे सौरमण्डल में सूर्य (तारा), 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों क्षुद्रग्रह (ग्रहों के टुकड़े), धूमकेतु व काफी मात्रा में धूलकण व गैस हैं। इनमें से बुध, शुक्र, पृथिवी और मङ्गल को 'आन्तरिक ग्रह' कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है।

चन्द्रमा- पृथिवी का एकमात्र उपग्रह चन्द्रमा है।

चन्द्रमा की उत्पत्ति पृथिवी पर एक बड़े टकराव (दि बिग स्लैट) से हुआ माना जाता है। एक शोध से पता चला है कि लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व धिया नामक एक आकाशीय पिण्ड पृथिवी से टकराया था। इस टकराव से पृथिवी का एक अंश टूटकर अन्तरिक्ष में पृथिवी की परिक्रमा करने लगा जो चन्द्रमा कहलाया। हमारे सौरमण्डल के सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस सत्य का उल्लेख वैदिक वाङ्मय के अनेक मन्त्रों में किया गया है। यजुर्वेद के एक मन्त्र कहा गया है- 'सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम॥' (18.40) अर्थात् परम आह्लादकारी और सूर्य की रश्मि के प्रकाश वाला चन्द्रमा ही गन्धर्व है। नक्षत्र (भेकुरी=प्रभा करने वाली) ही उसकी अप्सराएँ हैं। निरुक्त शास्त्र में भी कहा गया है कि 'अस्यैको रश्मिश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यम्- आदित्यतोऽस्य दीप्तिर्भवति।' (2.2) इस पद में भी कहा गया है कि चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है।

पृथिवी का उद्भव और विकास- हम जानते हैं कि पृथिवी की रचना अनेक ग्रहाणुओं के संघटन की प्रक्रिया से हुआ। प्रारम्भ में पृथिवी एक गर्म, वीरान व चट्टानी ग्रह थी। कुछ क्रियाओं व घटनाओं के

परिणामस्वरूप जीवन के अनुकूल सुन्दर ग्रह में परिवर्तित हुई। हमारी पृथिवी की संरचना कमल के पुष्प के समान परतदार है। विष्णु पुराण के अनुसार, सैषा चतुर्मुहाद्वीपा नानाद्वीपसमाकुला।

पृथिवी कीर्तिता कृत्स्ना पद्माकारा मया द्विजाः ॥ तदेषा सान्तरद्वीपा सशैलवनकानना।

पद्मेत्यभिहिता कृत्स्ना पृथिवी बहुविस्तरा ॥ (41.86, 87) अर्थात् पृथिवी चार महाद्वीप और अनेकों लघु द्वीपों से युक्त है। उसी प्रकार ये पृथिवी पर्वत, वनों और आरण्यों से व्याप्त है। कमलाकार होने के कारण पृथिवी को पद्मा कहा जाता है। वायुमण्डल के बाह्य भाग से पृथिवी के केन्द्र तक पदार्थों का वितरण समान नहीं है। वायुमण्डल के पदार्थों का घनत्व सर्वाधिक कम है। पृथिवी की सतह से आन्तरिक भाग तक अनेक मण्डल और उनमें पाये जाने वाले पदार्थों की भिन्न विशेषताएँ हैं।

स्थलमण्डल का विकास- पृथिवी की उत्पत्ति के समय गुरुत्वबल के कारण संघनित हो रहे पदार्थों को संगठित हो रहे पिण्डों ने प्रभावित किया। निरन्तर चल रही इस क्रिया से पैदा हो रही अपार ऊर्जा और ताप से पदार्थ पिघलने लगा। ताप की अधिकता के कारण भारी पदार्थ पृथिवी के केन्द्र में और हल्के पदार्थ सतह पर आये। धीरे-धीरे ठण्डे और ठोस होकर कणों के रूप में परिवर्तित होकर पर्पटी का विकास किया। दि बिग स्प्लैट के कारण पृथिवी के तापमान और ऊर्जा एक बार पुनः बढ़ी। विभेदन की प्रक्रिया द्वारा पृथिवी का पदार्थ अनेक परतों जैसे- पर्पटी (Crust), प्रवार (Mantle) और क्रोड (Core) में विभाजित हो गया।

वायुमण्डल का विकास- पृथिवी पर वायुमण्डल का विकास तीन चरणों में हुआ है। प्रथम चरण में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम से युक्त वायुमण्डल सौर पवनों के कारण पृथिवी से दूर हो गया। दूसरे चरण में विभेदन के कारण पृथिवी से निकलने वाली भाप और जलवाष्प ने वायुमण्डल के विकास में सहयोग किया। तीसरे चरण में जैवमण्डल के प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) क्रिया ने वायुमण्डल का शोधन किया। तीसरे चरण के वायुमण्डल संरचना में नाइट्रोजन और आक्सीजन गैस का प्रमुख योगदान है।

जलमण्डल का विकास- तीसरे चरण के वायुमण्डल में आक्सीजन कम तथा जलवाष्प, नाइट्रोजन, मिथेन, अमोनिया और कार्बन डाई आक्साइड अधिक थी। उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पृथिवी के अन्दर की गैसों धरातल पर आने लगीं। पृथिवी पर निरन्तर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमण्डल में जलवाष्प और गैसों बढ़ने लगी। अब ठण्डी हो रही पृथिवी के साथ वायुमण्डल में जलवाष्प संघनित होने लगे थे। परिणामस्वरूप अतिवृष्टि के कारण वर्षाजल धरातल के गर्तों में जमा होने लगा, जिससे सागरों, महासागरों, झीलों आदि का निर्माण हुआ। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बढ़ रही आक्सीजन से पहले महासागर फिर हमारा वायुमण्डल भर गया।

पृथिवी पर जीवन- पृथिवी की उत्पत्ति के अन्तिम चरण को जीवन की उत्पत्ति व विकास से सम्बन्धित माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथिवी पर जीवन की उत्पत्ति एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। लगभग 3.80 करोड़ वर्ष पूर्व एक कोशीय जीवाणुओं से पृथिवी पर जीवन का आरम्भ माना जाता है। पृथिवी पर मानव का विकास लगभग 20 से 50 लाख वर्ष पूर्व से हुआ माना जाता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम.....ने किया था।
अ. गैलिलियो ब. अरस्तू स. इरेटॉस्थेनीज द. हेरोडोटस
2. अमरकोष में पृथिवी के.....नाम बताये गये हैं।
अ. 13 ब. 22 स. 27 द. 33
3. क्रमबद्ध उपागम के प्रवर्तक..... हैं।
अ. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ब. कार्ल रिटर
स. मोल्टन द. चार्ल्स डार्विन
4. वायव्य राशि परिकल्पना के प्रतिपादक..... हैं।
अ. कार्ल लायल ब. कार्ल रिटर स. मोल्टन द. इमैनुएल कान्ट
5. बिगबैङ्ग सिद्धान्त का प्रतिपादन..... किया था।
अ. जार्ज लैमेत्रे ब. कार्ल मार्क्स स. मोल्टन द. हेरोडोटस

सत्य/असत्य बताइए-

1. भूगोल के प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक 'कार्ल रिटर' हैं। (सत्य/असत्य)
2. 1796 ई. में लाप्लेस ने 'निहारिका परिकल्पना' दी थी। (सत्य/असत्य)
3. द्वैतारक सिद्धान्त चेम्बरलेन व मोल्टन ने दिया था। (सत्य/असत्य)
4. जार्ज लैमेत्रे ने बिगबैङ्ग सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। (सत्य/असत्य)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. 'वायव्य राशि परिकल्पना' का प्रतिपादन.....किया गया था। (1755 ई./1780 ई.)
2. निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन.....किया गया था। (1796 ई./1833 ई.)
3. द्वैतारक सिद्धान्त का प्रतिपादन.....किया गया था। (1900 ई./1914 ई.)
4. बिगबैङ्ग सिद्धान्त का प्रतिपादन..... किया गया था। (1927 ई./1945 ई.)

सही जोड़ी मिलान कीजिए-

1. ब्रह्माण्ड का विस्तार प्रारम्भ	क. लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व
2. अनेक तारों का निर्माण हुआ था	ख. लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व
3. ग्रहों का निर्माण हुआ था	ग. लगभग 4.44 अरब वर्ष
4. चन्द्रमा का उद्भव हुआ था	घ. लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भूगोल का जनक किसे कहा गया है ?
2. क्रमबद्ध उपागम किसे कहते हैं ?
3. प्रादेशिक उपागम किसे कहते हैं ?
4. पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं ?
5. पृथिवी पर मानव का विकास कब हुआ ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भौतिक भूगोल के महत्त्व का उल्लेख कीजिए।
2. पृथिवी की उत्पत्ति के आरम्भिक सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
3. हमारे सौरमण्डल निर्माण को समझाइए।
4. चन्द्रमा की उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. भूगोल का अर्थ और क्षेत्र को समझाइए ?
2. पृथिवी की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
3. पृथिवी के उद्भव और विकास को समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. 'जल का महत्त्व' विषय पर एक लेख लिखिये।



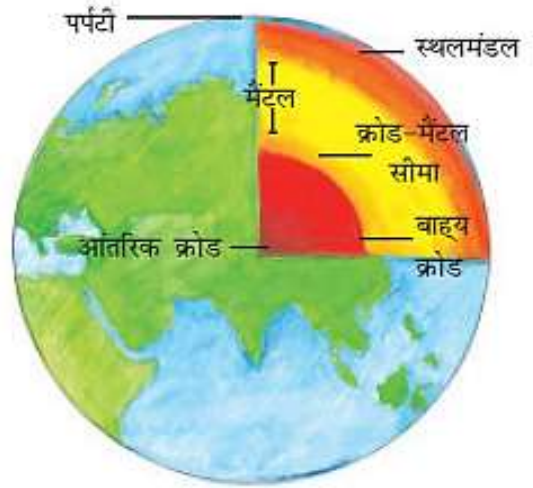
अध्याय-2

पृथिवी की संरचना

इस अध्याय में- पृथिवी की आन्तरिक संरचना, भूगर्भ ज्ञान के स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत- खनन और ज्वालामुखी, अप्रत्यक्ष स्रोत- भूकम्प, भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ, अन्तर्जनित प्रक्रियाएँ- पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, वहिर्जनित प्रक्रियाएँ- अपक्षय, वृहत् संचलन, भूस्खलन, अपरदन और निक्षेपण, मृदा निर्माण, खनिज, खनिजों के प्रकार, शैल, शैल के प्रकार, शैल चक्र, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त, सागरीय अधस्तल का विकास, प्लेटविवर्तनिक सिद्धान्त, भारतीय प्लेट का संचलन और वैदिक वाङ्मय में पृथिवी के विविध द्वीप और सागर।

पृथिवी अपनी उत्पत्ति के समय एक गर्म, निर्जन और चट्टानी ग्रह के रूप में थी। वायुमण्डल में हाईड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की अधिकता थी। धीरे-धीरे अन्तरिक्षीय घटनाक्रमों और रासायनिक क्रियाओं के पश्चात् पृथिवी पर जीवन के अनुकूल वातावरण की सृष्टि हुई। इसी क्रम में पृथिवी पर जल, वायु और स्थलमण्डल, प्राकृतिक वातावरण तथा जीवन के विकास के साथ ही अनेक प्रकार के खनिजों का निर्माण हुआ।

पृथिवी की आन्तरिक संरचना- पृथिवी के धरातल पर चट्टानों की मोटी परत है। पृथिवी का यह स्वरूप निरन्तर चलने वाली वाह्य एवं आन्तरिक भूगर्भीक प्रक्रियाओं का परिणाम है। इन प्रक्रियाओं का सम्बन्ध पृथिवी की आन्तरिक संरचना से है। पृथिवी की आन्तरिक संरचना कमल पुष्प के समान परतदार है, जिसे तीन भागों में बाँटा गया है-



चित्र 2.1- पृथिवी की आन्तरिक संरचना

1. **भूपर्पटी-** पृथिवी का सबसे उपरी और ठोस भाग भूपर्पटी कहलाता है। यह सिलिका (Silica) व एलुमिना (Alumina) से मिलकर बना है अतः इसे सिआल (Si-Al) भी कहते हैं।
2. **मैटल-** यह भू-पर्पटी के नीचे वाला भाग है। इसका निर्माण सिलिका (Si) व मैग्नेशियम (Mg) से मिल कर होने के कारण इसे सीमा (Si-Ma) कहते हैं। भू-पर्पटी व मैटल से मिलकर ही स्थलमण्डल का निर्माण होता है।
3. **क्रोड-** इसका निर्माण निकिल (Nickel) व लोहे (Ferrus) से मिलकर हुआ है। अतः इसे संक्षेप में निफे (Ni-Fe) भी कहा जाता है। इस क्रोड के भी दो भाग- बाह्य और आन्तरिक क्रोड हैं।

भूगर्भ ज्ञान के स्रोत- पृथिवी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर और आन्तरिक तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अतः इसके केन्द्र तक पहुँचकर आन्तरिक निरीक्षण करना कठिन है। परन्तु वैज्ञानिकों ने भूगर्भ की संरचना विषयक अनेक तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। भूगर्भ ज्ञान के दो प्रमुख स्रोत हैं- (क) प्रत्यक्ष स्रोत (ख) अप्रत्यक्ष स्रोत।

क. प्रत्यक्ष स्रोत- पृथिवी की आन्तरिक स्थिति के ज्ञान के प्रमुख प्रत्यक्ष स्रोतों में खनन और ज्वालामुखी उद्गार हैं।

खनन- पृथिवी के स्थल मण्डल में उपलब्ध ठोस पदार्थ और चट्टानें हैं, जिन्हें हम खनन द्वारा प्राप्त करते

इसे भी जाने-

- अभी तक सबसे गहरा प्रवेधन 12 किमी की गहराई तक आर्कटिक महासागर में कोला नामक स्थान पर किया गया है।
- दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें 3-4 किमी. तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जाना सम्भव नहीं है क्योंकि गहराई बढ़ने से तापमान अधिक हो जाता है।

हैं। इन पदार्थों और चट्टानों के प्रेक्षण और विश्लेषण द्वारा भूगर्भ की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों द्वारा गहरे समुद्र में प्रवेधन और समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस खुदाई में प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से पृथिवी की आन्तरिक संरचना विषयक अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुए हैं।

ज्वालामुखी- ज्वालामुखी वे स्थल होते हैं जहाँ से

लावा के रूप में गैस, राख, चट्टानें आदि पदार्थ, पृथिवीके अन्दर से निकलकर धरातल पर आते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इनका विश्लेषण कर पृथिवी की आन्तरिक संरचना को जानने का प्रयास किया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी के मुख्य निम्न प्रकार हैं-

1. **शील्ड ज्वालामुखी-** शील्ड ज्वालामुखी विशाल और चपटे आकार गुम्बद या ढाल के समान होता है। इसका निर्माण तरल बेसाल्टिक लावा के जमाने के कारण होता है। इस ज्वालामुखी का ढलान अधिक नहीं होता है। जब शील्ड ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है तो उसके मुख पर एक शंकु बनता है, जिसे सिंडर या भस्म शंकु कहते हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं।
2. **मिश्रित ज्वालामुखी-** मिश्रित ज्वालामुखी भीषण विस्फोट वाले होते हैं। इनसे गाढ़ा लावा निकलने के साथ ही भारी मात्रा में ज्वलखण्डाश्मि पदार्थ व राख धरातल पर पहुँचती है। इनका जमाव परतों के रूप में निकास नली के आसपास हो जाता है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है।
3. **ज्वालामुखी कुण्ड-** ये सर्वाधिक तीव्र विस्फोट वाले ज्वालामुखी होते हैं। इसके उद्गार के समय तीव्र विस्फोट होने के कारण ये ज्वालामुखी स्वयं धँसकर कुण्ड का

इसे भी जाने-

- मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है।
- मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं।

निर्माण करते हैं, जिन्हें ज्वालामुखी कुण्ड कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कुण्ड (काल्देरा) जापान का 'आसो' है।

4. **बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र-** जब ज्वालामुखी से अत्यधिक मात्रा में तरल लावा निकलकर बड़े क्षेत्र पर फैलता है तो ऐसे क्षेत्र को बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। भारत के दक्षिण उद्भेदन (ट्रैप) क्षेत्र का निर्माण इसी प्रकार के ज्वालामुखी से हुआ है।
5. **कटक ज्वालामुखी-** कटक ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। लगभग 70000 किलोमीटर लम्बी मध्य महासागरीय क्षेत्रों में कटक एक शृंखला है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। यहाँ निरन्तर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है।

ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ- ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा धरातल पर पहुँच कर ठण्डा होता है तो ज्वालामुखी शैलों का निर्माण होता है। जब लावा धरातल के नीचे ठण्डा होकर जमता है तो बैलोथिक, लैकोथिक, डाइक जैसी अनेक प्रकार की अन्तर्वेधी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है।

ख. अप्रत्यक्ष स्रोत- इसमें पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण, उल्काओं का अध्ययन, गुरुत्वाकर्षण, चुम्बकीय क्षेत्र, भूकम्प सम्बन्धी क्रियाएँ आदि शामिल हैं। आइये भूकम्प के बारे में जानें।

भूकम्प- भूगर्भ के ज्ञान का प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत भूकम्पीय गतिविधियाँ हैं। इनके द्वारा हमें पृथिवी के विभिन्न परतों का सम्पूर्ण चित्र प्राप्त होता है। भूकम्प का अर्थ 'पृथिवी में कम्पन होना' है। पृथिवी के अंदर भूपर्पटी के शैलों में गहरी दरारें होती हैं। इन दरारों के कारण शैलखण्ड विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। इस कारण भूकम्प तरङ्गों के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा निकलने वाले स्थान को भूकम्प का 'उद्गमकेन्द्र' तथा इसके निकटतम बिन्दु को 'उपरिकेन्द्र' कहा जाता है। सभी भूकम्प, पृथिवी की सतह से 200 किमी की गहराई तक से उत्पन्न होते हैं।

भूकम्पीय तरङ्ग- सामान्यतः भूकम्पीय तरङ्ग दो प्रकार की होती हैं- 'भूगर्भीय तरङ्ग' और 'सतही तरङ्ग'। भूगर्भीय तरङ्ग पृथिवी के सभी भागों तथा सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। भूगर्भीय तरङ्ग दो प्रकार की- P तरङ्ग और S तरङ्ग होती हैं। P तरङ्ग पृथिवी की सतह पर पहले पहुँचती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गतिशील रहती हैं। S तरङ्ग पृथिवी की सतह पर कुछ समय के बाद के पहुँचती हैं। ये तरङ्ग केवल एक ठोस माध्यम में गतिशील रहती हैं। भूगर्भीय तरङ्ग जब धरातल की

इसे भी जाने-

- विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकम्प का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोग्राफ नामक यन्त्र की सहायता से भूकम्प की तरङ्गों का अध्ययन किया जाता है।
- रिक्टर स्केल से भूकम्प की तरङ्गों की गति मापी जाती है। इसमें 0 से 9 तक मान होता है। जिस भूकम्प का मान 7 रिक्टर स्केल होता है, वह विनाशकारी भूकम्प माना जाता है।
- मरकेली स्केल से भी भूकम्प की तरङ्गों की गति मापी जाती है। मरकेली स्केल में 1 से 12 तक मान होता है।

चट्टान के संपर्क में आती हैं तो सतही तरङ्गें पैदा होती हैं। इन तरङ्गों का वेग, पदार्थों के घनत्व पर निर्भर होता है।

भूकम्प के प्रकार- मुख्यतः भूकम्प के पाँच प्रकार हैं-

1. **विवर्तनिक भूकम्प-** भ्रंशतल के किनारे शैलों के खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकम्प उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः विवर्तनिक भूकम्प ही आते हैं।
2. **ज्वालामुखी भूकम्प-** ज्वालामुखी क्षेत्रों में आने वाले विवर्तनिक भूकम्प को ही ज्वालामुखी भूकम्प कहते हैं।
3. **नियात भूकम्प-** खनन क्षेत्रों में अधिक खनन के कारण भूकम्प के हल्के झटकों को नियात भूकम्प कहते हैं।
4. **विस्फोट भूकम्प-** रासायनिक और परमाणु विस्फोट से धरातल पर होने वाले कम्पन को विस्फोट भूकम्प कहते हैं।
5. **बाँध जनित भूकम्प-** बड़े बाँध वाले क्षेत्रों में होने वाले भूकम्प को बाँध जनित भूकम्प कहते हैं।

भूकम्प के प्रभाव- भूकम्प एक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ आदि घटनाएं घटित होती हैं। जब सागरीय तल में भूकम्प केन्द्र होता है तो समुद्री तूफान आते हैं। भूकम्प से बाँधों एवं भवनों के ध्वस्त होने के कारण भारी जन-धन की हानि होती है। रिक्टर पैमाने पर 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकम्प अधिक विनाशकारी होते हैं।

इसे भी जाने-

- विश्व में सर्वाधिक भूकम्प प्रशान्त महासागर में आते हैं।
- विश्व में सर्वाधिक भूकम्पों वाला महाद्वीप एशिया और सबसे कम भूकम्पों वाला महाद्वीप आस्ट्रेलिया महाद्वीप है।
- सर्वाधिक भूकम्पों वाला देश जापान है।
- भारत में सर्वाधिक भूकम्प वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है।
- भूकम्प की दृष्टि से सबसे सुरक्षित क्षेत्र प्रायद्वीप भारत है।
- भूकम्प से सबसे ज्यादा विनाश होने की सम्भावना दिल्ली में बनी रहती है।

भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ- भूपर्पटी का निर्माण एक गतिशील प्रक्रिया है। यह क्षैतिज व उर्ध्वाधर दिशाओं में निरन्तर चलती रहती है। पृथिवी का धरातल पृथिवी के अन्दर उत्पन्न हुए 'अन्तर्जनित बलों' और सूर्य से प्राप्त उर्जा द्वारा प्रेरित 'बहिर्जनित बलों' से प्रभावित होता है। अन्तर्जनित बल भू-आकृति निर्माण करने वाले बल हैं। बहिर्जनित बल के कारण उभरी भू-आकृतियों का घर्षण और निम्न क्षेत्रों का भराव होता है। अपरदन के द्वारा धरातल पर उच्चावच के मध्य अन्तर के कम होने को 'तल सन्तुलन' कहते हैं। धरातलीय पदार्थों पर अन्तर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दाब तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भू-पटल के विन्यास में हुए परिवर्तनों को भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ कहा जाता है।

इनको दो भागों में बांटा गया है- क. अन्तर्जनित प्रक्रियाएँ

ख. बहिर्जनित प्रक्रियाएँ।

अन्तर्जनित प्रक्रियाएँ- ऐसी प्रक्रियाएँ जो पृथिवी की पर्पटी के भीतर, पृथिवी की आन्तरिक ऊर्जा से संचालित होती हैं, अन्तर्जनित प्रक्रियाएँ कहलाती हैं। पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता ऐसी ही प्रक्रियाएँ हैं।

पटल विरूपण- धरातल के निर्माण, सञ्चालन और उत्थापित करने वाली सभी प्रक्रियाएँ सम्मिलित रूप से पटल विरूपण कहलाती हैं। इसके कारण शैलों में कायान्तरण होता है।

ज्वालामुखीयता- पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर सञ्चलन व कई आन्तरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्थल रूपों का निर्माण ज्वालामुखीयता में शामिल हैं।

वहिर्जनित प्रक्रियाएँ- वे प्रक्रियाएँ जो धरातल पर सूर्य और वायुमण्डलीय ऊर्जा से संचालित तथा अन्तर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से सहायता प्राप्त करती हैं, वहिर्जनित प्रक्रियाएँ कहलाती हैं। अपक्षय, वृहत् सञ्चलन, भूस्वलन, अपरदन और निक्षेपण आदि ऐसी ही प्रक्रियाएँ हैं। सभी वहिर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को अनाच्छादन भी कहते हैं। धरातल पर वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण प्रमुख रूप से वर्षा एवं तापमान पर निर्भर करते हैं, जो वहिर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं।

अपक्षय- वहिर्जनित प्रक्रिया के रूप में अपक्षय भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रिया है। इसके कारण शैल या चट्टानें एक ही स्थान पर विखण्डित होती रहती हैं। अपक्षय की प्रक्रिया पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएँ गुरुत्वाकर्षण, विस्तारण आदि अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर होती हैं। रासायनिक प्रक्रियाएँ जैसे जलयोजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण आदि अपक्षय प्रक्रिया में गति लाते हैं। शैलों में रासायनिक प्रक्रिया के कारण नमक फैलता है। जैविक प्रक्रिया के रूप में अपक्षय के अन्तर्गत जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों एवं मानव को सम्मिलित किया जाता है।

अपक्षय का महत्त्व- अपक्षय के कारण चट्टानों के छोटे-छोटे टुकड़े मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। इससे लोहा, मैंगनीज, तांबा आदि धातुओं के संकेन्द्रण में सहायता मिलती है। अपक्षय से अन्य पदार्थ शोधित होकर खनिज के रूप में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया अपरदन, वृहत् क्षरण, उच्चावच के लघुकरण में भी सहायक होती है।

वृहत् सञ्चलन- वृहत् सञ्चलन की प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बड़ी मात्रा में मिट्टी, रेत व शैलों का ढाल के अनुरूप स्थानान्तरण होने लगता है। वृहत् सञ्चलन दो प्रकार के होते हैं- मन्द एवं तीव्र सञ्चलन। मन्द सञ्चलन में पदार्थों का सञ्चलन इतना मन्द होता है कि इसका आभास हमें दीर्घकालिक

पर्यवेक्षण से ही हो पाता है। तीव्र सञ्चलन की घटनाएँ जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होती हैं। मृदा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह व मलवा अवधाव तीव्र सञ्चलन ही हैं।



चित्र 2.2- भूस्खलन

भूस्खलन- धरातलीय हलचलों के कारण मिट्टी या शैलों का खिसकना ही भूस्खलन है। इस प्रक्रिया में मिट्टी, चट्टानें, मलबा आदि पदार्थ ढाल की ओर खिसककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित हो जाते हैं। भूकम्प, बाढ़, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण, मानव हस्तक्षेप आदि के कारण भूस्खलन की घटनाएँ होती हैं।

अपरदन और निक्षेपण- अपरदन की प्रक्रिया में प्रवाही जलधाराओं, हिमनद, भूमिगत जल, वायु

द्वारा शैलों, मृदा आदि को अपरदित होकर विघटित मलबे ढाल की ओर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते हैं। जहाँ ढाल में कमी आ जाती है, तो अपरदित पदार्थ का निक्षेपण अर्थात् जमाव शुरू हो जाता है। अतः अपरदन का परिणाम निक्षेपण है।

मृदा निर्माण- हमारे धरातल पर मृदा, प्राकृतिक तत्त्वों का ऐसा समुच्चय है जिसमें जीवों के पोषण की क्षमता होती है। मृदा निर्माण में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाएँ निरन्तर चलती रहती हैं। अतः मृदा को गतिशील माध्यम कहा जाता है। मृदा पर जलवायु दशाओं, भू-आकृतियों एवं वनस्पतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। मृदा के निर्माण के पाँच मुख्य कारक हैं-

1. **मूल पदार्थ (शैलें)-** मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक मूल पदार्थ या शैल हैं। मृदा के विविध प्रकार शैलों के अपक्षय पर निर्भर होते हैं।
2. **स्थलाकृति-** तीव्र ढाल या पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा की परत पतली और मैदानी भागों में मृदा की मोटी परत होती है।
3. **जलवायु-** मूल शैलों के अपक्षय को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक जलवायु है। अधिक वर्षा के कारण मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है परन्तु भारी वर्षा के कारण उपजाऊ मिट्टी की हानि होती है।
4. **जैविक क्रियाएँ-** भूमि पर आच्छादित वनस्पतियाँ और सूक्ष्म जीव मिलकर मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं।
5. **समय-** मृदा निर्माण में लगने वाला समय एक प्रमुख कारक है। लम्बी कालावधि में बनने वाली मृदा अधिक उपजाऊ होती है।

खनिज- पृथिवी की भूपर्पटी का लगभग 98% भाग ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम नामक आठ तत्वों से निर्मित है। शेष 2 प्रतिशत भाग टायटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थों से निर्मित है। पृथिवी पर पाये जाने वाले ये तत्व अन्य विभिन्न तत्वों के साथ मिलकर नये पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। सल्फर, ताँबा, चाँदी, सोना, ग्रेफाइट जैसे एकतत्वीय खनिज भी पाये जाते हैं। पृथिवी की बाहरी सतह पर खनिज ठोस अवस्था में तथा आन्तरिक परत में गर्म व पिघली अवस्था में पाये जाते हैं। आन्तरिक परत में दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। भूपर्पटी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचान कर उनका नामाङ्कित किया जा चुका है।

भू-पर्पटी में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज- खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं तथा इनका एक निश्चित रासायनिक संघटन होता है। ये ठोस, तरल व गैस तीनों अवस्थाओं में पाये जाते हैं। कुछ प्रमुख खनिजों की विशेषताएं निम्न हैं-

फेल्डस्पर- भूपर्पटी का आधार भाग इसी से निर्मित है और यह हल्के गुलाबी व हल्के सफेद रंग का होता है। काँच और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है।

क्वार्ट्ज- यह अक्षीय, रंगहीन, पारदर्शी व कठोर होता है। फेल्सपार के बाद भूपर्पटी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है।

माइका- भूपर्पटी में 4% इसका भाग होता है। इसमें पोटेशियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका आदि का मिश्रण होता है।

इनके अतिरिक्त शैलों में ऑलिवीन, पाइरॉक्सीन, क्लोराइट, कैल्साइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, बेराइट, मैग्नेटाइट आदि खनिज भी पाये जाते हैं।

खनिजों के प्रकार- खनिजों को मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा गया है-

1. **धात्विक खनिज-** ऐसे खनिज जिनमें धातु तत्व होते हैं, जैसे- सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा, जस्ता, लोहा, जिंक, टिन, बॉक्साइट, कोबाल्ट, निकेल, प्लैटिनम आदि।

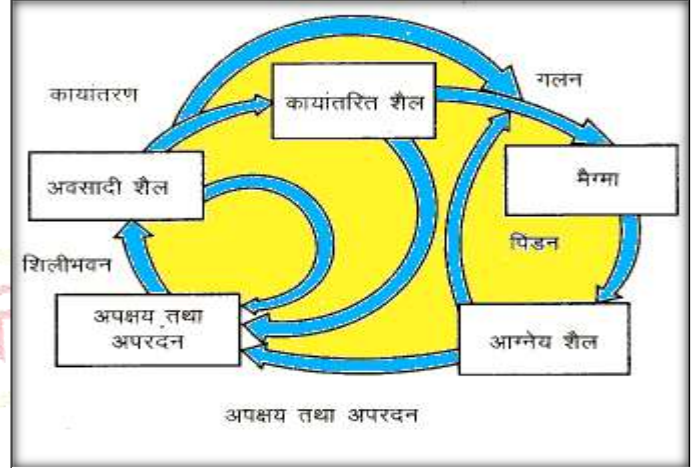
2. **अधात्विक खनिज-** ऐसे खनिज जिनमें धातु तत्व नहीं पाये जाते हैं, जैसे- संगमरमर, चूना पत्थर, अभ्रक, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, कोयला आदि।

शैल- पृथिवी की भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न शैलों हुआ है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। निर्माण पद्धति के आधार पर शैलों को तीन प्रकारों में बाँटा गया है-

1. आग्नेय शैल 2. अवसादी शैल 3. कायान्तरित शैल

1. **आग्नेय शैल-** पृथिवी के आन्तरिक भाग में ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा एवं मैग्मा जब ठण्डा और ठोस बन जाता है तो इसे आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैलों को प्राथमिक या मातृ शैल भी कहा जाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट आदि आग्नेय शैल ही हैं।

2. **अवसादी शैल-** पृथिवी की सतह के शैल अपक्षय क्रिया से दूर जाकर निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण की क्रिया से परत दर परत जमने के कारण बनने वाले शैलों को अवसादी या परतदार शैल कहा जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, कोयला, शेलखरी आदि अवसादी शैल ही हैं।



चित्र 2.3- शैल चक्र

3. **कायान्तरित शैल-** वे आग्नेय या अवसादी शैल जो ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, वे कायान्तरित या रुपान्तरित शैल कहलाते हैं। संगमरमर, नीस, सिस्ट, क्वार्ट्ज, साइनाइट, ग्रेनाइट, स्लेट आदि कायान्तरित शैल ही हैं।

शैल चक्र- शैल चक्र एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शैल चक्र की प्रक्रिया में पुरानी शैलें अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर नया रूप ले लेती हैं। आग्नेय शैलों के अनाच्छादन के कारण अवसादी शैलों तथा अधिक ताप और दाब के कारण कायान्तरित शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय और कायान्तरित शैलों से प्राप्त अंशों द्वारा अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलें उपखण्डों में परिवर्तित हो सकती हैं। ये उपखण्ड अवसादी शैलों के निर्माण के स्रोत भी हो सकते हैं। भूपृष्ठ पर निर्मित शैलें प्रत्यावर्तन के कारण पृथिवी के आन्तरिक भाग में जा सकती हैं, जहाँ ये तापमान बढ़ने के कारण मैग्मा में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं।

महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण- पृथिवी का 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। पृथिवी पर वर्तमान के महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि आज के सभी महाद्वीप



चित्र- 2.4 'पैजिया' और 'पैथालासा'

और महासागर निर्माण के आरम्भिक समय में एक ही थे। स्थल भाग को 'पैजिया' और उसके चारों ओर फैले विशाल जलराशि (महासागर) को 'पैथालासा' कहा गया है।

महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त- सन् 1912 ई. में अल्फ्रेड वेगनर ने अपने 'महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त' में यह माना कि आज के सभी महाद्वीप लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व एक ही भूखण्ड के भाग थे। वेगनर ने इसे 'पैजिया' नाम दिया है। लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पैजिया के कुछ भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे थे। पैजिया के विभाजन से दो बड़े महाद्वीपीय स्थल भाग अस्तित्व में आये- लारेशिया (उत्तरी भूखण्ड) और गोंडवाना लैंड (दक्षिणी भूखण्ड)। लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व लारेशिया और गोंडवाना लैंड अनेक खण्डों में विभाजित होकर वर्तमान महाद्वीपों का आकार धारण कर लिया था। भारत इसी गोंडवाना लैंड का भाग है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का पहला कारण 'ध्रुवीय फ्लाइंग बल' को बताया, जो पृथिवी के घूर्णन से सम्बन्धित है। दूसरा कारण 'ज्वारीय बल' को बताया, जो सूर्य व चन्द्रमा के आकर्षण से संबंधित है। आर्थर होम्स ने सन् 1928 ई. में अपने संवहन धारा सिद्धान्त बताया कि भूगर्भ में रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता के कारण मेंटल में पैदा होने वाली संवाहनीय धाराएँ एक तन्त्र के रूप में गतिशील हैं, जो प्लेटों को गति प्रदान करती हैं।

महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण-

1. महाद्वीपों की तट रेखाओं में साम्यता महाद्वीपीय विस्थापन की ओर संकेत करते है।
2. वर्तमान में महासागरों के इस पार और उस पार स्थित महाद्वीपों में स्थित चट्टानों की आयु में समानता से पता चलता है कि पूर्व में दोनों महाद्वीप एक ही थे।
3. हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्द्ध के छः विभिन्न स्थल भागों में मिलना, इनके प्राचीन काल में साथ होने का प्रमाण है।
4. कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाये जाते हैं।

सागरीय अधःस्तल का विकास- 1961 में हेनरी हेस ने सागरीय अधःस्तल के विकास का सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण महासागरीय पर्पटी में विभेदन हुआ। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा पर्पटी की दरारों में भरकर महासागरीय पर्पटी को दोनों ओर धकेल रहा है। यदि मध्य महासागरीय कटक में ज्वालामुखी उद्गार से नई पर्पटी का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर महासागरीय गर्तों में पर्पटी नष्ट भी होती हैं।

भूकम्प और ज्वालामुखी का वितरण- पृथिवी पर भूकम्प और ज्वालामुखी के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं- पहला क्षेत्र, अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के समान्तर आगे हिन्द महासागर तक जाने

वाली भूकम्प एवं ज्वालामुखी की एक शृंखला है। दूसरा क्षेत्र, अल्पाइन से हिमालय की श्रेणियों और प्रशान्त महासागरीय तटों के समरूप में स्थित है। तीसरा क्षेत्र, प्रशान्त महासागर के किनारे एक अग्नि वलय (Ring of Fire) के रूप में स्थित है।

प्लेट विवर्तनिक सिद्धान्त- सन् 1967 ई. में मैकेन्जी, पारकर और मोरगन ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थलखण्डों से मिलकर बना, ठोस व अनियमित आकार का विशाल भू-खण्ड प्लेट कहलाता है। ये प्लेटें दुर्बलता मण्डल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील हैं। किसी प्लेट को उसकी सम्बद्धता के आधार पर महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट कहा जा सकता है। इनकी मोटाई महासागरीय क्षेत्रों में 5-100 किमी. और महाद्वीपीय क्षेत्रों में 200 किमी. तक हो सकती है।

इसे भी जाने-

- स्थलमण्डल पर सात मुख्य प्लेटें- अण्टार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशान्त महासागरीय प्लेट, इण्डो-आस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट हैं।
- अन्य छोटी प्लेटें- कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट है।

प्लेट सीमा- निरन्तर गतिशील रहने वाली प्लेटों के सञ्चरण के कारण तीन प्रकार की प्लेट सीमाएँ बनती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग होती हैं और नई पर्पटी का निर्माण होता है तो इसे अपसारी सीमा कहते हैं, जैसे- मध्य अटलांटिक कटक। अभिसरण सीमा में दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं। एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट के नीचे की ओर दबने के कारण वहाँ की भूपर्पटी नष्ट होकर प्रविष्टन क्षेत्र का निर्माण करती है, इसे कहते हैं, जैसे- प्रशान्त महासागरीय एवं अमेरिकी प्लेट हैं। जब दो विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे के साथ-साथ क्षैतिज दिशा में खिसकने के पश्चात भी पर्पटी का न तो निर्माण और न ही विनाश होता है तो उन्हें **रूपान्तर सीमा** कहते हैं।

भारतीय प्लेट का सञ्चलन- प्रायद्वीपीय भारत और आस्ट्रेलिया महाद्वीप, भारतीय प्लेट में शामिल हैं। आस्ट्रेलियाई तट से दूर भारत एक विशाल द्वीप के रूप में महासागर में स्थित था। एशिया और भारत के मध्य टेथिस सागर था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैन्जिया के विभाजन के बाद भारत उत्तर की ओर खिसकते हुए 4-5 करोड़ वर्ष पूर्व एशिया महाद्वीप से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। इसी समय लावा प्रवाह के कारण दक्षिण ट्रेप का निर्माण हुआ। विशेष यह रहा कि तब भी भारत भूमध्य रेखा के निकट था।

वैदिक वाङ्मय में पृथिवी के विविध द्वीप और सागर- वैदिक वाङ्मय में पृथिवी के द्वीप और सागरों का उल्लेख है। अथर्ववेद एक मन्त्र में 'तिस्रः पृथिवीः' (19.27.3) कहा गया है। इस मन्त्र में गुणधर्म के

आधार पर पृथिवी के तीन खण्ड है। महर्षि पतञ्जलि योगसूत्र (भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्- 3.26) के व्यास भाष्य में 'सप्तद्वीपा वसुमती' कहा है। अग्नि पुराण में सात द्वीप बताये गये हैं- जम्बूद्वीप, कूट, शाल्मलि, कुश, क्रौञ्च, शाक और पुष्कर ये पृथिवी के सात द्वीप हैं।



चित्र-2.5 जम्बूद्वीप

कूश, क्रौञ्च, शाक और पुष्कर ये पृथिवी के सात द्वीप हैं।

ऋग्वेद के एक मन्त्र में पृथिवी के पूर्व और पश्चिम में दो सागर बताये गये हैं, उभौ समुद्रावा क्षेति यश्च पूर्व उतापरः।

(10.136.5) इसी मण्डल के 47 वें सूक्त में चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम् (2) कहा गया है। इस ऋचा में इन्द्र को, चारों समुद्रों को जल से परिपूर्ण करने वाला बताया गया है। इससे पृथिवी पर चार समुद्र होने की पुष्टि होती है। अग्निपुराण के गणभेद नामक अध्याय में सात सागरों के नाम इस प्रकार बताये गये हैं- लवणः क्षीरसंज्ञश्च घृतोदो

दधिसंज्ञकः। सुरोदक्षुरसोदो च स्वादूदः सप्तमो भवेत्॥ चत्वारः सागराः ख्याताः पुष्करिण्यश्च ताः स्मृताः॥ अर्थात्- लवण, क्षीर, घृत, दधि, सुरा, इक्षुरस और स्वादु सात सागर हैं। प्रसिद्ध चार विशाल सागरों को पुष्करिणी भी कहा जाता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- पृथिवी की त्रिज्या लगभग.....किलोमीटर है।
अ. 5380 ब. 6370 स. 7280 द. 4678
- पृथिवी पर अभी तक सबसे गहरा महासागरीय प्रवेधन.....में किया गया है।
अ. आर्कटिक महासागर ब. प्रशान्त महासागर
स. हिन्द महासागर द. अरब सागर
- विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कुण्ड (काल्डेरा) है।
अ. जापान का 'आसो' ब. इटली का विसुवियस
स. हवाई द्वीप का मोनोलोआ द. तंजानिया का किलमंजारो
- अन्तर्जनित प्रक्रिया का उदाहरण.....है।
अ. ज्वालामुखीयता ब. अपरदन स. अपक्षय द. उपर्युक्त सभी

5. निम्न में से धात्विक खनिज.....है।

अ. संगमरमर ब. बॉक्साइट स. चूना पत्थर द. उपर्युक्त सभी

6. 'महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त' दिया है।

अ. अल्फ्रेड वेगनर ब. जे. एस. मील स. एडम स्मिथ द. मैकेन्जी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. पृथिवी का आन्तरिक तापमान..... डिग्री सेल्सियस है। (6000/8000)
2. भू-पर्पटी पर प्रकार के खानिजों की पहचान की जा चुकी है। (2000/4000)
3. अवसादी शैलों को शैले भी कहते हैं। (कायान्तरित/परतदार)
4. पटल विरूपण प्रक्रिया है। (अन्तर्जनित/बहिर्जनिक)

सत्य/असत्य बताइए-

1. अभ्रक धात्विक प्रकार का खनिज है। (सत्य/असत्य)
2. भू-पर्पटी एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। (सत्य/असत्य)
3. खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। (सत्य/असत्य)
4. अधात्विक खनिजों में धातु पाया जाता है। (सत्य/असत्य)

सही जोड़ी मिलान कीजिए-

1. ज्वालामुखीयता	क. महाद्वीप
2. अपक्षय	ख. महासागर
3. पैन्जिया	ग. बहिर्जनित प्रक्रिया
4. पैथालासा	घ. अन्तर्जनित प्रक्रिया

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. ज्वालामुखी किसे कहते हैं ?
2. भूकम्पीय तरङ्गें कितने प्रकार की होती हैं ?
3. 'सप्तद्वीपा वसुमती' किस ग्रन्थ में कहा गया है ?
4. शैल कितने प्रकार के होते हैं ?
5. खनिज किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पृथिवी की आन्तरिक संरचना को संक्षेप में समझाइए।
2. भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? इसके प्रमुख कारण बताइए।
3. भू-पर्पटी में पाये जाने वाले प्रमुख खनिजों के नाम और विशेषताएं बताइए।
4. शैल चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
5. सागरीय अधःस्तल का विकास सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. मृदा निर्माण और उसके निर्माण कारकों को विस्तार से समझाइए।
2. प्लेट विवर्तनिक सिद्धान्त का सोदाहरण उल्लेख कीजिए।
3. वैदिक वाङ्मय के अनुसार पृथिवी के विविध द्वीप और सागरों का उल्लेख कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. विभिन्न प्रकार की शैलों के नमूने एकत्र कर भौतिक आधार पर उनके गुण धर्मों का विवेचन कीजिए।



अध्याय-3

वायुमण्डल

इस अध्याय में- हम वायुमण्डल का संघटन, पृथिवी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता, वायुमण्डल का तापन एवं शीतलन, पृथिवी का ऊष्मा बजट, तापमान, वायुमण्डलीय परिसंचरण, समुद्रतल वायुदाब का विश्व वितरण, वायु का परिसंचरण, मौसमी पवनें, वायु राशियाँ, चक्रवात, वायुमण्डल में जल, वाष्पीकरण, संघनन और उर्ध्वपातन, बादल, वर्षण, संसार में वर्षा वितरण।

वायु को संसार में सभी जीवों के प्राणों का आधार माना है। यह जीवन शक्ति का प्रदाता है। अमरकोष में वायु के बीस नामों का उल्लेख है- श्वसनः स्पर्शनः वायुर्मातरिश्वा सदागतिः। पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाशुगा। समीरमारुतमरुजगत्प्राणसमीरणाः। नभस्वद्वातपवनपवमानप्रभञ्जनाः। (122-125) श्वसनः, स्पर्शनः, वायुः, मातरिश्वा, सदागतिः, पृषदश्वः, गन्धवाहः, अनिलः, आशुगः, समीरः, मारुतः, मरुत, जगत्प्राणः, समीरणः, नभस्वान्, वातः, पवनः, पवमानः, प्रभञ्जनः। वायु को जल का बन्धु भी माना जाता है। क्योंकि यह जल से मिलकर पर्जन्य (बादल) का निर्माण करता है, जो वृष्टि का कारक है। वैदिक वाङ्मय में मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने वायु को अंतरिक्ष का देवता कहा है। 'सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्। अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः।' (ऋ.10.158.1) इस ऋचा में ऋषि प्रार्थना कर रहा हैं कि, स्वर्गीय उपद्रव से सूर्य, आकाश के उपद्रव से वायु और पृथिवी के उपद्रव से अग्नि हमारी रक्षा करें। 'चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत।' (ऋ.10.90.13) इस ऋचा में वायु की उत्पत्ति विराट पुरुष के प्राण से कही गई है। वायु के प्रवाह द्वारा ही हम वायु को अनुभूत कर सकते हैं।

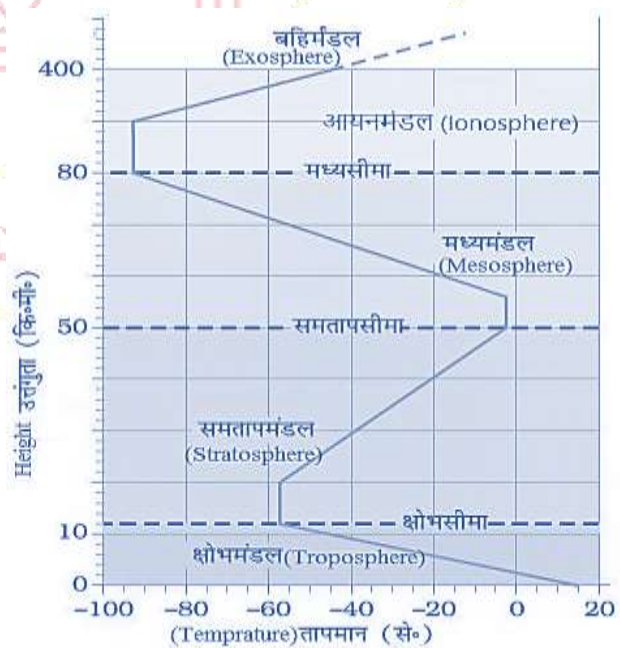
वायुमण्डल का संघटन- पृथिवी के ऊपर वायु के आवरण को वायुमण्डल कहते हैं। इसका निर्माण विभिन्न गैसों के अतिरिक्त जल वाष्प व धूलकणों से मिलकर हुआ है। वायुमण्डल में सभी जीवों एवं वनस्पतियों के जीवन के लिये आवश्यक गैसों- नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइ ऑक्साइड, निऑन आदि पायी जाती हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है कि, नियुत्वान् वायवा गह्वयं शुक्रो अयामि ते। (2.41.2) अर्थात्- वायु, नियुत् गण से युक्त होकर आओ। यहाँ नियुत् शब्द का अर्थ जो निश्चित रूप से वायु के साथ रहता हो, है। हमारे चारों ओर फैली वायु में विविध प्रकार की गैसों विद्यमान हैं, अतः नियुत् गण से हम जीवन के लिये आवश्यक विविध गैसों से युक्त वायु को समझ सकते हैं। पृथिवी के कुल द्रव्यमान के प्रमुख घटक के रूप में 99% वायु, पृथिवी की सतह से 32 कि.मी. की ऊँचाई तक स्थित है। सारिणी में वायुमण्डल के निचले भाग में पाई जाने वाली गैसों का विवरण दिया गया है। वायुमण्डल में ऊपर की

ओर इन गैसों का अनुपात परिवर्तित होता रहता है। पृथिवी की सतह से 120 कि.मी. की ऊँचाई पर ऑक्सीजन अतिन्यून हो जाती है। 90 कि.मी की ऊँचाई तक ही कार्बन डाई ऑक्साइड और जलवाष्प पाये जाते हैं। हमारे वायुमण्डल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक ओजोन है, जो पृथिवी की सतह से 10-50 कि.मी. की ऊँचाई तक पाया जाता है। यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथिवी पर आने से रोकती है। वायुमण्डल में जलवाष्प ऐसी परिवर्तनीय गैस है, जो ऊँचाई के साथ घटती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर इस की मात्रा कम हो जाती है। जल वाष्प सूर्य से निकलने वाले ताप का आंशिक अवशोषण तथा पृथिवी के ताप का संग्रहण करता है। इसके कारण पृथिवी का तापमान सामान्य बना रहता है। वायुमण्डल के निचले भाग में छोटे-छोटे धूलकण होते हैं, जो समुद्री नमक, बारीक मिट्टी, पराग, धूल व उल्काओं के टूटने से बनते हैं। इन नमक और धूलकणों के चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं।

वायुमण्डल की संरचना- वायुमण्डल, भिन्न-भिन्न घनत्व और तापमान वाली परतों से निर्मित है। इनके पाँच स्तर- क्षोभ मण्डल, समताप मण्डल, मध्य मण्डल, आयन मण्डल व बहिर्मण्डल हैं। हमारे वायुमण्डल में ध्रुवों पर औसतन धरती की सतह से 8 कि.मी. की ऊँचाई पर तथा विषुवत वृत्त पर 18 कि.मी. की ऊँचाई तक क्षोभ मण्डल का विस्तार है। इस परत में धूलकण व जलवाष्प की अधिकता है। मौसम सम्बन्धी घटनाएँ क्षोभ मण्डल में होती हैं। इस स्तर में प्रति 165 मीटर की ऊँचाई पर 1° से. तापमान घट जाता है। समताप मण्डल का विस्तार क्षोभ मण्डल के ऊपर 50 कि.मी. तक है। क्षोभ मण्डल व समताप

सारिणी- 3.1
वायुमण्डल की स्थाई गैसें

घटक	सूत्र	द्रव्यमान %
नाइट्रोजन	N ₂	78.8
ऑक्सीजन	O ₂	20.95
आर्गन	Ar	0.93
कार्बन डाई ऑक्साइड	CO ₂	0.036
नीऑन	Ne	0.002
हिलीयम	He	0.0005
क्रेप्टो	Kr	0.001
जेनन	Xe	0.00009
हाईड्रोजन	H ₂	0.00005



चित्र-3.1 वायुमण्डल की संरचना

मण्डल को अलग करने वाले भाग को **क्षोभ सीमा** कहते हैं। समताप मण्डल में ताप समान रहता है। वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। ओजोन परत समताप मण्डल का ही भाग है। ऋग्वेद में ओजोन परत को महत् उल्ब कहा गया है, जो स्थविर और मोटी परत है। **महत् तदुल्बं स्थविरं तदासीत्। येनाविष्टितः प्रविवेशिथापः॥** (10.51.1) अथर्ववेद में इसका रंग सुनहरा बताया गया है। यह पृथिवी के सभी जीवों की रक्षा, गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा झिल्ली के समान करता है- **तस्योत जायमानस्य-उल्ब आसीद् हिरण्ययः।** (4.2.8) **मध्य मण्डल** का विस्तार 50 से 80 किमी. तक है। 80 किमी. की ऊँचाई पर तापमान-100° से. हो जाता है। मध्य मण्डल ऊपरी परत को मध्य सीमा कहा जाता है। **आयन मण्डल** का विस्तार 80 से 400 किमी. की ऊँचाई तक है। इस मण्डल में विद्युत आवेशित कण पाये जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। पृथिवी से भेजी गई रेडियो तरङ्ग इसी स्तर से वापस लौटती हैं। यहाँ ऊँचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ने लगता है। वायुमण्डल की सबसे ऊपरी परत **बहिर्मण्डल** है। इस मण्डल में सभी घटक विरल अवस्था में पाये जाते हैं। **बहिर्मण्डल** के विषय में कम ही जानकारी प्राप्त होती है।

पृथिवी पर प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्राप्ति का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को

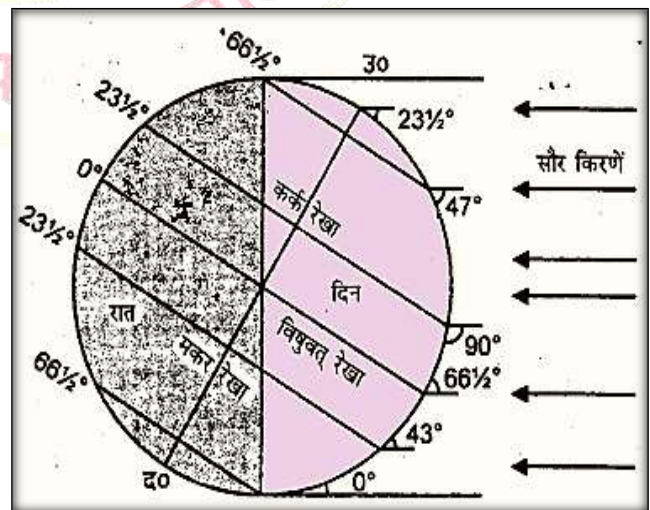
इसे भी जाने-

- सूर्य के पृष्ठ का तापमान 6000° सेल्सियस है।

पृथिवी वापस अन्तरिक्ष में फैला देती है। इसीलिए पृथिवी की सतह न तो अधिक समय के लिये अधिक गर्म और न ही ठण्डी हो पाती है। पृथिवी

के सभी भागों में ताप भिन्न-भिन्न होने के कारण वायुमण्डलीय दाब भी भिन्न होता है। इसी कारण पवनों द्वारा ताप स्थान्तरित होता रहता है। तल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है।

सौर विकिरण- सूर्य, अन्तरिक्ष में चारों ओर उष्मा का विकिरण करता है, जो सौर विकिरण कहलाता है। सौर विकिरण पृथिवी पर विद्युत और चुम्बकीय होता है जो प्रकाश या उष्मा के रूप में हमें प्राप्त होता है। पृथिवी की 'भू-आभ' आकृति के कारण पृथिवी के वायुमण्डल पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस कारण सौर ऊर्जा का बहुत कम भाग पृथिवी प्राप्त कर पाती है। सूर्य से पृथिवी को प्राप्त होने वाली इस लघु ऊर्जा को **सूर्यातप** कहते हैं। पृथिवी से सूर्य 4 जुलाई को सर्वाधिक (15 करोड़ 20 लाख किमी.) दूरी पर होता है, इस स्थिति को **अपसौर** (Aphelion) कहा जाता है। पृथिवी से सूर्य 3 जनवरी को सबसे नजदीक (14 करोड़ 70 लाख किमी.) होते हैं, इस स्थिति को **उपसौर** (Perihelion) कहा जाता है।



चित्र- 3.2 अयनान्त

पृथिवी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता- सूर्यातप में दैनिक, मासिक एवं वार्षिक परिवर्तन होता रहता है। इसका कारण पृथिवी का परिभ्रमण, सूर्य की किरणों का पृथिवी पर तिरछा पड़ना, दिन की अवधि, वायुमण्डल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास आदि हैं।

वायुमण्डल का तापन एवं शीतलन- वायुमण्डल कई प्रकार से गर्म और ठण्डा होता है। वायुमण्डल के तापन और शीतलन की मुख्य तीन प्रक्रिया है- सौर विकिरण से पृथिवी गर्म हो जाती है। पृथिवी अपने सतह के निकट के वायुमण्डल में तरङ्गों द्वारा ताप का सञ्चार करती है। इसी कारण पृथिवी के सम्पर्क में आने वाली वायु भी धीरे-धीरे गर्म हो जाती है। निचली गर्म परतों के सम्पर्क में आने पर ऊपरी परतों का गर्म होना **चालन** कहलाता है। वायुमण्डल के लम्बवत् तापन की प्रक्रिया **संवहन** तथा वायु के क्षैतिज सञ्चलन से होने वाला ताप का स्थानान्तरण **अभिवहन** कहलाता है। पृथिवी द्वारा सूर्य से प्राप्त ताप को दीर्घ तरङ्गों के रूप में परावर्तित करने की प्रक्रिया **पार्थिव विकिरण** के रूप में जानी जाती है।

पृथिवी का ऊष्मा बजट- पृथिवी द्वारा सूर्य से ताप ग्रहण कर स्थलीय विकिरण के माध्यम से ऊष्मा को

इसे भी जाने -

- वायुमण्डल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
- धरातल पर सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्ण कटिबन्धीय मरुस्थलों में प्राप्त होता है।

अन्तरिक्ष में छोड़ कर अपने तापमान का सन्तुलन करना पृथिवी का ऊष्मा बजट कहलाता है। सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथिवी का एल्बिडो कहते हैं।

तापमान- तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठण्डा होने का डिग्री में माप है। तापमान के

वितरण को नियन्त्रित करने वाले कारक अक्षांश रेखा, समुद्री तल से उस स्थान की उत्तुङ्गता, समुद्र से दूरी, वायु संहति का परिसञ्चरण, ठण्डी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति आदि हैं।

तापमान का वितरण- सामान्यतः मानचित्रों पर धरातल के तापमान वितरण को दर्शाने के लिए समताप

रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। समताप रेखाएँ, समान ताप वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं, जो प्रायः अक्षांशों के समानान्तर होती हैं। जनवरी में समताप रेखाएँ महासागरों के उत्तर एवं महाद्वीपों पर दक्षिण की तरफ विचलित हो जाती हैं। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर

इसे भी जाने -

- जनवरी एवं जुलाई महीने विपरीत जलवायु दशाओं को व्यक्त करते हैं। इनके तापमान के वितरण के अध्ययन द्वारा सम्पूर्ण वर्ष के तापमान की औसत दशाओं का अनुमान लगाया जा सकता है।

पर देखा जा सकता है। जुलाई माह में ये रेखाएँ प्रायः अक्षांशों के समानान्तर चलती हैं। ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान के बढ़ने की प्रक्रिया **तापीय व्युत्क्रमण** कहलाती है। पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। व्युत्क्रमण के लिये सर्दी, मेघ हीनता, लंबी रातें, शान्त वायु आदर्श दशाएँ हैं। वायुमण्डल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देने वाला कारक भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण है।

वायुमण्डलीय परिसञ्चरण- वायुमण्डल में स्थित वायु के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार **वायुमण्डलीय दाब** कहलाता है। वायुमण्डलीय दाब में भिन्नता का कारण वायु का गर्म होने पर प्रसार तथा ठण्डी होने पर सिकुड़ना है। वायु अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। वायुमण्डलीय दाब ही यह तय करता है कि वायु कब ऊपर उठेगी और कब नीचे बैठेगी। तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण का कार्य वायु करती है, जिससे पृथिवी का तापमान स्थिर बना रहता है। वायुदाब और तापमान में विपरीत सम्बन्ध होता है। वायुमण्डलीय दाब को मापने की इकाई **मिलीबार** तथा इसके मापक यन्त्र को **बैरोमीटर** कहते हैं। वायुमण्डल के निचले भाग में

सारिणी 3.2		
स्तर	वायुदाब (मिलीबार)	तापमान (से.मी.)
समुद्रतल	1,013.25	15.2
1 कि.मी.	898.76	8.7
5 कि.मी.	540.48	-17.3
10 कि.मी.	265.00	-49.7

वायुदाब ऊँचाई के साथ तीव्रता से घटता है। प्रत्येक 10 मीटर की ऊँचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब कम होता है, किन्तु वायुदाब के घटने की दर समान नहीं होती है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अन्तराल पर खींची गयी समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। ये रेखाएँ समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। पृथिवी की घूर्णन गति तथा तापमान का धरातल पर वायुदाब के वितरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है।

समुद्रतल वायुदाब का विश्व वितरण- 30° उत्तरी व 30° दक्षिणी अक्षांशों वाले क्षेत्रों को उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। ध्रुवों की ओर 60° उत्तरी व 60° दक्षिणी अक्षांशों पर पाई जाने वाली निम्न दाब पेटियाँ को अधोध्रुवीय निम्नदाब पेटियाँ कहा जाता हैं। ध्रुवों के नजदीक अधिक वायुदाब होता है, जिसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। ये वायुदाब पेटियाँ अस्थायी होने के कारण सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के साथ-साथ उत्तर व दक्षिण की ओर खिसकती रहती हैं। चार प्रमुख वायुदाब पेटियों में, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटियाँ तथा ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियाँ तापजन्य होती हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियाँ तथा उपोष्ण क्षेत्रीय उच्च वायुदाब पेटियाँ गतिजन्य होती हैं।

पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल- वायुमण्डलीय दाब में भिन्नता के कारण क्षैतिज रूप से गतिशील वायु, **पवन** कहलाती है। सामान्यतः इन पवनों का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। दाब प्रवणता, घर्षण और कोरियालिस बल के संयुक्त प्रभावों का परिणाम धरातलीय क्षैतिज पवनें हैं। वायुदाब में अन्तर के कारण उत्पन्न बल को **वायुदाब प्रवणता बल** कहते हैं। समदाब रेखाओं पर यह बल अधिक तथा इनसे दूर होने पर कम होता है। **घर्षण बल** का प्रभाव धरातल पर 1 से 3 कि.मी. की ऊँचाई तक अधिक होता है। यह भी पवनों की गति को प्रभावित करता है। पृथिवी के घूर्णन द्वारा लगने वाला बल **कोरियालिस बल** कहलाता है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा से दायीं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाँई ओर विक्षेपित हो जाती है। निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का सञ्चरण **चक्रवाती परिसञ्चरण** तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र में **प्रतिचक्रवाती सञ्चरण** कहा जाता है।

वायु का परिसंचरण- पृथिवी की सतह से ऊपर की ओर होने वाली क्रिया परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाली क्रिया को कोष्ठ (Cell) कहते हैं। कोष्ठ की तीन श्रेणियाँ- उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में हैडले कोष्ठ, शीतोष्ण कटिबन्धों में फेरल कोष्ठ तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय कोष्ठ वायुमण्डल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। भूमण्डलीय पवनों का स्वरूप मुख्यतः वायुमण्डलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब पेटियों की उपस्थिति, वायुदाब पेटियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण और पृथिवी के घूर्णन पर निर्भर करता है। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानान्तरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। इसमें प्रशान्त महासागर का गर्म या ठण्डा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।



चित्र 3. 3- वायुमण्डल का सरलतम परिसंचरण

मौसमी पवनें- मौसम के अनुसार अपनी दिशाओं में परिवर्तन कर देने वाली पवनों को जो मौसमी पवनें कहा जाता है। स्थान विशेष में चलने वाली पवनों को स्थानीय पवन कहते हैं। मानसूनी हवाएँ, स्थल, समुद्री, पर्वतीय तथा घाटी क्षेत्रों में बहने वाली स्थानीय पवनें भी मौसमी पवनें ही हैं। स्थल से जल की ओर रात्रि में चलने वाली पवन, **स्थलीय समीर** है। समुद्र से स्थल की ओर दोपहर में चलने वाली पवन, **समुद्री समीर** है। पर्वत चोटियों से रात्रि के समय घाटियों की ओर बहने वाली ठण्डी व भारी पवनों को **पर्वतीय पवनें** कहा जाता है। घाटियों से पर्वतों की ओर दिन में चलने वाली गर्म पवनों को **घाटी पवनें** कहा जाता है। ऊँचे बर्फीले व पठारी क्षेत्रों से चलने वाली ठण्डी वायु को **अवरोही पवनें** कहते हैं।

वायु राशियाँ- वायु, जिसमें तापमान तथा आर्द्रता सम्बन्धी विशिष्ट गुण हो, वायुराशि कहलाती है। उष्णकटिबन्धीय वायु राशियाँ गर्म व ध्रुवीय वायु राशियाँ ठण्डी होती हैं। प्रमुख वायु राशियाँ- उष्णकटिबन्धीय महासागरीय वायुराशि, उष्णकटिबन्धीय महाद्वीपीय वायुराशि, ध्रुवीय महासागरीय वायुराशि, ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशि, महाद्वीपीय आर्कटिक वायुराशि हैं। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं, तो इनके मध्य सीमा क्षेत्र को **वाताग्र** कहा जाता है। इनके कारण अचानक तापमान परिवर्तित होने के कारण वायु ऊपर की ओर उठकर बादल का निर्माण कर वर्षा कराती है। वाताग्र चार प्रकार के- शीत, उष्ण, अचर और अधिविष्ट वाताग्र होते हैं।

चक्रवात- निम्न वायुमण्डलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाएं बाहर से अन्दर की ओर की चक्कर काटती हुई चलने वाली तेज हवाओं को **चक्रवात** कहते हैं। वायुमण्डल में स्थित उच्च दाब क्षेत्र से संबद्ध पवन

प्रवाह प्रणाली को प्रतिचक्रवात कहते हैं। इन गर्म हवाओं को दक्षिणी गोलार्द्ध में चक्रवात व उत्तरी गोलार्द्ध में हरिकेन और टाइफून कहा जाता है। हरीकेन, सामान्यतः 120 किमी. घंटा से अधिक औसत गति वाली पवन होती है। हिन्द महासागर में इन्हें चक्रवात तथा अटलान्टिक महासागर में हरिकेन कहते हैं। टाइफून, पश्चिमोत्तर प्रशान्त महासागर तथा चीन सागर में उत्पन्न होने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। टारनेडो, एक प्रकार की उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो छोटा किन्तु तीव्र और अति विनाशकारी होता है। आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न स्थानीय तूफान को तड़ित झंझा कहते हैं। इसमें बिजली चमकने और तेज हवाएँ चलती हैं।

वायुमण्डल में जल- वायुमण्डल में जल महत्वपूर्ण घटक है। वैदिक वाङ्मय में वायु मण्डल में जल की उपस्थिति बताई गई है- **उपांशुना सममृतत्वमानट्।** (ऋ.4.58.1) अर्थात् समुद्री जल वाष्प के रूप में सूर्य किरणों से मिलकर अमृत तुल्य हो जाता है। **उदीरयथा मरुतः समुद्रो यूयं वृष्टिं वर्षयथा पुरीषिणः।** (ऋ.5.55.5) इस मन्त्र में ऋषि प्रार्थना कर रहा है, हे मरुतो! तुम, अन्तरिक्ष से वृष्टि को प्रेरित करो। हे जल सम्पन्न! तुम लोग वर्षा करो। **प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युतः।** (ऋ.5.83.4) अर्थात् पर्जन्य द्वारा की जा रही समय तीव्र वायु चलती है और बिजली गिरती है।

वायुमण्डल में जल तीन रूपों ठोस, द्रव और गैस में विद्यमान रहता है। वायुमण्डल, महासागरों व महाद्वीपों के बीच जल का आदान-प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा द्वारा होता है। वायुमण्डल में वाष्प के रूप में स्थित जल को जलवाष्प तथा हवा में इसकी उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। वायुमण्डल में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता तथा वायुमण्डलीय आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। महासागरों के ऊपर आर्द्रता सर्वाधिक व महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित वायु को संतृप्त वायु और जिस ताप पर संतृप्तता आती है, ओसाङ्क कहलाता है।

वाष्पीकरण, संघनन और उर्ध्वपातन- ताप के कारण जल का द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। जिस तापमान पर जल का वाष्पन शुरू होता है, वह वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाती है। जलवाष्प का जल के रूप में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। संघनन का कारण तापमान में गिरावट है। जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे- कपूर और आयोडीन। जलवाष्प, वायुमण्डल में आर्द्रता और संघनन के पश्चात् ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल में से किसी एक रूप में परिवर्तित हो जाती है।

ओस और तुषार- जब वायु की आर्द्रता धरातल पर स्थित ठोस वस्तु; जैसे-पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तब इसे ओस कहा जाता है। जब संघनन तापमान के जमाव बिन्दु (0° से) से नीचे चला जाता है तब ओस ठण्डी जगहों पर छोटे-छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा हो जाता है, जिसे तुषार कहा जाता है।

कोहरा- कोहरा (Fog) पृथिवी के धरातल के समीप कम दृश्यता वाला जल और वाष्प युक्त बादल होते हैं। कोहरे व धुएँ के सम्मिलित रूप को **धूम्र कोहरा** कहते हैं। कुहासा भी एक प्रकार का अधिक दृश्यता वाला और अधिक नमी युक्त कुहारा होता है। इनमें जलवाष्प, जल, वायु के अलावा धूल, धुँआ व अन्य गैसों भी होती हैं।

बादल- वायुमण्डल में स्थित जल की बूँदों या बर्फ के कण स्मूहों को **बादल** कहते हैं। पृथिवी की सतह से पर्याप्त ऊँचाई पर स्वतन्त्र हवा में जलवाष्प के संघनन द्वारा बादलों का होता है।

बादल के प्रकार- ऊँचाई, घनत्व, विस्तार तथा पारदृश्यता के आधार पर मुख्यतः बादल के चार प्रकार के हैं- 1. पक्षाभ मेघ 2. कपासी मेघ 3. स्तरी मेघ 4. वर्षा मेघ। 8000 से 12000 मी. की ऊँचाई वाले पंख के समान दिखने वाले बादलों को **पक्षाभ मेघ** कहते हैं। 4000 से 7000 मी. की ऊँचाई पर बिखरे हुए रूई की भाँति दिखने वाले बादलों को **कपासी मेघ** कहते हैं। धरातल से कुछ ऊँचाई पर परतदार रूप में घने बादल **स्तरीय मेघ** कहलाते हैं। भूतल के निकट स्थित अपारदर्शी बादल समूह **वर्षा मेघ** कहलाते हैं।

वर्षण- वायुमण्डलीय जलवाष्प जब संघनित होकर ठोस या जल की बूँदों के रूप में धरती पर आता है, तो **वर्षण** कहलाता है। जलवाष्प जब जल की बूँदों के रूप में धरती पर आती हैं, तो **वर्षा** कहलाती हैं। हिमांक से नीचे तापमान के समय हिमकणों के रूप में होने वाली वृष्टि को **हिमपात** कहते हैं। वर्षा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है- 1. संवहनीय वर्षा 2. पर्वतीय वर्षा 3. चक्रवातीय वर्षा।

जब गर्म हवा ऊपर की ओर पर्याप्त ऊँचाई पर पहुँचकर ओसाङ्क तक ठण्डी होकर कपासी मेघों का निर्माण करती है। इन बादलों से होने वाली वर्षा **संवहनीय वर्षा** कहलाती है। आर्द्र हवाओं के मार्ग में किसी पर्वत की स्थिति के कारण हवाओं के ऊपर उठने तथा संघनन के कारण होने वाली वर्षा **पर्वतीय वर्षा** कहलाती है। प्रतिपवन भाग में स्थित वह पर्वतीय क्षेत्र जहाँ औसत से कम वर्षा कहोती है, **वृष्टि छाया क्षेत्र** कहलाता है। किसी चक्रवात या अवदाब के साथ होने वाली वर्षा **चक्रवातीय वर्षा** कहलाती है।

संसार में वर्षा वितरण- पृथिवी की सतह पर वर्ष भर में वर्षा की मात्रा में भिन्नाता के साथ अलग-अलग मौसम में वर्षा होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। तटीय भागों में वर्षा की अधिकता महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक होती है। विषुवतीय पट्टी, शीतोष्ण प्रदेशों, मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में 200 से.मी. से भी अधिक वर्षा होती है। महाद्वीपों के आन्तरिक भागों में 100 से 200 से.मी. महाद्वीपों के तटीय भागों में मध्यम जबकि उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों के केन्द्रीय तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी व आन्तरिक भागों में 50-100 से.मी. वार्षिक वर्षा होती है। इस प्रकार विश्व में आसमान वर्षा का वितरण देखा जाता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. पृथिवी में कुल द्रव्यमान का..... वायु है।
अ. 70%. ब. 99 % स. 98% द. 80%
2. पृथिवी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत..... है।
अ. सूर्य ब. तारे स. चन्द्रमा द. कोई नहीं
3. ओजोन परत पृथिवी की सतह से किमी. की ऊँचाई तक पाया जाता है।
अ. 18 कि.मी. ब. 30 कि.मी. स. 75 कि.मी. द. 80 कि.मी.
4. सूर्य के पृष्ठ का तापमान सेल्सियस है।
अ. 40000° ब. 20000° स. 6000° द. इनमें से कोई नहीं
5. वायुमण्डलीय दाब को मापने की इकाई है।
अ. डेसीमीटर ब. मीलीग्राम स. सेन्टीमीटर द. मीलीबार

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. वायु मण्डल की सबसे निचली परत.....हैं। (समताप मण्डल/क्षोभ मण्डल)
2. बहिर्मण्डल में सभी तत्व..... आवस्था में पाये जाते हैं। (सघन/ विरल)
3. पृथिवी के तापमान को..... सामान्य बनाये रखती है। (जलवाष्प/गैसों)
4. अपसौर..... को होता है। (3 जनवरी/4 जुलाई)

सत्य/असत्य बताइए-

1. समताप मण्डल का तापमान समान रहता है। (सत्य/असत्य)
2. मध्य मण्डल का विस्तार 50 किमी. तक होता है। (सत्य/असत्य)
3. चक्रवात को उत्तरी गोलार्द्ध में टाइफून कहा जाता है। (सत्य/असत्य)
4. हरीकेन ,120 किमी. प्रति घण्टा की गति से चलने वाली पवन होती है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. स्थानीय समीर	क. स्थल से जल की ओर चलने वाली पवनें
2. स्थलीय समीर	ख. घाटियों से पर्वतों की ओर दिन में चलने वाली गर्म पवनें
3. समुद्री समीर	ग. स्थानीय दशाओं से उत्पन्न पवनें
4. घाटी पवनें	घ. समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. जलवाष्प से क्या आशय है?
2. पवन किसे कहते हैं?
3. वाताग्र से क्या आशय है?

4. चक्रवात किसे कहते हैं?
5. वायुदाब से क्या अभिप्राय है?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

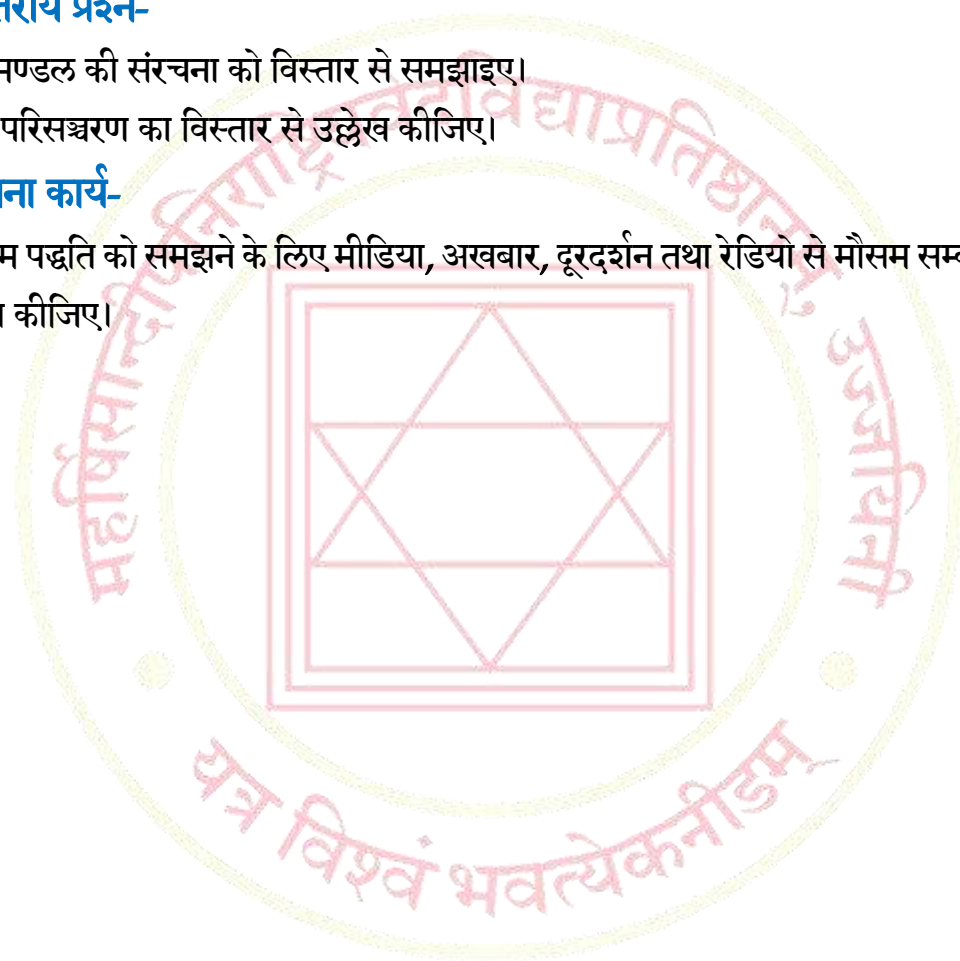
1. पर्वतीय व घाटी समीर में अन्तर बताइए ?
2. पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल कौन-कौनसे हैं?
3. सौर विकिरण से क्या तात्पर्य है?
4. वायुमण्डल के गर्म होने की प्रक्रिया को समझाइए?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. वायुमण्डल की संरचना को विस्तार से समझाइए।
2. वायु परिसंचरण का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. मौसम पद्धति को समझने के लिए मीडिया, अखबार, दूरदर्शन तथा रेडियो से मौसम सम्बन्धी सूचना एकत्र कीजिए।



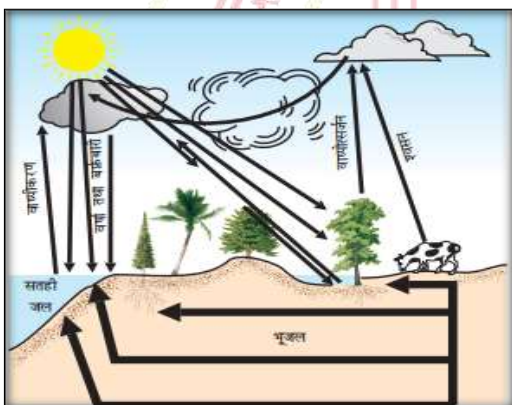
अध्याय- 4

जल और जलवायु

इस अध्याय में- जल, महासागर, महासागरीय अधःस्तल का उच्चावच, महासागरीय जल का तापमान, तापमान का ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वितरण, महासागरीय जल की लवणता, महासागरीय जल संचलन, तरङ्गें, ज्वार-भाटा, महासागरीय धाराएँ, जलवायु, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों।

जल- पृथिवी के धरातल पर जल की प्रचुर मात्रा है। इसी कारण पृथिवी को 'नीला ग्रह' भी कहा जाता है। पृथिवी का लगभग तीन-चौथाई भाग जल से घिरा है। पृथिवी पर स्थित सम्पूर्ण जल का लगभग 97.25% भाग महासागरों व समुद्रों में अवस्थित है।

जलीय चक्र- जलीय चक्र का अर्थ एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में जल का निरन्तर सागरों, महासागरों, वायुमण्डल और धरातल तक पहुँचना है। जलीय चक्र पृथिवी के जलमण्डल में विभिन्न रूपों- गैस, तरल और ठोस अवस्था में जल का परिसंचरण है। जल के प्रमुख घटक- सागरीय और महासागरीय जल, वायुमण्डलीय जल, हिम के रूप में जमा जल, धरातलीय जल, और भूमिगत जल हैं।



चित्र- 4.1 जलीय चक्र

महासागर- पृथिवी पर विस्तृत जलराशि के समूह को महासागर कहा जाता है। पृथिवी के कुल क्षेत्रफल के लगभग

दो-तिहाई भाग पर महासागर हैं। पृथिवी पर कुल पाँच महासागर हैं- प्रशान्त महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। महासागरों की अपेक्षा छोटी जलराशि को सागर कहते हैं। ये महासागरों से जुड़े हुए और कम गहरे होते हैं। लाल सागर, दक्षिण चीन सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर आदि प्रमुख सागर हैं।

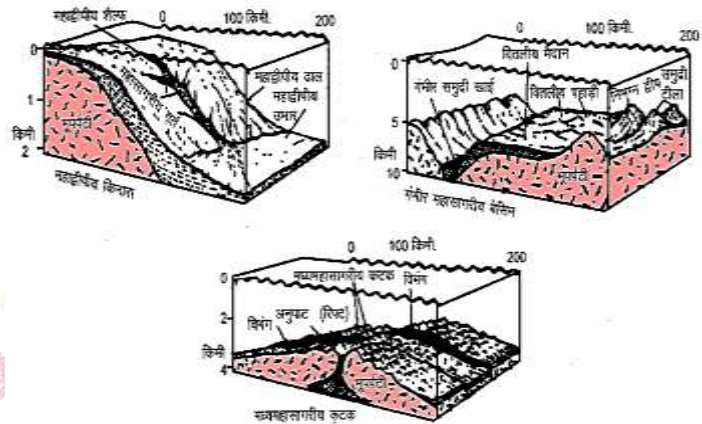
महासागरीय अधःस्तल का उच्चावच- सागर और महासागर पृथिवी की बाहरी परत में विशाल गर्तों में

सारणी 4.1

पृथ्वी पर जल का वितरण

जलाशय	प्रतिशत में
महासागरीय जल	97.25
हिमानियाँ एवं हिमटोपी	2.05
भूमिगत जल	0.68
झीलें	0.01
मृदा में नमी	0.005
वायुमण्डल	0.001
नदी-नाले	0.0017
जैवमण्डल	0.0006

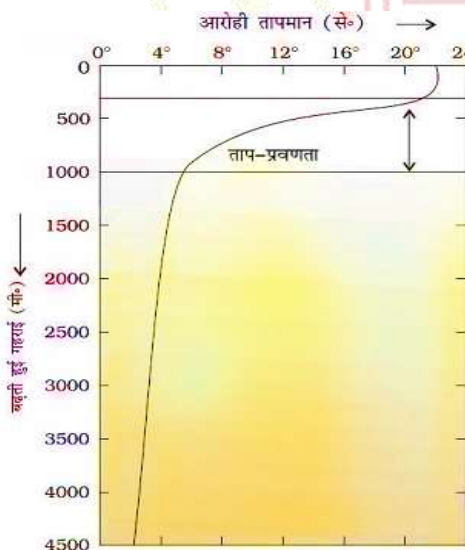
स्थित है। महासागरीय अधःस्तल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किमी. के मध्य मिलता है। महासागरों के सतह पर विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ, गहरे गर्त, बड़े मैदान हैं। इनका निर्माण भी विवर्तन, ज्वालामुखी और निक्षेपण क्रिया से होता है। महासागरीय अधःस्तल के मुख्य चार भाग हैं- 1. महाद्वीप का विस्तृत सीमान्त जो उथले सागरों तथा खाडियों से घिरा होता है, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। 2. महासागरीय बेसिनों तथा शेल्फ को जोड़ने वाले महासागरीय अधस्तल को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। 3. 3000 से 6000 मीटर के मध्य गहराई वाले महासागरीय बेसिन को गहरे सागरीय मैदान कहते हैं। 4. महासागरों के सबसे गहरे और खड़े



चित्र-4.2 महासागरीय अधस्तल के उच्चावच

किनारों वाले संकीर्ण बेसिन को महासागरीय गर्त कहते हैं। इन प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त महासागरों में और भी अनेक लघु आकृतियाँ पायी जाती हैं। इनमें प्रमुख लघु आकृतियाँ हैं- मध्य महासागरीय कटक, जो पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है। समुद्री टीला, जो ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, जो गहरी घाटियाँ होती हैं। निमग्न द्वीप, चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं तथा प्रवाल द्वीप जो प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं।

महासागरीय जल का तापमान- महासागरीय जल के गर्म होने का कारण सौर ऊर्जा है। स्थलीय भाग की अपेक्षा जलीय भाग का तापन व शीतलन प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने



चित्र- 4.3 ताप प्रवणता

वाले प्रमुख कारक- अक्षांश, सनातन पवनें, महासागरीय पवनें, स्थल और जल का असमान वितरण है।

तापमान का ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वितरण- महासागरों में सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27° से. होता है। गहराई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है। लगभग 200 मी. की गहराई तक तापमान तीव्र गति से घटता है, उसके बाद तापमान घटने की दर में कमी आ जाती है। उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्द्ध के महासागरों से अधिक होता है। उत्तरी गोलार्द्ध में औसत तापमान 19° से. तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में 16° से. रहता है।

महासागरीय जल की लवणता- समुद्री जल का महत्त्वपूर्ण गुण लवणता है। लवणता का मापन 1000 ग्राम (1kg) जल में घुले हुए नमक की मात्रा से किया जाता है। लवणता का प्रयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक वाष्पीकरण, वर्षण, वायु, महासागरीय धाराएँ आदि हैं।

लवणता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण- महासागरों में औसत लवणता 33%. से 37%. के मध्य होती है। लाल सागर में 41%., अटलांटिक महासागर में 36%. लवणता पायी जाती है। गर्म व शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण की दर उच्च होती है वहाँ की लवणता 70%. तक भी हो जाती है। सतह की

इसे भी जाने-

- सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र- टर्की की वॉन झील (330%.), मृत सागर (238%.) और ग्रेट साल्ट झील (220%) है।

लवणता में वृद्धि व हास चलती रहती है किन्तु गहराई में लवणता लगभग निश्चित होती है। गहराई में लवणता में वृद्धि होती है। गहराई में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ लवणता तीव्रता से बढ़ती है, वह क्षेत्र हेलोक्लाइन कहलाता है।

महासागरीय जल सञ्चलन- महासागरीय जल निरन्तर गतिमान होता है। इस गतिशीलता का कारण महासागरों की भौतिक विशेषताएँ (तापमान, लवणता, घनत्व) तथा बाह्य बल (वायु, सूर्य, चन्द्रमा) हैं। इसमें क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। महासागरीय जल की धाराएँ और तरंगें क्षैतिज गति तथा ज्वार-भाटा ऊर्ध्वाधर गति से सम्बन्धित हैं। महासागरीय जल धाराएँ एक निश्चित दिशा में बड़ी मात्रा में जल का अनवरत बहाव हैं। है। महासागरीय जल एक दिन में दो बार सूर्य व चन्द्रमा के आकर्षण के कारण ऊपर उठता व नीचे गिरता है।

तरङ्गें- तरङ्गें एक प्रकार से ऊर्जा है, जिनमें जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु द्वारा महासागरीय जल को प्रदत्त ऊर्जा के कारण उनमें तरङ्ग पैदा होती हैं। जैसे-जैसे तरङ्ग आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती है। तरङ्गों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। तरंग के उच्चतम बिन्दु का ज्ञान हमें वायु की तीव्रता से होता है। एक तरङ्ग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। विशाल तरङ्गें महासागरों में पायी जाती हैं।

इसे भी जाने-

- विश्व का सबसे ऊँचा ज्वार-भाटा (15-16 मीटर की ऊँचाई वाला) कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है।

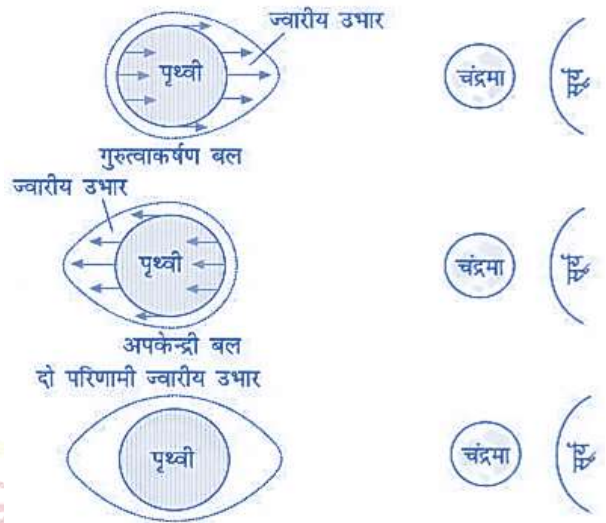
ज्वार-भाटा- सूर्य और चन्द्रमा के आकर्षण के कारण महासागरों के जल स्तर का ऊपर उठना तथा गिरना ज्वार-भाटा कहलाता है। जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। अपकेन्द्रीय बल ज्वार भाटे की उत्पत्ति में सहायक होता है।

ज्वार-भाटा के प्रकार- ज्वार-भाटा के वर्गीकरण के दो आधार हैं- (अ.) सूर्य, चन्द्रमा एवं पृथिवी की कोणीय स्थिति के आधार पर (ब.) आवृत्ति के आधार पर।

(अ.) सूर्य, चन्द्रमा एवं पृथिवी की कोणीय स्थिति के आधार पर ज्वार-भाटा दो प्रकार का होता है-

1. दीर्घ या उच्च ज्वार- जब सूर्य व चन्द्रमा के सरल रेखा में आने से उनके संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथिवी पर स्थित महासागरीय जल का ऊँचाई तक उठना दीर्घ या उच्च ज्वार कहलाता है। ऐसा ज्वार-भाटा पूर्णिमा व अमावस्या को आता है।

1. लघु या निम्न ज्वार- पृथिवी, सूर्य व चन्द्रमा के समकोणीय स्थित में आने पर महासागरीय जल उच्च ज्वार की अपेक्षा कम ऊँचाई तक उठता है, इसे लघु या निम्न ज्वार कहते हैं।



चित्र-4.4 गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार भाटा के मध्य

(ब.) आवृत्ति के आधार पर ज्वार-भाटा तीन प्रकार का होता है-

1. दैनिक ज्वार- ये दिन में दो बार आते हैं (एक उच्च व एक निम्न ज्वार)।
2. अर्ध दैनिक ज्वार- ये दिन में चार बार आते हैं (दो उच्च व दो निम्न ज्वार)।
3. मिश्रित ज्वार- ऐसे ज्वार-भाटा जिनकी ऊँचाई में भिन्नता हो।

ज्वार-भाटा का महत्त्व- ज्वार-भाटा के कारण समुद्र की लवणता बनी रहती है। समुद्र का मुहाना इसके द्वारा साफ हो जाता है। ज्वार-भाटा के कारण समुद्र में मछलियों की मात्रा में वृद्धि होती है। ज्वार-भाटा के कारण महासागरों का तापमान सन्तुलित रहता है। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है।

महासागरीय धाराएँ- महासागरों में निश्चित मार्ग व दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जल के नियमित प्रवाह को महासागरीय धाराएँ कहा जाता है। यह जल के प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। महासागरों के सतह की धाराएँ तीव्र और गहराई में मन्द होती हैं। महासागरीय धाराएँ प्राथमिक बल तथा द्वितीयक बलों के द्वारा नियन्त्रित होती हैं। महासागरीय धाराओं को दो प्रकार के बल प्रभावित करते हैं। प्राथमिक बल जैसे- वायु, सूर्य द्वारा जल का गर्म होना, गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियालिस बल आदि जल को गति प्रदान करते हैं। द्वितीयक बल, जल धाराओं को नियन्त्रित करने वाले होते हैं। कोरिऑलिस बल के कारण निम्न अक्षांशों में प्रवाहित गर्म जलधाराएँ उत्तरी गोलार्द्ध में अपनी बायीं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में अपनी दायीं ओर मुड़ जाती हैं।

महासागरीय धाराओं के प्रकार-

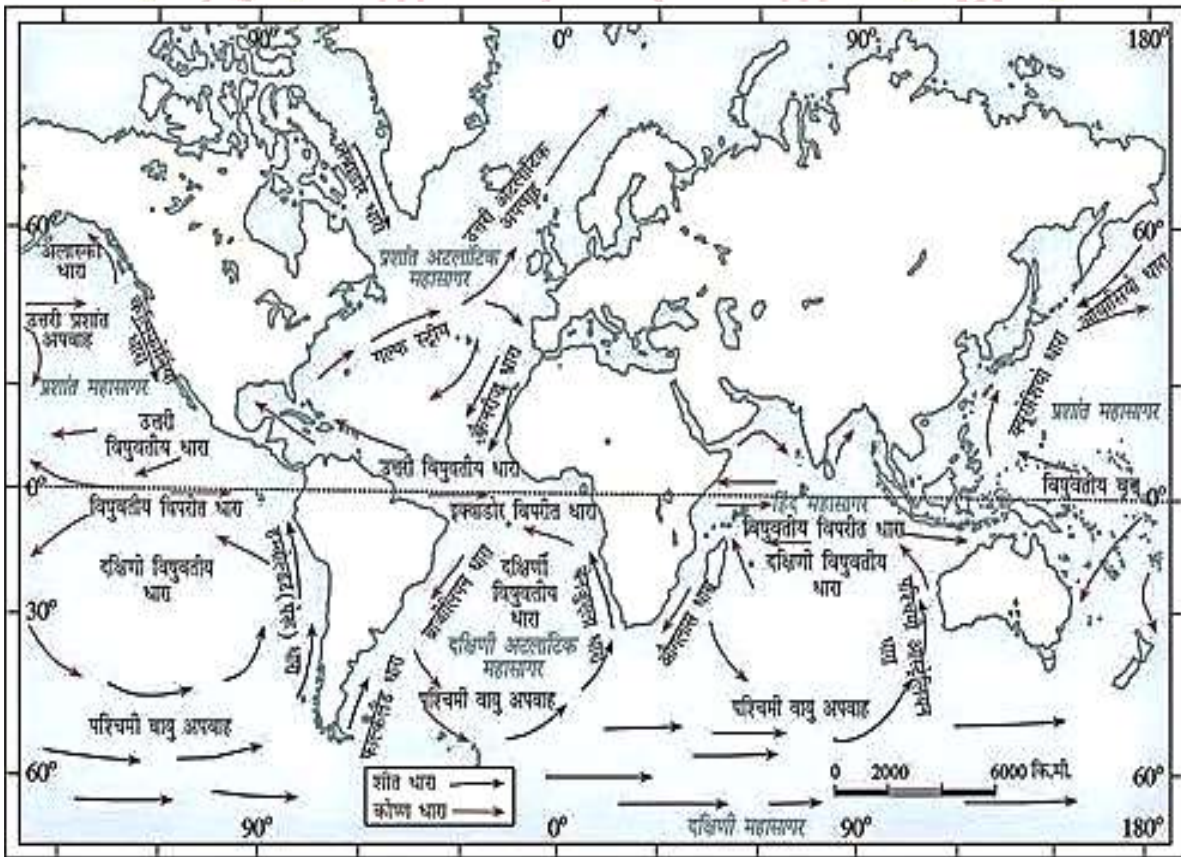
इसे भी जाने-

- महासागरीय धाराओं के प्रवाह को नॉट में मापा जाता है।

1. गहराई के आधार पर- गहराई के आधार पर महासागरीय धाराएँ दो प्रकार की हैं- सतही जल धाराएँ जो कुल महासागरीय जल का 10% हैं। ये महासागरों में 400 मी. की गहराई तक पायी जाती हैं। गहरी जलधाराएँ जो कुल महासागरीय जल का 90% हैं। ये कम तापमान और अधिक घनत्व वाली होती हैं।

2. तापमान के आधार पर- तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएँ दो प्रकार की हैं- ठण्डी जलधाराएँ जो प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती हैं। ये ठण्डा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं। लेब्रोडरी, हम्बोल्ट (पेरू), ओयाशियो आदि ठण्डी जलधाराएँ हैं। गर्म जलधाराएँ- गर्म जल धाराएँ महाद्वीपों के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हैं। ये गर्म जल को ठण्डे जल क्षेत्रों में पहुँचाती हैं। अलास्का, क्यूरोशियो धारा, ब्राजील की धारा, अगुलहास, गल्फ स्ट्रीम आदि गर्म जलधाराएँ हैं।

महासागरीय धाराओं के प्रभाव- ये धाराएँ मानव जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जिन क्षेत्रों में ठण्डी धाराएँ चलती हैं वहाँ का औसत, दैनिक व वार्षिक तापमान कम होता है तथा जिन क्षेत्रों में गर्म धाराएँ (महासागरीय) चलती है, वहाँ वार्षिक तापान्तर कम रहता है। गर्म और ठण्डी जलधाराओं के मिलने वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म समुद्री जीव, जो मछलियों का मुख्य भोजन हैं बहुलता में मिलते हैं। अतः संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं भागों में पाये जाते हैं।



चित्र- 4.5 महासागरीय धाराएँ

जलवायु- पृथिवी पर जीवन के उपयुक्त वातावरण के निर्माण के लिये वायु और जल महत्वपूर्ण घटक हैं। वायु और जल मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। जलवायु को अंग्रेजी में Climate कहते हैं। Climat शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के Klima (क्लाइमा) से हुई है जिसका अर्थ 'झुकाव' (inclination) होता है। वास्तव में पृथिवी के किसी वृहत् प्रदेश के वायुमण्डल के लम्बे समय की सामान्य स्थिति को **जलवायु**

इसे भी जाने-

- पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न अपकेन्द्रीय बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इसके कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। परिणामतः उत्तरी गोलार्द्ध में पवन दायीं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बायीं ओर मुड़ जाती हैं। इस परिवर्तनकारी बल की खोज कॉरिऑलिस नामक विद्वान ने की थी।

कहते हैं। पृथिवी के अलग-अलग अक्षांशों पर ताप की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। इसी भिन्नता के आधार पृथिवी का जलवायुयिक विभाजन किया जाता है। किसी विशेष स्थान पर विशेष समय में वायुमण्डल की विशिष्ट स्थिति को **मौसम** (Weather) कहते हैं। ताप, दाब, वायु, आर्द्रता, बादल और वर्षा आदि मौसम और जलवायु के महत्वपूर्ण तत्त्व हैं, जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। सम्पूर्ण विश्व की जलवायु को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है- हैजननिक, आनुभविक

और अनुप्रयुक्त।



चित्र- 4.6 कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति

कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति- जलवायु के वर्गीकरण में वी. कोपेन की आनुभविक पद्धति (1918 ई.) का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। बाद में इसमें संशोधन किए जाते रहे। जलवायु वर्गीकरण के लिए कोपेन ने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से सम्बन्ध स्थापित किया। कोपेन द्वारा पाँच जलवायु समूह तैयार किए गए जिनमें से चार

तापमान व एक वर्षण पर आधारित है। इन पाँच समूहों में से समूह A, C, D व E आर्द्र जलवायु को तथा समूह B शुष्क जलवायु को बताता है।

समूह-A में कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य पायी जाने वाली उष्ण प्रदेशीय जलवायु है। यहाँ वर्षा अधिक तथा वार्षिक तापान्तर कम होता है। उष्ण प्रदेशीय जलवायु को तीन भागों में विभाजित किया गया है- उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु (AT), उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु (Am), उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु (Aw)।

समूह B में विषुवत् वृत्त से 15° से 60° उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत अति न्यून वर्षा वाली शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है- अर्द्ध शुष्क जलवायु (BS) तथा मरुस्थल जलवायु (BW)।

सारणी 4.2

समूह	प्रकार	कूट अक्षर	लक्षण
A उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु	उष्णकटिबंधीय आर्द्र	Af	कोई शुष्क ऋतु नहीं।
	उष्णकटिबंधीय मानसून	Am	मानसून, लघु शुष्क ऋतु
	उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क	Aw	जाड़े की शुष्क ऋतु
B शुष्क जलवायु	उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी	BSh	निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क
	उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल	BWh	निम्न अक्षांशीय शुष्क
	मध्य अक्षांशीय स्टेपी	BSK	मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क
	मध्य अक्षांशीय मरुस्थल	BWk	मध्य अक्षांशीय शुष्क
C कोष्ण शीतोष्ण (मध्य अक्षांशीय जलवायु)	आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय	Cfa	मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क
	भूमध्य सागरीय	Csa	शुष्क गर्म ग्रीष्म
	समुद्री पश्चिम तटीय	Cfb	कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म
D शीतल	आर्द्र महाद्वीपीय	Df	कोई शुष्क ऋतु नहीं भीषण जाड़ा .
	उपउत्तर ध्रुवीय-	Dw	जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण
E शीत जलवायु	टुण्ड्रा	ET	सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं
	ध्रुवीय हिमटोपी	EF	सदैव हिमाच्छादित हिम
F उच्च भूमि	उच्च भूमि	H	हिमाच्छादित उच्च भूमियाँ

समूह C में 30° से 50° अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी सीमान्तों पर पायी जाने वाली शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु है। इसे चार भागों में विभाजित किया गया है- आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु (Cwa), भूमध्य सागरीय जलवायु (Cs), आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु (Cfa), समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु (Cfb)।

समूह D में उत्तरी गोलार्द्ध में 40° से 70° अक्षांशों के मध्य यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्र में पायी जाने वाली शीत हिम वन जलवायु है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है- आर्द्र जाड़ों से युक्त ठण्डी जलवायु (D), शुष्क जाड़ों से युक्त ठण्डी जलवायु (Dw)।

समूह E में 70° अक्षांश उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की ओर पायी जाने वाली ध्रुवीय जलवायु है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है- टुण्ड्रा जलवायु (ET) और हिमटोप जलवायु (EF)।

समूह F में पर्वतीय प्रदेशों में उच्चभूमि जलवायु पाई जाती है, जो भौम्याकृति द्वारा नियन्त्रित होती है। इन जलवायु प्रदेशों में स्तरित ऊर्ध्वाधर प्रदेश पाये जाते हैं।

जलवायु परिवर्तन- जलवायु परिवर्तन से आशय, औसत मौसमी दशाओं के अनुक्रम में ऐतिहासिक बदलाव आना है। ये बदलाव प्राकृतिक व मानवीय दोनों कारणों से आते हैं। जलवायु परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है जो पृथिवी के प्रादुर्भाव से ही चलती आ रही है। माना जाता है कि 8000 वर्ष ई.पूर्व भारत में राजस्थान के थार की जलवायु आर्द्र व शीतल थी। 2000 से 1700 वर्ष ई. पूर्व यह हड़प्पा संस्कृति का केन्द्र था। किन्तु समय के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण अब यहाँ शुष्क जलवायु की प्रधानता है।

अभिनव पूर्व काल में जलवायु- यूरोप कई बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। यूरोप ने सन् 1550-1850 की अवधि में लघु हिमयुग का अनुभव किया। सन् 1885 से 1940 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि देखी गई। सन् 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान के दक्षिण-पश्चिमी भाग (धूल का कटोरा) में भयंकर सूखा पड़ा। सन् 1940 के बाद तापमान में कमी आई। सन् 1990 का दशक सदी का सबसे गर्म दशक रहा तथा विश्व भयंकर बाढ़ों से त्रस्त रहा। सन् 1998 बीसवीं शताब्दी/सहस्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था।

जलवायु परिवर्तन के कारण- जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं जैसे-

प्राकृतिक कारण- 1. ज्वालामुखी विस्फोट 2. समुद्री तूफान 3. बाढ़ 4. भूस्खलन 5. महाद्वीपीय संवहन आदि।

मानवीय कारण- 1. औद्योगिकरण 2. वनों की कटाई 3. खनन 4. शहरीकरण 5. जनसङ्ख्या वृद्धि 6. परिवहन के साधन आदि।

ग्रीन हाउस गैसों- प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों कार्बन-डाइ-ऑक्साइड, क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड व ओजोन हैं। ये गैसों वायुमण्डल की ऊपरी परत में फैल जाती हैं, इस कारण सूर्य की किरणों जो पृथिवी से परावर्तित होती हैं, वातावरण से बाहर नहीं जा पाती व पुनः पृथिवी पर लौट आती हैं, जिससे पृथिवी की सतह का तापमान बढ़ जाता है, इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। इन गैसों के कारण पृथिवी का तापमान निरन्तर बढ़ रहा है। इन गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकाल को स्वीकार किया गया। वर्ष 2005 में प्रभावी हुई क्योटो उद्घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया है। क्योटो प्रोटोकाल के अन्तर्गत सुनिश्चित किया गया कि 35 औद्योगिक राष्ट्र वर्ष 1990 के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन स्तर में 2012 तक 5 प्रतिशत की कमी लाएँगे।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. पृथिवी के सम्पूर्ण जल का..... भाग महासागरों और समुद्रों में स्थित है।
अ. 90.25% ब. 72% स. 77.25% द. 97.25%
2. महासागरों में सतह के जल का औसत तापमान.....सेल्सियस होता है।
अ. 27° ब. 42° स. 36° द. 47°
3. निम्न में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र.....है।
अ. टर्की की वॉन झील ब. मृत सागर
स. ग्रेट साल्ट झील द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. निम्न में वी-कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति..... है।
अ. आनुभविक ब. जननिक स. अनुप्रयुक्त द. उपर्युक्त सभी
5. निम्न में जलवायु परिवर्तन का मानवीय कारण..... है।
अ. भूस्खलन ब. महाद्वीपीय संवहन
स. खनन द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
6. क्योटो प्रोटोकाल की उद्घोषणा वर्ष.....में हुई थी।
अ. 2005 ई. ब. 1997 ई.
स. 1996 ई. द. 2012 ई.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. पृथिवी को ग्रह भी कहा जाता है। (पीला/नीला)
2. पृथिवी पर भूमिगत जल की मात्रा है। (0.68%/0.01%)
3. गहरी जलधाराएँ कुल जल का हैं। (80% /90%)
4. गर्म जल धाराएँ महाद्वीपों के.....तट पर प्रवाहित होती हैं। (पूर्वी/पश्चिमी)

सत्य/असत्य बताइए -

1. जल के तीन रूप है। सत्य/असत्य
2. लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। सत्य/असत्य
3. दैनिक ज्वार 48 घण्टे में एक बार आता है। सत्य/असत्य
4. वर्ष 1998 बीसवीं शताब्दी/सहस्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. उत्तरी गोलार्द्ध में औसत तापमान . क. निम्न द्वीप

2. दक्षिणी गोलार्द्ध में औसत तापमान
3. पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है,
4. चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं,

- ख. मध्य महासागरीय कटक
- ग. 16° सेल्सियस
- घ. 19° सेल्सियस

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. जलीय चक्र किसे कहते हैं ?
2. महाद्वीपीय शेल्फ किसे कहते हैं ?
3. महासागरीय धाराएँ किसे कहते हैं?
4. जलवायु किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न –

1. महासागरीय अधःस्तल का उच्चावच पर टिप्पणी लिखिये।
2. ज्वार-भाटा किसे कहते हैं ? उसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
3. कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति को समझाइए।
4. ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न –

1. महासागरीय धाराएँ किसे कहते हैं ? उसके प्रकार और प्रभाव बताइए।
2. जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? इसके प्राकृतिक व मानवीय कारण बताइए।

परियोजना कार्य-

1. किसी झील या तालाब के पास जाकर तरंगों का अवलोकन कर, अपने अनुभव लिखिये।

अध्याय-5

पृथिवी पर जैवमण्डल

इस अध्याय में- पारिस्थितिकी, पारितन्त्र, बायोम, जैव भू-रासायनिक चक्र, जैव विविधता, जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका, जैव-विविधता का हास, जैव-विविधता का संरक्षण, वैदिक वाङ्मय में जैव विविधता संरक्षण।

पृथिवी की उत्पत्ति का अन्तिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से सम्बन्धित माना जाता है। जीवन का विकास स्थल, जल एवं वायु मण्डलों में हुआ है। इन सभी भागों में जीवों के निवास स्थलों को मिलाकर जैवमण्डल कहते हैं। समस्त जीवधारी मिलकर पृथिवी पर जैवमण्डल (Biosphere) का निर्माण करते हैं। इसमें जीवित घटक शामिल हैं जो अन्य प्राकृतिक कारकों- भूमि, जल, मिट्टी, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश के साथ पारस्परिक क्रिया कर जीवों के जीवित रहने, वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं।

पारिस्थितिकी (Ecology)- पारिस्थितिकी को अंग्रेजी भाषा में Ecology कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक ई. हैकिल ने किया। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस (Oikos) और लॉजी (Logos) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ घर का अध्ययन है। पारिस्थितिकी के अन्तर्गत पृथिवी का अध्ययन मनुष्यों, पौधों, जन्तुओं व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में किया जाता है। यह जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने से सम्बन्धित हैं। पर्यावरण में जीवों, पौधों, प्राणियों (मानव जाति) व अन्य प्राणियों के मध्य सम्बन्ध को पारिस्थितिक सन्तुलन कहा जाता है। भिन्न-भिन्न पौधे व जीव-जंतु का विकासक्रम द्वारा किसी पर्यावरण का अभ्यस्त हो जाना पारिस्थितिक अनुकूलन कहलाता है।

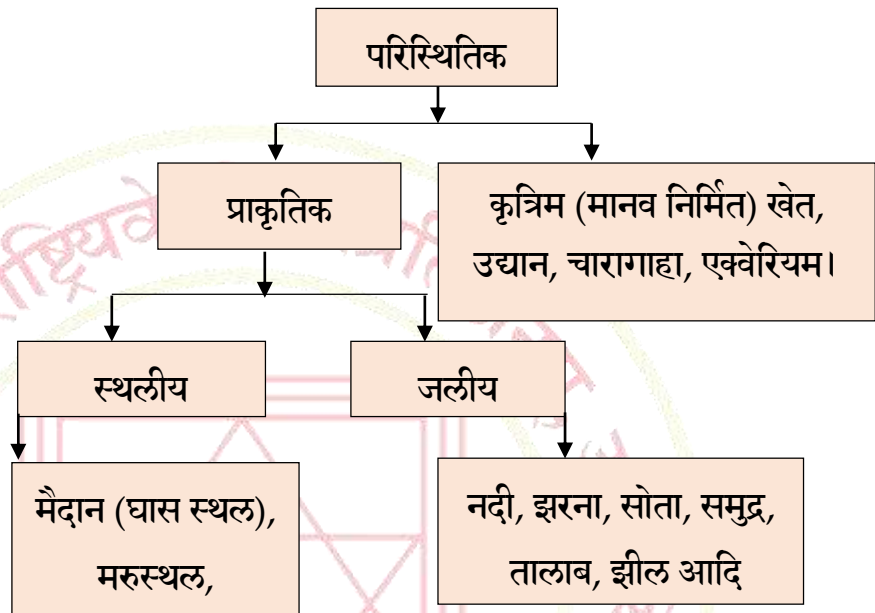
पारितन्त्र- किसी विशेष भाग में विशेष समूह के जीवों का अजैविक तत्वों से अन्तर्क्रिया होती है जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएँ स्पष्ट रूप से समायोजित हों, पारितन्त्र कहलाता है। इसमें सभी जीवधारी शामिल होते हैं, जो अजैव पर्यावरण (जल, वायु, मृदा) से अन्तःक्रिया करके सम्पूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। पारितन्त्र दो प्रकार का होता है - स्थलीय और जलीय पारितन्त्र। वन, घास, मरुस्थल और टुन्ड्रा विश्व के प्रमुख स्थलीय पारितन्त्र हैं। जलीय पारितन्त्र में महासागर, सागर, ज्वारनदमुख, प्रवाल भित्ति, झीलें, नदियाँ, कच्छ और दलदल शामिल हैं।

पारितन्त्र की कार्यप्रणाली व संरचना- संरचना की दृष्टि से पारितन्त्र में मुख्य रूप से दो घटक- जैविक और अजैविक हैं। जैविक घटकों में उत्पादक (पौधे, शैवाल, घास आदि), उपभोक्ता (प्राथमिक, द्वितीयक

व तृतीयक) तथा अपघटक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी व इनका निस्तारण करने वाले अपघटक होते हैं। अजैविक घटकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति, अकार्बनिक तत्वों आदि शामिल हैं।

बायोम- पृथिवी पर पाए जाने वाले समस्त जीव-जन्तुओं व पेड़-पौधों को संयुक्त रूप से बायोम कहा जाता है। पारितन्त्र में

वनस्पतियों और जीवों के अन्तर्सम्बन्धित समूह जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाये जाते हैं, बायोम कहलाते हैं। बायोम को 5 भागों में बांटा गया है -



1. **वन बायोम-** वन बायोम के तीन भाग हैं-उष्ण प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश

और बोरियल। उष्ण प्रदेशों (विषुवत रेखा पर 10^0 से 25^0 उत्तर और दक्षिण अक्षांश) में अत्यधिक वाष्पीकरण तथा वर्षा होती है। उष्ण प्रदेशों के प्रदेशों में पाये सदाबहार वन जाते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में मध्यम घने और कम चौड़े पत्ते वाले वृक्षों से युक्त वन पाये जाते हैं। बोरियल में यूरोशिया, साइबेरिया का कुछ भाग, कनाडा जैसे प्रदेश शामिल हैं। यहाँ सदाबहार कोणधारी वनों में पाइन, फर, स्प्रूस जैसे वृक्ष पाये जाते हैं।

2. **घास भूमि बायोम-** उष्ण प्रदेश, पृथिवी पर $23\frac{1}{2}^0$ उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश और शीतोष्ण प्रदेश, 45^0 से 66^0 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश पर फैले वनों को घास भूमि बायोम कहा जाता है। सबाना, प्रेयरी, वेल्ड, पम्पास, लानोस आदि प्रमुख घास भूमि बायोम हैं।

3. **मरुस्थलीय बायोम-** पृथिवी के लगभग 14% भाग पर इसका विस्तार है। इसका विस्तार महाद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम में है। इसमें वनस्पतियों की प्रायः कमी होती है। यह बायोम शीत, तटीय, अर्धशुष्क और गर्म मरुस्थल के रूप में पृथिवी पर फैला है।

4. **जलीय बायोम-** पृथिवी के जलीय भाग में पाए जाने वाले पेड़-पौधे व जीव-जन्तुओं को समग्र रूप से जलीय बायोम कहते हैं। इस बायोम की दो श्रेणियाँ- ताजा जल और समुद्री जल हैं। इनका क्षेत्र झीलें, नदियाँ, आर्द्र भूमि, महासागर, लैगून, ज्वारनद मुख और प्रवालभित्ति हैं।
5. **उच्च प्रदेशीय बायोम-** ये ऊँची पर्वतीय श्रेणियों के ढाल होते हैं जैसे - हिमालय, एण्डीज व रॉकी पर्वत क्षेत्र आदि।

जैव भू-रासायनिक चक्र- जैवमण्डल में जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य साधन है। पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश-संश्लेषण द्वारा अपना भोजन व ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीवमण्डल में प्राणियों व वातावरण के बीच रासायनिक पदार्थों के आदान-प्रदान की चक्रीय गति को जैव भू-रासायनिक चक्र कहा जाता है। यह चक्र दो प्रकार का होता है-

1. **गैसीय चक्र,** इसका पदार्थ का प्रमुख स्रोत वायुमण्डल और महासागर है।
2. **तलछटी चक्र,** इसका प्रमुख स्रोत मिट्टी, तलछट और चट्टानें हैं।

जलचक्र- जलचक्र से आशय, जल का निरन्तर समुद्र, वायुमण्डल व भूमि के मध्य निरन्तर चक्रित होते रहना है। इसके प्रमुख घटक भाप, स्वेद, संघनन, अवक्षेपण, जल प्रवाह, रिसाव हैं। जल ठोस, गैस व द्रव तीनों रूपों में पाया जाता है।

ऑक्सीजन चक्र- वायुमण्डल में लगभग 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का चक्रण एक जटिल प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सहायक परिणाम ऑक्सीजन है। जल अणुओं के विघटन से भी ऑक्सीजन पैदा होती है। पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा यह वायुमण्डल में पहुँचती है। इसका उपयोग जीवों (मनुष्य एवं जानवरों) के जीवन का आधार है।

नाइट्रोजन चक्र- नाइट्रोजन (79%) हमारे वायुमण्डल का प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन जैविक स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी में पहुँचता है। मिट्टी से पौधों फिर जंतुओं में और अंत में पौधों तथा जंतुओं के मृत्यु के पश्चात वायुमण्डल में मुक्त हो जाता है। यह सम्पूर्ण क्रिया **नाइट्रोजन चक्र** कहलाता है।

कार्बन चक्र- कार्बनिक यौगिक का मूल तत्त्व कार्बन सभी जीवधारियों में पाया जाता है। कार्बन का जैव-भूरासायनिक चक्र द्वारा जीवमण्डल, मृदामण्डल, भूमण्डल, जलमण्डल और पृथिवी के वायुमण्डल के साथ विनिमय होता है। यह पृथिवी पर जीवमण्डल तथा उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीनीकरण और पुनः उपयोग की अनुमति करता है।

जैव-विविधता -किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की सङ्ख्या और उनकी विविधता को जैव-विविधता कहते हैं। जैव-विविधता पृथिवी पर सजीव सम्पदा है। ऐसे क्षेत्र जहाँ जल व उर्जा के

पर्याप्त भण्डार हैं, वहाँ जैव-विविधता भी व्यापक है। मानव की उत्पत्ति से पूर्व भी धरती पर जैव-विविधता थी। जैव-विविधता ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैव-विविधता को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है-

1. **आनुवांशिक जैव-विविधता-** विभिन्न प्रजातियों में पायी जाने वाली आनुवांशिक विभिन्नता।
2. **प्रजातीय जैव-विविधता-** दो प्रजातियों के मध्य की विविधता।
3. **पारितन्त्रीय जैव विविधता-** किसी पारिस्थितिक तन्त्र में प्रजातियों की विविधता को पारितन्त्रीय जैव-विविधता कहा जाता है।

सांस्कृतिक विकास में जैव विविधता का अहम् योगदान रहा है। मानव समूहों ने भी जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिका महत्वपूर्ण है।

जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका- जैव-विविधता की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रत्येक जीव का पारिस्थितिकी के सन्तुलन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण पृथिवी पर रहने वाला हर प्राणी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। इसके द्वारा हमारे भोजन, कपड़ा, औषधियाँ, ईंधन आदि की

इसे भी जाने-

- महा विविधता केन्द्र में सम्मिलित 12 देश- मैक्सिको, कोलम्बिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, कांगो, मेदागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इण्डोनेशिया और आस्ट्रेलिया हैं।

आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। जैव-विविधता पारिस्थितिकी उत्पादकता को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए यदि पृथिवी से सांप नष्ट हो जाये, तो चूहों की भरमार हो जायेगी और चूहे फसलों को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार जीव पारिस्थितिक सन्तुलन को कायम रखते हैं।

आर्थिक भूमिका- विभिन्न फसलें, वन संसाधन, पशु, मत्स्य व दवा संसाधन ऐसे आर्थिक महत्त्व के उत्पाद हैं, जो जैव-विविधता के फलस्वरूप ही हमें उपलब्ध होते हैं।

वैज्ञानिक भूमिका- यह हमें जीवन का आरम्भ, सञ्चालन, पारितन्त्र को बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की भूमिका आदि के विषय में बताता है। इनके अतिरिक्त जैव-विविधता, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण में सहायक है। इसमें वन कार्बन डाइ-ऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। जैव-विविधता पोषक-चक्र को गतिमान रखने तथा मृदा निर्माण के साथ-साथ उसके संरक्षण में भी सहायक है।

जैव-विविधता का ह्रास- जैव विविधता में ह्रास के अनेक कारण हैं, जैसे- वन्य जीवों का शिकार, वनोन्मूलन, अति-चराई, जीवों के आवासों का विनाश, पर्यावरण प्रदूषण, आवास विखण्डन, विदेशी मूल की वनस्पतियाँ, बीमारियाँ, चिड़ियाघर व शोध हेतु जीवों का उपयोग, भूकम्प, अकाल, ज्वालामुखी,

बाढ़ आदि। जैव-विविधता के हास के परिणामस्वरूप जीव-जन्तुओं को तीन श्रेणियों संकटापन्न प्रजातियाँ, सुभेद्य प्रजातियाँ तथा दुर्लभ प्रजातियाँ में विभाजित किया गया है। इनका विस्तृत अध्ययन हम पूर्व कक्षा में कर चुके हैं।



मानचित्र-5.1 कुछ पारिस्थितिक हॉट-स्पॉट का मानचित्र

जैव-विविधता का संरक्षण- रियो-डी-जेनेरियो (ब्राजील) में 1992 में आयोजित भारत समेत 155 देशों के सम्मेलन में जैव-विविधता के संरक्षण के लिये एक संकल्प पत्र पारित किया गया था। इसमें बताये गये उपाय हैं- 1. संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण 2. विलुप्ति प्रजातियों पर रोक के लिए उचित योजना व प्रबन्धन 3. वन्य प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए 4. संरक्षण में सहायक पारम्परिक ज्ञान तथा कौशल को प्रोत्साहन 5. जंगली पौधों व जन्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियन्त्रण 6. प्रजातियों का पुनरुत्थान। भारत सरकार द्वारा भी प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने व उनका विस्तार करने के उद्देश्य से 'वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम', 1972 पारित किया गया। 22 मई को प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस मनाया जाता है।

इसे भी जाने-

- इण्टरनेशनल यूनियन फॉर द कन्जर्वेशन एण्ड नेचुरल रिसोर्सेज (IUCN) संकटग्रस्त प्रजातियों रेड सूची प्रकाशित करती है।

वैदिक वाङ्मय में जैव विविधता संरक्षण- हमारे प्राचीन वाङ्मय में जैव संरक्षण पर अत्यधिक बल दिया गया है। वनस्पतियों एवं जीवों का संरक्षण हो इसलिए इन्हें धर्म से जोड़कर इनकी महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। मनुस्मृति में जैव संरक्षण

का उल्लेख हुआ है- योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। स जीवनञ्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते॥ अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। संस्कर्ता चोपहर्ता च खादवश्चेति घातकाः॥ (मनुस्मृति 5/45,51) अर्थात् जो व्यक्ति अपने सुख के लिए जीवों की हत्या करता है, वह कभी सुखी नहीं रहता है तथा वे व्यक्ति जो पशुओं को मारते हैं, उनके मांस का भक्षण करते हैं और मारने के लिए विपणन करते हैं। वे हत्यारे और पापी हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. पारिस्थितिकी के लिए Ecology शब्द का प्रयोग.....किया था।
अ. ई. हैकिल ब. थॉमस जोसेफ स. रिचर्ड बर्नाड द. इनमें से कोई नहीं
2. पृथिवी के.....भाग पर मरुस्थलीय बायोम का विस्तार है।
अ. 45% ब. 14% स. 25% द. 22%
3. जैवमण्डल में.....ऊर्जा का प्रमुख साधन है।
अ. सूर्य ब. चन्द्रमा स. मंगल द. बृहस्पति
4. हमारे वायुमण्डल.....नाइट्रोजन गैस है।
अ. 21% ब. 79% स. 24% द. 51%
5. जैवविविधता की दृष्टि से महाविविधता केन्द्र की सूची में.....देश सम्मिलित हैं।
अ. 21 ब. 31 स. 12 द. 51

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. जल अणुओं के विघटन से..... पैदा होती है। (ऑक्सीजन/नाइट्रोजन)
2. सभी जीवधारियों में..... पाया जाता है। (कार्बन/ओजोन)
3. रियो-डी-जेनेरियो सम्मेलन.....में आयोजित किया गया था। (1992 ई./2005 ई.)
4. प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस..... को मनाया जाता है। (22 मई/4 जुलाई)

सत्य/असत्य बताइए-

1. समस्त जीवधारी मिलकर पृथिवी पर जैवमण्डल का निर्माण करते हैं। (सत्य/असत्य)
2. वन, घास, मरुस्थल और टुन्ड्रा विश्व के प्रमुख स्थलीय पारितन्त्र हैं। (सत्य/असत्य)
3. दो प्रजातियों के मध्य की विविधता को प्रजातीय जैवविविधता कहते हैं। (सत्य/असत्य)
4. जैव-विविधता ध्रुवीय प्रदेशों की अपेक्षा उष्ण प्रदेशों में अधिक होती है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. वन, घास, मरुस्थल और टुन्ड्रा प्रदेश	क. उच्च प्रदेशीय बायोम
2. महासागर, झीलें, नदियाँ, कच्छ, दलदल आदि	ख. स्थलीय पारितन्त्र
3. ऊँची पर्वतीय श्रेणियों के ढाल	ग. ऑक्सीजन
4. प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सहायक परिणाम	घ. जलीय पारितन्त्र

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. पारिस्थितिक सन्तुलन किसे कहते हैं ?
2. पारितन्त्र किसे कहते हैं ?
3. बायोम किसे कहते हैं ?
4. जैव विविधता किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं ?
2. पारितन्त्र की कार्यप्रणाली व संरचना को स्पष्ट कीजिए।
3. जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण बताइए।
4. जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका को समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. बायोम और उसके प्रकार का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
2. जैव विविधता के ह्रास के कारणों के साथ उसके संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालिए।

परियोजना कार्य-

1. अपने राज्य के राष्ट्रीय पार्कों, पशु विहारों की सूची बनाइए।

अध्याय-6

प्राकृतिक संकट और आपदाएँ

इस अध्याय में- प्राकृतिक संकट, आपदा, मानव जनित आपदायें, प्राकृतिक आपदाएँ, भारत में प्राकृतिक आपदाएँ, भूकम्प, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, भारत में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय, सूखा, सूखा रोकने के उपाय, भूस्वलन और भू-स्वलन रोकने के उपाय।

प्राकृतिक संकट- प्राकृतिक संकट से आशय प्राकृतिक पर्यावरण में अचानक होने वाले उन तीव्र परिवर्तनों से है, जिनका जीवन तथा मानवीय क्रिया-कलापों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी उद्गार, भूकम्प, बाढ़, हिमपात, ओलावृष्टि, चक्रवात, विभिन्न महामारियाँ आदि प्राकृतिक संकट के अन्तर्गत आती हैं। इनके कारण बड़ी मात्रा में जन-धन की हानि होती है।

आपदा- आपदा से आशय अनपेक्षित और अप्रत्याशित प्रकोपों से हैं। आपदा, प्राकृतिक या मानव जनित होती है। इनके कारण सभी जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों की अपार क्षति होती है। इन आपदाओं से होने वाली क्षति की भरपाई कई वर्षों तक नहीं हो पाती है। आपदा को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- 1. मानव जनित आपदा 2. प्राकृतिक आपदा।

1. **मानव जनित आपदायें-** मानव जनित आपदाओं का सम्बन्ध मानवीय क्रियाकलापों से होता है, जैसे-

आग लगना, विविध प्रकार की दुर्घटनाएँ, आतंकी गतिविधियाँ, युद्ध, ओजोन परत क्षरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि) आदि। भारत में औद्योगिक आपदा के रूप में भोपाल गैस त्रासदी (सन् 1984) ऐसी ही मानव जनित आपदा का उदाहरण है।

2. **प्राकृतिक आपदाएँ-** पर्यावरणीय असन्तुलन और पृथिवी की

सारणी 6.1

आपदा	वर्ष	प्रभावित देश
1. भूकम्प	1948	सोवियत संघ (1,10,000)
2. बाढ़	1949	चीन (57,000)
3. भूकम्प	1976	चीन (7,00,000)
4. सुनामी	2004	इण्डोनेशिया, भारत, श्रीलंका (3,00,000)
5. सुनामी	2011	जापान (15,842)

आन्तरिक हलचल का अचानक भयानक रूप ले लेना प्राकृतिक आपदा कहलाता है। प्राकृतिक आपदाएँ बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि तथा सामाजिक तन्त्र एवं जीवन को छिन्न-भिन्न कर देती हैं। इन पर किसी का नियन्त्रण नहीं होता है। सुनामी, बाढ़, भूकम्प, ज्वालामुखी, चक्रवात,

हिमस्खलन, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाएँ हैं। पूर्व में घटित कुछ आपदायें जिन्होंने सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। सारणी में 1948 ई. से 2011 तक विविध आपदाओं से प्रभावित देशों को दर्शाया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण- प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम माना जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को मुख्यतः चार वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

सारणी 6.2			
वायुमण्डलीय	भौतिक	जलीय	जैविक
बर्फानी तूफान, तडित झंझावत, टॉरनेडो, उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात, सूखा, पाला, लू, शीत लहर आदि।	भूकम्प, ज्वालामुखी, भू- स्खलन, हिमघाव, अवतलन, मृदा अपरदन।	बाढ़, ज्वार- भाटा, महासागरीय धाराएँ, तूफान, सुनामी आदि।	पौधे व जानवर उपनिवेश के रूप में (टिड्डियाँ इत्यादि), कीट ग्रसन-फफून्ड, बैक्टीरिया और वायरल, संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू आदि।

भारत में प्राकृतिक आपदाएँ- भारत बृहद आकार वाला प्राकृतिक पर्यावरणीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। लम्बे काल तक उपनिवेशन तथा अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ का विशाल भू-भाग प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से सुभेद्य है। यहाँ आने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ भूकम्प, सुनामी, बाढ़, सूखा और भूस्खलन है।

भूकम्प- पृथिवी की सतह में कम्पन को भूकम्प कहते हैं। वैदिक वाङ्मय में पृथिवी पर भूकम्प के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है कि- **येषामज्मेषु पृथिवी जुजुवाँ इव विश्पतिः। भिया यामेषु रेजते (1.37.8)** अर्थात् मरुतों की गति से सारे पदार्थ फेंके जाने लगे। पृथिवी भी बूढ़े और जीर्ण राजा की भाँति कम्पित हो जाती है। एक मन्त्र में कहा गया है कि **अच्युता चिद वो अजन्मा नानदति पर्वतासो वन्स्पतिः। भूमिर्यामेषु रेजते (8.20.5)** अर्थात् हे मरुतों! तुम्हारे संग्राम जाते समय न गिरने वाले मेघ और वनस्पतियाँ बार-बार शब्द करते हैं, पृथिवी काँपती है। इन ऋचाओं से स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियों को पृथिवी के कम्पन (भूकम्प) तथा उससे होने वाली हानि का ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने कम्प रहित पृथिवी की कामना अनेक मन्त्रों में की है। भूकम्प पृथिवी के स्थलमण्डल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली तरङ्गों के कारण आता है। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि कुछ ही क्षणों में पूरे नगर को ध्वस्त कर सकते हैं।

भूकम्प के कारण भूकम्प के मूल्य कारण निम्नलिखित हैं-

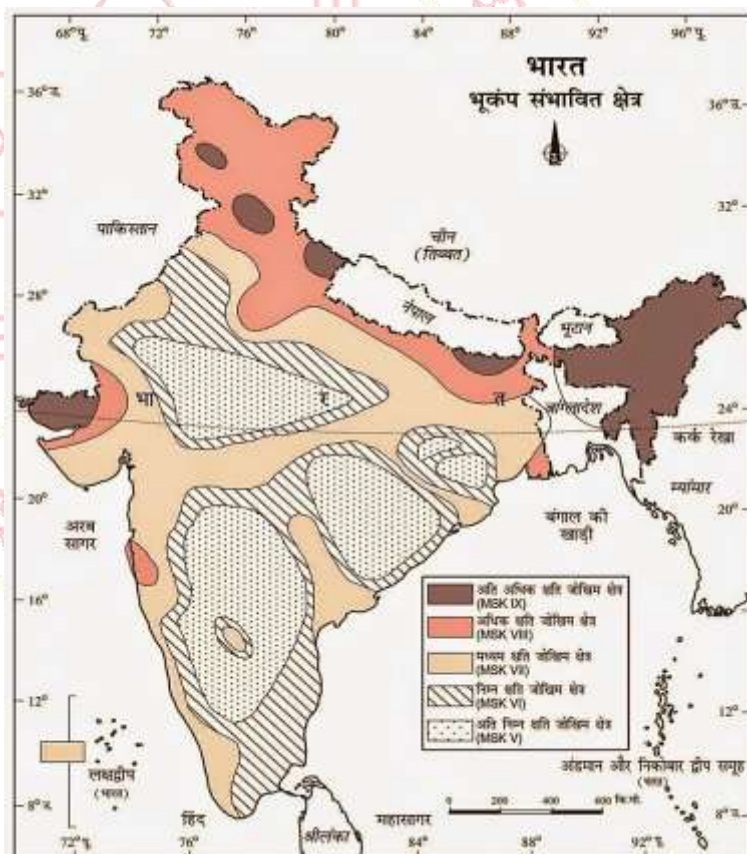
1. ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथिवी में होने वाले कम्पन कारण भूकम्प आता है।
2. पृथिवी के भीतर स्थित चट्टानें ताप और दाब के अधिकता के कारण वलित होते हुए अन्ततः टूट जाती है। यह भी भूकम्प का कारण है।
3. पृथिवी के प्लेटों के टकराने से भूकम्प आता है।
4. हिम खण्डों, शिलाओं के खिसकने तथा गुफाओं या खानों की छतों के गिरने से भी भूकम्प आता है।
5. सागरों एवं महासागरों के असन्तुलित दबाव के कारण भूकम्प आते हैं।

इनके अतिरिक्त खनन क्रिया, अति भू-जल दोहन, बाँधों का निर्माण, परमाणु विस्फोट एवं भूमिगत परमाणु परीक्षण आदि भी भूकम्प के प्रमुख कारण हैं।

भारत के भूकम्प प्रभावित राज्य- भारत में विश्लेषण के आधार पर पाँच भूकम्पिय क्षेत्रों- अत्यधिक क्षति

और जोखिम वाले क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम वाले क्षेत्र में विभाजित किया गया है।

भूकम्प भारत के लगभग सभी राज्यों में आते हैं परन्तु कुछ राज्य भूकम्प से विशेष रूप से प्रभावित हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल का दार्जिलिंग उपमण्डल तथा उत्तर-पूर्व के सात राज्य (असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा) भूकम्प से सर्वाधिक प्रभावित रहते हैं।



मानचित्र- 6.1 भारत में भूकम्प प्रभावित क्षेत्र

भूकम्प के विनाशकारी प्रभाव प्राणी जगत पर पड़ता है। इसके द्वारा हमें पृथिवी की आन्तरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। भूकम्प के कारण ही अनेक प्रकार के द्वीपों एवं महाद्वीपों का निर्माण होता है। भूकम्प के कारण अनेक मानवीय एवं प्रकृतिक अवसंरचनाओं का विनाश होता है। अन्य आपदाओं जैसे- बाढ़, ज्वालामुखी, भू-स्खलन आदि के आने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। भूकम्प के कारण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हानि होती है।

भूकम्प से बचाव के उपाय- देश में भूकम्प संभावित क्षेत्रों की सुभेद्यता का मानचित्र तैयार कर संभावित

सारणी 6.3		
भूकम्प के प्रभाव		
भूतल पर	मानवकृत ढाँचों पर	जल पर
दरारें, बस्तियाँ, भूस्खलन, द्रवीकरण, भू-दबाव, सम्भावित शृंखला प्रतिक्रिया	दरारें पड़ना, खिसकना, उलटना, आकुंचन, निपात, सम्भावित शृंखला प्रतिक्रिया	लहरें, जल-गतिशीलता, दबाव, सुनामी, सम्भावित शृंखला प्रतिक्रिया

जोखिम की सूचना लोगों तक पहुँचना तथा लोगों को इसके हानिकारक प्रभाव को कम करने के बारे में प्रशिक्षित करना। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भूकम्प रोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। भूकम्प सम्भावित क्षेत्रों में विशाल

भवन, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भूकम्प सुभेद्य क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।

सुनामी- जापानी भाषा में तीव्र गति से चलने वाले समुद्री तूफान को सुनामी कहते हैं। ये बहुत लम्बी और सैकड़ों कि.मी. चौड़ी लहरें होती हैं। भूकम्प और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल होने के कारण महासागरीय जल में अचानक विस्थापन होता है। परिणामस्वरूप सागरों एवं महासागरों में ऊर्ध्वाधर तरङ्गें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें सुनामी या भूकम्पीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः सुनामी प्रशान्त महासागरीय तटों, अलास्का, जापान, फिलिपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप और मलेशिया में तथा हिन्द महासागर में म्याम्मार, श्रीलंका और भारत के तटीय क्षेत्रों में आती हैं। इससे इन महासागरों के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से जन-धन की हानि होती है।

सुनामी के कारण- महासागरीय भूकम्प, भूमि के धंसने, ज्वालामुखी विस्फोट और कभी-कभी उत्कापात आदि के कारण सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। 26 दिसम्बर, 2004 को इण्डोनेशिया में 8.9 तीव्रता वाला भूकम्प आया जिसके बाद समुद्र के भीतर उठी सुनामी ने भारत समेत अनेक देशों में भारी

तबाही हुई। इसके कारण लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई और भारी आर्थिक क्षति विश्व के अनेक देशों को उठाना पड़ा। यह एक अन्तार्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा है।

सुनामी से बचाव के उपाय-

1. भूकम्प व ज्वालामुखी आने के पश्चात् सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि इनके तुरन्त बाद तटीय क्षेत्रों में सुनामी की सम्भावना काफी अधिक होती है।
2. तटीय क्षेत्र के लोगों को ऊँचाई वाले स्थानों पर चले जाना चाहिए।
3. पशु-पक्षियों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं के आने के पूर्व ही हमें संकेत देते हैं।

चक्रवात- कम वायुमण्डलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। इनका क्षेत्र 30^0 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है। चक्रवात का मुख्य कारण निरन्तर पर्याप्त मात्रा उष्ण और आर्द्र वायु, तीव्र कोरियालिस बल, क्षोभ मण्डल में अस्थिरता, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान की अनुपस्थिति है। उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है।

समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की नमी से संतृप्त होकर संघनन से बादलों का निर्माण करती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती है। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर, घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ-साथ मूसलाधार बारिश करती हैं।

चक्रवात के परिणाम- प्रायद्वीपीय भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पैदा होते हैं। उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त उष्मा है। भारत में चक्रवात जैसे-जैसे बङ्गाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमजोर हो जाता है। प्रायः तटीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात 180 कि.मी. प्रति घण्टा की गति से टकराते हैं। चक्रवात के तूफानी क्षेत्र में समुद्रतल के असाधारण उभार को तूफान महोर्मि के नाम से जाना जाता है। इनसे तटीय क्षेत्रों की बस्तियों और खेतों के पानी में डूब जाने के कारण फसलों और अनेक प्रकार के मानव निर्मित ढाँचों का विनाश होता है।

चक्रवात से बचाव के उपाय- लोगों को चक्रवात से सम्बन्धित सूचनाएं टेलीविजन, रेडियों, इन्टरनेट, सोशल मीडिया आदि पर दी जानी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँच सकें। चक्रवात में हवा की गति 200 से 300 कि.मी. प्रति घण्टा होती है इसलिए घरों के खिड़की-दरवाजे इस समय बन्द

रखने चाहिए। चक्रवात के समय यात्रा करने से बचें। अधिक चक्रवात वाले क्षेत्रों के निवासियों को घर के नीचे बेसमेंट बनाना चाहिए।

बाढ़- नदियों या जलाशयों में अस्थायी अति जल प्रवाह होने के कारण आस-पास के भू-क्षेत्रों का अस्थायी रूप से जलमग्न होना बाढ़ कहलाता है। विश्व के विस्तृत भूभाग में बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं एवं भारी जनहानि होती है। परन्तु एशिया महाद्वीप के पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी देशों, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश हैं।

बाढ़ के कारण- तटीय क्षेत्रों में तूफान महोर्मि, लम्बे समय तक तेज बारिश, हिम का पिघलना, भूमि की अन्तःस्पन्दन दर में कमी आना, अधिक मृदा अपरदन, नदी के जल में जलोढ़ मृदा की मात्रा में वृद्धि होना आदि बाढ़ के प्रमुख कारण हैं। इनके अतिरिक्त बाढ़ के अन्य कारणों में वन और वनस्पतियों का तेजी से कटाई, जलवायु परिवर्तन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, निरन्तर बढ़ती जनसंख्या है।

भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य- असम, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश (मैदानी क्षेत्र), तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि हैं। बाढ़ से कृषि भूमि, मानव बस्तियों के डूबने और आधारभूत ढाँचों के नष्ट होने से देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ जैसे- हैजा, हेपेटाइटिस आदि जल जनित बीमारियाँ फैलती हैं।

भारत में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय- भारत में बाढ़ नियन्त्रण के लिये सन् 1954 ई. में राष्ट्रीय बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम (NFCP) प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबन्ध बनाना। नदियों के जलमार्गों को बेहतर बनाना। आस-पास के मानव बस्तियों के संरक्षण कार्यों बढ़ाते हुए बाढ़ को नियन्त्रित करना। वनीकरण व बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या पर नियन्त्रण लगाना रहा है। इस कार्यक्रम की आंशिक सफलता के बाद भारत में बाढ़ नियन्त्रण के उपायों का अध्ययन करने के लिये भारत सरकार ने सन् 1976 ई. में कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की थी। अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं जैसे- दामोदर घाटी, कोसी, भाखड़ा नांगल, हीराकुण्ड, नागार्जुन सागर, रिहंद परियोजना आदि ने बाढ़ नियन्त्रण में अहम भूमिका निभाई है।

सूखा- लम्बे समय तक अवर्षण, जल का अत्यधिक वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, और जलाशयों तथा भूमिगत जल की कमी होना सूखा कहलाता है। यह महिनों तक या वर्षों तक रह सकता है। निरन्तर सूखा पड़ने के कारण मृदा में नमी हो जाती है। वर्षा का अभाव, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, वर्षा जल का संग्रहण न करना, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियाँ आदि सूखा के प्रमुख कारण हैं।

भारत में सूखा ग्रस्त क्षेत्र- भारत कृषि का आधार मानसूनी वर्षा है। बाढ़ और सूखा हमारे जलवायु तन्त्र का प्रमुख तत्व है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग प्रतिवर्ष सूखे से प्रभावित रहता है। इसमें पश्चिमी राजस्थान, मध्यप्रदेश के ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आन्ध्रप्रदेश के अन्दरूनी भाग, कर्नाटक का पठार आदि अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में आते हैं।

सूखे के परिणाम- सूखे के कारण मरुस्थल का प्रसार होता है। जल के अभाव में जैव विविधता अन्य



मानचित्र-6.2 सूखा प्रवण क्षेत्र मानचित्र

स्थानों को पलायन कर जाती है तथा पारितन्त्र में खाद्य के लिए भारी प्रतिद्वन्द्विता होती है। सूखे की स्थिति में कृषि उत्पादन घट जाता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोग पलायन करने लगते हैं। मरुस्थल तथा अर्द्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्कता के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। स्वच्छ पेयजल के अभाव में अनेक रोग होते हैं।

सूखा रोकने के उपाय- सिंचाई को सूखा रोकने के सबसे प्रभावी तन्त्र

और कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने के बड़े उपाय के रूप में जाना जाता है। जल भण्डारण के लिये बाँधों का निर्माण करने से सिंचाई करने की सुविधा मिलती है। सूखे की समस्या से निपटने और नदियों को सदानीरा बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा 2019 ई. में जल शक्ति मन्त्रालय का गठन किया गया। इस मन्त्रालय पर अन्तरराष्ट्रीय और अन्तरराज्यीय जल विवाद, नमामि गंगे परियोजना, गङ्गा और अन्य नदियों को साफ करने और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है।

भूस्खलन- मिट्टी, चट्टानों और वनस्पतियों का समूह ढाल प्रवणता या पृथिवी की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पर नीचे की ओर खिसकना, भू-स्खलन कहलाता है। भू-स्खलन की घटनाएँ प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं।

भूस्खलन के कारण- तीव्र पर्वतीय तथा समुद्र तटीय ढाल, वर्षा जल, अपक्षय, अपरदन, भूकम्प, ज्वालामुखी, मानव क्रियाकलापों जैसे सड़क और बांध निर्माण आदि भू-स्खलन के प्रमुख कारण हैं।

भारत में भूस्खलन वाले क्षेत्र- भूविज्ञान, भूआकृतियाँ, ढाल, उपयोगी भूमि, वनस्पति आवरण और

इसे भी जाने-

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में आपदा को प्राकृतिक या मानवकृत महाविपत्ति, संकट अथवा गम्भीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भारत में आपदा प्रबन्धन का शीर्ष निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) है।

मानवीय क्रिया-कलाप के आधार पर भारत में भूस्खलन वाले क्षेत्रों को पाँच भागों में विभाजित किया गया है- अति सुभेद्यता क्षेत्र, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, मध्यम सुभेद्यता क्षेत्र, कम सुभेद्यता क्षेत्र और अन्य सुभेद्यता क्षेत्र। हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाओं, अण्डमान

और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, भूकम्प प्रभावी क्षेत्रों में अधिक भू-स्खलन होता है।

भू-स्खलन के परिणाम- भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है। इसके कारण सड़क मार्ग में अवरोध, रेलपटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रूकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भू-स्खलन की वजह से नदी के रास्तों में बदलाव से बाढ़ आ सकती है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

भू-स्खलन रोकने के उपाय- भू-स्खलन वाले क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने तथा निर्माण कार्य व विकास कार्यों पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। बृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानान्तरित कृषि वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. भारत में सुनामी.....में आयी थी।
अ. 2004 ई. ब. 2011 ई. स. 1948 ई. द. 1988 ई.
2. निम्न में वायुमण्डलीय आपदा.....है।
अ. सूखा पड़ना ब. बाढ़ स. भूकम्प द. ये सभी
3. भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई है-
अ. 1981 में ब. 1982 में स. 1983 में द. 1984 में
4. भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना.....में की गई थी।
अ. 1971 ई. ब. 1976 ई. स. 1977 ई. द. 1978 ई.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. सुनामी आपदा है। (मानवजनित/प्राकृतिक)

2. जल की से मरुस्थल का प्रसार होता है। (कमी/अधिकता)
3. भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम.....में प्रारम्भ किया गया। (1954 ई./1974 ई.)
4. भारत में जल शक्ति मन्त्रालय का गठन.....में किया गया। (2014 ई./2019 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. राजस्थान देश में सूखा प्रभावित राज्यों में शामिल नहीं है। (सत्य/असत्य)
2. पृथिवी की सतह में कम्पन को भूकम्प कहते हैं। (सत्य/असत्य)
3. वर्ष 2004 में इण्डोशिया में भयंकर सुनामी आई। (सत्य/असत्य)
4. भारत में आपदा प्रबन्धन का शीर्ष निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. वायुमण्डलीय आपदा	क. ज्वार भाटा
2. भौतिक आपदा	ख. डेंगू बर्ड फ्लू
3. जलीय आपदा	ग. भूस्खलन
4. जैविक आपदा	घ. तड़ित झन्झा

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. आपदा किसे कहते हैं ?
2. भारत में भूकम्प प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए।
3. सुनामी किसे कहते हैं ?
4. भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. भूकम्प के कारण और उससे बचाव के उपाय बताइए।
2. बाढ़ के कारणों का उल्लेख कीजिए।
3. सूखा नियन्त्रण के उपाय बताइए।
4. भूस्खलन और उसके कारण बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. बाढ़ किसे कहते हैं? भारत में बाढ़ नियन्त्रण के उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
2. भूस्खलन के कारण, परिणाम और उपायों का उल्लेख कीजिए।

परियोजना-

1. भारत के मानचित्र में भूकम्प, बाढ़, सूखा और सुनामी के प्रभाव वाले क्षेत्रों को दर्शाइए।



अध्याय - 7

प्रारम्भिक समाज

(360 लाख वर्ष से प्रथम ई. पू. वर्ष तक)

इस अध्याय में- प्रारम्भिक समाज, जीवाश्म, मानव के क्रमिक विकास की कहानी, प्रारम्भिक मानव का जीवन, आवास, औजार, सञ्चार के माध्यम, मेसोपोटामिया का भूगोल, नगरीकरण, व्यापार, लेखन कला का विकास, दक्षिणी मेसोपोटामिया का नगरीकरण, मन्दिर और राज।

प्रारम्भिक समाज- आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक गुफाओं, जंगलों अथवा कामचलाऊ घरों-आसनों तथा शिलाश्रयों में रहने वाला मानव ने आगे चलकर, गाँवों और नगरों में कैसे रहना शुरू किया था? लगभग दस हजार वर्ष पूर्व मानव ने धीरे-धीरे खानाबदोश जीवन को त्यागकर, खेती करने के लिए एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया था। मानव विज्ञानियों का मानना है कि आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पृथिवी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ था, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं लेकिन कालान्तर में ये लुप्त हो गए थे। आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हुई थी। आधुनिक मानव के उत्पत्ति काल से लेकर लगभग 8000 ई.पू. तक मानव विकास का इतिहास अनेक उतार-चढ़ावों से भरा रहा है। उस समय मानव अपनी उदर पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करके, पेड़-पौधों से कन्दमूल, फल और बीज आदि पर निर्भर था। सभ्यता के विकास क्रम में मानव ने धीरे-धीरे आपस में बातचीत करना और पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी विभिन्न खोजों से प्राप्त जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों आदि से मिलती है।

जीवाश्म- मानव का क्रमिक विकास हुआ है, जिसके साक्ष्य हमें मानव प्रजातियों के प्राप्त जीवाश्मों से मिलता है। किसी भी विलुप्त जन्तु या पौधे के किसी समय जीवित होने का प्रमाण जीवाश्म है। एक ही समूह के नर और मादा के प्रजनन से प्राप्त सन्तति 'प्रजाति' कहलाती है। प्रजाति की मुख्य विशेषता यह है कि किसी एक प्रजाति के सदस्य भिन्न प्रजाति में संभोग नहीं करते हैं।

इसे भी जाने-

- लाखों-करोड़ों वर्षों पूर्व जो जीव-जन्तु एवं पेड़-पौधे भूमि में दब गए, उनके अवशेष या चिन्ह जो खुदाई के दौरान पाये जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहा जाता है।

मानव के क्रमिक विकास की कहानी-

1. आधुनिक मानव के पूर्वज- मानव विकास की कहानी बहुत लम्बी है। मानव की उत्पत्ति के सन्दर्भ में यदि बात की जाए तो पता चलता है कि एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव सर्वप्रथम हुआ। लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट श्रेणी में एक उप-समूह उत्पन्न हुआ, जिसे होमिनाइड कहा गया था। इस उप-समूह में 'वानर' यानि 'एप' शामिल थे और लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व हमें प्राणियों के अस्तित्व के प्रमाण मिले थे। होमिनिड वर्ग, होमिनाइड



चित्र- 7.1- क्षेत्रीय निरन्तरता
व प्रतिस्थापन मॉडल

उपसमूह से ही विकसित हुए। होमिनिड व होमिनाइडों में समानताओं के साथ-साथ अन्तर भी थे, जैसे- होमिनिडों का मस्तिष्क होमिनाइडों से बड़ा होता था। होमिनिड दोनों पैरों से सीधे होकर चलते थे, उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे, जबकि होमिनाइडों चारों हाथ-पैरों से चलते थे लेकिन उनका अगला हिस्सा लचकदार होता था। होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। ये **होमिनिडे** नामक परिवार के सदस्य होते थे। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को 'जीनस' कहते हैं। इन शाखाओं में **आस्ट्रेलोपिथिकस** और **होमो** अधिक महत्वपूर्ण हैं। आस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कई अन्तर थे, जैसे- दोनों के मस्तिष्क, जबड़े और दाँतों में अन्तर। आस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा अधिक बड़ा होता था। इनके जबड़े तथा दाँत भी अधिक बड़े

होते हैं। यद्यपि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बाँटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग-अलग नाम दिए हैं, जैसे - होमो हैबिलिस (औजार बनाने वाले), होमो एरेक्टस (सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले) और होमो सैपियंस (प्राज्ञ या चिन्तनशील मानव)।

2. **आधुनिक मानव-** आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? इस विषय पर दो मत सर्वाधिक प्रचलित हैं और ये दोनों मत एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पहला मत क्षेत्रीय निरन्तरता मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। इस मत के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे-धीरे हुआ था। दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कही भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया था।

इसे भी जाने-

- होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से मिले हैं। होमो एरेक्टस के जीवाश्म एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों से प्राप्त हुए हैं। होमो सैपियंस के जीवाश्म यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुए हैं।
- स्तनधारी प्राणियों के विशाल समूह का एक उपसमूह प्राइमेट कहलाता है। इस समूह के सदस्यों के शरीर में बाल होते हैं, जैसे- मानव, वानर आदि।
- बन्दरों से विशाल शरीर वाले और भिन्नता रखने वाले जीवों को होमोनॉइड कहा जाता था। इस प्रकार के जीवों के पूँछ नहीं होती है।
- हिन्दी भाषा में जीनस को वंश कहते हैं

मानव की उत्पत्ति-

प्राइमेट श्रेणी

होमिनिड

आस्ट्रेलोपिथिकस (लुप्त)

होमो हैबिलिस

होमो

होमो एरेक्टस

होमो सैपियंस

वैदिक संस्कृति के अनुसार मानव का निर्माण ईश्वर द्वारा विचार पूर्वक योजनाबद्ध रीति से किया गया है, जो ईश्वर निर्मित होने के कारण सुर (देवता) कहलाये। वे मानव सुन्दर, सुदृढ, सर्वगुण सम्पन्न, बुद्धिमान और कार्य कुशल थे। धीरे-धीरे कलह और मतभेद बढ़ने के कारण मानव में दैवीय गुणों का लोप हुआ, जिसके कारण मूल अभिव्यक्त दैवीय गुणों वाले मानव कुटुम्बों में विभक्त समूह यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि कहलाए थे। दूसरा समूह जो क्रूर अत्याचारी, क्रोधी और दुष्ट प्रकृति के थे, वे असुर, राक्षस, दानव, दैत्य समूह आदि कहलाए थे।

प्रारम्भिक मानव का जीवन- आदिमानव समूह बनाकर, जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना यही उसकी जीवनचर्या थी। इस समय मानव ने पत्थरों से आग जलाना सीख लिया था। वह जंगली जानवरों के भय से गुफाओं के बाहर आग

जलाकर अपनी रक्षा करता था। मानव इस काल में पत्थरों से औजार और बर्तन बनाता था, इसलिए

इसे भी जाने-

- **संग्रहण-** संग्रहण का सामान्य अर्थ होता है, इकट्ठा करना। आदिमानव विभिन्न स्रोतों, जैसे- फल, बीज, गुठलियां, कंदमूल आदि को अपने भोजन हेतु इकट्ठा करता था।
- **शिकार-** आदिमानव शिकार द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त करता था। इसके हमें कई प्रमाण मिले हैं। वह जानवरों को मारकर या किसी कारणवश मरे जानवरों के मांस को खुरचकर खाने लगा था। मछली पकड़ना भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। अनेक पुरास्थलों से मछलियों की हड्डियां व उनसे सम्बन्धित चीजे प्राप्त हुई हैं।
- **अपमार्जन-** अपमार्जन से आशय है त्यागी हुई या छोड़ी गई वस्तुओं की सफाई करना है।

आदिमानव काल को पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहते हैं। आदिमानव भोजन प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न विधियों का प्रयोग करता था, जिनमें मुख्य विधियाँ संग्रहण, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना आदि हैं। आदिमानव के लिए जानवर चलते – फिरते खाद्य भण्डार हुआ करते थे।

पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास- आदिमानव का जीवन प्रायः एक जंगली प्राणी की तरह था। वह अपने तन को सर्दी, गर्मी या वर्षा से बचाने के लिए ताड़ के पत्तों या जानवरों की खाल से ढँकते थे। प्रारम्भिक मानव के विकास के प्रथम काल को पाषाणकाल कहा जाता है, इस

काल में मानव अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को पत्थर से बनाता था। आदिमानव ने पत्थरों को आपस में टकराकर आग जलाना सीखा था। आग की खोज से मानव जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए थे। पत्थर के बाद उसने ताँबे के औजारों का निर्माण किया। संभवतः आदिमानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु ताँबा ही था।

अपने पेट पालन व जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु आदिमानव समूह में रहने लगे। मानव का यही सामूहिक सुरक्षा का स्वभाव परिवार तथा समाज के रूप में देखने को मिला। अब मानव ने पत्थरों को काटकर गुफाओं में रहना शुरू किया। कालान्तर में वह विभिन्न प्रकार के आवासों के निर्माण में दक्ष हुआ। इन्हें 'पाषाण आश्रय' या 'शैलाश्रय' कहा जा सकता है। गुफाओं के अतिरिक्त मानव अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों पर भी अपने आवास बनाकर रहता था।

इसे भी जाने-

- मध्यप्रदेश में भीमबेटका नामक जगह पर गुफाओं की खोज 1977 ई. में पहली बार की गई थी। यहाँ सात पहाड़ियों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जहाँ लगभग 500 गुफाएँ या शैल आश्रय हैं, जिनमें कभी लोग रहते थे।

प्रारम्भिक मानव के औजार- प्रारम्भिक मानव पत्थरों, लकड़ी, जानवरों की हड्डियों व सींगों से अपने औजारों का निर्माण करता था। पत्थरों के औजार अधिकतर चकमक पत्थरों से बनाये जाते थे। इन

औजारों में हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, हशियाँ, भाला वसूले आदि प्रमुख थे। अपनी प्रारम्भिक अवस्था में मानव बिना हथ्थे के औजार प्रयोग में लेता था। तत्पश्चात वह लकड़ी के हथ्थे लगाकर इनका प्रयोग किया जाने लगा था। आगे चलकर जब मानव ने धातु की खोज कर ली, तो उसने धातु के औजार बनाना भी सीख लिया था। वह इन औजारों का प्रयोग शिकार करने व जानवरों से अपनी रक्षा के अतिरिक्त माँस काटने, लकड़ी काटने, कन्दमूल खोदने आदि में करता था। मानव में

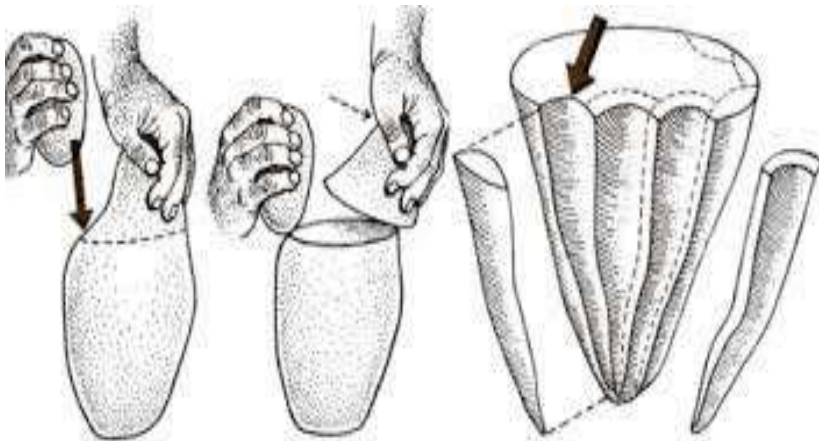


चित्र- 7.2 प्रारम्भिक मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले औजार

औजार बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त विशेषताएँ होती हैं, जो अन्य प्राणियों में नहीं पायी जाती थीं। कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और सम्भवतः स्नायुतन्त्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ था। लगभग 35000 वर्ष पूर्व वन्य जीवों के शिकार की विधियों में परिवर्तन होने लगा था। अब फेंक कर चलाने वाले भालों और तीर कमान जैसे नए प्रकार के औजार बनाए जाने लगे थे। इसके बाद प्रारम्भिक मानव के जीवन में और परिवर्तन हुए थे, जैसे- समूरवाले जानवरों को पकड़कर, उनकी समूरवाली खाल को कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना आदि थे। छैनी या रूखानी जैसे छोटे-छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल होने लगा था। इन सुक्ष्म औजारों से हड्डी, हाथी दाँत या लकड़ी पर नक्काशी व कुरेदना अधिक आसान हो गया था।

प्रारम्भिक मानव के सम्प्रेषण एवं सञ्चार के माध्यम-भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखता है। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा विकास के यहाँ कई मत हैं जैसे – होमिनिड भाषा में अङ्ग विक्षेप अर्थात् हाव-भाव या हाथों का सञ्चालन शामिल था तो, उच्चरित भाषा से पूर्व गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक सञ्चार का प्रयोग होता था, तीसरे मत के अनुसार मनुष्य की वाणी का प्रारम्भ सम्भवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था जैसा कि मानव व अन्य जीवों में देखा जाता है। भाषा व कला के विकास के कारण अब मानव बस्तियों में रहने लगा था। इसके पश्चात धीरे- धीरे बस्तियाँ नगरों में परिवर्तित होने लगी थीं। जिसका अध्ययन एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के अन्तर्गत करेंगे।

मेसोपोटामिया का भूगोल- मेसोपोटामिया अपनी सम्पन्नता, विशाल और समृद्ध साहित्य, शहरी जीवन,



चित्र- 7.3 पंच ब्लेड तकनीक

खगोल विद्या आदि के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान इराक गणराज्य का यह भाग दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित होने के कारण बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। मेसोपोटामिया में 7000 से 6000 ई.पू. के मध्य कृषि कार्य प्रारम्भ हो चुका था।

पशुपालन से यहाँ के निवासी

दूध, ऊन व मांस की प्राप्ति करते थे। नगरीय जीवन का प्रारम्भ मेसोपोटामिया से माना जाता है। यहाँ पुरातत्वीय खोजों का प्रारम्भ 1840 ई. के दशक में हुआ था।

नगरीकरण का महत्त्व- नगर व्यापार, उत्पादन और कई प्रकार की सेवाओं के महत्त्वपूर्ण केन्द्र होते हैं, किन्तु नगर के लोग कई प्रकार की सेवाओं के लिए गाँवों पर आश्रित रहते थे। नगर आर्थिक गतिविधियों के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। गाँवों व कस्बों से आने वाले जरूरतमन्द लोगों को यहाँ आसानी से रोजगार मिल जाता था।

नगरीय व्यापार- मेसोपोटामिया में आवश्यकता के लिए ताँबा, चाँदी, सोना, राँगा, सीपी व विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ईरान, भारत आदि देशों से मंगवाया जाता था। इसके बदले कपड़ा और अन्य कृषि-जन्य उत्पाद यहाँ से निर्यात किये जाते थे। नगरों के विकास में कुशल परिवहन व्यवस्था भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेसोपोटामिया व उसके आस-पास

के क्षेत्रों में माल परिवहन का सबसे उत्तम साधन नहरें व प्राकृतिक जलधाराएँ थी।

लेखन कला का विकास- मेसोपोटामिया से जो प्रारम्भिक पट्टिकाएँ प्राप्त हुई हैं, उनका समय लगभग 3200 ई.पू. का है। यहाँ के निवासी लेखन के लिए मिट्टी से निर्मित पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 500 सूचियाँ मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। यहाँ की सबसे

इसे भी जाने-

- सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है।
- मानव विज्ञान- इसे अंग्रेजी में एन्थ्रोपोलॉजी कहा जाता है। यह ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकास का अध्ययन किया जाता है।

पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी, जिसका स्थान 2400 ई. पू. के पश्चात अक्कदी भाषा ने ले लिया था।

इसे भी जाने-

- कीलाकार लिपि में चिकनी मिट्टी की गीली पट्टीका पर दोनों ओर कीलनुमा सरकंडों आदि से लेखन कार्य किया जाता था। कीलाक्षर लिपि को 1850 ई. में पढ़ा गया था।

लेखन कार्य का प्रारम्भ समाज के लोगों के स्थायी हिसाब-किताब रखने से हुआ था।

लेखन प्रणाली- मेसोपोटामिया के लिपिक को लेखन कार्य के लिए सैकड़ों चिह्नों को सीखना पड़ता था और उसे गीली पट्टी पर इसके सूखने से पूर्व ही लिखना होता था। लेखन कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। मेसोपोटामिया

की अधिकांश आबादी साक्षर नहीं थी।

लेखन का विकास- मेसोपोटामिया में एक सुन्दर नगर

‘उरुक’ था। वहाँ के प्रसिद्ध शासक एनमर्कर का वर्णन एक सुमेरियन महाकाव्य में मिलता है। कहा जाता है कि एनमर्कर ने अपने दूत को अरट्टा के शासक के यहाँ लाजवर्द व अन्य बहुमूल्य रत्न व धातुएँ लाने के लिए भेजा। परन्तु दूत द्वारा अपनी बात वहाँ के शासक के समक्ष अच्छे से नहीं रख पाने के कारण वह खाली हाथ वापस लौट आया था। तब एनमर्कर ने अपने हाथ से



चित्र- 7.4 कीलाकार लिपि

चिकनी मिट्टी की पट्टीका बनाई और उस पर अपनी बात लिखी थी। मेसोपोटामिया में यहीं से लेखन कला का आरम्भ कीलाकार लिपि के रूप में माना जाता है।

दक्षिणी मेसोपोटामिया का नगरीकरण, मन्दिर और राज- दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास

इसे भी जाने-

- वर्तमान में वर्ष का 12 माह में, महिना का चार हफ्तों में, एक दिन का 24 घण्टे में तथा एक घण्टे का 60 मिनट में विभाजन आदि हमें मेसोपोटामियाँ से प्राप्त हुआ है।
- समय का यह विभाजन सिकन्दर के उत्तराधिकारियों से रोम तथा इस्लामिक देशों से होता हुआ यूरोप पहुँचा।

लगभग 5000 ई. पू. से होने लगा था। धीरे-धीरे इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन नगरों का रूप ले लिया था। नगर के कई प्रकार होते थे, जैसे- मन्दिरों के चारों ओर विकसित हुए नगर और व्यापार के केन्द्रों के रूप में विकसित नगर। राजकीय नगरों को शाही नगर कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता की खुदाई में एक देवालय मिला है, जो कच्ची ईंटों से

बना था। उस समय मन्दिरों में विभिन्न प्रकार के देवी-देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ के निवासी देवी-देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली आदि लाते थे। इन उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि मैसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन



चित्र- 7.5 मैसोपोटामिया में उत्खनन से प्राप्त 3000 ई. प. का एक मन्दिर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का अङ्ग थी। पुरातात्विक स्रोतों से पता चला है कि मैसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रान्त वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। मैसोपोटामिया का एक प्रसिद्ध नगर 'कर' भी था, जहाँ सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हुआ। परन्तु यह मोहनजोदड़ो के समान व्यवस्थित (नगर-योजना) नहीं था। मारी नगर शाही राजधानी के रूप में अत्यधिक विकसित हुआ। यहाँ किसान व पशुचारक दोनों तरह के लोग रहते थे। इस प्रदेश के अधिकांश भाग का उपयोग चारागाह के रूप में होता था। मैसोपोटामिया के निवासी नगरीय जीवन को अधिक महत्त्व देते थे। 'गिल्गेमिश' महाकाव्य में बताया गया है कि यहाँ के निवासियों को अपने नगरों पर अत्यधिक गर्व था।

सारणी 7.1

काल-रेखा-1 प्रारम्भिक मानव के विकास से मैसोपोटामिया की सभ्यता तक

360-240 लाख वर्ष पूर्व	प्राइमेट युग
240 लाख वर्ष पूर्व	होमोनाइड युग
26-25 लाख वर्ष पूर्व	पत्थर के औजारों का आविष्कार
3 लाख वर्ष पूर्व	शव दफनाने का प्रथम साक्ष्य
1.9-1.6 लाख वर्ष पूर्व	होमो सैपियन्स
2-1.3 लाख वर्ष पूर्व	नर्मदा घाटी में आद्य होमो सैपियन्स की खोपड़ी
5000 ई.पू.	मैसोपोटामिया में मन्दिर निर्माण
1000 ई. पू.	लोहे का प्रयोग
326 ई. पू.	सिकन्दर की मृत्यु
100 ई. पू.	यूनानी साम्राज्य का विभाजन



प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. प्राइमेट उप समूह में शामिल है।
अ. मानव ब. वानर स. लंगूर द. उपर्युक्त सभी
2. होमो सैपियंस..... से आशय है।
अ. औजार बनाने वाले ब. खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले
स. बड़े सिर वाले स. प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य
3. भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं भारत के राज्य में स्थित हैं।
अ. गुजरात ब. छत्तीसगढ़ स. मध्यप्रदेश द. राजस्थान
4. मेसोपोटामिया वर्तमान में गणराज्य का हिस्सा है।
अ. ईरान ब. इराक स. सउदी अरब द. भारत
5. मेसोपोटामिया में परिवार प्रणाली प्रचलित थी।
अ. एकल परिवार ब. संयुक्त परिवार
स. उपर्युक्त दोनों द. कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति करो-

1. मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा थी। (सुमेरियन/अकदी)
2. होमिनिडो का उद्भव.....में हुआ था। (अफ्रीका/ अमेरीका)
3. मानव का प्रादुर्भाव वर्ष पूर्व हुआ। (56 लाख/60 लाख)
4. मेसोपोटामिया की पुरातत्वीय खोजों का प्रारम्भ.....के दशक में हुआ था। (1840 ई./1931 ई.)

सत्य/असत्य लिखिए-

1. मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों के मध्य स्थित है। सत्य/असत्य
2. प्राणियों की प्राइमेट श्रेणी का उद्भव उत्तरी अमेरिका में हुआ। सत्य/असत्य
3. होमिनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ। सत्य/असत्य
4. पुरातात्विक स्थल भीमबेटका मध्यप्रदेश राज्य में है। सत्य/असत्य

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. होमोनिड का उद्भव कब हुआ था ?
2. पाषाणकाल की परिभाषा लिखिए।

3. मेसोपोटामिया में कृषि का प्रारम्भ कब हुआ था?
4. मेसोपोटामिया में किन-किन धातुओं का आयात होता था?
5. कौन सा प्रसिद्ध नगर शाही राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

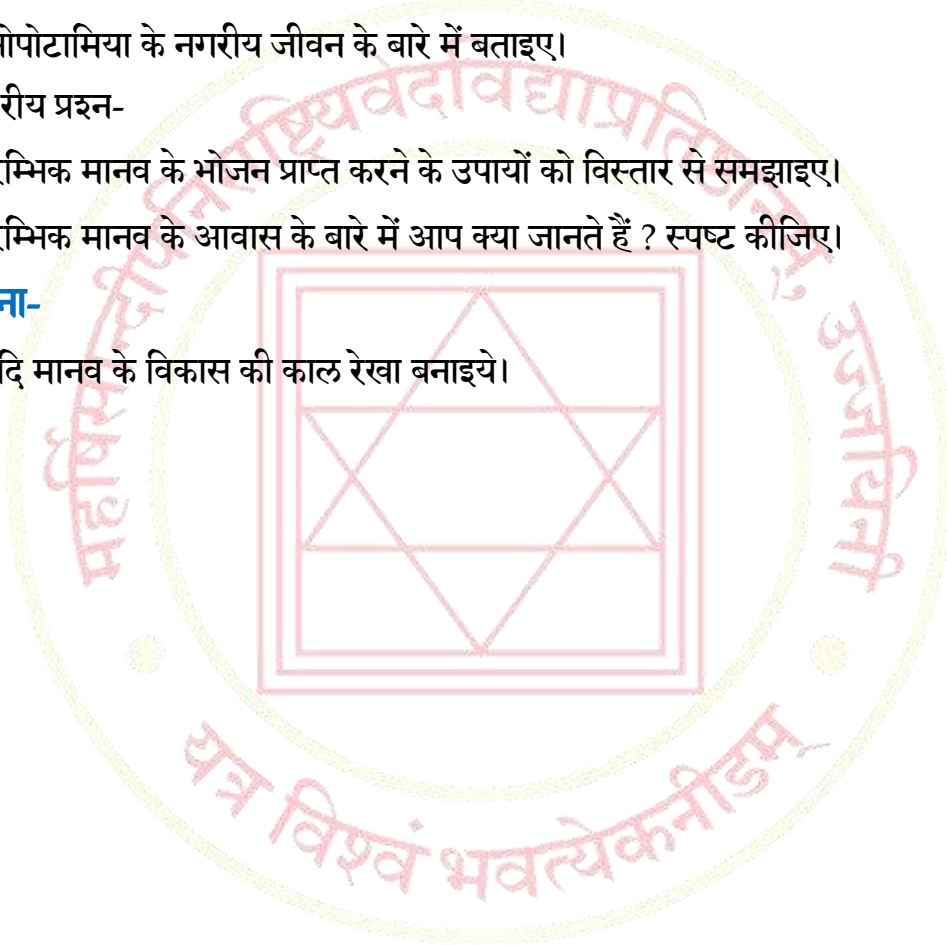
1. जीवाश्म किसे कहते हैं ?
2. आग ने किस प्रकार मानव को प्रभावित किया ?
3. आदिमानव औजारों का प्रयोग किन कार्यों के लिए करता था ?
4. मेसोपोटामिया के नगरीय जीवन के बारे में बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. प्रारम्भिक मानव के भोजन प्राप्त करने के उपायों को विस्तार से समझाइए।
2. प्रारम्भिक मानव के आवास के बारे में आप क्या जानते हैं ? स्पष्ट कीजिए।

परियोजना-

1. आदि मानव के विकास की काल रेखा बनाइये।



अध्याय- 8

विश्व के प्रमुख साम्राज्य (100 ई.-1300 ई.तक)

इस अध्याय में- रोम साम्राज्य, आरम्भिक काल, रोमन समाज, आर्थिक विस्तार, परवर्तीकाल, अरब में इस्लाम का उदय, खलीफाओं का शासन-विस्तार, गृहयुद्ध और सम्प्रदाय निर्माण, अब्बासी क्रान्ति, खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय, धर्मयुद्ध, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और संस्कृति, विश्व के सभी धार्मिक सम्प्रदायों का आधार 'सनातन धर्म', यायावर साम्राज्य, मंगोलों की सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि, चंगेजखान के बाद मंगोल।

मेसोपोटामिया की सभ्यता के पतन के पश्चात यूनानी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध यूनानी सम्राट सिकन्दर की मृत्यु(326 ई.पू.) के बाद विशाल यूनानी साम्राज्य का विभाजन होने के कारण यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशिया में कई साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। इन साम्राज्यों में रोम और इस्लामिक साम्राज्य प्रमुख थे।

रोम साम्राज्य- विशाल रोम (रोमन) साम्राज्य का विस्तार तीन महाद्वीपों में था। रोम साम्राज्य के अन्तर्गत वर्तमान यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बड़ा भाग सम्मिलित था। इस साम्राज्य के अन्तर्गत अनेक धार्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ से जुड़ी संस्थाओं का उदय हुआ था, जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिवर्तनों का कारण बनी थी। रोम साम्राज्य में अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग दास-श्रम के बल पर चलता था। इस साम्राज्य की जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त स्त्रोतों, पाठ्य-सामग्री, प्रलेख, भौतिक अवशेष आदि से मिलती है। रोम साम्राज्य को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा गया है-आरम्भिक व परवर्ती रोम साम्राज्य।

आरम्भिक काल- रोम साम्राज्य के आरम्भ में शासन की गणतन्त्र व्यवस्था प्रचलित थी। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ई. पू. में गणतन्त्र शासन व्यवस्था को समाप्त कर, राजतन्त्र की स्थापना की थी। रोमन साम्राज्य की पहली और दूसरी शताब्दियाँ शान्ति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। परन्तु तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य का विखण्डन प्रारम्भ हो गया था। ईरान के ससानी वंश और जर्मन मूल की जनजातियों ने इस पर अनेक बार आक्रमण कर, रोमन साम्राज्य के कई प्रांतों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था।

रोमन समाज- रोमन समाज में एकल परिवार प्रणाली का बोलबाला था। समाज में पुरुष वर्ग की प्रधानता

इसे भी जाने-

- रोमन साम्राज्य में तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कन्टेनरों के माध्यम से की जाती थी उनको 'एम्फोरा' कहा जाता था।

होने के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति अच्छी और उनको पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त था। विवाह के बाद भी पति-पत्नी दोनों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी। रोमन समाज में सांस्कृतिक एवं सामाजिक

विविधता बहुतायत से थी। इस साम्राज्य के आरम्भिक काल में समाज के प्रमुख तीन वर्ग सम्राट,

सारणी 8.1	
रोम साम्राज्य की प्रमुख घटनाएँ	
ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट ऑगस्टस बना और गणतन्त्र की समाप्ति	27 ई. पू.
यहूदी विद्रोह, रोमन सेनाओं का जेरूसलम पर अधिकार	66-77 ई.
ईरान में सासानी वंश की स्थापना	224 ई.
कॉन्स्टैन्टाइन रोम साम्राज्य का एकमात्र शासक, कुंस्तुनतुनिया नगर की स्थापना	324 ई.
अरबों की सीरिया, फिलिस्तीन, मिश्र, इराक, ईरान आदि पर महत्वपूर्ण विजय	633-42 ई.
स्पेन पर अरबों का आक्रमण	711 ई.

अभिजात वर्ग व सेना थे। कालान्तर में समाज कई सामाजिक श्रेणियों में विभाजित हो गया था- प्रथम



मानचित्र- 8.1 रोम साम्राज्य



वर्ग सैनेटर व अश्वारोही था जो जनता का सम्मानित वर्ग था। इनका सम्बन्ध महान घरानों से होता था। द्वितीय वर्ग फूहड व निम्नस्तर वर्ग अर्थात् कमीनकारु था, जो सर्कस, थियेटर, और तमाशे देखने का आदी था। तृतीय वर्ग दास वर्ग था। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का बोलबाला था। दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। दासों को पूँजी निवेश का माध्यम माना जाता था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख से अधिक दास थे। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा लातिनी थी। फिर भी इसके पूर्व के क्षेत्रों में अरामाईक, उत्तर पश्चिम में कैल्टिक, मिश्र में काप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक भाषा का प्रचलन था।

आर्थिक विस्तार- रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से अत्यधिक सुदृढ़ था। यहाँ का अधिकांश भाग कृषि के लिए उपयुक्त था। इसके अतिरिक्त यहाँ ईंट भट्टे, जैतून के तेल के कारखाने, बन्दरगाह आदि थे। जिनका यहाँ की आर्थिक समृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान था। व्यापार व बैंकिंग व्यवस्था यहाँ उत्तम व श्रेष्ठ थी।

परवर्ती पुराकाल- परवर्ती काल, रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अन्तिम कहानी का वर्णन करता है, जो मुख्य रूप से चौथी से सातवीं शताब्दी तक पल्लवित हुई थी। उस समय

सारणी 8.2	
अरब साम्राज्य की प्रमुख घटनाएँ	
पैगम्बर मुहम्मद का जन्म	570 ई.
पैगम्बर मुहम्मद का प्रथम धर्म उपदेश	610-12 ई.
मक्का से मदीना यात्रा (हिजरत)	622 ई.
उमय्यद शासन	661- 750 ई.
अब्बासी शासन	750-945 ई.
धर्मयुद्ध	1095- 1291 ई.
मंगोलों का बगदाद पर अधिकार	1258 ई.

यहाँ के निवासी बहुदेववादी थे। उनके प्रमुख देवी-देवताओं में जूनों, जूपिटर, मिनर्वा, मॉर्स आदि थे। रोम साम्राज्य के इस काल में सांस्कृतिक स्तर पर लोगों में धार्मिक परिवर्तन हुए थे, जिनमें सम्राट कॉन्स्टैन्टाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज धर्म बनाना और सातवीं सदी में अरब में इस्लाम का उदय था, जो बाद में रोम साम्राज्य का पतन का कारण बना था।

अरब में इस्लाम का उदय- 600 ई. से 1200 ई. के मध्य तक मिश्र से अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इस्लाम के उदय से पूर्व अरेबियन समाज कई कबीलों में बँटे हुए थे। इन कबीलों में बहुदेववाद और मूर्तिपूजा का प्रचलन था इसलिए इस काल में यहाँ के कबीलों में आपस में झगड़े होने के कारण अशान्ति हो गई थी। पैगम्बर मुहम्मद ने समाज में एकता स्थापित करने के लिए, एक ईश्वर, अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया था। यही इस्लाम का मूल था। मुहम्मद साहब को विश्व इतिहास के महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। 612 ई. में पैगम्बर मुहम्मद ने अपने आप को खुदा (ईश्वर) का संदेशवाहक घोषित किया था। 622 ई. में समृद्ध लोगों के विरोध के कारण इनको अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था। मुहम्मद साहब के धर्म- सिद्धान्त को स्वीकार करने वाले अनुयायियों को मुसलमान (मुस्लिम) कहा जाता था।

खलीफाओं का शासन-विस्तार, गृहयुद्ध और सम्प्रदाय निर्माण- 632 ईस्वी में पैगम्बर मुहम्मद के निधन

इसे भी जाने-

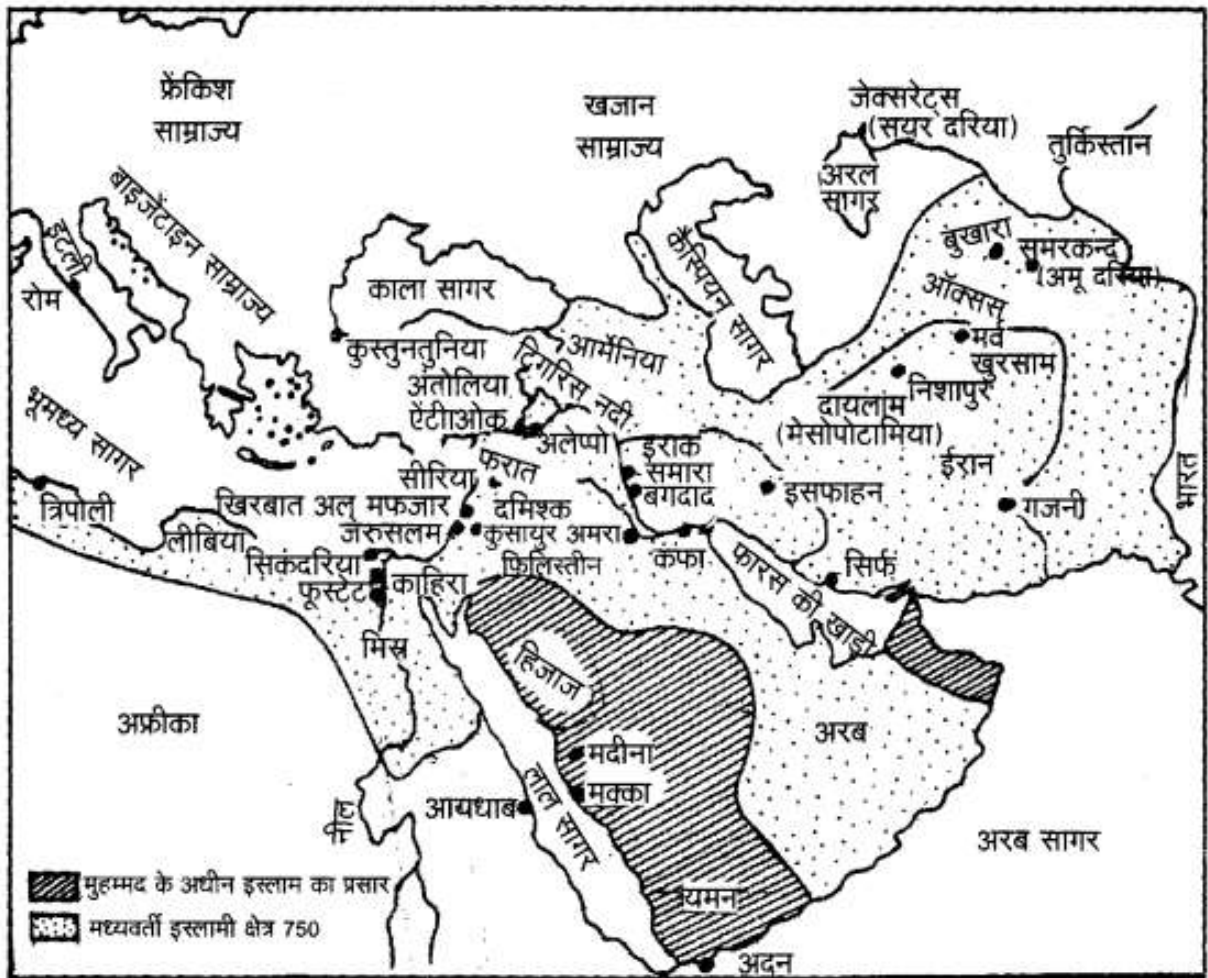
- अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया क्षेत्र के निवासीयों को अरेबियन कहा जाता है। मुहम्मद साहब का जन्म 570 ई. में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। इनके कबीले का मक्का के मुख्य धर्मस्थल काबा (घनाकार ढाँचा) पर अधिकार था। जिस वर्ष (622 ई. में) पैगम्बर मोहम्मद का मदीना में आगमन हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेण्डर यानी हिजरी सन् की शुरुआत हुई।

के पश्चात् वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगम्बर कोई नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप मुसलमानों में गहरे मतभेद पैदा हो गए थे। इन मतभेदों को दूर करने के लिए खिलाफत नामक संस्था का निर्माण हुआ जिसके नेता को पैगम्बर का प्रतिनिधि (खलीफा) कहा जाता था। खिलाफत के दो

मुख्य उद्देश्य थे- पहला कबीलों पर नियन्त्रण स्थापित करना व दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना। राजनैतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए थे। इनमें आपसी मतभेद के कारण विभाजन प्रारम्भ हो गया था। धीरे-धीरे इस विभाजन ने गृहयुद्ध का रूप धारण कर लिया था। इस गृह युद्ध के पश्चात् कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उमय्यद के अन्तर्गत इस्लाम के सुदृढीकरण का दूसरा दौर प्रारम्भ हुआ था।

उमय्यद और राजतन्त्र का केन्द्रीकरण- उमय्यद वंश के प्रथम खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और वंशानुगत उत्तराधिकार की परम्परा प्रारम्भ की थी। इस वंश ने 90 वर्ष तक शासन अपने हाथों में केन्द्रित रखा था।

अब्बासी क्रान्ति- 750 ई. द्वा नामक आन्दोलन के कारण उमय्यद वंश का स्थान पर मक्का निवासी अब्बासियों ने सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था। अब्बासी, पैगम्बर के चाचा अब्बास के वंशज थे। अब्बासी शासन के अन्तर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई जबकि ईरानी संस्कृति का महत्त्व बढ़ गया। बगदाद को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था।



मानचित्र- 8.2 अरब साम्राज्य

खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय- अब्बासी साम्राज्य नौवीं सदी तक आते-आते कमजोर हो गया था। इसका सबसे बड़ा कारण दूरस्थ प्रान्तों पर बगदाद का नियन्त्रण कम होना था। इसके पतन का दूसरा बड़ा कारण नौकरशाही में अरब समर्थक व ईरान समर्थक गुटों में आपसी झगड़ा था। आगे चलकर 10वीं-11वीं सदी में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया था। तुर्क लोग, तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों के खानाबदोश कबायली लोग थे, जिन्होंने धीरे-धीरे इस्लाम धर्म को अपना लिया था।

धर्मयुद्ध- ईसाइयों को मध्यकाल के इस्लामी समाजों में पुस्तक वाले लोग कहा जाता था। क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्मग्रन्थ 'न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील' था। 11वीं सदी में मुस्लिम व ईसाइयों में शत्रुता गहरी हो गई क्योंकि नार्मनो, हंगरीवासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया। था अब केवल मुसलमान ही उनके मुख्य शत्रु रह गए थे। 1095 ई. से 1291 ई. के मध्य यूरोपीय ईसाइयों ने मुस्लिम नगरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और इन युद्धों को **धर्मयुद्ध** नाम दिया गया था। इस काल में तीन धर्मयुद्ध हुए थे

पहला धर्मयुद्ध (1098 ई.-1099 ई.)- इस धर्मयुद्ध में फ्रान्स और इटली की सेना ने मुसलमानों व यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएँ की और जेरुसलम पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था।

दूसरा धर्मयुद्ध(1145ई.-1149 ई.)- इस धर्मयुद्ध में जर्मन और फ्रान्सिसी सेना ने दमिश्क पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया था। इसी युद्ध के दौरान जेरुसलम पर पुनः मुस्लिमों ने अधिकार कर लिया था।

तीसरा धर्मयुद्ध(1189 ई.-1291 ई.)- तृतीय धर्मयुद्ध में मिस्र के मामुलक शासकों ने सभी ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर खदेड़ दिया था।

अर्थव्यवस्था- अरबवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान होते थे। कृषि भूमि का सर्वोपरी नियन्त्रण राज्य के हाथों में था।

राज्य की अधिकांश आय का स्रोत भू- राजस्व था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि, जिस पर उनका अधिकार होता था, उसे खराज कहा जाता था। कपास, संतरा, केला, तरबूज,

बैंगन आदि का निर्यात यूरोप में किया जाता था। जैसे-जैसे नगरों की संख्या में वृद्धि हुई वैसे ही इस्लामी सभ्यता का विकास होता गया। अनेक नये नगरों की स्थापना की गई, जिनमें अरबी सैनिकों (प्रशासन की रीढ़) को बसाया गया था।

इसे भी जाने-

- बयाजिद बिस्तामी (ईरानी सूफी) पहला सूफी था जिसने अपने आपको खुदा में लीन करने का उपदेश दिया था।

पाँच शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के मध्य के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार था। इसके लिए दो मुख्य रास्ते लाल सागर और फारस की खाड़ी थे। मसालों, कपडों, चीनी मिट्टी की वस्तुओं, बारूद आदि (भारत व चीन से) को अदन व एधाब (लाल सागर के पत्तन) तथा सिराफ व बसरा (फारस की खाड़ी के पत्तन) नामक पत्तनों तक जहाजों से लाया जाता था।

यहाँ से ऊँटों के समूहों द्वारा यह माल बगदाद, दमिश्क और एलेप्पो के भण्डारगृहों तक स्थानीय खपत के लिए पहुँचाया जाता था।

शिक्षा और संस्कृति- वे धार्मिक विद्वान, जो कुरान पर टीका लिखने व मुहम्मद की उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध करने का कार्य करते थे, उन्हें 'उलेमा' कहा जाता था। आठवीं-नौवीं सदी आते-आते इस्लामिक कानून की चार शाखाएँ बन गई थी- मलिकी, हनफी, शफिई और हनबली। इनमें हनबली अत्यधिक रूढ़िवादी थी। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों के समूह को 'सूफी' कहा जाता था। सूफीवाद ने रूढ़िवादी इस्लाम को कड़ी टक्कर दी। सिकन्दरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया (पूर्व में सिकन्दर का साम्राज्य) के स्कूलों में अरबी विषयों के साथ-साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उमय्यद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियाक भाषा की पुस्तकों का अनुवाद कराया था। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के विषय में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इसी समय अरबी भाषा में किया गया था। जब ये पुस्तकें यूरोप पहुँची तो इन्होंने वहाँ के लोगों में दर्शन-शास्त्र व विज्ञान में रुचि पैदा की थी। वास्तव में यह ज्ञान परम्परा पूर्ण रूप से भारतीय ज्ञान परम्परा है, जो अनुवाद के द्वारा विभिन्न भाषाओं में विश्व भर में फैला, उदाहरण के लिए आज भी भारतीय अंकों को अरेबिक नम्बर के नाम से जाना जाता है।

विश्व के सभी चिन्तन, धर्म एवं विज्ञान का मूल वेद है- विश्व के समस्त चिन्तन, धर्म एवं विज्ञान का मूल स्रोत वेद है। वेदों में निहित सृष्टि रचना विषयक तथा अन्य ज्ञान-विज्ञान परक चिन्तन शाश्वत हैं। मनुस्मृति में इस शाश्वत ज्ञान के विषय में कहा गया है, "वेदात् सर्वं प्रसिध्यति, वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम्" अर्थात्, वेद में समस्त ज्ञान-विज्ञान प्रतिष्ठित है। आज विश्व में अनेक प्रचलित धर्म और उनसे सम्बन्धित ग्रन्थ हैं, उन सब में वैदिक वाङ्मय और सनातन धर्म, अनादि अनन्त और विश्व के प्राचीनतम वाङ्मय और धर्म हैं। वेदों में निहित अवधारणा जो परम्परा से अपौरुषेय है, श्रेष्ठ मानव जीवन शैली एवं श्रेष्ठ समाज का निर्माण करती है।

अपौरुषेय वाङ्मय, वेदों में स्रष्टा और सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन किया है। इस दृष्टि से ऋग्वेद के नासदीय सूक्त (10.129) को वैज्ञानिकों ने भी महत्त्वपूर्ण माना है, जिसमें ब्रह्माण्ड निर्माण, सृष्टि के विस्तार और विकास की चर्चा की गई है। सृष्टि के पूर्व स्थिति के सन्दर्भ में कहा गया है कि-"न मृत्युरासीद् मृतं न तर्हि न रात्र्या अह्ना आसीत् प्रकेतः। आनीदवात् स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यत्र परः किं चनास॥2॥

अर्थात्- उस समय न मृत्यु और न अमरता थी। रात और दिन का भेद भी नहीं था, वायु-शून्य और आत्मावलम्बन से श्वास-प्रश्वास युक्त मात्र ब्रह्म था। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था।

"कामसतदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं पदासीत्। सतोबन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥४॥ अर्थात् परमात्मा के मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम बीज (उत्पत्तिकारण) निकला, बुद्धिमानों ने बुद्धि के द्वारा अपने अन्तःकरण में विचार करके अविद्यमान वस्तु से विद्यमान वस्तु का उत्पत्ति स्थान निरूपित किया। "तिरश्चीनो विततो राश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्। रेतोधा आसन् महिमान आसन् त्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात् ॥५॥ अर्थात् बीज को धारण करने वाला जीव (भोक्ता) और महिमाएँ (भोग्य) उत्पन्न हुई। भोक्ताओं का कार्यकलाप दोनों पश्चो (नीचे और ऊपर) तक विस्तृत हुआ। ऊपर प्रयति (भोक्ता) और नीचे स्वधा (अन्न) अवस्थित हुआ।

सृष्टि के निर्माण का, जो आज पश्चिम के वैज्ञानिकों द्वारा जानने का विषय है उसका निदर्शन वैदिक वाङ्मय में वर्णित है। वर्तमान के प्रचलित धर्मों का तथा उनसे सम्बन्धित अनेक प्रवर्तकों का कालखण्ड विशेष में उदय हुआ है, जबकी सनातन वैदिक धर्म काल से परे हैं और धर्म प्रवर्तकों के लिए उपदेश स्रोत है। मानव सभ्यता के इतिहास में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं-सरस्वती-सिन्धु सभ्यता एवं मोसोपोटामिया सभ्यता आदि से प्राप्त साक्ष्यों से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं आज भी प्रचलित मान्य परम्पराओं में समानता, सनातन धर्म की प्राचीनता और वैश्विक विस्तार की ओर संकेत करती है।

यायावर साम्राज्य- यायावर लोग मूलरूप से घुमक्कड़/खानाबदोश होते थे। इस साम्राज्य की स्थापना मध्य एशिया के मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में 13वीं-14वीं सदी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य के रूप में की थी। इनका साम्राज्य यूरोप व एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। चंगेज खान ने मंगोल समाज की पारम्परिक-सामाजिक और राजनीतिक रीति- रिवाजों को रूपान्तरित कर एक भयानक सैनिक-तन्त्र और शासन सञ्चालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया था। वह कहा करता था कि उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त है। उसका सम्पूर्ण जीवन चीन, तुरान (ट्रांस ऑक्सियाना) अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व व प्रत्यक्ष सञ्चालन में व्यतीत हुआ था। चंगेज खान के पोते मोन्के ने फ्रान्स के शासक लुई नौवे को चेतावनी देते हुए कहा था कि 'पृथिवी का केवल एक ही अधिपति है और वो है चंगेज खान'। उसके दूसरे पोते बाटू ने अपने

अभियानों में मास्को, पौलेण्ड, हंगरी, वियना पर विजय प्राप्त की थी। मंगोलों ने अपने विजय अभियानों से व साम्राज्य निर्माण से विश्व-विजेता सिकन्दर की उपलब्धियों को भी बौना साबित कर दिया था। मंगोलों की सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि- मंगोल समाज में कई सामाजिक समूह थे, जिनमें



मानचित्र- 8.3 मंगोल साम्राज्य

पशुपालक व शिकारी संग्राहक मुख्य थे। पशुपालक ऊँट, घोड़े, भेड़ आदि पालते थे। पशुपालक मध्य एशिया के घास के मैदानों में और शिकारी संग्राहक साइबेरियाई वनों में रहते थे। मंगोल जनजातीय समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में बाँटा गया था। एक इकाई में लगभग 10,000 सैनिक होते थे। धनी परिवार बड़े होते थे व उनके पास अधिक पशु व चारण भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे व उनका स्थानीय राजनीति में दबदबा था। पशुधन प्राप्त करने के लिए लोग लूटपाट और आपसी संघर्ष करते थे। चंगेज खान द्वारा मंगोल व तुर्की कबीलों को मिलाकर एक विशाल परिसंघ बनाया गया था। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों के कारण मंगोलों व मध्य-एशिया के यायावरों को व्यापार व वस्तु-विनिमय के लिए अपने पड़ोसी चीनी निवासियों के पास जाना होता था। इससे दोनों

पक्षों को लाभ होता था। यायावर लोग घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार को चीन भेजा करते थे तथा वहाँ से कृषि उत्पाद व लोहे के उपकरण प्राप्त करते थे।

चंगेज खान के उपरांत मंगोल- चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य को छिन्न-भिन्न हो गया।

उसके वंशजों व उत्तराधिकारियों ने आगे भी साम्राज्य विस्तार को जारी रखा। 13वीं सदी में चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के लोग मंगोलों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी शक्तिशाली शासक के रूप में चंगेज खान ने मंगोलों को एकता के सूत्र में पिरोया और एक समृद्ध पारमहाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। मंगोल शासकों ने सभी जाति व धर्मों के लोगों को प्रशासकों व सैन्य दल के रूप में अपने प्रशासन में स्थान दिया था।

इसे भी जाने-

- चंगेज खान का जन्म आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट 1162 ई. में हुआ। इसके बचपन का नाम तेमुजिन था। इसके पिता येसुजेई, जो कियात कबीले के मुखिया थे।
- आजीवन युद्धों में व्यस्त रहने वाले चंगेज खान की मृत्यु 1227 ई. में हुई थी।

सारणी 8.3

यायावर साम्राज्य की प्रमुख घटनाएँ

तेमुजिन का जन्म	1197 ई.
तेमुजिन ने चंगेज खान की उपाधि धारण कर, सार्वभौम शासक घोषित	1206 ई.
चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष, स्वतन्त्र राज्य- तोलुयिद(युआन वंश और इलखानी राज्य) की स्थापना व अन्त	1260 ई.- 1368 ई.
तैमूर का शासन, भारत पर आक्रमण	1370 ई.-1405 ई.
मंगोलिया गणराज्य की स्थापना	1921 ई.

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. रोम साम्राज्य में राजतन्त्र की स्थापना.....में हुई थी।
अ. 27 ई.पू. ब. 100 ई.पू. स. 27 ई. द. 50 ई.
2. अब्बासियों ने.....को अपनी राजधानी बनाया था।
अ. जेरुसलम ब. दमिश्क स. बगदाद द. फिलिस्तीन
3. चंगेज खान का जन्म सन् में हुआ था।
अ. 1062 ई. ब. 1162 ई. स. 1150 ई. द. 1170 ई.
4. यायावर का अर्थ.....है।
अ. घुमकड़ ब. आवारा स. जनजाति द. प्रजाति

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. रोम साम्राज्य के प्रारम्भ में शासन व्यवस्था प्रचलित थी। (गणतन्त्रीय/राजतन्त्रीय)
2. रोम में तेल कन्टेनरों को कहा जाता था। (टेम्पेरा/एम्फोरा)
3. मुहम्मद साहब का जन्म..... हुआ था। (570 ई./ 580 ई.)
4. चंगेज खान के पिता का नाम था। (येसुजेई/तातार)

सत्य/असत्य बताइए-

1. रोम साम्राज्य में महिलाओं की कानूनी स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ थी। सत्य/असत्य
2. रोम साम्राज्य में दास प्रथा का बोलबाला था। सत्य/असत्य
3. हिजरी सन् का प्रारम्भ 622 ई. में हुआ था। सत्य/असत्य
4. चंगेज खान का जन्म तंजानिया में हुआ था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. प्रथम धर्मयुद्ध	क. 1189 - 1291 ई.
2. द्वितीय धर्मयुद्ध	ख. 1098 - 1999 ई.
3. तृतीय धर्मयुद्ध	ग. 1145 - 1149 ई.
4. युआन वंश	घ. 1260 ई.- 1368 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों को कौनसे 3 भागों में बांटा गया है?
2. रोमन साम्राज्य का विस्तार कौन-कौनसे महाद्वीपों में था?
3. सूफी किन्हें कहा जाता था?
4. धर्मयुद्ध की परिभाषा दीजिए।
5. मंगोल कौन थे?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. रोम साम्राज्य में समाज कितने भागों में विभाजित था?
2. अब्बासी क्रान्ति से क्या तात्पर्य है?
3. अरबी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का उल्लेख कीजिए?
4. चंगेज खान के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. इसाई एवं इस्लाम के मध्य हुए धर्मयुद्धों का उल्लेख कीजिए
2. विश्व के सभी धार्मिक सम्प्रदायों का आधार 'सनातन धर्म' है। स्पष्ट कीजिए।

परियोजना-

1. विश्व मानचित्र में प्राचीन रेशम मार्ग को दर्शाइए।

अध्याय- 9

विश्व का बदलता परिदृश्य (1300- 2000 ई. तक)

इस अध्याय में- फ्रांसीसी व इंग्लैंड में सांस्कृतिक परिवर्तन, 11 वीं से 14वीं शताब्दी तक विभिन्न परिवर्तन, बदलता सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य, यूरोपीय पुनर्जागरण, संस्कृतियों का संघर्ष, बदलता आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य, आस्ट्रेलिया, जापान और चीन।

रोमन, इस्लामिक और यायावर साम्राज्य की स्थापनाओं और उनके आपसी संघर्षों से कालान्तर में विश्वव्यापी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। इन परिवर्तनों में का अध्ययन हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत करेंगे।

फ्रान्सिसी व इंग्लैंड में सांस्कृतिक परिवर्तन- फ्रान्सिसी व इंग्लैंड का समाज उस समय मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित हो गया था- पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग व कृषक वर्ग।

1. **पादरी वर्ग** - पादरी वर्ग का समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये लोग आजीवन अविवाहित रहते थे। पादरियों (पोप) के पास राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी, जिनसे ये लोग कर प्राप्त कर सकते थे। पादरी लोग टाईथ नामक धार्मिक कर वसूलते थे। इसके अतिरिक्त ईसाई समाज एक वर्ग और था, जो चर्च के बाहर एकान्त में मोनैस्ट्री या ऐबी (मठ) में रहता था। पुरुष और महिलाओं क्रमशः मोंक और नन कहा जाता था।
2. **अभिजात वर्ग**- समाज के जमींदार, सामंत व धनिक व्यापारियों को अभिजात वर्ग कहा जाता था।

इस वर्ग की सामाजिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी। बड़े भू-स्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे तथा किसान भू-स्वामियों के अधीन होते थे। सेन्योर/लार्ड दासों की रक्षा करते थे। अभिजात वर्ग का समाज में सम्मान था।

इस वर्ग को अपनी सैन्य क्षमता



चित्र- 9.1 पन्द्रहवीं शताब्दी में वेनिस में डोगे का महल

बढ़ाने और मुद्रा चलाने का अधिकार प्राप्त था। नौवीं सदी में यूरोप में प्रायः स्थानीय युद्ध होने के कारण अश्व सेना में वृद्धि करने के लिए नाइट नामक नए वर्ग का उदय हुआ था।

इसे भी जाने-

- रोटी देने वाले वर्ग को सेन्योर/लार्ड कहते थे। इनके घर को मेनर कहते थे। लार्ड द्वारा नाइट को भूमि का एक भाग दिया गया, उसे फ्रीफ कहा जाता था।

3. **कृषक वर्ग-** समाज के कृषक वर्ग में किसान व मजदूर सम्मिलित थे। कृषक वर्ग समाज में भरण-पोषण का कार्य करता था। कृषकों के दो वर्ग स्वतन्त्र किसान व सर्फ (कृषि दास) थे। स्वतन्त्र किसानों को प्रथम वर्ग के लोगों की भूमि पर सप्ताह में तीन या उससे अधिक दिन काम करना होता था। इस वर्ग का सैन्य सेवा में भी योगदान देना होता था। कृषि दासों पर लार्ड का एकाधिकार होता था।

सामन्तवाद- ग्यारहवीं सदी में इंग्लैंड में सामन्तवाद का उदय हुआ था। इस व्यवस्था में राज्य की भूमि को बड़े-बड़े जमींदारों में विभाजित कर दिया जाता था।

11 वीं से 14वीं शताब्दी तक विभिन्न परिवर्तन- 11वीं सदी में यूरोप में वायु व जल शक्ति के उपयोग से

इसे भी जाने-

- सामन्तवाद शब्द फ्यूड(जर्मन भाषा का शब्द) से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक सामन्तवाद पर कार्य करने वाले प्रथम विद्वान थे।

कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए थे जैसे- भूमि जोतने की प्रणाली में परिवर्तन और तीन खेतों वाली फसल व्यवस्था का प्रारम्भ आदि थे। 14वीं सदी के आरम्भ में जनसंख्या वृद्धि, भूमि की उर्वरता में कमी, महामारियों का प्रकोप, चाँदी की

खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी गिरावट के कारण यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा हो गया था। यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा होने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में नए राज्यों का उदय, संगठित स्थायी सेना और नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी।

बदलता सांस्कृतिक परिदृश्य- यूरोप महाद्वीप में 14वीं से 17वीं सदी तक नगरीय संस्कृति का अधिक विस्तार होने के कारण रोम, वेनिस, फ्लोरेंस आदि का उदय कला और विद्या के नए केन्द्रों के रूप में हुआ था।

इस काल में मुद्रण के आविष्कार के कारण लोगों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध होने लगी थी। यूरोपीय लोग

इसे भी जाने-

- मानवतावाद वह विचारधारा है, जिसमें मानव जीवन की सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता है।

अपनी तुलना प्राचीन यूनानी व रोमन साम्राज्य से करने लगे थे। 19वीं सदी के इतिहासकारों ने रेनेसां (पुनर्जागरण) शब्द का भी प्रयोग किया है, जो उस समय के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बतलाता है।

1. **इटली के नगरों का पुनरुत्थान-** रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिमी यूरोप सामन्ती सम्बन्धों और पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन राज्य के कारण नई शासन व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रहे थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के मध्य व्यापार से इटली के बन्द पड़े तटवर्ती बंदरगाह पुनः प्रारम्भ हो गए थे। इन परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता की थी। इन परिवर्तनों का सर्वाधिक प्रभाव वेनिस और जेनेवा नगरों में हुआ था।



मानचित्र 9.1- इटली राज्य

2. **विश्वविद्यालय और मानवतावाद-** यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना इटली में हुई थी। इन विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों, जैसे- इतिहास, नीति दर्शन, अलंकार शास्त्र, कविता और व्याकरण का अध्ययन आरम्भ हुआ था। मानवतावादियों का मानना था कि कई शताब्दियों के अंधकार के युग के पश्चात वे सभ्यता के वास्तविक रूप की पुनः स्थापित कर रहे हैं।
3. **अरेबियन विज्ञान और दर्शन-** अरेबियन विद्वानों ने भूतकाल की पाण्डुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया था। अरबी भाषा के अधिकांश ग्रन्थ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से सम्बन्धित थे। मानवतावादी विषय अब इटली के अतिरिक्त अन्य देशों के विद्यालयों में पढ़ाये जाने लगे थे। स्पेन निवासी अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के मध्य बढ़ रहे तनाव को सुलझाने का प्रयास किया था। इस काल में टॉलमी ने 'अलमजेस्ट' नाम से प्रसिद्ध खगोल शास्त्र की पुस्तक लिखी थी।
4. **कला और मुद्रण-** उस समय चित्रकला, वास्तुकला और मुद्रण के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए थे।

इसे भी जाने-

- माइकल एंजेलो ने सेंट पीटर गिरजे के गुम्बद को डिजाइन किया था। जोहानेस गुटेनबर्ग द्वारा 1455 ई. में प्रथम छापेखाने की शुरुआत की गई थी।

जिसकी जानकारी हमें प्राचीन रोम व उसके उजाड़ नगरों के खण्डहरों से प्राप्त कलात्मक वस्तुओं से हुई है। लेप चित्र (painting) की तकनीक के विकास से

चित्रों को अधिक रंगीन, चटख, आकर्षक और यथार्थ बना दिया था। शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौन्दर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया था, जिसे कालान्तर में यथार्थवाद कहा गया था। प्राचीन रोम साम्राज्य की वास्तुकला के पुनरुद्धार के कारण वास्तुकला की शास्त्रीय शैली विकास हुआ था। शास्त्रीय शैली का प्रयोग पोप, धनी व्यापारी व अभिजात वर्ग के लोग अपने भवनों के निर्माण के लिए करने लगे थे। यूरोपीय व्यापारी और राजनयिक सर्वप्रथम मंगोल शासकों के राज-दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस मुद्रण तकनीकी से परिचित हुए थे। मुद्रण के विकास से धीरे-धीरे पाठ्य सामग्री लोगों तक पहुँचने लगी थी।

5. सामाजिक परिवर्तन- इस काल में धर्म के कमजोर होने से लोगों का भौतिकवाद की तरफ अधिक झुकाव हुआ था। भौतिकवादी दृष्टिकोण में लोग विनम्रता से बोलना, अच्छे कपड़े पहनना, सभ्य दिखना आदि को महत्त्व देते थे। सार्वजनिक जीवन में सम्पन्न परिवार व अभिजात वर्ग के पुरुषों का प्रभुत्व था। दहेज प्रथा के कारण अनेक महिलाओं को चर्चों में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर थी। व्यापारी वर्ग में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी।

इसे भी जाने-

- अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोरिल को अरस्तू नाम से जाना जाता था।

बदलता धार्मिक परिदृश्य- 15वीं-16वीं सदी में यूरोप के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए थे। मानवतावादी विचारों की जागृति और चर्च के अधिक करों के कारण लोगों चर्च का विरोध किया था। उन करों में एक पाप- स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था। उस समय लोगों का मानना था कि पाप-स्वीकारोक्ति का अर्थ पादरीयों द्वारा लोगों से धन ऐंठना था। 1517 ई. में एक युवा भिक्षु मार्टिन लूथर (जर्मनी) ने कैथलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया और लोगों से कहा कि- 'मनुष्य को ईश्वर से सम्पर्क साधने के लिए पादरी की जरूरत नहीं है।' इस अभियान को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया था। अब लोगों ने चर्च व पादरियों की नीतियों का खुलकर विरोध किया था। अन्ततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों में कैथलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को उपासना की अनुमति दे दी थी। इंग्लैण्ड के शासकों ने पोप से अपने सम्बन्ध तोड़ लिए व इंग्लैण्ड के राजा/रानी चर्च के प्रमुख बन गए थे।

यूरोपीय पुनर्जागरण- 14वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण के फलस्वरूप अनेक नए सिद्धान्तों की स्थापना हुई थी। कोपरनिकस (1473 - 1543 ई.) ने ईसाईयों के सिद्धान्त 'पृथिवी पापों से भरी है, इस कारण यह स्थिर है', का खण्डन कर लोगों को बताया कि 'पृथिवी सहित सारे ग्रह, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं'। गैलिलीयो ने अपने ग्रन्थ 'दि मोशन' में गतिशील विश्व के सिद्धान्तों की पुष्टि की थी। इस क्रान्ति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊँचाई

को छू लिया था। यदि उस समय पाश्चात्य विचारकों ने हमारे वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किया होता तो वे इस सिद्धान्त का प्रतिपादित करने का श्रेय नहीं लेते। वैदिक ऋषियों ने अपने चिन्तन में स्पष्ट किया है कि पृथिवी सूर्य के चारों ओर गमन करती है- **मत्वं बिभ्रती गुरुभृद् भद्रपापस्य निधनं तितिक्षुः। वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते मृगाय॥** (अथर्ववेद 12/48) अर्थात् गुरुत्वाकर्षण शक्ति को धारण



चित्र 9.2- कोपरनिकस

करने की क्षमता से युक्त, पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों प्रकार के मनुष्यों को सहन करती हुई पृथिवी उत्तम जल देने के साथ मेघों से युक्त सूर्य की किरणों से अपनी मलीनता का निवारण करके सूर्य के चारों ओर विशेष रूप से गमन करती है।

पुनर्जागरण के कारण यूरोप में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवर्तन हुए थे, जिससे विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़ गया था। इस आपसी जुड़ाव और विकास के कारण अब संस्कृतियों में प्रतिस्पर्धा होना प्रारम्भ हो गया था।

संस्कृतियों का संघर्ष- 15वीं से 17वीं सदी के मध्य यूरोपियन

संस्कृति का कैरेबियन द्वीपों, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में विस्तार के कारण, उसका वहाँ की मूल संस्कृतियों के साथ संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष का अध्ययन हम निम्न प्रकार करेंगे।

1. **कैरेबियन द्वीप समूह-** 1380 ई. में दिशा सूचक यन्त्र (कुतबनुमा, चीन में) का आविष्कार हो चुका

था। इस यन्त्र के आविष्कार, जहाजरानी उद्योग के विकास एवं टॉलमी के विभिन्न क्षेत्रों की अक्षांश और देशान्तर रेखाओं की स्थिति के ज्ञान के कारण यूरोप के नाविकों के लिए समुद्री मार्गों की खोज

इसे भी जाने-

- लियानार्दो द विंची एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसकी मोनालिसा और द ब्रम्हाण्ड लास्ट सपर पेंटिंग्स अत्यधिक चर्चित रही।
- पुनर्जागरण का प्रारम्भ सर्वप्रथम इटली में हुआ।

करना आसान हुई थी। इन खोजों का दूसरा कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था में 14-15वीं सदी के मध्य प्लेग व युद्धों के कारण आई मन्दी और कुंस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार था। कुंस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार के कारण यूरोप से इंडीज (पूर्वी देशों) जाने वाला स्थल मार्ग बन्द हो गया था। अब यूरोपवासियों के लिए पूर्वी देशों से मसालों, कपड़ों के व्यापार के लिए समुद्री मार्गों की खोज करना आवश्यक हो गया था। इन समुद्री मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के लोग सबसे आगे

रहे थे। स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलम्बस (1451 ई.-1506 ई.) ने इस साहसिक कार्य प्रारम्भ 3 अगस्त 1492 ई.को किया था। लम्बी समुद्री यात्रा के बाद 12 अक्टूबर 1492 ई. को कोलम्बस बहामा द्वीप समूह के गुआनाहनि द्वीप पर पहुँचा था। यहाँ अरावाक समुदाय के लोगों ने उसका व उसके साथियों का स्वागत किया था। कैरेबियन सागर में स्थित द्वीपसमूहों (बहामा) और एंटीलीज में अरावाकी लुकायो एवं कैरिब समुदाय के लोग रहते थे। अरावाक समुदाय के लोग संगठित होकर रहते थे। उनमें बहु-विवाह प्रथा प्रचलित थी। वे सोने के गहने पहनते थे व अत्यधिक उदार प्रकृति के होते थे। स्पेनिश लोगों के सम्पर्क में आने के बाद अरावाको और उनकी जीवन-शैली का विनाश हो गया था।



मानचित्र- 9.2 दक्षिणी अमेरिका

2. दक्षिण अमेरिका- दक्षिण अमेरिका की स्थानीय संस्कृतियों में पेरू की केचुआ या इंका संस्कृति थी। यहाँ की प्रशासनिक भाषा केचुआ थी। इंका राज्य में सोने-चाँदी प्रचुर मात्रा में मिलता था। स्पेन ने दक्षिण अमेरिका में अपनी सैन्य-शक्ति के बल पर साम्राज्य स्थापित किया था। यूरोपियन लोगों का दक्षिण अमेरिका में बस जाना वहाँ के निवासियों के लिए घातक सिद्ध हुआ था। यूरोपवासी अफ्रीका से गुलामों को पकड़कर व खरीदकर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका की खानों व बागानों में बेचने लगे थे, जिससे वहाँ दासप्रथा का प्रचलन हुआ था। इसके अतिरिक्त यूरोपवासियों ने दक्षिण अमेरिका की पाण्डुलिपियों व स्मारकों को नष्ट कर दिया था।

पुर्तगाल निवासी पेड्रो अल्वारिस कैब्राल 1500 ई. में जहाज से भारत के लिए रवाना हुआ था परन्तु तूफानी समुद्रों से बचने के लिए, उसने पश्चिमी अफ्रीका का चक्कर लगाया और वह ब्राजील (दक्षिण अमेरिका) पहुँच गया था। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में तुपिनांबा समुदाय के लोग निवास करते थे। ब्राजील में टिबर (इमारती लकड़ी) प्रचुर मात्रा में थी, जिसका पुर्तगालियों ने भरपूर फायदा उठाया था। ब्राजील पर पुर्तगाल का अधिकार एक संयोग था।

3. **उत्तरी अमेरिका-** उत्तरी अमेरिका की खोज (1492 ई.) के कई दीर्घकालीन परिणाम निकले थे, जिनमें 1519 ई. में स्पेनवासी कोर्टेस ने क्यूबा के पश्चात मैक्सिको पर अधिकार कर लिया था। वहाँ उसने टॉटानैक समुदाय से मित्रता कर ली, जो एजटेकों के शासन से अलग होना चाहते थे। स्पेनी सैनिकों के आक्रमण को देखकर एजटेक शासक मोटेंजुमा घबरा गया और उसने कोर्टेस के आगे आत्म-समर्पण कर दिया था। एजटेक लोग मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में आकर बसे थे। ये अभिजात वर्ग में शामिल थे। सरकार, सेना व पौरोहित्य कर्म में ये लोग शामिल थे। माया लोगों के पास राजनीतिक शक्ति एजटेकों की अपेक्षा कम थी। मक्के की खेती माया और एजटेक समुदाय का मुख्य जीवनाधार था।

कैरेबियन, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की खोजों के अनेक मिश्रित परिणाम निकले थे, जैसे – लगातार युद्धों कारण यहाँ के मूल निवासियों की जनसंख्या में कमी, स्थानीय जीवन-शैली नष्ट होना, दासप्रथा में वृद्धि, यूरोपवासी का आलू, लाल मिर्च आदि से परिचय और सोने-चाँदी की अधिकता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण विस्तार आदि थे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के कारण औद्योगिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

सारणी 9.1 यूरोपवासियों द्वारा समुद्री यात्राएँ	
वर्ष	समुद्री मार्ग की खोज
1492	कोलम्बस बहामा द्वीप समूह पहुँचा
1494	अनखोजी दुनिया का पुर्तगाल और स्पेन के मध्य विभाजन
1497	जान कैबोट ने उत्तरी अमेरिका के समुद्री तट की खोज
1498	वास्कोडिगामा कालीकट (भारत) पहुँचा
1499	अमेरिगो वेस्पुसी ने दक्षिण अमेरिका के समुद्र तट की खोज
1522	स्पेनिश मैगलेन जहाज से पृथिवी का चक्कर लगाया।

बदलता आर्थिक परिदृश्य- 1300 ई. के बाद विश्व में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए थे। इन आर्थिक परिवर्तनों के मूल में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति (1780 ई. के दशक से 1850 ई. के दशक तक) थी। जिसका विस्तृत अध्ययन हम पूर्व कक्षा में कर चुके हैं।

बदलता राजनीतिक परिदृश्य- 17वीं सदी के पश्चात् फ्रान्स, इंग्लैण्ड, हॉलैण्ड जैसे देशों ने अपनी

इसे भी जाने-

- औद्योगिक क्रान्ति शब्द का सबसे पूर्व प्रयोग अरनोल्ड टायनबी ने 1884 ई. में अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन दि इण्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैण्ड में किया था।
- 1788 ई. से 1796 ई. की समयावधि को नहरोन्माद के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में 46 नयी नहर परियोजनाओं की नींव रखी गई थी।
- भाप से चलने वाला पहला रेल इंजन 1814 ई. में स्टीफेंसन द्वारा बनाया गया था।

व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार कर, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए थे। प्रभुत्वशाली राष्ट्र अपने आर्थिक लाभ के लिए छोटे देशों को उपनिवेश बनाकर उनके संसाधनों का दोहन करते थे। 18वीं से 20वीं सदी के मध्य दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड के भागों में

यूरोप और एशियाई अप्रवासी बसने लगे थे। वर्तमान में इन देशों में एशियाई व यूरोपीय लोगों की जनसंख्या वहाँ के मूल निवासियों से अधिक है।

उत्तरी अमेरिका- यह महाद्वीप, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक प्रशान्त महासागर से अटलांटिक महासागर तक विस्तृत

है। इसके पश्चिम में एरिजोना और नेवाडा मरुस्थल है, पूर्व में विस्तृत मैदान व दक्षिण में मेक्सिको स्थित है। यहाँ तेल, गैस व खनिज संसाधनों की बहुलता है। कृषि की दृष्टि से यहाँ गेहूँ, मक्का व फलों का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। अमेरिका के मूलवासी नदी घाटी के आस-पास बने गाँवों में रहते थे। इन

इसे भी जाने-

- फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने अमेरिका के मूल निवासियों के विषय में कहा कि ये लोग सभ्यताओं की विकृतियों से अछूत होने के कारण प्रशंसनीय थे। 4 जुलाई 1776 ई. को अमेरिका ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो गया और विश्व इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका नामक नए गणराज्य का अभ्युदय हुआ था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 1840 ई. सोना मिलने के संकेत मिले तो सोना प्राप्त करने के लिए हजारों यूरोपियन लोग अमेरिका पहुँचे थे। यह घटना विश्व इतिहास में गोल्ड रश के नाम से जानी जाती है।

मूलवासियों का मुख्य आहार मांस-मछली, मक्का, सब्जियाँ आदि था। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएँ बोली जाती थीं परन्तु वे लिखी नहीं जाती थी। यूरोपियन लोग अमेरिका के मूल निवासियों को असभ्य मानते थे। धीरे-धीरे यूरोपियन लोगों ने अमेरिका में अपने क्षेत्रों का विस्तार किया तो मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए विवश होना पड़ा था। अमेरिकन मूलवासियों की भूमि को धोखे और बहुत कम पैसे देकर अधिग्रहण किया गया था। मूल निवासियों की यह कहकर आलोचना की जाती थी कि उनमें आलस्य होने के कारण शिल्प-कौशल की कमी है। पूर्व में मूल निवासियों का पश्चिम की ओर

विस्थापन किया गया था परन्तु जब उनकी भूमि में से तेल, सोना, सीसा जैसे खनिज निकलने लगे तो उन्हें पुनः विस्थापित किया गया था।

ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के पश्चात उत्तरी अमेरिका में रेल्वे लाइनों का निर्माण, उद्योगों,



कृषि का विकास हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विस्तार हुआ था। 1890 ई. में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। यूरोपीय व्यापारी, जब उत्तरी अमेरिका पहुँचे तो उनको वहाँ के स्थानीय लोगों का

चित्र- 9.3 गोल्ड रश के दौरान कैलीफोर्निया जाते लोग

व्यवहार अत्यधिक अच्छा लगा था। यूरोपीय व्यापारी, उन्हें स्थानीय वस्तुओं के बदले, कम्बल, लोहा, बर्तन, बन्दूकें, शराब आदि देते थे। स्थानीय अमेरिकन लोग तम्बाकू का सेवन करते थे इसलिए यूरोपीय व्यापारी भी तम्बाकू पीने लगे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक अधिकारों की यदि बात की जाए तो लोकतान्त्रिक अधिकार (राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार) और सम्पत्ति, दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए ही थे।

ऑस्ट्रेलिया- आदिमानव (ऐबॉरिजिनीज) का ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व न्यू गिनी से आए थे। 18वीं सदी के अन्तिम कालखण्ड में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 समुदाय थे। ब्रिटिश लोग 1770 ई. में पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुँचे थे। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश नगर समुद्रतट के आस-पास बसे हैं। भेड़ों के विशाल फार्म, खानें, मदिरा हेतु अंगूर के बाग, गेहूँ की कृषि आदि ने ऑस्ट्रेलिया की सम्पन्नता का आधार तैयार किया था। 1901 ई. में 6 राज्यों को मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ, जिसकी राजधानी 1911 ई. में कैनबरा को बनाया गया था। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया में यूरोप और एशिया के आप्रवासियों की जनसंख्या अधिक है इसलिए 1974 ई. से यहाँ की राजकीय नीति बहुसंस्कृतिवाद को प्रधानता दी गई है।

जापान- जापान एक द्वीपीय शृंखला वाला देश है, जो चार बड़े द्वीपों होंशू, क्यूशू, शिकोकू, होकाइदो से मिलकर बना है। विश्व में, जापान अत्यधिक भूकम्प प्रभावित वाला राष्ट्र है तथा चावल यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल है।

राजनीतिक व्यवस्था- 12वीं सदी से पूर्व जापान पर क्योटो के रहने वाले सम्राट का शासन था। 12वीं सदी में शोगुनो ने राजा के नाम पर जापान शासन किया था। जापान में तोकुगावा परिवार ने 1603 ई.- 1867 ई. तक शोगुन पद पर पदस्थ थे। इस काल में जापान 250 भागों में विभाजित था। शोगुनों का शासन दैम्यो चलाते थे। शोगुन, दैम्यो को राजधानी एदो में रहने का आदेश कर, उन पर नियन्त्रण करते थे। सामुराई (योद्धा वर्ग) शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा दैम्यो की सेवा करते थे।

इसे भी जाने-

- एदो को वर्तमान में टोक्यो कहा जाता है।



मानचित्र- 9.3 ऑस्ट्रेलिया

16वीं सदी के अन्त में जापान में राजस्व में स्थायी वृद्धि के उद्देश्य से तीन परिवर्तन हुए थे। प्रथम अब केवल समुराई ही तलवार (हथियार) रख सकते थे। द्वितीय, दैम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए थे। तीसरा, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जापान अमीर देश बन गया था। अब वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा आयात कर, उनका भुगतान चाँदी और सोने के रूप में करता था।



मेंजी पुनर्स्थापना- जापान में तोकुगावा वंश के विरुद्ध उपजे असन्तोष के कारण 1867-68 ई. में मेंजी वंश की पुनर्स्थापना हुई थी। अमेरिका ने चीनी बाजार में प्रवेश करने के लिए जापान के राजनयिक और व्यापारिक सम्बन्ध बनाए थे। अमेरिकी मदद से मेंजी सरकार की शासन में पकड़ मजबूत हो गई थी। अब मेंजी शासन ने जापान का राष्ट्रीय एकीकरण के लिए नया प्रशासनिक ढाँचा और आधुनिक सैन्य बल तैयार कर, सेना और नौकरशाही को सीधे सम्राट के नियन्त्रण में ले लिया था। इन सुधारों के फलस्वरूप जापान प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ और आगे चलकर उसे चीन और रूस के साथ हुए युद्धों में विजय प्राप्त हुई थी। आर्थिक प्रगति के कारण जापान अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने लगा था।

जापान का आधुनिकीकरण- जापान में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे का विस्तार, बैंकिंग सेवाओं का प्रारम्भ, वस्त्र उद्योग का विकास, कृषि पर कर लगाया गया था। जापान में औद्योगिक के कारण कारखानों और मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई थी। जापान में 1909 ई. में कारखानों की संख्या 1,000 थी, जो 1940 ई. में 5,50,000 हो गई।

जापान में राष्ट्रवाद के विकास के कारण सीमित मताधिकार वाला संविधान, डाइट (जापानी संसद) और राजनीतिक पार्टियों की स्थापना हुई थी। जापान में 1918 ई. से 1931 ई. के मध्य जनमत से प्रधानमन्त्रियों का चुनाव हुआ था। जापान के लोग पश्चिमीकरण से अत्यधिक प्रभावित हुए थे इसलिए लोगों में इसके बारे में अलग-अलग मत थे। कुछ जापानी बुद्धिजीवियों के अनुसार अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊँचाइयों पर थे, जहाँ जापान को भी पहुँचाना चाहिए। कुछ का मानना था कि जापान को अपने एशियाई लक्षणों को छोड़ देना चाहिए और पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा बन जाना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवी कहते थे कि जापान अपना आधार सेना की अपेक्षा लोकतन्त्र को बनाए। पश्चिमीकरण के कारण जापान के निवासियों के दैनिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए थे।

इसे भी जाने-

- कॉमाडोर मैथ्यू पेरी (1794-1858 ई.) ने जापान अमेरिकी सम्बन्धों की वृद्धि में योगदान दिया था।
- जापान में पहली रेल लाइन (1870-72 ई.) टोक्यो और योकोहामा बन्दरगाहों के मध्य बिछाई गई। जापान में 1872 ई. में बैंकिंग संस्थाओं की प्रारम्भ हुआ था।

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ में जापान को चीन और पश्चिम एशिया में विजय प्राप्त होने लगी थीं, जिससे जापान में सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला था। इस दौरान 1943 ई. आधुनिकता पर विजय नाम से एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। इसमें जापानी दुविधा 'आधुनिक रहते पश्चिम पर कैसे विजय प्राप्त की जाए' पर चर्चा हुई थी।

वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में पुनः वापसी- अमेरिका ने 1945 ई. में हिरोशिमा (6 अगस्त) व नागासाकी (9 अगस्त) पर नाभिकीय बम गिराकर, जापान का विनाश कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई भारी पराजय के उपरान्त जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से पुनर्निर्माण किया था, जिसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। 1964 ई. में टोक्यो में ओलंपिक खेल और 1964 ई. में ही बुलेट ट्रेन का सञ्चालन जापान की जीवंतता को दर्शाता है।

चीन- चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से एक विशाल पहाड़ी देश है। यहाँ के मुख्य क्षेत्र में तीन प्रमुख नदियाँ (पीली नदी, यांग्त्सी नदी व पर्ल नदी) बहती हैं। चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान का मुख्य व्यंजन डिम सम है। चीन में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं तथा यहाँ की मुख्य भाषा चीनी है। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं-17वीं सदी में खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों के वहाँ पहुँचने से मानी जाती है। ब्रिटेन व

इसे भी जाने-

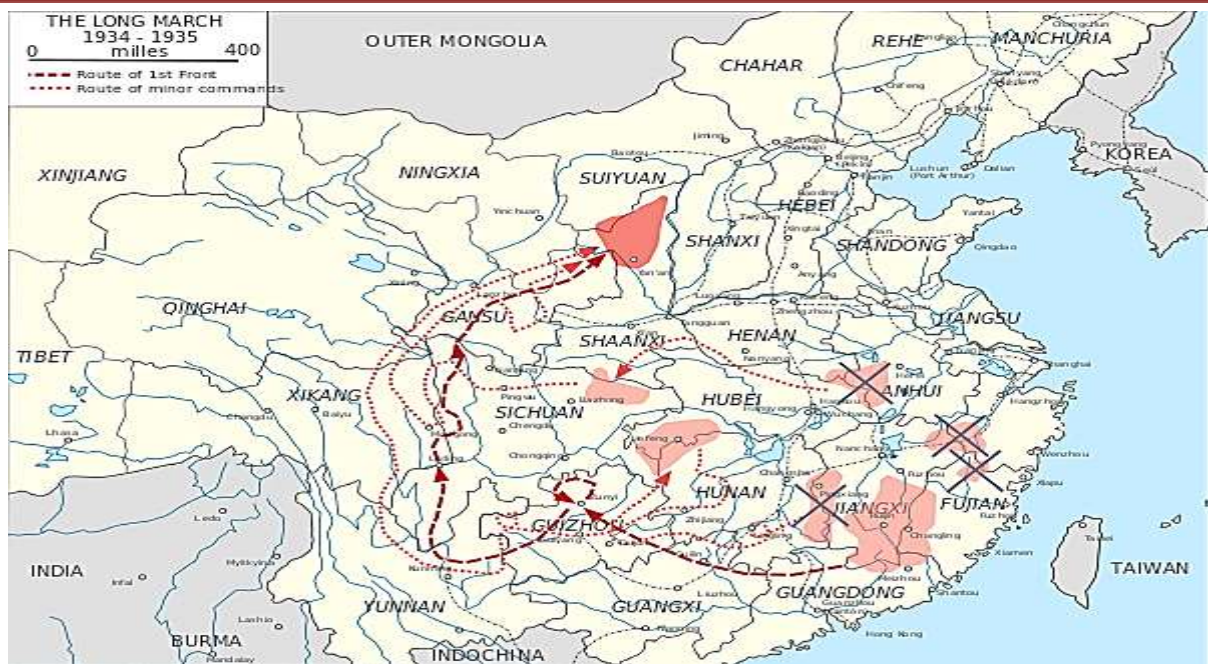
- सन यात-सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है।

चीन के मध्य 1839-42 ई. के मध्य प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। परिणामस्वरूप चीन में सुधार तथा परिवर्तन की मांग उठने लगी थी। इन सुधार और परिवर्तनों के अन्तर्गत आधुनिक प्रशासकीय, सैन्य, शिक्षा व्यवस्था निर्माण के लिए नीतियाँ बनाई गई थीं। चीन में पहले छींग राज वंश की सत्ता थी परन्तु कुछ दशकों पश्चात् छींग राजवंश के हाथों से सत्ता निकल गई और देश में गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गए थे। अन्ततः इन गृहयुद्धों में चीनी साम्यवादी पार्टी ने 1949 ई. में जीत प्राप्त कर ली थी। संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी अधिकार के अपमान का अन्त और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर चीन का आधुनिक इतिहास दिखाई देता है।

गणतन्त्र की स्थापना- सन यात-सेन (1866-1925 ई.) के नेतृत्व में 1911 ई. में चीन में गणतन्त्र की स्थापना हुई थी। उनका कार्यक्रम तीन सिद्धान्त- राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र, सामाजिक प्रगति के नाम से प्रसिद्ध था। इनकी मृत्यु के पश्चात् चियांग काईशेक ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया था।

चीन में साम्यवादी दल की स्थापना रूसी क्रान्ति के बाद 1921 ई. में हुई थी। माओ त्सेतुंग (1893-1976 ई.) के समय चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने कुओमीनतांग पर विजय प्राप्त की थी।

नए जनवाद की स्थापना (सन् 1949-65 ई.)- 1949 ई. में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी की सरकार बनी, जो नए लोकतन्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित थी। नए जनवाद के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था को सरकार के नियन्त्रण में लाया गया, भूस्वामित्व को समाप्त किया, समाजवादी कार्यक्रमों का प्रारम्भ, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा छात्रों, किसानों, महिलाओं आदि के लिए जन संस्थाएँ बनाई गई थीं।



मानचित्र 9.4 लॉंग मार्च

1965-78 ई. के दौरान माओवादियों और उनके विचारों की आलोचना करने वालों के मध्य संघर्ष हुआ था। पुरानी संस्कृति, विचारों, रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान में रेड गार्ड्स (छात्र व सेना) को शामिल किया गया। इस सांस्कृतिक क्रान्ति से चीन में उथल-पुथल का दौर प्रारम्भ हो गया था तथा माओ (पार्टी) कमजोर हो गई थी। सांस्कृतिक क्रान्ति के पश्चात् राजनीतिक दाँव-पेंचों की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब साम्यवादी दल का नेतृत्व तंग शीयाओफींग के पास था, जिसने सन् 1978 ई. में आधुनिकीकरण के चार सूत्री लक्ष्य- विज्ञान, कृषि, उद्योग और रक्षा के विकास की घोषणा की थी। चीन के साम्यवादी दल और उसके समर्थकों ने परंपराओं को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया था। उन्हें लगता था कि पुरानी परम्पराओं के कारण लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। बाजार सम्बन्धी सुधारों से चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती इसी पार्टी ने दिलाई थी।

सारणी 9.1	
ग्यारहवीं से चौदहवीं सदी की प्रमुख घटनाएँ	
वर्ष	घटनाक्रम
1066	नारमन लोगों की एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैण्ड पर विजय
1100	फ्रान्स में कथीड्रलों का निर्माण
13-15-1317	यूरोप में महान अकाल
1347-50	ब्यूबोनिक प्लेग
1338-1461	इंग्लैण्ड और फ्रान्स के मध्य सौ वर्षीय युद्ध
1381	कृषकों का विद्रोह

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. फ्रान्सिसी समाज का दूसरा वर्ग.....था।
अ. पादरी वर्ग ब. कृषक वर्ग
स. अभिजात वर्ग द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
2. प्रथम छापेखाने का आविष्कार द्वारा हुआ।
अ. 1455 में मार्टिन लूथर द्वारा ब. 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा
स. 1555 में गैलिलीयो द्वारा द. 1556 में न्यूटन द्वारा
4. मार्टिन लूथर ने आन्दोलन चलाया था।
अ. प्रति सुधार आन्दोलन ब. प्रोटेस्टेंट सुधार
स. कैथोलिक सुधार द. समाज सुधार आन्दोलन
5. टॉलमी की रचना का नाम.....था।
अ. हिस्ट्री ब. दास कैपिटल
स. ज्योग्राफी द. अलमजेस्ट
6. रेड गार्ड्स में शामिल थे।
अ. सामंत ब. किसान और मजबूर
स. छात्र और सेना द. गाँवों के लोग

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक थी। (इण्डिका/अलमजेस्ट)
2. प्रोटेस्टेंट सुधारवाद अभियान का जनक था। (मार्टिन लूथर/टॉमस मोर)
3. एजटेक लोग में शामिल थे। (अभिजात वर्ग/पादरी वर्ग)
4. 1788 ई. से 1796 ई. की समयावधि को नहरोन्माद के नाम से जाना जाता है।
(नहरोन्माद/धार्मिक उन्माद)
5. में 6 राज्यों को मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ था (1901 ई./1905 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून के नाम से जाना जाता था। सत्य/असत्य
2. नहरों और रेलवे के विकास के कारण तीव्र आर्थिक विकास हुआ था। सत्य/असत्य
3. पाप-स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज लोगों से धन ऐंठने का उपाय था। सत्य/असत्य
4. गोल्ड रश की अवधारणा का सम्बन्ध अमेरिका से था। सत्य/असत्य
5. जापान में 1872 ई. में बैंकिंग संस्थाओं की प्रारम्भ हुआ था। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. पादरी वर्ग	क. जापान
2. सन-यात-सेन	ख. फ्रान्सिसी समाज का प्रथम वर्ग
3. अर्नोल्ड टायनबी	ग. बहामा द्वीप समूह
4. मैजी शासक	घ. चीन में गणतन्त्र का संस्थापक
5. कोलम्बस	ड. औद्योगिक क्रान्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सर्वप्रथम पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई?
2. मोनालिसा किसकी कृति है?
3. गैलीलियो ने कौन सा ग्रन्थ लिखा?
4. अमेरिका का नाम किस भूगोलवेत्ता के नाम पर रखा गया था?
5. चीन में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी की सरकार कब बनी थी?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. फ्रांसीसी समाज के तीनों वर्गों का वर्णन कीजिए
2. प्रमुख मानवातावादी विषयों के नाम बताइए?
3. मूल निवासियों की क्या कहकर आलोचना की जाती थी?
4. अरेबियन विज्ञान और दर्शन को समझाइए।
5. चीन में गणतन्त्र की स्थापना कैसे हुई थी?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. विश्व में संस्कृतियों के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए।
2. 'मैजी शासन ने जापान का औद्योगिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था'। समझाइए।

परियोजना-

1. उन कारणों का पता लगाइए जिसके कारण यूरोपवासियों को नये समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी थी।
2. भारत और जापान के सांस्कृतिक सम्बन्धों की विवेचना करो

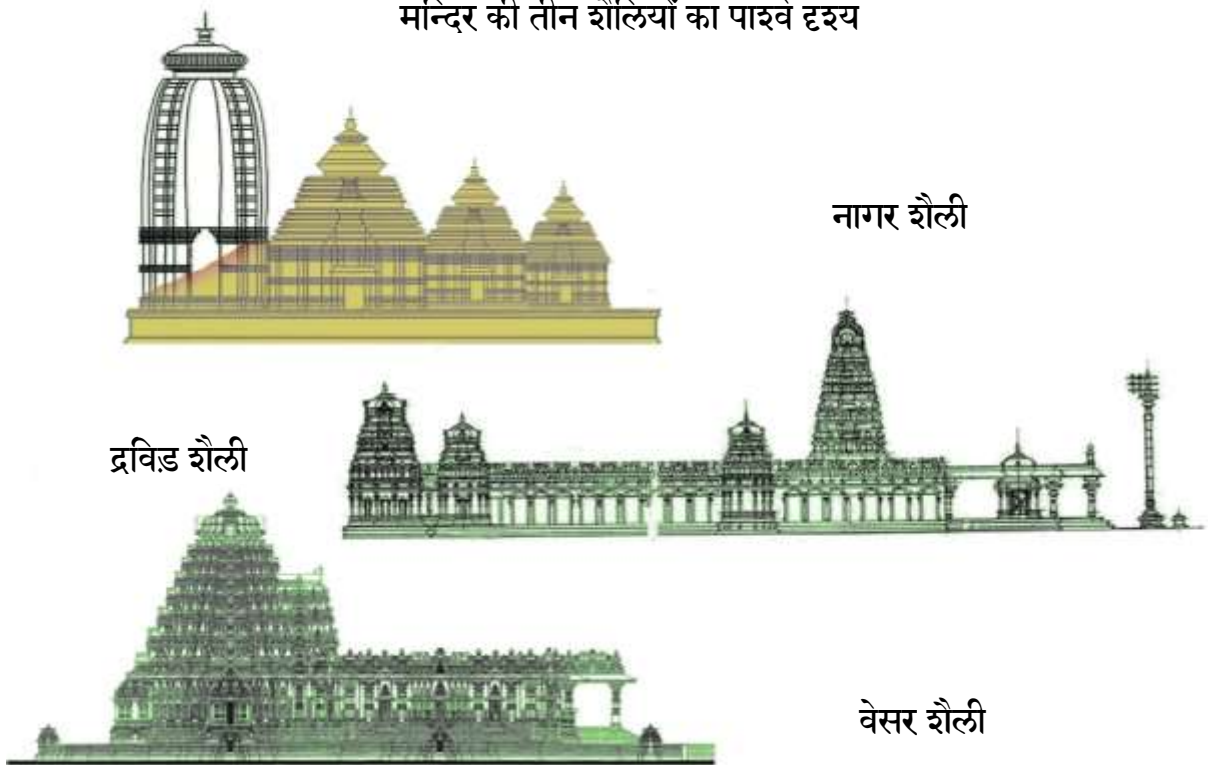
अध्याय-10

भारत में मन्दिर स्थापत्य

इस अध्याय में- प्राचीन मन्दिर, मन्दिर निर्माण की शैलियाँ, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली।

आपने अपने गाँव, कस्बे या नगर में अनेक प्राचीन मन्दिरों व देवालयों को देखा होगा। ये मन्दिर कितने प्राचीन, विशाल और भव्य होते हैं? इनके निर्माण में कितना समय लगा होगा? इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया होगा? आदि प्रश्न आप के मन में आना स्वाभाविक है। इन मन्दिरों के बारे में जानकारी के महत्त्वपूर्ण स्रोत शिलालेख हैं, जो इन मन्दिरों में लगे होते हैं। संस्कृत वाङ्मय में मन्दिरों के लिए देवालय, देवायतन, देवकुल, आदि शब्द प्रयुक्त किये गए हैं। मन्दिरों का सर्वप्रथम उल्लेख 'शतपथ ब्राह्मण' में मिलता है। भारत में मन्दिर स्थापत्य कला का विकास गुप्तकाल में हुआ था। सामान्यतः प्रत्येक मन्दिर में दो तरह की कक्षीय संरचना होती है- गर्भगृह और मण्डप। गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। मन्दिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए स्थान होता

मन्दिर की तीन शैलियों का पार्श्व दृश्य



चित्र- 10.1 मन्दिर की तीन शैलियों का पार्श्व दृश्य

हैं। मण्डप को मन्दिर का प्रवेश कक्ष कहा जाता है जो अत्यधिक विशाल होता है। इसके अतिरिक्त लघु व अर्द्ध मण्डप भी होते हैं, जो दर्शन के अतिरिक्त कीर्तन, नर्तन आदि के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। गर्भगृह के ऊपर छतरीनुमा रचना होती है, जिसे शिखर या विमान कहते हैं। मन्दिरों के कई भाग होते हैं, जो मिलकर उसे एक समन्वित रूप प्रदान करते हैं। उस समय नदी, तालाब, कुण्ड, बावड़ी आदि का किसी पवित्र स्थल के समीप होना अच्छा माना जाता था।

प्राचीन मन्दिर- 10वीं सदी तक आते-आते भू-प्रशासन में मन्दिर की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। एक ओर स्तूपों का निर्माण जारी था वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म में सम्बन्धित देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ भी बनने लगी थी। प्रत्येक मन्दिर या देवालय में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की मूर्ति होती है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि मन्दिरों के पूजा गृह तीन प्रकार के होते हैं -

1. संघर - जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है।
2. निरंघर - जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है।
3. सर्वतोभद्र - जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है।

उस समय कुछ साधारण श्रेणी के मन्दिर होते थे, जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष/मण्डप और पीछे पूजा गृह हैं, जैसे- उत्तरप्रदेश में देवगढ़, मध्यप्रदेश में एरण और विदिशा के पास उदयगिरि के मन्दिर। **मन्दिर निर्माण की शैलियाँ-** गुप्तकालीन मन्दिरों को मुख्यतः पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है- संधारा, निरंधारा, सर्वतोभद्रा, आयताकार मन्दिर व खोखली बेलनाकार ईंट का ढाँचायुक्त मन्दिर। गुप्तकाल के पश्चात मन्दिर निर्माण की तीन शैलियाँ विकसित हुईं। नागर, द्रविड़ व बेसर शैली।

1. **नागर शैली-** नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर विन्ध्य प्रदेश के भू-भाग तक विस्तृत थी। मूलतः यह उत्तर भारतीय शैली है, इसे 'आर्य शैली' भी कहा जाता है। गर्भगृह पर ऊँचे शिखर इस शैली की मुख्य विशेषता है। इन शिखरों की आकृति ऊपर की ओर क्रमशः कम होती जाती है। शिखर के ऊपर 'आमलक' नामक बड़ा चक्र होता है, जिस पर स्थापित कलश का ऊपरी भाग नुकीला होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मन्दिर निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्तों और नियमों का उल्लेख है। नागर शैली की अनेक उपशैलियाँ भी विकसित हुई थीं, जैसे - पाल, ओडिशा, खजुराहो, सोलंकी उपशैली आदि। नागर शैली को 8वीं से 13वीं सदी के मध्य उत्तर भारत में शासकों ने पर्याप्त संरक्षण दिया था। इस शैली में बने मन्दिरों को ओडिशा में कलिंग गुजरात में

इसे भी जाने-

- मन्दिर के शिखर को उत्तर भारत में शिखर व दक्षिण भारत में विमान कहा जाता है।
- मन्दिर के उत्तरी भारत में देवालयों का निर्माण सर्वप्रथम नगरों में होने के कारण इसे नागर शैली कहा गया था।

लाट और हिमालयी क्षेत्र में 'पर्वतीय' कहा जाता है। कुछ नागर मन्दिरों का निर्माण पञ्चायतन शैली में भी किया गया था।

पञ्चायतन शैली- इस शैली में निर्मित मन्दिरों में एक मुख्य मन्दिर बीच में होता है तथा उसके चारों कोनों पर चार सहायक मन्दिर होते हैं। लक्ष्मण मन्दिर (खजुराहो), कन्दरिया महादेव मन्दिर (खजुराहो), श्रीदेव व्यमेश्वर मन्दिर (रत्नगिरी, महाराष्ट्र) आदि इसी शैली में निर्मित मन्दिर हैं।

शिल्पशास्त्रों के अनुसार नागर शैली के मन्दिरों के आठ प्रमुख अङ्ग हैं -

- अधिष्ठान - मूल आधार जिस पर मन्दिर बनाया जाता है।
- शिखर - मन्दिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भ-गृह का ऊपरी भाग।
- कलश - शिखर का शीर्ष भाग, जो कलश ही या कलश के समान होता है।
- आमलक - शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का वर्तुलाकार भाग।
- ग्रीवा - शिखर का ऊपरी ढलवाँ भाग।
- कपोत - किसी द्वार, खिड़की, दीवार या स्तम्भ का ऊपरी छत से जुड़ा भाग।
- मसूरक - नींव और दीवारों के बीच का भाग।
- जंघा - दीवारें (विशेषकर गर्भगृह की)।

नागर शैली में निर्मित प्रमुख मन्दिर-

1. **सूर्य मन्दिर, मोढेरा (गुजरात)-** इस मन्दिर का निर्माण भीमदेव प्रथम ने गुजरात के मेहसाना जिले में 1026 ई में नागर शैली में करवाया था। मन्दिर परिसर में एक जलकुण्ड है, जो सूर्य कुण्ड के नाम से जाना जाता है। चूँकि मन्दिर पूर्वाभिमुख है, इस कारण हर वर्ष विषुव के समय (21 मार्च और 23 सितम्बर) जब दिन-रात बराबर होते हैं, सूर्य की किरणें मुख्य मन्दिर पर पड़ती हैं।
2. **खजुराहो मन्दिर समूह (मध्यप्रदेश)-** इसका निर्माण चन्देल शासक धंगदेव द्वारा 954 ई में किया गया था। यह मन्दिर समूह खजुराहो (मध्यप्रदेश) में स्थित हैं। ये मन्दिर समूह देवगढ़ के दशावतार मन्दिर से लगभग 400 वर्ष बाद निर्मित हुये। यहाँ स्थित विभिन्न मन्दिरों का निर्माण चन्देल शासकों द्वारा किया गया। यहाँ स्थित लक्ष्मण मन्दिर विष्णु को समर्पित है। खजुराहो के मन्दिर समूहों में एक और प्रसिद्ध मन्दिर 'कंदरिया महादेव मन्दिर' है। यह मन्दिर भारतीय मन्दिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। इसका निर्माण भी चंदेल राजा धंगदेव द्वारा 999 ई. में करवाया गया था। यह खजुराहों के मन्दिरों में सबसे अधिक विकसित (सप्तरथ शैली) मन्दिर है। भगवान शिव का यह मन्दिर 117 फुट ऊँचा व 117 फुट लम्बा एवं 66 फुट चौड़ा है। खजुराहों के मन्दिर अपनी कामोद्दीप एवं शृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं।



चित्र- 10.2 खुजराहो के मन्दिर

3. सूर्य मन्दिर, कोणार्क (ओडिशा)- नागर शैली में निर्मित यह विश्व प्रसिद्ध मन्दिर गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका शिखर पीढ़ा देउल श्रेणी का है। सम्पूर्ण मन्दिर को बारह जोड़ी चक्रों वाले, सात घोड़ों से खींचे जाते सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। ओडिशा जिन तीन मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध है वे हैं- कोणार्क का सूर्य मन्दिर, पुरी का जगन्नाथ मन्दिर व भुवनेश्वर का लिंगराज मन्दिर। इन मन्दिरों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है।



चित्र- 10.3 कोणार्क का सूर्य मन्दिर ओडिसा

4. **जगन्नाथ मन्दिर, पुरी (ओडिशा)**- यह पुरी में स्थित प्रसिद्ध नागर शैली में निर्मित मन्दिर है। इसकी चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार बनाये गये हैं। इसके गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ उनकी बहन सुभद्रा तथा भाई बलभद्र के काष्ठ के विग्रह बने हैं। इन विग्रहों को 8, 11 या 19 वर्ष पश्चात् धार्मिक उत्सव 'नवकलेवर' द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नवकलेवर नीम के ऐसे वृक्ष की लकड़ी से होता है जिसमें शंख, चक्र, गदा एवं पद्म चिह्न प्राकृतिक रूप से बने हों। पुरी के जगन्नाथ मन्दिर की ख्याति प्रतिवर्ष निकलने वाली रथयात्रा से भी है।



चित्र- 10.4 जगन्नाथ मन्दिर, पुरी (ओडिशा)

5. **लिंगराज मन्दिर, भुवनेश्वर (ओडिशा)**- यह प्रसिद्ध मन्दिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं-11वीं सदी में किया गया था। यह मन्दिर भगवान शिव के एक रूप हरिहर को समर्पित है। यह उत्तर भारत के मन्दिरों में रचना-सौन्दर्य, शोभा और अलंकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें 4 विशाल कक्ष हैं - देउल, जगमोहन, नरमण्डप तथा भोप मण्डप। मन्दिर का शिखर 160 मी. ऊँचा है। यह मन्दिर 520 फुट × 465 फुट के विशाल आयताकार प्रांगण में स्थित है। प्रांगण के मध्य में अनेक लघु मन्दिरों का समूह है जिसे बौद्ध स्तूपों के चतुर्दिक निर्मित बौद्ध चैत्यग्रहों का अनुकरण कहा है।
6. **दशावतार मन्दिर, ललितपुर (उत्तरप्रदेश)**- दशावतार मन्दिर गुप्तकालीन कला का अनुपम उदाहरण है। यह मन्दिर उत्तरप्रदेश प्रान्त के ललितपुर जिले में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह लगभग छठी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में बनाया गया था। यह साँची और उदयगिरी (म.प्र)



चित्र- 10.5 दशावतार मन्दिर, ललितपुर (उत्तरप्रदेश)

के छोटे मन्दिरों के लगभग 100 वर्षों बाद बना था। यह मन्दिर भी वास्तुकला की पञ्चायतन शैली में निर्मित है। इसके गर्भगृह तक पहुँचने के लिए चारों ओर सात सीढ़ियों से युक्त चार सोपान निर्मित हैं। इस मन्दिर में भगवान विष्णु के दश अवतारों की कथा नक्काशी के रूप में प्रदर्शित की गई है इसलिए इसे दशावतार मन्दिर कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस मन्दिर की एक अन्य विशेषता यह है कि यह मन्दिर पश्चिमाभिमुख है जबकि अधिकांश मन्दिर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होते हैं।

7. देलवाड़ा के जैन मन्दिर, सिरोही (राजस्थान)- राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित देलवाड़ा के जैन मन्दिर नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। यहाँ पाँच मन्दिरों का एक समूह है जिनमें दो मन्दिर लूण वसही व विमल वसही अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ स्थित जैन मन्दिर, जैन तीर्थकरों को समर्पित



चित्र- 10.6- देलवाड़ा के जैन मन्दिर, सिरोही (राजस्थान)

है। इनका निर्माण 11वीं से 13वीं सदी के मध्य हुआ था। ये मन्दिर संगमरमर से निर्मित हैं। मन्दिरों के लगभग 48 स्तंभों पर नृत्यांगनाओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं।

8. **कामाख्या मन्दिर, गुवाहाटी (असम)**- असम में बारहवीं से चौदहवीं शताब्दी की कालावधि में एक क्षेत्रीय शैली के विकास के प्रमाण मिलते हैं। यह शैली अपर वर्मा से प्रभावित ताई शैली एवं पूर्व प्रचलित पाल शैली के मिश्रण से अस्तित्व में आई एवं अहोम शैली के नाम से जानी जाती है। गुवाहाटी के निकट नीलाँचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मन्दिर (शक्तिपीठ) इस शैली का उल्लेखनीय उदाहरण है। इस शैली की विशेषता बहुभुजी गुम्बदाकार शिखर है। इस मन्दिर में प्रतिवर्ष अम्बुवाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देशभर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं।

9. **सोमनाथ मन्दिर, द्वारका (गुजरात)**- सोमनाथ मन्दिर काठियावाड़ क्षेत्र (गुजरात) में समुद्र किनारे स्थित है। यह मन्दिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। धर्मग्रन्थों में इसे प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। महाभारत, श्रीमद्भागवत, स्कन्द पुराण आदि में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से उल्लेख है। एक कथा के अनुसार चन्द्रमा (सोम) ने भगवान शिव को ही अपना नाथ (स्वामी) मानकर यहाँ तपस्या की थी इसलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है।

इसे भी जाने-

- सोमनाथ मन्दिर का शिखर 150 फुट ओर ध्वजा 27 फुट ऊँचा है।

सर्वप्रथम यहाँ एक मन्दिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था। दूसरी बार मन्दिर का पुनर्निर्माण 7वीं

इसे भी जाने-

- **विमलवसही मन्दिर**- यह मन्दिर 1031 ई. में गुजरात के शासक भीम के मन्त्री विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। यह मन्दिर प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ की आंखें असली हीरे से बनी हुई हैं।
- **लूण वसही मन्दिर**- यह मन्दिर 1231 ई. में गुजरात के दो भाइयों वास्तुपाल और तेजपाल (वाहेला शासक) द्वारा बनवाया गया था। यह मन्दिर 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है।

सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने तथा तीसरी बार गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 815 ई. में पुनर्निर्माण करवाया था। अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा-वृत्तांत में इस मन्दिर की महिमा का उल्लेख किया था, जिससे प्रभावित होकर 1024 ई. में महमूद

गजनवी ने अपने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मन्दिर पर आक्रमण कर यहाँ से अथाह धन-सम्पत्ति लूटकर अपने साथ ले गया था। तदुपरान्त गुजरात के शासक भीम और मालवा के शासक भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। सोमनाथ मन्दिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण लौह पुरुष सरदार

वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। 1 दिसम्बर, 1955 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था।

द्रविड शैली- द्रविड शैली का विकास एवं विस्तार दक्षिण भारत में हुआ है। इस शैली के मन्दिरों की बनावट की विशेषता वर्गाकार गर्भगृह पर पिरामिडनुमा ऊपर की ओर आकार में छोटी होती हुई मंजिलों का बना शिखर, जिसका शीर्ष छाया आठ कोणों के गुम्बद के आकार का होता है। द्रविड शैली के मन्दिर नागर शैली के विपरीत एक चारदीवारी से घिरे होते हैं। इस चारदीवारी के मध्य में प्रवेश द्वार होते हैं, जिन्हें गोपुरम् कहते हैं। इस शैली में विशाल मन्दिरों के ऊपर रथ और विमान बने होते हैं। द्रविड शैली के मन्दिरों का निर्माण चोल, पाण्ड्यों, पल्लवों और विजयनगर साम्राज्य के शासकों के शासन काल में हुआ था। इस शैली के अधिकांश मन्दिर तंजौर, मदुरै, काञ्ची, हम्पी, विजयनगर आदि स्थानों पर हैं। इसकी उपशैलियों को पल्लव, चोल, पाण्ड्य, विजयनगर व नायक उपशैली के रूप में जाना जाता है। द्रविड शैली का जन्म या उद्भव पल्लव काल से माना जाता है।

द्रविड शैली में निर्मित प्रमुख मन्दिर-

1. **मदुरै का मीनाक्षी मन्दिर (तमिलनाडु)-** मीनाक्षी मन्दिर तमिलनाडु प्रान्त के प्रसिद्ध नगर मदुरै में स्थित है। इस मन्दिर का मुख्य गर्भगृह 3500 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। मीनाक्षी मन्दिर में भव्य 12 गोपुरम् हैं, जिन पर महीन चित्रकारी की गई है। इस विशाल भव्य मन्दिर का स्थापत्य एवं वास्तु भी अत्यधिक रोचक है। इस मन्दिर से



चित्र- 10.7 मदुरै मीनाक्षी मन्दिर

- जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है 'मीनाक्षी तिरूकल्याणम्' जिसका आयोजन चैत्र मास (अप्रैल के मध्य) में होता है। यह मन्दिर भारत के सबसे अमीर मन्दिरों में सम्मिलित है। पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पाण्ड्य राजा मलयध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरै नगर आए थे। यह मन्दिर मीनाक्षी या मछली के आकार की आँख वाली देवी को समर्पित है। मछली पाण्ड्य राजाओं का राजचिन्ह थी।
2. **महाबलीपुरम् का तटीय मन्दिर (तमिलनाडु)-** महाबलीपुरम् का तटीय मन्दिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय (700-728 ई.) द्वारा बनवाया गया। यह मन्दिर बङ्गाल की खाड़ी के तट पर स्थित है

इसलिए इसे तट मन्दिर कहा जाता है। यह मन्दिर दक्षिण भारत के प्राचीन मन्दिरों में गिना जाता



चित्र- 10.8 महाबलीपुरम् का तटीय मन्दिर (तमिलनाडु)

है, जिसका सम्बन्ध 8वीं सदी से है। यहाँ तीन मन्दिर हैं- मध्य में भगवान विष्णु का मन्दिर है, और उसके दोनों ओर शिव मन्दिर हैं। विष्णु मन्दिर में विष्णु की मूर्ति अनन्तशयनम् रूप में स्थित है। यहाँ स्थित तीनों मन्दिरों में सबसे बृहद् भगवान शिव का पूर्वमुखी सिद्धेश्वर मन्दिर है।

पश्चिममुखी मन्दिर अपेक्षाकृत छोटा है, जिसे राजसिंहेश्वर मन्दिर भी कहा जाता है। यहाँ 16 मुखी विशालकाय शिवलिंग है। सम्पूर्ण मन्दिर पाँच मंजिला है।

3. तंजावुर का राजराजेश्वर मन्दिर (तमिलनाडु)- यह मन्दिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसके गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग है। 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना होने के बाद भी आज यह उत्कृष्ट अवस्था में है। चोल शासक

इसे भी जाने-

- राजराजेश्वर मन्दिर में विशाल शिवलिंग के कारण इसे बृहदेश्वर नाम दिया गया है।

राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण 1003 -1010 ई. के मध्य करवाया गया। इस कारण इसे राजराजेश्वर मन्दिर नाम दिया गया था। 13 तल वाले इस मन्दिर की ऊँचाई लगभग 66 मीटर है। इसके निर्माण में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग हुआ था। इसके आस-पास

इसे भी जाने-

- राजराज चोल प्रथम द्वारा इस मन्दिर का नाम काछिपेटू पेरिया थिरूकात्राली (कांची पेटू का पत्थर मन्दिर) रखा था, जो कांचीपुरम का मूल नाम है। काञ्ची का कैलाशनाथ मन्दिर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से संरक्षित स्मारकों की सूची में है।

लगभग 60 किमी. तक न तो कोई पहाड़ है और न ही कोई चट्टान। कहा जाता है कि 3 हजार हाथियों की मदद से इन पत्थरों को यहाँ लाया गया था। इन पत्थरों को जोड़ने में किसी प्रकार के मसाले

का उपयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को पजल तकनीक से आपस में जोड़ा गया है।

4. **काञ्ची का कैलाशनाथ मन्दिर (तमिलनाडु)**- इस शिव मन्दिर का निर्माण कार्य 658 ई में राजसिंह द्वारा आरम्भ कर, राजा महेन्द्र वर्मन द्वारा 705 ई में पूर्ण करवाया था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस मन्दिर में मूल आराध्य शिव के चारों ओर सिंहवाहिनी देवी दुर्गा, विष्णु समेत कुल 58 देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर के पीछे की दीवार में सोमस्कंद (केन्द्र में पुत्र मुरुगा के साथ भगवान शिव और उमा) की मूर्ति है। इस मन्दिर में एक बड़ा सोलह भुजाओं वाला शिवलिंग है, जो लगभग 8 फीट ऊँचा है।

5. **पट्टदकल का विरूपाक्ष मन्दिर (कर्नाटक)**- यह मन्दिर चालुक्य कालीन मन्दिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी ने विक्रमादित्य के कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। यह मन्दिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर हेमकूट पहाड़ी की तलहटी में स्थित नौ स्तरों और 50 मीटर ऊँचे गोपुरम वाला



चित्र- 10.9 पट्टदकल का विरूपाक्ष मन्दिर (कर्नाटक)

मन्दिर है। इस विशाल मन्दिर के अन्दर अनेक छोटे-छोटे मन्दिर हैं, जो विरूपाक्ष मन्दिर से भी प्राचीन हैं। इस मन्दिर को 'पंपापटी मन्दिर' भी कहा जाता है। यहाँ स्थित एक अन्य महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मन्दिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है।

6. **पद्मनाभ स्वामी मन्दिर (केरल)**- यह मन्दिर भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनन्तपुरम् में स्थित भगवान विष्णु का विश्व प्रसिद्ध मन्दिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव

इसे भी जाने-

- श्री पद्मनाभ स्वामी मन्दिर में मुख्य प्रतिमा की लम्बाई अठारह फीट है। इस मन्दिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है।

मन्दिरों में सम्मिलित यह ऐतिहासिक मन्दिर तिरुवनन्तपुरम् के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मन्दिर विष्णु भक्तों की महत्त्वपूर्ण आराधना स्थली है। इस मन्दिर का निर्माण लगभग 10वीं सदी में हुआ था तथा इसका पुनर्निर्माण 1750 ई. में त्रावणकोर के शासक मार्तण्ड वर्मा ने करवाया था।

7. **कैलाश मन्दिर एलोरा महाराष्ट्र-** कैलाश मन्दिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह मन्दिर पूरा मन्दिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस मन्दिर के निर्माण में लगभग 7000 मजदूरों ने कार्य किया था। यह मन्दिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। इस मन्दिर में कैलाश पर्वत की अनुकृति निर्मित की गई है। यह मन्दिर एक पहाड़ को शीर्ष से नीचे तक काटकर बनाया गया है।

इसे भी जाने-

- कैलाश मन्दिर एलोरा को द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है।

बेसर शैली- यह शैली नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। इस शैली के मन्दिर विंध्याचल पर्वत से

इसे भी जाने-

- बेसर शैली को चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल वंशों के काल में संरक्षण प्राप्त हुआ था।

लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। यह शैली 7वीं सदी के उत्तरार्द्ध में लोकप्रिय हुई और जिसका उल्लेख ग्रन्थों में बेसर के नाम से किया गया है। दक्कन के दक्षिणी भाग अर्थात् कर्नाटक में बेसर वास्तुकला की शैलियों के सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। इस शैली के मन्दिरों की विशेषता बहुभुजी अथवा तारों की आकृति की आधार योजना है। एहोल (कर्नाटक) को मन्दिरों का नगर कहा जाता है। वर्तमान में भी यहाँ 70 मन्दिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण चालुक्य शासनकाल में 450-600 ई. के मध्य हुआ था। इस समय उत्तर में गुप्तों द्वारा मन्दिरों का निर्माण करवाया जा रहा था, जिस कारण आर्य शिखर शैली के लक्षण दक्षिण में भी पहुँचे थे। अतः एहोल के मन्दिरों में नागर एवं द्रविड़ शैलियों का मिश्रण मिलता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध मन्दिर.....है।
 अ. सोमनाथ मन्दिर, द्वारिका
 ब. जगन्नाथ मन्दिर, पुरी
 स. देलवाड़ा जैन मन्दिर, सिरौही
 द. सूर्य मन्दिर, कोणार्क
2. खजुराहो के मन्दिरों से प्रमुख विशेषता..... है।
 अ. वल्लव शैली
 ब. चौल शैली
 स. चालुक्य शैली
 द. कामोद्वीप एवं शृंगार प्रधान प्रतिमाएँ

3. निम्न में से गुप्तकाल के दशावतार मन्दिर के सम्बन्ध में असत्य कथन हैं -

- अ. मन्दिरों की दीवारों पर विष्णु के दशावतार उत्कीर्णित हैं।
- ब. मन्दिर आरम्भिक नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है।
- स. यह पञ्चायतन शैली में निर्मित मन्दिर है।
- द. यह मन्दिर पश्चिममुखी है।

4. कंदरिया महादेव मन्दिर नगर में स्थित है।

- अ. उज्जैन
- ब. खजुराहो
- स. मैहर
- द. देवास

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. मन्दिरों के विषय में जानकारी वहाँ स्थित द्वारा प्राप्त होती है। (शिलालेखों/सिक्कों)
2. मन्दिरों का नगर को कहा जाता है। (मैसूर/एहोल)
3. बेसर शैली को भी कहा जाता है। (चालुक्य शैली/राजपूत शैली)
4. पट्टदकल का विरूपाक्ष मन्दिर.....राज्य में है। (कर्नाटक/ केरल)

सत्य/असत्य बताइए -

1. द्रविड शैली का उद्भव पल्लव काल से माना जाता है। सत्य/असत्य
2. मन्दिर निर्माण की नागर शैली का सम्बन्ध दक्षिण भारत से है। सत्य/असत्य
3. नागर व द्रविड शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहते हैं। सत्य/असत्य
4. एहोल (कर्नाटक) को मन्दिरों का नगर कहा जाता है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. मोढेरा का सूर्य मन्दिर	क. राजस्थान
2. देलवाडा के जैन मन्दिर	ख. तमिलनाडु
3. राजराजेश्वर मन्दिर	ग. केरल
4. पद्मनाभ स्वामी मन्दिर	घ. गुजरात

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. बेसर शैली का अन्य नाम क्या है?
2. विमान से क्या आशय है?
3. प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मन्दिर कहाँ स्थित है व इसका निर्माता कौन था ?

4. जगन्नाथ मन्दिर के गर्भगृह में किन-किन के काष्ठ विग्रह बने हुये हैं ?
5. मीनाक्षी मन्दिर में कितने गोपुरम् हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. नागर शैली पर टिप्पणी लिखिए।
2. विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मन्दिर के बारे में आप क्या जानते हैं?
3. पञ्चायतन शैली से आप क्या समझते हैं ? लिखिए।
4. काञ्ची के कैलाशनाथ मन्दिर के बारे में बताइए।
5. दशावतार मन्दिर के विषय में आप क्या जानते हैं। लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. मन्दिर निर्माण की नागर शैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, इस शैली में बने सोमनाथ मन्दिर का वर्णन कीजिए।
2. मन्दिर निर्माण की द्रविड शैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, इस शैली में बने मीनाक्षी मन्दिर के बारे में आप क्या जानते हैं?

परियोजना-

1. आपके क्षेत्र या राज्य में स्थित प्रसिद्ध मन्दिरों की स्थान सहित सूची बनाइये।

अध्याय- 11

भारत की सांस्कृतिक विरासत

इस अध्याय में- सांस्कृतिक विरासत, यज्ञ, षोडश संस्कार, श्रुति-स्मृति, संस्कृत भाषा, पुराण, महाकाव्य, दर्शन ग्रन्थ, वर्ण और आश्रम व्यवस्था, पर्व और त्यौहार, तीर्थ परम्परा और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता में त्यौहार/पर्व एवं तीर्थयात्रा की भूमिका।

मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही भारतीय संस्कृति का मूल आधार सर्व कल्याण रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद् में इस कथन की पुष्टि होती है- सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत्। (1.4.14) अर्थात् सभी जन सुखी हों, सभी जन रोग मुक्त रहें, सभी मङ्गलकारी घटनाओं के साक्षी बनें और संसार के किसी भी प्राणी को दुःख का भागी न बनना पड़े। इसलिए भारतीय संस्कृति संसार की सर्वश्रेष्ठ एवं महान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के वैश्विक स्वरूप के दर्शन हमें संसार के अनेक देशों में उपलब्ध भवनों, मन्दिरों, स्तूपों, अभिलेखों एवं ग्रन्थों में होते हैं। भारत में धर्म, भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन, यज्ञ आदि उन्नत अवस्था में थे। भारतीय ऋषियों, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों तथा राजाओं ने भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान दिया है। इसीलिए राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में 'दी फण्डामेंटल यूनिटी आफ इंडिया' में इसी सांस्कृतिक विस्तार को देखते हुए वृहत्तर भारत शब्द का प्रयोग किया है। इसका आशय है कि उस समय जावा, मलाया, सुमात्रा, बर्मा, लंका, बोर्निया, कम्बोडिया, चंपा, बाली, आदि भारतीय उपनिवेश थे। आज भी इन देशों में भारतीय संस्कृति के चिन्ह स्पष्ट देखने को मिलते हैं। तत्कालीन समय में ये देश विकसित नहीं थे परन्तु प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध थे। इसीलिए भारतीय व्यापारी, राजाओं, धर्म प्रचारकों ने व्यापार एवं धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए इन देशों को अपना उपनिवेश बनाकर बौद्धिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया था।

सांस्कृतिक विरासत- संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरण की प्रक्रिया सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। कला, संगीत, वाङ्मय, वास्तुविज्ञान, शिल्पकला, धर्म, दर्शन, यज्ञ, विज्ञान, रीति-रिवाज, परम्पराएँ, पर्व और त्यौहार, जीने के तरीके सभी हमारी सांस्कृतिक विरासत के अङ्ग हैं। जिनका विस्तृत अध्ययन हम निम्नानुसार करेंगे-

यज्ञ- यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति की मूल्यवान विरासत है। मंत्रोच्चार के साथ किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाने वाला हवन, यज्ञ कहलाता है। यज्ञ के द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों व मूल्यवान सुगंधित

पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से संसार के कल्याण के लिए देवताओं को अर्पित किया जाता



चित्र- 11.1 यज्ञ

है। हमारे ग्रन्थों में यज्ञों के समान धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्त्व किसी भी वस्तु को नहीं दिया गया है। वैदिक वाङ्मय में कुछ मिनट के यज्ञों से लेकर कई वर्षों तक चलने वाले यज्ञों के प्रमाण मिले हैं। रामायण में कई जगह भगवान श्रीराम को यज्ञ करने वाला कहा गया है और महाभारत में बताया गया है कि श्रीकृष्ण सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर हवन नहीं छोड़ सकते हैं। सनातन धर्म में

बालक का जन्म होने पर, मुण्डन,

नामकरण, जन्मदिवस, व्यवसाय शुरू करने पर, शादी आदि कई अवसरों पर यज्ञ या हवन का आयोजन अवश्य होता है। यज्ञ से निकलने वाले धुँएँ से घर और वातावरण में फैले कीटाणुओं व रोगाणुओं का नाश होता है। इससे वातावरण व घर में शुद्धता आती है तथा बीमारियाँ दूर होती हैं। यह पवित्र धुँआँ आँख, नाक, फेफड़ों को भी शुद्ध करता है।

षोडश संस्कार- सनातनीय संस्कृति का आधार संस्कार हैं। संस्कार मनुष्य को सभ्य बनाते हैं, बिना संस्कार के मनुष्य को पशुतुल्य माना गया है। संस्कार मनुष्य के जन्म लेने से पूर्व आरम्भ होते हैं जो उसकी मृत्यु पर्यन्त तक चलते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से सोलह संस्कारों की व्याख्या की गई है जो इस प्रकार हैं- गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म(मुण्डन), विद्यारंभ, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशान्त, समावर्तन, विवाह, अन्त्येष्टि संस्कार।

श्रुति-स्मृति- श्रुति और स्मृति सनातन धर्म के पवित्र ग्रन्थ हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि वेदों को सर्वप्रथम परमात्मा ने ऋषियों को सुनाया था। वेदों को श्रवण परम्परा के अनुसार गुरु द्वारा शिष्यों को दिया जाता रहा है। वेद के चार भाग हैं- संहिता-मन्त्र भाग, ब्राह्मण ग्रन्थ-गद्य भाग (कर्मकाण्ड की विवेचना), आरण्यक (गूढ़ तत्त्वों की विवेचना) तथा उपनिषद् (ब्रह्म और आत्मा के सम्बन्धों की विवेचना)। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद श्रुति वाङ्मय हैं, जो अपरिवर्तनीय, शाश्वत व सैद्धान्तिक ज्ञानकोष हैं। स्मृति ग्रन्थों में मानव के आचार व व्यवहार सम्बन्धी नियमों की व्याख्या की

गई है। धर्मशास्त्र व धर्मसूत्र, आगम शास्त्र, मनुस्मृति आदि हैं। इनके अतिरिक्त पुराण, श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण, महाभारत, दर्शन आदि सम्मिलित हैं।

संस्कृत भाषा- सांस्कृतिक दृष्टि से संस्कृत वाङ्मय को विश्व में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह भारत की ही नहीं अपितु विश्व की प्राचीनतम और श्रेष्ठतम भाषा है।

संस्कृत भाषा देववाणी कहलाती है। संस्कृत भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक और व्याकरण सम्मत है। यह विश्व की अन्य

इसे भी जाने-

- संस्कृत भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन भारत में गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को संस्कृत भाषा के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन करवाते थे। आज इसमें निहित वैज्ञानिकता के कारण ही वैज्ञानिकों ने इसे कम्प्यूटर के लिए भी उपयुक्त तथा श्रेष्ठ भाषा माना है। हमारे प्राचीन वाङ्मय की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। संस्कृत का वाङ्मय इतना विशाल है कि सम्पूर्ण लैटिन एवं ग्रीक वाङ्मय मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। संस्कृत वाङ्मय में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी आदि के विशाल भण्डार हैं।

पुराण- पुराणों को भारतीय संस्कृति का प्राण कहा गया है। भारतीय जीवन को जीवन-रस, जीवन शैली, जीवन-व्यवहार, लोक-व्यवहार और लोक-जीवन का व्यवस्थित स्वरूप पुराणों ने दिया है। पुराणों में प्राचीन समय के इतिहास के साथ-साथ धर्म, नीति, तीर्थ, वंश, सृष्टि प्रलय आदि का भी वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण-ग्रन्थों में प्रणयन या उनके प्रणेताओं के सम्बन्ध में विष्णुपुराण में एक रोचक कथा वर्णित है, जिसके अनुसार वेदव्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि आदि के साथ-साथ पुराण-संहिता की भी रचना की थी। पुराणों का अध्यापन अपने सुयोग्य सूतजातीय लोमहर्षण नामक शिष्य को

सारणी 10.1

पञ्च महाकाव्यों की सूची

रघुवंशम्	कालिदास
कुमारसम्भवम्	कालिदास
किरातार्जुनीयम्	भारवि
शिशुपालवधम्	माघ
नैषधचरितम्	श्री हर्ष

कराया था। लोमहर्षण ने अपने कश्यपवंशीय तीन सुपात्र शिष्यों-अकृतव्रण, सावर्णि एवं शांशपायन को पुराणों का महान ज्ञान दिया और इन तीनों ने मूल संहिता के आधार पर तीन पुराण-संहिताएं और तैयार की। आगे चलकर इन्हीं की शिष्य-परम्परा ने अष्टादश महापुराणों की तथा अनेक उपपुराणों की रचना की थी। ब्रह्मपुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड पुराण व ब्रह्माण्ड पुराण अठारह पुराण हैं।

महाकाव्य- आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसमें सर्गों का निबन्धन होता है, वह महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा इतिहासाश्रित होना चाहिए। इसका नायक देवता या क्षत्रिय सदृश होता है, जिसका चरित्र धीरोदात्त गुणों से समन्वित होता है। महाकाव्य में शृंगार, वीर, शान्त एवं करुण रस में से कोई एक प्रधान रस होता है। प्राचीन

इसे भी जाने-

- हिन्दी भाषा का प्रथम महाकाव्य में चन्द्रबरदाई रचित पृथिवीराज रासो है।
- पद्मावत- मलिक मुहम्मद जायसी, रामचरित मानस-तुलसीदास, रामचन्द्रिका-आचार्य केशवदास, साकेत-मैथिलीशरण गुप्त, कामायनी-जयशंकर प्रसाद, उर्वशी-रामधारी सिंह दिनकर आदि प्रमुख महाकाव्य हैं।

महाकाव्यों में रामायण और महाभारत मुख्य हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में पञ्च महाकाव्य- रामायण (वाल्मीकि), महाभारत (वेद व्यास), बुद्धचरित (अश्वघोष), कुमारसम्भवम् (कालिदास), रघुवंश

सारणी 10.2	
षड्दर्शन प्रणेताओं की सूची	
दर्शन	प्रणेता
सांख्य	महर्षि कपिल
योग	महर्षि पतञ्जलि
न्याय	अक्षपाद गौतम
वैशेषिक	उलूक कणाद
पूर्व मीमांसा	महर्षि जैमिनि
उत्तर मीमांसा(वेदांत)	महर्षि बादरायण

(कालिदास), किरातार्जुनीयम् (भारवि), शिशुपाल वध (माघ), नैषधीय चरितम् (श्रीहर्ष) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके अतिरिक्त बुद्धचरित (अश्वघोष), भट्टिकाव्य (भट्टि) भी महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं।

दर्शन ग्रन्थ- वैदिक दार्शनिक अवधारणाओं में षट् दर्शन के सम्प्रदायों का उद्भव हुआ। ये दर्शन वेदों की प्रमाणिकता स्वीकार करते हैं, इसलिए ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। सांख्य, योग, न्याय,

वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत और आस्तिक दर्शन हैं। इनके अतिरिक्त चार्वाक, जैन, बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन हैं।

वर्ण व्यवस्था- भारतीय सांस्कृतिक विरासत में वर्ण व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में समज के चारों वर्णों को विराट पुरुष के चार अङ्ग बतलाया है। इन चारों अंगों के कार्यों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का सृजन हुआ था, जो कालान्तर में जन्म आधारित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत समाज को चार वर्णों में वर्गीकृत किया गया है।

ब्राह्मण- ब्राह्मण वेदों का अध्ययन-अध्यापन, धार्मिक, अनुष्ठानिक आदि प्रकार के कार्य सम्पन्न करवाते थे। इस वर्ण में ब्राह्मण पुरोहित, राजपुरोहित, मन्त्री, शिक्षक, उपदेशक, आचार्य आदि आते थे।

क्षत्रिय- क्षत्रिय प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का दूसरा वर्ण था। यह वर्ण समस्त शासन व्यवस्था की धुरी था। प्रजा के जन-धन की रक्षा करना इस वर्ण का प्रमुख दायित्व होता था।

वैश्य- सामाजिक व्यवस्था में तीसरा वर्ण वैश्य था। इनका प्रमुख कार्य व्यापार, कृषि व पशुपालन था। धनिक वैश्यों को श्रेष्ठी व गृहपति कहा जाता था।

शूद्र- इस वर्ण का प्रमुख कार्य सेवा करना था। शूद्र वर्ण का सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। इस वर्ण की महत्ता इस बात से प्रतिपादित होती है कि आज भी यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, रथ निर्माण, मन्दिर निर्माण आदि माङ्गलिक कार्य इनकी उपस्थिति के बिना सम्पन्न नहीं होते हैं। महाभारत में उल्लेखित युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शूद्रों को भी आमन्त्रित किया गया था। यथा- आमन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान् भूमिपानथ। विशश्च मान्यान् शूद्रांश्च सर्वानानयतेति च॥ (सभापर्व 33.41) इस श्लोक में युधिष्ठिर की आज्ञा से सहदेव, दूतों से कहता है कि तुम लोग सभी राज्यों में जाकर वहाँ के राजाओं ब्राह्मणों, वैश्यों और सभी शूद्रों को निमन्त्रित कर बुला ले आओ।

आश्रम व्यवस्था- वैदिक वाङ्मय में श्रेष्ठ विधानों से युक्त आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था को संसार की सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति माना जाता है। इस पद्धति में सभी मनुष्यों की सांसारिक व पारलौकिक उन्नति होती है। प्राचीन मनीषियों ने सम्पूर्ण मानव जीवन काल को 100 वर्ष का मानकर बराबर चार भागों में विभाजित किया था, इस विभाजन को ही आश्रम व्यवस्था कहा जाता है।

ब्रह्मचर्य आश्रम- जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक समय ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। इस आश्रम में बालक गुरुकुल या आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी के रूप में निःशुल्क समस्त प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करता था। शिक्षा पूर्ण होने पर बालक, गुरु को गुरु-दक्षिणा देकर अपने घर लौटता था।



चित्र 11.2- प्राचीन गुरुकुल

गृहस्थ आश्रम- गृहस्थ आश्रम का समय 26 से 50 वर्ष की आयु तक होता था। सांसारिक व पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करना, सामर्थ्य अनुसार परोपकार करना और नियत काल में विधि के अनुसार ईश्वर उपासना व गृह के समस्त कर्तव्यों का पालन करना इस आश्रम के प्रमुख कार्य थे।

वानप्रस्थ आश्रम- वानप्रस्थ आश्रम का समय 51 से 75 वर्ष की आयु होता था। गृहस्थाश्रम के पश्चात् यह आश्रम सन्यास आश्रम में जाने की तैयारी का काम करता था। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इस आश्रम में प्रवेश व निवास के लिए स्वगृह व परिवार से दूर वन में जाना है।

सन्यास आश्रम- सन्यास आश्रम, मानव जीवन का अन्तिम आश्रम होता था। इसकी समय सीमा 76 से 100 वर्ष तक निर्धारित थी। इस समयावधि में मनुष्य समस्त सांसारिक मोह-माया को त्यागकर तथा अपने घर-परिवार को छोड़कर किसी शान्त वातावरण वाले स्थान पर जाकर ईश्वर का ध्यान करता था।

पर्व व त्यौहार- हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में पर्व, उत्सवों व त्यौहारों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

त्यौहार हमें हमारे परिवार, समाज को एक साथ मिलाने व साथ रहने के अवसर प्रदान करते हैं। पर्व व त्यौहारों से आपसी मेल-जोल व पारस्परिक भाई-चारा भी बढ़ता है। हमारे समाज में इतने त्यौहार, उत्सव और पर्व हैं कि प्रायः कोई न कोई पर्व या



चित्र 11.3- श्रावणी उपाकर्म

उत्सव हम मनाते रहते हैं। स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, गाँधी जयन्ती आदि हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं।

सारणी 11.3	
भारत के प्रमुख त्यौहार/ उत्सव	
त्यौहार/ उत्सव	मनाए जाने की तिथि/ दिनांक
बासन्तीय नवरात्र	चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि पर्यन्त
रामनवमी	चैत्र शुक्ल नवमी
हनुमान जन्मोत्सव	चैत्र पुर्णिमा/ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी
जगन्नाथ रथयात्रा	आषाढ शुक्ल द्वितीया
श्रावणी/ रक्षाबन्धन	श्रवण पुर्णिमा
श्रीकृष्णजन्माष्टमी	भाद्रपद कृष्ण अष्टमी
गणेश चतुर्थी	भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी
तेजादशमी	भाद्रपद शुक्ल दशमी
शारदीय नवरात्र	आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक

दशहरा	आश्विन शुक्ल दशमी
दीपावली	कार्तिक अमावस्या
गोवर्धन पूजा/ गुडीपडवा	कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा
मकरसंक्रान्ति/पोंगल/लोहड़ी/बिहू	14/15 जनवरी
ओणम	मलयालम कैलण्डर के चिंगम माह में
बसन्त पञ्चमी	माघ शुक्ल पञ्चमी
होली	फाल्गुन पूर्णिमा
गुरुनानक जयन्ती/प्रकाश पर्व	कार्तिक पूर्णिमा
ईद	रमजान माह की अन्तिम तिथि
क्रिसमस	25 दिसम्बर
पारसी नवरोज	पारसी नववर्ष के प्रारम्भ में

तीर्थ परम्परा- धार्मिक व आध्यात्मिक महत्त्व वाले स्थानों को तीर्थ कहा जाता है। मानव जीवन का

इसे भी जाने-

- चार पुरुषार्थ- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं।

प्रधान लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना है। इन पुरुषार्थ चतुष्टय में से अन्तिम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनीषियों के विभिन्न मत हैं।

जिनमें एक मत तीर्थ परम्परा या तीर्थ यात्रा करना है। धार्मिक व

आध्यात्मिक महत्त्व वाले स्थानों को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थयात्रा करने से व्यक्ति को आत्मसन्तुष्टि प्राप्त होने के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों की विविध भाषा, बोली, खानपान, पहनावा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, जलवायु, श्रेष्ठ पुरुषों-संतों का सत्संग आदि से का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में असंख्य पवित्र, रमणीय व ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।

राष्ट्रीय एकता और अखण्डता में त्यौहार/पर्व एवं तीर्थयात्रा की भूमिका- भारतीय सभ्यता और संस्कृति में त्यौहार, व्रत, उत्सव, तीर्थ क्षेत्रों, तीर्थयात्राओं का महत्त्व प्राचीन काल से ही रहा है। भारत में प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई त्यौहार, पर्व आदि मनाए जाते हैं। इन उत्सव, पर्व और त्यौहारों के मनाने से नई ऊर्जा का सञ्चार होता है, त्यौहारों और पर्वों को मनाने से ही हमें एक मंच पर आने का अवसर मिलता है, जिससे राष्ट्रीय सद्भाव तथा बन्धुत्व को बल मिलता है। प्रत्येक त्यौहार का सम्बन्ध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी होता है। ये सभी त्यौहार, व्रत और उत्सव किसी न किसी रूप में प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध होते हैं। भारत में अधिकतर पर्व और त्यौहार ऐसे हैं, जिन्हें सभी धर्मों, जातियों और सम्प्रदायों द्वारा मनाया जाता है। दीपावली, होली, मकर संक्रान्ति, सोमवती अमावस्या, आदि त्यौहार और पर्व

सम्पूर्ण भारत में मनाए जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और अखण्डता में त्यौहारों, पर्वों आदि का महत्वपूर्ण योगदान है।

भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में तीर्थ स्थलों एवं तीर्थयात्रा का महत्त्व सदैव रहा है। ये तीर्थ स्थल प्रायः भारत के समस्त भागों में स्थित हैं। जब भारत में परिवहन सुविधाएँ विकसित भी नहीं हुई थीं तब भी लोग पैदल चलकर सुदूर स्थानों की तीर्थ यात्रा करते थे, जो भारत की भौमिक एकता का परिचायक था। वर्तमान समय में अधिकांश लोग तीर्थयात्रा करना पसन्द करते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्रा पर जाने वाले लोग जिस तीर्थ स्थल में एकत्र होते हैं, उस क्षेत्र में लघु भारत का दृश्य प्रकट होता है। उदाहरण के लिए कुम्भ मेले में ऐसे ही मनोहारी दृश्य देखने को मिलते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के निर्माण में सहायक हैं। ये तीर्थ स्थल प्राचीनकाल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में आर्थिक क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीनकाल में मन्दिर, तीर्थस्थल अकाल, महामारी आदि के समय जनता की मदद के केन्द्र रहे हैं। वर्तमान समय में भी प्राकृतिक आपदा के समय विभिन्न मन्दिर और तीर्थ स्थल अनेक जनकल्याण के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कोरोना काल में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शिरडी साई बाबा मंदिर ने 51 करोड़ रुपए, महावीर हनुमान मंदिर, पटना ने 1 करोड़ रुपए, स्वामीनारायण मंदिर समूह ने 1.88 करोड़ रुपए का दान अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया था। ऐसे ही अनेक उदाहरण भारत के प्रत्येक राज्य में भरे पड़े हैं।

इसे भी जाने-

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तीर्थ यात्राओं का 2.32 % योगदान है। भारत में मन्दिरों की अर्थव्यवस्था तीन लाख करोड़ रुपये है।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न-

- सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः श्लोक ग्रन्थ से लिया है।
अ. बृहदारण्यक ब. मनुस्मृति स. रामायण द. महाभारत
- निम्न में से पुराणों की संख्या है।
अ. 21 ब. 19 स. 4 द. 18
- निम्न में से आस्तिक दर्शन है।
अ. सांख्य ब. योग स. न्याय द. उपर्युक्त सभी
- सबसे प्राचीन महाकाव्य है।
अ. महाभारत ब. रामायण स. पञ्चतन्त्र द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. श्रुति, यज्ञ, संस्कार..... में शामिल हैं। प्राकृतिक विरासत/ सांस्कृतिक विरासत)
2. पुराणों को के प्राण कहा गया है। (भारतीय संस्कृति/ पाश्चात्य संस्कृति)
3. दीपावली कार्तिक मास की मनाई जाती है। (अमावस्या/पूर्णमा)

सत्य/असत्य बताईए-

1. पुराणों को भारतीय संस्कृति के प्राण कहा जाता है। सत्य/असत्य
2. भारत चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। सत्य/असत्य
3. आश्रम व्यवस्था में जीवन काल का विभाजन है। सत्य/असत्य
4. 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष गाँधी जयन्ती मनाई जाती है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान-

1. ब्रह्मचर्य आश्रम क. 26 से 50 वर्ष
2. गृहस्थ आश्रम ख. 76 से 100 वर्ष
3. वानप्रस्थ आश्रम ग. जन्म से 25 वर्ष
4. संन्यास आश्रम घ. 51 से 75 वर्ष

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. देववाणी किसे कहा गया है ?
2. शिशुपालवध महाकाव्य किसके द्वारा रचित है ?
3. श्रुति से क्या आशय है ?
4. आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य की परिभाषा लिखिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सोलह संस्कारों का उल्लेख कीजिए।
2. भारतीय परम्परा की 'आश्रम व्यवस्था' का उल्लेख कीजिए।
3. षड्दर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं?
4. वर्ण व्यवस्था पर टिपणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. सांस्कृतिक विरासत के विषय में विस्तार से समझाइए।
2. राष्ट्रीय एकता और अखण्डता में त्यौहारों एवं तीर्थ परम्पराओं का योगदान स्पष्ट कीजिए।

परियोजना-

1. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाये जाने वाले पर्व, त्यौहारों की सूची बनाइये और इनमें से किसी दो का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।

अध्याय -12

भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल

इस अध्याय में- चारधाम, द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग, शक्तिपीठ, सप्त मोक्षपुरी, कुम्भमेला, तीर्थ स्थलों का महत्त्व।

तीर्थ हमारी सनातन परम्परा में विशेष महत्त्व रखते हैं। ये धार्मिक और आध्यात्मिक महत्त्व वाले विशिष्ट ऊर्जा के केन्द्र होते हैं, इसलिए इन्हें पवित्र स्थल कहा जाता है। इन स्थलों पर आने वाले यात्रियों में पवित्रता का सञ्चार होता है। कहा गया है- **तारयितुम समर्थः इति तीर्थः** अर्थात् संसार रूपी भवसागर से पार कराने में जो समर्थ हो, वही तीर्थ है। यहाँ पर विष्णु तत्त्व अर्थात् सत्त्वगुण के उत्सर्जक केन्द्र के रूप में चार धाम, शिवतत्त्व के उत्सर्जक केन्द्र के रूप में द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग एवं शक्ति तत्त्व के उत्सर्जक रूप में 52 शक्तिपीठों के साथ सप्त मोक्षपुरियों का उल्लेख है।

चारधाम- आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में चार पवित्र तीर्थ स्थलों की स्थापना की थी, जिन्हें चार धाम के नाम से जाना जाता है। ये चार धाम हैं- उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथ पुरी व दक्षिण में रामेश्वरम हैं। चारधाम यात्रा को हिन्दू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे यात्रा नहीं अपितु जीवन दर्शन कहना अधिक तर्कसंगत होगा।



चित्र 12.1- बद्रीनाथ धाम



1. **बद्रीनाथ-** यह पावन धाम अलकनंदा नदी के किनारे 3133 मी. की ऊँचाई पर नर व नारायण पर्वत की गोद में 'बद्रीवन' में उत्तराखण्ड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की काले पत्थर की ध्यानस्थ पद्मासन अवस्था में विग्रह है। यहाँ के पुजारी दक्षिण भारत के नंबूरीपाद ब्राह्मण होते हैं। यह पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ से 245 कि. मी. की दूरी पर केदारनाथ स्थित है। वर्तमान में सरकार ने इन दोनों तीर्थ स्थलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं।

इसे भी जाने-

- बद्रीनाथ को बैकुण्ठ धाम कहा गया है।



चित्र- 12.2 द्वारका धाम

2. **द्वारका-** भारत की पश्चिम दिशा में गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर द्वारका धाम स्थित है। इसे मोक्ष के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा से आने के बाद अपनी कर्मस्थली के रूप में द्वारका नगरी को बसाया था। द्वारका को तीन भागों में विभाजित किया गया है- मूल द्वारका, गोमती द्वारका व बेट द्वारका। जिस स्थान पर भगवान श्रीकृष्ण का निजी महल वहीं पर आज द्वारकाधीश मन्दिर स्थित है। मन्दिर का निर्माण भगवान श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्रभानु द्वारा किया गया था। मन्दिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में प्राप्त हुआ था। मन्दिर में भगवान श्रीकृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा है, जिसे यहाँ 'रणछोड़जी' कहा जाता है। द्वारका से 34

कि.मी. की दूरी पर भेट द्वारका स्थित है। इस स्थान पर श्रीकृष्ण की अपने परम मित्र सुदामा से भेट हुई थी। इस कारण इस स्थान का नाम 'भेट द्वारका' पड़ा।



चित्र-12.3 जगन्नाथ धाम

3. **जगन्नाथपुरी-** ओडिशा राज्य के तटवर्ती नगर पुरी में भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। यह मन्दिर भी श्रीकृष्ण भगवान को समर्पित है। इस मन्दिर का निर्माण कलिंग शासक अनन्तवर्मन चोडगंग देव ने 12वीं सदी में आरम्भ किया और वर्तमान स्वरूप राजा भीमदेव द्वारा दिया गया था। मन्दिर की ऊँचाई

214 फुट है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा इस मन्दिर के मुख्य देवता हैं। की सबसे प्रसिद्ध परम्परा रथ यात्रा है, जो आषाढ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आयोजित होती है। इस

इसे भी जाने-

- जगन्नाथ मन्दिर में काष्ठ निर्मित विग्रह हैं।
- जगन्नाथ मन्दिर के शिखर पर लगा ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है।
- इस मन्दिर के ऊपर से कभी किसी पक्षी या विमान को उड़ते हुए नहीं देखा गया। शिखर की छाया कभी भी भूमि पर दिखाई नहीं देती है।

उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित कर यात्रा पर निकालते हैं, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। जगन्नाथ मन्दिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। यहाँ रसोई घर में महाप्रसाद बनाने के

लिए 500 रसोइए व 300 सहायक सहयोगी एक साथ काम करते हैं। सारा खाना मिट्टी के पात्रों में ही पकाया जाता है।

4. **रामेश्वरम्-** रामेश्वरम् धाम भारत के दक्षिण में तमिलनाडु प्रान्त के रामनाथपुरम् जिले में स्थित है। रामेश्वरम् को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम् में ज्योर्तिलिङ्ग की स्थापना की थी। रामेश्वरम् मन्दिर का गलियारा विश्व का सबसे विशाल गलियारा माना जाता है। मन्दिर में 24 कुएँ हैं, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। यह मन्दिर 1000 फुट लम्बा, 650 फुट चौड़ा व 150 फुट ऊँचा है। इस मन्दिर को रामनाथ स्वामी मन्दिर के नाम से भी जाना जाता है। चित्र- श्री रामेश्वरम् धाम

द्वादश ज्योर्तिलिङ्ग- पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ-जहाँ ज्योति स्वरूप में स्वयं प्रकट हुए, उन स्थानों को ज्योर्तिलिङ्गों के रूप में जाना जाता है। ज्योर्तिलिङ्गों की स्थापना सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए ऊर्जा स्थलों के रूप में की गई है। इन ज्योर्तिलिङ्गों के दर्शन पूजन व आराधना से भक्तों के जन्म-जन्मान्तर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष में बारह ज्योर्तिलिङ्ग हैं, जिनका आध्यात्मिक व पौराणिक महत्त्व है। इन ज्योर्तिलिङ्गों के नाम स्मरण मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है- सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् । उज्जयिन्यां महाकालमोंकार ममलेश्वरम्॥ परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् । सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने । वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे । हिमालये तु केदारं घृष्णेशं च शिवालये । एतानि ज्योर्तिलिङ्गानि साँयं प्रातः पठेन्नरः । सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेणन विनश्यति ॥

1. **सोमनाथ ज्योर्तिलिङ्ग-** यह प्रसिद्ध ज्योर्तिलिङ्ग गुजरात प्रान्त में स्थित है। इस ज्योर्तिलिङ्ग का विस्तृत अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं।
2. **मल्लिकार्जुन ज्योर्तिलिङ्ग-** मल्लिकार्जुन ज्योर्तिलिङ्ग आन्ध्रप्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस कारण इसे श्रीशैल मल्लिकार्जुन भी कहा जाता है। श्रीशैल को दक्षिण का कैलाश भी कहा गया है। अनेक शास्त्रों में इसके धार्मिक व पौराणिक महत्त्व को बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जिस पर्वत पर यह ज्योर्तिलिङ्ग है वहाँ शिव की पूजा से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है।
3. **श्री महाकालेश्वर ज्योर्तिलिङ्ग-** महाकालेश्वर ज्योर्तिलिङ्ग, मध्यप्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाभारत, शिवपुराण, स्कन्द पुराण में इस ज्योर्तिलिङ्ग का वर्णन है। उज्जैन को प्राचीन काल में उज्जयिनी व अवन्तिकापुरी भी कहा गया है। परम्परानुसार भगवान महाकाल

की श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को सवारी निकलती है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थित श्री नागचन्द्रेश्वर मन्दिर के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन होते हैं।



चित्र 12.4- श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग, उज्जैन, मध्य प्रदेश

4. **श्री ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग-** ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मन्धाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। नर्मदा नदी, इस द्वीप के चारों ओर इस प्रकार से बहती है कि इसकी आकृति ॐ के समान बनती है। इसीलिए इस ज्योतिर्लिङ्ग को ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग कहा जाता है। ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग के दो स्वरूप हैं- ओङ्कारेश्वर तथा ममलेश्वर। ममलेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग नर्मदा के दक्षिणी तट पर ओङ्कारेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है परन्तु दोनों ज्योतिर्लिङ्गों की गणना एक में ही होती है।

इसे भी जाने-

- काल गणना से परे होने की पुनरुक्ति के कारण शिव को महाकाल कहा जाता है।
- भारतीय कालगणना में उज्जैन को पृथिवी का केन्द्र माना जाता है।
- नागचन्द्रेश्वर के दर्शन करने से किसी भी प्रकार का काल सर्पदोष समाप्त हो जाता है।
- महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण 11 अक्टूबर, 2022 को माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था।

5. **श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग-** नर और नारायण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिङ्ग के रूप में वास करना स्वीकार किया था। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग जिले में पर्वतों के राजा हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखण्ड के दो प्रधान तीर्थ हैं। जून, 2013 ई. में आई भयानक बाढ़ व भू-स्वलन के

कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। मन्दिर के आस-पास का इलाका बादल फटने से तबाह हो गया परन्तु मन्दिर का मुख्य हिस्सा व प्राचीन शिखर बिल्कुल सुरक्षित रहे थे।



चित्र-12.5 केदारनाथ ज्योतिर्लिङ्ग

6. **श्री भीमाशङ्कर ज्योतिर्लिङ्ग-** भीमाशङ्कर ज्योतिर्लिङ्ग महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। शिवपुराण के अनुसार प्राचीनकाल में भीम नाम का एक राक्षस जो रावण के भाई कुम्भकर्ण का पुत्र था। उसने ब्रह्माजी की तपस्या से लोक विजयी होने का वरदान प्राप्त कर पूरे देवलोक पर अधिकार कर, शिव भक्त राजा सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया था। सुदक्षिण ने भी शिवजी से भीम के संहार के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने उस भीम राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया था। ऋषि-मुनियों व देवगणों की प्रार्थना पर शिवजी ज्योतिर्लिङ्ग के रूप में सदा के लिए यहीं निवास करने लगे।
7. **श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग-** श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग को 'श्रीकाशी विश्वनाथ' के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरप्रदेश के काशी (वाराणसी) नगर में स्थित है। काशी सभी धर्मों स्थलों में सर्वाधिक महत्त्व रखती है। भगवान विष्णु ने सृष्टि-कामना से यही पर शिवजी की तपस्या की थी। मन्दिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 ई. में रानी अहिल्या बाई होल्कर द्वारा करवाया गया था। 1853 ई. में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो ग्राम सोने से मन्दिर के शिखरों को स्वर्ण मण्डित करवाया था। काशी भगवान शिव की राजधानी मानी जाती है, इसलिए भी अत्यंत महिमामयी है। इसे आनन्दवन, आनन्द कानन, अविमुक्त क्षेत्र आदि नामों से भी सम्बोधित किया

जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इस मन्दिर का सौन्दर्यकरण कर काशी-विश्वनाथ कॉरीडोर का निर्माण किया गया है।

8. **श्री त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग**- श्री त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट स्थित है। इस ज्योतिर्लिङ्ग के निकट से ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गौतम ऋषि व गोदावरी नदी के आग्रह पर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिङ्ग के रूप में यहाँ रहना स्वीकार किया था। गोदावरी नदी को दक्षिण की गङ्गा और गौतमी गङ्गा के नाम से जाना जाता है। त्र्यम्बकेश्वर

इसे भी जाने-

- काशी-विश्वनाथ कॉरीडोर का लोकार्पण 13 दिसम्बर, 2021 को प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था।

मन्दिर ब्रह्मगिरी, नीलगिरी व कालगिरी नामक तीन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मन्दिर की विशेषता यह है कि इसमें तीन जल स्रोत बिल्थी तीर्थ, विश्वनाथ तीर्थ व मुकुन्द तीर्थ हैं।

9. **श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग**- श्री वैद्यनाथ धाम झारखण्ड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। देवघर से आशय है 'देवताओं का घर'। यहाँ आने वाले लोगों की मनोकामनाएँ पूर्ण होने के कारण इस शिवलिंग को 'कामना लिङ्ग' भी कहते हैं। सावन माह में शिव भक्त बिहार के सुल्तानगंज से गङ्गाजल



चित्र-12.6 श्री वैद्यनाथ धाम

लेकर, 105 किमी. पैदल चलकर भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। इन पैदल गङ्गाजल लाने वाले शिवभक्तों को 'कांवडिया' कहा जाता है। यहाँ डाक कावड यात्रा बहुत प्रसिद्ध है।

10. **श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग**- श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग गुजरात राज्य में द्वारका से 20 कि.मी. की दूरी पर दारुक नामक स्थान पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिङ्ग की पूजा नागों के ईश्वर रूप में की जाती है। एक

कथानुसार, भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय (वैश्य) ने शिव के आदेशानुसार उनके द्वारा दिए गए, अस्त्र से ही दारूक नामक राक्षस का वध किया था।

11. श्री रामेश्वरम् ज्योतिर्लिङ्ग - श्री रामेश्वरम् ज्योतिर्लिङ्ग ज्योतिर्लिङ्ग की गणना चार धामों में भी की



चित्र- 12.7 नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग

जाती है। इस ज्योतिर्लिङ्ग का अध्ययन हम इस अध्याय के चार धाम शीर्षक के अन्तर्गत कर चुके हैं। चित्र- रामेश्वरम् ज्योतिर्लिङ्ग

12. श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग- श्री घृष्णेश्वर

ज्योतिर्लिङ्ग महाराष्ट्र प्रान्त के औरंगाबाद जिले में है। इस मन्दिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होल्कर ने करवाया था। शिव पुराण के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर, अपनी अनन्य भक्त घुश्मा के मृत पुत्र को पुनः जीवित किया था। अतः घुश्मा के नाम पर



मानचित्र- 12.1 भारत के ज्योतिर्लिङ्ग

इस मन्दिर का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ा है। घृष्णेश्वर में, एकनाथ जी के गुरु श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। इस मन्दिर के निकट प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएँ हैं।

शक्तिपीठ- हिन्दू मान्यता के अनुसार जहाँ देवी सती के शरीर के अङ्ग या आभूषण गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। सर्वाधिक शक्तिपीठ पश्चिम बङ्गाल में है।

शक्तिपीठों की संख्या विभिन्न ग्रन्थों में अलग-अलग बतलाई गई है— देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिवचरित्र में 51 व तन्त्र चूडामणि में 52। वर्तमान में

इसे भी जाने-

- सती, राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शंकर की पत्नी थी।

52 शक्तिपीठ अधिक प्रसिद्ध हैं, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों के साथ-साथ, पाकिस्तान, बाँग्लादेश, नेपाल और तिब्बत में स्थित हैं। लङ्कायां शाङ्करीदेवी कामाक्षी काश्चिकापुरे। प्रद्युम्ने शृङ्खलादेवी चामुण्डी क्रौञ्चपट्टणे ॥1॥ अलम्पुरे जोगुलाम्बा श्रीशैले भ्रमराम्बिका। कोल्हापुरे महालक्ष्मी मुहुर्ये एकवीरा॥2॥ उज्जयिन्यां महाकाली पीठिकायां पुरुहूतिका। ओढ्यायां गिरिजादेवी माणिक्या दक्षवाटिके॥3॥ हरिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी। ज्वालायां वैष्णवीदेवी गया माङ्गल्यगौरिका॥4॥ वारणास्यां विशालाक्षी काश्मीरेतु सरस्वती। अष्टादश सुपीठानि योगिनामपि दुर्लभम् ॥5॥ सायङ्काले पठेन्नित्यं सर्वशत्रुविनाशनम्। सर्वरोगहरं दिव्यं सर्वसम्पत्करं शुभम्॥6॥

सारणी 12.1

प्रमुख बावन शक्तिपीठ

क्र.	शक्ति	स्थान	अङ्ग या आभूषण जो गिरा
1	हिङ्गलाज	करांची (पाकिस्तान) से 125 कि.मी. दूर।	ब्रह्मरंध (सिर)
2	शर्करा	करांची (पाकिस्तान)	आँख
3	सुनंदा	शिकारपुर (बांग्लादेश)	नासिका
4	महामाया	पहलगांव (कश्मीर)	कंठ
5	ज्वालाजी	कांगडा (हिमाचल प्रदेश)	जीभ
6	त्रिपुरमालिनी	जालंधर (पंजाब)	बायाँ वक्ष (स्तन)
7	जयदुर्गा	देवघर (झारखण्ड)	हृदय
8	महामाया	गुजरीश्वरी मंदिर (नेपाल)	दोनों घुटने (जानु)
9	दाक्षायणी	कैलाश मानसरोवर (तिब्बत)	दायाँ हाथ
10	विमला	विराज (ओडिशा)	नाभि
11	गण्डकी	मुक्ति नाथ मंदिर (नेपाल)	मस्तक या गंडस्थल
12	बहुला	बाहुल (प. बङ्गाल)	बायाँ हाथ
13	मङ्गलचंद्रिका	उज्जयिनी (मध्यप्रदेश)	दाई कलाई

14	त्रिपुर सुंदरी	राधाकिशोरपुरगाँव (त्रिपुरा)	दायाँ पैर
15	भवानी	चन्द्रनाथ पर्वत (बांग्लादेश)	दाईं भुजा
16	भ्रामरी	जलपाइगुडी (प. बङ्गाल)	बायाँ पैर
17	कामाख्या	गुवाहाटी (असम)	योनि
18	ललिता	प्रयाग (उत्तरप्रदेश)	अंगुली
19	जयंती	खासी पर्वत (बांग्लादेश)	बाईं जँघा
20	भूतधात्री	युगाद्या (प. बङ्गाल)	दाएँ पैर का अंगूठा
21	कालिका	कालीघाट (कोलकाता)	बाएँ पैर का अंगूठा
22	विमला	मुर्शीदाबाद (प. बङ्गाल)	मुकुट
23	विशालाक्षी	वाराणसी (उत्तरप्रदेश)	मणिजड़ित कुण्डल
24	भद्रकाली	कन्याश्रम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	पृष्ठ भाग
25	सावित्री	कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	एडी (गुल्फ)
26	गायत्री	पुष्कर, अजमेर (राजस्थान)	मणिवन्ध
27	महालक्ष्मी	श्रीशैल (बांग्लादेश)	गला (ग्रीवा)
28	देवगर्भा	कांची (प. बङ्गाल)	अस्थि
29	हरसिद्धि	उज्जैन (मध्यप्रदेश)	कोहनी
30	उमा	वृंदावन (उत्तर प्रदेश)	गुच्छ और चूडामणि
31	शिवानी	चित्रकूट (उत्तर प्रदेश)	दायाँ वक्ष
32	नारायणी	शुचितीर्थम शिवमंदिर (तमिलनाडु)	दन्त (ऊर्ध्वदन्त)
33	वराही	पंचसागर (अज्ञात स्थान)	निचले दन्त
34	अपर्णा	भवानीपुरगाँव (बांग्लादेश)	पायल
35	श्रीसुंदरी	लद्दाख	दाएँ पैर की पायल
36	कपालिनी	पूर्वी मेदिनीपुर (पश्चिम बङ्गाल)	बायीं एडी
37	चन्द्रभागा	जूनागढ़ (गुजरात)	उदर
38	अवंती	उज्जैन (मध्यप्रदेश)	ओष्ठ
39	भ्रामरी	नासिक (महाराष्ट्र)	ठोड़ी
40	विश्वेश्वरी	राजमहेन्द्री (आंध्रप्रदेश)	गाल
41	कुमारी	हुगली (बङ्गाल)	दायाँ कंधा
42	उमा महादेवी	मिथिला (नेपाल)	बायाँ कंधा
43	कालिका	वीरभूम, (प. बङ्गाल)	पैर की हड्डी
44	जयदुर्गा	कर्नाट (अज्ञात स्थान)	दोनों कान
45	महिषमर्दिनी	वीरभूम, (प. बङ्गाल)	भ्रुमध्य (मन)

46	यशोresh्वरी	खुलना (बांग्लादेश)	हाथ और पैर
47	फुल्लरा	अट्टहास (पश्चिम बङ्गाल)	ओष्ठ
48	नन्दनी	वीरभूम (पश्चिम बङ्गाल)	गले का हार
49	इन्द्राक्षी	त्रिंकोमाली (श्रीलंका)	पायल
50	अम्बिका	विराट (अज्ञात स्थान)	पैर की अँगुली
51	मंगलागौरी	गया (बिहार)	स्तन का टुकड़ा
52	अम्बाजी	गुजरात	हृदय

सप्त मोक्षपुरी- अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवंतिका। पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। अर्थात् अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काँचीपुरम्, अवंतिका (उज्जैन), द्वारिकापुरी ये सातों मोक्षदायिनी पवित्र नगरियाँ हैं। इनके अतिरिक्त प्राचीन धर्म ग्रन्थों में अनेक प्राचीन तीर्थ नगरों का उल्लेख है।

कुम्भ मेला- विश्व प्रसिद्ध कुम्भ मेले सनातन धर्म की आस्था के मुख्य केन्द्र ही नहीं हैं अपितु विश्व के अधिकांश देशों के वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और अनुसंधान के केन्द्र भी हैं। कुम्भ मेलों के आयोजन के बारे में हमारे ग्रन्थों में उल्लेख है कि- देवानां द्वादशा होभोर्मर्त्यैर् द्वादशवत्सरैः। जायन्ते कुम्भपर्वाणि तथा द्वादश संख्ययाः॥ जब सूर्य, चन्द्र और गुरू का संयोग किसी विशिष्ट राशि पर होता है तो कुम्भ मेला का आयोजन होता है। भारत में चार कुम्भ मेला स्थान का संकेत इस श्लोक में मिलता है- गङ्गाद्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे। कलसाख्योहि योगोहयं प्रोच्यते शङ्करादिभिः॥ हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जयिनी नासिक में प्रति तीन वर्ष बाद अर्थात्

12 वर्ष में प्रत्येक स्थान पर कुम्भ महामेला का आयोजन होता है।

कुम्भ मेलों के आयोजन के सम्बन्ध में एक आख्यान है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को लेकर, जब देवताओं व असुरों में विवाद हो रहा था। तब अमृत की कुछ बून्दें चार स्थानों- प्रयागराज (उत्तरप्रदेश), हरिद्वार(उत्तराखण्ड), उज्जैन (मध्यप्रदेश) और नासिक (महाराष्ट्र) नामक चार स्थानों पर गिरी थीं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति चार वर्ष में एक बार कुम्भ मेले का आयोजन होता है अर्थात् एक स्थान पर इसकी पुनरावृत्ति बारह वर्ष में होती है। कुम्भ मेले का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्त्व

इसे भी जाने-

- जब गुरु, कुम्भ राशि में और सूर्य, मेष राशि में संक्रमण करते हैं, तब हरिद्वार में कुम्भ मेला आयोजित होता है।
- जब गुरू, मेष राशि में और सूर्य और चन्द्र, मकर राशि में संक्रमण करते हैं तब प्रयागराज में कुम्भ मेला आयोजित होता है।
- जब गुरु और सूर्य, कुम्भ राशि में संक्रमण करते हैं तब गोदावरी (नासिक) में कुम्भ मेला आयोजित होता है।
- जब सूर्य, मेष राशि में और गुरु, सिंह राशि में संक्रमण करते हैं तब क्षिप्रा तट (उज्जयिनी) में सिंहस्थ कुम्भ मेला आयोजित होता है।

बताया गया है। इन कुम्भ मेलों में देश- देशान्तर से लोग सम्मिलित होने आते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है, जैसे- माँ भारती की सभी सन्ततियाँ एक स्थान पर एकत्रित हो गई हैं। इस प्रकार कुम्भ मेलों में भारत की एकता और अखण्डता के दर्शन होते हैं।

तीर्थ स्थलों का महत्त्व-

1. **सकारात्मक ऊर्जा व स्वास्थ्य लाभ-** प्राचीन मान्यताओं के अनुसार तीर्थों और धार्मिक स्थलों पर सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इन स्थानों की यात्रा करने वाला व्यक्ति हमेशा ऊर्जा और सकारात्मक सोच से भरा रहता है। धार्मिक स्थलों की यात्रा ना सिर्फ दान-पुण्य अपितु स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
2. **व्यक्ति के सकल ज्ञान में वृद्धि-** तीर्थ स्थलों का एक महत्त्व यह भी है कि इनकी यात्रा करने से हमारे भौगोलिक, आध्यात्मिक व ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि होती है। यात्रा के समय हमें कई स्थानों का भूगोल व इतिहास जानने का अवसर प्राप्त होता है, साथ ही वहाँ से जुड़ी कला, संस्कृति, परम्परा से भी हम साक्षात् होते हैं। तीर्थ यात्रा से व्यक्ति के सांस्कृतिक व सामाजिक ज्ञान में वृद्धि होती है।
3. **धार्मिक महत्त्व-** चारों धाम, सात पुरी, द्वादश ज्योतिर्लिंग तथा अनेक सरिता, सर, उपवन तीर्थों की श्रेणी में आते हैं। इनके दर्शन, निवास, स्नान, भजन, पूजन आदि करने से धर्म लाभ होने की हिन्दू धर्म में सुस्थिर मान्यता है। वेद व पुराणों में भी तीर्थ यात्रा का वर्णन है। हर हिन्दू के लिए तीर्थ करना पुण्य कर्म है। कालान्तर में यात्राओं के इसी महत्त्व को ध्यान में रखते हुए केरल में जन्मे अद्वैत मत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य ने चारधाम की यात्रा की परिकल्पना की थी। चारधाम की ये यात्राएँ जीवन में समरसता के साथ अपने राष्ट्र को जानने-पहचानने, उससे जुड़ने और प्रेम करने का भी अवसर प्रदान करती हैं।
4. **आर्थिक महत्त्व-** इन तीर्थ स्थलों का धार्मिक या आध्यात्मिक महत्त्व के साथ-साथ आर्थिक महत्त्व भी है। इन तीर्थयात्राओं के कारण ही आज पर्यटन एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गया है। तीर्थ-स्थलों पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, जिससे सम्बन्धित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलता है।
5. **ऐतिहासिक महत्त्व-** तीर्थ यात्रा के समय हमें कई ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थलों पर भ्रमण का अवसर प्राप्त होता है, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ये स्थान उन महापुरुषों के जीवन की स्मृति दिलाते हैं, जिनसे दर्शक को प्रेरणा, प्रोत्साहन, जीवन, बल, साहस तथा प्रकाश मिलता है। इतिहास स्वयं जीवन निर्माता है। अतीत काल के अनुभवों से भविष्य निर्माण का अत्यंत घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

6. **दार्शनिक महत्त्व-** तीर्थयात्रा का दार्शनिक महत्त्व यह है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का प्रत्येक ग्रह-नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक निर्मित किये गये हैं। ब्रह्म में ही सम्पूर्ण सृष्टि समाई है, उससे ही सब उत्पन्न हुए हैं, हम तीर्थस्थलों की परिक्रमा लगाकर यह मान सकते हैं कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है।

तीर्थयात्रा करने के लिए व्यक्ति अपने घर, परिवार, गाँव व नगर से बाहर निकलकर, देश, दुनिया की जलवायु, रहन-सहन, पहनावा, खानपान, रीति-रिवाज आदि को देखता और समझता है। तीर्थयात्राएँ, लोगों को एकता के सूत्र में बाँधकर, वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को चरितार्थ करती हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न -

1. बैकुण्ठ धाम की संज्ञा..... दी गई है।
अ. बद्रीनाथ धाम को
ब. जगन्नाथ पुरी धाम को
ब. द्वारका धाम को
द. रामेश्वरम धाम को
2. प्रसिद्ध ज्वाला जी शक्तिपीठ..... स्थित है।
अ. वीरभूम (प.बङ्गाल)
ब. पुष्कर (राजस्थान)
स. काँगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
द. कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
3. प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ में भंयकर बाढ़ व भू-स्वलन हुआ था -
अ. जून 2012 में
ब. जून 2013 में
स. जून 2014 में
द. जून 2015 में
4. श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग को किस उप नाम से जाना जाता है-
अ. बद्रीनाथ धाम
ब. श्रीकाशी विश्वनाथ
ब. भोलेनाथ
द. महाकाल

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. श्रीशैल ज्योतिर्लिङ्ग..... राज्य में स्थित है। (उत्तरप्रदेश/ आन्ध्रप्रदेश)
2. शक्ति पीठों की संख्या है। (52/53)
3. देवघर राज्य में स्थित है। (तमिलनाडु/ झारखण्ड)
4. सकल घरेलू उत्पाद में तीर्थयात्राओं का योगदान..... है। (2.32%/3.23 %)

सत्य/असत्य बताइए-

1. सात मोक्षदायिनी पुरियों में अवन्तिका नगरी सम्मिलित है। सत्य/असत्य

2. कुम्भ मेले का आयोजन नासिक में भी होता है। सत्य/असत्य
3. महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मन्दिर के शिखरों को स्वर्ण मण्डित करवाया था। सत्य/असत्य
4. तीर्थों और धार्मिक स्थलों पर सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए

1. बद्रीनाथ	क. दक्षिण
2. द्वारका	ख. पूर्व
3. जगन्नाथ पुरी	ग. पश्चिम
4. रामेश्वरम्	घ. उत्तर

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न-

1. 'तीर्थ' की परिभाषा लिखिए।
2. प्रमुख चारधाम कौन-कौन से हैं ?
3. भगवान शिव की राजधानी किसे कहा गया है ?
4. देवी भागवत पुराण में शक्तिपीठों की संख्या कितनी बताई गई है ?
5. द्वारका से भेट द्वारका की दूरी बताइए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सप्तपुरियों से आप क्या समझते हैं ?
2. महाकालेश्वर ज्योर्तिलिङ्ग के बारे में आप क्या जानते हैं?
3. रामेश्वरम् ज्योर्तिलिङ्ग पर टिप्पणी लिखिए।
4. दश शक्तिपीठों का नाम और स्थानों का उल्लेख कीजिए।
5. कुम्भ मेले के बारे में आप क्या जानते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत के चार धाम तीर्थ स्थलों का वर्णन कीजिए।
2. तीर्थयात्रा के महत्व को विस्तार से समझाइए।

परियोजना-

1. अपने आस-पास के तीर्थ स्थानों की सूची बनाकर किन्हीं दो तीर्थों का वर्णन कीजिए।



अध्याय-13

संविधान

इस अध्याय में- संविधान एवं इसके कार्य, संविधान को प्रचलन में लाने की प्रणाली, संविधान के मौलिक प्रावधान, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, भारतीय संविधान की रचना, भारतीय संविधान सभा की कार्यविधि, संस्थागत व्यवस्थाएँ, संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान एक जीवन्त प्रलेख, क्या संविधान परिवर्तनीय होते हैं?, संविधान संशोधन, संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास, भारतीय संविधान की आलोचना, वैदिक वाङ्मय का भारतीय संविधान पर प्रभाव।

संविधान- किसी देश या राज्य द्वारा शासन का सञ्चालन करने वाले नियमों व सिद्धान्तों के समूह को संविधान कहते हैं। संविधान के अभाव में राज्य में अराजकता व्याप्त होती है। अतः संविधान ऐसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त बुनियादी नियमों के समूह हैं, जिस पर उस देश के सभी नागरिकों का विश्वास होता है। संविधान में राज्य का स्वरूप, सरकार के चुनाव की प्रक्रिया, शक्तियों का वितरण, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, न्यायिक प्रक्रिया, नीति निर्माण आदि तत्त्वों का संकलन होता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है।

संविधान के कार्य-

1. **समन्वय और विश्वास की स्थापना-** संविधान का पहला और प्रमुख कार्य किसी भी देश में निवास करने वाले नागरिक समूहों में समन्वय, बन्धुत्व, लोकहित, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के विकास, आन्तरिक और बाह्य शान्ति स्थापना तथा प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करना है। हमारे देश में विविध धर्म, सम्प्रदाय, परम्परा तथा भाषा-भाषी लोग निवास करते हैं। इस विविधता को भारतीय एकता का कारक कहा जाता है। भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार, कर्तव्य, न्याय व्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया आदि भारतीय नागरिकों में संविधान और शासन के प्रति विश्वास और लोक समन्वय को सुदृढ़ करता है।
2. **निर्णय-निर्माण शक्ति की विशिष्टताएँ-** संविधान का दूसरा प्रमुख कार्य राज्य में निर्णय-निर्माण की शक्ति का वितरण है। संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था के ऐसे बुनियादी सिद्धान्तों का समूह

है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार और कानून का निर्माण कौन और कैसे करेगा। भारतीय संविधान में निर्णय-निर्माण की शक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता में निहित होती है।

3. **सरकार की शक्तियों पर सीमा का निर्धारण-** संविधान का तीसरा कार्य किसी सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिये कानून बनाने और लागू करने वाली शक्तियों की सीमा का निर्धारण करना है। संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन न तो सरकार और न ही जनता कर सकती है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई प्रकार से नियन्त्रित करता है। उदाहरण के लिए नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे आसान उपाय है। सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में ही सीमित किया जा सकता है।

4. **समाज की आकांक्षाएँ और लक्ष्य की प्राप्ति-** संविधान का चौथा कार्य, जनाकांक्षाओं व उनके लक्ष्य की प्राप्ति है। संविधान द्वारा सरकार को ऐसा सक्षम ढाँचा भी प्रदान किया जाता है कि सरकार, समाज की आकांक्षाओं व लक्ष्यों को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में समर्थ हो। भारतीय संविधान सरकार को वह शक्ति प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक, लोक कल्याणकारी कार्यों को कानून की सहायता से लागू कर सके।

5. **राष्ट्र की बुनियादी पहचान-** विश्व के किसी भी राष्ट्र के शासन व्यवस्था की पहचान, वहाँ के संविधान से होती है। विश्व के सभी संविधानों में अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम स्वीकार किये गये हैं। उदाहरण के लिये भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता, जबकी जर्मन संविधान में जर्मन नस्ल को अभिव्यक्त किया गया है। हमारे संविधान में

इसे भी जाने-

- दक्षिण अफ्रीकी संविधान ने वहाँ की सरकार को पर्यावरण संरक्षण, अन्यायपूर्ण भेदभाव से लोगों को बचाने और सभी के लिये आवास तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सौंपा है।
- इण्डोनेशियाई संविधान में सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कर उनका सञ्चालन तथा गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाओं को पूर्ण करने की अपेक्षा

करते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग संवैधानिक नियमों के अन्तर्गत करते हैं।

संविधान द्वारा किये जाने वाले इन कार्यों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि संविधान क्यों आवश्यक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य का गठन किस प्रकार होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। विश्व के अधिकांश देशों जैसे- भारत और अमेरिका आदि में संविधान एक लिखित प्रलेख है। इंग्लैण्ड के पास लिखित संविधान के स्थान पर प्रलेखों और निर्णयों की विस्तृत श्रृंखला को सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है।

संविधान को प्रचलन में लाने की प्रणाली- किसी संविधान की सफलता या असफलता उसके अस्तित्व में आने, निर्माताओं और उनकी शक्ति पर निर्भर करता है। सफल राष्ट्रीय आन्दोलनों के पश्चात भारत, दक्षिण अफ्रीका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण दिसम्बर 1946 ई. से नवम्बर 1949 ई. के मध्य संविधान सभा द्वारा किया गया। इसका प्रेरणा स्रोत विविध राष्ट्रीय आन्दोलन रहे। हमारे संविधान का अंतिम प्रारूप व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को दर्शाता है।

संविधान के मौलिक प्रावधान- किसी संविधान के प्रति वहाँ के नागरिकों का आदर भाव संविधान में निहित लोकहितकारी प्रावधानों के कारण होता है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। एक सफल संविधान अपने नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता की अधिकतम सुरक्षा करते हुए न्यायपूर्ण शासन की स्थापना करता है।

1990 ई. में नेपाल में बहुदलीय लोकतन्त्र प्रारम्भ हुआ था, परन्तु अनेक शक्तियाँ वहाँ के राजा में निहित थीं। नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिये सशस्त्र राजनीतिक आन्दोलन चलाये गये। 2008 ई. में नेपाल लोकतान्त्रिक गणराज्य बना और 2015 ई. में नये संविधान को अपनाया।

इसे भी जाने-

- नेपाल को 1948 ई. से 1990 ई. तक नेपाल नरेश ने पाँच संविधान प्रदान किये थे।

संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा- संविधान की सन्तुलित रूपरेखा के लिए संवैधानिक संस्थाओं में शक्तियों का विभाजन किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर यदि कोई संस्था संविधान को नष्ट करना चाहेगी तो दूसरी संस्था उसे नियन्त्रित कर लेगी। यह अवरोध और सन्तुलन का नियम किसी भी राष्ट्र के संविधान

की सफलता सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं में विभाजित किया गया है।

भारतीय संविधान की रचना- भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर एक निर्वाचित

इसे भी जाने-

- ने कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेन्थिक लारेन्स और ए. बी. अलकजेण्डर थे। 24 जनवरी 1950 ई. को संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रारम्भ में हमारे संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 25 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं।

संविधान सभा द्वारा किया गया है।

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 ई. में 389 सदस्यों की उपस्थिति में डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा (अस्थायी अध्यक्ष) की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई थी।

11 दिसम्बर को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को

संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसम्बर को पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 14 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा सदस्यों की संख्या 299 रह गई। विचार-विमर्श के पश्चात् 26 नवम्बर, 1949 (मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी) को 284 सदस्यों की उपस्थिति में भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित कर लिया गया।

भारतीय संविधान सभा की कार्यविधि- भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा राष्ट्रहित को सर्वोपरी मानकर किया गया। संविधान सभा के सदस्यों में विचारधारा परक विरोध होते हुए भी राष्ट्रहित में सभी ने संगठित होकर सहयोगपूर्ण और सावधानी पूर्वक संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण किया। भारतीय संविधान का मूल आधार लोक कल्याण, भेदभाव रहित समाज की स्थापना और

सारणी 13.1

भारतीय संविधान निर्माण की प्रमुख समितियाँ

क्र.	समितियाँ	अध्यक्ष
1.	संघ संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
2.	प्रान्तीय संविधान समिति	बल्लभ भाई पटेल
3.	संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
4.	परामर्श समिति	बल्लभ भाई पटेल
5.	प्रक्रिया नियमन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
6.	प्रारूप समिति	डॉ. भीमराव अम्बेडकर

सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा 22 समितियों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में दो वर्ष, ग्यारह माह और अठारह दिन का समय लगा था। इस अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली थीं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान

में भारत की आधारभूत परम्पराओं और राष्ट्रीय आन्दोलन से विरासत में प्राप्त सिद्धान्तों को मूर्त रूप प्रदान किया। भारतीय संविधान का दर्शन कही जाने वाली प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों, आकांक्षाओं व मूल्यों को संकलित किया गया है। प्रस्तावना के प्रमुख बिन्दु हैं- 1. भारत को सम्प्रभु, समाजवादी, पन्थनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने 2. उसके समस्त नागरिकों को न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतन्त्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना) प्राप्त कराने। 3. व्यक्ति की गरिमा 4. राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता।

संस्थागत व्यवस्थाएँ- संविधान सभा द्वारा देश के लिए संसदीय और संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। संविधान में शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति सन्तुलन स्थापित करने के साथ ही केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व की अन्य संवैधानिक परम्पराओं से सर्वोत्तम बातों को ग्रहण किया है। लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन करके भारतीय संविधान को तैयार किया गया। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में लगभग 200 प्रावधान 'भारत शासन अधिनियम 1935', संविधान की सर्वोच्चता व मौलिक अधिकार अमेरिका, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन, नीति निर्देशक तत्त्व आयरलैण्ड, मौलिक कर्तव्य रुस और आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं।

संविधान का दर्शन- किसी भी संविधान का मूल आधार कानून के समक्ष समानता होता है। कानून धार्मिक अथवा भाषाई आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता है। कानून और नैतिक मूल्यों के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण संविधान के प्रति नैतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। किसी भी देश के संविधान में तीन बातें प्रमुख हैं, जो उस संविधान का दर्शन कहलाती हैं। 1. संविधान में प्रयुक्त अवधारणाओं जैसे- अधिकार, नागरिकता, लोकतन्त्र आदि की स्पष्टता होनी चाहिए। 2. संविधान के बुनियादी आदर्शों पर गहरी पकड़ तथा समाज और शासन व्यवस्था पूर्णतया पारदर्शी होनी चाहिए। 3. सैद्धान्तिक रूप से संविधान के आदर्श जनता के समक्ष पूर्णतया स्पष्ट, औचित्यपूर्ण तथा भविष्य के अनुरूप उनमें सुधार की सम्भावनाएँ प्रबल होनी चाहिए।

संविधान लोकतांत्रिक परिवर्तन का साधन- संविधान राज्य की निरंकुशता को अवरोधित कर लोकतांत्रिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कमजोर वर्गों को सत्ता में आने के अवसर तथा सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक आदि अधिकार प्रदान करता है।

संविधान सभा के पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों? हमारा संविधान हमारे वर्तमान का ही इतिहास है। संविधान निर्माण के समय की स्थितियों की तुलना में वर्तमान समय की स्थितियों में कोई क्रांतिकारी

परिवर्तन नहीं हुआ है। जब संवैधानिक व्यवहारों की उपेक्षा होने लगे और उन्हें चुनौतियाँ मिलने लगे तब हमें संविधान के मूल्यों को समझने के लिए संविधान सभा के वाद-विवाद को देख और पढ़कर, उनके विश्लेषण करना अधिक प्रासंगिक है।

भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन- भारतीय संविधान स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान इस बात पर बल देता है कि उसके दर्शन को शान्तिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक रूप से व्यवहार में लाया जाए।

नागरिक स्वतन्त्रता- भारतीय संविधान नागरिकों की स्वतन्त्रता के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान के अनुसार व्यक्ति को अपनी अभिरूचि, विचार, अभिव्यक्ति, वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, धर्म आदि क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता है। राजा राममोहन राय ने व्यक्ति के विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बल दिया था। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी यह बात निरन्तर उठती रही।

सामाजिक न्याय- शास्त्रीय उदारवाद, सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों में सदैव व्यक्ति को महत्व देता है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज समावेशी हो तथा संसाधनों का बंटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान- विभिन्न प्रकार की विविधताओं जैसे- भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय आदि से युक्त भारत में संविधान निर्माताओं के समक्ष भारतीय समाज में समानता की स्थापना करना एक कठिन चुनौती थी। समाज में समानता की स्थापना के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अल्पसंख्यकों को विभिन्न अधिकार देकर सशक्त करने का कार्य किया है।

पन्थ निरपेक्षता- पन्थ निरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। संविधान व सरकार धर्म के मामले में तटस्थ है। जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म के चयन का अधिकार है। संविधान व सरकार, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। ये न तो किसी धर्म का पक्ष लेते हैं और न ही विरोध करते हैं। पन्थ निरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य करती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। इसका लक्ष्य नैतिकता व मानव कल्याण है।

सार्वभौम वयस्क मताधिकार- सार्वभौम वयस्क मताधिकार के माध्यम से देश की जनता अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। भारतीय संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक (18 वर्ष आयु प्राप्त) को

बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्रदान करता है। स्वस्थ लोकतन्त्र के निर्माण में देश के नागरिकों की अहम भूमिका होती है। वे अपने मताधिकार से एक निष्पक्ष सरकार का चुनाव करते हैं। सार्वभौम मताधिकार राजनीति में समानता को बढ़ावा देता है।

संघवाद- संघवाद सरकार का ऐसा रूप है, जिसमें शक्तियों का विभाजन केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य

इसे भी जाने-

- भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का प्रथम प्रयास 1895 ई. में "कांस्टिट्यूश ऑफ इंडिया बिल" के नाम से हुआ।

होता है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, द्वैध शासन प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता आदि संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ हैं। भारतीय संविधान में संघवाद को लेकर

विरोधाभासी स्थिति प्रतीत होती है। संविधान में एक ओर तो सशक्त केन्द्र सरकार की अवधारणा है।

दूसरी ओर कुछ प्रान्तों को संविधान में विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया गया है।

प्रक्रियागत उपलब्धि- भारतीय संविधान की

उपरोक्त आधारभूत विशेषताओं के अतिरिक्त संविधान की कुछ प्रक्रियागत उपलब्धियाँ भी हैं। जैसे- भारतीय संविधान का आधार विश्वास और राजनीतिक विचार- विमर्श है। संविधान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। राष्ट्र की एकता और अखण्डता की दृष्टि से भारतीय संविधान में नागरिकों की राष्ट्रीय पहचान पर बल दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है

इसे भी जाने-

- विशेष श्रेणी के राज्यों के विकास के लिए धन केन्द्र सरकार द्वारा 90% अनुदान और 10% ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग-21 के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को 1969 ई. में विशेष राज्य की श्रेणी प्रदान की गई थी। इस विशेष श्रेणी को 5 अगस्त 2019 ई. समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 371A-J तक नागालैंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और उत्तराखण्ड को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया गया है।

कि "हमें यह भूलना होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज है। भारत में सिर्फ एक समुदाय है"।

संविधान एक जीवन्त प्रलेख- हमारे संविधान को जीवन्त प्रलेख की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि यह एक जीवन्त प्राणी की भाँति अनुभवगम्य एवं परिस्थिति के अनुरूप कार्य करता है। परिवर्तनशील समाज

में हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी परिवर्तनशीलता के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है।

क्या संविधान परिवर्तनीय होते हैं? विश्व के विभिन्न देशों ने सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपने-अपने संविधानों को पुनः निर्मित किया है, जैसे- सोवियत संघ ने 74 वर्षों में चार बार तथा फ्रान्स ने 1793 ई. से 1958 ई. के कालखण्ड में पाँच बार संविधान में परिवर्तन किया था। परन्तु भारतीय संविधान के सन्दर्भ में स्थिति विश्व के अन्य देशों के संविधानों से भिन्न है। इसका कारण भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलापन है। संविधान की मूल अवधारणा अपरिवर्तनीय है परन्तु परिस्थिति के अनुसार संशोधनीय है।

संविधान संशोधन- विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं में विशेष बहुमत का सिद्धान्त और जनसाधारण की सहभागिता का सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका तथा रूस में विशेष बहुमत का सिद्धान्त है, जबकि स्विट्जरलैण्ड, रूस तथा इटली में जनसाधारण को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है।

भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया संसद से प्रारम्भ होती है। यह संशोधन तीन प्रकार से होता है- 1. साधारण बहुमत 2. विशेष बहुमत 3. विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। संसद के साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन, राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, केन्द्रशासित प्रदेशों

इसे भी जाने-

- संविधान के संशोधन की बहुमत की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में है।
- भारतीय संविधान में 2020 ई. तक 104 संशोधन हो चुके हैं।

के प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था आदि में संशोधन किया जाता है। संसद द्वारा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व आदि में विशेष बहुमत से संविधान संशोधन किया जाता है।

विशेष बहुमत से तात्पर्य संसद के सदन में दो तिहाई सदस्य संख्या से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी कार्यपद्धति, संघ

व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय व राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ व राज्यों में विधायी सम्बन्धी, महाभियोग आदि में संशोधन के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक है।

संविधान संशोधन विधेयक को, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं भेज सकता है।

संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास- संविधान की मूल संरचना से आशय है संविधान में निहित ऐसे प्रावधान जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते

है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधनों द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। मूल संरचना के सिद्धान्त को केशवानन्द भारती मामले से जोड़कर देखा जा सकता है। संसद द्वारा भी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका का योगदान- संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका ने मजबूत स्तम्भ की भूमिका निभाई है। नागरिक अधिकारों व स्वतन्त्रताओं की रक्षा का कार्य करने के कारण न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है। न्यायपालिका द्वारा संविधान की निष्पक्षता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए असंवैधानिक निर्णयों को नकार दिया जाता है।

राजनीतिज्ञों की परिपक्वता- सदैव से ही भारत में राजनीतिज्ञों का व्यक्ति की गरिमा, स्वतन्त्रता, समानता, जन कल्याण, राष्ट्रीय एकता आदि में अटूट विश्वास रहा है। संविधान का सम्यक दृष्टिकोण ही उसे जनता में लोकप्रिय बनाता है।

भारतीय संविधान की आलोचना- कई आलोचक भारतीय संविधान को अत्यधिक लचीला होने का कारण इसे दृढ़ प्रलेख के रूप में नहीं मानते हैं। यदि भारतीय संविधान को कठोरता प्रदान की जाती तो जनहित की कई संवैधानिक संस्थाओं जैसे- चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि के प्रावधान संविधान से छूट जाते इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान को लचीला बनाया है। संविधान के आलोचकों का मत है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार से नहीं हुआ था। इसलिए संविधान निर्माण में सार्वजनिक प्रतिनिधित्व का अभाव है। परन्तु संविधान सभा की चर्चा-परिचर्चाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत मामलों को प्राथमिकता नहीं देकर समाज और राष्ट्रहित के प्रकरणों को प्राथमिकता दी थी। भारतीय संविधान की यह कहकर भी आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान एक विदेशी प्रलेख और प्रतिलिपि है। वास्तव में ऐसा नहीं है भारतीय संविधान हमारे वैदिक वाङ्मय और भारतीय परम्पराओं की समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, बन्धुत्व, लोक कल्याण आदि की भावना से प्रभावित है।

वैदिक वाङ्मय का भारतीय संविधान पर प्रभाव- भारतीय संविधान की मौलिक अवधारणा- स्वतन्त्रता, न्याय, बन्धुत्व, जन कल्याण, समानता, वसुधैव कुटुम्बकम् आदि का आधारभूत विचार वैदिक वाङ्मय से प्रभावित है। समानता के सन्दर्भ में वेदों निर्देशित है कि- मित्रास्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि समीक्षामहे।। (यजुर्वेद 36.18) अर्थात् द्रोह करने वालों के प्रति द्रोह मत करो। हमें इस प्रकार सोचना चाहिए कि सभी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। मैं भी उन सभी को मित्र की दृष्टि से

देखूँ। हम परस्पर मित्रवत् आचरण करें। मा भ्राता भ्रातरं द्विषन् मा स्वसारमुत स्वसा। सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं भद्रया ॥ (अथर्ववेद 3.30.3) अर्थात् भाई-भाई से द्वेष न करें। बहन, बहन से द्वेष न करें। सभी एकमत होकर, मिलजुल कर अपने-अपने कर्म कर, उत्तम रीति से कल्याणकारी वाणी बोलते रहें। इन मन्त्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में निहित समानता की भावना वैदिक वाङ्मय में सृष्टि के प्रारम्भ से ही थी।

सारणी 13.2

भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	उल्लेखित मुख्य विषय
1	संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का प्रावधान
3	राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन और नये राज्यों का निर्माण का प्रावधान
12 से 35	नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान
14	समानता का अधिकार
17	अस्पृश्यता का उन्मूलन
21	प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता
32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार
40	ग्राम पञ्चायतों का संगठन
51	अन्तरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान
51 (क)	नागरिकों के मूल कर्तव्य
55	राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का प्रावधान
58	राष्ट्रपति की योग्यताएं का प्रावधान
61	राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान
72	राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ का प्रावधान
352	देश में आपतकाल की घोषणा का प्रावधान
356	राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रावधान
360	देश में वित्तीय आपतकाल की घोषणा का प्रावधान
75	प्रधानमंत्री का प्रावधान
74	केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् के गठन का प्रावधान
79	संसद का गठन का प्रावधान
95	लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ का प्रावधान

110	धन विधेयक की व्याख्या का प्रावधान
124	उच्चतम न्यायालय का स्थापना व गठन प्रावधान
125	न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का प्रावधान
143	राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय परामर्श शक्तियों का प्रावधान
153	राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान
155	राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान
163	राज्यमंत्री परिषद् का प्रावधान
168	विधानमण्डल के संगठन का प्रावधान
169	राज्यों को विधान परिषद् के निर्माण व विघटन के अधिकार का प्रावधान
170	राज्यों में विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान
171	विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान
180	विधान सभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियों का प्रावधान
214	राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान
221	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का प्रावधान
231	दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान
315	संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान
368	संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- भारतीय संविधान को.....अंगीकृत किया गया।
 अ. 26 नवम्बर, 1949 ब. 26 जनवरी, 1950
 स. 15 अगस्त, 1947 द. 30 जनवरी, 1948
- संविधान की शक्ति का स्रोत.....है।
 अ. स्थानीय सरकार ब. राज्य सरकार
 स. केन्द्र सरकार द. जनता
- संविधान में मौलिक अधिकार.....लिए गये हैं।
 अ. रूस से ब. कनाडा से स. अमेरिका से द. ब्रिटेन से



5. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारतीय संविधान की विशेषताएँ बताइए।
2. संविधान की कोई तीन आवश्यकताएँ बताइए।
3. अमेरिका व रूस से भारतीय संविधान में कौन-कौनसे प्रावधान लिए गए हैं?
4. वैदिक वाङ्मय का भारतीय संविधान पर प्रभाव को समझाइए?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. संविधान के महत्त्व की व्याख्या कीजिए।
2. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. संविधान सभा के सदस्य डॉ राजेन्द्र प्रसाद और डॉ बी. आर. अम्बेडकर के जीवनवृत्त की जानकारी संग्रहित कीजिए।

अध्याय-14

भारतीय शासन व्यवस्था के अङ्ग

इस अध्याय में- विधायिका, संसद के कार्य, लोकसभा, राज्यसभा, संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय समितियाँ, कार्यपालिका, कार्यपालिका के प्रकार, भारत में संसदीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, स्थायी कार्य पालिका, न्याय पालिका, न्याय पालिका के कार्य, न्याय पालिका की संरचना।

भारतीय शासन व्यवस्था के तीन अङ्ग- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। सरकार के ये तीनों अङ्ग मिलकर शासन तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने और लोक कल्याण में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस अध्याय में हम सरकार के तीनों प्रमुख अंगों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

विधायिका- विधायिका या व्यवस्थापिका सभी लोकतांत्रिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं का केन्द्र होती है। विधायिका का प्रमुख कार्य कानूनों और नीतियों का निर्माण करना है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। भारत में संघीय स्तर पर कानून निर्माण का कार्य संसद करती है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद एक विशिष्ट और केन्द्रीय स्थान रखती है क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होता है। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। एक सदन द्वारा लिए गये निर्णयों को दूसरे सदन में भी निर्णय के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार इन निर्णयों पर पुनर्विचार हो जाता है। संसद सदस्यों को सांसद (M.P.) कहा जाता है।

संसद के कार्य-

कार्यपालिका पर नियन्त्रण- संसद, कार्यपालिका को नियन्त्रित करने का कार्य करती है। मन्त्रिपरिषद् तभी तक कार्य कर सकती है, जब तक की उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है। जवाबदेह शासन सुनिश्चित करना संसद का प्रमुख कार्य है। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल को सत्ताधारी दल तथा इसका विरोध करने वाले सभी दलों को विपक्षीय दल कहते हैं। बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमन्त्री बनता है और राष्ट्रपति की सलाह पर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है।

कानून निर्माण करना- संसद का प्रमुख कार्य विविध कानूनों का निर्माण कर, उन्हें स्वीकृति देना होता है।

इसे भी जाने-

- राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् में मन्त्री बन सकते हैं।

वास्तव में कानून निर्माण का कार्य कार्यपालिका के किसी मन्त्रि के नियन्त्रण में नौकरशाही करती है। संसद में कानून के उद्देश्य का प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण का कार्य मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है।

वित्तीय नियन्त्रण- संसद वार्षिक बजट के माध्यम से सार्वजनिक निधि के आय और व्यय पर नियन्त्रण रखती है। सरकार को कोई नया कर लगाने से पूर्व संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। संसद के वित्तीय अधिकार सरकार को धन उपलब्ध करवाते हैं।

विचार-विमर्श करना- सम्पूर्ण देश को सार्वजनिक महत्व के विषयों के बारे में जानकारी संसद से प्राप्त होती है क्योंकि लोकहित के मुद्दों एवं सरकारी नीतियों पर चर्चा संसद के दोनों सदनों के पटल पर होती है। इस प्रकार सरकार को न केवल संसद का परामर्श प्राप्त होता है, बल्कि अपनी नीतियों की कमियों जानने में सहायता मिलती है।

संवैधानिक कार्य- संसद एकमात्र ऐसा संवैधानिक निकाय है, जहाँ संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ समान हैं।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्य- संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। यह विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्यों, पीठासीन एवं उपपीठासीन पदाधिकारियों के निर्वाचन का कार्य करती है।

न्यायिक कार्य- संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा पदमुक्त करने के प्रस्तावों पर विचार करना, संसद के न्यायिक कार्यों के अन्तर्गत आता है।

प्रतिनिधित्व- देश के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों के विचारों का प्रतिनिधित्व संसद करती है।

भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के दो सदन हैं- लोकसभा और राज्यसभा। लोगों के सदन को लोकसभा तथा राज्यों की परिषद् को राज्य सभा कहते हैं।

1. **लोक सभा-** यह संसद का अस्थायी तथा निम्न या प्रथम सदन है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोक सभा में

अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, परन्तु वर्तमान में हमारी संसद में 543 सदस्य हैं। लोकसभा

इसे भी जाने-

- व्यवस्थापिका को अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे- संसद (भारत), कांग्रेस (संयुक्त राज्य अमेरिका), ड्यूमा (रूस), पार्लियामेंट (ब्रिटेन) आदि।

सदस्य (530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केन्द्र शासित प्रदेशों से) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित होते हैं।

लोक सभा सदस्यों की योग्यताएँ –

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. पागल या दिवालीया न हो।
4. किसी लाभ के पद पर न हो।
5. वह किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक दण्डित नहीं किया गया हो।

इसे भी जाने-

- 2019 तक राष्ट्रपति लोक सभा में 2 सदस्य (एंग्लो इण्डियन) मनोनीत करता है था परन्तु 104 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार इनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया है।

इसे भी जाने-

- भारत में लोक सभा का पहली बार गठन 2 अप्रैल, 1952 ई. को हुआ था।
- लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 ई. को प्रारम्भ हुई थी।
- भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा व लक्षद्वीप सबसे छोटा लोक सभा क्षेत्र है।

जा सकता है। आपातकाल में लोक सभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोक सभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोक सभा की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य (55 सदस्य) आवश्यक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

राज्य सभा और लोकसभा के विशेषाधिकार- अधिकांशतः लोकसभा और राज्य सभा के कार्य व अधिकार समान ही हैं, जिनका अध्ययन हम संसद के कार्यों के अन्तर्गत कर चुके हैं। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली में राज्य सभा और लोकसभा के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जो निम्न हैं-

1. अनुच्छेद-312 के द्वारा राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार प्राप्त है।
2. राज्यसभा अनुच्छेद-249 के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।
3. संविधान द्वारा वित्त के सन्दर्भ में लोकसभा को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये गए हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। इस अवधि के पश्चात् धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है।

2. **राज्य सभा-** राज्य सभा संसद का उच्च सदन है, जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। रिक्त स्थानों पर उतने ही नये सदस्यों का निर्वाचन होता है। संसद में राज्यसभा संविधान के संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं- निर्वाचित और मनोनीत। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं परन्तु वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें 233 सदस्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुद्दुचेरी तथा जम्मू-कश्मीर) के विधानमण्डलों द्वारा निर्वाचित तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत सदस्य साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, कला, प्रशासन, संस्कृति या अपने क्षेत्र के विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विद्वान होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है, जो सभापति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन करता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।

इसे भी जाने--

- राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल, 1952 को हुआ था।
- राज्य सभा की प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को प्रारम्भ हुई थी।
- एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सूत्र- [कुल मतदान/ कुलविजयी उम्मीदवार+1] +1

राज्य सभा सदस्य की योग्यताएँ- राज्य सभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30

इसे भी जाने--

- राज्यसभा ने किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने वाली शक्ति का प्रयोग अब तक 1952 ई. और 1986 ई. में किया है।

वर्ष होनी चाहिए। जिस राज्य का वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है, उसका नाम उस राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य योग्यताएँ लोकसभा सदस्यों के समान हैं।

विधायिका कानून बनाने वाली संस्था के साथ ही लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केन्द्र होती है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे- सदन में चर्चा, बहिर्गमन, विरोध-प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि ये इसे अत्यन्त जीवन्त रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जो लोकतन्त्र का आधार हैं। भारत में मन्त्रिमण्डल नीति-निर्माण की पहल और

शासन का एजेंडा सुनिश्चित कर, उसे लागू करता है। यह वाद-विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है।

संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया- संसद में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व इस बात पर अत्यधिक चर्चा होती है कि उस विधेयक की क्या आवश्यकता है? कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से भी किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल



चित्र 14.1- लोकसभा में कार्यवाही

सकता है। अनेक हित समूह मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अतः कानून बनाना एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनैतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक, जिस मन्त्रालय से सम्बन्धित होता है, वहीं मन्त्रालय उसका प्रारूप बनाता है। संसद के किसी भी सदन में कोई भी सदस्य साधारण विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है, तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विधेयक को लागू होने के लिए उसे दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत प्राप्त होने के पश्चात उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर, वह विधेयक कानून बन जाता है।

भारतीय संसद में मुख्यतः एक वर्ष में तीन सत्र आयोजित होते हैं-

1. **बजट सत्र-** यह सत्र फरवरी से मई माह के मध्य आयोजित होता है।
2. **मानसून सत्र-** यह सत्र जुलाई से सितम्बर तक आयोजित किया जाता है।
3. **शीतकालीन सत्र-** यह सत्र नवम्बर से दिसम्बर के बीच आयोजित किया जाता है।

प्रश्नकाल- संसद के दोनों सदनों की बैठक में प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल का होता है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण प्रतिपूर्ति (फीडबैक) मिलता है। प्रश्नकाल में चार प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं-

1. **तारांकित प्रश्न-** ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य तुरन्त सदन में चाहता है। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है।
2. **अतारांकित प्रश्न-** ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है।

3. **अनुपूरक प्रश्न-** ऐसे प्रश्न जिनका सदन में उत्तर दिया जा चुका है, उनके स्पष्टीकरण हेतु पूछे गए प्रश्न।

4. **अल्पसूचना प्रश्न-** जो प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्त्व के हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जा सकता है।

शून्यकाल- प्रश्न काल के पश्चात 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस समय सांसद बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं।

संसदीय समितियाँ- संसद का अधिवेशन के समय ही कार्यशील होने के कारण विधायी और दैनिक कार्यों के लिए सीमित समय मिलता है। अतः संसद के दैनिक कार्यों के सुचारू सञ्चालन एवं संपादन के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें संसदीय समिति कहते हैं। इन समितियों के सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। विधेयकों की देखरेख, विभिन्न मन्त्रालयों की अनुदान माँगों का अध्ययन, विभागीय व्यय की जाँच, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जाँच कार्य संसदीय समितियाँ करती हैं। लोक लेखा समिति, वित्त समिति, प्राक्कलन समिति, नियम समिति, भाषाई समिति आदि प्रमुख संसदीय समितियाँ हैं। इनके अतिरिक्त संसद में संयुक्त समितियों का भी गठन किया जा सकता है, जो किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा और वित्तीय अनियमितताओं की जाँच कर सकती हैं।

इसे भी जाने--

- 1983 ई. में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी। वर्तमान में इन स्थायी समितियों की संख्या 20 है।



चित्र 14.2- भारतीय संसद भवन

एवं लागू कर, प्रशासन का कार्य करता है, कार्यपालिका कहलाता है। सरकार के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका तथा कार्यपालिका में कार्यरत प्रशासनिक समूह के लोगों को स्थायी कार्यपालिका (प्रशासनिक कार्यपालिका) कहा जाता है।

कार्यपालिका के प्रकार-

कार्यपालिका को मुख्यतः सामूहिक नेतृत्व के सिद्धान्त और एकल नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित प्रणाली के रूप में विभाजित किया गया है।

सारणी 14.1

कार्यपालिका के प्रकार		
सामुहिक नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित प्रणाली		एकल नेतृत्व के सिद्धान्त पर आधारित प्रणाली
संसदीय व्यवस्था	अर्ध अध्यक्षतात्मक व्यवस्था	अध्यक्षात्मक व्यवस्था
सरकार का प्रमुख आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है।	राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है।	अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है।
वह विधायिका में बहुमतदल का नेता होता है।	प्रधानमंत्री सरकार को प्रमुख होता है।	वही सरकार का प्रमुख होता है।
वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है।	प्रधानमंत्री और उसकी मन्त्रिपरिषद् विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।	राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है।
देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है।		वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता।
राजा → राष्ट्रपति →	संवैधानिक राजतन्त्र संसदीय गणतन्त्र	औपचारिक शासन प्रमुख

भारत में संसदीय कार्यपालिका- भारतीय संविधान निर्माता पूर्व के अनुभवों के आधार पर भारत में ऐसी सरकार चाहते थे, जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका का था लेकिन अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पद पर बहुत बल देती है और सभी शक्तियों का स्रोत राष्ट्रपति को मानती है। संसद के बहुमत पर निर्भर कार्यपालिका को संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएँ हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका, विधायिका जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है और उससे नियंत्रित भी करती है। इसलिए भारतीय संविधान में केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर पर शासन की संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। केन्द्रीय कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद् से मिलकर होता है। इसका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है जबकि व्यवहारिक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रान्तीय स्तर कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मन्त्रिपरिषद् से मिलकर होता है।

राष्ट्रपति- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 72 में राष्ट्रपति पद, उसके अधिकार और कार्यों के बारे

इसे भी जाने--

- भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा कार्यकाल समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के अन्दर नये राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना अनिवार्य है।
- राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिखित में प्रेषित करता है।
- संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 5,00,000 और उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सभापति के रूप में 4,00,000 मासिक वेतन सहित अन्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

में उल्लेख है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति, राष्ट्र की एकता और अखण्डता का प्रतीक है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करता है।

निर्वाचन- राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में लोकसभा, राज्यसभा,

राज्यों की विधान सभाओं सहित केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली, पटुचेरी व जम्मू-कश्मीर विधान सभाओं के सदस्य सम्मिलित हैं।

योग्यताएँ-

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. लोक सभा सदस्य बनने की योग्यताएँ रखता हो।
4. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचन आवेदन फार्म पर कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायकों या सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार- भारत के राष्ट्रपति में सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति की सहायता करती है तथा उसे सलाह देती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, उसे सम्बोधित करता है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर उसकी सलाह पर मन्त्रि परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त वह सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों,

महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी, राज्यपालों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों, राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने के साथ ही मृत्यु दण्ड की सजा को क्षमा करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 व अनुच्छेद 360 में आपात कालीन प्रावधान दिये गए हैं जिन्हें राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ कहते हैं।

सारणी 14.2

अनुच्छेद 352	अनुच्छेद 356	अनुच्छेद 360
युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा	राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा	देश में वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा

विशेषाधिकार- राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार होता है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) पर स्वीकृति देने में देरी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

उपराष्ट्रपति- उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इसके लिए 35 वर्ष की आयु व राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्रता आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपना निर्वाचन आवेदन पत्र 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक तथा 20 संसद सदस्यों को समर्थक के रूप में नामित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के समस्त कार्यों व दायित्वों का निर्वहन करता है।

महाभियोग- महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरीका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4 व 5) 217 और 218 में इसका प्रावधान है। जब उक्त पदाधिकारियों द्वारा संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो, तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 100 सांसदों तथा राज्य सभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। सदन के अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने के उपरान्त तीन सदस्यीय समिति बनाकर आरोपों की जाँच कर, उसकी आख्या सदन प्रस्तुत की जाती है। दोषी पाये जाने पर मतदान कराया जाता है। प्रस्ताव पारित होने के लिए दो तिहाई सांसदों का समर्थन मिलना आवश्यक है।

प्रधानमन्त्री- संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सामान्यतः लोकसभा में बहुमतदल के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। परन्तु यदि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से सबसे बड़े दल अथवा गठबन्धन के नेता को

इसे भी जाने--

- सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ सन् 1993 में पहली बार महाभियोग लगा था। दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण यह प्रस्ताव लोक सभा में पारित नहीं हुआ था।

प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। इस स्थिति में नियुक्त प्रधानमन्त्री को निश्चित समय में लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। प्रधानमन्त्री लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन

का सदस्य हो सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 ई. में दिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमन्त्री या मन्त्रि नियुक्त कर सकता है, जो किसी भी सदन का सदस्य न हो लेकिन ऐसे व्यक्ति को पद ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर संसद के किसी भी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) की सदस्यता

लेनी अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमन्त्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है परन्तु जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही वह अपने

इसे भी जाने--

- प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री 'नीति आयोग' का प्रमुख होता है।
- वर्तमान में भारत के प्रधानमन्त्री को 1,60,000 मासिक वेतन सहित अन्य भत्ते प्रदान मिलते हैं।
- वर्तमान में भारत के केन्द्रीय मन्त्रियों को 1,00,000 मासिक मूल वेतन सहित अन्य भत्ते मिलते हैं।

पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद के मध्य प्रधानमन्त्री सेतु का कार्य करता है। सांसदों को उनकी वरिष्ठता व राजनीतिक महत्त्व के अनुसार मन्त्रिमण्डल में कैबिनेट मन्त्री, राज्य मन्त्री या उप मन्त्री बनाया जाता है। प्रधानमन्त्री के त्याग पत्र देने की स्थिति में मन्त्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है।

मन्त्रिपरिषद- अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है, जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होता है। मन्त्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मन्त्रिपरिषद में कैबिनेट मन्त्री, राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) व उपमन्त्री तीन प्रकार के मन्त्री होते हैं। प्रधानमन्त्री और कैबिनेट

मन्त्री मिलकर मन्त्रिमण्डल कहलाता है। मन्त्रिपरिषद् के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

स्थायी कार्यपालिका- भारत में स्थायी कार्यपालिका के रूप में समस्त नौकरशाही को जाना जाता है।

इसे भी जाने--

- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003 ई.) के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या सदन (केन्द्र में लोकसभा एवं राज्यों में विधानसभा) की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

यह कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के नियन्त्रण में कार्य करती है। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाये गए कानूनों का क्रियान्वन एवं पालना का कार्य स्थायी कार्यपालिका करवाती है। स्थायी कार्यपालिका में

अखिल भारतीय सेवाएँ, प्रान्तीय सेवाएँ, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के समस्त अधिकारी सम्मिलित हैं। यह कार्यपालिका राजनीतिक रूप से तटस्थ होती है।

न्यायपालिका- न्यायपालिका भारतीय शासन व्यवस्था का तीसरा अङ्ग है। व्यक्तियों, व्यक्ति समूहों और सरकार के मध्य विवादों को स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से निराकरण करने तथा संविधान की रक्षा करने

के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

से आशय विधायिका और

कार्यपालिका, न्यायपालिका

के कार्यों में किसी भी प्रकार की

बाधा न पहुँचाएँ, ताकि वह

सुचारू रूप से निष्पक्ष रह कर

कार्यों का निष्पादन कर सके।



चित्र- 14.3 सर्वोच्च न्यायालय

इसके अतिरिक्त न्यायपालिका वित्तीय रूप से कार्यपालिका या विधायिका पर निर्भर नहीं होती है।

न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों के लिए विधायिका की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायाधीशों

के कार्यों व निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना

का दोषी पाया जाता है, तो न्यायपालिका को उसे दण्डित करने का अधिकार है। संसद न्यायाधीशों के

आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है, जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव (महाभियोग) पर विचार कर

रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से निर्णय करती है।

न्यायपालिका के कार्य- न्यायपालिका के कार्यों को मोटे तौर पर निम्न भागों में विभाजित किया गया है-

1. **विवादों का निराकरण-** न्यायपालिका द्वारा नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों तथा केन्द्र व राज्यों के बीच पैदा होने वाले विवादों का निराकरण किया जाता है।
2. **न्यायिक समीक्षा-** संविधान की व्याख्या का अधिकार केवल भारत की न्यायपालिका के पास ही है। यदि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जा सकता है, उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है।
3. **कानून की सुरक्षा व मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन-** संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा का कार्य भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह न्यायपालिका की शरण लेकर उनकी सुरक्षा की मांग कर सकता है।

न्यायपालिका की संरचना- भारतीय संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, इसके अधीन राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अधीन जिला स्तर पर जिला न्यायालय व इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय स्थापित हैं।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय- यह देश में न्यायिक क्षेत्र की सर्वोपरी संस्था है, जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके गठन से सम्बन्धित प्रावधान अनुच्छेद-124 में दिए गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी, 1950 को हमारे देश में संविधान लागू होने पर फेडरल कोर्ट के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया।

मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 (01 मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश) है। मुख्य न्यायाधीश का पद भारत में सर्वोच्च न्यायिक पद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को CJI (चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया) भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। इनके वेतन-भत्ते और न्यायालय के प्रशासनिक व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित किया जाता है।

न्यायाधीशों के लिए योग्यताएँ- वह भारत का नागरिक हो। किसी उच्च न्यायालय वह कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो अथवा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।

न्यायाधीशों को पद से हटाना- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है। न्यायाधीशों को केवल कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।

इसे भी जाने--

- कार्यकाल- न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं किन्तु इससे पूर्व भी वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार- भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के व्यापक क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है।

1. **मौलिक या प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार-** यह निम्न मामलों में प्राप्त है -

- i. भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में।
- ii. भारत संघ के दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों में।
- iii. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों के प्रश्न निहित हैं।

2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार-** देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अन्तर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं- i. संवैधानिक मामले ii. दीवानी मामले iii. फौजदारी मामले।

3. **परामर्शदायी क्षेत्राधिकार-** राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्त्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है इसलिए इसे सर्वोच्च परामर्शदात्री संस्था कहा जाता है।

4. **पुनर्विचार सम्बन्धी क्षेत्राधिकार-** संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है।

5. **मौलिक अधिकारों का रक्षक-** सर्वोच्च न्यायालय जनता के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। संविधान का अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक

अधिकारों के हनन होने पर आवश्यक कार्यवाही करता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है।

सारणी 14.3

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी लेखों की सूची

लेख/आदेश	कार्य
बन्दी प्रत्यक्षीकरण	गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई के आदेश।
परमादेश	कर्तव्य पालन का आदेश।
प्रतिषेध	अधीनस्थ न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र न होने पर, सुनवाई नहीं करने का आदेश।
उत्प्रेषण	लंबित मुकदमों के निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश।
अधिकारपृच्छा	सैवधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्यों को करने पर, न्यायालय द्वारा जारी आदेश।

उच्च न्यायालय- राज्य न्यायपालिका, उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है किन्तु संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय भी गठित कर सकती है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या किसी न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। यह भी अभिलेख न्यायालय होता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है।

जिला न्यायालय- जिला स्तर पर न्याय सुलभ कराने हेतु जिला न्यायालय स्थापित किये गये हैं। इन न्यायालयों में जिला स्तर पर प्रस्तुत मुकदमों तथा निचली अदालतों के निर्णयों पर की गई अपील की सुनवाई की जाती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले की सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और न्यायिक अधिकारी होता है। इन्की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है।

अधीनस्थ न्यायालय- इस प्रकार के न्यायालय सबसे निचले स्तर पर होते हैं। उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, इन्हें संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। इनका गठन राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया जाता है। विभिन्न राज्यों में इनके अलग-अलग नाम और श्रेणियाँ हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय के अन्य कार्य भी हैं जैसे- लोक अदालत, विधिक सहायता समिति, जनहित याचिका आदि। इनका अध्ययन हम पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं।

इसे भी जाने--

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय (उत्तर प्रदेश) देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है जहाँ कुल 160 न्यायाधीश कार्यरत हैं तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सबसे छोटा उच्च न्यायालय है जहाँ 13 न्यायाधीश कार्यरत हैं। देश का 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2019 को आंध्रप्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया।

सारणी 14.4

भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ	
पहली अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रदेशों की सूची
द्वितीय अनुसूची	राष्ट्रपति, राज्यपालों, राज्य सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची।
तीसरी अनुसूची	शपथ का प्रारूप।
चौथी अनुसूची	राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान।
पाँचवीं अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण का प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची	मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची।
नौवीं अनुसूची	कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान।
दसवीं अनुसूची	दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान।
ग्यारहवीं अनुसूची	पञ्चायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व।
बारहवीं अनुसूची	नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व।



प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. संघीय कार्यपालिका का.....वास्तविक प्रमुख होता है।
अ. प्रधानमन्त्री ब. राष्ट्रपति
स. मन्त्रिपरिषद् द. सभी
2. निम्न में से वह संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है।
अ. जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना।
ब. संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका।
स. जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है।
द. ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो।
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए..... प्रस्ताव लाया जाता है।
अ. लोकसभा में ब. राज्य सभा में
स. संसद के किसी भी सदन में द. संसद के दोनों सदनों में एक साथ
4. राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन से सम्बन्धित अनुच्छेद..... है।
अ. अनुच्छेद 124 ब. अनुच्छेद 130
स. अनुच्छेद 214 द. अनुच्छेद 219
5. विधायिका को अन्य नाम..... से जाना जाता है।
अ. कार्यपालिका ब. न्यायपालिका
स. व्यवस्थापिका द. उपर्युक्त में से कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। (प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति)
2. लोकसभा की गणपूर्ति के लिए सदस्य आवश्यक हैं। ($\frac{1}{10}$ / $\frac{1}{3}$)
3. देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। (उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय)
4. भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या..... है। (25/30)

सत्य/असत्य बताइए -

1. भारत में संघीय व्यवस्था प्रचलित है।	सत्य/असत्य
2. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।	सत्य/असत्य
3. तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिये जाते हैं।	सत्य/असत्य
4. सर्वोच्च न्यायालय जनता के मौलिक अधिकारों का रक्षक है।	सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. बजट सत्र	क. नवम्बर से दिसम्बर के मध्य
2. मानसून सत्र	ख. फरवरी से मई के मध्य
3. शीतकालीन सत्र	ग. राष्ट्रपति
4. संयुक्त सत्र	घ. जुलाई से सितम्बर के मध्य

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. अतारांकित प्रश्न से क्या आशय है ?
2. राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है ?
3. सरकार के तीन मुख्य अङ्ग कौन-कौनसे हैं ?
4. भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. विधायिका किसे कहते हैं ?
2. विधेयक किसे कहते हैं? इसके प्रकार भी बताइए ?
3. राष्ट्रपति पद पर हेतु कौन-कौनसी योग्यताएँ आवश्यक हैं ?
4. अनुच्छेद 360 के बारे में बताइए।
5. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से क्या आशय है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. संसद के क्या-क्या कार्य हैं? उनका वर्णन कीजिए।
2. कार्यपालिका सरकार का महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं। कैसे ? समझाइए।
3. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियों के बारे में विस्तार से लिखिए।

परियोजना कार्य-

1. लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया की जानकारी संग्रहित कीजिए।

अध्याय - 15

स्थानीय शासन

इस अध्याय में- स्थानीय सरकार की आवश्यकता, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का विकास, 73वाँ संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, 74वाँ संविधान संशोधन, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन।

भारत में स्थानीय शासन की परम्परा प्राचीन समय से ही रही है। उस समय भी स्थानीय शासन को ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। शास्त्रों में ग्रामणी, ग्रामाधिपति, रेड्डी, पञ्चायतन आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ग्रामणी को राज्यकृत कहा गया है। वह ग्राम प्रमुख होने कारण राजा के निर्वाचन में भाग लेता था। यथा- ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च। (3.5.7) इसी प्रकार यजुर्वेद में ग्रामणी का सेनापति के रूप में उल्लेख है- सेनानी ग्रामण्यौ। (15.15.19) कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि में भी स्थानीय शासन के विषय में वर्णन मिलता है। स्थानीय शासन से आशय है शासन की समस्त बागडोर स्थानीय लोगों के पास होना अर्थात् स्थानीय जनता समस्त शासन का सञ्चालन करती है।

स्थानीय सरकार की आवश्यकता- स्थानीय सरकार में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। यह आम आदमी के सबसे नजदीक की शासन व्यवस्था है। स्थानीय शासन में मुखिया स्थानीय लोगों के बीच का ही कोई व्यक्ति होता है। वह लोगों के काम आसानी से व तुरंत प्रभाव से कर देता है क्योंकि उसका अपने लोगों से आत्मिक जुड़ाव होता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय शासन में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है। महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्वशासन से लोगों में नियोजन और संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन की भावना पैदा होती है, इसे स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है।

आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का विकास- 1882 ई. में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव लाया गया था इसीलिए लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में 'स्थानीय शासन का जनक' कहा जाता है। 'भारत शासन अधिनियम 1919' द्वारा स्थानीय शासन को प्रान्तीय सरकारों के क्षेत्र में दे दिया गया। संविधान की सातवीं अनुसूची में स्थानीय शासन

को राज्य सूची का विषय बनाया गया। महात्मा गाँधी ने 'ग्राम स्वराज्य' की कल्पना की थी। उनके अनुसार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ग्राम पञ्चायतों को मजबूत बनाना। स्थानीय लोगों की भागीदारी विकास के प्रत्येक क्षेत्र में होनी चाहिए। संविधान में स्थानीय शासन को पर्याप्त

सारणी 15.1	
समिति का नाम	गठन वर्ष
बलवंत राय मेहता समिति	1957 ई.
हरिशचन्द्र माथुर समिति	1963 ई.
अशोक मेहता समिति	1977 ई.
सिंघवी समिति	1987 ई.
पी. के. थुंगण समिति	1988 ई.

महत्त्व नहीं मिला था क्योंकि देश-विभाजन के कारण संविधान का झुकाव केन्द्र को मजबूत बनाने का रहा। देश में जब उथल-पुथल का दौर समाप्त हुआ व स्थिरता आई, उसके पश्चात संविधान में स्थानीय शासन को मजबूत व सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर कई अहम संशोधन हुए। स्थानीय शासन (पञ्चायती राज)

को स्थापित करने, सुदृढ़ करने व उसमें जन सहभागिता व अधिकार व शक्तियों के विभाजन आदि के लिए समय-समय पर कई समितियों का गठन किया गया है।

73वाँ संविधान संशोधन (1992 ई.)- स्थानीय ग्रामीण शासन को दृढ़ता देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने संविधान में 73वाँ संशोधन किया। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 (ए) जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243(क) से 243(ण) तक पञ्चायतीराज का उल्लेख है। पञ्चायतीराज को इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 ई. को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। इस संशोधन के द्वारा पञ्चायती राज को त्रिस्तरीय

इसे भी जाने-

- बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर, 1959 ई. को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरीगाँव से हुई थी।

ढाँचा प्रदान किया गया, जिसके अनुसार सबसे नीचे ग्राम पञ्चायत, मध्य स्तर पर पञ्चायत समिति व उच्च स्तर पर जिला परिषद होती है। इनको अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था है। राज्य वित्त आयोग पञ्चायती राज संस्थाओं को संचित निधि से अनुदान की सिफारिश करता है।

ग्राम पञ्चायत- ग्राम पञ्चायत ग्रामीण स्थानीय शासन के त्रि-स्तरीय ढाँचे में अन्तिम स्थान पर होती है। ग्राम पञ्चायत समय-समय पर ग्राम सभा का आयोजन करती है, जिसमें पञ्चायत क्षेत्र के सभी निवासी भाग लेते हैं। ग्राम पञ्चायत का मुखिया सरपंच कहलाता है, जिसे ग्राम पञ्चायत के पंजीकृत मतदाता

चुनते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सरपंच पद हेतु उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

पञ्चायत समिति- यह ग्रामीण स्थानीय शासन का मध्यम स्तर होता है। इसका मुखिया प्रधान या क्षेत्र प्रमुख कहलाता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस पद हेतु उम्मीदवार का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

जिला परिषद- यह ग्रामीण स्थानीय शासन का सबसे उच्च स्तर होता है। इसका मुखिया जिला प्रमुख कहलाता है जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। जिला प्रमुख पद हेतु भी उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

विषयों का हस्तान्तरण- संविधान की 11वीं अनुसूची में पञ्चायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं किन्तु वास्तविक हस्तान्तरण राज्य सरकार की शक्ति है कि वह स्थानीय शासन को कितने विषय हस्तांतरित करती है। ये सारे विषय स्थानीय विकास व कल्याण की आवश्यकताओं से सम्बन्धित होते हैं।

राज्य चुनाव आयोग- स्थानीय शासन संस्थाओं में चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। राज चुनाव आयोग का मुखिया राज्य चुनाव आयुक्त होता है।

74वाँ संविधान संशोधन(1992 ई.)- 74वाँ संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू किया गया था। इसका सम्बन्ध नगरीय स्थानीय शासन से है। इस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें भी त्रिस्तरीय ढाँचा होता है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम होते हैं। नगरीय स्थानीय शासन में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को सीटों में आरक्षण की व्यवस्था है।

नगरपालिका- नगरपालिका का गठन 20 हजार से 1 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। इसका मुखिया अध्यक्ष या चेयरमैन कहलाता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस पद हेतु उम्मीदवार का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

नगर परिषद- नगर परिषद का गठन 1 लाख से 5 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। इसका मुखिया सभापति कहलाता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस पद हेतु उम्मीदवार का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

नगर निगम- नगर निगम का गठन 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। नगर निगम का मुखिया महापौर या मेयर कहलाता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस पद हेतु उम्मीदवार का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

उपर्युक्त संस्थाओं के गठन का आधार जनसंख्या होती है। शहरी निकायों में सभी प्रावधान जैसे चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त आदि सभी प्रावधान 73वें संशोधन के समान ही लागू हैं।

73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन- 73वें और 74वें संशोधन के प्रावधान सभी राज्यों में लागू हो चुके हैं। वर्तमान में ग्रामीण स्थानीय शासन में सम्पूर्ण भारत में 2,50,000 ग्राम पञ्चायतें, 6,000 पञ्चायत समितियाँ (नगर पञ्चायत) 780 जिला परिषदें हैं। वर्तमान में स्थानीय शासन में सम्पूर्ण भारत में 1400 नगर पालिकाएँ, 2,000 नगर परिषदें व लगभग 100 नगर निगम हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी व स्थानीय विकास के लिए इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

प्रश्नावली

बहु विल्कपीय प्रश्न-

1. नगर निगम का कार्यकाल.....का होता है।
अ. 5 वर्ष ब. 9 वर्ष स. 6 वर्ष द. 7 वर्ष
2. सन् में 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन लागू किया गया था।
अ. 1991 ब. 1992 स. 1993 द. 1994
3. सन् बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया था।
अ. 1991 ब. 1992 स. 1957 द. 1994

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत में स्थानीय शासन का जनक को माना जाता है। (लॉर्ड रिपन/लॉर्ड डलहौजी)
2. पञ्चायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश ने की।
(सिंघवी समिति/ बलवंतराय मेहता समिति)
3. स्थानीय शासन के चुनाव द्वारा सम्पन्न होते हैं।
(केन्द्रीय निर्वाचन आयोग/राज्य चुनाव आयोग)
4. संविधान के अनुच्छेद तक में पञ्चायतीराज का उल्लेख है।
(243 (क) से 243 (ण)/240 से 241)

सत्य/असत्य बताइए-

1. ग्राम पञ्चायत का मुखिया प्रधान कहलाता है।	सत्य/असत्य
2. 73 वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से सम्बन्धित है।	सत्य/असत्य
3. पञ्चायती राज संस्थाओं को 21 विषय हस्तान्तरित किये गये थे।	सत्य/असत्य

4. वैदिक वाङ्मय में ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा गया है।

सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. ग्राम पञ्चायत	क. महापौर
2. पञ्चायत समिति	ख. सरपंच
3. जिला परिषद	ग. क्षेत्र प्रमुख
4. नगर निगम	घ. जिला प्रमुख

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. स्थानीय शासन से क्या आशय है?
2. ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन के 3 स्तर कौन-कौन से हैं?
3. भारत में आधुनिक स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है?
4. नगर निगम का मुखिया कौन होता है?
5. स्थानीय शासन के त्रि-स्तरीय ढाँचे का सुझाव किस समिति ने दिया था?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. नगरीय स्तर पर स्थानीय शासन के 3 स्तर कौन-कौन से हैं?
2. प्राचीन भारत में स्थानीय शासन को समझाइए।
3. जिला परिषद का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. संविधान के 73वें संशोधन को समझाइए।
2. आधुनिक भारत में स्थानीय शासन के विकास को समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. स्थानीय शासन को आरेख (डायग्राम) द्वारा समझाइए।



अध्याय-16

भारत के पड़ोसी देश

इस अध्याय में- भारत व पड़ोसी देश, भारत-चीन सम्बन्ध, भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध, भारत-नेपाल सम्बन्ध, भारत-भूटान सम्बन्ध, भारत-म्यांमार सम्बन्ध, भारत-श्रीलंका सम्बन्ध, भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध, भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक तथा विश्व की पाँचवी बड़ी अर्थव्यवस्था व्यवस्था वाला देश है। प्राचीन काल से ही भारत के व्यापारिक, सांस्कृतिक व धार्मिक सम्बन्ध सम्पूर्ण विश्व से रहे हैं। समय के साथ-साथ भारत का स्वरूप परिवर्तित होता रहा है परन्तु भारत के मैत्री सम्बन्ध विश्व के देशों से बने रहे हैं। इसका प्रमुख कारण भारत सामरिक दृष्टि से कभी आक्रामक नहीं रहा है। हमारे वैदिक वाङ्मय में विश्व शान्ति और कल्याण की भावना अनेक स्थानों पर दृष्टिगोचर हुई



मानचित्र 16.1 भारत के पड़ोसी देश

है। श्रीमद्भगवद् गीता में जीवों के प्रति उदात्त भावना इस प्रकार अभिव्यक्त हुई है- **समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ (13.27)** अर्थात् जो पुरुष नाशवान सम्पूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाशरहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। **अयं निजः परा वेति गणना लघु चेतसाम्। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ (महोपनिषद् 4.71)** अर्थात् यह मेरा है, वह पराया है। ऐसे विचार संकीर्ण मन वाले लोगों के होते हैं। उदार हृदय वाले लोग सम्पूर्ण विश्व को ही अपना कुटुम्ब मानते हैं। इस चिन्तन से स्पष्ट है कि भारतीय लोगों की संसार के लोगों के प्रति उदार, समानता, स्वतन्त्रता, मैत्री आदि का भाव प्रकट होता है, जो भारत की विदेश नीति का आधार है। महा वाक्य 'वसुधैव कुटुम्बकम्' हमारी संसद के प्रवेश द्वार संख्या-6 पर अंकित है। विश्व बन्धुत्व, अहिंसा और शान्ति की यह धारा समय-समय पर महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कबीर, नानकदेव, महात्मा गाँधी जैसे चिन्तकों के चिन्तन में प्रवाहित होती रही है। भारतीय

विदेश नीति में इन सिद्धान्तों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। जिनके आधार पर ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों एवं विश्व के अन्य देशों से सम्बन्ध स्थापित किए हैं।

भारत व पड़ोसी देश- भारत भौतिक दृष्टि से एक उपमहाद्वीप प्रदेश है। भारत के 17 राज्यों की सीमा 8 देशों से लगती है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, दक्षिण में श्रीलंका एवं पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार तथा पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान पड़ोसी देश हैं। निम्न सारणी द्वारा हम भारत के पड़ोसी देश, उनसे लगने वाली भारत की कुल सीमा व उनसे सीमा बनाने वाले राज्यों को समझेंगे-

सारणी 16.1

क्रं.	देश	कुल सीमा (भारत की)	सीमा बनाने वाले राज्य
1	चीन	3488 किमी.	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
2	नेपाल	1751 किमी.	बिहार, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम
3	भूटान	699 किमी.	असम, पश्चिम बङ्गाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम
4	बांग्लादेश	4096 किमी. (सर्वाधिक सीमा)	पश्चिम बङ्गाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
5	म्यांमार (वर्मा)	1643 किमी.	अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम
6	पाकिस्तान	3323 किमी.	जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब
7	अफगानिस्तान	106 किमी. (न्यूनतम सीमा)	जम्मू कश्मीर

कुछ देशों को छोड़कर (विशेषतः पाकिस्तान व चीन) भारत के अपने पड़ोसी देशों से सम्बन्ध अच्छे रहे हैं। आइये भारत के पड़ोसी देशों से सम्बन्धों को जानते हैं-

भारत-चीन सम्बन्ध- चीन, भारत का प्रमुख पड़ोसी देश है। प्राचीनकाल से ही भारत और चीन के सम्बन्ध सांस्कृतिक और व्यापारिक रहे हैं। चीन के विदेशी आधिपत्य से मुक्त (1949 ई.) होने पर भारत ने ही सर्वप्रथम चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1954 ई. में दोनों देश के मध्य पंचशील समझौता हुआ और 1955 ई. में बाण्डुंग (इण्डोनेशिया) सम्मेलन में दोनों देशों ने एक-दूसरे का पूर्ण सहयोग करते हुये हिन्दी-चीनी, भाई-भाई का नारा दिया था।

भारत की विशाल जनसंख्या, शक्ति और प्राकृतिक संसाधनों की सम्पन्नता के कारण चीन प्रारम्भ से ही भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानता है। चीन की विस्तारवादी और एशिया पर एकाधिकार की नीति के कारण भारत और चीन सम्बन्धों में 1957 ई. से 1978 ई. का कालखण्ड टकराव और तनाव का रहा है। चीन अपरोक्ष रूप से भारत के साथ विद्वेषपूर्ण भाव रखता रहा है। जिसकी परिणति चीन-तिब्बत विवाद और भारत-चीन सीमा विवाद के रूप प्रकट हुई। चीन-तिब्बत विवाद के अन्तर्गत 1958 ई. में तिब्बत में हुए विद्रोह का नेतृत्व आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किया और चीन ने शीघ्र ही इस विद्रोह का दमन कर दिया। इस कारण 10 मार्च, 1959 ई. में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी।

1950-51 ई. के चीन ने अपने मानचित्र में भारत के एक बड़े भू-भाग को अपना अङ्ग बताया था। भारत सरकार के विरोध करने पर चीन ने इसे कोमिन्तांग सरकार का पुराना मानचित्र बताकर बात को टाल दिया था। पञ्चशील समझौते के पश्चात भारत ने चीन से अपने समस्त विवादों की इति मानली थी परन्तु चीन ने धीरे-धीरे भारतीय सीमा क्षेत्रों को अपना क्षेत्र मानते हुए अपनी सैन्य शक्ति स्थापित करने लगा था। जब भारत ने इसका विरोध किया तो चीन ने उल्टा भारत पर आरोप लगाते हुए 23 जनवरी, 1959 ई. को भारत को लिखे पत्र में कहा कि भारत और चीन के मध्य सीमाओं का निर्धारण कभी नहीं हुआ। यह चीन के विरुद्ध भारत के साम्राज्यवादी षड्यन्त्र का परिणाम है। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 1962 ई. चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारतीय सेनाओं ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए चीनी आक्रमण का जवाब दिया परन्तु सैन्य स्तर पर भारत की पराजय हुई। चीन ने इस युद्ध में भारत के बड़े भू-भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। इस युद्ध के उपरान्त भारत ने चीन से अपने सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद कर लिए। एक लम्बे गतिरोध के बाद 1978 ई. में चीन से भारत को यह कूटनीतिक संकेत प्राप्त होने लगे थे कि वह भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने का इच्छुक है। इस कड़ी में चीनी सरकार के बुलावे पर तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने चीन की यात्रा की परन्तु चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण किए जाने कारण यह यात्रा अधूरी रही। परन्तु इसके पश्चात दोनों देशों ने एक दूसरे की महत्ता को समझते हुए अपने सम्बन्धों को सामान्य करने एवं व्यापार को बढ़ा देने हेतु सार्थक प्रयास किए हैं। इस सन्दर्भ में चीन और भारत के बीच कई बार शान्ति वार्ताएँ और समझौते/सन्धियाँ हो चुके हैं। परन्तु विश्वासघाती चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और भी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के कुछ क्षेत्रों पर चीन अपना अधिकार जताता है। जिसका तत्कालिक उदाहरण चीन ने 15 जून, 2020 को भी गलवान

इसे भी जाने-

- 9 दिसम्बर, 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत- चीन सीमा के मध्य झड़प हुई, जिसमें चीनी सेना को अधिक नुकसान हुआ है।

घाटी (लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य स्थित क्षेत्र) में घुसपैठ की कोशिश की जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को छोड़कर, आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सम्बन्ध मजबूत हुए हैं। वर्तमान समय में विश्व मंच पर भारत की शक्ति और प्रगति को चीन भली-भाँति समझता है। इसलिए भारत से सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सितम्बर, 2014 ई. में भारत यात्रा की थी। इसके पश्चात भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी भी मई, 2015 ई. में चीन की यात्रा पर गए थे। यदि भारत और चीन का सीमा विवाद हल हो जाए तो वैश्विक राजनीति में दूरगामी परिणाम दृष्टिगोचर होंगे।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध- उत्तर-पश्चिम में भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान है। 1947 ई. से पूर्व पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था लेकिन दो राष्ट्र विचारधारा के कारण भारत को विभाजन स्वीकार करना पड़ा और पाकिस्तान नाम के नये राष्ट्र का उदय हुआ। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के पश्चात भारत-पाक विभाजन के कारण एक नये संघर्ष का युग का प्रारम्भ हुआ, जिससे इस क्षेत्र से शान्ति का ही लोप हो गया। इस संघर्ष को भारत-पाकिस्तान संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है।



चित्र 16.2- ताशकन्द समझौता

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के प्रमुख कारण विभाजन से उत्पन्न समस्याएँ, कश्मीर विवाद, पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति आदि रहे हैं। पाकिस्तान ने 1965 ई., 1971 ई. और 1999 ई. में भारत पर आक्रमण किए। पाकिस्तान के इन आक्रमणों का जवाब भारतीय सेना ने, उसे परास्त कर दिया है। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अनेक प्रकार की कूटनीतिक चालें, सीमा उल्लंघन और आतंकी कार्यवाही करवाता रहता है, जैसे- 13 दिसम्बर, 2001 ई. को भारतीय संसद भवन, 26 नवम्बर, 2008 ई. को मुम्बई के ताज होटल, 14 फरवरी, 2019 ई. को पुलवामा में आतंकवादी हमले इसी के उदाहरण हैं।

भारत प्रारम्भ से शान्तिपूर्ण तरीके से कश्मीर सहित सभी विवादों को हल करने के पक्ष में रहा है। इसी क्रम में अब तक दोनों देशों के मध्य सिन्धु जल समझौता (1960 ई.), 1966 ई. में ताशकन्द समझौता (लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान) व 1972 ई. में शिमला समझौता (इन्दिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो), 1999 ई. में लाहौर समझौता (अटल बिहारी वाजपेयी एवं नवाज शरीफ) हो

चुके हैं। शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 22 जुलाई, 1976 ई. को समझौता एक्सप्रेस के नाम से रेल सेवा आरम्भ की गई, जो वर्तमान में बन्द है। फरवरी, 1999 ई. में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा के माध्यम से मित्रता की पहल की लेकिन पाकिस्तान ने फिर से विश्वासघात करके मई, 1999 ई. में भारत के कारगिल पर आक्रमण कर दिया। भारत ने 'ऑपरेशन विजय' चलाकर पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त किया था।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भी दोनों देश एक-दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। पाकिस्तान को भारत का विश्वास प्राप्त करने के लिए अपने यहाँ से संचालित होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को तुरन्त रोककर, सैन्य खर्च को कम करना चाहिए। पाकिस्तान से किए गए हर मैत्री प्रस्ताव का हमें स्वागत करना चाहिए तथा दोनों देशों को मिलकर हर संभव विकास में मदद करनी चाहिए।

इसे भी जाने-

- कारगिल विजय की स्मृति में हम प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं।

भारत-नेपाल सम्बन्ध- नेपाल, भारत का पड़ोसी देश है। उत्तर में नेपाल की सीमा चीन से लगती है तथा अन्य सभी ओर से यह भारत से घिरा हुआ होने के कारण नेपाल का भारत के लिए सामरिक महत्व अधिक है। भारत-नेपाल के मध्य 1950 ई. में शान्ति और मैत्री सन्धि भी हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत दोनों देश सुरक्षा की दृष्टि से पारस्परिक सहयोग करेंगे और किसी भी भ्रामक स्थिति में परस्पर संवाद स्थापित करके मित्रता के सम्बन्ध का निर्वाह करेंगे। भारत ने ही नेपाल को संयुक्त राष्ट्र संघ की 1955 ई. में सदस्यता दिलवाई थी। कई बार भारत-नेपाल सम्बन्धों में मतभेद प्रकट होते हैं। इन मतभेदों का प्रमुख कारण पारगमन सन्धि की समाप्ति पर नेपाल में हुए भारत विरोधी प्रदर्शन, नेपाल का साम्यवादी चीन की ओर झुकाव, ल्हासा- काठमाण्डू सड़क मार्ग का निर्माण, संयुक्त राष्ट्र संघ में शान्ति क्षेत्र घोषित करने की माँग, नेपाल में संचालित होने वाली भारत विरोधी गतिविधियाँ आदि हैं।

प्राचीनकाल में नेपाल भारत का ही अङ्ग था, जिसकी पुष्टि आदि काव्य रामायण में उल्लेखित राजा

इसे भी जाने-

- उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 23 मार्च, 1989 ई. में पारगमन व द्विपक्षीय सन्धि की समाप्ति पर, नेपाल में हुए भारत विरोधी प्रदर्शन के कारण 728 कि.मी. लम्बी नेपाल-उत्तर प्रदेश सीमा पर नेपाल के 12 बाजारों के 5500 भारतीय दुकानदारों में से 4000 दुकानदार अपनी दुकान बन्द करके भारत आ गये थे।

जनक के राज्य जनकपुर से होती है, जो वर्तमान में नेपाल में है। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में मिलेंगे, जो नेपाल को भारत का ही एक क्षेत्र मानते हैं। प्राचीन काल से ही भारत और नेपाल में बहुत अधिक सांस्कृतिक समानताएँ रही हैं सम्भवतः इसी कारण दोनों के मध्य कभी



कोई विशेष विवाद नहीं रहा है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा-पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ-जा सकते हैं। उपरोक्त समानताओं के कारण ही आज नेपाल के बड़ी संख्या में छात्र और नागरिक भारत के विद्यालयों, वेद पाठशालाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन सहित अन्य कार्य कर रहे हैं।

अन्त में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि नेपाल, चीन को प्रसन्न रखने के लिए, भारत और चीन के साथ समदूरी सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्ध रखना चाहता है। भारत के लिए नेपाल का सामरिक और साँस्कृतिक महत्त्व अत्यधिक है इसलिए भारत नेपाल से विशिष्ट प्रकार के सम्बन्ध चाहता है। भारत ने सदैव ही नेपाल को एक छोटे भाई का स्थान देकर उसके विकास की परियोजनाओं में बढ़-चढ़ कर सहायता की है।

इसे भी जाने-

- नेपाल के सामरिक महत्त्व को भारतीय संसद में स्पष्ट करते हुए 17 मार्च, 1950 को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि नेपाल पर कोई भी सम्भावित आक्रमण निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।

भारत-भूटान सम्बन्ध- भूटान, भारत न केवल पड़ोसी और मित्र राष्ट्र है अपितु दोनों के मध्य इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक परम्पराओं की दृष्टि से भी सम्बन्ध है। अगस्त 1949 ई. में दोनों देशों के बीच एक मैत्री सन्धि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अन्तर्गत दोनों देश पारस्परिक रूप से शान्ति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के आन्तरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस सन्धि की धारा-2 के अनुसार भारत, भूटान के विदेशी मामलों में मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करेगा तथा भूटान को भारत की सलाह माननी होगी। भूटान की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी भारत की होगी। भारत ने भूटान की कृषि, सिंचाई, सड़क परियोजनाओं सहित उसके आर्थिक विकास में निरन्तर सहयोग किया है। भूटान की चुक्ख हाइड्रोपावर परियोजना, पेनडेना सीमेण्ट कारखाना, राजधानी विकास, पुराने मठ और मन्दिरों के जीर्णोद्धार आदि के कार्य भारत सरकार के सहयोग से हुए हैं, जिससे भूटानी अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिली है। आज भूटान द्वारा भारत को बिजली का निर्यात भी किया जा रहा है। भारत, भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है।

भारत-भूटान सम्बन्धों में 1949 ई. की मैत्री संधि की धारा-2 की व्याख्या को लेकर कभी-कभी

इसे भी जाने-

- जून 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना था।

मतभेद उभरते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार चीनी चरवाहे भी भूटान की सीमा में भेड़ चराने के बहाने भूटान की सीमाओं में अतिक्रमण करते हैं, जो भारत के लिए चिन्ता का विषय है। चीन, अमेरीका, रूस और अन्य यूरोपियन देश भूटान

की सामरिक अवस्थिति का लाभ उठाने के लिए लालायित रहे हैं इसलिए भूटान, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है।

भारत-म्यांमार सम्बन्ध- ऐतिहासिक, साँस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भारत और म्यांमार(बर्मा) के सम्बन्ध निकटता के हैं। भारत ने म्यांमार के साथ मजबूत और वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं। 2010 ई. में लोकतन्त्र की स्थापना के पश्चात भारत-म्यांमार सम्बन्ध

इसे भी जाने-

- म्यांमार की लोकतन्त्र समर्थक नेता व नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ने कहा था मैं खुद को आंशिक रूप से भारतीय मानती हूँ।

में खुशहाली का दौर शुरू हुआ है। दोनों देशों की सरकारें कृषि, सूचना व प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, स्टील, तेल, प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थ आदि मुद्दों पर एक-दूसरे का सहयोग कर रही हैं।

भारत-श्रीलंका सम्बन्ध- श्रीलंका हिन्द महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। पाक जलडमरूमध्य दोनों देशों के मध्य अन्ताराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है। प्राचीनकाल से ही श्रीलंका और भारत के मध्य धार्मिक, साँस्कृतिक, मैत्रीपूर्ण और आध्यात्मिक सम्बन्ध रहे हैं। आधुनिक राजनीति में श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान भारतीय हस्तक्षेप से दोनों देशों के सम्बन्ध प्रभावित हुए हैं। वहाँ के तमिल समुदाय ने भारत को संदेह की दृष्टि से देखा और इस कारण श्रीलंका में सक्रिय संगठन लिट्टे ने भारत को बहुत बड़ा आघात पहुँचाया था, जिससे दोनों के सम्बन्धों में रिक्तता आई थी। बीते कुछ दशकों में दोनों देशों के सम्बन्धों में परिवर्तन हुआ है। आज राजनीतिक सम्बन्धों के साथ-साथ व्यापार, निवेश, रक्षा आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबूत हुए हैं।

भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध- भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश पूर्व पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता

इसे भी जाने-

- जून 1999 ई. में भारत ने बांग्लादेश के लिए कोलकाता-ढाका बस सेवा प्रारम्भ की थी।
- मार्च 2021 ई. में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ और मतुआ समुदाय के प्रसिद्ध मन्दिर ओरकाण्डी मन्दिर में पूजा अर्चना की थी।

था। लेकिन पाकिस्तानी सरकार के तानाशाही रवैये के कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को दमन का शिकार होना पड़ा था। अत्यधिक संख्या में बांग्लादेशियों द्वारा भारत में शरण लेने के कारण भारत को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती

इन्दिरा गाँधी व अन्ताराष्ट्रीय हस्तक्षेप के पश्चात 6 दिसम्बर, 1971 ई. में बांग्लादेश को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य मैत्री सम्बन्ध तो है लेकिन कुछ

मुहों पर विवाद की स्थिति बनी हुई है, जैसे- गङ्गा व तीस्ता नदी जल विवाद, तीन बीघा गलियारा, न्यूमर द्वीप चकमा शरणार्थी समस्या, बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों द्वारा अवैध रूप से भारत आगमन आदि हैं।

उपरोक्त में से भारत-बांग्लादेश की कुछ समस्याओं जैसे- गङ्गा जल बँटवारा को लेकर फरक्का समझौता (1977 ई.) और गङ्गा जल सन्धि (1996 ई.), तीन बीघा गलियारा समझौता (2011 ई.) आदि हो चुके हैं। भारत ने सदैव ही अपने पड़ोसी देशों की हर सम्भव मदद की है, इसका एक उदाहरण है बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश की स्वतन्त्रता में भारत के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है परन्तु आज वे दूर के पड़ोसी लगते हैं।

भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध- प्राचीनकाल में अफगानिस्तान भारत का अङ्ग था। आज भारत के अफगानिस्तान से भी मिले-जुले सम्बन्ध हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादी सक्रिय है, जिससे भारत भी प्रभावित है। वर्तमान में भारत,

इसे भी जाने-

- सन् 2021 ई. में तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति असरफ गनी को अपदस्थ कर के अफगानिस्तान को अपने अधिकार में ले लिया है।

सारणी 16.2	
देश का नाम	सीमा रेखा का नाम
भारत-चीन	मैकमोहन, वास्तविक नियन्त्रण रेखा
भारत-पाकिस्तान	रेडक्लिफ, नियन्त्रण रेखा
अफगानिस्तान	डूरन्ड रेखा

अफगानिस्तान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय निवेशक है और उसके पुनर्निर्माण के लिए सबसे अधिक प्रतिबद्ध है। बहुत सारे भारतीय कामगार और भारतीय सेना का कुछ भाग अफगानिस्तान में

बड़े पैमाने पर सड़क मार्ग, रेलमार्ग, अस्पताल, स्कूल आदि के निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भारत के शान्ति प्रयासों की संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा भी सराहना की गई है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. अयं निजः परा वेति गणना लघु चेतसाम्। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

.....किस ग्रन्थ से लिया गया है-

अ. रामायण

ब. महाभारत

स. महोपनिषद्

द. हितोपदेश

2. भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है-

अ. 8

ब. 10

स. 6

द. 15

3. पंचशील समझौता हुआ -

अ. भारत-चीन के मध्य

ब. भारत-बांग्लादेश के मध्य

स. भारत-पाकिस्तान के मध्य

द. पाकिस्तान-चीन के मध्य

4. भारत- पाकिस्तान के साथ सीमा विस्तार है-

अ. 3214 किमी.

ब. 2933 किमी.

स. 3323 किमी.

द. 2938 किमी.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत की सर्वाधिक सीमा..... लगती है। (बांग्लादेश/चीन)
2. भारत का प्राचीन नाम है। (आर्यावर्त/सप्त सैन्धव)
3. ताशकन्द समझौता के मध्य हुआ। (भारत-पाकिस्तान/भारत-श्रीलंका)
4. भारत ने बांग्लादेश के लिए.....बस सेवा प्रारम्भ की थी। (जून 1999 ई. / दिसम्बर 1999 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। सत्य/असत्य
2. म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। सत्य/असत्य
3. समझौता एक्सप्रेस भारत-पाकिस्तान के मध्य संचालित होती थी। सत्य/असत्य
4. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च 2021 ई. में बांग्लादेश की यात्रा की थी। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए -

1. उत्तर में	क. पाकिस्तान, अफगानिस्तान
2. दक्षिण में	ख. चीन, नेपाल, भूटान
3. पूर्व में	ग. बांग्लादेश, म्यांमार
4. पश्चिम में	घ. श्रीलंका

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारतीय विदेश नीति के आधार क्या हैं?
2. भारतीय उप महाद्वीप में कौन-कौन से देश शामिल हैं ?
3. भारत-पाकिस्तान का विभाजन किस सिद्धान्त के आधार पर हुआ था?
4. भारत के कौन-कौनसे राज्य चीन से सीमा बनाते हैं ?
5. भारत-भूटान के मध्य मैत्री सन्धि कब हुई थी?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं?

2. भारत-बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद के 3 कारण लिखिए।
3. भारत-नेपाल सम्बन्ध पर टिपणी लिखिये।
4. भारत श्रीलंका सम्बन्धों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को विस्तार से समझाइए।
2. भारत की भौगोलिक स्थिति व आकार के बारे में बताइए।
3. भारत-चीन सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए।

परियोजना कार्य-

1. हमारे पड़ोसी देशों की राजधानी और उनकी मुद्राओं के नाम की सूची बनाइए।





अध्याय- 17

भारतीय अर्थव्यवस्था

इस अध्याय में- प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990 ई.), उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण।

प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था- भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीन काल में बहुत सुदृढ़ थी। हमारे वेदों में आर्थिक चिंतन का आधार जिओ और जीने दो है। अर्थात् इस ब्रह्माण्ड में व्याप्त हर जीव को सामान अधिकार के सहारे जीने का पर्याप्त चिंतन हमारी संस्कृति में रहा है। यहाँ की अर्थ रचना एवं अर्थव्यवहार के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से विचार किया गया है। वैदिक वाङ्मय का अध्ययन नहीं करने वाले अनेक विचारक यह मानते हैं कि भारतीय चिंतन में अर्थ आधारित चिंतन परम्परा थी ही नहीं। भारतीय अर्थचिन्तन के सूत्रों का संकेत हमें वेदों में मिलता है। वैदिक वाङ्मय में सम्पन्नता, धन-धान्य का प्राचुर्य तथा विभिन्न प्रकार की सम्पदा की प्राप्ति एवं इसके उपयोग करने का उल्लेख है। ईशावास्योपनिषद् के प्रथम मन्त्र में उल्लेख है- ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥

इस मन्त्र के भावानुसार त्यागपूर्ण भोग करो, लालच मत करो, यह सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पदा तुम्हारी नहीं है, यह परब्रह्म का आवास है। अतः यह सम्पदा सबकी है। सभ्यता के उषाकाल में ही वैदिक चिंतन में धन के निर्बाध उपयोग एवं एकाधिकार को वर्जित कर दिया था। अब प्रश्न उठता है की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था और चिंतन के बाद भी आज के परिप्रेक्ष्य में हम इतने अर्थ दुर्बल क्यों हैं? लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुद्रा का सबसे पहला प्रयोग इसी भारतभूमि पर हुआ था, वेदों में हिरण्यपिंड का उल्लेख मिलता है। हिरण्य यानी सोना पिंड यानी मुद्रा, उस समय हमारे पूर्वज सोने को निश्चित वजन में बदल कर उससे लेनदेन भी करते थे। वेदों में हमें मौद्रिक विनिमय प्रणाली के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आगे चलकर पाणिनि और पतञ्जली के महाभाष्यों में स्वर्णमुद्राओं के नाम मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग और उसके लाभांश की अत्यन्त विकसित व्यवस्था रही है। लघु उद्योग उस काल की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ थे। समाज का हर वर्ग इस लघु उद्योग के माध्यम से निर्माण और वितरण में संलग्न था। हम अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों का पोषण करते थे, ना की दोहन। परन्तु

कालान्तर में विदेशी आक्रान्ताओं ने हमारे लघु उद्योगों को नष्ट कर, हमारी अर्थव्यवस्था को पतन की ओर अग्रसर कर दिया।

वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल में ब्रिटिश शासन रहा है। औपनिवेशिक भारत को इंग्लैण्ड एक कच्चा माल प्रदायक क्षेत्र और विकास की सीढ़ी समझता था। हम यहाँ स्वतन्त्रता के समय व उसके बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था तथा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आदि के विषय में अध्ययन करेंगे।

इसे भी जाने-

- इतिहासकार अंगस मैडीसन के अनुसार भारत विश्व का सबसे धनी देश था तथा 17वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था।

औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास- प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि रहा है। इसके अतिरिक्त सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग व धातु आधारित उद्योग भी अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में सहायक थे। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया था। अंग्रेजों ने कभी सत्यनिष्ठा से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन ही नहीं किया था। कुछ भारतीय अर्थशास्त्रियों ने अपने स्तर पर ही आकलन किए, जिनमें दादा भाई नौरोजी, डॉ. वी. के. आर. वी. राव, आर. सी. देसाई, फिडले सिराज आदि प्रमुख थे।

कृषि क्षेत्रक- औपनिवेशिक काल में भारत मूलतः कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। उस समय भारत की 85% जनसंख्या कृषि क्षेत्रक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थी। इसके बाद भी कृषि उत्पादकता में उत्तरोत्तर कमी आती रही। इसके पीछे मुख्य कारण भू-व्यवस्था प्रणालियाँ थी। जमींदारी व्यवस्था (पूर्वी भारत/बङ्गाल प्रेसिडेंसी) के कारण समस्त लाभ जमींदार हडप लेते थे। निम्न प्रौद्योगिकी, सिंचाई सुविधाओं के अभाव, उर्वरकों के नगण्य प्रयोग से कृषि उत्पादकता में कमी हो गई थी। किसानों से खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलों (कपास, रेशम, पटसन, नील, गन्ना आदि) का उत्पादन करवाया जाता था। कपास व नील कच्चे माल के रूप में इंग्लैण्ड के कारखानों में भेजा जाता था। ब्रिटिश सरकार कच्चे माल को कृषकों से बहुत ही कम दाम में खरीदती थी व तैयार माल को भारतीय बाजारों में ऊँचे दामों पर बेचती थी। यह भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय किसानों के शोषण का एक तरीका था।

औद्योगिक क्षेत्र- 19वीं सदी के अन्त में भारत में सूती वस्त्र व पटसन उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। पटसन उद्योग विदेशियों की देन थी। सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र व गुजरात तथा पटसन उद्योग बङ्गाल तक ही सीमित थे। 20वीं सदी में भारत में लौह-इस्पात उद्योग का विकास प्रारम्भ हुआ। 1907 ई. में जमशेद नौशरवान जी टाटा द्वारा जमशेदपुर (टाटा नगर) में टाटा आयरन स्टील कम्पनी (टिस्को) की

स्थापना की गई थी। इससे पूर्व की यदि बात की जाए तो पता चलता है कि औपनिवेशिक व्यवस्था में भारत के पास कोई सुदृढ़ औद्योगिक आधार नहीं था। प्रसिद्ध शिल्पकलाओं का पतन हो रहा था। अंग्रेज यहाँ उद्योगों की स्थापना इसलिए भी नहीं चाहते थे क्योंकि इससे वहाँ (इंग्लैण्ड) के उद्योग अपनी पहचान खो देते, उनका बाजार खत्म हो जाता, प्रतिस्पर्धा की होड़ लग जाती आदि।

विदेशी व्यापार- भारत के प्राचीन काल से ही विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं किंतु औपनिवेशिक

इसे भी जाने-

- स्वेज नहर का निर्माण फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने किया था। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है।

सरकार की गलत नीतियों के कारण भारत का विदेशी व्यापार अत्यधिक संकुचित हो गया था। यह व्यापार भारत-इंग्लैण्ड (50 %) तक ही सीमित हो गया था। स्वेज नहर (1859 -1869 ई.) के निर्माण से इंग्लैण्ड

ने भारत के व्यापार को बहुत अधिक नियंत्रण में कर लिया था। भारत का विदेशी व्यापार अब केवल इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति को पोषित कर रहा था।

जनांकिकीय परिस्थिति- भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ई. में तथा सर्वप्रथम सम्पूर्ण जनगणना 1881ई. में हुई थी। इसके पश्चात् प्रत्येक

10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। उस समय जनसंख्या अत्यधिक कम थी व वृद्धि दर भी इतनी नहीं थी। साक्षरता दर भी अत्यधिक न्यून थी। जन-स्वास्थ्य सेवाओं का नितांत अभाव था। जल व

इसे भी जाने-

- ब्रिटिश भारत में शिशु मृत्यु दर 218/ 1000 थी। वर्तमान में भारत में शिशु मृत्यु दर 30/1000 (2019 ई.) है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष है तथा विश्व रैंकिंग में भारत का 117वाँ स्थान है। जबकि ब्रिटिश भारत में जीवन प्रत्याशा 44 वर्ष थी।

वायु से फैलने वाले संक्रामक रोगों का प्रकोप था।

व्यावसायिक संरचना- ब्रिटिश भारत में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। देश की 70-75 % कृषि, 10% विनिर्माण क्षेत्र तथा 15-20% जनसंख्या सेवा क्षेत्र में संलग्न थी। इस काल में क्षेत्रीय असमानता अत्यधिक थी तथा सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होने लगी थी।

आधारिक संरचना- ब्रिटिश भारत में आधारिक संरचना के विकास का उद्देश्य भारतीय जनमानस को सुविधाएँ प्रदान करना नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति एवं अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रमुख क्षेत्रों रेल, सड़क, बन्दरगाह, बाँध, बिजली, स्कूल-कॉलेज, तेल व गैस पाइप लाइन, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य व्यवस्था, बैंक, बीमा, डाक-तार, मुद्रा प्रणाली आदि का विकास किया था।

भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990 ई.)- 200 वर्षों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के पश्चात 15

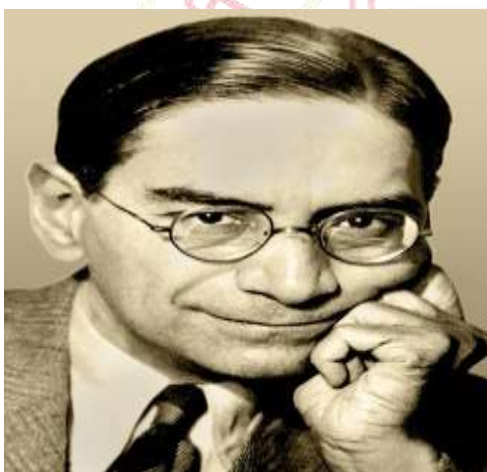
अगस्त, 1947 ई. को भारत स्वतन्त्र हुआ था। स्वतन्त्र भारत में सरकार की आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सर्वजन कल्याण था। उस समय राष्ट्र के नव निर्माण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू को समाजवाद का

इसे भी जाने-

- विश्व में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ प्रचलन में हैं- पूँजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था।

प्रतिमान सबसे अच्छा लगा था लेकिन लोकतन्त्र के प्रति वचनबद्ध भारत सोवियत समाजवादी विचार से पूर्ण सहमत नहीं थे। अतः भारत एक ऐसा समाजवादी देश होगा, जिसमें सशक्त सार्वजनिक क्षेत्र के साथ लोकतन्त्र और निजी सम्पत्ति का भी स्थान होगा। इस आर्थिक प्रणाली को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

योजना आयोग- किसी देश के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या को योजना



चित्र-17.1 प्रशान्त चन्द्र महालनोबिस

कहा जाता है। किसी योजना के उद्देश्यों को निश्चित समयावधि में पूरा करना होता है। भारत में योजनाएँ 5 वर्ष की अवधि की होती थीं, जिन्हें पञ्चवर्षीय योजना कहते थे। भारत में 1950 ई. में योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पञ्चवर्षीय योजना के उद्देश्य- पञ्चवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य प्रायः भिन्न-भिन्न होते हैं। सरकार को प्रत्येक योजना में उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। कुछ सर्वमान्य उद्देश्य निम्न हैं-

1. **संवृद्धि**- संवृद्धि का आशय देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना होता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से संवृद्धि का सूचक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में निरन्तर वृद्धि होना है।

2. **आधुनिकीकरण**- वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी होती है। कृषि व उद्योगों में नई तकनीकों व मशीनों द्वारा उत्पादन में वृद्धि भी इनका लक्ष्य होता है।

इसे भी जाने-

- 1 जनवरी, 2015 से योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर नीति आयोग कर दिया गया है। प्रशान्त चन्द्र महालनोबिस का पञ्चवर्षीय योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है।

3. **आत्मनिर्भरता-** आत्मनिर्भरता से आशय है स्वयं पर निर्भर रहना। प्रथम सात पञ्चवर्षीय योजनाओं में आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी व पूँजी पर निर्भरता को कम करना इसमें सम्मिलित था।

4. **समानता-** किसी देश के आर्थिक विकास के लिए संवृद्धि, आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भरता के साथ-साथ समानता भी आवश्यक होती है। समानता के सिद्धान्त के द्वारा ही आर्थिक संवृद्धि का लाभ देश के अन्तिम पायदान पर स्थित नागरिकों को मिलता है।

इसे भी जाने-

- सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक माप है।

कृषि- स्वतन्त्र भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए पञ्चवर्षीय योजनाओं के द्वारा किए गए प्रयास निम्न हैं-

1. **भू-सुधार-** स्वतन्त्रता के समय देश की अधिकांश भूमि जमींदारों व जागीरदारों के पास केंद्रित थी। स्वतन्त्रता के पश्चात जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन किए गए, कृषि में नई तकनीकों का विकास आदि भू-सुधार किए गए।
2. **हरित क्रान्ति-** कृषि में उच्च पैदावार के लिए हरित क्रान्ति की देश में शुरुआत की गई। हरित क्रान्ति

इसे भी जाने-

- भारत में हरित क्रान्ति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणित अधिशेष कहलाता है।

का प्रथम चरण 1965 से 1975 ई. तक तथा दूसरा चरण 1975 से 1985 तक था। इसके अन्तर्गत उन्नत किस्मों के बीजों और रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग बल दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप भारत खाद्यान्नों में

आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रान्ति से गेहूँ व चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई।

3. **कृषि अनुदान-** कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने किसानों को नई तकनीकी एवं उन्नत बीजों (HYV) के विकास एवं उनकी पहुँच को सुगम बनाने के लिए कृषि अनुदान की योजना प्रारम्भ की थी। परन्तु वर्तमान में नीति निर्धारकों का मानना है कि अधिकांश भारतीय किसान कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, इसलिए अब इस योजना के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है।

इसे भी जाने-

- बीजों को उच्च उत्पादकता किस्मों को (High Yielding Varieties- HYV) कहा जाता था।

उद्योग और व्यापार- पञ्चवर्षीय योजनाओं में उद्योगों के विस्तार पर अत्यधिक बल दिया गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे और उनमें भी अधिकांश सूती वस्त्र व पटसन उद्योग थे। तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार बड़े तथा भारी उद्योगों पर अपना पूरा नियन्त्रण रखेगी। निजी क्षेत्रक सार्वजनिक क्षेत्रक के अनुपूरक के रूप में कार्य करेंगे। सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए 1956 ई. में औद्योगिक नीति बनाई थी। इस नीति के अनुसार उद्योगों को

तीन वर्गों- सार्वजनिक स्वामित्व, निजी और सार्वजनिक स्वामित्व, निजी स्वामित्व वाले उद्योगों में

इसे भी जाने-

- 1950 ई. में पाँच लाख रू. तक का अधिकतम निवेश करने वाली इकाई को लघु उद्योग इकाई कहा जाता था। वर्तमान में इसकी सीमा एक करोड़ है।

वर्गीकृत किया था। निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियन्त्रण के लिए सरकार ने लाइसेंस प्रणाली विकसित की थी। सरकार ने ग्राम विकास में वृद्धि के लिए ग्राम व लघु उद्योग समिति (कर्व समिति) की स्थापना 1955 ई. में की थी। लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा

अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गई थीं।

व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन- भारतीय औद्योगिक नीति, व्यापार से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थी।

आरम्भिक सात पञ्चवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अन्तर्मुखी व्यापार की नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसका उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन का विकास, वस्तुओं की अधिकतम पूर्ति और विदेशी प्रतिस्पर्धा से भारतीय

इसे भी जाने-

- आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर प्रशुल्क कहलाता है। आयातित वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा को कोटा कहते हैं।

उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना था। उस समय आयात संरक्षण को प्रशुल्क और कोटा वर्ग में विभाजित किया गया था।

1950-51 ई. में औद्योगिक क्षेत्र की जीडीपी 13 % थी, जो 1990-91 में 24.6 % हो गई थी। 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु एलपीजी मॉडल (Liberalization, Privatization, Globalization) लाया गया था। इस मॉडल का उद्देश्य दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैण्ड) के समान भारतीय अर्थव्यवस्था को भी विकसित करना था। अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक नीतियाँ लागू की। इसके तीन उपवर्ग उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण हैं।

उदारीकरण- उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र में लगे अनावश्यक प्रतिबंधों को सरकार द्वारा हटाना या उनमें शिथिलता लाना उदारीकरण कहलाता है। कोई भी अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से कभी भी पूर्णतया प्रतिबन्धों से मुक्त नहीं होती है। भारत में उदारीकरण की वास्तविक शुरुआत 24 जुलाई 1991 ई. में हुई थी। LPG मॉडल से अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया को उदारीकरण एवं निजीकरण के द्वारा सुगम बनाया जाता है। भारत में उदारीकरण की नीति के अनुसार धीरे-धीरे कोटा, लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। सरकार, उत्पादन के मार्ग में अवरोधों को पूरी ईमानदारी से समाप्त करने में सतत प्रयत्नरत है। 24 जुलाई 1991 को जारी नई आर्थिक नीति के चार प्रमुख अवयव हैं-

उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और बाजारीकरण। भारत में उदारीकरण के दो भाग थे- घरेलू और बाह्य उदारीकरण।

1. **घरेलू उदारीकरण-** घरेलू उदारीकरण के द्वारा बैंको को ब्याज दर निश्चित करने, और कम्पनियों को अपने शेयर बाजार में बेचने का अधिकार दिया गया। इन घरेलू सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
2. **बाह्य उदारीकरण-** बाह्य उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। इसके अन्तर्गत मुद्रा विनिमय दर को बाजार पर छोड़ दिया गया। बाह्य उदारीकरण के सार्थक प्रभाव के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, जैसे- पॉम ऑयल के आयात से सरसों एवं मूंगफली के दाम में गिरावट आयी और हमारे किसानों को नुकसान हुआ, कपड़े के खुले आयात से हथकरघा उद्योग प्रायः समाप्त होने लगा था।

उदारीकरण के उद्देश्य-

1. अर्थव्यवस्था में अविलम्ब स्थायित्व लाया जाए।
2. अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया को गतिशील करने हेतु, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना।
3. वित्तीय क्षेत्र की कार्यप्रणाली सुधारना व आधुनिकीकृत करना।
4. उद्योग व व्यापार को कठोर नियन्त्रण से मुक्त करना था।
5. देश के लोगों के जीवन को सुखमय बनाना था।

भारत में उदारीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक-

1. सरकार द्वारा एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन तथा औषधि- भेषज को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों से लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस कारण औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों का प्रवेश आसान हो गया।
2. पूर्व लाइसेंस में जिन वस्तुओं का उल्लेख होता था केवल उन्हीं का उत्पादन आवश्यक था। अब उत्पादकों को उत्पाद चयन में छूट मिल गई।
3. लघु उद्योगों की निवेश सीमा बढ़ा दी गई, जिससे वे उत्पादन तकनीक में आवश्यक सुधार लाकर आधुनिक रूप धारण कर सके।

उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव- उदारीकरण के सकारात्मक प्रभावों में वार्षिक वृद्धि दर और औद्योगिक उत्पादन में तीव्र विकास हुआ। विदेशी मुद्रा का अर्जन और निवेश में वृद्धि हुई। भारत के राजकोषीय घाटे में कमी और बाजार का विस्तार हुआ, जिससे ग्राहकों के पास विकल्प उपलब्ध हुए।

उदारीकरण के नकारात्मक प्रभाव- उदारीकरण के मूल सिद्धान्त के अनुसार उत्पादकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। भारी पूँजी वाली बहुराष्ट्रीय या देशी कम्पनियों के सामने कम पूँजी वाले उद्योग-संस्थान टिक नहीं पाए। कृषि हानि का व्यवसाय हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र के शिल्प उद्योग खत्म हो गए, भारत में गरीबी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में कायम है, रोजगार की स्थिति भयंकर गंभीर बनी हुई है।

निजीकरण- निजीकरण से अभिप्राय है सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व और नियन्त्रण को

इसे भी जाने-

- महारत्न- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) और स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (SAIL)
- नवरत्न- हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (HAL) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL)
- लघुरत्न- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (AAI)

निजी क्षेत्र में हस्तान्तरित कर देने से है। सार्वजनिक कम्पनियाँ दो प्रकार से निजी क्षेत्र में परिवर्तित हो सकती हैं- 1. किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व और प्रबंधन का परित्याग कर 2. सार्वजनिक उपक्रम को बेच कर। किसी सार्वजनिक

उपक्रम को इक्विटी के माध्यम से जन सामान्य को बेचना 'विनिवेश' कहलाता है।

सरकार ने सार्वजनिक संस्थानों में कुशलता, प्रबंधन, स्पर्धा क्षमता में वृद्धि के लिए इन संस्थानों का चयन महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न उपक्रमों में किया है। सरकार की यह योजना सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों से प्रेरित है।

निजीकरण के अन्तर्गत निम्न कदम उठाए जा सकते हैं।

1. निजी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाए, जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किये जाते थे।
2. ऐसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध एवं नियंत्रण जिनका सञ्चालन सरकारी विभागों के रूप में किया जा रहा था, निजी उद्यमियों को सौंप दिए जाएँ जैसे - रेलवे, डाक आदि।

निजीकरण के उद्देश्य-

1. अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना।
2. प्रबन्धकीय योग्यता और दक्षता प्रदान करना।
3. बाह्य ऋणों को घटाना।
4. उत्पादकता में वृद्धि करना तथा परिचालन क्षमता को बढ़ाना।
5. राष्ट्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वित करना।

भारत में निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक-

1. नये आर्थिक सुधार कार्यक्रम।
2. भारतीय उद्योगों को प्रतियोगी बनाना।
3. उत्पादन बढ़ाने का विस्तृत आधार।

निजीकरण के सकारात्मक प्रभाव-

1. निजीकरण के परिणामस्वरूप निजी कम्पनियों के शेयरों में छोटे निवेशकों और कर्मचारियों की भागीदारी से उनकी शक्ति और प्रबन्धन को विकेंद्रित किया जा सकेगा।
2. दूरसंचार और पेट्रोलियम जैसे- अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त हो जाने से अधिक विकल्पों और सस्ते तथा बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं के चलते उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
3. निवेशकों को बाहर निकलने के सरल विकल्प मिलेंगे। मूल्यांकन और कीमत निर्धारण के लिए अधिक विशुद्ध नियम स्थापित करने में सहायता मिलेगी एवं निजी कम्पनियों को अपनी परियोजनाओं अथवा उनके विस्तार के लिए निधियाँ जुटाने में सहायता मिलेगी।

निजीकरण के नकारात्मक प्रभाव-

1. निजीकरण की प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यूनियनों के द्वारा श्रमिकों की ओर से होने वाला विरोध है। वे बड़े पैमाने पर प्रबन्धन और कार्य-संस्कृति में परिवर्तन से भयभीत होते हैं।
2. निजीकरण के पश्चात् कम्पनियों की विशुद्ध परिसम्पत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों और जनसामान्य के लिये नहीं किया जा सकेगा।
3. निजीकरण द्वारा बड़े उद्योगों को लाभ पहुँचाने के लिए निगमीकरण प्रोत्साहित हो सकता है, जिससे धन संकेन्द्रण की सम्भावना बढ़ जाएगी।

वैश्वीकरण- वैश्वीकरण एक ऐसी सतत-प्रक्रिया है जिससे सम्पूर्ण संसार के देश एक-दूसरे से आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से आपस में जुड़े रहते हैं, इसे भूमण्डलीकरण भी कहा जाता है। वैश्वीकरण नवीनतम सिद्धान्त नहीं है, सदियों से वैश्वीकरण की अवधारणा प्रचलित है। भारत में वैश्वीकरण की परम्परा सभ्यता काल से ही रही है। आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो (ऋ.1.89.1) अर्थात् हमारे लिए चारों ओर से कल्याणकारी विचार आएँ। इस मन्त्र से विश्व को सुसंस्कृत कराने का संकल्प स्पष्ट होता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा में भी वैश्विक कल्याण का भाव निहित है। आधुनिक भारत में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी विश्व मानव की बात कही है। वैदिक वाङ्मय में इसके विस्तृत अध्ययन हम पूर्व कक्षा में कर चुके हैं।

वैश्वीकरण की विशेषताएँ-

1. देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है अर्थात् आर्थिक क्रियाओं का राष्ट्रीय सीमाओं से आगे विस्तार किया जाता है।
2. वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी, तकनीकी तथा श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण हो जाता है अर्थात् इनके आवागमन पर सभी प्रकार के अवरोध समाप्त कर दिए जाते हैं।
3. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विस्तार होता है।

भारत में वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले घटक-

1. उदारवादी नीतियाँ
2. तकनीकी परिवर्तन
3. प्रतिस्पर्धा।

भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण- भारत में भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया धीरे-धीरे गति पकड़ रही है। भारत में इसकी शुरुआत 1991 ई. से हुई, जब नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में उदारीकरण किया गया-

1. नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योग व निवेश का वैश्वीकरण।
2. नई निवेश नीति के अन्तर्गत वित्त का वैश्वीकरण।

भारत में वैश्वीकरण कुछ प्रमुख संकेतक हैं-

1. बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बड़ी संख्या में भारत में स्थापित हो रही हैं।
2. अमेरिकी ऋण बाजार में भारतीय निगम सक्रिय हो रहे हैं।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तटीय करों में ही कमी के साथ विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए सरल कर दिया गया है।
4. लगभग 2000 भारतीय कम्पनियों को ISO : 9000 प्रमाण पत्र प्रदान किये गए हैं, जो कि उच्च गुणवत्ता की गारंटी है।
5. पिछले कुछ वर्षों में व्यापार और निर्यात गहनता में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव- वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव से उत्पादों की किस्में, प्रतिस्पर्धा

इसे भी जाने-

- विदेश से किसी सेवा को प्राप्त करना बाह्य प्रापण कहलाता है।

में वृद्धि, विदेशी मुद्रा तथा विदेशी समक्ष निवेश, आधारभूत ढाँचों में विकास, सेवा क्षेत्रक में वृद्धि आदि कार्य हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण आज भारतीय कम्पनियाँ विदेशों में कार्य

कर रही हैं, जैसे- तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) सोलह देशों में अपनी परियोजनाएँ संचालित कर रही है, टाटा स्टील अपने उत्पादों को पचास देशों में बेच रही है। इसके अतिरिक्त एच. सी. एल., डॉ. रेड्डीज लैब आदि हैं।

भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव- वैश्वीकरण के बढ़ने के कारण आज श्रमिकों का शोषण, कृषि की महत्ता में कमी, लघु उद्योगों के लिए समस्या, राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है।

इस अध्ययन से स्पष्ट है कि औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिदोहन किया था, जिससे भारत के उद्योग धन्धों की स्थिति दयनीय हो गई थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधारके लिए पञ्चवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए थे। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1991 ई. में नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर बल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर मिश्रित प्रभाव पड़ा।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1. सूती वस्त्र उद्योगों के प्रमुख केन्द्र.....थे।
 अ. बङ्गाल-बिहार
 ब. असम-मिजोरम
 स. राजस्थान- मध्यप्रदेश
 द. महाराष्ट्र-गुजरात
2. हरित क्रान्ति से सर्वाधिक उत्पादन फसलों का हुआ।
 अ. मक्का व बाजरा
 ब. उड़द व मूंग
 स. गेहूँ व चावल
 द. तिल व सोयाबीन
3. भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई।
 अ. 24 जून 1991
 ब. 24 जुलाई 1991
 स. 24 अगस्त 1991
 द. 24 सितम्बर 1991
4. 17वीं सदी तक भारत विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और धनी देश था। ने कहा है।
 अ. अङ्गस मैडिसन
 ब. लास्की
 स. काल मार्क्स
 द. इनमें से कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। (कृषि/पशुपालन)
2. आत्मनिर्भरता से आशय है.....पर निर्भर रहना। (स्वयं/दूसरों)
3. योजना आयोग को वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। (सेवा आयोग/नीति आयोग)
4. विदेश से किसी सेवा को प्राप्त करना.....कहलाता है। (बाह्य प्रापण/ आन्तरिक प्रापण)

सत्य/असत्य बताइए-

1. आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर प्रशुल्क कहलाता है। सत्य/असत्य
2. वैश्वीकरण को भूमण्डलीकरण भी कहा जाता है। सत्य/असत्य
3. सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक माप है। सत्य/असत्य
4. स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान-

1. पञ्चवर्षीय योजना	क. एम.एस.स्वामीनाथन
2. हरित क्रान्ति	ख. जमशेद जी टाटा
3. टिस्को	ग. 1980 ई.
4. एलपीजी मॉडल	घ. पी.सी.महालनोबिस

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में प्रथम लौह-इस्पात उद्योग की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी?
2. नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
3. हरित क्रान्ति से क्या आशय है?
4. नई आर्थिक नीति के चार प्रमुख अवयव कौन-कौन से हैं ?
5. भारत की दो नवरत्न कम्पनियों के नाम लिखिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. औपनिवेशिक भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के कारण बताइए।
2. प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए।
3. LPG मॉडल से आप क्या समझते हैं?
4. निजीकरण से आप क्या समझते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया।
2. भारत में उदारीकरण को विस्तार से समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. भारत की प्राचीन और आधुनिक अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

अध्याय- 18

निर्धनता व मानव पूँजी

इस अध्याय में- निर्धनता, मानव पूँजी, रोजगार, संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना भारतीय श्रमबल का अनौपचारिकरण, बेरोजगारी

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी अधिकांश आबादी कृषि पर आश्रित है। शिक्षित बेरोजगारों की देश में अधिकता है, जो रोजगार के लिए अत्यधिक संघर्ष करते हैं। किन्तु उन्हें पर्याप्त रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। देश में जनसंख्या का बड़ा वर्ग निर्धनता से संघर्षरत है। राज्य व केन्द्र सरकारें बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कई प्रकार के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम संचालित कर रही हैं किन्तु ये सभी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम हैं। हमारी सभी पञ्चवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य समाज के निर्धनतम व सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नयन (अन्त्योदय) करना रहा है। यहाँ हम निर्धनता, मानव पूँजी, रोजगार व अन्य मुद्दों के विषय में अध्ययन करेंगे।

निर्धनता- सामान्यतः निर्धन ऐसे लोग होते हैं, जिनके पास जीवन की मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। कचरा बीनने वाले, फेरीवाले, भिखारी, मोची आदि अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाले लोग निर्धन कहलाते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार निर्धनता की पहचान लोगों के व्यवसाय और संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर की जाती है। उनके अनुसार ग्रामीण निर्धन प्रायः भूमिहीन कृषि श्रमिक या मजदूर और छोटी जोतों वाले किसान होते हैं।

दादा भाई नौरोजी ने स्वतन्त्रता पूर्व सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था। आजादी के बाद भारत में निर्धनता के आंकलन के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे- किसी व्यक्ति की आय, राष्ट्रीय औसत आय की 60% से कम है, तो उसे गरीब माना

इसे भी जाने-

- दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता नापने के $\frac{3}{4}$ सूत्र की रचना की थी।

जाता है। सन् 1962, 1989, 2005 में विशेषज्ञ दलों का गठन इसके लिए कार्य किया गया। निर्धन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे-पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन, निर्धन। इसी प्रकार गैर निर्धन भी कई प्रकार के होते हैं- मध्यवर्ग, उच्च मध्यवर्ग, धनी, बहुत धनी और पूर्णतः धनी।

निर्धनता का वर्गीकरण- निर्धनता को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या को 2 भागों में बांटा जा सकता है- निर्धन व गैर निर्धन। निर्धनता रेखा इन दोनों वर्गों को अलग करती है।

1. सामान्य निर्धन- ऐसे लोग जिनके पास कभी-कभी कुछ धन आता है, जैसे- मजदूर।
2. यदा-कदा निर्धन- ऐसे लोग जो अधिकांश समय धनी रहते हैं, इन्हें अल्पकालीन निर्धन भी कहा जाता है।
3. गैर-निर्धन- वे लोग, जो कभी निर्धन नहीं होते।

निर्धनता रेखा- निर्धनता मापने की कई विधियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख विधि न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान का निर्धारण करने की है। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी तथा शहरी



चित्र- 18.1 निर्धन लोगों के आवास

व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। भारत में निर्धनता मापन के लिए BPL (Below Poverty Line) व APL (Above Poverty Line) श्रेणियाँ हैं।

भारत में निर्धनों की संख्या- भारत में इस प्रकार के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं।

निर्धनता के कारण- भारत में निर्धनता के मुख्य कारण औपनिवेशिक काल में बड़े स्तर पर वि-औद्योगिकीकरण था। अंग्रेजी शासन की नीतियों के कारण ग्रामीण व कृषि करों में वृद्धि हुई। यहाँ के खाद्यान्नों को भी विदेशों में निर्यात कर दिया जाता था। परिणामस्वरूप 1875 ई. से 1900 ई. की अवधि में अकालों से खाद्यान्नों के अभाव में 260 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। अंग्रेजी राज ने प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन कर, करोड़ों की संख्या में भारतीयों को गरीब बना दिया था। इसके अतिरिक्त

निम्न पूँजी निर्माण, आधारित संरचनाओं का अभाव, माँग का अभाव, जनसंख्या वृद्धि आदि निर्धनता के कारण हैं।

निर्धनता निवारण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम- निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा कई नीतियाँ~

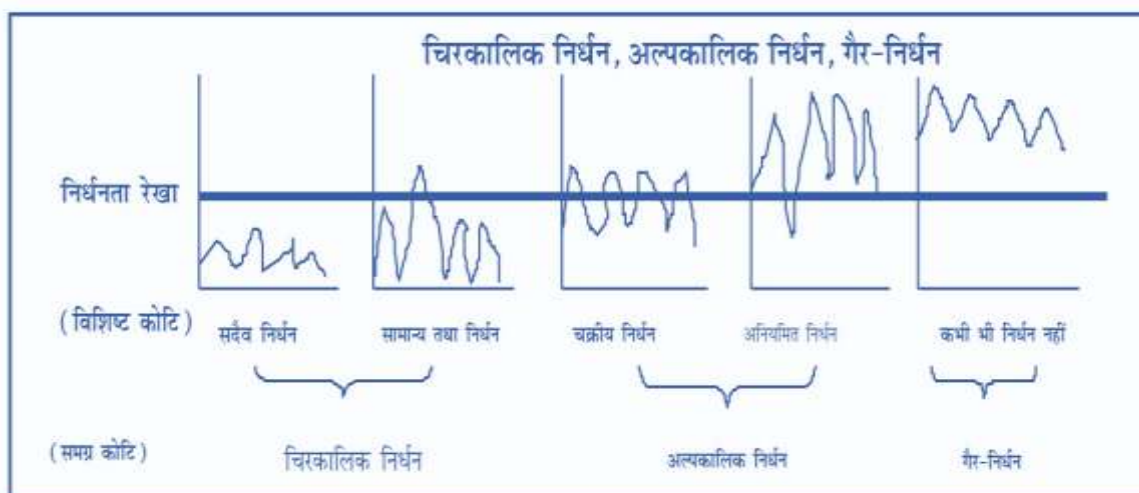
और कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें पञ्चवर्षीय योजनाएं प्रमुख थीं। इसके अतिरिक्त समय - समय पर कई अन्य योजनाएं व कार्यक्रम भी निर्धनता निवारण के लिए चलाए गए जिनमें प्रमुख हैं - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी योजना (MGNREGA), दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति योजना, भारत निर्माण योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम व शहरी स्वरोजगार योजना, उज्ज्वला योजना आदि।

इसे भी जाने-

- सन् 1973-74 में भारत में निर्धनों की संख्या 320 मिलियन (कुल जनसंख्या का 55%) से अधिक थी, जो सन् 2011-12 में घटकर 270 मिलियन (कुल जनसंख्या का 22%) रह गई थी।

निर्धनता चार्ट 18.1



निर्धनता निवारण कार्यक्रम की समीक्षा- सरकार द्वारा उपर्युक्त नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने के पश्चात भी निर्धनता की समस्या आज भी बनी हुई है। कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। निर्धन वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ जानकारी के अभाव में उन तक नहीं पहुँच पाता है। सरकार गरीबों के उत्थान के लिए करोड़ों-अरबों रूपयों की योजनाएं चलाती है लेकिन प्रभावी नियन्त्रण के अभाव में ये लाभदायी सिद्ध नहीं हो रही हैं। अतः सरकार व इन योजनाओं में लगे कार्मिकों और अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना होगा साथ ही निर्धन वर्ग को भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा।

मानव पूँजी- मानव पूँजी से आशय ऐसे योग्य व्यक्तियों से है, जो पूर्व स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हैं तथा छात्र रूपी मानव संसाधनों को अध्यापक, किसान, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर जैसी मानव पूँजी में परिवर्तित करते हैं।

मानव पूँजी के स्रोत- शिक्षा को मानव पूँजी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबन्धन तथा सूचना आदि भी पूँजी निर्माण के स्रोत हैं। शिक्षा मानव का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा से मनुष्य अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर, उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्राप्त कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति सामाजिक परिवर्तनों को समझकर, परिवर्तनों को बढ़ावा दे सकता है।

मानव पूँजी और मानव विकास- मानव पूँजी की अवधारणा में शिक्षा व स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम माना जाता है जबकि मानव विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य, मानव कल्याण के अभिन्न अङ्ग माने जाते हैं। मानव पूँजी की अवधारणा मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानती है।

भारत में मानव पूँजी निर्माण की स्थिति- इसके विषय में हम बात कर चुके हैं कि मानव पूँजी निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन तथा सूचना निवेश का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहा है। अतः ये लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर व्यय नहीं कर पाते हैं। जब इनको सरकार ने नागरिक अधिकार मान लिया है तो सरकार को इन सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना चाहिये। अब सरकार ऐसा कर भी रही है।

शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि- सरकारें शिक्षा में सुधार व गुणवत्ता के लिए खूब व्यय करती हैं।

इसे भी जाने-

- वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर 93,224 करोड़ खर्च करने का अनुमान था।

1952 ई. में कुल सरकारी व्यय का शिक्षा पर 7.92% था जो 2014 ई. में बढ़कर 15.7% हो गया था। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पादन में इसका प्रतिशत 0.64

(1952 ई.) से बढ़कर 4.13 (2014 ई.) हो गया था।

भविष्य की सम्भावनाएँ- समस्त सरकारी प्रयासों के बाद भी आज भी निरक्षरों की संख्या अत्यधिक है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन के कारण धीरे-धीरे पुरुष व महिला साक्षरता के बीच का अन्तर कम हो रहा है। उच्च शिक्षा के व्यय को वहन करने की क्षमता गरीब छात्रों के पास नहीं है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अत्यधिक है। वर्ष 2011-12 में स्नातक व उसके ऊपर अध्ययन किए हुये छात्रों में बेरोजगारी दर 19 % थी, जो अप्रैल 2021 में 7.9% रह गई है।

रोजगार- सामान्यतः रोजगार से आशय अपने परिवार के पालन-पोषण व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला अर्थोन्मुखी कार्य है। किसी भी व्यक्ति के पास रोजगार होना अत्यन्त आवश्यक है। कुछ लोग खेतों, बैंकों, कारखानों, कम्पनियों में काम करते हैं, तो कुछ घर पर ही कुटीर उद्योगों में काम करते हैं। श्रम की व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति का राष्ट्रीय आय में योगदान रहता है।

श्रमिक और रोजगार- देश के वे सभी लोग जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, श्रमिक कहलाते हैं। हमारे देश में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। यहाँ कुछ लोग वर्ष भर रोजगार से जुड़े रहते हैं अर्थात् उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो कुछ ऐसे भी हैं, जिनको वर्ष में कुछ ही महीने रोजगार मिल पाता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक तक नहीं मिलता है। वर्ष 2011-12 में भारत में श्रमिकों का आँकड़ा 473 मिलियन आँका गया था, जिनमें से तीन-चौथाई श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों के थे। देश में प्रत्येक 100 लोगों में से 35 श्रमिक है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 34 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 35 है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित हैं, इसी कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पुरुषों की भागीदारी श्रमशक्ति में अधिक है।

इसे भी जाने-

- वर्तमान भारत में ई-श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों की संख्या लगभग 19 करोड़ है।

भारत में श्रमिकों का स्वरूप- भारत में श्रमिकों के स्वरूप को समझने के लिए निर्माण उद्योग का एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें तीन प्रकार के कार्मिक होते हैं। एक सीमेंट की दुकान का मालिक या संचालक होता है, जिसे स्वनियोजित कहा जाता है। दूसरे निर्माण मजदूर होते हैं, जो अनियत मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। इनकी संख्या श्रमशक्ति में 35% है। तीसरा, निर्माण कम्पनी का अभियंता है, जिसे नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहा जाता है। नियमित वेतनभोगी श्रेणी में 23% पुरुष व 21% महिलाएँ हैं। भारत में लगभग 50 प्रतिशत महिला-पुरुष श्रमिक स्वरोजगारी वर्ग में आते हैं। अतः कहा जा सकता है कि देश में स्वरोजगार ही आजीविका का प्रमुख स्रोत है।

संस्थाओं, उद्योगों तथा कार्यालयों में रोजगार- श्रमशक्ति का कृषि व उससे सम्बन्धित क्रियाकलापों से उद्योगों और सेवाओं की ओर प्रवाह होता है। इसी कारण मजदूर नगरों की ओर पलायन करते हैं। सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं को आठ औद्योगिक वर्गों में विभाजित किया गया है- 1. कृषि 2. खनन और उत्खनन 3. विनिर्माण 4. विद्युत गैस एवं जलापूर्ति 5. निर्माण कार्य 6. वाणिज्य 7. परिवहन और भण्डारण 8. सेवाएँ।

इन औद्योगिक वर्गों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है-

1. प्राथमिक क्षेत्रक- कृषि तथा खनन व उत्खनन।
2. द्वितीयक क्षेत्रक- विनिर्माण, तथा निर्माण कार्य।
3. तृतीयक क्षेत्रक- वाणिज्य, परिवहन व भण्डारण तथा सेवाएँ।

संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना- भारत में पिछले 70 वर्षों से चल रहे योजनाबद्ध विकास कार्यों का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में वृद्धि द्वारा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है किन्तु रोजगार में वृद्धि दर मात्र 2 % रही है, जो चिंताजनक है। रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, 'रोजगारहीन संवृद्धि' कहलाता है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि श्रमबल अब कृषि कार्यों (प्राथमिक क्षेत्रक) से हटकर गैर कृषि कार्यों (द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रक) की ओर उन्मुख हो रहा है।

भारतीय श्रमबल का अनौपचारिकरण- श्रमबल में अनियत श्रमिकों का अनुपात बढ़ रहा है। श्रमिकों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। उनका शोषण उद्योगों में होता है। सरकारें श्रम कानूनों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं। श्रमबल को औपचारिक व अनौपचारिक या संगठित व असंगठित क्षेत्रक में विभाजित किया गया है।

1. औपचारिक या संगठित क्षेत्रक- सभी सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान, संगठित क्षेत्रक की श्रेणी में आते हैं। संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ प्राप्त होते हैं। देश में श्रमबल के मात्र 6 प्रतिशत लोग ही संगठित क्षेत्रक में कार्य कर रहे हैं।
2. अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्रक- इनके अतिरिक्त सभी उद्यम और उनमें काम कर रहे श्रमिक अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्रक की रचना करते हैं। इसमें किसान, कृषि श्रमिक, छोटे-मोटे काम धंधे वाले लोग शामिल हैं। देश में 94 % लोग असंगठित क्षेत्रक में कार्यरत हैं।

बेरोजगारी- बेरोजगारी वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बेरोजगार उसे कहा जाता है, जो आधे दिन की अवधि में एक घण्टे का रोजगार भी नहीं पा सकता है। बेरोजगारी के आँकड़े प्राप्त करने के भारत में तीन स्रोत हैं-

1. भारतीय जनगणना के आँकड़े।
2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आँकड़े।
3. रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय के पंजीकृत आँकड़े।

स्वतन्त्रता के बाद सरकारों ने निर्धनता निवारण को अपना प्राथमिक लक्ष्य मानकर, इसके उन्मूलन की दिशा में कार्य किया है। सरकार को इसमें सफलता भी प्राप्त हुई तथापि निर्धनता से मुक्ति नहीं मिली है। भारत में केन्द्र और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करती आ रही हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएँ समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ई., आयुष्मान योजना 2018 ई. आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण भारतीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत की श्रमबल संरचना में परिवर्तन हुए हैं। अब सेवा क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है।

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- 197

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. शिक्षा मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी है?
2. मानव पूँजी के प्रमुख स्रोत बताइए।
3. संगठित व असंगठित क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं?
4. सरकार द्वारा रोजगार सृजन के कौन-कौनसे उपाय किए जा रहे हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. निर्धनता का वर्गीकरण करते हुए, निर्धनता निवारण के लिए सरकार की कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए।
2. बेरोजगारी से क्या आशय है, सरकार के रोजगार सृजन के प्रयासों को समझाइए।

परियोजना कार्य-

1. अपने आस-पास होने वाले सरकारी कार्य जैसे- सड़क, बाँध, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय निर्माण, सफाई सम्बन्धी कार्य आदि की समालोचनात्मक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

अध्याय- 19

आधारिक संरचना

इस अध्याय में- आधारिक संरचना, आधारिक संरचना की स्थिति, ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत, स्वास्थ्य, पर्यावरण, धारणीय विकास, पर्यावरणीय पारम्परिक ज्ञान, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत, चीन और पाकिस्तान का तुलनात्मक अध्ययन।

भारत में विकास की दृष्टि से कुछ राज्यों में प्राथमिक क्षेत्रक का तथा कुछ राज्यों में द्वितीयक क्षेत्रक और कुछ में तृतीयक क्षेत्रक का अधिक विकास हुआ है। इस विकास की असमानता का प्रमुख कारण उन राज्यों की आधारिक संरचना है। वे समस्त संसाधन जो किसी देश के विकास को सम्भव बनाते हैं, उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करते हैं।

आधारिक संरचना- आधारिक संरचना, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रमुख क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, घरेलू व विदेशी व्यापार व वाणिज्य) को सहयोगी सेवाएँ प्रदान करती हैं। इन सेवाओं में रेल, सड़क, बन्दरगाह, बाँध, बिजलीघर, स्कूल-कॉलेज, तेल व गैस पाइप लाइन, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य व्यवस्था, बैंक, बीमा, मुद्रा प्रणाली आदि शामिल हैं। आधारिक संरचना को दो भागों सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना में बांटा गया है-

1. सामाजिक आधारिक संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास आदि हैं।
2. आर्थिक आधारिक संरचना में ऊर्जा, परिवहन और सञ्चार आदि हैं।

आधारिक संरचना की स्थिति- आधारिक संरचना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की

इसे भी जाने-

- बजट 2021-22 में आधारभूत संरचना क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत आने वाली 217 परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 7400 कर दी है। जिन पर 1.1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

प्रभावी प्रणाली है। यह औद्योगिकीकरण में सहायता करती है। इससे कृषि के उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। यह आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्त्वों की उत्पादकता में भी वृद्धि करती है, जिससे जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

भारत में आधारिक संरचना को विकसित करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में आधारिक संरचना की स्थिति अत्यधिक कमजोर थी। किन्तु धीरे-धीरे वर्तमान में निजी क्षेत्रक ने सरकार के साथ मिलकर इसके विकास में अहम योगदान दिया है। उदाहरण के लिए

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 56% परिवारों के पास बिजली सुविधा थी। यहाँ लगभग 76% लोग पेयजल के लिए कुओं, तालाबों, झरनों, नदियों, नहरों जैसे खुले जल स्रोतों पर निर्भर थे। आधारीक संरचना के विकास के कारण 2020 ई. भारत आवासीय ऊर्जा सर्वे (IRES) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 97 % क्षेत्र विद्युतीकृत हो चुके हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के अनुसार पेयजल के लिए जल जीवन मिशन (2019 ई.) के अन्तर्गत 2 जनवरी, 2022 तक सरकार ने 5,51,93,885 घरों तक नल जल आपूर्ति प्रदान की है।

ऊर्जा- किसी भी राष्ट्र की प्रगति में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग कृषि, उद्योग, उपकरणों के निर्माण, परिवहन आदि में होता है।

ऊर्जा के स्रोत-

1. व्यावसायिक स्रोत- क्रय और विक्रय किए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों को व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसके अन्तर्गत कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ व बिजली आदि आते हैं।

2. गैर-व्यावसायिक स्रोत- प्रकृति (जंगलों) से प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोतों को गैर-व्यावसायिक स्रोत कहा जाता है। इसके अन्तर्गत जलाऊ लकड़ी, कृषि से निकलने वाला कूड़ा-करकट, सूखा गोबर आदि आते हैं।

ऊर्जा के व्यावसायिक व गैर-व्यावसायिक स्रोतों को पारम्परिक स्रोत कहा जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा को ऊर्जा का गैर-पारम्परिक स्रोत माना जाता है।

विद्युत ऊर्जा- विद्युत ऊर्जा को आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक माना जाता है। भारत में विद्युत

इसे भी जाने-

- भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का 74% भाग व्यावसायिक ऊर्जा से प्राप्त होता है।

इसे भी जाने-

- वर्ष 2020-21 की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के आँकड़ों के आधार पर भारत में कुल बिजली उत्पादन का 78% तापीय स्रोतों, 9 % जल स्रोतों, 10% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा 3 % परमाणु स्रोतों से प्राप्त होता है।

का उत्पादन उपभोग की अपेक्षा कम है। इसके प्रमुख कारण विद्युत उत्पादन क्षमता में कमी के साथ विद्युत वितरण प्रणाली में अकार्यकुशलता, अनुचित कीमतें, कोयले की आपूर्ति में कमी, निरन्तर आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि हैं। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए तकनीकी विकास, अनुसंधान, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास और निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य- स्वास्थ्य से आशय केवल व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य से ही नहीं अपितु उसकी कार्य क्षमता और समृद्धि से भी होता है। किसी राष्ट्र की समग्र संवृद्धि और विकास स्वास्थ्य से जुड़ी एक प्रक्रिया है। नागरिकों के स्वस्थ जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, बेड, चिकित्सा के उपकरण आदि स्वास्थ्य आधारिक संरचना में सम्मिलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में सरकारी अस्पतालों व दवाखानों की संख्या 9,300 थी, जो 31 मार्च, 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1,55,404 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 24,918 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 5,183 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे थे। वहीं शहरी क्षेत्रों में 2,517 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 5,895 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 466 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थे। (स्रोत: ग्रामीण स्वास्थ्य स्टैटिस्टिक्स 2017-19 पीआरएस) इसके अतिरिक्त भारत में से चेचक, पोलियो, कुष्ठरोग आदि का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य की आधारिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश के 70% से अधिक अस्पतालों का सञ्चालन निजी क्षेत्र कर रहे हैं। भारत सरकार का वर्ष 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य पर कुल 86,201 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। इसके साथ ही कोविड महामारी से निपटने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया है।

सारणी 19.1	
सूची- वैक्सीनेशन अभियान के चरण (जनवरी, 2022)	
दिनांक	समूह
16 जनवरी, 2021	प्राथमिकता वाले समूह में हेल्थकेयर और फ्रन्टलाइन वर्कर्स
1 मार्च, 2021	60+ लोग व कोमार्बिडिटी वाले 45+ लोग
1 अप्रैल, 2021	45+ लोग
1 मई, 2021	18+ लोग
3 जनवरी, 2022	15-18 वर्ष के बीच के बच्चे
16 मार्च, 2022	12-14 वर्ष के बच्चे

चिकित्सा की भारतीय प्रणाली- चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में छः व्यवस्थाएँ हैं- आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा व होम्योपैथी। भारतीय चिकित्सा प्रणाली को 'आयुष' भी कहते हैं। भारत में 20% से भी कम जनसंख्या जन-स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करती है। अधिकांश स्थानों पर चिकित्सकों के पद रिक्त, स्वास्थ्य जांच के पर्याप्त केन्द्रों, मशीनों पलंगों आदि की कमी है। यदि महिला स्वास्थ्य की बात की जाए, तो इसमें भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में से 50% महिलाएँ रक्ताभाव व रक्तक्षीणता से ग्रसित हैं। बाल विवाह के कारण अधिकांश बालिकाएँ कम उम्र में ही माँ बन जाती हैं, जिससे वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमारियों से ग्रसित हो जाती

हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि व सुधार की आवश्यकता है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास बहुत कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु, महिला, शल्य आदि चिकित्सा सेवाओं की स्थिति नगण्य है। इसका प्रमुख कारण अधिकांश सरकारी और निजी अस्पतालों का निर्माण नगरीय क्षेत्रों में हुआ है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति में धनी और निर्धन वर्ग में अत्यधिक असमानता है। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होने कारण निर्धन व्यक्ति को महँगे निजी अस्पतालों उपचार करवाने के लिए जाना पड़ता है, जिससे वे ऋणग्रस्त होते हैं या मौत के मुँह में समा जाते हैं।

पर्यावरण- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास एवं आर्थिक संवृद्धि के लिए मैं हमने पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति पहुँचाई है। यदि हमने पर्यावरण को महत्त्व नहीं दिया, तो इसके परिणाम वीभत्स होंगे। इसलिए हमें मानव जाति को भविष्य के खतरों से बचाने के लिए, पर्यावरण के कार्यों, महत्त्व स्थिति और धारणीय विकास को प्राप्त करने के प्रयासों पर विचार करना चाहिए।

हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसमें सभी जैविक व अजैविक तत्त्व शामिल हैं, पर्यावरण कहलाता है। जैविक तत्त्वों में पशु-पक्षी, वन, मत्स्य आदि सभी जीवित तत्त्व आते हैं जबकि अजैविक तत्त्वों में हवा, पानी, मृदा आदि आते हैं।

पर्यावरण के कार्य- पर्यावरण मुख्य रूप से चार आवश्यक कार्य करता है-

1. पर्यावरण अवशेष को समाहित कर लेता है।
2. सौन्दर्य विषयक सेवाएँ प्रदान करता है।
3. नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति करता है।
4. यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है।

पर्यावरण उपरोक्त कार्यों को तब ही कर सकता है, जब ये उसकी धारण सीमा के अन्तर्गत आते हों। जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण आज प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषी क्षमता से बाहर है। परिणामस्वरूप जल संक्रामक रोग, ओजोन अपक्षय, वैश्विक ऊष्णता (GLOBAL WARMING) आदि में वृद्धि हुई है।

इसे भी जाने-

- पर्यावरण की अपक्षय सोखने की क्षमता को अवशोषी क्षमता कहते हैं।
- पृथिवी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक ऊष्णता कहते हैं।

भारत की पर्यावरणीय स्थिति- भारत के पास अथाह पर्यावरणीय या प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारे यहाँ हरे-भरे जंगल, सैकड़ों प्रकार के खनिज, हिन्द महासागर का विस्तृत क्षेत्रादि हैं। भारत में आर्थिक

विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी, लौह-अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, ताँबा, बॉक्साइट, हीरा, सोना, सीसा, मैंगनीज, यूरेनियम, जिंक आदि के पर्याप्त भण्डार हैं। भारत में गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा क्षरण, वन कटाव व वन्य-जीवन की विलुप्ति हैं। भारत के पास विश्व की कुल जनसंख्या का 17% और भौगोलिक क्षेत्र का 2.5% भाग है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा वायु प्रदूषण अधिक है। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से उत्सर्जित होने वाला धुआँ है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने 17 उद्योगों को अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के रूप में चिन्हित किया है।

धारणीय विकास- अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ हमें पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देने की

इसे भी जाने-

- भारत में सम्पूर्ण विश्व के 20 % लौह-अयस्क के भण्डार हैं।

आवश्यकता है, क्योंकि औद्योगिक विकास व हमारी जीवन शैली ने पर्यावरण के विनाश में वृद्धि की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (UNCED) ने धारणीय विकास की परिभाषा

इस प्रकार से की है- ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का समझौता किए बिना पूरा करे, धारणीय विकास कहलाता है।

धारणीय विकास की योजनाएँ –

1. **ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत-** भारत वर्तमान में विद्युत प्राप्ति के लिए तापीय (थर्मल) और जलीय (हाइड्रो) पावर संयन्त्रों पर अधिक निर्भर है। इन संयन्त्रों से निकलने वाली कार्बन-डाइ-ऑक्साइड गैस और राख से पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुँचाती है। इस पर्यावरणीय क्षति बचने के लिए हमें ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों, जैसे- सौर और पवन ऊर्जा की तकनीकी का विकास करना चाहिए।
2. **ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी., गोबर गैस -** ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व अधिक मात्रा में लकड़ी, कण्डे (उपले) व अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग ईंधन के रूप में होता था, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता था। अब सरकार द्वारा उज्जवला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में तरल पेट्रोलियम गैस (LPG- Liquefied Petroleum Gas) निः शुल्क दी जा रही है साथ ही गोबर गैस संयन्त्र स्थापित होने लगे हैं।
3. **शहरी क्षेत्रों में उच्चदाब प्राकृतिक गैस-** बड़े नगरों में अब उच्च दाब प्राकृतिक गैस (CNG- Compressed Natural Gas) का वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आई है।



4. **वायु-शक्ति-** तीव्र वायु प्रवाह वाले क्षेत्रों में पवन चक्कियाँ लगानी चाहिये, जिससे बिजली प्राप्त हो सके व प्रदूषण से बचा जा सके।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और पहाड़ी इलाकों में झरनों के माध्यम से बिजली प्राप्त की जा सकती है।

पर्यावरणीय पारम्परिक ज्ञान- सृष्टि के प्रारम्भ से ही भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं। हमारे ऋषि-मुनि वनों में रहकर ही पर्यावरण का पोषण करते थे। इसलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति में वृक्षों, जीवों आदि को महनीय स्थान प्रदान किया गया है। भारत में औषधीय गुणों से युक्त पौधों की 15,000 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 8000 जड़ी बूटियों का उपयोग उपचार में आज भी होता है। पश्चिम की एलोपैथी पद्धति ने हमारी इस विरासत को बहुत अधिक क्षति पहुँचाई है लेकिन आज धीरे-धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि भारत की प्राचीन जड़ी-बूटियों के द्वारा प्रभावशाली तरीके से विभिन्न रोगों का निदान किया जाता है। वर्तमान में सभी हर्बल सौन्दर्य उत्पाद प्रचलित हैं।

हमारा इतिहास पर्यावरण से मित्रवत् रहा है इसलिए हमें इसका संरक्षण करना होगा। कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक कीटनाशक तैयार किए जाने चाहिए। फसल-चक्र को अपनाना चाहिए।

आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत, चीन और पाकिस्तान का तुलनात्मक अध्ययन- भारत, पाकिस्तान व चीन तीनों एशिया महाद्वीप के अङ्ग हैं। भारत- पाकिस्तान 1947 ई. में स्वतन्त्र हुए और चीनी गणराज्य की स्थापना 1949 ई. में हुई थी। तीनों की विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। विकास पथ पर तीनों की शुरुआत एक साथ हुई थी। विकास की दिशा में भारत ने 1951 ई., पाकिस्तान ने 1956 ई. में तथा चीन ने 1953 ई. में अपनी प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ की थीं। 1980 के दशक तक तीनों देशों की वृद्धि दर व प्रतिव्यक्ति आय भी समान थी। पिछले अध्यायों में स्वतन्त्र भारत में विकास के लिए अपनाई गई नीतियों का अध्ययन किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमें चीन व पाकिस्तान की विकास नीतियों के विषय में अध्ययन करना होगा।

चीन- चीन में एक दलीय (कम्युनिष्ट पार्टी) शासन व्यवस्था के अन्तर्गत चीन गणराज्य की स्थापना हुई।

चीनी सरकार ने उद्यमों, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, भूमि आदि को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। वर्ष 1998 में सरकार ने ग्रेट लीप फॉर्वर्ड अभियान शुरू

इसे भी जाने-

- चीन में सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों को एस. ओ. ई. (सार्वजनिक क्षेत्रक) कहते हैं।

किया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना था। चीन में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कम्यूनों (लोगों का सामूहिक खेती करना) की संख्या में वृद्धि की गई। कम्यूनों में समस्त किसानों

को शामिल किया गया था। चीन में सुधारों की प्रारम्भ कई चरणों में हुआ। सर्वप्रथम कृषि, विदेशी व्यापार व निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। इसके पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुए। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित किये गए।

पाकिस्तान- पाकिस्तान भारत के समान मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व है। यहाँ हरित क्रान्ति के पश्चात् यन्त्रीकरण का प्रारम्भ हुआ था। आधारिक क्षेत्रों में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई। 1970 के दशक में यहाँ पूँजीगत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

जनांकिकीय संकेतक- चीन, भारत व पाकिस्तान की अपेक्षा जनसंख्या में बड़ा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व कम है। पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर इनमें सबसे अधिक है। 1970 के दशक में चीन में एक संतान नीति लागू की गई थी। इन तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। चीन को अपनी एक संतान वाली नीति में बदलाव करके दो संतान की अनुमति देनी पड़ी। चीन की अधिकांश आबादी नगरों में जबकि भारत की मात्र 33 % जनसंख्या नगरों में निवास करती है।

सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मामले में चीन दुनिया में दूसरा स्थान रखता है, जो 22.5 ट्रिलियन है। जबकि भारत व पाकिस्तान का क्रमशः 9.3 ट्रिलियन व 1.1 ट्रिलियन है। चीन में कुल भूमि का मात्र 10 % ही कृषि योग्य है जबकि 1980 के दशक तक यहाँ की 80 % जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर थी। किन्तु आज नगरीकरण ने कृषि क्षेत्र को कम कर दिया है। पाकिस्तान, चीन और भारत 1980 के दशक में सेवा क्षेत्र में श्रमशक्ति क्रमशः 27%, 12%, 17 % था, जो 2014 ई. में बढ़कर क्रमशः 34 %, 43 %, 29% हो गया था। चीन की आर्थिक संवृद्धि में विनिर्माण व सेवा क्षेत्रों का योगदान है जबकि भारत की आर्थिक संवृद्धि में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। पाकिस्तान में इस अवधि (सन् 1980-2015) में तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई है। चीन, भारत व पाकिस्तान से प्रतिव्यक्ति आय, स्वच्छता, जीवन प्रत्याशा साक्षरता सभी क्षेत्रों में आगे है।

विकास नीतियाँ- एक मूल्यांकन- सभी देश अपनी विकास प्रक्रिया के लिए अलग-अलग तरीकों को अपनाते हैं। चीन में माओवादी शासन के दौरान आर्थिक संवृद्धि धीमी एवं आधुनिकीकरण का अभाव था। व्यापक भूमि सुधारों, सामुदायिकीकरण और ग्रेट लीफ फॉरवर्ड व अन्य सुधारों के बाद भी चीन के विकास की गति धीमी रही थी। सन् 1978 के पश्चात् चीन में ग्रामीण उद्योगों का विकास हुआ, प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हुई तथा आगे और सुधारों के लिए मजबूत आधार बनाया गया।

पाकिस्तान की यदि बात की जाए, तो विद्वानों के अनुसार यहाँ सुधारों के बावजूद सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई है। यद्यपि, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक वृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया है।

भारत ने अन्य विकासशील देशों की भाँति आर्थिक वृद्धि की है। चीन ने संरचनात्मक सुधारों का निर्णय स्वयं ने लिया था जबकि भारत व पाकिस्तान को ऐसे सुधारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बाध्य किया गया था। चीन ने परम्परागत विकास नीति को अपनाते हुए क्रमशः कृषि से विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रक की ओर अग्रसर हुआ, जबकि भारत और पाकिस्तान सीधे कृषि से सेवा क्षेत्रक की ओर अग्रसर हुए हैं। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। परिणामस्वरूप आज भारत विश्व की पाँचवीं बड़ी अर्थ व्यवस्था वाला राष्ट्र है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- पर्यावरण के जैविक घटकों में..... शामिल है।
अ. हवा ब. मत्स्य स. मृदा द. जल
- भारत में औषधीय गुणों से युक्त पौधों की..... प्रजातियाँ हैं।
अ. 15,000 ब. 17,000 स. 18,000 द. 10,000
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों के पास बिजली सुविधा है।
अ. 50% ब. 56% स. 62% द. 68%
- चिकित्सा की भारतीय प्रणाली को..... कहा जाता है।
अ. चिराग ब. उत्कर्ष स. आयुष द. वैभव

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

- भारत में विकास की असमानता का प्रमुख कारण राज्यों की..... है।
(आधारिक संरचना/प्राकृतिक संरचना)
- 1970 के दशक में में एक सन्तान नीति लागू की गई। (चीन/भारत)
- चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में व्यवस्थाएँ हैं। (6/8)
- भारत में सम्पूर्ण विश्व के लौह-अयस्क के भण्डार हैं। (22 %/20 %)

सत्य/असत्य बताइए-

- मछली पर्यावरण के जैविक घटकों में शामिल है। सत्य/असत्य

2. भारत ने सन् 1955 में पञ्चवर्षीय योजना की शुरुआत की।	सत्य/असत्य
3. भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17% निवास करता है।	सत्य/असत्य
4. वर्ष 1998 में सरकार ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया	

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

देश	पञ्चवर्षीय योजना की शुरुआत
1. भारत	क. सन् 1956
2. पाकिस्तान	ख. सन् 1951
3. चीन	ग. सन् 1953

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. स्वास्थ्य से क्या आशय है?
2. चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में कौन-कौनसी 6 व्यवस्थाएँ हैं?
3. पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों में अन्तर बताइए।
4. LPG एवं CNG का पूरा नाम बताइए।
5. वैश्विक ऊष्णता किसे कहते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए।
2. आधारिक संरचना के दो भागों से आप क्या समझते हैं?
3. भारत, पाकिस्तान व चीन की विकास नीतियों में क्या-क्या अन्तर थे?
4. पर्यावरण मुख्य रूप से कौन-कौन से कार्य करता है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. आधारिक संरचना से क्या आशय है? इसकी वर्तमान स्थिति व प्रासंगिकता बताइए।
2. पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण में प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. वर्तमान समय में भारतीय अर्थ व्यवस्था को लेकर कक्षा में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए।



अध्याय- 20

सामाजिक संरचना और परिवर्तन

इस अध्याय में- सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण, सहयोग तथा श्रम विभाजन, समाज में प्रतिस्पर्धा, समाज में संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक व्यवस्था।

सामाजिक संरचना- समाज की संरचना विशिष्ट रूप से क्रमवार व नियमित होती है। आधुनिक समय में सामाजिक संरचना शब्द का प्रथम प्रयोग हरबर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सन् 1885 में किया था। सामाजिक संरचना में सामाजिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान निहित होते हैं। शरीर की संरचना में जिस प्रकार हाथ, पैर, आंख, नाक, कान आदि का योगदान है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना में सामाजिक इकाईयों जैसे समूह, समितियाँ, संस्थाएँ, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि का योगदान होता है। इसके पूर्व सामाजिक संरचना की अवधारणा का विकास ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुष सूक्त में मिलता है- **ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी द्वाहु राजन्यः कृतः ऊरोः तदस्यः यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। (10.90.12)** अर्थात् समाजरूपी विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण, भुजाएँ क्षत्रिय, जँघाएँ वैश्य और पाद शूद्र बताये गये हैं, जो समाज के अङ्ग के रूप में अपने कर्म करते हुए सम्पूर्ण समाज को पोषित करते हैं। इन सभी के एक साथ रहने से जीवन के मूल उद्देश्य (मोक्ष) को प्राप्त करना सम्भव है। वेदों में सामाजिक असमानता और ऊँच-नीच का विरोध किया गया है। कुल, वंश और कार्य आदि के आधार पर कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है। अथर्ववेद में कहा गया है हम किसी को दास न बनाये न कोई हमें दास बनावे। सभी संगठन में साथ साथ रहें- **अश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीर्यध्वं प्र तरता सखायः। अत्रा जहीत ये असन्दुरेवा अन्मीवानुत्तरेमाभि वाजान्॥ (12.2.26)** अर्थात् इस दुर्गम संसार रूपी सागर में परस्पर साथ मिलकर प्रीतपूर्वक जीवन यापन करने में निश्चित ही सबका उत्थान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना कोई नई अवधारणा नहीं है। इसके अनेक उदाहरण हमें वैदिक वाङ्मय में मिलते हैं।

सामाजिक संरचना की विशेषताएँ- सामाजिक संरचना का निर्माण परिवार, संस्थाएँ, समितियाँ, समूह आदि अनेक प्रकार की उप-संरचनाओं से मिलकर होता है। जिस प्रकार से किसी भवन को जमीन, दिवारें, छत मिलकर एक स्वरूप प्रदान करती हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना की विशेषताएँ भी उसे स्वरूप प्रदान करती हैं। सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- यह स्थायी होती है।
- इसका स्वरूप अमूर्त होता है।
- इससे हमें समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है।
- सहयोग, आत्मीकरण, अनुकूलन, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक प्रक्रियाएँ सामाजिक संरचना के मजबूत पक्ष हैं।

सामाजिक स्तरीकरण- सामाजिक स्तरीकरण, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, सम्पत्ति व शक्ति की मात्रा के अनुसार विभिन्न वर्गों में उच्च से निम्न क्रम में वर्गीकृत किया जाता है।

सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ-

- यह सामाजिक सांस्कृतिक होता है।
- यह समाज का उच्चता एवं निम्नता में विभाजन है।
- यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
- इसमें स्थिति एवं पद का वितरण होता है।
- यह मानव निर्मित है।

सहयोग तथा श्रम विभाजन- समाज में रहने वाले लोग एक-दूसरे से आपसी सहयोग, प्रेम, सौहार्द, बन्धुत्व से परस्पर जुड़े रहते हैं। यदि समाज में इन गुणों का अभाव होगा तो मानव जाति का अस्तित्व संकटमय हो जाएगा। सहयोग की यह भावना केवल मनुष्य में ही नहीं अपितु पशु-पक्षियों और अन्य जीवों में भी पायी जाती है। प्रमुख समाजशास्त्री दुर्खाइम के अनुसार “एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और इस तरह समाज के प्रकार्यों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है”।

समाज में प्रतिस्पर्धा- समाज में सहयोग, प्रेम, सौहार्द के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा भी होती है। प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका उद्भव समाज में ही हुआ है। मनुष्य में प्रतिस्पर्धा बचपन से ही होती है, जैसे- विद्यालय में विभिन्न बालकों में पढ़ाई, खेल इत्यादि के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। समय के साथ-साथ इसमें परिवर्तन होता रहा है। समकालीन विश्व में प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख मानदण्ड तथा परिपाटी है। प्रतिस्पर्धा को पूँजीवाद की सशक्त विचारधारा माना जाता है, जिसके अनुसार बाजार इस प्रकार कार्य करता है कि अधिकतम कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके।

समाज में संघर्ष- संघर्ष का अर्थ व्यक्ति के हितों में टकराव होता है। समाज में संसाधनों की अल्पता के कारण उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा संघर्ष को जन्म देती है।

समाज में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भिन्न-भिन्न सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं लेकिन ये तीनों समाज में एक साथ रहती हैं। सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण की व्यवस्था में तीनों प्रक्रियाएँ भिन्न रूपों में स्थित होकर सामाजिक समूहों के लिए कार्य करती हैं।

सामाजिक परिवर्तन- समाज में सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों, रीति-रिवाजों व परम्पराओं, सामाजिक-सांस्कृतिक मापदण्डों आदि में हुए परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है।

इसे भी जाने-

- सामाजिक सम्बन्धों में आए परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे।
मैकाइवर व पेज

प्राचीनकाल में शिक्षा गुरुकुलों में सामान्यतः खुले आकाश में वृक्षों की छाया में, जंगलों में, नदियों के किनारे, ग्राम या नगर के बाहर प्रदान की जाती थी। उस समय शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी। लेकिन धीरे-धीरे समाज में परिवर्तन आया और वर्तमान में शिक्षा आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला भवनों में, नगरों एवं ग्रामों के मध्य मोटी फीस लेकर दी जाती है। वैश्विक महामारी कोराना के दौरान शिक्षा



चित्र- 20.1 आधुनिक गुरुकुल

केन्द्रों के बन्द होने के कारण, आज शिक्षा के नये माध्यम जैसे- ई-कक्षा, आनलाईन अध्ययन, स्मार्ट कक्षा, डिजीटल-शिक्षा आदि का विकास हुआ है। इसी प्रकार प्राचीन काल में जल सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध था। सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में आज जल एक उद्योग का रूप ले चुका है।

सामाजिक परिवर्तनों की विशेषताएँ-

- सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप होते हैं।
- सामाजिक परिवर्तन की गति असमान व सापेक्षिक होती है।
- इनकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
- सामुदायिक परिवर्तन ही वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन है।
- यह एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है।

सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्रोत/कारक-

1. पर्यावरणीय कारक- प्रकृति, पारिस्थितिकी, भौतिक पर्यावरण आदि।
2. तकनीकी कारक- अनुसंधान, आविष्कार, औद्योगीकरण, मशीनीकरण आदि।
3. राजनैतिक कारक- राजतन्त्र से लोकतन्त्र का आना, युद्ध व सन्धियाँ, चुनाव आदि।
4. आर्थिक कारक- रेल, व्यापार, कृषि, पशुपालन, उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा आदि।
5. साँस्कृतिक कारक- धर्म, परिवार, महिलाओं की स्थिति, खेलकूद आदि।

ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक व्यवस्था- किसी विशेष प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों, मूल्यों तथा परिमाणों को बनाए रखना सामाजिक व्यवस्था कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था अन्तःक्रियारत व्यक्तियों का समूह है। प्राचीन समय में सामाजिक व्यवस्था के अलग प्रतिमान थे। धीरे-धीरे समय के साथ इनमें परिवर्तन होते गए। वर्तमान में सामाजिक व्यवस्था पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है। ग्रामीण व नगरीय सामाजिक व्यवस्था में भी अत्यधिक भिन्नता है।

सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएँ- परस्पर सहयोग व सद्भाव, वृहद् संस्कृति (अनेक रीतियाँ, प्रथाएँ आदि), समूह व उप-समूह, सामूहिक एकता, श्रम विभाजन, क्षेत्रीयता, आत्म-निर्भरता आदि सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था- गाँव, परिवारों का वह समूह होता है, जो एक निश्चित क्षेत्र में बसा होता है तथा एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है। गाँव, नगरों की अपेक्षा छोटे होते हैं। यहाँ परम्परागत सामाजिक परम्पराएँ व प्रथाएँ चलती रहती हैं।

ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएँ- मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन, कम जनसंख्या व कम क्षेत्रफल, प्राथमिक समूहों को महत्त्व, जाति व्यवस्था की प्रधानता, संयुक्त परिवार प्रणाली, प्रकृति से निकटता, बाह्य आडम्बर व रुढ़िवादिता, समान संस्कृति, मानवीय मूल्य (प्रेम, सौहार्द, सहयोग, भाईचारा आदि) ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

कस्बों व नगरों में सामाजिक व्यवस्था- सामान्यतः कस्बों व नगरों दोनों में एक ही प्रकार की व्यवस्था है। दोनों में अन्तर आकार के आधार पर होता है। कस्बे, नगरों की अपेक्षा छोटे होते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े गाँवों की प्रवृत्तियाँ जब नगरीकृत हो जाती हैं, तो उन्हें कस्बा कहा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कस्बे में ग्रामीण व नगरीय दोनों विशेषताएँ समाहित होती हैं।

नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएँ- एकल परिवार प्रणाली, ऊर्जा-प्रबन्धन, व्यक्तिवादिता, सामाजिक गतिशीलता, व्यवसायों की बहुलता, अधिक जनसंख्या व अधिक क्षेत्रफल, मानवीय सम्बन्धों का टूटना, बढ़ता अपराधीकरण, बच्चों में बढ़ता एकाकीपन, सुनियोजित बस्तियाँ व कचरे का प्रबन्धन, समुचित जल-प्रबन्धन आदि नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

- सामाजिक संरचना शब्द का प्रथम प्रयोग.....ने किया था।
 अ. हरबर्ट स्पेंसर
 ब. कॉम्ट
 स. दुर्खीम
 द. वेबर
- ग्रामीण समाज की विशेषताएँ नहीं है।
 अ. कृषि पर निर्भरता
 ब. प्रकृति से घनिष्ठ सम्बन्ध
 स. जनाधिक्य
 द. प्राथमिक सम्बन्धों की बहुलता
- 'प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी' नामक पुस्तक के रचयिता..... है।
 अ. एच. एम. जॉनसन
 ब. मैकाइवर व पेज
 स. कार्ल मार्क्स
 द. हरबर्ट स्पेंसर

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्रोत हैं। (कृषि व पशुपालन/उद्योग)
- प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी द्वारा लिखी गई। (दुर्खीम/स्पेंसर)
- सामाजिक परिवर्तन की गति व सापेक्षिक होती है। (समान/असमान)

सत्य/असत्य बताइए-

- संयुक्त परिवार प्रणाली नगरीय क्षेत्रों की विशेषता है। सत्य/असत्य
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की पर्याप्त उपलब्धता होती है। सत्य/असत्य
- सामाजिक संरचना शब्द का प्रथम प्रयोग कॉम्टे द्वारा किया गया। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. पर्यावरणीय कारक	क. कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि।
2. तकनीकी कारक	ख. प्रकृति, पारिस्थितिकी, भौतिक पर्यावरण आदि।
3. आर्थिक कारक	ग. आविष्कार, औद्योगिकरण, मशीनीकरण आदि।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सामाजिक संरचना से क्या आशय है?
2. सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं?
3. कस्बा किसे कहते हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ लिखिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएँ लिखिए।
3. कस्बा और नगर के अन्तर को समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. सामाजिक परिवर्तन और व्यवस्था से आप क्या समझते हैं।

परियोजना कार्य-

1. सामाजिक परिवर्तनों के अन्तर्गत प्राचीन व आधुनिक शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

अध्याय- 21

पर्यावरण और समाज

इस अध्याय में- वैदिक वाङ्मय में पर्यावरण की अवधारणा, संस्कृत व पौराणिक वाङ्मय में पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण के घटक, समाज व पर्यावरण का सम्बन्ध और प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, चिपको आन्दोलन, सी.एन.जी. अम्लीय वर्षा, ग्रीनहाउस प्रभाव।

पर्यावरण का सामान्य अर्थ हमारे चारों ओर का वातावरण है। विस्तृत अर्थ में भौतिक और जैविक परिवेश तथा उनके कारक, जिनका प्राणी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण कहलाता है। जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव-जन्तु, स्थलाकृति आदि सभी पर्यावरण के ही विभिन्न तत्त्व हैं। भारतीय संस्कृति एवं वाङ्मय में पर्यावरण को जैसा सम्मान जनक स्थान प्राप्त है, शायद ही दुनिया के किसी अन्य देश में प्राप्त हो।

वैदिक वाङ्मय में पर्यावरण की अवधारणा- वैदिक वाङ्मय में परितः आवरणं इति पर्यावरणं की धारणा को प्रतिपादित करते हुए पंच महाभूतों (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश), मनुष्य, प्राणियों, वनस्पतियों आदि के समग्र रूप को पर्यावरण के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। वैदिक वाङ्मय में ईश्वर प्रदत्त सभी वस्तुओं को निस्वार्थ भाव से आवश्यकतानुसार उपयोग की स्वीकृति दी है। पर्यावरण प्रदत्त सभी वस्तुओं को भारतीय संस्कृति में अतुलनीय माना गया है। गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के जलस्रोतों को वन्दनीय माना गया है। वेदों में प्रकृति को माता के रूप



चित्र- 21.1 वन में तपस्वी

में पूजा जाता है। भारत में अग्नि, जल, वायु, पृथिवी को अर्घ्य देने का प्रचलन है। हम नित्य सूर्य-चन्द्रमा को नमन करते हैं। तुलसी और पीपल (अश्वत्थ) के बारे में चिन्तन है कि ये दोनों वृक्ष प्रत्येक प्रहर प्राण वायु (ऑक्सीजन) निर्गत करते हैं। प्राचीन भारतीय वाङ्मय, धर्म, दर्शन व समाज में पर्यावरणीय चिन्तन का आरम्भ वैदिक व संस्कृत वाङ्मय से होता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति को वैदिक

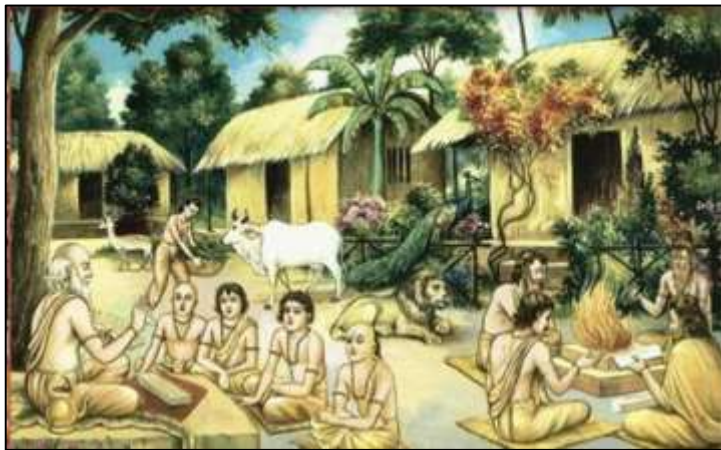
संस्कृति या तपोवनी संस्कृति की संज्ञा से अलंकृत किया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था के चार भागों में वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रवृत्त तपस्वी से वन पर ही आश्रित रहने की अपेक्षा की जाती थी। वन पर आश्रितता के कारण ही मानव व समाज को उनके संरक्षण और संवर्द्धन की अपरिहार्यता का समुचित भान हो सका। वैदिक वाङ्मय में इन विचारों की प्रामाणिकता भारतीय धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता के आचरण से स्वयं सिद्ध होती है। **ऊँ ईशावास्यामिदँ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्॥** (यजुर्वेद 40.1) अर्थात् इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है, वह सब ईश्वर द्वारा आवृत-आच्छादित है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गये का ही उपभोग करें। अधिक का लालच न करें, यह धन किसका है। अथर्व संहिता में जल की महत्ता को व्यक्त करते हुए लिखा है कि सूर्य की किरणें जल को समुद्र आदि से खींचती हैं। वह जल फिर बरसकर हमें अन्नादि पदार्थ एवं सुख प्रदान करता है। **अपो देवीरूप ह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः। सिन्धुभ्यः कर्त्वं हविः।** (1.4.3) अथर्ववेद में जल की शुद्धता एवं पवित्रता व गुणवत्ता को विस्तार से समझाया गया है। हमारी गायें जिस जल का सेवन करती हैं, उस जल का हम स्तुतिगान करते हैं। अन्तरिक्ष एवं भूमि पर प्रवाहमान उस जल के लिए हम हवि अर्पित करते हैं। **ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम्। अपो याचामि भेषजम्।** (1.5.4) सम्पूर्ण पृथिवी जल के लिए मूलतः वर्षा पर ही निर्भर है, इस कारण वैदिक वाङ्मय में मेघों के प्रति सम्मान का भाव स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। भूमि को माता के समान माना गया है, इसी भावना को स्वीकार करते हुए कहा गया है - **माता भूमिः पुत्रोऽहमं पृथिव्याः।** (12.1.12) अर्थात् यह धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। पृथिवी का संरक्षण और पोषण करना सामान्य कर्म नहीं है, जो व्यक्ति भूमि के सम्बन्ध में सभी परिस्थितियों से विज्ञ हो, तपोभाव पूर्ण हो, सत्यनिष्ठ हो, त्याग और बलिदान से युक्त एवं बलशाली हो वही मातृभूमि का पालन-पोषण तथा संरक्षण कर सकता है।

यजुर्वेद संहिता के रूद्राध्याय में वृक्ष के पालकों के लिए सम्मान एवं आदर भाव व्यक्त किया गया है- **नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः। वृक्षाणां पतये नमः। अरण्यानां पतये नमः॥** (16.17) अर्थात् हरे केशों (पत्तों) वाले वृक्षों और पशुओं (जीवों) के पालनकर्ता को नमस्कार करते हैं। वृक्षों के पालनकर्ता को नमस्कार करते हैं। वनों के पालनकर्ता को नमस्कार करते हैं। यजुर्वेद संहिता में ही समस्त वनस्पतियों से यह आह्वान किया गया है कि वे सदैव मनुष्य एवं समस्त प्राणियों के जीवन हेतु मधुरता प्रदायक हो। **मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु।** (13.29) पर्यावरण को अक्षुण्ण

बनाये रखने के लिए प्रकृति के लगभग सभी अवयवों में रक्त सम्बन्ध की स्थापना की गई है, पृथिवी को माता एवं आकाश को पिता के रूप में उद्घोषित करती अनेक ऋचाएं वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होती हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक वाङ्मय में प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों में देवत्व भावना की सृजना की गयी है तथा इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यज्ञीय संस्कृति का विकास किया गया है, जिससे पर्यावरणीय कारकों के साथ मानव के हृदय में मधुर सम्बन्धों की स्थापना होती है।

संस्कृत व पौराणिक वाङ्मय में पर्यावरण की अवधारणा- संस्कृत वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय के उस संस्कार



चित्र- 21.2 प्राचीन पाठशाला

को लेकर अग्रसर हुआ, जिससे प्रकृति को मनुष्य के धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक संस्कारों से सम्बद्ध किया गया है। प्रकृति के मूलभूत पंच महाभूतों को इस वाङ्मय में समुचित स्थान मिला है तथा इनके भली-भाँति संरक्षण एवं संवर्द्धन की परम्परा का निर्माण किया गया है। संस्कृत वाङ्मय की वैभवशाली

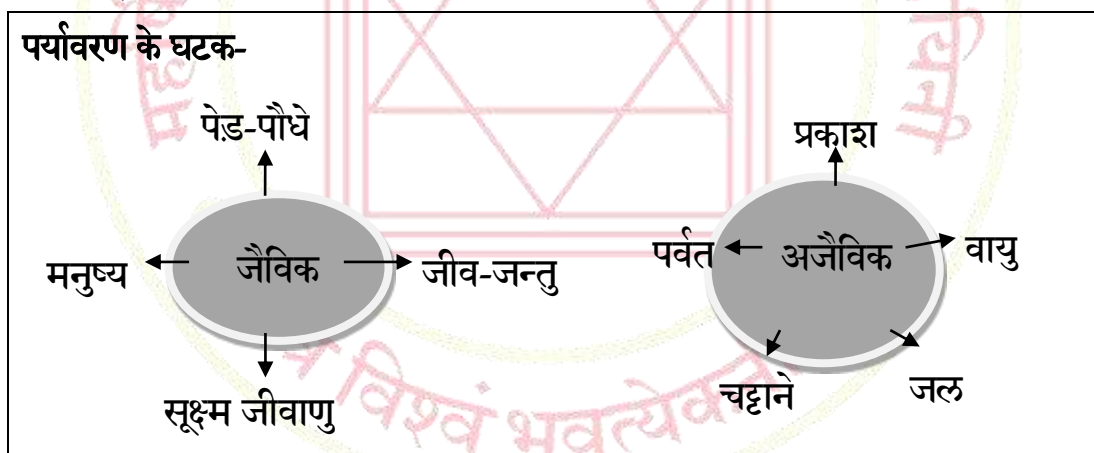
दीर्घ परम्परा में कवियों, आचार्यों तथा विचारकों की लम्बी श्रृंखला है, जिसमें वाल्मीकि, कालिदास, व्यास, मनु, भास, भारवि, दण्डी, भवभूति, बाणभट्ट आदि अनेक कवि हैं। इन कवियों ने अपने वाङ्मय में पर्यावरण प्रेम का जो निरूपण किया है, वैश्विक वाङ्मय में अद्वितीय है।

सूर्य, आकाश, पर्वत, पृथिवी, वायु तथा अन्तरिक्ष के साथ गङ्गा के जल की महत्ता विषयक संदर्भ के आलोक में महर्षि व्यास ने कहा है- यथा हीनं नमोऽर्केण भूः शैलेः खं च वायुना। तथा देशा दिशश्चैव गङ्गाहीना न संशयः ॥ अर्थात् जैसे सूर्य के बिना आकाश, पर्वत के बिना पृथिवी और वायु के बिना अन्तरिक्ष की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार जो देश और दिशाएँ गङ्गा जी से रहित हैं, उनकी भी शोभा नहीं होती है। भारतीय धर्म और दर्शन में श्रीमद् भगवद्गीता का स्थान बहुत पवित्र और आदर्श से युक्त है, गीता में श्रीकृष्ण स्वयं को गङ्गा नदी बताते हैं- स्रोतसामस्मि जाह्नवी (10.31) सम्पूर्ण संस्कृत और पौराणिक वाङ्मय में जल का विभिन्न रूपों में वर्णन है। ये सभी रूप जल के संरक्षण और संवर्द्धन के निमित्त हैं। मत्स्य पुराण में जल को साक्षात् तीर्थ रूप में आत्मसात करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, मनुष्य के लिए जल का उतना ही महत्त्व है जितना तीर्थ का। अनुद्धृतैरुद्धृतैर्वा जलैः स्नानं समाचरेत्।

तीर्थ प्रकल्पयेद् विद्वान् मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्॥ अर्थात् कुएँ एवं तालाब आदि के जल से स्नान करते हुए मन्त्रवेत्ता विद्वान् को मूलमन्त्र द्वारा उस जल में तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए।

संस्कृत वाङ्मय में वायु को ईश्वरीय अंश स्वीकार कर उसे मानवीय जीवनाधार माना है। पूज्यों की शृंखला में स्थित होने के कारण वायु सहज ही संरक्षणीय हो जाती है। जब गाँव में उत्पन्न वृक्ष फूलों और फलों से आच्छादित होता है और उस जाति का दूसरा वृक्ष गाँव में नहीं होता तब वही वृक्ष चैत्य वृक्ष के रूप में पूज्य एवं मान्य होता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है- दश कूप-समोवापी, दशवापी समोहदः। दश हृद-समः पुत्रो, दश पुत्रसमो द्रुम॥ अर्थात् दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब है, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र है और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्कृत-पौराणिक वाङ्मय में भी पर्यावरण व उसके घटकों को वन्दनीय स्थान दिया गया है।

पर्यावरण के घटक- पर्यावरण एक गतिशील संकल्पना है, जिसमें जैव और अजैव वस्तुओं के साथ किसी जीव के सम्बन्ध भी शामिल होते हैं। जैव पर्यावरण में भू-मण्डल के सभी पेड़-पौधे और जीव शामिल हैं। अजैव पर्यावरण में भूमि, जल, वायु अपने विविध भौतिक रूपों में शामिल हैं। ये सभी पर्यावरण के ही अभिन्न अङ्ग हैं।



पर्यावरण का वर्गीकरण- उत्पत्ति या विकास की प्रक्रिया के आधार पर पर्यावरण को दो भागों प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण में विभाजित किया है।

1. **प्राकृतिक पर्यावरण-** प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य उन सम्पूर्ण भौतिक शक्तियों, प्रक्रियाओं और तत्त्वों से है, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। इन शक्तियों के अन्तर्गत सूर्यताप, पृथिवी की दैनिक एवं वार्षिक परिभ्रमण की गतियाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ज्वालामुखी क्रियाएँ, भूपटल की गति तथा जीवन सम्बन्धी दृश्य सम्मिलित किए गए हैं। इसमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी प्राकृतिक तत्त्व, जैसे- भू-

रचना, चट्टानें, जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव-जन्तु, खनिज, जलाशय, महासागर आदि को सम्मिलित किया जाता है।

2. मानव निर्मित- मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण को मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। यह भौतिक पर्यावरण से भिन्न होता है। मानव निर्मित पर्यावरण के अन्तर्गत भवन, पार्क, गाँव, नगर, अस्पताल, सड़क, रेल, बाँध, रीति-रिवाज, खान-पान, त्यौहार आदि आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में मानव तकनीकी विकास की सहायता से मानव निर्मित पर्यावरण का निर्माण होता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता रहता है। उदाहरण के लिए वह घास के मैदानों में भूमि को जोतकर खेती व पशुपालन करता है। जंगलों को साफ कर, नई बस्तियाँ, सड़कें, नहरें, रेलमार्ग आदि का निर्माण करता है। पर्वतों को काटकर सुरंग आदि निकालता है। भू-गर्भ से खनिजों का खनन कर अनेक उपकरण अस्त्र-शस्त्र, यन्त्र आदि बनाता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक शक्तियों का विभिन्न प्रकार से दोहन कर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

समाज व पर्यावरण का सम्बन्ध और प्रभाव- समाज व पर्यावरण में सह-सम्बन्ध होने के कारण दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। पर्यावरण समाज को पोषित और प्रभावित होता है। मानव समाज के साथ-साथ अन्य जीव भी भोजन, जल, वायु व आवास हेतु पर्यावरण पर ही निर्भर हैं। समाज अपनी भौतिक, आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक उन्नति के लिए पर्यावरण के घटकों पर आश्रित है। मानव ने पर्यावरण के घटकों के उपयोग से ही खेत, कस्बे, नगर, सड़कें, रेलमार्ग, बाँध व नहरों का निर्माण किया है। कहीं पर्यावरण उसे प्रभावित करता है तो कहीं उसे उसके साथ अनुकूलन तथा परिवर्तन करना पड़ता है, इसे पर्यावरण समायोजन कहते हैं।



चित्र- 21.3 पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता- पर्यावरण संरक्षण से आशय है पर्यावरण की रक्षा या बचाव। वेदों में पर्यावरण शुद्धि हेतु अग्नि में गोघृत, गूगल, पिप्पली आदि औषधियों की आहुति के विषय में बताया गया है। सूर्य की किरणें इन आहुत औषधियों को वायु के साथ मिलकर और अधिक लोकोपयोगी बना देती हैं- तवायं भाग ऋत्विः सरश्मिः सूर्ये सचा। (ऋ.1.135.3) हम कह सकते हैं कि हमें पर्यावरण व उसके घटकों का आधिकारिक संरक्षण करना चाहिए। जिससे हमारी भावी पीढ़ियाँ भी इससे लाभान्वित होकर,

प्रकृति की सुन्दरता का आनन्द ले सकें। हमें अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रकृति का अतिदोहन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए वरना इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में अत्यधिक घातक होंगे।

हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जिसमें अधिकाधिक लोगों को पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया जाता है। सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 9 सितम्बर, 1972 ई. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम 1980 ई. में लागू हुए थे, जिनमें कालान्तर में अनेक संशोधन किए गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण के उपाय-

1. हमें अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए व अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।
2. उद्योगों व कारखानों को आबादी व नदियों से दूर स्थापित करना चाहिए एवं इनसे निकलने वाले धुएँ को परिष्कृत करके छोड़ना चाहिए।
3. कूड़ा-कचरा व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में नहीं फेंकना चाहिए।
4. कृषि में विषैले कीटनाशकों व उर्वरकों के स्थान पर जैविक या देशी खाद को बढ़ावा देना चाहिए।
5. एयर कन्डिशनर(ए.सी.), जनरेटर, इन्वर्टर आदि से कार्बन डाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रति क्षण वायुमण्डल में घुलते रहते हैं अतः हमें इनका उपयोग या तो बिल्कुल नहीं या कम से कम करना होगा।
6. जल संरक्षण को महत्त्व देना चाहिए।
7. पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 3R (Recycle, Reduce and Reuse) की अवधारणा अपनानी होगी।
8. अपने जीवन के विशेष अवसरों (जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ आदि) पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।

चिपको आन्दोलन- चिपको आन्दोलन पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक आन्दोलन था, जो 1972 ई. में उत्तराखण्ड के टिहरी गढ़वाल व हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में प्रारम्भ हुआ था। इस आन्दोलन में लोगों ने पेड़ों को गले से लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन दरअसल प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना इसलिए इसे चिपको आन्दोलन की संज्ञा दी गई। टिहरी से यह आन्दोलन सुन्दरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ था, जिसमें उन्होंने गाँव-गाँव जाकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए सन् 1981 ई. से 1983 ई. तक लगभग 5000 किमी. लम्बी ट्रांस हिमालय पदयात्रा की। इसके अतिरिक्त इस आन्दोलन में गौरा देवी, कामरेड गोविन्द सिंह रावत, चण्डी प्रसाद

इसे भी जाने-

- ब्रिटिश भारत में 1927 ई. में वन अधिनियम लागू हुआ था।
- चिपको आन्दोलन में गौरा देवी के साथ लगभग 27 महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी।
- चिपको आन्दोलन का घोष वाक्य- क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार।

भट्ट आदि के कार्य भी सराहनीय हैं। चिपको आन्दोलन को सफलता 1980 ई. में मिली, जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने हिमालयी वनों (उत्तराखण्ड का क्षेत्र) में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया था और केन्द्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक मुख्य मुद्दा बना दिया।

सी.एन.जी.- CNG को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (Compressed Natural Gas) कहा जाता है। इस गैस को वाहनों में उपयोग करने के लिए 200-250 कि.ग्रा. प्रति वर्ग सेमी तक दबाकर बनाया जाता है। सी.एन.जी.से वाहन चलाने पर पर्यावरण प्रदूषण तो कम होता ही है साथ ही यह सस्ती भी है।

अम्लीय वर्षा- विभिन्न उत्पादन क्रियाओं, उद्योगों, कारखानों, वाहनों एवं तेल शोधनशालाओं से निकली कार्बन डाई आक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड(SO₂), नाइट्रिक ऑक्साइड आदि गैसों वायु में घुल जाती हैं तथा वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये अम्ल, वर्षा जल के साथ पृथिवी पर गिरते हैं, तो इसे अम्लीय वर्षा (ACID RAIN) कहते हैं।

ग्रीन हाउस प्रभाव- ग्रीन हाउस (हरित गृह) प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, जो पृथ्वी के धरातल को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। इसी कारण पृथ्वी पर जीवन सम्भव है। ग्रीनहाउस प्रभाव में सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा, प्रकाश किरणों के रूप में एक सतह को पार करके ग्रीनहाउस तक आती है। इस ऊर्जा का कुछ भाग मिट्टी, पेड़ पौधों और ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषित ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा में परिवर्तित होकर पृथिवी के तापमान को निश्चित बनाए रखता है। जल वाष्प, कार्बन डाई ऑक्साइड, मेथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रमुख ग्रीनहाउस प्रभाव की उपयोगी गैसों हैं। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन से पृथिवी के तापमान में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसके परिणामस्वरूप रेगिस्तान में बाढ़ का आना, अतिवर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की कमी होना, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जलस्तर का बढ़ना आदि मानव अस्तित्व के संभावित संकट के कारण हैं। अतः इस संकट से बचने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी कार्य करने होंगे।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. विश्व पर्यावरण दिवस.....को मनाया जाता है -
अ. 1 जून ब. 5 जून
स. 10 जून द. 15 जून
2. सुन्दर लाल बहुगुणा का सम्बन्ध.....है।
अ. चिपको आन्दोलन से ब. किसान आन्दोलन से
स. जल आन्दोलन से द. उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. प्राकृतिक पर्यावरण में.....सम्मिलित हैं।
अ. चट्टाने ब. वनस्पती
स. वन्यजीव द. उपर्युक्त सभी
4. भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम.....को लागू हुआ।
अ. 5 सितम्बर 1970 ब. 5 सितम्बर 1971
स. 9 सितम्बर 1972 द. 9 सितम्बर 1973

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. पौधे मानव को प्रदान करते हैं। (नाइट्रोजन/ऑक्सीजन)
2. वेदों में प्रकृति को के रूप में पूजा जाता है। (माता/देवी)
3. पृथिवी जल के लिए मुलतः पर ही निर्भर है। (वर्षा/बादल)
4. चिपको आन्दोलन में.....का योगदान सराहनीय है। (गौरादेवी/ मायादेवी)

सत्य/असत्य बताइए-

1. पर्यावरण में जैविक व अजैविक दोनों घटक शामिल हैं। सत्य/असत्य
2. विश्व पर्यावरण दिवस 1 जून को मनाया जाता है। सत्य/असत्य
3. भारत में पहली बार वन अधिनियम सन् 1927 में लागू हुआ। सत्य/असत्य
4. ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जीवन सम्भव है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान-

1. वन्य जीव अधिनियम क. सन् 1980
2. चिपको आन्दोलन ख. सन् 1972
3. वन (संरक्षण) अधिनियम ग. 5 जून
4. विश्व पर्यावरण दिवस घ. सन् 1972

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पर्यावरण से क्या तात्पर्य है?
2. चिपको आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
3. सी.एन.जी. का पूरा नाम लिखिए।
4. पर्यावरण के विभिन्न कारक/घटक कौन-कौन से हैं?
5. अम्लीय वर्षा से क्या आशय है?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पर्यावरण समायोजन से क्या तात्पर्य है?
2. पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के बारे में बताइए।
3. मानव निर्मित पर्यावरण से आप क्या समझते हैं?
4. समाज व पर्यावरण के सम्बन्ध पर टिप्पणी लिखिए।
5. 'चिपको आन्दोलन' पर टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. वैदिक और संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण की अवधारणा को समझाइए।
2. पर्यावरण संरक्षण से क्या आशय है? विभिन्न उपायों को बताइए।

परियोजना कार्य-

1. किन्ही पाँच वृक्षों के चित्र बनाइए।
2. अपनी पाठशाला में सभी छात्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 2-2 वृक्ष लगायें।

अध्याय – 22

प्रमुख समाजशास्त्री

इस अध्याय में- समाजवाद का परिचय, ज्ञानोदय, फ्रान्सिसी क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, प्रमुख पाश्चात्य समाजशास्त्री, भारत में समाजशास्त्र विषय का आरम्भ, प्रमुख प्राचीन भारतीय समाजशास्त्री, प्रमुख आधुनिक भारतीय समाजशास्त्री।

समाजशास्त्र का परिचय- समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति में ज्ञानोदय, वैज्ञानिक क्रान्ति, फ्रान्सिसी क्रान्ति व औद्योगिक क्रान्ति का महत्त्वपूर्ण योगदान है। अतः समाजशास्त्र को 'क्रान्ति के युग' की संतान भी कहा जाता है। आगस्ट कॉम्टे को 'समाजशास्त्र का पिता' माना जाता है। पश्चिम के समाजशास्त्रियों कार्ल मार्क्स, मैक्स वैबर व एमिल दुर्खीम को आधुनिक समाजशास्त्र की शास्त्रीय परम्परा का धारक कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्रीय दृष्टि और जन भावनाएँ सभ्यता काल से ही एक विराट और स्वस्थ परम्परा के रूप में देखी जा सकती हैं। वैदिक वाङ्मय में समाज के संगठित और लोक कल्याणकारी स्वरूप में समानता, स्वतन्त्रता व बन्धुत्व की भावना के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद आदि प्राचीन भारतीय सामाजिक चिन्तक थे। आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख भारतीय चिन्तक गोविन्द सदाशिव घुर्ये, धुर्जिट प्रसाद मुखर्जी, अक्षय रमनलाल देसाई, एम.एम.श्रीनिवास आदि हैं। आइये पूर्व और पश्चिम में परिवर्तनकारी उन बौद्धिक परिणामों की चर्चा करें जो समाजशास्त्र के उद्भव का कारण रहीं।

ज्ञानोदय- पश्चिमी यूरोप में 17वीं-18वीं सदी के मध्य संसार के विषय में सोचने-विचारने के नए व मौलिक दृष्टिकोणों का विकास हुआ, जिसे ज्ञानोदय का नाम दिया गया। ज्ञानोदय ऐसी विचारधारा है, जिसमें मनुष्य को सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के केन्द्र बिन्दु के रूप में स्थापित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशेषता माना है। ज्ञानोदय या प्रबोधन मात्र को एक सम्भावना से वास्तविक यथार्थ को बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का योगदान है, जिन्हें हम धर्म निरपेक्षता, वैज्ञानिक व मानवतावादी विचार कहते हैं।

फ्रान्सिसी क्रान्ति- फ्रान्सिसी क्रान्ति का समय 1789 ई. से 1799 ई. तक रहा है जो यूरोप के इतिहास में एक मील का पत्थर था। रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्यू का इस क्रान्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। फ्रान्सिसी क्रान्ति के समय फ्रान्स में लुई 16 वाँ का शासन था। क्रान्ति के फलस्वरूप फ्रान्स में अनेक

परिवर्तन हुए। लोगों को कानून व राजकीय संस्थाओं के समक्ष समानता, धार्मिक और सामाजिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त हुआ था। आधुनिक समाजशास्त्रियों द्वारा समानता, स्वतन्त्रता व बन्धुत्व की भावना को फ्रान्सिसी क्रान्ति की देन माना जाता है।

औद्योगिक क्रान्ति- औद्योगिक क्रान्ति की आरम्भ ब्रिटेन में 18 वीं-19 वीं सदी में वस्त्र उद्योग से हुई मानी जाती है। इसके दो प्रमुख कारण थे- पहला विज्ञान तथा तकनीकी के साथ उद्योगों का मशीनीकरण और ऊर्जा के नये साधनों का प्रयोग। दूसरा, श्रम तथा बाजार को नये रूप में बड़े पैमाने पर संगठित किया जाना। परिणामस्वरूप इंग्लैंड में नये औद्योगिक नगरों के विकास के साथ ही आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक सुदृढ़ हुई थी।

प्रमुख पाश्चात्य समाजशास्त्री-

अगस्त काम्टे (1798 ई.-1857 ई.)- इन्सिडोर अगस्त मेरिए फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे का जन्म 19 जनवरी, 1798 ई. में मौन्टपीलियर, फ्रान्स में हुआ था। अगस्त

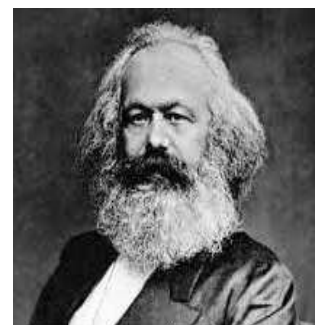
काम्टे एक महान सामाजिक विचारक और अनुभववादी चिंतक थे। वे वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण की क्रमवद्धता के साथ घटनाओं की व्याख्या ऐतिहासिक विधि द्वारा किया जाना आवश्यक है। कॉम्टे का 59 वर्ष की आयु में 1857 ई. को मृत्यु हो गई। कॉम्टे ने



चित्र- 22.1 अगस्त काम्टे

समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया हैं। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता हैं। काम्टे ने अनेक मौलिक ग्रन्थों की रचना की है- ए प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, दि कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, कैचिज्म पॉजिटिविज्म, आदि।

कार्ल मार्क्स (1818 ई.-1883 ई.)- कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई, 1818 ई. को राइनलैण्ड (जर्मनी) में हुआ था। हीगल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित कार्ल मार्क्स ने दर्शनशास्त्र एवं इतिहास का अध्ययन कर, बॉन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की थी। मार्क्स ने पूँजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था, इसलिए उन्हें किसानों, मजदूरों व पीड़ितों का मसीहा कहा जाता है। पूँजीवाद, वर्ग-संघर्ष, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन आदि इनके प्रमुख सिद्धान्त हैं। मार्क्स के अनुसार संसार में अशान्ति एवं असंतोष



चित्र- 22.2 कार्ल मार्क्स

का कारण गरीबों और अमीरों के बीच का संघर्ष है। इस संघर्ष को उन्होंने वर्ग-संघर्ष कहा है। होली फैमिली, दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉस्फी इनकी प्रमुख व प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। 1849 ई. में मार्क्स को अपने देश से बाहर निकाल दिया गया, तदुपरान्त वे आजीवन इंग्लैण्ड में ही रहे थे। 64 वर्ष की अवस्था में 14 मार्च, 1883 ई. को लन्दन में आपका निधन हो गया था।

एमिल दुर्खीम (1858 ई.-1917 ई.)- एमिल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल, 1858 ई. को एपीनल (लॉरेन, फ्रान्स) में हुआ था। एमिल दुर्खीम ने जर्मनी में अर्थशास्त्र, लोक-मनोविज्ञान व सांस्कृतिक मानवशास्त्र का अध्ययन किया था। 1913 ई. में समाजशास्त्र विषय को इन्होंने एक मान्यता प्राप्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ये एक महान शिक्षक व विचारक भी थे। दुर्खीम को आगस्ट कॉम्टे का अनुयायी व उत्तराधिकारी माना जाता है। दुर्खीम ने 'आत्महत्या का सिद्धान्त' में यह सिद्ध कर दिया था कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। 'डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी', द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, एजुकेशन एण्ड सोशियोलॉजी आदि दुर्खीम की प्रमुख रचनाएँ हैं।



चित्र- 22.3 एमिल दुर्खीम

मैक्स वैबर (1864 ई.-1920 ई.)- मैक्स वैबर का जन्म 21 अप्रैल, 1864 ई. को एरफर्ट (जर्मनी) के पर्शियन परिवार में हुआ था। वैबर अपने सात भाईयों में सबसे बड़े थे। वैबर की खेलने से अधिक पुस्तकों में रूचि थी। वैबर ने भाषा, इतिहास और साहित्य की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ सेना में नौकरी करने लगे थे। ये गोथे, स्पिनोजा व कांट के विचारों से ये अत्यधिक प्रभावित थे। वैबर ने 1894-96 ई. तक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर कार्य किया था परन्तु



चित्र- 22.4 मैक्स वैबर

अस्वस्थता के कारण यह नौकरी छोड़कर ये रोम चले गए थे। 1919 ई. में पुनः अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। दि रिलीजन ऑफ चाइना, दि रिलीजन ऑफ इण्डिया, जनरल इकॉनॉमिक हिस्ट्री आदि मैक्स वैबर प्रमुख रचनाएँ हैं।

प्राचीन भारत के पथ प्रदर्शक ऋषि एवं समाजशास्त्री- प्राचीन काल से ही भारत में सामाजिक चिन्तन की परम्परा में हमारे ऋषियों, मुनियों का स्थान अग्रणी रहा है। मानवीय समाज की आदर्शात्मक संकल्पना एवं समाज शास्त्रीय सिद्धान्तों की व्याख्या वैदिक वाङ्मय में अनेक स्थलों पर स्पष्ट हुई है। विश्व में कितनी ही संस्कृतियाँ अस्तित्व में रही हों परन्तु उनका श्रीगणेश वैदिक संस्कृति से ही सम्भव हुआ है। सामाजिक

विकास के मूल आधार- समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व की सम्पूर्ण अवधारणा का विधान ऋग्वेद के सामनस्य सूक्त (10.91) में हुआ है- समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ (10.91.4) अर्थात् सबका हृदय व मन समान हों और परस्पर मतभेद न हो।

एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर निर्मित बृहत् मानव समूह को समाज कहते हैं, जिसमें सभी लोग मिलकर मानवीय क्रिया-कलाप करते हैं। समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत सामाजिक क्रिया-कलापों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समाज को विनियमित करने वाले वेद विहित नियमों, विधियों एवं उपबन्धों को स्मृतियों में संहिताबद्ध किया गया है। अतः स्मृतियों को प्राचीनतम समाजशास्त्र की मानक रचना और स्मृतिकारों को निःसन्देह समाजशास्त्री कहा जा सकता है। स्मृतियों का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन को वेद विहित मार्ग का स्पष्टतः उपदेश कर मानव जीवन को सुचारु रूप से आनन्दपूर्वक, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए प्राप्तव्य के साथ व्यतीत करते हुए अमरत्व की ओर ले जाना है। स्मृतियों में लोगों और उनके समुदायों के दैनिक आचरण, शिष्टाचार और रीति रिवाजों को विनियमित करने-के लिए निश्चित नियमों और विधियों के साथ-साथ वर्णाश्रम के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। स्मृतियों में जन्म से मृत्यु तक विविध कार्यों का उपदेश करने के साथ ही कुछ कार्यों को प्रतिबन्धित भी किया गया है।

कालक्रम में सामाजिक परिवेश के अनुरूप स्मृतियों में विधि, निषेध, प्रतिषेध, स्तुत्य कर्तव्य, निन्दित कार्य निर्देशित हैं। आक्रान्ताओं और उनके सांस्कृतिक-प्रहार से रक्षा हेतु भारतीय समाज के परिवेश और आवश्यक नियम समय-समय पर परिवर्तित होते रहे हैं। स्मृतिकारों ने समय और परिस्थितियों के अनुसार सभी वर्गों के लोगों को अपने जीवन में कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों एवं प्राप्तव्य के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिए हैं। नई स्मृतियों को विभिन्न युगों और भारत के विविध प्रदेशों के ऋषियों द्वारा संकलित किया गया है।

स्मृतिग्रन्थों में वैदिक धर्म का अधिकार, विद्या का आरम्भ, ब्रह्मचारी के नियम, दन्तधावन तथा स्नान-विधि, सन्ध्या, प्राणायाम-जप, अध्ययन का समय, विश्राम का समय, गृहस्थ के कर्तव्य, संस्कारों के अनुष्ठान जैसे उपनयन, विवाह, पञ्चमहायज्ञ, लोक में देवी-देवता आराधना, आदि का विवरण, भोजन के नियम, पाप और प्रायश्चित्त, देवता-पितृतर्पण, श्राद्ध करने का अधिकारी, अशौचकाल, श्राद्ध, वानप्रस्थ और सन्यास के नियम आदि के साथ-साथ-प्रशासकों के कर्तव्य, आजीविका के साधन, व्यापार, सम्पत्ति का विभाजन, व्यवहार आदि सम्बन्धित नियमों का उल्लेख किया गया है।

प्रपञ्च में जीवन का आधार धर्म है। धर्म से व्यक्ति और समाज को सम्पूर्ण मानवता के साथ अनुशासन की शिक्षा भी प्राप्त होती है। वेदों में निर्देश है कि जगत का आधार धर्म है। यदि धर्म रूपी नींव हिलती है तो मानव जीवन और समाज की अधिरचना भी हिल जाएगी और सुख, शान्ति, समृद्धि समाप्त हो सकती है।

प्राचीन भारत के प्रतिष्ठित स्मृतिकार (समाजशास्त्री)- भारत में समय समय पर-विविध स्मृतिकार रहें हैं साथ ही उनकी स्मृतियों का नाम उन्हीं स्मृतिकारों (समाजशास्त्रियों) के नाम पर रखा गया है। स्मृतिकारों (समाजशास्त्रियों), विधि-निर्माताओं में मनु, नारद, याज्ञवल्क्य और पराशर सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा निर्मित सामाजिक विधि-विधान भारतीय समाज व्यवस्था की रीढ़ है। अतः मनुस्मृति (मानव धर्मशास्त्र), याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति प्रमुख स्मृतिग्रन्थ हैं। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति वर्तमान में सम्पूर्ण भारत में आधिकारिक कार्यों के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। याज्ञवल्क्य स्मृति को विशेषरूप से हिन्दू विधि के सभी मामलों में आधिकारिक कार्यों हेतु तथा न्यायनिर्णय में भी परामर्श में लिया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य पन्द्रह स्मृतिकार- विष्णु, दक्ष, संवर्त, व्यास, हारीत, शातातप, वसिष्ठ, यम, आपस्तम्ब, गौतम, देवल, शंख, उषना, अत्रि और शौनक हैं। इन स्मृतिकारों के स्मृतिग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ और मुद्रित पुस्तकें प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में भी स्मृतिमुक्ताकलाप, स्मृतिसन्दर्भ एवं निर्णयसिन्धु आदि धर्मशास्त्र निबन्धों में अनेक समाजशास्त्रीय विषय निबन्धित है। इनके अतिरिक्त, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर महाभारत के प्रसिद्ध चिन्तक तथा समाजशास्त्री रहें हैं। भीष्म पर्व में पितामह भीष्म का युधिष्ठिर को उपदेश, विदुर नीति, नारद स्मृति, के साथ-साथ बोधायन, आपस्तम्ब और कात्यायन ऋषियों द्वारा रचित धर्मसूत्रों, गृह्यसूत्रों, श्रौतसूत्रों में समाज शास्त्रीय विचार प्राप्त हैं।

मनु -विश्व के समाज शास्त्रियों में मनु का स्थान सर्वोच्च है। महान ज्ञानी तिभा सम्पन्नबहुमुखी प्र ,मनु को विश्व का प्रथम सामाजिक नीति निर्माता माना जाता है। पी काणे .वी .की प्रसिद्ध कृति 'धर्मशास्त्र का इतिहास' में मनु के विषय में कहा गया है कि मनु, मानव जाति के आदिपिता हैं। ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों की परम्परा में आते हैं। मनु से उत्पन्न होने वाली सन्ततियों को मानव कहा गया है, 'मानव्यो हि प्रजाः'। भारतवर्ष में सर्वप्रथम मनु ने ही यज्ञ परम्परा का विकास किया था। महाभारत के शान्ति पर्व में मनु को स्वायम्भुव मनु, प्राचेतस मनु आदि कहा गया है। नारद स्मृति के अनुसार मनु ने मानव धर्मसूत्र (मानव धर्मशास्त्र) की रचना की थी। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय तथा 2684 श्लोक हैं। लुई जैकोलिऑट (Louis Jacolliot) की पुस्तक The Bible in India- Hindoo Origin of Hebrew and Christian Revelation में उल्लेख है कि "मनुस्मृति ही वह आधारशिला है,

जिसके ऊपर मिस्र, पर्शियन, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ है। "वर्तमान में भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। मनुस्मृति की गणना विश्व के ऐसे ग्रन्थों में की जाती है, जिससे मानव ने वैयक्तिक आचरण और समाज निर्माण की प्रेरणा प्राप्त की है। मनुस्मृति भारतीय आचारसंहिता का विश्वकोश है-, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम, वर्ण, राजधर्म व प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख है। मनुस्मृति में व्यक्तिगत चित्तशुद्धि से लेकर सम्पूर्ण समाज व्यवस्था का वर्णन है, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। मनु ने समाज में स्त्रियों का उच्च स्थान, कभी शोक नहीं करने, सदैव प्रसन्न रखने और संपत्ति में विशेष अधिकार देने का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है- यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतां। यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥ न शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् । न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता। तानि कृत्याह्वतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनै। भूतिकामैर्नैर्नित्यं सत्कारेषून्सवेषु च॥ सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भत्रा भार्या तथैव च। यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ (3.56-60)। मनु ने राज्य के कुशल सञ्चालन के लिए सर्वप्रथम सप्तांग सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था- स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्तथा। सप्त प्रकृतयो ह्योताः सप्ताङ्गं राज्यं मुच्यते॥ (9.294) अर्थात् राजा, मन्त्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दण्ड और मित्र राज्य के सात अङ्ग हैं। ये सात अङ्ग, राज्यरूपी शरीर की सात प्रकृतियाँ हैं। इनके अभाव में राज्य सञ्चालन की कल्पना करना कठिन है।

याज्ञवल्क्य- याज्ञवल्क्य एक ऋषि और दार्शनिक के साथ- साथ एक समाजशास्त्री भी थे। याज्ञवल्क्य, आचार्य वैशम्पायन के शिष्य और राजा जनक के गुरु थे। शास्त्रों में इनको 'वाजसनेय' भी कहा गया है। याज्ञवल्क्य को 'नेति नेति' (यह नहीं, यह भी नहीं) के सिद्धान्त का प्रवर्तक भी माना जाता है। राहुल सांस्कृतायन ने अपनी पुस्तक "वोल्गा से गंगा" में उल्लेख किया है कि याज्ञवल्क्य और जैवलि ने उपनिषदों के विकास और समाज में उनको प्रतिष्ठित करने का कार्य किया था। याज्ञवल्क्य की प्रमुख कृति 'याज्ञवल्क्य स्मृति' और 'याज्ञवल्क्य शिक्षा' है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा टीका का प्रयोग भारतीय न्यायालयों में प्रमाण के रूप में किया जाता है।

नारद- नारद, ब्रह्माजी के मानस पुत्र हैं। शास्त्रों में नारद को ईश्वर का मन कहा गया है। नारद का समाज के सभी वर्गों में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। समय-समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद की महत्ता को स्वीकार करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता कहा है- देवर्षीणाम् च नारदः।(10.16) देवर्षियों में मैं नारद हूँ। महाभारत के सभापर्व के पाँचवें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि देवर्षि नारद वेद, उपनिषदों, इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, पूर्व कल्पज्ञ,

न्याय एवं धर्म के तत्त्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान, संगीत-विशारद, महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता हैं। नारद की प्रमुख कृतियाँ नारद पञ्चरात्र और नारद स्मृति हैं। नारद स्मृति में सामाजिक कार्य प्रणाली, जैसे- न्याय, ऋणाधान, सहकारिता, दत्ताप्रदानिक (अनुबन्ध तोड़ना), उपनिधि (जमानत), अभ्युपेत्य-अशुश्रूषा (सेवा अनुबन्ध को तोड़ना), वेतनस्य अनपाकर्म (वेतन नहीं देना) आदि का उल्लेख है।

भारत में आधुनिक समाजशास्त्र विषय का विकास- आधुनिक भारत में समाजशास्त्र के विकास को तीन चरणों में बाँटा गया है- प्रथम चरण का समय 1769 ई.-1900 ई. तक माना जाता है। 1774 ई. में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बङ्गाल की स्थापना को भारत में समाजशास्त्र विषय का प्रारम्भिक रूप माना जाता है। द्वितीय चरण का समय 1901 ई.-1950 ई. तक माना जाता है। समाजशास्त्र विषय को विश्वविद्यालय में अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना मुम्बई विश्वविद्यालय में (1914 ई.) हुई। लखनऊ में राधाकमल मुखर्जी समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बने। इरावती कर्वे की अध्यक्षता में पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत हुई। 1969 ई. में 'इण्डियन काउन्सिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च' की स्थापना हुई। भारतीय विद्वानों का सम्पर्क विश्व के अन्य देशों के विद्वानों से हुआ, जिसके पश्चात प्रकाशन व शोध के क्षेत्र में वृद्धि हुई।

प्रमुख आधुनिक भारतीय समाजशास्त्रीय चिन्तक-

गोविन्द सदाशिव घुर्ये (1893 ई.-1983 ई.)- इनका जन्म 12 दिसंबर, 1893 ई. को मालवन (महाराष्ट्र) में हुआ था। घुर्ये ने मराठी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी एवं विदेश में अध्ययन के लिए भेजा गया था। घुर्ये की प्रमुख रचनाएँ-कास्ट एंड रेस इन इण्डिया, इण्डियन साधूज, 'सिटीज एण्ड सिविलाइजेशन, इण्डियन कॉस्ट्यूम' हैं।



चित्र- 22.5 गोविन्द सदाशिव घुर्ये

धुर्जिट प्रसाद मुखर्जी (1894 ई.-1961 ई.)- धुर्जिट प्रसाद मुखर्जी का जन्म 5 अक्टूबर, 1894 ई. को पश्चिम बङ्गाल में हुआ था। मुखर्जी एक प्रसिद्ध प्रोफेसर व समाजवादी विचारक थे। प्रोफेसर मुखर्जी ने भारत की सामाजिक व्यवस्था को ही उसका निर्णायक व विशिष्ट लक्षण माना है। इनके अनुसार भारत

में सामाजिकता का बाहुल्य है। वास्तव में सामाजिकता की अधिकता, भारत की विशेषता ही है। मुखर्जी ने सामाजिक परम्पराओं व परिवर्तनों को जानने पर विशेष बल दिया था। धुर्जिट प्रसाद मुखर्जी के अनुसार परम्पराओं का अर्थ समाज की प्रथाओं, रीति-रिवाजों, संस्कारों और विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित करना है। परम्पराएँ भारतीय समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु हैं। भारतीय परम्पराओं में परिवर्तन लाने वाले मुख्य सिद्धान्त- श्रुति, स्मृति एवं अनुभव हैं। मॉडर्न इण्डिया कल्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

अक्षय रमनलाल देसाई (1915 ई.-1994 ई.)- अक्षय रमनलाल देसाई का जन्म 26 अप्रैल 1915 ई. को नाडियाड (गुजरात) में हुआ था। 1951 ई. में इनकी नियुक्ति बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र



चित्र- 22.6 अक्षय रमनलाल

विभाग में हुई थी। अक्षय रमनलाल देसाई की प्रमुख रचना 'भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि' और 'भारत में ग्रामीण समाज शास्त्र' हैं। देसाई ने किसान आन्दोलन तथा ग्रामीण समाजशास्त्र, आधुनिकीकरण, नगरीय मुद्दे, राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य का स्वरूप और मानवाधिकार आदि विषयों पर अधिक कार्य किया था। देसाई ने लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है और इसकी

अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है।

एम.एन. श्रीनिवास (1916 ई.-1999 ई.)- मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास का जन्म 16 नवंबर, 1916 ई.

को मैसूर (कर्नाटक) में हुआ था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा मैसूर में होने के पश्चात स्नातकोत्तर की पढ़ाई हेतु मुंबई चले गए थे, जहाँ घुर्ये इनके गुरु थे। 1951 ई. में बड़ौदा में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। भारतीय गाँवों, दक्षिण भारत में जाति व जाति प्रथा, सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण जैसे विषयों पर लेखन कार्य किया था। इनकी प्रमुख रचनाएँ मैरिज एण्ड फैमिली इन मैसूर, विलेज कास्ट जेंडर एण्ड मेथड आदि प्रमुख हैं। बम्बई



चित्र- 22.7 एम.एन. श्रीनिवास

विश्वविद्यालय व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने दो बार डॉक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त की थी। भारतीय समाजशास्त्र में इन्होंने ग्रामीण अध्ययन को प्रभावशाली बनाया था। गाँवों पर इनके द्वारा लिखे गए लेख

दो प्रकार के हैं- **पहला**, गाँवों में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का नृजातीय व्यौरा व इन व्यौरों पर परिचर्चा तथा **दूसरा**, भारतीय गाँव सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में कैसे कार्य करते हैं।

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1. 'कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक.....ने लिखी।
अ. डी. पी मुखर्जी ब. एम.एन. श्रीनिवास ब. जी. एस. घुर्ये द. एस. सी. दुबे
2. समाज शास्त्र के पिता..... को कहा जाता है।
अ. आगस्ट कॉम्टे ब. चार्ल्स कूले ब. मैक्स वैबर द. कार्ल मार्क्स
3. विश्व का प्रथम नीति निर्माता माना जाता है-
अ. नारद को ब. मनु को स. शुक्राचार्य को द. अग्नि
4. 'वर्ग-संघर्ष' का सिद्धान्त किसने दिया-
अ. मैक्स वैबर ब. एमिल दुर्खीम स. कार्ल मार्क्स द. स्पिनोजा

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. को क्रान्ति के युग की संतान कहा जाता है। (समाजशास्त्र/दर्शनशास्त्र)
2. एम.एन.श्रीनिवास का जन्म प्रान्त में हुआ। (कर्नाटक/केरल)
3. भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना में हुई।
(पुणे विश्वविद्यालय/मुम्बई विश्वविद्यालय)
1. नारद को ब्रह्माजी का.....पुत्र माना जाता है। (मानस/ औरस)

सत्य/असत्य बताइए-

1. फ्रान्सिसी क्रान्ति के समय लुई 16 वाँ फ्रान्स का शासक था। सत्य/असत्य
2. कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भारत में समाजशास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सत्य/असत्य
3. कार्ल मार्क्स को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। सत्य/असत्य
4. विश्व के समाज शास्त्रियों में मनु स्थान सर्वोच्च है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. दास कैपिटल	क. बैबर
2. एजुकेशन एण्ड सोशियोलॉजी	ख. कार्ल मार्क्स
3. रिलीजन ऑफ इण्डिया	ग. याज्ञवल्क्य
4. याज्ञवल्क्य शिक्षा	घ. दुर्खीम

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कौन-कौनसी हैं?
2. 'ज्ञानोदय' से क्या तात्पर्य है?

3. मैक्स वैबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
4. याज्ञवल्क्य किस राजा के समकालीन थे।
5. भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत सर्वप्रथम हुई?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

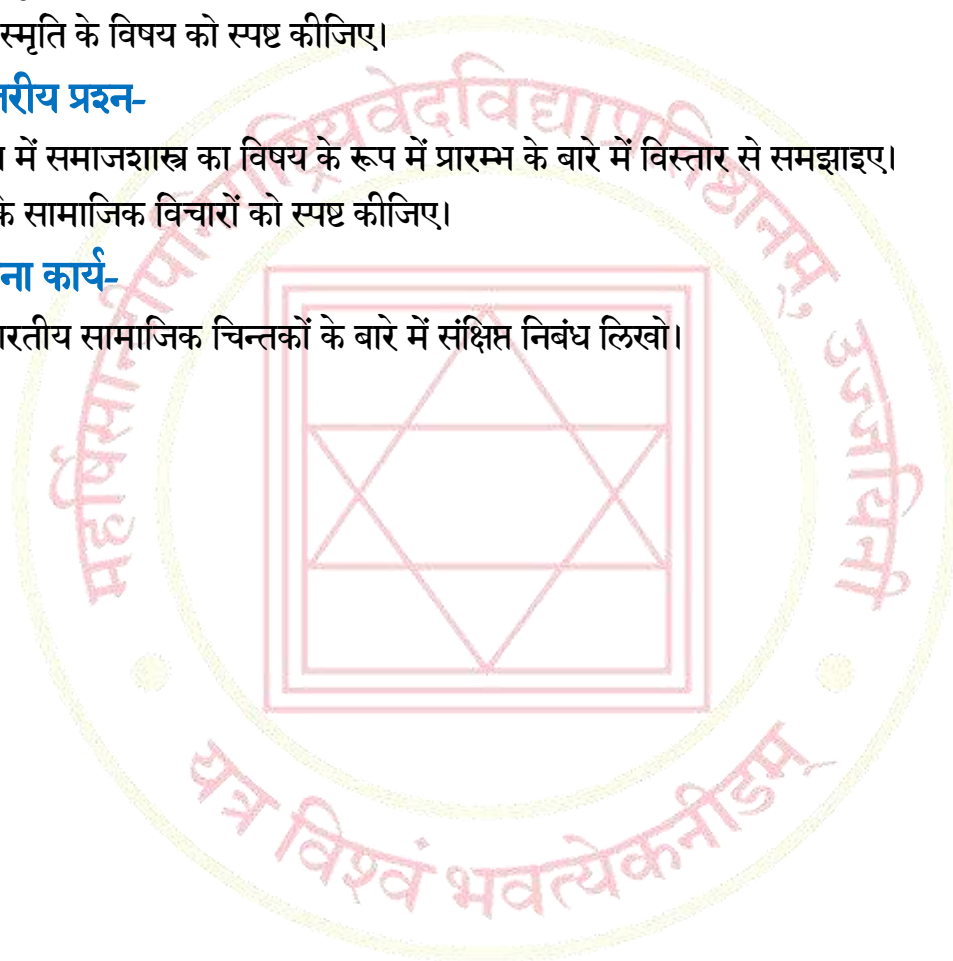
1. भारत में समाजशास्त्र के विकास को कौनसे ती चरणों में बाँटा गया है?
2. डी. पी. मुखर्जी के भारतीय परम्पराओं पर विचारों को लिखिए।
3. 'वर्ग - संघर्ष सिद्धान्त' के बारे में बताइए।
4. एमिल दुर्खीम का परिचय दीजिए।
5. नारद स्मृति के विषय को स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में समाजशास्त्र का विषय के रूप में प्रारम्भ के बारे में विस्तार से समझाइए।
2. मनु के सामाजिक विचारों को स्पष्ट कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. दो भारतीय सामाजिक चिन्तकों के बारे में संक्षिप्त निबंध लिखो।



अध्याय- 23

वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था

इस अध्याय में- शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण, भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख दोष, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ई.।

भारत प्राचीन समय से विश्व शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। हमारे यहाँ औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केन्द्र थे। औपचारिक शिक्षा के केन्द्रों में मठ, मन्दिर, आश्रम व गुरुकुल सम्मिलित थे। इनके अतिरिक्त परिवार, पुरोहित, पण्डित, सन्यासी और त्यौहार प्रसंग आदि के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक विकास क्रम के में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हुई। गुरुकुल प्रायः वनों, उपवनों, गाँवों व नगरों में होते थे। वाल्मीकि, सान्दीपनि, काण्व आदि ऋषियों के आश्रम वनों में स्थित थे। यहाँ वेदों के साथ-साथ दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास तथा समाज शास्त्र का भी अध्ययन-अध्यापन होता था। प्राचीनकाल में तक्षशिला, नालंदा, कान्यकुब्ज (कन्नौज), धारा, तंजौर, काशी, कर्नाटक, नासिक आदि शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र थे। वर्तमान शिक्षा कि यदि बात की जाये तो शिक्षा एक व्यवसाय बन चुकी है, भारत की पारम्परिक शिक्षा प्रणाली पर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली हावी हो गई है।

शिक्षा का वर्तमान स्वरूप- भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जिसे 1835

सारणी 23.1	
आयोग का नाम व अध्यक्ष	स्थापना वर्ष
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग- डॉ. राधाकृष्णन	1948 ई.
माध्यमिक शिक्षा आयोग- लक्ष्मण स्वामी मुदालियर	1952 ई.
माध्यमिक शिक्षा आयोग- दौलत सिंह कोठारी	1964 ई.
प्रथम संस्कृत शिक्षा आयोग- सुनीति कुमार चटर्जी	1956 ई.
द्वितीय संस्कृत शिक्षा आयोग- सत्यव्रत शास्त्री	2014 ई.

ई. में लॉर्ड मैकाले द्वारा लागू किया गया था। उस समय लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन के लिए बिचौलियों की भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के

लिए भारत में विशिष्ट वर्गों को तैयार करना है। 1968 ई. में देश में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इस शिक्षा नीति में शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर, उनको देश का आदर्श

नागरिक बनाना था। भारत में दूसरी शिक्षा नीति 1986 ई. में लागू की गई, जिसे 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। आज हम देखते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का डिजिटलीकरण हो गया है। डिजिटल शिक्षण में पीपीटी, वीडियो प्रस्तुतियाँ, ई-लर्निंग विधियों, अभ्यास सम्बन्धी डेमो, ऑनलाइन प्रशिक्षण और अन्य डिजिटल पद्धतियों या प्लेटफार्मों के उपयोग के साथ कक्षा में शिक्षण अत्यधिक संवादात्मक हो गया है।

भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण-

- 1 **मानसिक और बौद्धिक विकास-** शिक्षा व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति में नये-नये विचारों का सृजन होता है। शिक्षा व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास में सहायक है। शिक्षा से व्यक्ति में दया, प्रेम, करुणा, विश्वास व त्याग, राष्ट्रीयता, बन्धुत्व की भावनाएँ पैदा होती हैं। इसी के माध्यम से वह अपनी परम्परा, आदर्शों व जीवन मूल्यों से जुड़ता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में चिंतन, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक विधियों का विकास होता है।
- 2 **राजनीतिक व सामाजिक नियमों की समझ-** शिक्षा, व्यक्ति को सम्पूर्ण बनाती है, जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क में नये-नये विचारों का जन्म होता है और वह समाज व राष्ट्र के लिए योगदान देता है। जिस प्रकार नियम व कानूनों के अभाव में कोई राज्य व्यवस्थित नहीं चल सकता है, उसी प्रकार कोई भी समाज नियमों के बिना नहीं चल सकता है। नियम समाज की रीढ़ का कार्य करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा राजनीतिक व सामाजिक नियमों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- 3 **तार्किक शक्ति का विकास-** तार्किक शक्ति या तार्किक चिन्तन एक मानसिक प्रक्रिया है। शिक्षा ही वह माध्यम है, जो मानव में तार्किक शक्ति को उत्पन्न करती है। इससे मानव की मानसिक शक्ति को दृढ़ता प्राप्त होती है। व्यक्ति में किसी प्रश्न या समस्या पर तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास शिक्षा के द्वारा होता है।
- 4 **व्यक्तित्व विकास में सहायक-** शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का चारित्रिक व व्यक्तित्व विकास है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास का विकास होता है। उपनिषदों में बताया गया है कि बिना शिक्षा के मानव को पशु तुल्य माना गया है।
- 5 **सामाजिक समानता पर आधारित शिक्षा-** सामाजिक सद्भावना के विकास के लिए आधुनिक शिक्षा में यह व्यवस्था की गई है कि समाज का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रह जाए। आशय यह है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।



- 6 **बहुमाध्यम वाली शिक्षा पद्धति-** आजकल मल्टीमीडिया (बहुमाध्यम) शिक्षा का प्रचलन है, जिसमें श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यह एक उचित कदम है, किन्तु इसके साथ-साथ विद्यार्थी वर्ग की रूचि की विविधता को ध्यान में रखना होगा।

आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोष- आज हम जो शिक्षा प्रणाली अपनाये हुए हैं उसका सम्बन्ध केवल किताबी ज्ञान से है। इस शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि छात्र का लक्ष्य केवल डिग्री प्राप्त करना है। आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं-

1. **व्यावसायीकरण-** वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया है। शिक्षा के आधुनिकीकरण से हमारे सनातनी संस्कार गायब से हो गए हैं। बालक के साथ-साथ उसके अभिभावक का भी प्रवेश के समय साक्षात्कार लिया जाता है। निजी क्षेत्र की संस्थाओं का एकमात्र लक्ष्य आर्थिक लाभ और ऊँची साख प्राप्त करना होता है। इसके लिए शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धक विविध प्रकार के विज्ञापन कर, अनेक प्रकार के भौतिक आकर्षण जैसे – स्वीमिंग, राइडिंग आदि सिखाने का लोभ देते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश स्कूलों में बाहरी दिखावा और भीतरी खोखलापन होता है।
2. **रचनात्मकता का अभाव-** वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक दोष यह भी है कि इसमें रचनात्मकता का अभाव है। बालकों को छोटी-छोटी कक्षाओं में विशाल पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है, जिससे उनको यह पढ़ाई नीरस लगने लगती है। प्रतिस्पर्द्धा के इस युग में बालक का बचपन खो सा गया है। अभिभावकों की मानसिकता केवल यही है कि उनके बच्चे पढ़ – लिखकर डॉक्टर-इंजीनियर बनें, भले ही उनका बौद्धिक स्तर व रूचि उसमें न हो। हमें शिक्षा में नये-नये प्रयोग करके बालकों की रचनात्मकता और सृजनात्मकता की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है।
3. **अप्रायोगिक शिक्षा प्रणाली-** वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रायः सैद्धान्तिक ज्ञान की बहुलता और प्रायोगिक ज्ञान का अभाव है। बालकों को सैद्धान्तिक शिक्षा के साथ – साथ प्रायोगिक ज्ञान की महती आवश्यकता है। महात्मा गाँधी की बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण व बहुमूल्य है। कोई भी शिक्षा तभी प्रभावी बन सकती है, जब वह प्रायोगिक और बुनियादी हो। बालकों को विद्यालयों व ट्यूशन में इतना अधिक गृहकार्य दिया जाता है कि वे शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव करते हैं, जिसके कारण उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है।

4. **असमग्र शिक्षा-** असमग्र शिक्षा का आशय शिक्षा की अपूर्णता है। शिक्षार्थी के जीवन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा विविध विषयों की शिक्षा प्राप्ति में व्यतीत होने पर भी वह विषय-विशेष में पारंगत नहीं हो पाता है। अतः असमग्रता वर्तमान शिक्षा पद्धति का प्रमुख दोष है।
5. **शिक्षा का शहरीकरण-** आज शिक्षण-संस्थान एकांत स्थानों, वनों और प्राकृतिक स्थलों से दूर होते जा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों का केन्द्रीकरण बड़े नगरों में होने के कारण शिक्षा अत्यधिक महँगी हो गई है। छात्र इन नगरों में अध्ययन के पश्चात वहीं नौकरी प्राप्त कर, निवास करने लगते हैं। इस प्रकार लोग धीरे-धीरे ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं।
6. **परीक्षा प्रणाली-** वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परीक्षा-पद्धति भी पूर्णतया उपयुक्त नहीं हैं। वर्तमान परीक्षा-पद्धति व्यक्तित्व की समग्र जाँच करने में अक्षम है। छात्र गाइड, कुंजी, संभावित प्रश्नोत्तरी का प्रयोग कर परीक्षा में सफल हो जाता है, इससे उसके व्यक्तित्व का हास ही होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ई.- आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के दोषों में सुधार के लिए देश में अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020 ई. को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' लागू की गई है। यह 1986 ई. में जारी भारतीय शिक्षा नीति के बाद पहला परिवर्तन है। इसके लिए सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन (सन् 2017) में किया था। इस समिति द्वारा शिक्षा एक नया प्रारूप तैयार किया गया, जिसे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार के मन्त्रिण्डल (कैबिनेट) द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति में आँगनवाड़ी, स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई परिवर्तन किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधान-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाँचवी कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में बालकों को शिक्षा दी जाएगी। इसे बाद में कक्षा आठ तक भी बढ़ाया जा सकता है।
- स्कूल पाठ्यक्रम के पुराने ढांचे 10 + 2 + 3 के स्थान पर अब 5 + 3 + 3 + 4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 व 14-18 की आयु के बच्चों के लिए हैं। इसमें अब तक दूर रखे गए 3-6 वर्ष के बालकों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है।
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में प्री-स्कूलिंग(तीन साल की आँगनवाड़ी) के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। इसके तहत बालकों की शुरुआती स्टेज के लिए 3 साल की प्री-प्राइमरी और पहली तथा

दूसरी कक्षा को रखा गया है। अगली स्टेज में तीसरी, चौथी और पाँचवी कक्षा को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6-8 तथा अन्त में माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9-12 को रखा गया है।

- मानव संसाधन विकास मन्त्रालय का नाम शिक्षा मन्त्रालय किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अन्तर्गत लाया जाएगा।
- इस शिक्षा नीति में बच्चों में जीवन जीने के कौशल (life Skills) और जरूरी क्षमताओं को विकसित करने पर बल दिया गया है।
- वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जीईआर (Gross Enrolment Ratio) के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल (सबके लिए शिक्षा) का लक्ष्य रखा गया है।
- बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यन्त जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए एनईपी-2020 में विशेष जोर दिया गया है।
- NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए प्रारम्भिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा विकसित करेगा।
- स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येत्तर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच विशेष अन्तर नहीं किया जाएगा।
- सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य है, जो अभी 4.43 प्रतिशत है।
- कक्षा 6 से व्यावसायिक कोर्स शुरू किये जाएँगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को कक्षा 6 के बाद से ही इंटरनेशिप करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त संगीत, योग, शिल्प, खेल, सामुदायिक सेवा और कला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी।
- ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएँगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही हैं और एक राष्ट्रीय शिक्षा टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनाया जा रहा है।
- भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न केवल राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चों में अपनी पहचान एवं अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता एवं अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित किया जाएगा।

- भारत, संस्कृति का समृद्ध भण्डार है, जो हजारों वर्षों में विकसित हुई थी। भारत की इस सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार किया जाएगा।
- आदिवासी ज्ञान प्रयोग एवं सीखने के स्वदेशी और पारम्परिक तरीकों को शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा और भारतीय ज्ञान प्रणाली में उपलब्ध ज्ञान गणित, खगोल विज्ञान, योग, दर्शन, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, वाङ्मय, खेल के साथ-साथ शासन, राजव्यवस्था, संरक्षण आदि विषयों को भी शिक्षा में शामिल किया जाएगा।
- विद्यार्थियों को कम उम्र में सही को करने के महत्त्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढाँचा विकसित किया जाएगा।
- संस्कृत भाषा के वृहद् एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के वाङ्मय, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। सरल मानक संस्कृत में पाठ्यसामग्री भी बनाने पर जोर दिया जाएगा।
- संस्कृत को त्रि-भाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। इस शिक्षा नीति में हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का समायोजन कर, इसे भौतिकवादी के स्थान नैतिक बनाने के प्रयास किए गए हैं। यह शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के समग्र विकास पर केन्द्रित है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए गठित विभिन्न आयोग

प्रश्नावली

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1. भारत में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' लागू.....का गई -

अ. 29 जून 2020

ब. 29 जुलाई 2020

स. 29 अगस्त 2020

द. 29 सितम्बर 2020

2. बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास..... होता है।

अ. खेलकूद से

ब. अच्छी आदतों से

स. शिक्षा से

द. उपर्युक्त सभी से

4. वर्तमान शिक्षा प्रणाली के 3 दोष कौन-कौन से हैं ?
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

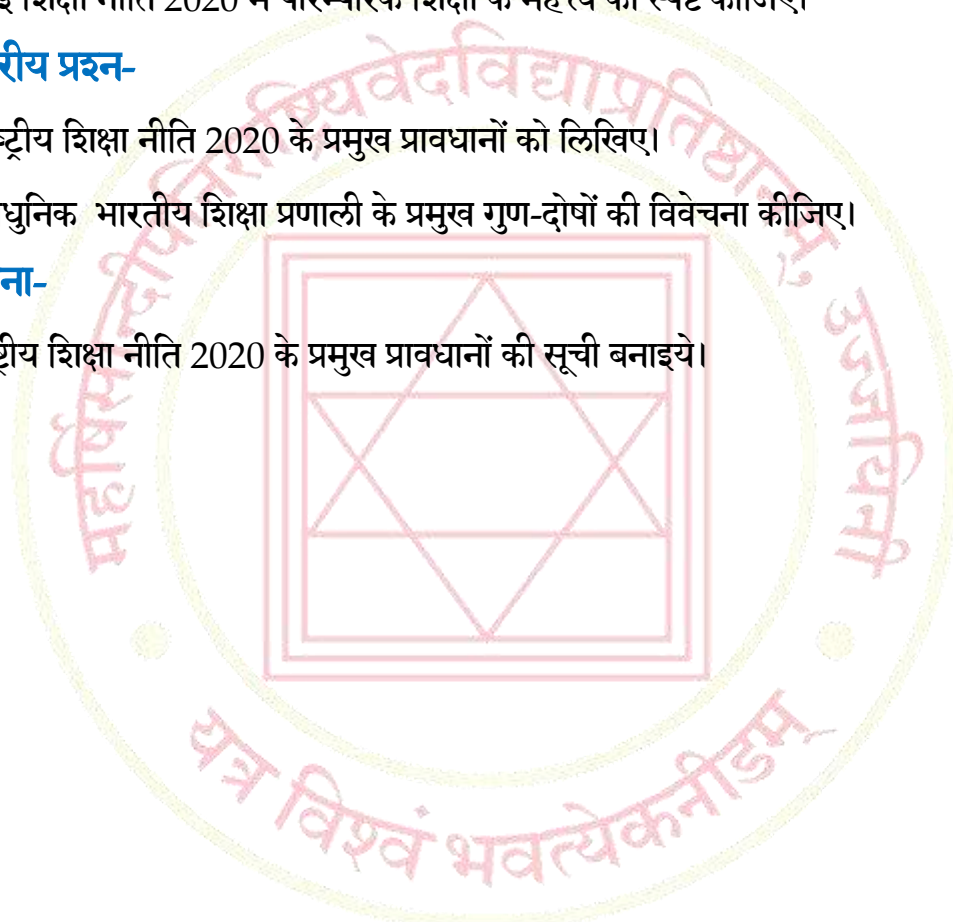
1. लॉर्ड मैकाले के अनुसार भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य था ?
2. औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं ?
3. शिक्षा के व्यावसायीकरण से आप क्या समझते हैं ?
4. नई शिक्षा नीति 2020 में पारम्परिक शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए।
2. आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।

परियोजना-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों की सूची बनाइये।



परिशिष्ट

राज्य, उनकी राजधानी, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

क्र.	राज्य	राजधानी	जिलों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	जनसंख्या
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	26	2,75,060	8,46,53,533
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	19	83,743	13,82,611
3.	असम	दिसपुर	35	78,438	3,11,69,272
4.	बिहार	पटना	38	94,163	10,38,04,637
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	32	1,36,034	2,55,40,196
6.	गोवा	पणजी	02	3,702	14,57,723
7.	गुजरात	गाँधी नगर	35	1,96,024	6,03,83,628
8.	हरियाणा	चंडीगढ़	22	44,212	2,53,53,081
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	12	55,673	68,56,509
10.	झारखण्ड	राँची	24	79,714	3,29,66,238
11.	कर्नाटक	बंगलोर	30	1,91,791	6,11,30,704
12.	केरल	तिरुवनन्थपुरम्	14	38,863	3,33,87,677
13.	मध्य प्रदेश	भोपाल	50	3,08,000	7,25,97,565
14.	महाराष्ट्र	मुंबई	36	3,07,713	11,23,72,972
15.	मणिपुर	इम्फाल	09	22,327	27,21,756
16.	मेघालय	शिलांग	11	22,327	29,64,007
17.	मिजोरम	आइजौल	08	21,081	10,91,014
18.	नागालैंड	कोहिमा	12	16,579	19,80,602
19.	ओडिशा	भुवनेश्वर	30	1,55,707	4,19,47,358
20.	पंजाब	चंडीगढ़	23	50,362	2,77,04,236
21.	राजस्थान	जयपुर	33	3,42,239	6,86,21,012
22.	सिक्किम	गंगटोक	04	7,096	6,07,688
23.	तमिलनाडु	चेन्नई	38	1,30,058	7,21,38,958
24.	त्रिपुरा	अगरतला	08	10,49,169	36,71,032
25.	उत्तराखण्ड	देहरादून	13	53,484	1,01,16,752
26.	उत्तरप्रदेश	लखनऊ	75	2,38,566	19,95,81,477
27.	पश्चिम बङ्गाल	कोलकाता	23	88,752	9,13,47,736
28.	तेलंगाना	हैदराबाद	33	1,14,840	3,51,93,978

क्रं.	केन्द्र शासित राज्य	राजधानी	जिलों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	जनसंख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	3	8,249	3,79,944
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1	114	10,54,686
3.	दादर और नागर हवेली दमन और दीव	दमन	3	603	5,85,764
4.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	20	2,22,236	1,25,00,000
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	9	1,483	1,67,53,235
6.	लक्षद्वीप	कवरत्ती	1	32	64,429
7.	पुदुच्चेरी	पुदुच्चेरी	4	492	12,44,464
8.	लद्दाख	लेह	2	1,66,698	2,74,289



वेद विभूषण परीक्षा / Vedavibhushan Exam
वेद विभूषण प्रथम वर्ष / उत्तरमध्यमा- I / कक्षा ग्यारहवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय- सामाजिक विज्ञान

सेट -A

- सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
- सभी प्रश्न के उत्तर पेपर में यथास्थान पर ही लिखें।
- इस प्रश्न पत्र में कुल 42 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक दिये गये हैं।
- उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 40% अंक निर्धारित हैं।
- It is mandatory to attempt all questions compulsorily.
- Write down the answers at the appropriate places provided
- This question paper contains 42 questions Marks for each question is shown on the side.
- The minimum passing marks is 40 %.

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1×10=10

1. अमरकोष में पृथिवी के.....नाम बताये गये हैं।

अ. 13

ब. 22

स. 27

द. 33

2. निम्न में से जलवायु परिवर्तन का मानवीय कारण..... है।

अ. भूस्खलन

ब. महाद्वीपीय संवहन

स. वनों की कटाई

द. ज्वालामुखी

3. मेसोपोटामिया वर्तमान में.....देश में स्थित है।

अ. ईरान

ब. इराक

स. सउदी अरब

द. भारत

4. निम्न में से रथयात्रा के लिए.....प्रसिद्ध है।

अ. सोमनाथ मन्दिर

ब. जगन्नाथ मन्दिर

स. देलवाड़ा जैन मन्दिर

द. सूर्य मन्दिर

5. वास्कोडिगामा भारत के कालीकट तट पर.....में पहुँचा था।

अ. 1492 ई. ब. 1498 ई. स. 1506 ई. द. 1527 ई.

6. भारत में.....संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है।

अ. प्रधानमन्त्री ब. राष्ट्रपति स. मंत्रिपरिषद् द. उपराष्ट्रपति

7. संविधान के.....राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है।

अ. अनुच्छेद 124 ब. अनुच्छेद 130

स. अनुच्छेद 214 द. अनुच्छेद 219

8. भारत में नई आर्थिक नीति.....लागू की गई थी।

अ. 1988 ई. ब. 1991 ई. स. 1992 ई. द. इनमें से कोई नहीं

9. निम्न में मानव पूँजी में.....शामिल है-

अ. वन्य जीव ब. उद्योग स. डॉक्टर द. इनमें से कोई नहीं

10. समाजशास्त्र का जनक.....को कहा जाता है।

अ. आगस्ट कॉम्टे ब. चार्ल्स कूले स. मैक्स वैबर द. कार्ल मार्क्स

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

2 × 5 = 10

11. अवसादी शैलों को शैले भी कहते हैं। (कायान्तरित/परतदार)

12. टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक थी। (इण्डिका/अल्मागेस्ट)

13. भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता.....में हुआ था। (1954 ई./1964 ई.)

14. वर्तमान में योजना आयोग का नाम.....है। (नीति आयोग/सेवा आयोग)

15. स्वतन्त्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति..... लागू की गई थी। (1968 ई./1956 ई.)

सत्य-बताइए असत्य/

2 × 5 = 10

16. समताप मण्डल का तापमान समान रहता है।

सत्य/असत्य/

17. मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों के मध्य स्थित है।

सत्य/असत्य

18. मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

सत्य/असत्य

19. भारत में सर्वप्रथम सम्पूर्ण जनगणना 1881 ई. में हुई थी।

सत्य/असत्य

20. विश्व पर्यावरण दिवस 1 जून को मनाया जाता है।

सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान -

2× 5 =10

21. वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम	(क) 1999 ई.
22. जल शक्ति मन्त्रालय का गठन	(ख) 1946 ई.
23. अमेरिका की खोज	(ग) 1972 ई.
24. भारतीय संविधान सभा का गठन	(घ) 2019 ई.
25. भारत की लाहौर बस यात्रा	(ङ.) 1492 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

2× 10 = 20

26. वायुमण्डल में प्रमुख गैसों कौन-कौन सी हैं ?
27. चक्रवात किसे कहते हैं ?
28. किन्हीं तीन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के नाम लिखिये।
29. पाषाणकाल किसे कहते हैं।
30. औद्योगिक क्रांति का आरम्भ किस देश में हुआ था ?
31. यज्ञ किसे कहते हैं ?
32. नगर निगम का निर्वाचित मुखिया कौन होता है ?
33. स्वास्थ्य से क्या आशय है ?
34. पर्यावरण से क्या तात्पर्य है ?
35. कारगिल युद्ध कब हुआ था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

4 × 5 = 20

36. भूस्खलन के प्रमुख कारण बताइये।
37. कोलम्बस की समुद्री यात्रा का उल्लेख कीजिए।
38. ओडिसा के जगन्नाथ मन्दिर की कोई चार विशेषताएँ बताइये।
39. राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए आवश्यक योग्यताएँ बताइए।
40. मानव पूंजी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

10× 2 = 20

41. वायुमण्डल की संरचना को विस्तार से समझाइये।
42. प्राकृतिक विरासत किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए।

वेद विभूषण परीक्षा / Vedavibhushan Exam
वेद विभूषण प्रथम वर्ष / उत्तरमध्यमा- I / कक्षा ग्यारहवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय- सामाजिक विज्ञान

सेट – B

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहुविकल्पीय प्रश्न-

1×10 =10

1. पृथिवी की उत्पत्ति सम्बन्धी 'द्वैतारक सिद्धान्त' के प्रतिपादक..... है।

अ. शिमिड

ब. रसेल

स. लाह्लेस

द. एडविन हब्ल

2. महाविस्फोट (बिग बैंग) की घटना लगभग..... हुई थी।

अ. 13.7 अरब वर्ष पूर्व

ब. 4.56 अरब वर्ष पूर्व

स. 44 करोड़ वर्ष पूर्व

द. इनमें से कोई नहीं

3. भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं भारत के..... राज्य में स्थित हैं।

अ. गुजरात

ब. छत्तीसगढ़

स. मध्य प्रदेश

द. राजस्थान

4. इंग्लैंड और फ्रान्स के मध्य सौ वर्षीय युद्ध..... हुआ था।

अ. 1193 ई.-1293 ई.

ब. 1338 ई.-1461 ई.

स. 1492 ई.-1590 ई.

द. इनमें से कोई नहीं

5. गैलीलियो द्वारा रचित ग्रन्थ..... है।

अ. दि मोशन

ब. कास्मोग्राफिकल मिस्ट्री

स. यूटोपिया

द. नाइन्टी फाइव थिसिस

6. भारतीय संविधान को..... अंगीकृत किया गया था।

अ. 26 नवम्बर, 1949

ब. 26 जनवरी, 1950

स. 15 अगस्त, 1947

द. 30 जनवरी, 1948

7. लोकसभा की प्रथम बैठक..... को हुई थी।

अ. 2 अप्रैल 1952 ई.

ब. 5 जुलाई 1951 ई.

स. 13 मई 1952 ई.

द. 5 मार्च 1952 ई.

8. सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम.....किया था।

अ. हरबर्ट स्पेन्सर

ब. कॉम्टे

स. दुर्खीम

द. मैक्स वेबर

9. चिपको आन्दोलन.....प्रारम्भ हुआ था।

अ. 1970 ई.

ब. 1971 ई.

स. 1972 ई.

द. 1973 ई.

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020.....लागू की गई।

अ. 29 जून 2020

ब. 29 जुलाई 2020

स. 29 मार्च 2020

द. 29 मई 2020

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

2 × 5 = 10

11. सुनामी आपदा है।

(मानवजनित/प्राकृतिक)

12. शक्ति पीठों की संख्या है।

(52/53)

13. संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है।

(प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति)

14. भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।

(कृषि/पशुपालन)

15. पौधे मानव को प्रदान करते हैं।

(नाइट्रोजन/ऑक्सीजन)

सत्य-बताइए असत्य/

2 × 5 = 10

16. सौरमण्डल में वर्तमान में 9 ग्रह हैं।

सत्य/असत्य

17. पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकम्प कहते हैं।

सत्य/असत्य

18. नागर व द्रविड शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहते हैं।

सत्य/असत्य

19. ग्राम पञ्चायत का मुखिया प्रधान कहलाता है।

सत्य/असत्य

20. विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी।

सत्य/असत्य

सहीजोड़ी- मिलान-

2 × 5 = 10

21. बद्रीनाथ

(क) ओडिशा

22. द्वारका

(ख) तमिलनाडु

23. जगन्नाथपुरी

(ग) उत्तराखण्ड

24. त्र्यम्बकेश्वर

(घ) गुजरात

25. रामेश्वरम्

(ङ) महाराष्ट्र



अतिलघु उत्तरीय प्रश्न-

$2 \times 10 = 20$

26. अपरदन से क्या आशय है ?
27. महासागरीय धाराएँ किसे कहते हैं ?
28. मंगोल कौन थे ?
29. कोणार्क के सूर्य मन्दिर का निर्माण किसने करवाया था ?
30. सप्त मोक्षपुरियों का नामोल्लेख कीजिए।
31. संविधान की आत्मा किसे कहा गया है ?
32. भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखिये।
33. श्रमिक से क्या आशय है ?
34. सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं ?
35. कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

$4 \times 5 = 20$

36. जैव-विविधता के संरक्षण के उपाय बताइये।
37. ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं ?
38. नहरों और रेलवे के सापेक्षिक लाभों का वर्णन कीजिए।
39. स्वतन्त्र भारत में स्थानीय शासन के विकास का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
40. पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के बारे में बताइये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

$10 \times 2 = 20$

41. संसद के कार्यों का उल्लेख कीजिए।
42. भारत की स्थिति व आकार पर विस्तार से प्रकाश डालिये।

वेद विभूषण परीक्षा / Vedavibhushan Exam
वेद विभूषण प्रथम वर्ष / उत्तरमध्यमा- I / कक्षा ग्यारहवीं
आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper
विषय- सामाजिक विज्ञान
सेट – C

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1×10=10

1. ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम.....ने किया था।
अ. गैलिलियो
ब. अरस्तू
स. इरेटोस्थेनीज
द. हेरोडोटस
2. बिगबैङ्ग सिद्धान्त का प्रतिपादन..... किया था।
अ. जार्ज लैमेत्रे
ब. कार्ल मार्क्स
स. मोल्टन
द. हेरोडोटस
3. वायु मण्डल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग.....है।
अ. 21%
ब. 11
स. 78%
द. 29%
4. जलवायु वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति.....की देन है।
अ. व्लादमीर कोपेन
ब. निकोलस द्वितीय
स. वी. जॉनसन
द. कॉपरनिकस
5. जल नीति बनाने वाला पहला राज्य..... है।
अ. गोवा
ब. तमिलनाडु
स. मेघालय
द. पश्चिम बंगाल
6. केदारनाथ में भूयंकर बाढ़ व भू-स्खलन.....हुआ था।
अ. जून 2012 में
ब. जून 2013 में
स. जून 2014 में
द. जून 2015 में
7. प्रथम अफीम युद्ध (1839 ई.-1842 ई.).....के मध्य हुआ था।
अ. चीन-ब्रिटेन
ब. चीन-जापान

- स. भारत-पाकिस्तान द. जापान-रुस
8. कंदरिया महादेव मन्दिर.....में स्थित है।
 अ. उज्जैन ब. खजुराहो
 स. मैहर द. देवास
8. प्रसिद्ध संस्कृत काव्य नैषधचरितम्.....की रचना है।
 अ. कालिदास ब. श्री हर्ष
 स. माघ द. दण्डी
9. देश में कुल श्रमबल के.....लोग संगठित क्षेत्रक में कार्यरत हैं।
 अ. 94% ब. 60%
 स. 9.7% द. 24%
10. 'कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक के लेखक.....हैं।
 अ. डी. पी मुखर्जी ब. एम.एन. श्रीनिवास
 स. जी. एस. घुर्ये द. एस. सी. दुबे
- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-** 2 × 5 = 10
11. ज्योग्राफी का जनक.....को कहा जाता है। (इरेटॉस्थनीज/मेगस्थनीज)
 12. वायु मण्डल की सबसे निचली परत को.....मण्डल कहा जाता है। (समताप/क्षोभ)
 13. ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना.....में हुई। (भारत/इंग्लैण्ड)
 14. बेसर शैली को.....शैली भी कहा जाता है। (चालुक्य/नागर)
 15. संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद.....में है। (368/352)
- सत्य-बताइए असत्य/** 2 × 5 = 10
16. अभ्रक एक धात्विक खनिज है। सत्य/असत्य
 17. लवणता समुद्री जल का प्रमुख गुण है। सत्य/असत्य
 18. रोम साम्राज्य में दास प्रथा का बोलबाला था। सत्य/असत्य
 19. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सत्य/असत्य
 20. भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17% निवास करता है। सत्य/असत्य
- सहीजोड़ी- मिलान कीजिए -** 2 × 5 = 10
21. पञ्चायतीराज व्यवस्था का आरम्भ (क) 1968 ई.

22. पद्मनाभ स्वामी मन्दिर का जीर्णोद्धार
23. वन्य जीव सुरक्षा (संरक्षण) अधिनियम
24. नीति आयोग का गठन
25. प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई

(ख) 1972 ई.
(ग) 2015 ई.
(घ) 1750 ई.
(ङ) 1959 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

2×10 = 20

26. पारिस्थितिकी से क्या आशय है ?
27. चक्रवात किसे कहते हैं ?
28. आदिमानव औजारों के निर्माण में किसका प्रयोग करता था ?
29. मोनालिसा किसकी कृति है ?
30. श्रुति से क्या आशय है ?
31. भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है ?
32. स्थानीय शासन से क्या आशय है ?
33. हरित क्रान्ति से क्या आशय है ?
34. पर्यावरण में जैविक घटक किसे कहते हैं ?
35. बांग्लादेश को स्वतन्त्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली थी ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

4×5 = 20

36. चन्द्रमा की उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
37. अपक्षय के महत्व का उल्लेख कीजिए।
38. भारत-नेपाल सम्बन्ध पर टिप्पणी लिखिए।
39. उदारीकरण आप क्या समझते हैं ?
40. निर्धन किसे कहते हैं ? सोदाहरण समझाइये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

10×2 = 20

41. पृथिवी की उत्पत्ति सम्बन्धी महाविस्फोट सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए।
42. वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को समझाइए।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

द्वारा सञ्चालित एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - ४५६००६ (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in